



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

8 आषाढ़ 1939 (श10)  
(सं0 पटना 563) पटना, वृहस्पतिवार, 29 जून 2017

---

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना  
29 जून 2017

एस. ओ. 103 दिनांक 29 जून 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

#### अध्याय I

#### प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों को बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 कहा जाएगा।  
(2) ये दिनांक ये अधिसूचना निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं--** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - "अधिनियम" से बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) अभिप्रेत है ;
  - "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;
  - "धारा" से इस अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ;
  - "विशेष आर्थिक जोन" का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (य क) में उसका है ;
  - उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

**अध्याय II****प्रशमन् नियम****3. प्रशमन् उद्ग्रहण के लिए सूचना--**

- (1) कोई व्यक्ति, जिसे नियम 24 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन अंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है और जो धारा 10 के अधीन कर के संदाय का विकल्प देता है, नियत दिन से पहले किन्तु उक्त दिन के पश्चात् या तीस दिन के अपश्चात् या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त बढ़ा दी जाए या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्रों के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी-01 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना फाइल करेगा :

परन्तु जहां प्ररूप जीएसटी सीएमपी-01 में की सूचना नियत दिन के पश्चात् फाइल की जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन से कोई भी कर संग्रहित नहीं करेगा किन्तु उक्त दिन के पश्चात् की गई आपूर्तियों के लिए आपूर्ति का बिल जारी करेगा ।

- (2) कोई भी व्यक्ति, जो नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग ख में धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प दे सकेगा, जिसे उक्त धारा के अधीन कर संदाय करने की सूचना के रूप में समझा जाएगा ।
- (3) कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प देता है, उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पहले, जिसके लिए पूर्वोक्त धारा के अधीन कर संदाय के विकल्प का प्रयोग किया गया है या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में सूचना फाइल करेगा और नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से साठ दिन की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आईटीसी-3 में विवरण देगा ।
- (4) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए उपनियम (1) के अधीन सूचना फाइल करता है, उस तारीख से पूर्ववर्ती दिन को, जबसे वह उक्त धारा के अधीन कर संदाय करने का विकल्प देता है, उसके द्वारा धारित गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त माल की आपूर्ति सहित स्टॉक के ब्यौरे या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्रों के माध्यम से प्रशमन् उद्ग्रहण का विकल्प का प्रयोग करने की तिथि के साठ दिन के भीतर अथवा ऐसी अवधि के भीतर जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त बढ़ा दी जाए, प्ररूप जीएसटी सीएमपी-03 में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से देगा ।
- (5) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कारबार के किसी स्थान की बाबत उपनियम (1) या उपनियम (3) के अधीन किसी भी सूचना को उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकृत कारबार के सभी अन्य स्थानों की बाबत सूचना समझा जाएगा ।

**4. प्रशमन् उद्ग्रहण की प्रभावी तारीख-**

(1) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प उस वित्तीय वर्ष के, जब नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन सूचना फाइल की गई है और वह नियत दिन जब उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन सूचना फाइल की गई है, आरंभ से प्रभावी होगा ।

(2) नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन सूचना पर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् ही विचार किया जाएगा और धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए उसका विकल्प नियम 10 के उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन नियत तारीख से प्रभावी होगा ।

**5. प्रशमन् उद्ग्रहण की शर्तें और निर्बंधन-**

(1) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए विकल्प का प्रयोग करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :-

- (क) वह न तो नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही अनिवासी कराधेय व्यक्ति है ;

- (ख) जहां विकल्प का प्रयोग नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन किया गया है, वहां उसके द्वारा नियत दिन को स्टॉक में धारित माल का अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान क्रय नहीं किया गया है या भारत से बाहर किसी स्थान से आयात नहीं किया गया है या राज्य के बाहर स्थित उसकी शाखा से या राज्य के बाहर उसके अभिकर्ता या प्रधान से प्राप्त नहीं किया गया है ;
- (ग) उसके द्वारा स्टॉक में धारित माल का किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत आपूर्तिकर्ता से क्रय नहीं किया गया है और जहां क्रय किया गया है, वहां वह धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन कर का संदाय करता है ;
- (घ) वह माल या सेवा या दोनों की आवक आपूर्ति पर धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर का संदाय करेगा ;
- (ङ.) वह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ड.) के अधीन यथा अधिसूचित माल के विनिर्माण में नहीं लगा हुआ है ;
- (च) वह, उसके द्वारा जारी आपूर्ति के बिल के ऊपरी सिरे पर " प्रशमन् कराधेय व्यक्ति, आपूर्तियों पर कर संग्रहण के लिए पात्र नहीं" शब्दों का उल्लेख करेगा ; और
- (छ) वह, उसके कारबार के मूल स्थान पर, प्रमुख स्थान पर और कारबार के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान या स्थानों पर प्रदर्शित प्रत्येक नोटिस या साइन बोर्ड पर " प्रशमन् कराधेय व्यक्ति" शब्दों का उल्लेख करेगा।
- (2) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए हर वर्ष नई सूचना फाइल करना आवश्यक नहीं है और वह अधिनियम के उपबंधों तथा इन नियमों के अधीन उक्त धारा के अधीन कर का संदाय करता रह सकेगा ।

#### 6. प्रशमन् उद्घरण की विधिमान्यता -

- (1) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प तब तक विधिमान्य रहेगा, जब तक वह उक्त धारा और इन नियमों के अधीन उल्लिखित सभी शर्तों की पूर्ति करता है ।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उस दिन से जब वह धारा 10 या इस अध्याय के उपबंधों में उल्लिखित किसी शर्त की पूर्ति नहीं करता है, धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन कर संदाय करने का दायी होगा और उसके पश्चात् की गई प्रत्येक कराधेय आपूर्ति के लिए कर बीजक जारी करेगा और वह ऐसी घटना के घटित होने के सात दिन के भीतर प्ररूप जीएसटी सीएमपी-04 में स्कीम से प्रत्याहरण के लिए सूचना भी फाइल करेगा ।
- (3) ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका आशय प्रशमन् स्कीम से प्रत्याहरण करने का है, ऐसे प्रत्याहरण की तारीख से पहले सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 04 में आवेदन फाइल करेगा ।
- (4) जहां उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का पात्र नहीं था या उसने अधिनियम के उपबंधों या इस अध्याय के उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो वह प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 05 में ऐसे व्यक्ति को एक नोटिस, ऐसे नोटिस की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर यह कारण बताने के लिए जारी कर सकेगा कि धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प क्यों न इनकार कर दिया जाए ।
- (5) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से उपनियम (4) के अधीन जारी कारण बताओ नोटिस के प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 06 में उत्तर की प्राप्ति पर उचित अधिकारी ऐसे उत्तर की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति, या तो विकल्प की तारीख से या ऐसे उल्लंघन से संबंधित घटना की तारीख से धारा 10 के अधीन या तो उत्तर को स्वीकार करते हुए या कर संदाय करने के विकल्प को इनकार करते हुए प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 07 में आदेश जारी करेगा ।
- (6) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने उपनियम (2) के अधीन सूचना दी है या उपनियम (3) के अधीन प्रत्याहरण का आवेदन फाइल किया है या ऐसा व्यक्ति, जिसकी बाबत उपनियम (5) के अधीन प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 07 में विकल्प के प्रत्याहरण का आदेश पारित किया गया है सामान्य पोर्टल पर या तो

प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्ररूप जीएसटी आईटीसी- 01 में, यथास्थिति, उस तारीख से, जिससे विकल्प का प्रत्याहरण किया गया है या प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 07 में पारित आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर एक विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकेगा, जिसमें उस तारीख को, जिसको विकल्प का प्रत्याहरण या उसको इनकार किया गया है, उसके द्वारा स्टॉक में धारित इनपुटों के स्टॉक और अर्द्ध तैयार या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के ब्यौरे होंगे।

- (7) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कारबार के किसी स्थान की बाबत उपनियम (5) के अनुसार उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन प्रत्याहरण या धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के विकल्प के इनकार किए जाने की सूचना या आवेदन को उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकृत कारबार के अन्य सभी स्थानों की बाबत सूचना समझा जाएगा।

**7. प्रशमन् उद्ग्रहण के कर की दर -** धारा 10 और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रशमन् उद्ग्रहण के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के प्रवर्ग धारा 10 के अधीन उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दर पर कर का संदाय करेगा :

क्र.सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का प्रवर्ग	कर की दर
(1)	(2)	(3)
1	ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता	एक प्रतिशत
2	अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट आपूर्तियां करने वाले आपूर्तिकर्ता	ढाई प्रतिशत
3	धारा 10 और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रशमन् उद्ग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य आपूर्तिकर्ता	आधा प्रतिशत

### अध्याय 3

#### रजिस्ट्रीकरण

**8. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन--** (1) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति, धारा 51 के अधीन स्रोत पर कटौती के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति, धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट किसी गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की पूर्ति करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी है और धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है), रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से पहले या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग क में अपना स्थायी लेखा संख्या, मोबाइल नं0, ई-मेल पता, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र घोषित करेगा :

परन्तु किसी विशेष आर्थिक जोन में कोई इकाई या इकाइयां रखने वाला व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति, जो विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उसकी अन्य इकाइयों से भिन्न किसी कारबार शीर्षका के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक् आवेदन करेगा :

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो कोई इनपुट सेवा वितरक है, ऐसे इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक् आवेदन करेगा।

- (2)(क) स्थायी लेखा संख्या को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुरक्षित डाटाबेस से सामान्य पोर्टल द्वारा ऑनलाइन विधिमान्य बनाया जाएगा।

- (ख) उपनियम (1) के अधीन घोषित मोबाइल नम्बर को उक्त मोबाइल नम्बर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा ; और
- (ग) उपनियम (1) के अधीन घोषित ई-मेल पते को उक्त ई-मेल पते पर भेजे गए एक पृथक् वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा ।
- (3) स्थायी लेखा संख्या, मोबाइल नम्बर और ई-मेल पते के सफलतापूर्वक सत्यापन पर एक अस्थायी निर्देश संख्या सृजित किया जाएगा और उसे आवेदक को उक्त मोबाइल नम्बर और ई-मेल पते पर संसूचित किया जाएगा ।
- (4) आवेदक, उपनियम (3) के अधीन सृजित निर्देश संख्या का उपयोग करके इलैक्ट्रॉनिक रूप से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग ख में, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन, उक्त प्ररूप में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ, प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा ।
- (5) उपनियम (4) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक को प्ररूप जीएसटी आरईजी-02 में, इलैक्ट्रॉनिक रूप से, अभिस्वीकृति जारी की जाएगी ।
- (6) आकस्मिक कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, धारा 27 के उपबंधों के अनुसार अग्रिम कर जमा करने के लिए, सामान्य पोर्टल द्वारा, अस्थायी निर्देश संख्या दिया जाएगा और केवल उक्त जमा के पश्चात् ही उपनियम (5) के अधीन अभिस्वीकृति इलैक्ट्रॉनिक रूप से जारी की जाएगी ।

**9. आवेदन का सत्यापन और अनुमोदन—**(1) आवेदन उचित अधिकारी को भेजा जाएगा, जो आवेदन और संलग्न दस्तावेजों की परीक्षा करेगा और यदि वे ठीक क्रम में पाए जाते हैं तो आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का अनुमोदन कर दिया जाएगा ।

(2) जहां नियम 8 के अधीन दिए गए आवेदन में या तो उक्त नियम के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी सूचना या किसी दस्तावेज के रूप में कमी पाई जाती है या जहां उचित अधिकारी उसके साथ दिए गए आवेदन या दस्तावेजों में दी गई किसी सूचना की बावत किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा करता है, वहां वह आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी- 03 में, इलैक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस जारी कर सकेगा और आवेदक, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-04 में, इलैक्ट्रॉनिक रूप से, ऐसा स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेज देगा ।

**स्पष्टीकरण—**इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "स्पष्टीकरण" पद के अंतर्गत प्ररूप जीएसटी आरईजी- 01 के भाग क में घोषित स्थायी लेखा संख्या, राज्य मोबाइल नम्बर और ई-मेल पते से भिन्न रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में घोषित विशिष्टियों में उपांतरण या सुधार भी है ।

(3) जहां उचित अधिकारी का आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से समाधान हो जाता है, वहां वह ऐसे स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का अनुमोदन कर सकेगा ।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में आवेदक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है या जहां उचित अधिकारी दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं है, वहां वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसे आवेदन को नामंजूर कर देगा और आवेदक को प्ररूप जीएसटी आरईजी-05 में इलैक्ट्रॉनिक रूप से सूचित करेगा ।

(5) यदि उचित अधिकारी,—

(क) आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर ; या

(ख) उपनियम (2) के अधीन आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर, कोई कार्रवाई करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के आवेदन को अनुमोदित हुआ समझा जाएगा ।

**10. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का जारी किया जाना--** (1) धारा 25 की उपधारा (12) के उपबंधों के अध्याधीन, जहां रजिस्ट्रीकरण किए जाने के लिए आवेदन का नियम 9 के अधीन अनुमोदन कर दिया गया है, वहां आवेदक को कारबार के मुख्य स्थान और कारबार का (के) अतिरिक्त स्थान या स्थानों को दर्शित करते हुए प्ररूप जीएसटी आरईजी-06 में सामान्य पोर्टल पर एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाया जाएगा तथा माल और सेवा कर पहचान संख्या निम्नलिखित वर्णों के अध्याधीन समनुदेशित किया जाएगा, अर्थात् :--

- (क) राज्य कोड के लिए दो वर्ण ;  
 (ख) स्थायी लेखा संख्या या कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या के लिए दस वर्ण ;  
 (ग) अस्तित्व कोड के लिए दो वर्ण ; और  
 (घ) एक चेकसम वर्ण ।

(2) जहां रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसी तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया है, वहां रजिस्ट्रीकरण उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो जाता है ।

(3) जहां आवेदक द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन, उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो जाने की तारीख से तीस दिनों की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, वहां रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रभावी तारीख, नियम 9 के उपनियम (1) या उपनियम (3) या उपनियम (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख होगी ।

(4) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रत्येक प्रमाणपत्र उचित अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से विधिवत हस्ताक्षरित या सत्यापित होगा ।

(5) जहां रजिस्ट्रीकरण नियम 9 के उपनियम (5) के अधीन प्रदान किया गया है, वहां आवेदक को, रजिस्ट्रीकरण संख्या संसूचित किया जाएगा और उपनियम (1) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उसे नियम 9 के उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् तीन दिन की अवधि के भीतर सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाएगा ।

#### 11. किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर बहु कारबार शीर्षका के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण—

(1) किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर बहु कारबार शीर्षका रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन उसके कारबार शीर्षका में से किसी कारबार के लिए एक पृथक् रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, प्रत्येक शीर्ष के संबंध में पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :--

- (क) ऐसे व्यक्ति के पास धारा 2 के खंड (18) में यथा परिभाषित एक से अधिक कारबार शीर्षका हैं ;  
 (ख) किसी कराधेय व्यक्ति के कारबार शीर्षका को धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया जाएगा, यदि उसी व्यक्ति के अन्य कारबार शीर्षका में कोई एक धारा 9 के अधीन कर का संदाय कर रहा है ।  
 (ग) ऐसे व्यक्ति के पृथक् रूप से रजिस्ट्रीकृत सभी कारबार शीर्षका, ऐसे व्यक्ति के दूसरे रजिस्ट्रीकृत कारबार शीर्षका को की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर अधिनियम के अधीन कर का संदाय करेंगे और ऐसी पूर्ति के लिए कर बीजक जारी करेंगे ।

स्पष्टीकरण- खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का कोई भी कारबार शीर्षका, जिसे पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उक्त व्यक्ति के अन्य सभी कारबार शीर्षका उक्त धारा के अधीन कर संदाय के लिए अपात्र हो जाएंगे ।

- (2) कारबार शीर्षका के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने का पात्र कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रत्येक शीर्षका के संबंध में प्ररूप जीएसटी आरइजी-01 में पृथक् आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।  
 (3) रजिस्ट्रीकरण के सत्यापन और प्रदान किए जाने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को लागू होंगे ।

#### 12. स्रोत पर कर की कटौती के लिए या स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना --

(1) धारा 51 के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती के लिए अपेक्षित कोई भी व्यक्ति या धारा 52 के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित कोई भी व्यक्ति या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन प्ररूप जीएसटी आरइजी-07 में प्रस्तुत करेगा ।

(2) उचित अधिकारी सम्यक् सत्यापन के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर सकेगा और आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरइजी-06 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा ।

(3) जहां जांच किए जाने पर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के अनुसरण में उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति, जिसे प्ररूप जीएसटी आरइजी-06 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है, धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का या धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने का दायी नहीं रहा है तो उक्त अधिकारी उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा और ऐसे रद्दीकरण को उक्त व्यक्ति को इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरइजी-08 में संसूचित किया जाएगा :

परन्तु उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के लिए नियम 22 में यथा उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

### 13. अनिवासी कराधेय व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना --

(1) कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति, अपने विधिमान्य पासपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरइजी-09 में कारबार के प्रारंभ से कम से कम पांच दिन पहले प्रस्तुत करेगा :

परन्तु भारत से बाहर निगमित या स्थापित किसी कारबार अस्तित्व की दशा में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उसके कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या, जिसके आधार पर अस्तित्व की उस देश की सरकार द्वारा पहचान की जाती है या यदि उपलब्ध हैं तो उसके स्थायी लेखा संख्या सहित प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, धारा 27 के उपबंधों के अनुसार अग्रिम कर जमा करने के लिए, सामान्य पोर्टल द्वारा, अस्थायी निर्देश संख्या दिया जाएगा और केवल उक्त जमा के पश्चात् ही नियम 8 के उपनियम (5) के अधीन अभिस्वीकृति उसके इलेक्ट्रानिक नकद खाते में इलेक्ट्रानिक रूप से जारी की जाएगी ।

(3) रजिस्ट्रीकरण के सत्यापन और प्रदान किए जाने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को लागू होंगे ।

(4) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए रजिस्ट्रीकरण का आवेदन, उसके ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से विधिवत हस्ताक्षरित या सत्यापित होगा ।

### 14. भारत से बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की किसी गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को पूर्ति करने वाले किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना--

(1) भारत से बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की किसी गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को पूर्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरइजी- 10 में प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदक को, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन और ऐसे अधिकारी द्वारा, जो परिषद् की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, प्ररूप जीएसटी आरइजी- 06 में प्रदान किया जाएगा ।

### 15. आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रचालन की अवधि का विस्तार.-

(1) जहां रजिस्ट्रीकृत आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के उसके आवेदन में उपदर्शित रजिस्ट्रीकरण की अवधि का विस्तार चाहता है, एक आवेदन प्ररूप जीएसटी आरइजी -11 प्ररूप में साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से, ऐसे व्यक्ति द्वारा उसको प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता के समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन केवल धारा 27 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रकम के संदाय पर अभिस्वीकृत किया जाएगा ।

### 16. स्वप्रेरणा से रजिस्ट्रीकरण.-

(1) जहां, किसी सर्वेक्षण, जांच, निरीक्षण, तलाशी या इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियों के अनुसरण में, उचित अधिकारी यह पाता है कि अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में विफल हो गया है, ऐसा अधिकारी, उक्त व्यक्ति को अस्थायी आधार पर रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा और प्ररूप जीएसटी आरइजी -12 में एक आदेश जारी कर सकेगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आदेश की तारीख से प्रभावी होगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उप-नियम (1) के अधीन अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, नियम 8 या नियम 12 में उपबंधित प्ररूप और रीति में रजिस्ट्रीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा:

परन्तु यह है कि जहां उक्त व्यक्ति के द्वारा अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान के विरुद्ध अपील दायर किया गया है, वैसे मामलों में, अपीलीय प्राधिकार द्वारा रजिस्ट्रीकरण दायित्व को उचित ठहराने संबंधी आदेश निर्गमन की तारीख के तीस दिनों के अन्दर, रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करेगा।

(4) सत्यापन और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, उप-नियम (3) के अधीन प्रस्तुत आवेदन को लागू होंगे।

(5) उप-नियम (4) के अधीन सत्यापन के अनुसरण में समनुदेशित माल और सेवा कर पहचान संख्या, उप-नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आदेश की तारीख से प्रभावी होगी।

#### 17. कतिपय विशिष्ट सत्ताओं को विशिष्ट पहचान संख्या का समनुदेशन.-

(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 25 की उप-धारा (9) के उपबंधों के अनुसरण में विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान किया जाना अपेक्षित है प्ररूप जीएसटी आरईजी -13 प्ररूप में इलैक्ट्रॉनिक रूप में, सामान्य पोर्टल पर, या तो सीधे या बोर्ड या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से, नियम 8 में विनिर्दिष्ट रीति में, सम्यक रूप से हस्ताक्षित या इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) उचित अधिकारी, प्ररूप जीएसटी आरईजी-13 प्ररूप में एक आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर या उक्त प्ररूप भरे जाने के पश्चात् उक्त व्यक्ति को विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित करेगा और आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी -06 में प्रमाणपत्र जारी करेगा।

#### 18. नाम पटल पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और माल तथा सेवा कर पहचान संख्या को प्रदर्शित करना.-

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उसके कारबार के मुख्य स्थान पर और कारबार के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान या स्थानों पर, प्रमुख अवस्थिति पर उपदर्शित करेगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके कारबार के प्रमुख स्थान और कारबार के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान या स्थानों पर, प्रवेश स्थान पर प्रदर्शित नाम पटल पर माल और सेवा कर पहचान संख्या प्रदर्शित करेगा।

#### 19. रजिस्ट्रीकरण में संशोधन.-

(1) रजिस्ट्रेशन के लिए प्ररूप जीएसटी आरईजी- 01 या प्ररूप जीएसटी आरईजी - 07 या प्ररूप जीएसटी आरईजी - 09 या प्ररूप जीएसटी आरईजी -10 या प्ररूप जीएसटी आरईजी -13 विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन में दी गई विशिष्टियों में रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करते समय या समय-समय पर यथा संशोधित कोई परिवर्तन है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे परिवर्तन से पंद्रह दिवस के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरईजी -14 में इलैक्ट्रॉनिक रूप से, ऐसे परिवर्तन से संबंधित दस्तावेजों के साथ, इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित, आवेदन या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा:

परन्तु यदि-(क) परिवर्तन निम्न से संबंधित है -

- कारबार का विधिक नाम;
- कारबार के प्रमुख स्थान या कारबार के किसी अन्य अतिरिक्त स्थान (स्थानों) का पता; या
- भागीदारी या निदेशकों, कर्ता, प्रबंध समिति, न्यास बोर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य के जोड़ने, हटाने या सेवानिवृत्ति पर, कारबार के दिन प्रतिदिन कार्यों के लिए उत्तरदायी है, -

धारा 29 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्दीकरण नहीं होना हो तो उचित अधिकारी सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्ररूप जीएसटी आरईजी -14 में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर संशोधन को अनुमोदित करेगा और इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरईजी -15 में एक आदेश जारी करेगा और यह संशोधन आवेदन में दर्ज प्रभावी तारीख से लागू होगा;



(ख) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में खंड (क) के उप-खंड (0) और उप-खंड (00) से संबंधित परिवर्तन समान स्थायी खाता संख्या पर इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्राप्त सभी रजिस्ट्रीकरणों पर लागू होगा;

(ग) खंड (क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न किन्हीं विशिष्टियों से संबंधित परिवर्तन होता है, तो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी -14 में आवेदन प्रस्तुत करने पर संशोधित होगा;

(घ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के स्थायी खाता संख्या में परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी कारबार के गठन में कोई परिवर्तन होने पर उक्त व्यक्ति नये रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप जीएसटी आरईजी -01 में आवेदन करेगा:

परन्तु यह और कि समय-समय पर यथासंशोधित इस नियम के अधीन प्रस्तुत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोबाइल संख्या या ई-मेल पते में कोई परिवर्तन, नियम 8 का उप-नियम (2) के अधीन उपबंधित रीति से सामान्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन के पश्चात् किया जाएगा।

(2) जहां उचित अधिकारी की राय है कि उप-नियम (1) में चाहा गया संशोधन या तो अवांछनीय है या उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज अपूर्ण या गलत है, तो वह प्ररूप जीएसटी आरईजी -14 में आवेदन प्राप्त करने की तारीख से पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरईजी -03 में सूचना तामील कर सकेगा, उक्त सूचना की तामील के सात कार्य दिवसों के भीतर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से कारण बताने की अपेक्षा करते हुए, कि क्यों न उप-नियम (1) में प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाए।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उप-नियम (2) के अधीन कारण बताओं सूचना का प्रत्युत्तर उक्त सूचना की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी - 04 में प्रस्तुत करेगा।

(4) जहां उपनियम (3) के अधीन प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषप्रद नहीं है या उप-नियम (2) के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में, उप-नियम (3) में विहित अवधि के भीतर कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता, तो उचित अधिकारी उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी - 05 में आदेश पारित कर सकेगा।

(5) यदि उचित अधिकारी कोई कार्रवाई करने में विफल रहता है -

(क) आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पंद्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर, या

(ख) उप-नियम (3) के अधीन कारण बताओं सूचना के प्रत्युत्तर प्राप्त होने की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर तो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र किए गए आवेदन के विस्तार तक संशोधित रहेगा और संशोधित प्रमाणपत्र सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा।

#### 20. रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के लिए आवेदन -

एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से भिन्न जिसे नियम 12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है या वह व्यक्ति जिसे नियम 17 के अधीन विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई है, धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्दीकरण चाहता है प्ररूप जीएसटी आरईजी - 16 में इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करेगा, जिसमें उस तारीख जिसकी रजिस्ट्रीकरण का रद्दीकरण चाहा गया है, को स्टाक में धारित इनपुट ब्यौरे या स्टाक में धारित अर्द्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अन्तर्विष्ट निवेश और स्टाक में धारित पूंजी माल, उस पर दायित्व ऐसे दायित्व के विरुद्ध किए गए संदाय के ब्यौरे यदि कोई हो, घटनाजन्य रद्दीकरण घटित होने के तीस दिवसों की अवधि के भीतर सामान्य पोर्टल पर सुसंगत दस्तावेजों से समर्थित आवेदन के साथ या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के लिए कोई आवेदन, स्वैच्छिक रूप से रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति की दशा में, जो रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने से पहले रजिस्ट्रीकृत किया गया है स्वीकार नहीं किया जाएगा।

#### 21. कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना -

किसी व्यक्ति को प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण का रद्द किए जाने के लिए दायी होगा, यदि उक्त व्यक्ति-

(क) कारबार के घोषित स्थान से किसी कारबार का संचालन नहीं करता; या

(ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण में माल या सेवाओं की पूर्ति के बिना बीजक या रसीद जारी करता है, या

(ग) अधिनियम की धारा 171 के प्रावधान या इसके अर्न्तगत बनाये गये नियमों का उल्लंघन करता है।

## 22. रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना -

(1) जहां उचित अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि धारा 29 के अधीन किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी है, वह ऐसे व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी आरईजी -17 में ऐसे व्यक्ति को सूचना जारी करेगा, ऐसी सूचना की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर कारण बताओं की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाए।

(2) उप-नियम (1) के अधीन जारी कारण बताओं सूचना का प्रत्युत्तर उप-नियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी -18 में प्रस्तुत करेगा।

(3) जहां व्यक्ति जिसने उसके रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी नहीं है या उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी है, उचित अधिकारी, नियम 20 के अधीन प्रस्तुत आवेदन की तारीख या जैसा की मामला हो, उप-नियम (1) के अधीन जारी कारण बताओं के प्रत्युत्तर की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी -19 में आदेश जारी करेगा, रजिस्ट्रीकरण उसके द्वारा अवधारित और कराधेय व्यक्ति को अधिसूचित तारीख से, किसी कर, ब्याज या शास्ति जिसके अन्तर्गत धारा 29 की उप-धारा (5) के अधीन संदेय के लिए दायी रकम भी है के बकाया अदा करने का निदेश करते हुए रद्द करेगा।

(4) जहां उप-नियम (2) के अधीन प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषप्रद पाया जाता है, उचित अधिकारी कार्यवाहियों को समाप्त करेगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी -20 में एक आदेश पारित करेगा

(5) उप-नियम (3) के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, मृत स्वत्वधारी, यदि आवेदन स्वयं स्वत्वधारी द्वारा प्रस्तुत की गई है, को लागु होंगे।

## 23. रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण का प्रतिसंहरण-

(1) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण स्वप्रेरणा से प्रस्ताव पर उचित अधिकारी द्वारा रद्द किया जाता है, प्ररूप जीएसटी आरईजी - 21 में रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के प्रतिसंहरण के आवेदन, ऐसे उचित अधिकारी को, सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के आदेश की तामील की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा:

परन्तु प्रतिसंहरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाएगा यदि रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के कारण रद्द किया गया है, जब तक कि ऐसी विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती और कर के बकाया के रूप में कोई रकम, ऐसी विवरणी की निबंधनों में ब्याज, शास्ति और उक्त विवरणी के संबंध में देय विलंब फीस के लिए देय रकम के साथ संदत्त नहीं की जाती।

(2) (क) जहां उचित अधिकारी का समाधान हो जाता है, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाए कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के प्रतिसंहरण के लिए पर्याप्त आधार है वह आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी - 22 में एक आदेश द्वारा रजिस्ट्रीकरण का रद्दीकरण प्रतिसंहरित कर सकेगा और उसकी संसूचना आवेदक को देगा।

(ख) उचित अधिकारी, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, उन परिस्थितियों से भिन्न जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट है, प्ररूप जीएसटी आरईजी - 05 के आदेश द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के प्रतिसंहरण के आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा और उसकी संसूचना आवेदक को देगा।

(3) उचित अधिकारी, उप-नियम (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आदेश के पारित करने से पहले, आवेदक से यह अपेक्षा करते हुए कारण बताओं कि क्यों न उप-नियम (1) के अधीन प्रतिसंहरण के लिए प्रस्तुत आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए, प्ररूप जीएसटी आरईजी - 23 में सूचना जारी करेगा और आवेदक प्ररूप जीएसटी आरईजी - 24 में सूचना की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा।

(4) **प्ररूप जीएसटी आरईजी - 24** में सूचना या स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर उचित अधिकारी, आवेदक से ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में आवेदन का निपटान करेगा।

**24. विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का प्रव्रजन-**

(1) (क) प्रत्येक व्यक्ति, स्रोत पर कर कटाने वाले व्यक्ति, इनपुट सेवा वितरक, विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत से भिन्न और आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अधीन जारी स्थायी खाता संख्या रखने वाले, उनके ई-मेल पते और मोबाइल संख्या के विधिमान्यकरण द्वारा सामान्य पोर्टल पर सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से नामांकित किए जाएंगे।

(ख) खंड (क) के अधीन नामांकित किए जाने पर, उक्त व्यक्ति को अनंतिम आधार पर और प्ररूप जीएसटी आरईजी - 25 में उसमें माल और सेवा कर पहचान संख्या को सम्मिलित करते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा जो सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

परन्तु कराधेय व्यक्ति जिसे एकल स्थायी खाता संख्या के आधार पर विद्यमान विधियों के अधीन बहु रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाता है, को इस अधिनियम के अधीन केवल एक अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।

(2) (क) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उप-नियम (1) के अधीन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है इलैक्ट्रॉनिक रूप से, उक्त आवेदन में, आवेदन विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेजों के साथ, इलैक्ट्रॉनिक सत्यापित कोड के माध्यम से प्ररूप जीएसटी आरईजी - 26 में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा।

(ख) खंड (क) में चाही गई सूचना तीन मास की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो इस आधार पर आयुक्त द्वारा बढ़ायी गई है, के भीतर प्रस्तुत करनी होगी

(ग) यदि आवेदन में प्रस्तुत सूचना और विशिष्टियां उचित अधिकारी द्वारा सही और पूर्ण पायी जाती है, प्ररूप जीएसटी आरईजी - 06 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इलैक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) जहां उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां या सूचना यदि प्रस्तुत नहीं की गई है या सही अथवा पूर्ण नहीं पायी जाती, उचित अधिकारी, प्ररूप जीएसटी आरईजी - 27 में कारण बताओ सूचना की तामील करने के पश्चात् और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्, उप-नियम (1) के अधीन प्रदत्त अनंतिम रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर देगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी - 28 में एक आदेश जारी करेगा:

परन्तु प्ररूप जीएसटी आरईजी - 27 में जारी कारण बताओ सूचना प्ररूप जीएसटी आरईजी - 20 में आदेश जारी करके वापस ले सकेगा यदि यह पाया जाता है कि व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् ऐसा कोई कारण विद्यमान नहीं है जिसके लिए सूचना जारी की गई थी।

(3क) जहां उप-नियम (2) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट सूचना एवं विवरणों को प्रस्तुत करने के 15 दिनों के अन्दर सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया हो, एवं उप-नियम (3) के अन्तर्गत उक्त अवधि तक कोई सूचना निर्गत नहीं किया गया हो, रजिस्ट्रीकरण को प्रदान किया माना जायगा एवं उक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से विधिवत हस्ताक्षरित या सत्यापित सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) किन्हीं विद्यमान विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी नहीं है, वह विमुक्त किए जाने के तीस दिवस की अवधि के भीतर, उसके विकल्प पर उसको प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के लिए सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी - 29 में इलैक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा और उचित अधिकारी, ऐसी जांच संचालित करने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे, उक्त रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा।

**25. कतिपय मामलों में कारबार परिसर का भौतिक सत्यापन .-**

जहां उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, वह ऐसा सत्यापन कर सकेगा और सत्यापन रिपोर्ट अन्य दस्तावेजों जिसके अन्तर्गत फोटो भी है, के साथ प्ररूप जीएसटी आरईजी - 30 में सामान्य पोर्टल पर ऐसे सत्यापन की तारीख से अगले पन्द्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर अपलोड की जाएगी।

**26. अधिप्रमाणन का ढंग -**

(1) सभी आवेदन, जिसके अन्तर्गत प्रत्युत्तर भी है यदि कोई हो, सूचना, विवरणी जिसके अन्तर्गत जावक और आवक प्रदाय के व्यौर भी हैं या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन या इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिसूचित हस्ताक्षर या सत्यापन की

किसी अन्य रीति के माध्यम से सत्यापित यथा विनिर्दिष्ट डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रमाणपत्र या ई-हस्ताक्षर के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा:

परन्तु यह और कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से सत्यापित दस्तावेज या आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक दस्तावेज जिसके अन्तर्गत ऑनलाईन प्रस्तुत विवरणी भी है, इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से हस्ताक्षरित या सत्यापित की जाएगी .-

(क) व्यष्टि की दशा में, व्यष्टि स्वयं या जहां वह भारत से अनुपस्थित है उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से, और जहां व्यष्टि उसके कार्यों को करने के लिए मानसिक रूप से अशक्त है, उसके, संरक्षक द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;

(ख) हिन्दु अविभक्त कुटुंब की दशा में, कर्ता और जहां कर्ता भारत से अनुपस्थित है या उसके कार्य करने के लिए मानसिक रूप से अशक्त है, कुटुंब के किसी अन्य व्यस्क सदस्य द्वारा या ऐसे कर्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;

(ग) कम्पनी की दशा में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा

(घ) सरकार या किसी सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण की दशा में उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा;

(ङ) फर्म की दशा में, उसके भागीदारी द्वारा जो अवयस्क न हो या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;

(च) संगम की दशा में, संगम के किसी सदस्य द्वारा या व्यक्तियों या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;

(छ) न्यास की दशा में, न्यासी द्वारा या किसी न्यासी या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा या;

(ज) अन्य व्यक्ति की दशा में, ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम हो, या धारा 48 के उपबंधों के अनुसरण में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा।

(3) इस अध्याय में विनिर्दिष्ट सभी सूचनाएं, प्रमाणपत्र और आदेश उचित अधिकारी द्वारा या ई-हस्ताक्षर के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्दिष्ट या इस निमित्त बोर्ड द्वारा अधिसूचित किये गये हस्ताक्षर या सत्यापन के किसी भी अन्य तरीके से सत्यापित डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से ऐसी सूचनाएं या प्रमाणपत्र या आदेशों को जारी करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा।

#### अध्याय IV

#### पूर्ति के मूल्य का अवधारण

**27. माल और सेवाओं की पूर्ति का मूल्य, जहां प्रतिफल पूर्णतः धन में नहीं है,-** जहां माल या सेवाओं की पूर्ति ऐसे प्रतिफल के लिए है, जो पूर्णतः धन में नहीं है, वहां पूर्ति का मूल्य-

(क) ऐसी पूर्ति का खुला बाजार मूल्य होगा ;

(ख) यदि खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो धन में प्रतिफल की कुल रकम और धन की ऐसी और रकम होगा, जो ऐसे प्रतिफल के समतुल्य है, जो धन में नहीं है, यदि ऐसी रकम पूर्ति के समय ज्ञात है ;

(ग) यदि पूर्ति का मूल्य खंड (क) या खंड (ख) के अधीन अवधार्य नहीं है, तो उसी प्रकार और उसी क्वालिटी की माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का मूल्य होगा ;

(घ) यदि मूल्य खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन अवधार्य नहीं है, तो धन में प्रतिफल की कुल राशि और धन में ऐसी और रकम होगा, जो नियम 30 या नियम 31 के लागू किए जाने से उस क्रम में यथा अवधारित ऐसे प्रतिफल के समतुल्य है, जो धन में नहीं है।

**दृष्टांत**

(1) जहां किसी फोन की पूर्ति एक पुराने फोन के विनिमय के साथ बीस हजार रुपए में की जाती है और यदि नए फोन की कीमत विनिमय के बिना चौबीस हजार रुपए है, तो नए फोन का खुला बाजार मूल्य चौबीस हजार रुपए है।

(2) जहां किसी लैपटाप की पूर्ति ऐसे प्रिन्टर की अदला-बदली के साथ चालीस हजार रुपए है, जो कि प्राप्तिकर्ता द्वारा विनिर्मित है और पूर्ति के समय प्रिन्टर का ज्ञात मूल्य चार हजार रुपए है किन्तु प्रिन्टर का खुला बाजार मूल्य ज्ञात नहीं है, वहां लैपटाप की पूर्ति का मूल्य चवालीस हजार रुपए है।

**28. किसी अभिकर्ता के माध्यम से पूर्ति किए जाने से भिन्न विभिन्न या संबंधित व्यक्तियों के बीच माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का मूल्य -**

धारा 25 की उपधारा (4) और उपधारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न व्यक्तियों के बीच या जहां अभिकर्ता के माध्यम से किए जाने के भिन्न पूर्तिकार और प्राप्तिकर्ता संबंधित व्यक्ति हैं, वहां माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का मूल्य -

(क) ऐसी पूर्ति का खुला बाजार मूल्य होगा ;

(ख) यदि खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है तो उसी प्रकार और उसी क्वालिटी के माल या सेवाओं की पूर्ति का मूल्य होगा ;

(ग) यदि मूल्य खंड (क) या खंड (ख) में अवधार्य नहीं है तो उस क्रम में नियम 30 या नियम 31 के लागू किए जाने से यथा अवधारित मूल्य होगा :

परंतु जहां माल का इस रूप में प्राप्तिकर्ता द्वारा आगे और पूर्ति किया जाना आशयित है, वहां मूल्य, पूर्तिकार के विकल्प पर प्राप्तिकर्ता द्वारा उसके ऐसे ग्राहक को, जो संबंधित व्यक्ति नहीं है, उसी प्रकार के और उसी क्वालिटी के माल की पूर्ति के लिए प्रभारित कीमत के नब्बे प्रतिशत के समतुल्य रकम होगा :

परन्तु यह और कि जहां प्राप्तिकर्ता पूर्ण इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है, वहां बीजक में घोषित मूल्य को माल या सेवाओं का खुला बाजार मूल्य समझा जाएगा।

**29. किसी अभिकर्ता के माध्यम से माल की, की गई या प्राप्त पूर्ति का मूल्य -**

प्रधान या उसके अभिकर्ता के बीच माल की पूर्ति का मूल्य -

(क) पूर्ति किए गए माल का खुला बाजार मूल्य होगा, या पूर्तिकार के विकल्प पर प्राप्तिकर्ता द्वारा उसके ऐसे ग्राहक को, जो संबंधित व्यक्ति नहीं है, उसी प्रकार के और उसी क्वालिटी के माल की पूर्ति के लिए प्रभारित कीमत के नब्बे प्रतिशत के समतुल्य रकम होगा, जहां उक्त प्राप्तिकर्ता द्वारा माल की आगे और पूर्ति किया जाना आशयित है ;

**दृष्टांत :** जहां कोई प्रधान, उसके अभिकर्ता को मूंगफली की पूर्ति करता है और अभिकर्ता पूर्ति के दिन उसी प्रकार और उसकी क्वालिटी की मूंगफलियों की पूर्ति पश्चातवर्ती पूर्तियों में पांच हजार रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर कर रहा है। दूसरा स्वतंत्र पूर्तिकार उसी प्रकार और उसी क्वालिटी की मूंगफलियों की पूर्ति उक्त अभिकर्ता को चार हजार पांच सौ पचास रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर कर रहा है, वहां प्रधान द्वारा की गई पूर्ति का मूल्य चार हजार पांच सौ पचास रुपए प्रति क्विंटल होगा या जहां वह विकल्प का प्रयोग करता है, वहां मूल्य पांच हजार रुपए का नब्बे प्रतिशत अर्थात् चार हजार पांच सौ रुपए प्रति क्विंटल होगा :

(ख) जहां पूर्ति का मूल्य खंड (क) के अधीन अवधार्य नहीं है, वहां उसे उस क्रम में नियम 30 या नियम 31 को लागू करके अवधारित किया जाएगा।

**30. माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का लागत पर आधारित मूल्य -**

जहां माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का मूल्य इस अध्याय के पूर्ववर्ती किसी नियम द्वारा अवधार्य नहीं है, वहां मूल्य उत्पादन या विनिर्माण की लागत या ऐसे माल के अर्जन की लागत या ऐसी सेवाओं के प्रदान किए जाने की लागत का एक सौ दस प्रतिशत होगा।

**31. माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के मूल्य के अवधारण की अवशिष्ट पद्धति -**

जहां माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का मूल्य नियम 27 से नियम 30 के अधीन अवधारित नहीं किया जा सकता, वहां उसे धारा 15 और इस अध्याय के नियमों के सिद्धांतों या साधारण उपबंधों के संगत युक्तियुक्त साधनों का प्रयोग करके अवधारित किया जाएगा :

परंतु सेवाओं की पूर्ति की दशा में, पूर्तिकार नियम 30 की अवज्ञा करते हुए इस नियम का विकल्प चुन सकेगा।

**32. कतिपय पूर्तियों की बाबत मूल्य का अवधारण-** (1) इस अध्याय के नियमों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, नीचे विनिर्दिष्ट पूर्तियों की बाबत मूल्य पूर्तिकार के विकल्प पर इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में अवधारित किया जाएगा।

(2) विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय के संबंध में, जिसके अंतर्गत धन की अदला-बदली भी है, सेवाओं की पूर्ति का मूल्य सेवा के पूर्तिकार द्वारा निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) किसी मुद्रा के लिए जब उसे भारतीय रुपए से विनिमय किया जाता है, मूल्य, यथास्थिति, क्रय दर या विक्रय दर और उस समय उस मुद्रा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निर्देश दर में अंतर को, मुद्रा की कुल इकाइयों का गुणा किए जाने के बराबर होगा :

परंतु उस दशा में, जहां भारतीय रिजर्व बैंक की निर्देश दर किसी मुद्रा के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां मूल्य धन की अदला-बदली करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए या प्राप्त किए गए भारतीय रुपए की सकल रकम का एक प्रतिशत होगा :

परंतु यह और कि उस दशा में, जहां विनिमय की जाने वाली कोई भी मुद्रा भारतीय नहीं है, वहां मूल्य दोनों रकमों में से उस कम रकम के एक प्रतिशत के बराबर होगा, जो उस दिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई निर्देश दर पर भारतीय रुपए में दोनों में से किसी मुद्रा को संपरिवर्तित करके धन की अदला-बदली करने वाला व्यक्ति प्राप्त करेगा :

परंतु यह भी कि सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष के लिए खंड (ख) के निबंधनानुसार मूल्य अभिनिश्चित करने के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा और ऐसा विकल्प उस वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जाएगा ।

(ख) सेवाओं के पूर्तिकार के विकल्प पर विदेशी मुद्रा की पूर्ति के संबंध में मूल्य, जिसके अंतर्गत धन की अदला-बदली भी है, निम्नलिखित होना समझा जाएगा-

- (i) दो सौ पचास रुपए की न्यूनतम रकम के अध्यक्षीन एक लाख रुपए तक की किसी रकम के लिए विनिमय की गई मुद्रा के सकल रकम का एक प्रतिशत ;
- (ii) एक हजार रुपए और एक लाख रुपए से अधिक और दस लाख रुपए तक की रकम के लिए विनिमय की गई मुद्रा की सकल रकम का आधा प्रतिशत ; और
- (iii) पांच हजार पांच सौ रुपए तथा साठ हजार रुपए की अधिकतम रकम के अध्यक्षीन दस लाख रुपए से अधिक की रकम के लिए विनिमय की गई मुद्रा की सकल रकम का एक बटा दस प्रतिशत ।

(3) वायुयान द्वारा यात्रा के लिए वायु यात्रा अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई टिकटों की बुकिंग के संबंध में सेवाओं की पूर्ति का मूल्य घरेलू बुकिंग की दशा में, आधार किराए के पांच प्रतिशत की दर से संगणित रकम समझी जाएगी और वायुयान से यात्रा के लिए यात्री की अंतरराष्ट्रीय बुकिंग की दशा में आधार किराए के दस प्रतिशत की दर से संगणित रकम समझी जाएगी ।

**स्पष्टीकरण-** इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए "आधार किराया" से वायुयान के किराए का वह भाग अभिप्रेत है, जिस पर एयरलाइन द्वारा वायु यात्रा अभिकर्ता को कमीशन सामान्यतया संदत्त किया जाता है ।

(4) जीवन बीमा कारबार के संबंध में सेवाओं की पूर्ति का मूल्य निम्नलिखित होगा-

(क) किसी पोलिसी धारक से प्रभारित सकल प्रीमियम, जिसमें से विनिधान के लिए आबंटित रकम को घटा दिया जाएगा, या पोलिसी धारक की ओर से बचत, यदि ऐसी रकम की सूचना सेवा की पूर्ति के समय पोलिसी धारक को दे दी गई है ;

(ख) खंड (क) से भिन्न एकल प्रीमियम वार्षिक पोलिसियों की दशा में, पोलिसी धारक से प्रभारित एकल प्रीमियम का दस प्रतिशत ; या

(ग) अन्य सभी मामलों में पहले वर्ष में पोलिसी धारक से प्रभारित प्रीमियम का 25 प्रतिशत और पश्चातवर्ती वर्षों में पोलिसी धारक से प्रभारित प्रीमियम का साढ़े बारह प्रतिशत :

परंतु इस नियम की कोई बात वहां लागू नहीं होगी, जहां पोलिसी धारक द्वारा संदत्त संपूर्ण प्रीमियम केवल जीवन बीमा की जोखिम को समाविष्ट करने के लिये है।

(5) जहां पुराने माल या उपयोग किए गए माल को उस रूप में या ऐसे मामूली प्रसंस्करण के पश्चात्, जिससे माल की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्रय करने या विक्रय करने में लगे किसी व्यक्ति द्वारा कोई कराधेय पूर्ति उपलब्ध कराई जाती है और जहां ऐसे माल के क्रय पर कोई इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त नहीं किया गया है, वहां पूर्ति का मूल्य विक्रय कीमत और क्रय कीमत के बीच का अंतर होगा और जहां ऐसी पूर्ति का मूल्य नकारात्मक है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा :

परंतु व्यतिक्रमी उधार लेने वाले से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उधार या ऋण की वसूली के प्रयोजन के लिए पुनः कब्जे में लिए गए माल का क्रय मूल्य, क्रय की तारीख और ऐसा पुनः कब्जा करने वाले व्यक्ति द्वारा उसके व्ययन की तारीख के बीच व्यतिक्रमी उधार लेने वाले द्वारा ऐसे माल की क्रय कीमत में प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत घटाकर समझा जाएगा।

(6) किसी टोकन या वाउचर या कूपन या स्टाम्प (डाक स्टाम्प से भिन्न), जो माल या सेवा या दोनों के विरुद्ध मोचनीय है, का मूल्य ऐसे टोकन, वाउचर, कूपन या स्टाम्प के विरुद्ध मोचनीय माल या सेवा या दोनों के धनीय मूल्य के बराबर होगा।

(7) सेवा प्रदाता के ऐसे वर्ग द्वारा उपलब्ध कराई गई कराधेय ऐसी सेवाओं का मूल्य, जो धारा 25 में यथानिर्दिष्ट विभिन्न व्यक्तियों के बीच अनुसूची 1 के पैरा 2 में यथानिर्दिष्ट परिषद् की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, जहां इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध है, शून्य समझा जाएगा।

### 33. केवल अभिकर्ता की दशा में सेवाओं की पूर्ति का मूल्य -

इस अध्याय के नियमों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी किसी पूर्तिकार द्वारा पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में उपगत व्यय या लागत को पूर्ति के मूल्य से अपवर्जित कर दिया जाएगा, यदि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी की जाती हैं, अर्थात् :--

- (i) पूर्तिकार, तब पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, जब वह ऐसे प्राप्तिकर्ता द्वारा दिए गए प्राधिकार पर तीसरे पक्षकार को संदाय करता है ;
- (ii) पूर्ति के प्राप्तिकर्ता की ओर से केवल अभिकर्ता द्वारा किए गए संदाय को सेवा के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता द्वारा जारी बीजक में पृथकतया उपदर्शित किया गया है ; और



(iii) केवल अभिकर्ता द्वारा तीसरे पक्षकार से उपास पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में की गई पूर्ति, उन सेवाओं के अतिरिक्त है, जिनकी पूर्ति वह अपने स्वयं के खाते से करता है।

**स्पष्टीकरण--** इस नियम के प्रयोजनों के लिए "केवल अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो-

- (क) माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के दौरान व्यय या लागत उपगत करने के लिए प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए उसके साथ संविदात्मक करार करता है ;
- (ख) पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के केवल अभिकर्ता के रूप में इस प्रकार उपास या पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों का कोई भी शीर्षक न तो धारण करने का आशय रखता है, न धारण करता है ;
- (ग) इस प्रकार उपास ऐसे माल या सेवाओं का अपने स्वयं के लिए उपयोग नहीं करता है ; और
- (घ) ऐसी पूर्ति के लिए प्राप्त रकम के अतिरिक्त, जो वह अपने स्वयं के लेखे उपलब्ध कराता है, ऐसे माल या सेवाएं उपास करने के लिए उपगत केवल वास्तविक रकम ही प्राप्त करता है।

**दृष्टांत :** कारपोरेट सेवाएं फर्म क, कंपनी ख के निगमन से संबंधित विधिक कार्य को करने में लगी हुई है। क, ख से उसकी सेवा के लिए फीस से भिन्न, कंपनी रजिस्ट्रार को संदत्त कंपनी के नाम के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस और अनुमोदन फीस भी वसूल करता है, कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा नाम के रजिस्ट्रीकरण और अनुमोदन के लिए प्रभारित फीस अनिवार्य रूप से ख पर उद्गृहीत है। क, उन फीसों के संदाय में मात्र केवल अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। इसलिए क के ऐसे व्ययों की वसूली एक संवितरण है और क द्वारा ख को की गई पूर्ति के मूल्यका भाग नहीं है।

#### **34. मूल्य के अवधारण के लिए भारतीय रुपए से भिन्न मुद्रा के विनिमय की दर -**

कराधेय माल या सेवा या दोनों के मूल्य के अवधारण के लिए विनिमय की दर, अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 12 या धारा 13 के निबंधनानुसार ऐसी पूर्ति की बाबत पूर्ति के समय की तारीख पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अवधारित उस मुद्रा के लिए लागू निर्देश दर होगी।

#### **35. एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर को मिलाकर पूर्ति का मूल्य-**

जहां पूर्ति के मूल्य में, यथास्थिति, एकीकृत कर या केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर सम्मिलित हैं, वहां कर की रकम को निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :--

कर की रकम = (करों सहित मूल्य  $\square$  यथास्थिति, आईजीएसटी या सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के प्रतिशत में कर की दर)  $\div$  (100+ कर दरों की राशि, जो प्रतिशत में लागू है)

**स्पष्टीकरण :** इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,-

(क) माल, सेवा या दोनों की पूर्ति के "खुले बाजार मूल्य" पद से ऐसा संपूर्ण धनीय मूल्य अभिप्रेत है, जो एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और किसी संव्यवहार में किसी व्यक्ति द्वारा संदेय उपकर को अपवर्जित करने पर आता है, जहां पूर्ति का पूर्तिकार और प्राप्तिकर्ता संबंधित नहीं हैं और उस समय, जब पूर्ति का मूल्य किया जाता है, ऐसी पूर्ति को अभिप्राप्त करने के लिए कीमत ही एकमात्र प्रतिफल है ;

(ख) "उसी प्रकार के और उसी क्वालिटी के माल या सेवा या दोनों की पूर्ति" पद से उन्हीं परिस्थितियों के अधीन माल या सेवा या दोनों की, की गई कोई अन्य पूर्ति अभिप्रेत है, जो पहले उल्लिखित माल या सेवा या दोनों की विशेषता, क्वालिटी, मात्रा, कृत्यकारी संघटक, सामग्रियों और ख्याति के संबंध में माल या सेवाओं या दोनों की उस पूर्ति के प्रकार की या निकटतम अथवा सारतः उसके सदृश्य हैं।

## अध्याय V

### इनपुट कर प्रत्यय

#### 36. इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने के लिए दस्तावेजी अपेक्षाएं और शर्तें -

(1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनमें इनपुट सेवा वितरक भी सम्मिलित है द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग निम्नलिखित किसी दस्तावेज के आधार पर किया जायेगा, अर्थात् :--

- (क) धारा 31 के उपबंधों के अनुसार माल या सेवा या दोनों के प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया गया बीजक ;
- (ख) कर के संदाय के अध्यधीन धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (च) के उपबंधों के अनुसार जारी किया गया बीजक ;
- (ग) धारा 34 के उपबंधों के अनुसार किसी प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया गया नामे नोट ;
- (घ) बिल ऑफ़ एन्ट्री या आयातों पर एकीकृत कर के निर्धारण के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अन्य वैसा ही दस्तावेज ;
- (ङ.) इनपुट सेवा वितरक बीजक या इनपुट सेवा वितरक जमा पत्र अथवा नियम 54 के उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार इनपुट सेवा वितरक द्वारा जारी किया गया कोई दस्तावेज ।

(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग केवल तभी किया जाएगा, यदि उक्त दस्तावेज में अध्याय 00 में यथाविनिर्दिष्ट लागू सभी विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं और उक्त दस्तावेज में यथा अंतर्विष्ट सुसंगत सूचना ऐसे व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-2 में दी गई हैं ।

(3) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे कर की बाबत इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया जाएगा, जिसका संदाय किसी आदेश के अनुसरण में किया गया है, जहां ऐसी मांग की पुष्टि किसी कपट, जानबूझकर किए गए गलत कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण की गई है ।

#### 37. प्रतिफल के असंदाय की दशा में इनपुट कर प्रत्यय की वापसी -

(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने माल या सेवा या दोनों की किसी आवक प्रदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया है, किन्तु धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उस पर संदेय कर सहित ऐसी प्रदाय के मूल्य का उसके प्रदायकर्ता को संदाय करने में असफल होता है, इस प्रकार के संदाय का विवरण, ऐसी प्रदाय संदत्त नहीं किए गए मूल्य की रकम, प्रदायकर्ता को संदत्त नहीं की गई ऐसे रकम के अनुपात में उपभोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम के ब्यौरे बीजक के जारी किए जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के ठीक पश्चात् वाले मास के प्ररूप जीएसटीआर-2 में देगा :

परंतु अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिफल के बिना की गई प्रदाय का मूल्य, धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जाएगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट इनपुट कर प्रत्यय की रकम को उस मास के लिए, जिसमें ब्यौरे दिए गए हैं, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा ।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी प्रदायों पर उपनियम (2) में उल्लिखित प्रत्यय का उपभोग करने की तारीख से आउटपुट कर दायित्व में जोड़ी गई रकम के संदाय करने की तारीख तक धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित दर से ब्याज संदाय करने का दायी होगा।

(4) धारा 16 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा अधिनियम के उपबंधों या इस अध्याय के नियमों के अनुसार किसी ऐसे प्रत्यय का पुनः उपभोग करने के लिए लागू नहीं होगी, जिसे पूर्व में वापस कर दिया गया था।

### 38. किसी बैंकिंग कंपनी या किसी वित्तीय संस्था द्वारा प्रत्यय का दावा -

कोई बैंकिंग कंपनी या कोई वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी है, जो जमा स्वीकार करने या उधार देने या अग्रिम देने के रूप में सेवाओं की प्रदाय में लगी हुई है, जिसने धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञात विकल्प के अनुसार उपधारा (2) के उपबंधों की अनुपालना नहीं करने का चुनाव किया है, निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, अर्थात् :--

(क) उक्त कंपनी या संस्था प्ररूप जीएसटीआर-2 में प्रत्यय का उपभोग नहीं करेगी-

(i) गैर कारबार प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर का; और

(ii) धारा 17 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट प्रदायों के कारण किए गए प्रत्यय का ;

(iii) उक्त कंपनी या संस्था धारा 17 की उपधारा (4) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट तथा खंड (क) के अधीन नहीं आने वाले इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का उपभोग करेगी ;

(ग) इनपुट कर की शेष रकम का पचास प्रतिशत कंपनी या संस्था को अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय होगा और प्ररूप जीएसटीआर-2 में दिया जाएगा ;

(घ) खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट रकम को धारा 41, धारा 42 और धारा 43 के उपबंधों के अध्याधीन उक्त कंपनी या संस्था के इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा कर दिया जाएगा।

iii

### 39. इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के वितरण की प्रक्रिया -

(1) इनपुट सेवा वितरक इनपुट कर प्रत्यय का वितरण निम्नलिखित रीति में और शर्तों के अध्याधीन करेगा, अर्थात्:--

(क) किसी मास में वितरण के लिए उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय को उसी मास में वितरित किया जाएगा और उसके ब्यौरे अध्याय viii के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटीआर-6 में दिए जाएंगे ;

(ख) इनपुट सेवा वितरक खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार अपात्र इनपुट कर प्रत्यय की रकम (धारा 17 की उपधारा (5) के उपबंधों के अध्याधीन या अन्यथा अपात्र) और पात्र इनपुट कर प्रत्यय की रकम को अलग से वितरित करेगा ;

(ग) केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय को खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार अलग से वितरित किया जाएगा ;

(घ) ऐसा इनपुट कर प्रत्यय, जो धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) के उपबंधों के अनुसार ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं, जिनको इनपुट कर प्रत्यय किया जाना है, जिसके अंतर्गत ऐसे प्राप्तिकर्ता भी हैं, जो छूट प्राप्त पूर्ति करने में लगे हुए हैं या किसी कारण से अन्यथा रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, में से किसी एक प्राप्तिकर्ता '01' चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, वितरित किया जाना अपेक्षित है, "01" रकम होगा, जिसे निम्नलिखित सूत्र लागू करके संगणित किया जाएगा,--

$$\text{सी}_1 = (0_1 \div 0) \times \text{सी}$$

जहां,

"सी", वितरित किए जाने वाले प्रत्यय की रकम है,

"0<sub>1</sub>", आर, व्यक्ति का, सुसंगत अवधि के दौरान, धारा 20 में यथा निर्दिष्ट आवर्त है, और

"0", सुसंगत अवधि के दौरान, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं का, जिनके प्रति धारा 20 के उपबंधों के अनुसार इनपुट सेवा निर्धारित की गई है, आवर्त का योग है ;

(ड) प्रत्येक प्राप्तिकर्ता को एकीकृत कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का वितरण एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के रूप में किया जाएगा ;

(च) केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का,--

(i) उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित प्राप्तिकर्ता के संबंध में, जिसमें इनपुट सेवा वितरक अवस्थित है, वितरण क्रमशः केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के इनपुट कर प्रत्यय के रूप में किया जाएगा ;

(ii) इनपुट सेवा वितरक के राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी प्राप्तिकर्ता के संबंध में, वितरण एकीकृत कर के रूप में किया जाएगा और इस प्रकार वितरित की जाने वाली रकम केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के इनपुट कर प्रत्यय की रकम के उस योग के बराबर होगी, जो खंड (घ) के अनुसार ऐसे प्राप्तिकर्ता के प्रति वितरण के लिए सीमित है ;

(छ) इनपुट सेवा वितरक, नियम 54 के उपनियम (1) में यथा विहित इनपुट सेवा वितरक बीजक जारी करेगा, जिसमें स्पष्टतः उपदर्शित होगा कि इसे केवल इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के लिए जारी किया गया है;

(ज) इनपुट सेवा वितरक, किसी कारण से पहले वितरित इनपुट कर प्रत्यय को घटाए जाने की दशा में प्रत्यय को घटाए जाने के लिए, नियम 54 के उपनियम (1) में यथा विहित इनपुट सेवा वितरक प्रत्यय नोट जारी करेगा ;

(झ) प्रदायकर्ता द्वारा किसी इनपुट सेवा वितरक को किसी नामे नोट के जारी किए जाने के कारण इनपुट कर प्रत्यय की किसी अतिरिक्त रकम का वितरण खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट रीति में और उसमें

विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा और किसी प्राप्तिकर्ता के लिए निर्धारित रकम की संगणना खंड (घ) में उपबंधित रीति में की जाएगी और ऐसे प्रत्यय का उस मास में वितरण किया जाएगा, जिसमें नामे नोट को **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 6** में विवरणी में सम्मिलित किया गया है ;

(ज) प्रदायकर्ता द्वारा इनपुट सेवा वितरक को किसी नामे नोट के जारी किए जाने के कारण घटाए जाने के लिए अपेक्षित कोई इनपुट कर प्रत्यय का प्रभाजन, प्रत्येक प्राप्तिकर्ता के लिए उस अनुपात में किया जाएगा, जिसमें मूल बीजक में अंतर्विष्ट इनपुट कर प्रत्यय का वितरण खंड (घ) के निबंधनानुसार किया गया था और इस प्रकार प्रभाजित रकम को,--

(i) उस मास में, जिसमें जमा नोट **प्ररूप जी.एस.टी.आर. -6** में विवरणी में सम्मिलित किया जाता है, वितरित की जाने वाली रकम में से घटाया जाएगा ; या

(ii) प्राप्तिकर्ता के आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा, जहां इस प्रकार प्रभाजित रकम ऐसे वितरण के अधीन, जो समायोजित की जाने वाली रकम से कम है, प्रत्यय की रकम के आधार पर नकारात्मक है ।

(2) यदि किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा वितरित इनपुट कर प्रत्यय की रकम को किन्हीं प्राप्तिकर्ताओं के लिए किसी अन्य कारण से, जिसके अंतर्गत वह कारण भी है, कि इनपुट सेवा वितरक द्वारा गलत प्राप्तिकर्ताओं को वितरित कर दिया गया था, बाद में कम कर दिया जाता है, तो प्रत्यय के घटाए जाने के लिए उपनियम (1) के खंड (ज) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी ।

(3) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए, इनपुट सेवा वितरक, उपनियम (1) के खंड (ज) में विनिर्दिष्ट इनपुट सेवा वितरक को जमा नोट के आधार पर ऐसे प्रत्यय के लिए हकदार प्राप्तिकर्ता के प्रति एक इनपुट सेवा वितरक बीजक जारी करेगा और इनपुट सेवा वितरक जमा नोट तथा इनपुट सेवा वितरक बीजक को उस मास के लिए, जिसमें ऐसा जमा नोट और बीजक जारी किया गया था, **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 6** में विवरणी में सम्मिलित करेगा।

#### 40. विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय का दावा करने की रीति—

(1) धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार स्टाक में धारित इनपुट या स्टाक में धारित अर्द्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट पर इनपुट कर प्रत्यय का दावा या उक्त उपधारा के खंड (ग) और खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार पूंजी माल पर प्रत्यय का दावा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् :--

(क) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के निबंधनानुसार, पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय का दावा, ऐसे पूंजी माल पर संदत्त कर को, बीजक या ऐसे अन्य दस्तावेजों, जिनके आधार पर कराधेय व्यक्ति द्वारा पूंजी माल प्राप्त किया गया था, की तारीख से, किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए पांच प्रतिशत पाइंट तक कम करने के पश्चात् किया जाएगा ;

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करने हेतु पात्र होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, इलैक्ट्रानिक रूप से, **प्ररूप जी.एस.टी. आई.टी.सी. 01** में, सामान्य पोर्टल पर, इस प्रभाव की घोषणा करेगा कि वह यथापूर्वोक्त इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करने का पात्र है ;

(ग) खंड (ख) के अधीन घोषणा में स्पष्टतः यथास्थिति, स्टॉक में धारित इनपुट या स्टॉक में धारित अर्द्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट अथवा यथास्थिति पूंजी माल के संबंध में ब्यौरे विनिर्दिष्ट किए जाएंगे;--

(i) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन दावे की दशा में, उस तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को, जिसको वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर संदाय के लिए दायी हुआ था; ;

(ii) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन दावे की दशा में, रजिस्ट्रीकरण प्रदाय किए जाने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को ;

(iii) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन दावे की दशा में, उस तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को, जिसको वह धारा 9 के अधीन कर संदाय के लिए दायी हुआ था; ;

(iv) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन दावे की दशा में, उस तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को, जिससे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए प्रदाय कराधेय हुए हैं,

(घ) यदि केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के मद्दे दावे का कुल मूल्य दो लाख रुपए से अधिक है तो खंड (ख) के अधीन घोषणा में दिए गए ब्यौरे किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित होंगे ;

(ङ) धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार तत्स्थानी प्रदायकर्ता द्वारा दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय को यथास्थिति, **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 1** या **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 4** में सामान्य पोर्टल पर दिए गए तत्स्थानी ब्यौरों से सत्यापित किया जाएगा ।

(2) धारा 18 की उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए, पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के प्रदाय की दशा में प्रत्यय की रकम, ऐसे माल के लिए बीजक जारी करने की तारीख से किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए, ऐसे माल पर इनपुट कर को पांच प्रतिशत पाइंट तक कम करके संगणित की जाएगी ।

#### **41. कारबार के विक्रय, विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण पर प्रत्यय का अंतरण--**

(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी कारण से कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण या स्वामित्व में परिवर्तन की दशा में, इलैक्ट्रानिक रूप से, सामान्य पोर्टल पर, **प्ररूप जी.एस.टी.आर. आई.टी.सी. 02 में**, अंतरिती के इलैक्ट्रानिक जमा खाते में पड़े हुए उपयोग नहीं किए गए इनपुट कर प्रत्यय के अंतरण के लिए अनुरोध के साथ कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टे या अंतरण के ब्यौरे देगा :

परंतु निर्विलयन की दशा में इनपुट कर प्रत्यय को निर्विलयन स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट नई इकाइयों की आस्तियों के मूल्य के अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा ।

(2) अंतरक किसी भी व्यवसायरत चार्टर अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा यह प्रमाणित करते हुए कि कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण दायित्वों के अंतरण संबंधी विशिष्ट प्रावधान के साथ किया गया है, जारी प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करेगा ।

(3) अंतरिती, सामान्य पोर्टल पर, अंतरक द्वारा इस प्रकार दिए गए व्यौरों को प्रतिगृहीत करेगा और ऐसे प्रतिग्रहण पर, **प्ररूप जी.एस.टी.आर. आई.टी.सी. 02 में**, विनिर्दिष्ट अनुपयोजित प्रत्यय उसके इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा हो जाएगा।

(4) इस प्रकार अंतरित इनपुट और पूंजी माल को, अंतरिती द्वारा उसके लेखा पुस्तक में सम्यक् रूप से हिसाब में लिया जाएगा।

#### 42. इनपुटों या इनपुट सेवाओं और उनके विपर्यय के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के अवधारण की रीति—

(1) ऐसे इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय, जिनमे धारा 17 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंध लागू होते हैं, जिनका अंशतः उपयोग कारबार के प्रयोजनों के लिए किया गया है और अंशतः अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया है या जिनका अंशतः उपयोग कराधेय प्रदायों को, जिनके अंतर्गत शून्य दर प्रदाय भी हैं, प्रभाव देने के लिए और अंशतः छूट प्राप्त प्रदायों को प्रभाव देने के लिए किया गया है, कारबार के प्रयोजन के लिए या प्रभावित कराधेय प्रदायों के लिए निम्नलिखित रीति से निर्धारित होगा, अर्थात् :--

(क) किसी कर अवधि में इनपुटों और इनपुट सेवाओं में अंतर्वलित कुल इनपुट कर 'टी' के रूप में द्योतक होगा ;

(ख) 'टी' में से इनपुट कर की रकम, जो कारबार से भिन्न प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से उपयोग किए जाने के लिए आशयित इनपुटों और इनपुट सेवाओं के लिए निर्धारणीय है, 'टी<sub>1</sub>' के रूप में द्योतक होगी ;

(ग) 'टी' में से इनपुट कर की रकम, जो प्रभावित छूट प्राप्त प्रदायों के लिए अनन्य रूप से उपयोग किए जाने के लिए आशयित इनपुटों और इनपुट सेवाओं के लिए निर्धारणीय है, 'टी<sub>2</sub>' के रूप में द्योतक होगी ;

(घ) 'टी' में से इनपुट कर की रकम, ऐसे इनपुटों और इनपुट सेवाओं के संबंध में, जिन पर धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन प्रत्यय उपलब्ध नहीं है, 'टी<sub>3</sub>' के रूप में द्योतक होगी ;

(ङ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा इनपुट कर प्रत्यय की रकम 'सी<sub>1</sub>' के रूप में द्योतक होगी और निम्नानुसार संगणित की जाएगी,--

$$\text{सी}_1 = \text{टी} - (\text{टी}_1 + \text{टी}_2 + \text{टी}_3);$$

(च) इनपुटों और इनपुट सेवाओं जिनका उपयोग अनन्य रूप छूट प्राप्त प्रदायों से भिन्न, किंतु शून्य दर प्रदायों सहित प्रभावित प्रदायों के लिए आशयित है के लिए निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय की रकम 'टी<sub>4</sub>' के रूप में द्योतक होगी ;

(छ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, 'टी<sub>1</sub>', 'टी<sub>2</sub>', 'टी<sub>3</sub>' और 'टी<sub>4</sub>' का अवधारण और उसकी घोषणा **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 02 में** बीजक स्तर पर की जाएगी ;

(ज) खंड (छ) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के निर्धारण के पश्चात् बचे हुए इनपुट कर प्रत्यय को सामान्य प्रत्यय कहा जाएगा, जो 'सी<sub>2</sub>' के रूप में द्योतक होगी और उसकी संगणना निम्नानुसार की जाएगी,--

$$\text{सी}_2 = \text{सी}_1 - \text{टी}_4 ;$$

(झ) छूट प्राप्त प्रदायों के मद्दे निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय कर रकम 'डी<sub>1</sub>' के रूप में द्योतक होगी और निम्नानुसार संगणित की जाएगी,--

$$डी_1 = (ई \div एफ) \times सी_2 ;$$

जहां,

'ई', कर अवधि के दौरान छूट प्राप्त प्रदायों का कुल मूल्य है, और

'एफ', रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का कर अवधि के दौरान राज्य के अंतर्गत कुल आवर्त है :

परंतु जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का उक्त कर अवधि के दौरान कोई आवर्त नहीं है या पूर्वोक्त सूचना उपलब्ध नहीं है, वहां 'ई/एफ' के मूल्य की संगणना, उस मास के पूर्व की, जिसके दौरान 'ई/एफ' के उक्त मूल्य की संगणना की जानी है, अंतिम कर अवधि के, जिसके लिए ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध है, 'ई' और 'एफ' के मूल्यों को हिसाब में लेते हुए की जाएगी ;

**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त प्रदायों का संकलित मूल्य और कुल आवर्त से संविधान से सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 और उक्त अनुसूची सूची 2 की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उद्गृहीत शुल्क या कर की रकम को अपवर्जित किया जाएगा ;

(ज) यदि सामान्य इनपुटों और इनपुट सेवाओं का उपयोग अंशतः कारबार के लिए और अंशतः गैर कारबार प्रयोजनों के लिए किया जाता है, गैर कारबार प्रयोजनों के लिए, निर्धारणीय प्रत्यय की रकम 'डी<sub>2</sub>' के रूप में द्योतक होगी और 'सी<sub>2</sub>' के पांच प्रतिशत के बराबर होगी ; और

(ट) शेष सामान्य कर प्रत्यय कारबार के प्रयोजनों के लिए और छूट प्राप्त प्रदायों से भिन्न प्रभावित प्रदायों के लिए, किंतु जिसमें शून्य दर प्रदाय सम्मिलित हैं, निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय के लिए उपयुक्त होगा और 'सी<sub>3</sub>' के रूप में द्योतक होगा, जहां,--

$$सी_3 = सी_2 - (डी_1 + डी_2) ;$$

(ठ) केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के लिए रकम 'सी<sub>3</sub>' की संगणना पृथक् रूप से की जाएगी ;

(ड) 'डी<sub>1</sub>' और 'डी<sub>2</sub>' के योग के बराबर रकम को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ा जाएगा:

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जहां इनपुटों और इनपुट सेवाओं से संबंधित इनपुट कर की रकम की, जिसका अंशतः उपयोग कारबार से भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया है और अंशतः उपयोग प्रभावित छूट प्राप्त प्रदायों के लिए किया गया है, पहचान कर ली गई है और बीजक स्तर पर उसे पृथक् कर दिया गया है, वहां उसे क्रमशः 'टी<sub>1</sub>' और 'टी<sub>2</sub>' में सम्मिलित किया जाएगा और ऐसे इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर प्रत्यय की शेष रकम को 'टी<sub>4</sub>' में सम्मिलित किया जाएगा ।



(2) उपनियम (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए अवधारित इनपुट कर प्रत्यय की अंतिम रूप से संगणना, उस वित्तीय वर्ष के अंत के, आगामी सितंबर मास में विवरणी देने के लिए देय तारीख से पूर्व उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट रीति से की जाएगी, और,--

(क) जहां 'डी<sub>1</sub>' और 'डी<sub>2</sub>' के संबंध में, अंतिम रूप से संगणित संकलित रकमों, 'डी<sub>1</sub>' और 'डी<sub>2</sub>' के संबंध में उपनियम (1) के अधीन अवधारित संकलित रकमों से अधिक है, वहां ऐसे आधिक्य को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की, उस मास में के आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा, जो ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के, आगामी सितंबर मास के पश्चात् नहीं होगा, और उक्त व्यक्ति, उक्त आधिक्य रकम पर, उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष की एक अप्रैल से आरंभ होकर संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए धारा 50 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ; और

(ख) उपनियम (1) के अधीन जहां 'डी<sub>1</sub>' और 'डी<sub>2</sub>' के संबंध में अवधारित संकलित रकमों, 'डी<sub>1</sub>' और 'डी<sub>2</sub>' के संबंध में अंतिम रूप से संगणित संकलित रकमों से अधिक है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ऐसी आधिक्य रकम का दावा, ऐसे वित्तीय वर्ष जिससे यह प्रत्यय संबंधित है के अंत के आगामी सितंबर मास के अपश्चात् किसी मास के लिए उसकी विवरणी में प्रत्यय के रूप में किया जाएगा ।

#### 43. पूंजी माल और कतिपय मामलों में उसके विपर्यय के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के अवधारण की रीति--

(1) धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे पूंजी माल जिसमें धारा 17 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध लागू होते हैं, के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय, जिनका भागतः उपयोग कारबार के प्रयोजन के लिए और भागतः उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया है या भागतः उपयोग शून्य दर प्रदायों सहित प्रभावित कराधेय प्रदायों के लिए और भागतः प्रभावित छूट प्राप्त प्रदायों के लिए किया गया है, कारबार के प्रयोजनों के लिए या प्रभावित कराधेय प्रदायों के लिए निम्नलिखित रीति में निर्धारित किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) गैर कारबारी प्रयोजनों या छूट प्राप्त प्रदायों के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर की रकम को **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 02** में उपदर्शित किया जाएगा और उसे उसके इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा नहीं किया जाएगा ;

(ख) छूट प्राप्त प्रदायों से भिन्न, किंतु शून्य दर प्रदायों सहित प्रभावित प्रदायों के लिए प्रयुक्त या अनन्य रूप से प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर की रकम **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 02** में उपदर्शित की जाएगी और उसे इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किया जाएगा ;

(ग) 'ए' के रूप में द्योतक ऐसे पूंजी माल के संबंध में, जो खंड (क) और खंड (ख) के अधीन नहीं आते हैं, इनपुट कर की रकम को इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किया जाएगा और ऐसे माल का उपयोगी जीवन, ऐसे माल के बीजक की तारीख से पांच वर्ष होगा :

परंतु जहां ऐसे पूंजी माल, जो पहले खंड (क) के अधीन आते थे, बाद में इस खंड के अधीन आते हैं, वहां 'ए' का मूल्य प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत पाइंट की दर पर इनपुट कर को घटाकर प्राप्त किया जाएगा और 'ए' की रकम को इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किया जाएगा ;

**स्पष्टीकरण :** खंड (क) के अधीन घोषित पूंजी माल की प्राप्ति पर धारा 18 की उपधारा (4) के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि वह बाद में इस खंड के अंतर्गत आती है।

(घ) 'टी३' के रूप में घोतक खंड (ग) के अधीन इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की गई 'ए' की संकलित रकम में किसी कर अवधि के लिए पूंजी माल के संबंध में सामान्य प्रत्यय होंगी :

परंतु जहां कोई ऐसा पूंजी माल, जो पहले खंड (ख) के अंतर्गत था और बाद में खंड (ग) में आता है वहां प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत पाइंट की दर पर इनपुट कर को कम करके प्राप्त 'ए' के मूल्य को 'टी३' के संकलित मूल्य में जोड़ दिया जाएगा ;

(ङ) किसी कर अवधि के लिए सामान्य पूंजी माल पर उसके उपयोगी जीवन के दौरान निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय की रकम 'टी३' के रूप में द्योतक होगी और उसकी संगणना निम्नानुसार की जाएगी,--

$$\text{टी३} = \text{टी३} \div 60$$

(च) कर अवधि के प्रारंभ पर ऐसे सभी सामान्य पूंजी माल पर, जिसका उपयोगी जीवन कर अवधि के दौरान अतिशेष है, इनपुट कर प्रत्यय की रकम 'टी३' के रूप में द्योतक होगी और वह सभी पूंजी माल के लिए संकलित 'टी३' होगी ;

(छ) छूट प्राप्त प्रदायों के मद्दे निर्धारणीय सामान्य प्रत्यय की रकम 'टी३' के रूप में द्योतक होगी और उसकी संगणना निम्नानुसार की जाएगी,--

$$\text{टी३} = (\text{ई} \div \text{एफ}) \times \text{टी३}$$

जहां,--

'ई' कर अवधि के दौरान किए गए छूट प्राप्त प्रदायों का संकलित मूल्य है, और

'एफ' कर अवधि के दौरान रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का कुल आवर्त है :

परंतु जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का उक्त कर अवधि के दौरान कोई आवर्त नहीं है या पूर्वोक्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, वहां 'ई/एफ' के मूल्य की संगणना, उस मास से पहले की, जिसके दौरान 'ई/एफ' के उक्त मूल्य की संगणना की जानी है, अंतिम कर अवधि के, जिसके लिए ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध हैं, 'ई' और 'एफ' के मूल्यों को हिसाब में लेते हुए की जाएगी ;

**स्पष्टीकरण—**इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त प्रदायों का संकलित मूल्य और कुल आवर्त से संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 और उक्त अनुसूची के सूची 2 की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उद्गृहीत शुल्क या कर की रकम को अपवर्जित किया जाएगा ;

(ज) 'टी३' रकम लागू ब्याज के साथ ,संबंधित पूंजी माल के उपयोगी जीवन की प्रत्येक कर अवधि के दौरान प्रत्यय का ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति के आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ा जाएगा ;

(2) रकम 'टी३' की संगणना केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के लिए पृथक् रूप से की जाएगी।

**44. विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय के विपर्ययन की रीति—**

(1) धारा 18 की उपधारा (4) और धारा 29 की उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए, स्टाक में धारित इनपुट, अर्ध परिरूपित और परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुटों और स्टाक में धारित पूंजी माल से संबंधित इनपुट कर प्रत्यय की रकम का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) स्टाक में धारित इनपुटों और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित और परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के लिए इनपुट कर प्रत्यय की संगणना अनुपाततः ऐसे तत्स्थानी वीजकों के आधार पर की जाएगी, जिन इनपुट पर रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रत्यय का उपयोग किया गया है ;

(ख) स्टाक में धारित पूंजी माल के लिए, किसी मास में शेष उपयोगी जीवन में अंतर्वलित इनपुट कर प्रत्यय की संगणना उपयोगी जीवन के पांच वर्ष के रूप में ग्रहण करते हुए आनुपातिक आधार पर की जाएगी ।

**दृष्टांत :**

पूंजी माल चार वर्ष, छह मास और पन्द्रह दिन के लिए उपयोग में रहा है ।

शेष उपयोगी जीवन, महीनों में = पांच मास, उस मास के शेष भाग पर ध्यान न देते हुए

ऐसे पूंजी माल पर लिया गया इनपुट कर प्रत्यय = सी,

शेष उपयोगी जीवन के लिए निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय = 5/60 द्वारा गुणज सी

(2) उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट रकम का अवधारण एकीकृत कर और केंद्रीय कर के इनपुट कर प्रत्यय के लिए पृथक् रूप से किया जाएगा ।

(3) जहां स्टाक में धारित इनपुटों से संबंधित कर वीजक उपलब्ध नहीं है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन रकम का प्राक्कलन, यथास्थिति, धारा 18 की उपधारा (4) या धारा 29 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी घटना के घटित होने की प्रभावी तारीख को माल की विद्यमान बाजार कीमत के आधार पर करेगा ।

(4) उपनियम (1) के अधीन अवधारित रकम रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के आऊटपुट कर दायित्व का भागरूप होगी और ऐसी रकम के ब्यौरे, जहां ऐसी रकम धारा 18 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट किसी घटना के संबंध में है, **प्ररूप जी.एस.टी. आई.टी.सी.- 03** में और जहां ऐसी रकम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के संबंध में है, **प्ररूप जी.एस.टी.आर.- 10** में दिए जाएंगे ।

(5) उपनियम (3) के अनुसार दिए गए ब्यौरे किसी व्यवसायरत चार्टर अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित होंगे ।

(6) धारा 18 की उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय की रकम का अवधारण उसी रीति में किया जाएगा, जो उपनियम (1) के खंड (ख) में विहित है और आई.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी. के इनपुट कर प्रत्यय के लिए पृथक् रूप से रकम का अवधारण किया जाएगा ।

परंतु जहां इस प्रकार अवधारित रकम, पूंजी माल के संव्यवहार मूल्य पर अवधारित कर से अधिक है, वहां अवधारित रकम आऊटपुट कर दायित्व का भागरूप होगी और उसे **प्ररूप जी.एस.टी.आर.- 01** में दिया जाएगा ।

**45. छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए इनपुटों और पूंजी माल के संबंध में शर्तें और प्रतिबन्ध--**

- (1) प्रधान द्वारा छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को इनपुटों, अर्ध परिरूपित माल या पूंजी माल जारी चालान के साथ भेजा जाएगा, जिसके अंतर्गत ऐसी स्थिति भी है, जहां ऐसा माल किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे भेजा जाता है।
- (2) छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा जारी चालान में नियम 55 में विनिर्दिष्ट ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे।
- (3) किसी तिमाही के दौरान किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए माल या छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति से प्राप्त माल या एक कर्मकार से दुसरे कर्मकार को भेजे गए माल के संबंध में चालानों के ब्यौरों को उस अवधि के लिए दिए गए **प्ररूप जी.एस.टी.आइटीसी 04** में उस तिमाही के बाद के माह के पच्चीस तारीख को या उसके पूर्व सम्मिलित किया जाएगा।
- (4) जहां प्रधान को, धारा 143 में नियत समय के भीतर इनपुट या पूंजी माल वापस नहीं किया जाता है, ऐसे इनपुट या पूंजी माल को प्रधान द्वारा कार्य कर्मकार को भेजे जाने की तिथि को ऐसे इनपुट या पूंजी माल का प्रदाय माना जायेगा और प्रधान ऐसे प्रदाय को **प्ररूप जी.एस.टी.आर.-01** में सम्मिलित करते हुये व्याज के साथ कर संदाय के उत्तरदायी होंगे।

**स्पष्टीकरण—**इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,--

- (1) "पूंजी माल" उक्ति के अंतर्गत धारा 17 के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित "संयंत्र और मशीनरी" भी है ;
- (2) धारा 17 की उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट छूट प्राप्त प्रदाय के मूल्य के अवधारण के लिए,--
  - (क) भूमि और भवन के मूल्य को उसी रूप में लिया जाएगा, जैसे स्टॉप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए अंगीकार किया गया है ; और
  - (ख) प्रतिभूति के मूल्य को, ऐसी प्रतिभूति के विक्रय मूल्य के एक प्रतिशत के रूप में लिया जाएगा

**अध्याय VI****कर बीजक, जमा पत्र और नामे नोट**

**46. कर बीजक** – नियम 54 के अधीन धारा 31 में निर्दिष्ट कर बीजक निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी की जाएगी :-

- (क) प्रदायकर्ता का नाम, पता एवं माल और सेवा कर पहचान संख्या;
- (ख) सोलह अक्षर से अनधिक क्रमिक क्रम संख्यांक, एक या बहु क्रम में, जिसके अन्तर्गत वर्णमाला या संख्या या विशिष्ट वर्ण - हाइफन या डेश तथा स्लेस प्रतीक चिन्ह जैसे “-” और “/” क्रमशः और उनका कोई संयोजन, एक वित्तीय वर्ष के लिए यूनिक होगा
- (ग) उसके जारी करने की तारीख;
- (घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता एवं माल और सेवाकर पहचान संख्या या विशिष्ट पहचान संख्या, यदि रजिस्ट्रीकृत है;

- (ड) प्राप्तिकर्ता का नाम व पता और परिदान का पता, राज्य के नाम और उसके कोड के साथ, यदि ऐसा प्राप्तिकर्ता गैर रजिस्ट्रीकृत है और जहां कराधेय प्रदाय का मूल्य पचास हजार रुपये या उससे अधिक है;
- (च) माल अथवा सेवा का नामपद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कोड;
- (छ) मालों अथवा सेवाओं का विवरण;
- (ज) माल और ईकाई या उसके यूनिक मात्रा कोड की दशा में, मात्रा;
- (झ) मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का कुल मूल्य;
- (ञ) छूट या उपशमन को हिसाब में लेते हुए यदि कोई है, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का कराधेय मूल्य;
- (ट) कर की दर (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य कर या उपकर);
- (ठ) कराधेय मालों या सेवाओं की बाबत भारित कर की रकम (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या उपकर);
- (ड) अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में पूर्ति की दशा में, राज्य के नाम के साथ पूर्ति का स्थान ;
- (ढ) परिदान का पता जहां वह पूर्ति के स्थान से भिन्न है;
- (ण) यदि कर प्रतिलोम प्रभार के आधार पर देय है; और
- (त) पूर्तिकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर:

परन्तु आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगा-

- (i) माल या सेवाओं के लिए नाम पद्धति कोड की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली की संख्या, जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई ऐसी अवधि के लिए उल्लेख अपेक्षित होगा; और
- (ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग जिनसे माल अथवा सेवाओं के लिए नामपद्धति कोड की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई ऐसी अवधि के लिए अपेक्षित नहीं होगा:

परन्तु यह और कि जहां धारा 31 की उप-धारा (3) के खंड (च) के अधीन बीजक निर्गत किया जाना अपेक्षित है, किसी निबंधित व्यक्ति धारा 9 की उप-धारा (4) से अच्छादित सभी आपूर्तियों के लिए माह के अन्त में एक समेकित बीजक निर्गत कर सकेगा, जहाँ ऐसी आपूर्ति का समेकित मूल्य एक या सभी आपूर्तिकर्ताओं से एक दिन में 5000 रु० से अधिक का है।

परन्तु, यह भी कि माल अथवा सेवाओं के निर्यात की दशा में बीजक में “एकीकृत कर के भुगतान पर निर्यात के लिए पूर्ति” या “एकीकृत कर के भुगतान के बिना, बांड या वचनबंध पत्र के अधीन निर्यात के लिए पूर्ति” जैसा भी मामला हो, पृष्ठांकित होगा, और खंड (ड) में विनिर्दिष्ट ब्यौरे के बजाय, निम्नलिखित ब्यौरा अन्तर्विष्ट होगा, अर्थात्:-

- (i) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता
- (ii) परिदान का पता; और
- (iii) गंतव्य देश का नाम

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए धारा 31 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में कर बीजक जारी नहीं कर सकेगा, अर्थात्:-

प्राप्तिकर्ता एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं है; और

प्राप्तिकर्ता से ऐसा बीजक अपेक्षित नहीं होता है, और सभी ऐसी पूर्तियों के संबंध में प्रत्येक दिन की समाप्ति पर ऐसी पूर्ति के लिए समेकित कर बीजक जारी करेगा।

47. कर बीजक जारी करने के लिए समय सीमा -

नियम 46 में निर्दिष्ट बीजक, सेवाओं की कराधेय पूर्ति की दशा में, सेवा की पूर्ति की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर जारी की जाएगी:

परन्तु जहां सेवाओं का पूर्तिकार एक बीमाकर्ता है या बैंकिंग कंपनी है या वित्तीय संस्थान है, जिसके अन्तर्गत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी है, वह अवधि जिसके भीतर बीजक या उसके बजाय कोई अन्य दस्तावेज जारी किया जाना है, सेवाओं की पूर्ति की तारीख से पैंतालिस दिवस होगी:

परन्तु यह और कि बीमाकर्ता या बैंकिंग कंपनी या एक वित्तीय संस्थान जिसके अन्तर्गत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी है, या एक टेलिकाम संचालक या सेवा की पूर्तिकार का कोई अन्य वर्ग, जैसा भी मामला हो, परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा, धारा 25 में विनिर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के बीच सेवाओं की कराधेय पूर्ति के लिए, बीजक, पूर्तिकार द्वारा लेखा बही में उसे अभिलिखित करने से पहले या उस समय या ऐसे त्रैमास की समाप्ति से पूर्व जिसके दौरान पूर्ति की गई थी, जारी कर सकेगा।

#### 48. बीजक जारी करने की रीति.-

(1) माल के आपूर्ति की दशा में, निम्नलिखित रीति से बीजक तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) मूल प्रति को "प्राप्तिकर्ता के लिए मूल" के रूप में चिन्हित किया जाएगा;

(ख) दूसरी प्रति "परिवाहक के लिए द्वितीय प्रति" के रूप में चिन्हित किया जाएगा; और

(ग) तीसरी प्रति "पूर्तिकार के लिए तृतीय प्रति" के रूप में चिन्हित किया जाएगा।

(2) सेवाओं की पूर्ति की दशा में, निम्नलिखित रीति से, बीजक दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) मूल प्रति को "प्राप्तिकर्ता के लिए मूल" के रूप में चिन्हित किया जाएगा; और

(ख) द्वितीय प्रति को "पूर्तिकार के लिए द्वितीय प्रति" के रूप में चिन्हित किया जाएगा।

(3) एक कर अवधि के दौरान जारी बीजकों की क्रम संख्या प्रपत्र जी0एस0टी0आर01 में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी।

#### 49. पूर्ति का बिल.-

धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट पूर्ति का बिल, निम्नलिखित व्यौरों को अन्तर्विष्ट करते हुए पूर्तिकार द्वारा जारी किया जाएगा, अर्थात् -

(क) पूर्तिकार का नाम, पता और माल तथा सेवा कर पहचान संख्या;

(ख) सोलह अक्षर से अनधिक क्रमिक क्रम संख्यांक, एक या बहु क्रम में, जिसके अन्तर्गत वर्णमाला या संख्या या विशिष्ट वर्ण - हाइफन या डेश या स्लेस प्रतीक जैसे “-” और “/” क्रमशः, और उनका कोई संयोजन, एक वित्तीय वर्ष के लिए यूनिक होगा ;

(ग) उसके जारी करने की तारीख;

(घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल और सेवाकर पहचान संख्या या विशिष्ट पहचान संख्या यदि रजिस्ट्रीकृत है;

(ङ) माल और सेवा का नामपद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कोड;

(च) मालों और सेवाओं या दोनों का विवरण;

(छ) छूट या उपशमन को हिसाब में लेते हुए, यदि कोई है, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का मूल्य;

(ज); पूर्तिकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर:

परन्तु नियम 46 का परन्तुक, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, उस नियम के अधीन जारी पूर्ति के बिल को लागू होगा

परन्तु यह और कि किसी गैर-कराधेय पूर्ति की बाबत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन जारी किसी कर वीजक या कोई अन्य समान दस्तावेज इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पूर्ति का बिल के रूप में माना जाएगा ।

#### 50. प्राप्ति वाउचर (प्राप्ति अभिश्रव)-

धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (घ) में निर्दिष्ट प्राप्ति वाउचर में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होगी, अर्थात्

(क) पूर्तिकार का नाम, पता और माल और सेवा कर पहचान संख्या;

(ख) सोलह अक्षर से अनधिक क्रमिक क्रम संख्यांक, एक या बहु क्रम में, जिसके अन्तर्गत वर्णमाला या संख्या या विशिष्ट वर्ण - हाइफन या डेश और स्लेस प्रतीक जैसे “-” और “/” क्रमशः, और उनका कोई संयोजन, एक वित्तीय वर्ष के लिए यूनिक होगा;

(ग) उसके जारी करने की तारीख;

(घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल और सेवाकर पहचान संख्या या विशिष्ट पहचान संख्या, यदि रजिस्ट्रीकृत है;

(ङ) मालों और सेवाओं का विवरण;

(च) अग्रिम ली गई रकम;

(छ) कर की दर (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य कर या उपकर);

(ज) कराधेय मालों या सेवाओं की बाबत भारित कर की रकम (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या उपकर);

(झ) राज्य के नाम तथा कोड के साथ पूर्ति (प्रदाय) का स्थान, अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में पूर्ति की दशा में;

(ञ) यदि कर विपरीत प्रभार के आधार पर देय है; और

(ट) पूर्तिकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर।

परन्तु जहाँ अग्रिम की प्राप्ति के समय,

(i) कर की दर अवधार्य नहीं है, कर 18 प्रतिशत की दर पर संदेय (भुगतान) किया जाएगा

(ii) पूर्ति की प्रकृति अवधार्य नहीं है, उसे अन्तरराज्यीय पूर्ति के रूप में माना जाएगा

### 51. प्रतिदाय बाउचर –

धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (ड) में निर्दिष्ट प्रतिदाय बाउचर में निम्नलिखित विशिष्टयां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-

(क) पूर्तिकार का नाम, पता और माल और सेवा कर पहचान संख्या ;

(ख) सोलह अक्षर से अनधिक क्रमिक क्रम संख्यांक, एक या बहु क्रम में, जिसके अन्तर्गत वर्णमाला या संख्या या विशिष्ट वर्ण - हाइफन या डेश और स्लेस प्रतीक जैसे “-”और “/” क्रमशः, और उनका कोई संयोजन, एक वित्तीय वर्ष के लिए यूनिक होगा;

(ग) उसके जारी करने की तारीख ;

(घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल और सेवाकर पहचान संख्या या विशिष्ट पहचान संख्या, यदि रजिस्ट्रीकृत है तो ;

(ङ) नियम (50) के उपबंधों के अनुसार जारी प्राप्ति बाउचर का नंबर और तारीख ;

(च) उन मालों या सेवाओं का विवरण, जिनके संबंध में प्रतिदाय किया गया है ;

(छ) प्रतिदाय की गई रकम ;

(ज) कर की दर (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या उपकर) ;

(झ) ऐसे मालों या सेवाओं के संबंध में भुगतित कर की रकम (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या उपकर) ;

(ञ) यदि कर प्रतिलोम प्रभार के आधार पर भुगतेय है ; और

(त) पूर्तिकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर ।

### 52. संदाय बाउचर—

धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (छ) में निर्दिष्ट संदाय बाउचर में निम्नलिखित विशिष्टयां अंतर्विष्ट होंगी, यथा :-

(क) पूर्तिकार का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है ;

(ख) सोलह अक्षर से अनधिक क्रमिक क्रम संख्यांक, एक या बहु क्रम में, जिसके अन्तर्गत वर्णमाला या संख्या या विशिष्ट वर्ण - हाइफन या डेश और स्लेस प्रतीक जैसे “-”और “/” क्रमशः, और उनका कोई संयोजन, एक वित्तीय वर्ष के लिए यूनिक होगा;

(ग) उसके जारी करने की तारीख ;

(घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल और सेवाकर विशिष्ट पहचान संख्या ;

(ङ) मालों या सेवाओं का विवरण ;



- (च) संदत्त रकम ;
- (छ) कर की दर (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या उपकर) ;
- (ज) कराधेय मालों या सेवाओं के संबंध में कर की भुगतये रकम (केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या उपकर) ;
- (झ) अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के प्रक्रम में पूर्ति की दशा में राज्य के नाम के साथ पूर्ति का स्थान और उसका कूट)कोड ( ; और
- (ञ) पूर्तिकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर ।

### 53. पुनरीक्षित कर बीजक और जमा पत्र या नामे नोट —

(1) धारा 31 में निर्दिष्ट पुनरीक्षित कर बीजक और धारा 34 में निर्दिष्ट जमापत्र या नामे नोट में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-

- (क) "पुनरीक्षित बीजक" शब्द, जहां लागू होता है, वहां उसे सुस्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा ;
- (ख) पूर्तिकार का नाम, पता और माल और सेवाकर पहचान संख्या ;
- (ग) दस्तावेज़ की प्रकृति ;
- (घ) सोलह अक्षर से अनधिक क्रमिक क्रम संख्यांक, एक या बहु क्रम में, जिसके अन्तर्गत वर्णमाला या संख्या या विशिष्ट वर्ण - हाइफन या डेश और स्लेस प्रतीक जैसे "-" और "/" क्रमशः, और उनका कोई संयोजन, एक वित्तीय वर्ष के लिए यूनिक होगा;
- (ङ) दस्तावेज़ जारी करने की तारीख ;
- (च) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवा कर पहचान नंबर या विशिष्ट पहचान संख्या, यदि रजिस्ट्रीकृत है;
- (छ) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता तथा राज्य और उसके कूट सहित परिदान का पता, यदि ऐसा प्राप्तिकर्ता रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो ;
- (ज) तत्संबंधी कर बीजक या पूर्ति के बिल की क्रम संख्या तथा तिथि; यथास्थिति
- (झ) कराधेय मालों या सेवाओं का मूल्य, कर की दर तथा यथास्थिति, प्रत्यय किए गए या प्राप्तिकर्ता के नामे डाले गए कर की रकम ; और
- (ञ) पूर्तिकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर ।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे उसे जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की तारीख से पूर्व किसी तारीख से रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है, वह रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से प्रभावी होने वाली कालावधि के दौरान की गई कराधेय आपूर्तियों के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख तक पुनरीक्षित कर बीजक जारी कर सकेगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी प्राप्तिकर्ता को, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, को ऐसी अवधि के दौरान की गई सभी कराधेय आपूर्तियों के संबंध में समेकित पुनरीक्षित कर बीजक जारी कर सकेगा :

परंतु यह और कि अन्तरराज्यीय आपूर्तियों की दशा में, जहां पूर्ति का मूल्य दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है, समेकित पुनरीक्षित बीजक उस राज्य में स्थित सभी प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, पृथक् रूप से जारी किया जा सकेगा ।

(3)धारा 74 या धारा 129 या धारा 130 के उपबंधों के अनुसार संदेय किसी कर के लिए जारी कोई बीजक या नामे नोट में सुस्पष्ट रूप से "इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञेय नहीं" शब्द अंतर्विष्ट होंगे ।

#### 54. विशेष मामलों में कर बीजक—

(1)किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा जारी, यथास्थिति, कोई इनपुट सेवा वितरक बीजक या इनपुट सेवा वितरक जमा नोट में निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे :-

(क) इनपुट सेवा वितरक का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान संख्या ;

(ख) सोलह अक्षर से अनधिक क्रमिक क्रम संख्यांक, एक या बहु क्रम में, जिसके अन्तर्गत वर्णमाला या संख्या या विशिष्ट वर्ण - हाइफन या डेश और स्लेस प्रतीक जैसे "-"और "/" क्रमशः, और उनका कोई संयोजन, एक वित्तीय वर्ष के लिए यूनिक होगा;

(ग) उसके जारी करने की तारीख ;

(घ) प्रासिकर्ता, जिसे प्रत्यय वितरित किया गया है, का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर ;

(ङ) वितरित प्रत्यय की रकम ; और

(च) इनपुट सेवा वितरक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर :

परंतु जहां इनपुट सेवा वितरक किसी बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, का कार्यालय है तो किसी कर बीजक के रूप में उसके स्थान पर कोई दस्तावेज़ शामिल होगा, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, चाहे क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित हो या नहीं किंतु उसमें यथा उपरोक्त वर्णित सूचना अंतर्विष्ट हो ।

(2)जहां इनपुट सेवा वितरक कोई बीमा कंपनी या कोई बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्था है, जिसके अंतर्गत गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, तो उक्त पूर्तिकार कोई बीजक या उसके स्थान पर कोई अन्य दस्तावेज़ जारी करेगा चाहे जिस किसी भी नाम से ज्ञात हो, चाहे भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया गया हो या उपलब्ध कराया गया हो, क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित हो या नहीं और चाहे उसमें कराधेय सेवा के प्रासिकर्ता का पता अंतर्विष्ट हो या नहीं किंतु उसमें नियम 46 के अधीन वर्णित अन्य सूचना अंतर्विष्ट हो ।

(3)जहां कराधेय सेवा का पूर्तिकार कोई माल परिवहन अभिकरण है, जो किसी माल वाहक में सड़क द्वारा मालों के परिवहन के संबंध में सेवाओं की पूर्ति कर रहा है, उक्त पूर्तिकार कर बीजक या उसके स्थान पर, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, कोई अन्य दस्तावेज़ जारी करेगा, जिसमें पारेषण का सकल भार, पारेषणकर्ता और पारेषिती का नाम, उस माल वाहक की रजिस्ट्रीकरण संख्या, जिसमें मालों का परिवहन किया जाता है, परिवहन किए जा रहे मालों के ब्यौरे, उदगम स्थान और गंतव्य स्थान के ब्यौरे, कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति, चाहे पारेषक या पारेषिती या माल परिवहन अभिकरण के रूप में हो, का माल और सेवाकर पहचान नंबर तथा नियम 46के अधीन यथावर्णित अन्य सूचना भी अंतर्विष्ट होगी ।

(4)जहां कराधेय सेवा का पूर्तिकार यात्री परिवहन सेवा की पूर्ति कर रहा है, कर बीजक में किसी भी रूप में टिकट सम्मिलित होगा, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, चाहे क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित हो और चाहे उसमें सेवा के प्रासिकर्ता का पता अंतर्विष्ट हो या नहीं किंतु उसमें नियम 46 के अधीन यथावर्णित अन्य सूचना अंतर्विष्ट होगी ।

(5)उपनियम (2) या उपनियम (4) के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, नियम 49 या नियम 50 या नियम 51 या नियम 52 या नियम 53 के अधीन जारी दस्तावेजों को लागू होंगे ।

**55. बीजक जारी किए बिना मालों का परिवहन—**

(1) निम्नलिखित के प्रयोजनों के लिए—

(क) तरल गैस की पूर्ति, जहां पूर्तिकार के कारबार के स्थान से उसको हटाए जाने के समय मात्रा ज्ञात नहीं है,

(ख) जो जॉब कार्य के लिए मालों का परिवहन,

(ग) पूर्ति से भिन्न कारणों से मालों का परिवहन, या

(घ) ऐसी अन्य पूर्तियां, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाए,

के लिए पारेषक बीजक के स्थान पर परिदान चालान जारी कर सकेगा, जो 16 अक्षर से अनधिक क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित होगा, एक या बहुल श्रृंखलाओं में, परिवहन के लिए मालों को हटाने के समय, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :-

(i) परिदान चालान की तारीख और नंबर ;

(ii) पारेषक का नाम, पता और माल तथा सेवा कर पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है ;

(iii) पारेषिती का नाम, पता और माल तथा सेवा कर पहचान नंबर या पारेषिती की विशिष्ट पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है ;

(iv) नाम पद्धति कूट की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली तथा माल का विवरण;

(v) मात्रा (औपबंधिक, जहां पूर्ति की जा रही माल का वास्तविक मात्रा ज्ञात नहीं है) ;

(vi) कराधेय मूल्य ;

(vii) कर दर और कर रकम - केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर, जहां परिवहन पारेषिती को पूर्ति के लिए है ;

(viii) अंतरराज्यीय संचलन की दशा में, पूर्ति का स्थान ; और

(ix) हस्ताक्षर ।

(2) मालों की पूर्ति की दशा में, परिदान चालान को तीन प्रतियों में निम्नलिखित रीति से तैयार किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) मूल प्रति को "पारेषिती के लिए मूल" के रूप में चिन्हित किया जाएगा ;

(ख) द्वितीय प्रति को "परिवहनकर्ता के लिए द्वितीय प्रति" के रूप में चिन्हित किया जाएगा ; और

(ग) तीसरी प्रति को "पारेषणकर्ता के लिए तृतीय प्रति" के रूप में चिन्हित किया जाएगा ।

(3) जहां मालों का परिवहन बीजक के स्थान पर परिदान चालान पर किया जा रहा है, वहां उसे नियम 138 में विनिर्दिष्ट तरीकेसे घोषित किया जाएगा ।

(4) जहां परिवहन किए जा रहे माल प्राप्तिकर्ता को पूर्ति के प्रयोजन के लिए हैं, किंतु पूर्ति के प्रयोजन के लिए मालों को हटाने के समय कर बीजक जारी नहीं किया जा सका है तो पूर्तिकार मालों के परिदान के पश्चात कर बीजक जारी करेगा ।

(5) जहां मालों का परिवहन सेमी नॉकड डाउन या पूर्णतया नॉकड डाउन स्थिति में किया जा रहा है-

(क) पूर्तिकार पहले पारेषण को पारेषित करने से पूर्व पूर्ण बीजक जारी करेगा ;

(ख) पूर्तिकार प्रत्येक पश्चातवर्ती पारेषण के लिए बीजक को निर्दिष्ट करते हुए परिदान चालान जारी करेगा ;

(ग) प्रत्येक पारेषण के साथ तत्संबंधी परिदान चालान की प्रतियों के साथ सम्यक सत्यापित बीजक प्रति संलग्न होगी ; और

(घ) बीजक की मूल प्रति को अंतिम पारेषण के साथ भेजा जाएगा ।

**अध्याय VII****लेखे और अभिलेख****56. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा लेखाओं का रखा--**

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 35 की उपधारा (1) में वर्णित विशिष्टियों के अतिरिक्त आयात या निर्यात या पूर्ति किए गए मालों या सेवाओं, जिन पर विपरीत प्रभार पर कर का संदाय आकृष्ट होता है, का सत्य और सही लेखा रखने के साथ सुसंगत दस्तावेज, जिसके अंतर्गत बीजक, पूर्ति के बिल, परिदान चालान, प्रत्यय टिप्पण, नामे टिप्पण, प्राप्ति बाउचर, संदाय बाउचर तथा प्रतिदाय बाउचर हैं, रखेगा और उनका अनुरक्षण करेगा।

(2) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त किए गए और पूर्ति किए गए मालों के संबंध में स्टॉक के लेखे रखेगा और ऐसे लेखाओं में अतिशेष, प्राप्ति, पूर्ति, खो गए माल, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, बट्टे खाते में डाले या उपहार या निःशुल्क नमूने के रूप में दिए गए माल तथा स्टॉक के शेष, जिसके अंतर्गत कच्ची सामग्रियां, तैयार माल, स्क्रेप और उनकी छीजन सम्मिलित है, की विशिष्टियां सम्मिलित होंगी।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्राप्त अग्रिमों, उनका संदाय और समायोजन के पृथक् लेखे रखेगा और उनका अनुरक्षण करेगा।

(4) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति एक लेखा रखेगा और उसका अनुरक्षण करेगा, जिसमें संदेय कर (धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार संदेय कर सम्मिलित है), संगृहित और संदत्त कर, इनपुट कर, दावा किया गया इनपुट कर प्रत्यय के व्यौरों के साथ कर बीजक का रजिस्टर, प्रत्यय टिप्पण, नामे टिप्पण, किसी कर अवधि के दौरान जारी किया गया या प्राप्त किया गया परिदान चालान अंतर्विष्ट है।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित की विशिष्टियां रखेगा,--

- (क) पूर्तिकर्ताओं का नाम और पूरा पता, जिनसे उसने अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य मालों या सेवाओं को प्राप्त किया है ;
- (ख) उन व्यक्तियों का नाम और पूरा पता, जिनको उसने मालों या सेवाओं की पूर्ति की है, जहां इस अध्याय के नियमों के अधीन अपेक्षित है ;
- (ग) उन परिसरों का पूरा पता, जहां उसके द्वारा मालों का भंडारण किया जाता है, जिसके अंतर्गत स्थानांतरण के दौरान भंडार किए गए माल सम्मिलित हैं, के साथ उनमें भंडार किए गए स्टॉक की विशिष्टियां हैं।

(6) यदि उपनियम (5) के अधीन घोषित स्थानों से भिन्न किसी स्थान पर किन्हीं विधिमान्य दस्तावेजों के बिना कोई कराधेय माल पाया जाता है तो उचित अधिकारी ऐसे मालों पर संदेय कर की रकम को ऐसे अवधारित करेगा जैसे ऐसे मालों की पूर्ति रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई है।

(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति लेखा बहियों को और उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वर्णित अतिरिक्त कारबार के स्थान से संबंधित लेखा बहियां और ऐसी अन्य लेखा बहियों में किसी इलैक्ट्रॉनिकी युक्ति में भंडारित डाटा का कोई अन्य प्रारूप सम्मिलित है, कारबार के मूल स्थान पर रखेगा।

(8) रजिस्ट्रों, लेखाओं और दस्तावेजों में की गई किसी प्रविष्टि को मिटाया, छिपाया या उसके ऊपर नहीं लिखा जाएगा और लिपिकीय प्रकृति से भिन्न अन्यथा सभी अशुद्ध प्रविष्टियों को सत्यापन के अधीन काट दिया जाएगा तथा तत्पश्चात् सही प्रविष्टि को अभिलिखित किया जाएगा और जहां रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों का अनुरक्षण इलैक्ट्रॉनिकी रूप में किया जाता है तो संपादित या लोप की गई प्रत्येक प्रविष्टि का लांग रखा जाएगा।

(9) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा मैनुअल रूप से रखी गई लेखा बहियों के प्रत्येक खंड को क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित किया जाएगा।

(10) जब तक कि अन्यथा साबित न हो, यदि किसी दस्तावेज, रजिस्टर या कोई लेखा बही, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से संबंधित है, को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वर्णित किसी अन्य परिसर पर पाया जाता है तो यह उपधारणा की जाएगी कि उस परिसर का उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अनुरक्षण किया जा रहा है।

(11) धारा 2 के खंड (5) में निर्दिष्ट प्रत्येक अभिकर्ता निम्नलिखित को उपदर्शित करते हुए लेखे रखेगा--

- (क) प्रत्येक प्रधान से ऐसे प्रधान के निमित्त मालों या सेवाओं को प्राप्त करने या पूर्ति करने के लिए उसके द्वारा पृथकतः प्राप्त प्राधिकृत करने की विशिष्टियां ;
- (ख) विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रधान के निमित्त प्राप्त मालों या सेवाओं का विवरण, मूल्य और मात्रा (जहां लागू हो), सम्मिलित है ;
- (ग) विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रधान के निमित्त पूर्ति किए गए मालों या सेवाओं का विवरण, मूल्य और मात्रा (जहां लागू हो), सम्मिलित है ;
- (घ) प्रत्येक प्रधान को प्रस्तुत लेखाओं के ब्यौरे ; और
- (ङ) प्रत्येक प्रधान के निमित्त प्राप्त किए गए या पूर्ति किए गए मालों या सेवाओं पर संदत्त कर।

(12) मालों का विनिर्माण करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मासिक उत्पादन लेखे रखेगा, जिनमें विनिर्माण में उपयोग की गई कच्ची सामग्रियों या सेवाओं के मात्रात्मक ब्यौरे तथा इस प्रकार विनिर्मित किए गए मालों के मात्रात्मक ब्यौरे, जिसके अंतर्गत उनकी छीजन और उप उत्पाद हैं, को दर्शित किया जाएगा।

(13) सेवाओं की पूर्ति करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति लेखाओं को रखेगा, जिसमें सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किए गए मालों के ब्यौरे उपयोग की गई इनपुट सेवाओं के ब्यौरे तथा पूर्ति की गई सेवाओं के ब्यौरे उपदर्शित होंगे।

(14) कार्य संविदा का निष्पादन करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कार्य संविदा के लिए निम्नलिखित को उपदर्शित करते हुए पृथक् लेखे रखेगा--

- (क) उन व्यक्तियों के नाम और पते, जिनके निमित्त कार्य संविदा का निष्पादन किया जाता है ;
- (ख) कार्य संविदा के निष्पादन के लिए प्राप्त मालों या सेवाओं का वर्णन, मूल्य और मात्रा (जहां लागू हों) ;
- (ग) कार्य संविदा के निष्पादन के लिए उपयोजित मालों या सेवाओं का वर्णन, मूल्य और मात्रा (जहां लागू हों) ;
- (घ) प्रत्येक कार्य संविदा के संबंध में प्राप्त संदाय के ब्यौरे ; और
- (ङ) उन पूर्तिकारों के नाम और पते, जिनसे उसने माल और सेवाएं प्राप्त की हैं।

(15) इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन अभिलेखों को इलैक्ट्रॉनिकी प्ररूप में रखा जाएगा और इस प्रकार रखे गए अभिलेखों को डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यमों से अधिप्रमाणित किया जाएगा।

(16) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा स्टॉक परिदान, आवक पूर्ति और जावक पूर्ति के संबंध में रखे गए लेखे, सभी बीजकों, पूर्ति बिलों, प्रत्यय और नामे टिप्पण का धारा 36 में यथा उपबंधित कालावधि के लिए परिरक्षण किया जाएगा और जहां ऐसे लेखों और दस्तावेजों का अनुरक्षण मैनुअल रूप से किया जा रहा है वहां उनको रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वर्णित कारबार के प्रत्येक संबंधित स्थान पर रखा जाएगा और वह कारबार के प्रत्येक संबंधित स्थान पर पहुंचनीय होंगे, जहां ऐसे लेखाओं और दस्तावेजों का अनुरक्षण डिजीटल रूप से किया जाता है।

(17) वाहक या समाशोधन और आग्रेषण अभिकर्ता की क्षमता में मालों की अभिरक्षा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निमित्त प्राप्तकर्ता को उनके परिदान या पारेषण के लिए उसके द्वारा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निमित्त हस्तालन किए गए ऐसे मालों के संबंध में सही और सत्य अभिलेख रखेगा तथा समुचित अधिकारी द्वारा जब और जहां अपेक्षा की जाए, उनके ब्यौरों को प्रस्तुत करेगा।

(18) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मांग किए जाने पर उन लेखा बहियों को प्रस्तुत करेगा जिनकी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रखे जाने की उससे अपेक्षा है।

#### 57. इलैक्ट्रानिकी अभिलेखों का सृजन और अभिरक्षण—

(1) अभिलेखों के समुचित इलैक्ट्रानिकी बैक-अप का अनुरक्षण और परिरक्षण ऐसी रीति में किया जाएगा कि ऐसे अभिलेखों के दुर्घटनाओं या प्राकृतिक कारणों से नष्ट हो जाने की दशा में सूचना को युक्तियुक्त कालावधि के भीतर पुनः बहाल किया जा सके।

(2) इलैक्ट्रानिकी अभिलेखों का अनुरक्षण करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मांग किए जाने पर उसके द्वारा सम्यक्तः अधिप्रमाणित सुसंगत अभिलेखों या दस्तावेजों को हार्ड कापी या किसी अन्य इलैक्ट्रानिकी रूप से पठनीय प्ररूप में प्रस्तुत करेगा।

(3) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लेखाओं और अभिलेखों का इलैक्ट्रानिकी रूप में भंडारण किया जाता है तो वह मांग किए जाने पर ऐसी फाइलों के पासवर्ड के ब्यौरों और पहुंच के लिए, जहां आवश्यक हो, इस्तेमाल किए गए कूटों के स्पष्टीकरण और किसी अन्य सूचना को, जो ऐसी पहुंच के लिए आवश्यक हो, के साथ ऐसी फाइलों में भंडारित सूचना की मुद्रित रूप में नमूना प्रति प्रस्तुत करेगा।

#### 58. गोदाम या भांडागार के स्वामी और परिवहनकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख—

(1) धारा 35 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अभिलेखों और लेखाओं का अनुरक्षण करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति, यदि पहले ही इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो वह अपने कारबार के संबंध में **प्ररूप जीएसटी इएनआर-01** सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से ब्यौरे प्रस्तुत करेगा और प्रस्तुत ब्यौरों के विधिमान्यकरण पर एक विशिष्ट नामांकन नंबर सृजित किया जाएगा तथा उक्त व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा।

(2) किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पूर्वोक्त उपनियम (1) के अधीन नामांकित व्यक्ति को राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में नामांकित समझा जाएगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपनियम (1) के अधीन नामांकित किया गया है, जहां अपेक्षित हो, **प्ररूप जीएसटी इएनआर-01** में प्रस्तुत ब्यौरों का सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से संशोधन करेगा।

(4) नियम 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) मालों के परिवहन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति परिवहन किए गए, परिदान किए गए और वहन के दौरान उसके द्वारा भंडारण किए गए मालों के अभिलेखों के साथ रजिस्ट्रीकृत पारेषक और पारेषिती का उसकी प्रत्येक शाखा में माल और सेवाकर पहचान नंबर के साथ अभिलेख रखेगा।

(ख) भांडागार या गोदाम का प्रत्येक स्वामी या प्रचालक उस अवधि के संबंध में, जिसमें भांडागार में विशिष्ट माल रहे, की लेखा बहियां रखेगा, जिसके अंतर्गत ऐसे मालों के पारेषण, संचलन, प्राप्ति और निपटान से संबंधित ब्यौरे हैं।

(5) गोदाम का स्वामी या प्रचालक मालों का भंडारण ऐसी रीति में करेगा कि उनकी मदवार या स्वामीवार पहचान की जा सके और मांग किए जाने पर उचित अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए किसी भौतिक सत्यापन को सुगम बनाएगा।

## अध्याय VIII

### विवरणियां

#### 59. जावक प्रदाय के ब्योरा को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति—

(1) एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे धारा 37 के अधीन मालों या सेवाओं की जावक प्रदाय या दोनों के ब्योरा प्रस्तुत करना अपेक्षित है, वह ऐसे ब्योरा को **प्ररूप जीएसटीआर-1** में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

(2) मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में प्रस्तुत ब्योरा में निम्नलिखित शामिल होंगे—

(क) निम्नलिखित के बीजक-वार ब्योरा —

- (i) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर राज्य और अंतःराज्य प्रदाय; और
- (ii) गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक बीजक मूल्य के साथ की गई अंतर राज्य संदाय ;

(ख) निम्नलिखित के समेकित ब्योरा --

- (i) प्रत्येक कर दर के लिए गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई अंतःराज्य संदाय ; और
- (ii) गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को दो लाख पचास हजार रुपए के बीजक मूल्य तक के लिये कर दर वार की गई राज्यवार अंतर राज्य संदाय ;

(ग) पूर्व के जारी बीजकों के लिए मास के दौरान जारी नामे पत्र और ज़मापत्र , यदि कोई हों।

(3) प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदाय के ब्योरा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संबंधित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (प्राप्तिकर्ताओं) को **प्ररूप जीएसटीआर-2क** में भाग क, **प्ररूप जीएसटीआर-4क** और **प्ररूप जीएसटीआर-6क** के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटीआर-1** दाखिल करने के लिए सम्यक तारीख के पश्चात उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) प्राप्तिकर्ता द्वारा धारा 38 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-2** या धारा 39 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-4** या **प्ररूप जीएसटीआर-6** में जोड़ी गई, सही की गई या लोप की गई आवक प्रदाय के ब्यौरों को प्रदायकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप में **प्ररूप जीएसटीआर-1क** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसा

प्रदायकर्ता प्राप्तिकर्ता द्वारा किए गए उपांतरणों को या तो स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा और प्रदायकर्ता द्वारा पहले प्रस्तुत **प्ररूप जीएसटीआर-1** उसके द्वारा स्वीकृत उपांतरणों के परिमाण तक संशोधित हो जाएगा।

#### 60. आवक प्रदाय के ब्योरा को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति—

(1) एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन किसी कर अवधि के दौरान प्राप्त मालों या सेवाओं या दोनों की आवक के ब्योरा प्रस्तुत करना अपेक्षित है, **प्ररूप जीएसटीआर-2क में** भाग क, भाग ख और भाग ग के अंतर्विष्ट ब्योरा के आधार पर ऐसे ब्योरा तैयार करेगा जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है और उन्हें ऐसी अन्य आवक प्रदाय के ब्योरा को सम्मिलित करके, यदि कोई हों, जिनकी धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, को सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप **जीएसटीआर-2 में** इलेक्ट्रॉनिक रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ब्योरा, यदि कोई हों, जिनकी **प्ररूप जीएसटीआर-2 में** इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारा 38 की उपधारा (5) के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, प्रस्तुत करेगा।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति आवक प्रदाय को, जिनके संबंध में वह या तो पूर्णतया या भागतः पात्र नहीं है, को **प्ररूप जीएसटीआर-2 में** इनपुट कर प्रत्यय के लिए विनिर्दिष्ट करेगा जहां ऐसी पात्रता का अवधारण बीजक स्तर पर किया जा सकता है।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति आवक प्रदाय, जो गैर-कराधेय प्रदाय से संबंधित हैं या कारबार से भिन्न प्रयोजनों के लिए हैं और जिनका **प्ररूप जीएसटीआर-2 में** बीजक स्तर पर अवधारण नहीं किया जा सकता है, पर अपात्र इनपुट कर प्रत्यय की मात्रा को घोषित करेगा।

4(क) किसी गैर-निवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा नियम 63 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-5 में** उसकी विवरणी के प्रस्तुत बीजकों के ब्योरा को **प्ररूप जीएसटीआर-2क में** भाग क में प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें **प्ररूप जीएसटीआर-2 में** सम्मिलित कर सकेगा।

(5) किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा नियम 65 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-6 में** उसकी विवरणी में प्रस्तुत बीजकों के ब्योरा को **प्ररूप जीएसटीआर-2क में** भाग ख में प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें **प्ररूप जीएसटीआर-2 में** सम्मिलित कर सकेगा।

(6) किसी स्रोत पर कटौतिकर्ता द्वारा धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-7 में** कटौती किए गए कर के ब्योरा को **प्ररूप जीएसटीआर-2क** के भाग ग में, जिसकी कटौती की गई है उसको सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें **प्ररूप जीएसटीआर-2 में** सम्मिलित कर सकेगा।



(7) किसी ई-कामर्स प्रचालक द्वारा धारा 52 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर- 8 में स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्योरा को प्ररूप जीएसटीआर-2क में भाग ग में संबंधित व्यक्ति को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उक्त प्राप्तिकर्ता उन्हें प्ररूप जीएसटीआर-2 में सम्मिलित कर सकेगा।

(8) प्ररूप जीएसटीआर-2 में प्रस्तुत मालों या सेवाओं या दोनों की आवक प्रदाय के ब्योरा में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

- (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों या गैर- रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त अंतर-राज्य और अंतःराज्य प्रदाय के बीजकवार ब्योरा ;
- (ख) मालों और सेवाओं के किए गए आयात ; और
- (ग) प्रदायकर्ता से प्राप्त नामे पत्र और ज़मापत्र , यदि कोई हो।

#### 61. मासिक विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति—

(1) एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या कोई इनपुट सेवा वितरक या गैर-निवासी कराधेय व्यक्ति या, यथास्थिति, धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट विवरणी प्ररूप जीएसटीआर-3 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन विवरणी के भाग क को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्ररूप जीएसटीआर-1, प्ररूप जीएसटीआर-2 के माध्यम से प्रस्तुत सूचना के आधार पर और पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए अन्य दायित्वों के आधार पर सृजित किया जाएगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर, ब्याज ,शास्ति, फीस या अधिनियम या इस अध्याय के नियमों के अधीन संदेय अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही को या इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही को नामे कर निर्वहन करेगा और विवरणी के भाग ख के प्ररूप जीएसटीआर-3 में ब्योरा को सम्मिलित करेगा।

(4) धारा 49 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही के किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रतिदाय का प्ररूप जीएसटीआर-3 में विवरणी के भाग ख में दावा कर सकेगा और ऐसी विवरणी को धारा 54 के अधीन दाखिल किया गया आवेदन समझा जाएगा।

(5) जहां धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 और धारा 38 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-2 में ब्योरा को प्रस्तुत करने की समय-सीमा का विस्तार किया गया है और परिस्थितियां इस प्रकार हैं तो प्ररूप जीएसटीआर-3 के स्थान पर प्ररूप जीएसटीआर-3ख के विवरणी को ऐसी रीति में एवं ऐसे शर्तों के अधीन प्रस्तुत किया जा सकेगा, जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाए।

**62. समिश्र प्रदायकर्ता द्वारा त्रैमासिक विवरणियों को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति—**

(1) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति **प्ररूप जीएसटीआर-4क में** अंतर्विष्ट ब्योरा के आधार पर और जहां अपेक्षित हो, ब्योरा में जोड़कर, उन्हें सही करके या उनका लोप करके **प्ररूप जीएसटीआर- 4में** इलेक्ट्रॉनिक रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर, ब्याज, शास्ति, फीस या अधिनियम या इस अध्याय के नियमों के अधीन संदेय किसी अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का निर्वहन इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही को नामे कर करेगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणी में निम्नलिखित शामिल होंगे—

(क) रजिस्ट्रीकृत और गैर- रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय के अंतर-राज्य और अंतःराज्य के बीजकवार ब्यौरें ;

(ख) की गई जावक प्रदाय के समेकित ब्यौरें ;

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने वर्ष के आरंभ से धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प लिया है, जहां अपेक्षित हो, उस अवधि से संबंधित आवक और जावक प्रदाय और नियम 59, नियम 60 और नियम 61 के अधीन विवरणी, जिसके दौरान वह व्यक्ति ऐसे ब्यौरे और विवरणियों को पश्चातवर्ती वर्ष के सितंबर मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक तारीख या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने की सम्यक तारीख, जो भी पूर्वतर हो, प्रस्तुत करने के लिए दायी था, प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए यह घोषित किया जाता है कि व्यक्ति प्रदायकर्ता से उसके द्वारा समिश्र स्कीम का विकल्प लेने से पूर्व अवधि के लिए बीजकों या नामे पत्र पर इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो स्वेच्छा द्वारा समिश्र स्कीम से हटने का विकल्प लेता है या जहां समुचित अधिकारी की पहल पर विकल्प को वापिस ले लिया जाता है वहां आवश्यकता होने पर धारा 9 के अधीन कर के संदाय के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-4 में** विकल्प लेने से पूर्व अवधि से उतरवर्ती वित्तीय वर्ष के सितंबर मास को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक तारीख या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक तारीख, जो भी पूर्वतर हो, तक के ब्योरा को प्रस्तुत करेगा।

**63. गैर-निवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति—**

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत गैर-निवासी कराधेय व्यक्ति सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटीआर-5** में विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसके अंतर्गत जावक प्रदाय और आवक प्रदाय के ब्योरा सम्मिलित हैं तथा वह कर, ब्याज, शास्ति, फीस या इस अधिनियम के अधीन या इस अध्याय के नियमों के अधीन संदेय किसी अन्य रकम का कर अवधि के अंत से 20 दिन के भीतर या रजिस्ट्रीकरण अवधि की विधिमान्यता के अंतिम दिन के पश्चात 7 दिन के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, संदाय करेगा।

**64. ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति—**

भारत से बाहर किसी स्थान से भारत के किसी व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति कलेंडर मास या उसके भाग के पश्चातवर्ती मास की 20 तारीख को या उससे पूर्व प्ररूप जीएसटीआर-5क में विवरणी दाखिल करेगा।

**65. इनपुट सेवा वितरक द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति—**

प्रत्येक इनपुट सेवा वितरक प्ररूप जीएसटीआर-6क में अंतर्विष्ट ब्योरा के आधार पर और जहां अपेक्षित हो, ब्योरा के जोड़ने के पश्चात सही करने या ब्योरा का लोप करने के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्ररूप जीएसटीआर-6 में विवरणी, जिसके कर बीजकों के ब्योरा अंतर्विष्ट होंगे, जिन पर प्रत्यय प्राप्त किया गया है तथा जिन्हें धारा 20 के अधीन जारी किया गया है, सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से विवरणी प्रस्तुत करेगा।

**66. ऐसे व्यक्ति से, जिससे स्रोत पर कर की कटौती करने की अपेक्षा है, द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति—**

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है (जिसे इसके पश्चात इस नियम में कटौतीकर्ता कहा गया है) प्ररूप जीएसटीआर-7 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत ब्योरा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग ग एवं प्ररूप जीएसटी टीआर-4क में प्रत्येक प्रदायकर्ता को और सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटीआर-4क के प्ररूप जीएसटीआर-7 दाखिल करने की सम्यक तारीख के पश्चात उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) धारा 51 की उपधारा (3) के निर्दिष्ट प्रमाणपत्र को, जिसकी कटौती की गई है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में सामान्य पोर्टल पर उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणी के आधार पर प्ररूप जीएसटीआर-7 क में उपलब्ध कराया जाएगा।

**67. ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से प्रदायों के विवरण को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति.-**

(1) धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहीत करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक या तो प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र से सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्ररूप जीएसटीआर-8 में विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें ऐसे प्रचालक के माध्यम से किए गए प्रदायों के ब्यौरे तथा धारा 52 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार संग्रहीत कर की रकम अन्तर्विष्ट होगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-8 में दाखिल किए जाने की देय तारीख के पश्चात् सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग ग में प्रत्येक प्रदायकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

**68. विवरणियों के दाखिल न करने वाले व्यक्तियों को सूचना.-**

प्ररूप जीएसटीआर-3क में सूचना ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की जाएगी जो धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 या 52 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है।

**69. इनपुट कर प्रत्यय के दावे का सुमेलीकरण.-**

आवक प्रदायों, जिनके अन्तर्गत धारा 41 के अधीन अनंतिम रूप से अनुज्ञात आयात भी हैं, पर इनपुट कर प्रत्यय के दावे से सम्बन्धित निम्नलिखित ब्यौरे, प्ररूप जीएसटीआर-3 में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख के पश्चात्, धारा 42 के अधीन सुमेलित होंगे-

- (क) प्रदायकर्ता की माल और सेवा कर पहचान संख्या;
- (ख) प्राप्तकर्ता की माल और सेवा कर पहचान संख्या;
- (ग) बीजक या नामे पत्र संख्या;
- (घ) बीजक या नामे पत्र तारीख; और
- (ङ) कर रकम:

परंतु जहां धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररूप जीएसटीआर-1 और धारा 38 के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररूप जीएसटीआर-2 को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बढ़ाई गई है वहां इनपुट कर प्रत्यय के दावे से सम्बन्धित सुमेलीकरण की तारीख भी तदनुसार बढ़ाई जाएगी:

परंतु यह और कि आयुक्त परिषद की सिफारिशों पर आदेश द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के दावे से सम्बन्धित सुमेलीकरण की तारीख को ऐसी तारीख तक बढ़ा सकेगा जो उसके विनिर्दिष्ट की जाए।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए यह घोषणा की जाती है कि-

- (i) प्ररूप जीएसटीआर-2 में उन बीजकों और नामे पत्र, जिन्हें संशोधन के बिना प्ररूप जीएसटीआर-2क के आधार पर प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया था, की बाबत इनपुट कर प्रत्यय का दावा सुमेलित माना जाएगा यदि तत्स्थानी प्रदायकर्ता ने विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत की है;
- (ii) इनपुट कर प्रत्यय का दावा यथा सुमेलित माना जाएगा जब दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम तत्स्थानी प्रदायकर्ता द्वारा ऐसे कर बीजक या नामे पत्र पर संदत्त आउटपुट कर के बराबर है या उससे कम।

**70. इनपुट कर प्रत्यय की अन्तिम स्वीकृति और उसकी संसूचना-**

- (1) धारा 42 की उप-धारा (2) के विनिर्दिष्ट किसी कर अवधि की बाबत इनपुट कर प्रत्यय के दावे की अन्तिम स्वीकृति सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जीएसटी एमआईएस-1 में ऐसा दावा करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
- (2) किसी कर अवधि की बाबत इनपुट कर प्रत्यय का दावा, जिसे बेमेल के रूप में संसूचित किया गया है किन्तु प्रदायकर्ता या प्राप्तकर्ता द्वारा परिशोधन के पश्चात्, सुमेलित पाया गया है, अन्तिम रूप से स्वीकार

किया जाएगा और सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जीएसटी एमआईएस-1 में ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

**71. इनपुट कर प्रत्यय के दावे की संसूचना और उसके विसंगति का परिशोधन तथा इनपुट कर प्रत्यय दावे का उलट दिया जाना:-**

- (1) धारा 42 की उप-धारा (3) के विनिर्दिष्ट किसी कर अवधि की बाबत इनपुट कर प्रत्यय के दावे के कोई विसंगति तथा ऐसी विसंगति के चालू रहने के कारण उक्त धारा की उप-धारा (5) के अधीन जोड़े जाने के लिए दायी आउटपुट कर के ब्यौरे प्ररूप जीएसटी एमआईएस-1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसा दावा करने वाले प्रासिकर्ता और प्ररूप जीएसटी एमआईएस-2 के इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदायकर्ता को सामान्य पोर्टल के माध्यम से उस मास, जिसमें सुमेलीकरण किया गया हो, की अन्तिम तारीख को या उससे पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
- (2) ऐसा कोई प्रदायकर्ता, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले जावक प्रदायों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।
- (3) ऐसा कोई प्रासिकर्ता, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले आवक प्रदायों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।
- (4) जहां विसंगति उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अधीन परिशोधित नहीं की जाती है, वहां विसंगति के विस्तार तक रकम उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के उत्तरवर्ती मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3 में प्रस्तुत की जाने वाली उसकी विवरणी में प्रासिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ी जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह घोषणा की जाती है कि-

- (i) किसी प्रदायकर्ता द्वारा परिशोधन से उसकी विधिमान्य विवरणी के जावक प्रदाय के ब्यौरों को जोड़ना या संशोधन करना अभिप्रेत है जिससे कि प्रासिकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी आवक प्रदाय के ब्यौरों को सुमेलित किया जा सके;
- (ii) किसी प्रासिकर्ता द्वारा परिशोधन से आवक प्रदाय के ब्यौरों का हटाया जाना या उन्हें संशोधित किया जाना अभिप्रेत है जिससे कि प्रदायकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी जावक प्रदाय के ब्यौरों को सुमेलित किया जा सके;

**72. एक बार से अधिक उसी बीजक पर इनपुट कर प्रत्यय का दावा:-**

आवक प्रदायों के ब्यौरों के इनपुट कर प्रत्यय के दावों का दो बार किया जाना सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी एमआईएस-1 में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा।

**73. आउटपुट कर दायित्व के कटौती के दावों का सुमेलीकरण:-**

आउटपुट कर दायित्व के कटौती के दावे से सम्बन्धित निम्नलिखित ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-3 में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख के पश्चात् धारा 43 के अधीन सुमेलित किए जाएंगे:-

- (क) प्रदायकर्ता की जीएसटीआर पहचान संख्या;

- (ख) प्राप्तिकर्ता की जीएसटीआर पहचान संख्या;
- (ग) जमा पत्र संख्या;
- (घ) जमा पत्र की तारीख; और
- (ङ) कर की रकम:

परंतु जहां धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 और धारा 38 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-2 को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बढ़ाई गई है वहां आउटपुट कर दायित्व के कटौती के दावे के सुमेलीकरण की तारीख तदनुसार बढ़ाई जाएगी:

परंतु यह और कि आयुक्त परिषद की सिफारिशों पर आदेश द्वारा आउटपुट कर दायित्व के दावे से सम्बन्धित सुमेलीकरण की तारीख को ऐसी तारीख तक बढ़ा सकेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए यह घोषणा की जाती है कि-

- (i) प्ररूप जीएसटीआर-1 में उन जमा पत्रों, जो प्ररूप जीएसटीआर-2 में बिना संशोधन के तत्स्थानी प्राप्तिकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए थे, के जारी किए जाने के कारण आउटपुट कर दायित्व के कटौती का दावा सुमेलित माना जाएगा यदि उक्त प्राप्तिकर्ता ने विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत की है।
- (ii) आउटपुट कर दायित्व के कटौती का दावा वहां सुमेलित समझा जाएगा जहां आउटपुट कर दायित्व की रकम दावा की गई कटौती को हिसाब के लेने के पश्चात्, उसकी विधिमान्य विवरणी के तत्स्थानी प्राप्तिकर्ता द्वारा ऐसे जमा पत्र पर स्वीकृत और उन्मोचित कटौती को हिसाब में लेने के पश्चात्, इनपुट कर दायित्व के दावे के बराबर है या उससे अधिक है।

#### 74. इनपुट कर प्रत्यय की अन्तिम स्वीकृति और उसकी संसूचना-

- (1) धारा 43 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी कर अवधि की बाबत आउटपुट कर दायित्व में कटौती के दावे के अन्तिम स्वीकृति सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जीएसटी एमआईएस-1 में ऐसा दावा करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।
- (2) किसी ऐसी कर अवधि की बाबत आउटपुट कर दायित्व के कटौती का दावा, जिसे बेमेले दावे के रूप में संसूचित किया गया था किन्तु प्रदायकर्ता या प्राप्तिकर्ता द्वारा परिशोधन के पश्चात् सुमेलित पाया गया है, अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाएगा और सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जीएसटी एमआईएस-1 में ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

#### 75. आउटपुट कर दायित्व की कटौती में विसंगति की संसूचना और उसका परिशोधन तथा कटौती के दावे का उलट दिया जाना:-

- (1) धारा 43 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट आउटपुट कर दायित्व के कटौती के दावे में कोई विसंगति और ऐसी विसंगति के चालू रहने के कारण उक्त धारा की उप-धारा (5) के अधीन जोड़े जाने वाले आउटपुट कर दायित्व ब्यौरे प्ररूप जीएसटी एमआईएस-1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसा दावा करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को और प्ररूप जीएसटी एमआईएस-2 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्तिकर्ता को सामान्य पोर्टल के माध्यम से उस मास, जिसमें सुमेलीकरण किया गया हो, की अन्तिम तारीख को या उससे पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

- (2) ऐसा कोई प्रदायकर्ता, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले जावक प्रदायों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।
- (3) ऐसा कोई प्राप्तिकर्ता, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास, जिसमें ऐसी विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले जावक प्रदायों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।
- (4) जहां विसंगति उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अधीन परिशोधित नहीं की जाती है, वहां विसंगति के विस्तार की रकम प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व के जोड़ी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर से विकलित की जाएगी तथा उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के उत्तरवर्ती मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3 में दर्शायी जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह घोषणा की जाती है कि-

- (i) किसी प्रदायकर्ता द्वारा परिशोधन से उसकी विधिमान्य विवरणी के जावक प्रदाय के ब्यौरों का हटाया जाना या संशोधन करना अभिप्रेत है जिससे कि प्राप्तिकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी जावक प्रदाय के ब्यौरों को सुमेलित किया जा सके;
- (ii) किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा परिशोधन से जावक प्रदाय के ब्यौरों का जोड़ा जाना या उन्हें संशोधित किया जाना अभिप्रेत है जिससे कि प्रदायकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी जावक प्रदाय के ब्यौरों को सुमेलित किया जा सके;

#### 76. एक बार से अधिक आउटपुट कर दायित्व के कटौती का दावा:-

जावक प्रदायों के ब्यौरों के आउटपुट कर दायित्व के कटौती के लिए दावों का दो बार किया जाना सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी एमआईएस-1 में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा।

#### 77. उलट दिए गए दावों का पुनः दावा करने पर संदत्त ब्याज का प्रतिदाय:-

धारा 42 की उप-धारा (9) या धारा 43 की उप-धारा (9) के अधीन प्रतिदाय किए जाने वाले ब्याज का दावा प्ररूप जीएसटीआर-3 में उसकी विवरणी में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और उसे प्ररूप जीएसटी पीएमटी-05 में उसके इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा किया जाएगा तथा जमा की गई रकम भविष्य में ब्याज के भुगतान के लिए उपलब्ध होगी या कराधेय व्यक्ति धारा 54 के अधीन रकम के प्रतिदाय का दावा कर सकेगा।

#### 78. प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों सहित ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों का सुमेलीकरण-

प्ररूप जीएसटीआर-8 में यथा घोषित ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से प्रदायों से सम्बन्धित निम्नलिखित ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रदायकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी ब्यौरों के साथ सुमेलित होंगे-

(क) प्रदाय के स्थान का राज्य; और

(ख) शुद्ध कराधेय मूल्य;

परंतु जहां धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बढ़ाई गई है वहां ऊपर उल्लेखित ब्यौरों के सुमेलीकरण की तारीख तदनुसार बढ़ाई जाएगी।

परंतु यह और कि आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, आदेश द्वारा सुमेलीकरण की तारीख को उस तारीख तक बढ़ा सकेगा जो इसके विनिर्दिष्ट की जाए।

#### 79. ई-वाणिज्य प्रचालक और प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों के विसंगति की संसूचना और उसका परिशोधन:-

- (1) प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों में कोई विसंगति और प्रदायकर्ता द्वारा घोषित विसंगति प्ररूप जीएसटी एमआईएस-3 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदायकर्ता को और प्ररूप जीएसटी एमआईएस-4 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-वाणिज्य प्रचालक को सामान्य पोर्टल पर उस मास, जिसमें सुमेलीकरण किया गया है, की अन्तिम तारीख को या उससे पहले उपलब्ध कराई जाएगी।
- (2) ऐसा प्रदायकर्ता, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास के लिए, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, प्रस्तुत किए जाने वाले जावक प्रदायों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।
- (3) कोई प्रचालक, जिसको उप-नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास के लिए, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।
- (4) जहां उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अधीन कोई विसंगति परिशोधित नहीं की जाती है, वहां विसंगति के विस्तार तक रकम उस मास, जिसमें विसंगति के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाते हैं, से उत्तरवर्ती मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3 में उसकी विवरणी में प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ी जाएगी और आउटपुट कर दायित्व में ऐसा परिवर्धन तथा उस पर संदेय ब्याज प्ररूप जीएसटी एमआईएस-3 में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदायकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी।

#### 80. वार्षिक विवरणी:-

- (1) इनपुट सेवा वितरक से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्ररूप जीएसटीआर-9 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा:
 

परंतु धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति प्ररूप जीएसटीआर-9 में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।
- (2) धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रह करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक प्ररूप जीएसटीआर-9 में उक्त धारा की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।
- (3) ऐसा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसकी किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आवर्त दो करोड़ रुपये से अधिक है, धारा 35 की उप-धारा (5) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अपने खातों को संपरीक्षित कराएगा और वह प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप



से प्ररूप जीएसटीआर-9 में संपरीक्षित वार्षिक लेखों तथा सम्यकतः प्रमाणित समाधान विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।

### 81. अन्तिम विवरणी.-

धारा 45 के अधीन अन्तिम विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्ररूप जीएसटीआर-10 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा।

### 82. विशिष्ट पहचान संख्या रखने वाले व्यक्तियों के आवक प्रदायों के ब्यौरे:-

- (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे विशिष्ट पहचान संख्या जारी की गई है और वह अपने आवक प्रदायों पर संदत्त करों के प्रतिदाय का दावा करता है, या तो प्रत्यक्षतः सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से ऐसे प्रतिदाय दावे के लिए आवेदन के साथ प्ररूप जीएसटीआर-11 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।
- (2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे संदत्त करों के प्रतिदाय से भिन्न प्रयोजनों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या जारी की गई है, कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों के ब्यौरे, जिनकी कोई प्ररूप जीएसटीआर-11 के उचित अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत करेगा।

### 83. माल और सेवा कर व्यवसायी से सम्बन्धित उपबंध:-

(1) प्ररूप जीएसटी पीसीटी-01 के आवेदन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशन के लिए या तो प्रत्यक्षतः सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकेगा जो -

- (क) (i) भारत का नागरिक है;
- (ii) स्वस्थ चित्त का व्यक्ति है;
- (iii) दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत नहीं है;
- (iv) सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया है:-

(ख) जो किन्हीं निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, अर्थात्:-

- (i) वह किसी राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, भारत सरकार का सेवानिवृत्त अधिकारी है, जो सरकार के अधीन अपनी सेवा के दौरान, दो वर्ष से अन्यून अवधि तक समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से अनिम्नतर पंक्ति के पद पर कार्य कर चुका था; या
- (ii) उसे पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन विक्रय कर व्यवसायी या कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में अभ्यावेशित किया गया है;

(ग) उसने-

- (i) स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित भारतीय विश्वविद्यालय से वाणिज्य, विधि,

बैंककारी, जिसके अन्तर्गत उच्चतर लेखा परीक्षा या व्यवसाय प्रशासन या व्यवसाय प्रबंधन भी है, के डिग्री रखता हो;

- (ii) किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री परीक्षा, जो उप-खंड (i) के उल्लिखित डिग्री परीक्षा के समतुल्य है, उत्तीर्ण की हो; या
- (iii) इस प्रयोजन के लिए परिषद की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो; या
- (iv) जिसने निम्नलिखित परीक्षाओं के से कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अर्थात्:-
  - (क) भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान की अन्तिम परीक्षा; या
  - (ख) भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की अन्तिम परीक्षा; या
  - (ग) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान की अन्तिम परीक्षा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर, इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, या तो आवेदक को माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशित करेगा और प्ररूप जीएसटी पीसीटी-02 में उस आशय का प्रमाणपत्र जारी करेगा या जहां यह पाया जाता है कि आवेदक माल या सेवा कर व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशित किए जाने के लिए अर्हित नहीं है वहां उसके आवेदन को नामंजूर करेगा।

(3) उप-नियम (2) के अधीन किया गया अभ्यावेशन उसके रद्द किए जाने तक विधिमान्य होगा:

परंतु माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशित कोई व्यक्ति अभ्यावेशित बने रहने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ऐसी अवधियों के और ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो परिषद की सिफारिश पर आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाएं, संचालित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है:

परंतु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिस पर उप-धारा (1) के खंड (ग) के उपबंध लागू होते हैं, अभ्यावेशित बने रहने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह नियत तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है।

(4) यदि कोई माल और सेवा कर व्यवसायी इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध के अवचार का दोषी पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसे अवचार के विरुद्ध उसे प्ररूप जीएसटी पीसीटी-03 में कारण बताने की सूचना देने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी पीसीटी-04 में आदेश द्वारा उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् यह निदेश दे सकेगा कि वह अब से आगे माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए धारा 48 के अधीन निरर्हित होगा।

(5) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उप-नियम (4) के अधीन आदेश किया जाता है, ऐसे आदेश के जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध आयुक्त को अपील कर सकेगा।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने विकल्प पर, प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05 में सामान्य पोर्टल पर किसी माल और सेवा कर व्यवसायी को प्राधिकृत कर सकेगा या, किसी भी समय, प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05 में ऐसे प्राधिकार को वापस ले सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत माल और सेवा कर व्यवसायी ऐसे कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो प्राधिकार की अवधि के दौरान उक्त प्राधिकार के उपदर्शित हो।

(7) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण उसके द्वारा प्राधिकृत माल और सेवा कर व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वहां पुष्टि, ई-मेल या एसएमएस पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से मांगी जाएगी और माल और सेवा कर व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरण सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा:

परंतु जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे विवरण के प्रस्तुत किए जाने की अन्तिम तारीख तक पुष्टि के लिए किए गए अनुरोध का उत्तर देने में असफल रहता है वहां यह समझा जाएगा कि उसने माल और सेवा कर व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरण की पुष्टि कर दी है।

(8) माल और सेवा कर व्यवसायी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से किन्हीं या सभी निम्नलिखित क्रिया-कलापों को आरम्भ कर सकता है, यदि उसे निम्नलिखित को करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो-

- (क) जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करना;
- (ख) मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या अन्तिम विवरणी प्रस्तुत करना;
- (ग) इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते के प्रत्यय के लिए निक्षेप करना;
- (घ) प्रतिदाय के लिए दावा दाखिल करना; और
- (ङ) रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए आवेदन दाखिल करना:

परंतु जहां प्रतिदाय के लिए दावे से सम्बन्धित कोई आवेदन या रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए कोई आवेदन रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत माल और सेवा कर व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किया गया है वहां पुष्टि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से मांगी जाएगी और उक्त व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत आवेदन सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा तथा ऐसे आवेदन पर तब तक अगली कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके लिए अपनी सहमति नहीं दे देता है।

(9) माल और सेवा कर व्यवसायी के माध्यम से अपनी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विकल्प देने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति-

- (क) किसी माल और सेवा कर व्यवसायी को उसकी विवरणी तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05 में अपनी सहमति देगा;
- (ख) माल और सेवा कर व्यवसायी द्वारा तैयार किए गए किसी विवरण के प्रस्तुतिकरण को पुष्ट करने से पहले सुनिश्चित करेगा कि विवरणी में उल्लिखित तथ्य सत्य और सही हैं।

(10) माल और सेवा कर व्यवसायी-

- (क) सम्यक तत्परता के साथ विवरण तैयार करेगा; और
- (ख) उसके द्वारा तैयार किए गए विवरणों पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर करेगा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने प्रत्यायक का प्रयोग करते हुए सत्यापित करेगा।

(11) किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अभ्यावेशित माल और सेवा कर व्यवसायी को उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अभ्यावेशित के रूप में समझा जाएगा।

#### 84. हाजिरी के प्रयोजनों के लिए शर्तें-

(1) कोई व्यक्ति किसी प्राधिकारी के समक्ष किसी रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में उपस्थित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह नियम 83 के अधीन अभ्यावेशित नहीं कर दिया गया हो।

(2) किसी प्राधिकारी के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने वाला माल और सेवा कर व्यवसायी ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05 में ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए प्राधिकार की प्रति, यदि अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।

## अध्याय-IX

### कर का संदाय

#### 85. इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर:-

(1) धारा 49 की उप-धारा (7) के अधीन विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर सामान्य पोर्टल पर कर, ब्याज, शास्ति, विलम्ब फीस या कोई अन्य रकम का संदाय करने के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्ररूप वस्तु और सेवा कर पीएमटी-01 में बनाया रखा जाएगा और उसके द्वारा संदेय सभी रकमें उक्त रजिस्टर में से विकलित की जाएंगी।

(2) व्यक्ति के विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में से निम्नलिखित विकलित किया जाएगा-

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार कर, ब्याज, विलम्ब फीस के लिए संदेय कोई रकम या संदेय कोई अन्य रकम;

(ख) अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुसरण में उचित अधिकारी द्वारा यथा अवधारित या उक्त व्यक्ति द्वारा यथा अभिनिश्चित संदेय कर, ब्याज, शास्ति की रकम या कोई अन्य रकम;

(ग) धारा 42 या धारा 43 या धारा 50 के अधीन वेमेल के परिमाणस्वरूप संदेय कर और ब्याज की रकम;

(घ) ब्याज की कोई ऐसी रकम, जो समय-समय पर देय हो।

(3) धारा 49 के उपबंधों के अधीन, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसकी विवरणी के अनुसार प्रत्येक दायित्व का संदाय नियम 86 के अनुसार रखे गए इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता या नियम 87 के अनुसार रखे गए इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता में से विकलित करके किया जाएगा और तदनुसार उसे इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा किया जाएगा।

(4) धारा 51 के अधीन कटौती की गई रकम या धारा 52 के अधीन संग्रहित रकम या प्रतिलोम भार आधार पर संदेय रकम या धारा 10 के अधीन संदेय रकम, इस अधिनियम के अधीन ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य रकम नियम 87 के अनुसार रखे गए इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में से विकलित करके संदत्त की जाएगी और तदनुसार उसे इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा किया जाएगा।

(5) इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में से विकलित कोई रकम अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए राहत की सीमा तक घटा दी जाएगी और तदनुसार इलेक्ट्रॉनिक कर दायित्व रजिस्टर में जमा की जाएगी।

(6) अधिरोपित या अधिरोपित किए जाने के लिए दायी शास्ति की रकम, यथास्थिति, अंशतः या पूर्णतः घटा दी जाएगी, यदि कराधेय व्यक्ति कारण बताओ सूचना या मांग आदेश में विनिर्दिष्ट कर, ब्याज और शास्ति का संदाय करता है और उसे तदनुसार इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा किया जाएगा।

(7) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने इलेक्ट्रॉनिक दायित्व खाते में किसी विसंगति के दिखाई पड़ने पर उसे प्ररूप वस्तु और सेवा कर पीएमटी-04 में सामान्य पोर्टल के माध्यम से मामले में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी को संसूचित करेगा।

**86. इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता:-**

- (1) इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता सामान्य पोर्टल पर अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए प्ररूप वस्तु और सेवा कर पीएमटी-02 में बनाया रखा जाएगा और इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का प्रत्येक दावा उक्त खाते में जमा किया जाएगा।
- (2) इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता धारा 49 के उपबंधों के अनुसार किसी दायित्व के अदायगी की सीमा तक विकलित किया जाएगा।
- (3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने धारा 54 के उपबंधों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते से किसी अप्रयुक्त रकम के प्रतिदाय का दावा किया है वहां दावे की सीमा तक रकम उक्त रजिस्टर में विकलित की जाएगी।
- (4) यदि इस प्रकार फाइल किया गया प्रतिदाय, पूर्णतः या अंशतः अस्वीकार कर दिया जाता है, अस्वीकृति की सीमा तक उप-नियम (3) के अधीन विकलित रकम प्ररूप वस्तु और सेवा कर पीएमटी-03 में किए गए आदेश द्वारा समुचित अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में पुनः जमा की जाएगी।
- (5) इस अध्याय के नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, किन्हीं भी परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में प्रत्यक्षतः कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी।
- (6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में कोई विसंगति दिखाई पड़ने पर, उसे प्ररूप वस्तु और सेवा कर पीएमटी-04 में सामान्य पोर्टल के माध्यम से मामले में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी को संसूचित करेगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिदाय नामंजूर समझा जाएगा, यदि अपील अन्तिम रूप से नामंजूर कर दी जाती है या यदि दावाकर्ता उचित अधिकारी को एक वचन दे देता है कि वह अपील फाइल नहीं करेगा।

**87. इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता:-**

- (1) धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता सामान्य पोर्टल पर प्ररूप वस्तु और सेवा कर पीएमटी-05 में कर, ब्याज, शास्ति, विलम्ब फीस या किसी अन्य रकम का संदाय करने के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जमा की गई रकम को क्रेडिट करने और कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए उससे संदाय को विकलित करने के लिए रखा जाएगा।
- (2) कोई व्यक्ति या उसकी ओर से कोई व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर प्ररूप वस्तु और सेवा कर पीएमटी-06 में चालान तैयार करेगा और कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए उसके द्वारा जमा की जाने वाली रकम के ब्यौरे प्रविष्ट करेगा।
- (3) उप-नियम (2) के अधीन निक्षेप निम्नलिखित ढंगों में से किसी ढंग के माध्यम से किया जाएगा, अर्थात्:-

प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग;

प्राधिकृत बैंक के माध्यम से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड;

किसी बैंक से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या वास्तविक समय सकल परि-निर्धारण;

नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा चालान, प्रति कर अवधि दस हजार रुपए तक निक्षेपों के लिए प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से काउंटर संदाय पर:

परंतु काउंटर संदाय पर के मामले में प्रति चालान दस हजार रुपये तक निक्षेप के लिए निर्बंधन निम्नलिखित द्वारा किए जाने वाले निक्षेप को लागू नहीं होगा:-

- (क) सरकारी विभागों या व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला कोई अन्य निक्षेप, जो इस निमित्त आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए;
- (ख) किसी व्यक्ति से, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, बकाया देय राशि, जिनके अन्तर्गत चल या अचल संपत्तियों की कुर्की या विक्रय के माध्यम से की गई वसूली भी है, के लिये उचित अधिकारी या कोई प्राधिकृत अन्य अधिकारी-
- (ग) किसी अन्वेषण या प्रवर्तन क्रिया-कलाप के दौरान नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संगृहीत रकमों के लिए या किसी तदर्थ निक्षेप के लिए उचित अधिकारी या कोई प्राधिकृत अन्य अधिकारी:

परंतु यह कि सामान्य पोर्टल पर तैयार किए गए **प्ररूप वस्तु और सेवा कर पीएमटी-06** में चालान पन्द्रह दिन की अवधि के लिए वैध होगा।

स्पष्टीकरण: इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि चालान में उपदर्शित किसी रकम का संदाय करने के लिए, ऐसे संदाय की बाबत संदेय कमीशन, यदि कोई हो, ऐसा संदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा।

- (4) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किया जाने वाला अपेक्षित संदाय सामान्य पोर्टल के माध्यम से तैयार किए गए अस्थायी पहचान संख्या के आधार पर किया जाएगा।
- (5) जहां संदाय किसी बैंक से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या वास्तविक समय सकल निपटान ढंग के माध्यम से किया जाता है वहां मैडेट फॉर्म सामान्य पोर्टल पर चालान के साथ तैयार किया जाएगा और उसे उस बैंक को, जहां से संदाय किया जाना है, प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु मैडेट फॉर्म चालान सृजित किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के लिए वैध होगा।

- (6) प्राधिकृत बैंकों में संधारित सम्बद्ध सरकारी खाते में रकम के सफल प्रत्यय पर, चालान पहचान संख्या संग्राही बैंक द्वारा तैयार की जाएगी और उसे चालान में उपदर्शित किया जाएगा।
- (7) संग्राही बैंक से चालान पहचान संख्या के प्राप्त हो जाने पर उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा कर दी जाएगी जिसकी ओर से निक्षेप किया गया है और सामान्य पोर्टल इस आशय की रसीद उपलब्ध कराएगा।

- (8) जहां सम्बद्ध व्यक्ति या उसकी ओर से जमा करने वाले व्यक्ति का बैंक खाते में से विकलन किया जाता है किन्तु कोई चालान पहचान संख्या तैयार नहीं की जाती है या तैयार की जाती है किन्तु सामान्य पोर्टल को संसूचित नहीं की जाती है तो वहां उक्त व्यक्ति सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप वस्तु और सेवा कर पीएमटी-07 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैंक या इलेक्ट्रॉनिक गेटवे को अभ्यावेदन कर सकेगा जिसके माध्यम से निक्षेप की पहल की गई थी।
- (9) धारा 51 के अधीन कटौती की गई या धारा 52 के अधीन संग्रहीत की गई और ऐसे रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति से, जिससे, यथास्थिति, उक्त रकम की कटौती की गई थी या संग्रहीत की गई थी, **प्ररूप वस्तु और सेवा कर विवरणी-02** में दावा की गई कोई रकम नियम 86 के उपबंधों के अनुसार उसके इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा की जाएगी।
- (10) जहां किसी व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से किसी रकम के प्रतिदाय का दावा किया है, वहां उक्त रकम इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में से विकलित की जाएगी।
- (11) यदि इस प्रकार दावा किया गया प्रतिदाय पूर्णतः या अंशतः नामंजूर कर दिया जाता है तो उप-नियम (10) के अधीन विकलित रकम अस्वीकृति की सीमा तक **प्ररूप वस्तु और सेवा कर पीएमटी-03** में किए गए आदेश द्वारा समुचित अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा की जाएगी।
- (12) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में कोई विसंगति दिखाई पड़ने पर, उसे प्ररूप वस्तु और सेवा कर पीएमटी-04 में सामान्य पोर्टल के माध्यम से मामले में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी को संसूचित करेगा।

स्पष्टीकरण 1: प्रतिदाय नामंजूर किया हुआ समझा जाएगा यदि अपील को अन्तिम रूप से नामंजूर कर दिया जाता है।

स्पष्टीकरण 2: इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिदाय को नामंजूर किया हुआ समझा जाएगा, यदि अपील को अन्तिम रूप से नामंजूर कर दिया जाता है या यदि दावेदार समुचित अधिकारी को वचन देता है कि वह अपील फाइल नहीं करेगा।

#### 88. प्रत्येक संव्यवहार के लिए पहचान संख्या.-

- (1) विशिष्ट पहचान संख्या, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद या प्रत्यय खाते में प्रत्येक विकलन या प्रत्यय के लिए सामान्य पोर्टल पर तैयार की जाएगी।
- (2) किसी दायित्व की अदायगी से सम्बन्धित विशिष्ट पहचान संख्या इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में तत्स्थानी प्रविष्टि में उपदर्शित की जाएगी।
- (3) विशिष्ट पहचान संख्या उप-नियम (2) के अन्तर्गत आने वाले कारणों से भिन्न कारणों के लिए इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में प्रत्येक प्रत्यय के लिए सामान्य पोर्टल पर तैयार की जाएगी।

**अध्याय-10****प्रतिदाय****89. कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के प्रतिदाय के लिए आवेदन.-**

(1) कोई व्यक्ति (धारा 55 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के सिवाय) जो किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उसके द्वारा संदत्त किसी अन्य रकम के प्रतिदाय का दावा करता है, भारत के बाहर निर्यात किए गए माल पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय को छोड़कर, या तो प्रत्यक्षतः सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन दाखिल कर सकेगा:

परंतु धारा 49 की उप-धारा (6) के उपबंधों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में अतिशेष से सम्बन्धित प्रतिदाय के लिए कोई दावा, यथास्थिति, प्ररूप जीएसटीआर-3 या प्ररूप जीएसटीआर-4 या प्ररूप जीएसटीआर-7 में सुसंगत कर अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी के माध्यम से किया जा सकेगा:

परंतु यह भी कि विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को प्रदायों की बाबत, प्रतिदाय के लिए आवेदन-

(क) जोन के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा यथा पृष्ठांकित प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए विशेष आर्थिक जोन में ऐसे माल को पूर्णतया स्वीकार किए जाने के पश्चात् माल के प्रदायकर्ता द्वारा;

(ख) जोन के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा यथा पृष्ठांकित प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए सेवाओं की प्राप्ति के बारे में ऐसे साक्ष्य के साथ सेवाओं के प्रदायकर्ता द्वारा दाखिल किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि निर्यात के रूप में समझे जाने वाले प्रदाय के बाबत, आवेदन निर्यात समझे जाने वाले प्रदाय के प्राप्तकर्ता द्वारा दाखिल किया जाएगा:

परन्तु यह भी कि किसी रकम का प्रतिदाय, रजिस्ट्रेशन के समय धारा 27 के अधीन उसके द्वारा जमा किए गए अग्रिम कर में से आवेदक द्वारा संदेय कर के समायोजन के पश्चात् उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित अंतिम विवरणी में दावा की जाएगी।

(2) उप नियम(1) के अधीन आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्यों, जो लागू हों, यह स्थापित करने के लिए कि आवेदक को प्रतिदाय देय है, में से किसी के साथ, होगा:-

क) आदेश की निर्देश संख्या और प्रतिदाय के रूप में दावा की गई धारा 107 की उप धारा (6) और धारा 112 की उप धारा(8) में विनिर्दिष्ट रकम के संदाय की निर्देश संख्या या ऐसी प्रतिदाय जो समुचित अधिकारी या किसी अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण या न्यायालय के आदेश के परिणामिक हो, द्वारा पारित आदेश की प्रति;



ख) ऐसा कथन जिसमें संख्या और पोत पत्र की तारीख या निर्यात पत्र और सुसंगत निर्यात बीजक की संख्या तथा तारीख होगी, उस दशा में जहां माल के निर्यात के संबंध में प्रतिदाय है;

ग) ऐसा कथन जिसमें बीजक की संख्या और तारीख तथा यथा स्थिति सुसंगत बैंक वसूली प्रमाण पत्र या विदेश आवक विप्रेषणादेश प्रमाण पत्र हैं, उस दशा में जहां प्रतिदाय सेवाओं के निर्यात के लिए है;

घ) ऐसा कथन जिसमें नियम 46 में यथा प्रदत्त बीजक की संख्या और तारीख उप धारा(1) के द्वितीयक परन्तुक में विनिर्दिष्ट पृष्ठांकन के संबंध में साक्ष्य के साथ है उस दशा में जहां विशेष आर्थिक जोन ईकाई या किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को माल के प्रदाय के लिए है; (ड) ऐसा कथन जिसमें बीजक की संख्या और तारीख, उप नियम (1) के द्वितीय परन्तुक में विनिर्दिष्ट के पृष्ठांकन के विषय में साक्ष्य तथा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अधीन यथापरिभाषित प्राधिकृत प्रचालकों के लिए प्रदायकर्ता के प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए संदाय का ब्यौरा उसके सबूत के साथ, उस दशा में जहां प्रतिदाय विशेष आर्थिक जोन ईकाई या किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को सेवाओं के प्रदाय के लिए है;

च) इस आशय की घोषणा कि विशेष आर्थिक जोन ईकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता ने माल या सेवाओं या दोनों के संदायकर्ता द्वारा भुगतित कर का इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त नहीं किया है, उस दशा में प्रतिदाय जहां विशेष आर्थिक जोन ईकाई या किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को माल या सेवाओं के प्रदाय के लिए है;

(छ) ऐसा कथन जिसमें बीजक की संख्या और तारीख इस निमित्त अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे अन्य साक्ष्य के साथ है, उस दशा में जहां प्रतिदाय निर्यात समझे जाने वाले के बाबत है;

(ज) **प्ररुप जीएसटी आरएफडी-01** के अनुलग्नक-1 में कोई कथन जिसमें प्राप्त तथा कर अवधि के दौरान जारी बीजकों की संख्या और तारीख है, उस दशा में जहां दावा धारा 54 की उप धारा (3) के अधीन किसी अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के संबंध में है और जहां प्रत्यय शून्य दर या पूर्णतः छूट प्राप्त प्रदायों से भिन्न है निर्गम प्रदाय पर कर की दर से उच्चतर होने के कारण इनपुट पर कर की दर के लेखा के संबंध में संचित किए जा चुके है;

(झ) अंतिम निर्धारण आदेश की निर्देश संख्या और उक्त आदेश की प्रति उस दशा में जहां प्रतिदाय औपबंधिक निर्धारण को अंतिम रूप देने के संबंध में उत्पन्न होता है;

(ञ) राज्यान्तर्गत प्रदाय के रूप में समझे गए संव्यवहारों के ब्योरो को दर्शित करता हुआ ऐसा कथन जो पश्चातवर्ती रूप से अंतर-राज्य प्रदाय माना गया है ;

(ट) ऐसा कथन जो कर के अधिक संदाय के संबंध में दावे की रकम के ब्योरे प्रदर्शित करता हो ;

(ठ) इस आशय की घोषणा कि कर का भार, ब्याज या प्रतिदाय के रूप में दावा की गई कोई अन्य रकम किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी गई है, उस दशा में जहां प्रतिदाय की रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं है ;

परंतु यह कि घोषणा धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या (घ) या खंड (च) के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में की जानी अपेक्षित नहीं है ;

(ड) प्रारूप जीएसटी आरएफडी - 01 के अनुलग्नक -2 में प्रमाण-पत्र जो किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट या कास्ट एकाउंटेंट द्वारा इस आशय में जारी किया जाएगा कि कर का भार, ब्याज या प्रतिदाय के रूप में दावा की गई अन्य कोई रकम किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी गई है उस दशा में जहां दावा किए गए प्रतिदाय की रकम दो लाख रुपए से अधिक हो;

परंतु यह कि घोषणा धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या (घ) या खंड (च) के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में की जानी अपेक्षित नहीं है ;

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए -

- (i) धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रतिदाय की दशा में पद "बीजक" से धारा 31 के उपबंधों को पुष्ट करने वाला बीजक अभिप्रेत है ;
- (ii) जहां कर की रकम प्राप्तकर्ता से वसूल की जा चुकी है तो यह समझा जाएगा कि कर का भार वास्तविक उपभोक्ता पर चला गया है ।

(3) जहां आवेदन इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय से संबंधित है वहां इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही ऐसे दावा किए गए प्रतिदाय की रकम के बराबर आवेदक द्वारा नामे किया जाएगा ।

(4) माल या सेवा या दोनों के शून्य-दर प्रदाय की दशा में समेकित माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में बचन-पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय के बिना इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार प्रदान किया जाएगा ।

प्रतिदाय रकम = (माल के शून्य दर प्रदाय का व्यापार आवर्त + सेवा के शून्य दर प्रदाय का व्यापार आवर्त) x सकल आई टी सी ÷ समायोजित कुल व्यापार आवर्त  
जहां :

- (अ) "प्रतिदाय रकम" से अधिकतम प्रतिदाय जो अनुज्ञेय है, अभिप्रेत है ;
- (आ) "शुद्ध आईटीसी" से सुसंगत अवधि के दौरान निवेश और आवक सेवाओं पर लिया गया इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है ;
- (इ) "माल के शून्य दर प्रदाय का टर्नओवर" से बचन-पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए माल के शून्य दर प्रदाय का मूल्य अभिप्रेत है ;
- (ई) सेवा के शून्य दर प्रदाय का व्यापारआवर्त" से बचन-पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए सेवा के शून्य दर प्रदाय का मूल्य अभिप्रेत है जो निम्नलिखित रीति में संगणित किया जाएगा अर्थात्,

"सेवा के शून्य दर प्रदाय, सेवा के शून्य दर प्रदाय के लिए सुसंगत अवधि के दौरान प्राप्त किए गए संदायों का योग है और सेवा के शून्य दर प्रदाय जहां प्रदाय पूरा किया जा चुका है जिसके लिए संदाय अग्रिम में

किसी अवधि के पूर्व सेवा के शून्य दर प्रदाय के लिए प्राप्त अग्रिमों द्वारा सुसंगत अवधि के लिए कटौती की जा चुकी है जिसके लिए सेवा का प्रदाय उस सुसंगत अवधि के दौरान पूरा नहीं किया गया है;

(3) "समायोजित कुल व्यापारआवर्त" से धारा 2 की उपधारा (112) के अधीन यथा परिभाषित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सुसंगत अवधि के दौरान शून्य दर प्रदायों से भिन्न छूट प्रदायों के मूल्य को छोड़कर व्यापारआवर्त अभिप्रेत है ;

(ऊ) "सुसंगत अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए दावा किया गया है ।

(5) विपरीत शुल्क ढांचा के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार प्रदान किया जाएगा

अधिकतम प्रतिदाय रकम : [माल की विपरीत दर प्रदाय का व्यापारआवर्त x शुद्ध आईटीसी ÷ समायोजित कुल व्यापारआवर्त] –माल के ऐसे विपरीत दर प्रदाय पर कराधेय कर ।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए पद "शुद्ध आईटीसी और समायोजित कुल व्यापारआवर्त" से वह अर्थ समनुदेशित है जो उपनियम (4) में उनके लिए हैं।

#### 90. पावती--

(1) जहां आवेदन इलैक्ट्रानिक नकद बही से प्रतिदाय के लिए दावे से संबंधित है वहां एक **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-02** में पावती सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें प्रतिदाय के लिए दावे को फाईल करने की तारीख स्पष्ट रूप से इंगित की जाएगी और धारा 54 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट समय अवधि दाखिल करने की ऐसी तारीख से गिनी जाएगी ।

(2) ऐसा प्रतिदाय के लिए आवेदन जो इलैक्ट्रानिक नकद बही से प्रतिदाय के लिए दावे से भिन्न है समुचित अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा जो उक्त आवेदन के दाखिल करने की 15 दिन की अवधि में इसकी पूर्णता के लिए आवेदन की संवीक्षा करेगा और जहां नियम 89 में उपनियम (2) (3) और (4) की शर्तों के अनुसार पूर्ण पाया जाता है तो **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-02** में एक पावती आवेदक को सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी जाएगी जिसमें प्रतिदाय का दावा दाखिल करने की तारीख स्पष्ट रूप से इंगित की जाएगी और धारा 54 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट अवधि का समय दाखिल करने की ऐसी तारीख से गिना जाएगा ।

(3) जहां कोई कमियां संज्ञान में आई है वहां समुचित अधिकारी आवेदक को **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-03** में सामान्य पोर्टल से इलैक्ट्रानिक माध्यम से कमियों को संसूचित करेगा, ऐसी कमियों को सुधारने के बाद नए प्रतिदाय आवेदन को दाखिल करने की उससे अपेक्षा करेगा ।

(4) जहां कमियां **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-03** में केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम के अधीन संसूचित की जा चुकी है वहां उनको उपधारा (3) के अधीन संसूचित कमियों सहित इस नियम के अधीन भी संसूचित किया समझा जाएगा ।

**91. औपबंधिक प्रतिदाय को प्रदान करना--**

(1) धारा 54 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार औपबंधिक प्रतिदाय इस शर्त के अधीन प्रदान किया जाएगा कि प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति कर अवधि जिससे संबंधित प्रतिदाय का दावा किया है का तुरंत पूर्ववर्ती पांच वर्ष की किसी अवधि के दौरान इस अधिनियम या ऐसे किसी विद्यमान विधि के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया गया है और जहां कर का अपवंचन दो सौ पचास लाख रुपए से अधिक है।

(2) समुचित अधिकारी दावा और उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों की संविक्षा के पश्चात तथा प्रथमदृष्टया यह समाधान हो जाने पर कि उपनियम (1) के अधीन प्रतिदाय के रूप में दावा की गई रकम और धारा 54 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में आवेदक को देय है, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-04 में नियम 90 के उपनियम (1) और (2) के अधीन पावती की तारीख से सात दिन से अनधिक अवधि में औपबंधिक आधार पर उक्त आवेदक को देय प्रतिदाय की रकम की मंजूरी का आदेश करेगा।

(3) समुचित अधिकारी उपनियम (2) के अधीन मंजूर रकम के लिए प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में संदाय सूचना जारी करेगा और उसको उसके रजिस्ट्रेशन विशिष्टियों में निर्दिष्ट तथा प्रतिदाय के लिए आवेदन में यथा विनिर्दिष्ट आवेदक के किसी बैंक खाते में इलैक्ट्रानिक रूप से प्रत्यय करेगा।

**92. प्रतिदाय मंजूरी आदेश --**

(1) जहां आवेदन की जाँच करने पर समुचित अधिकारी को समाधान हो जाता है कि धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन प्रतिदाय देय है और आवेदक को भुगतनेय है ; तो वह प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में प्रतिदाय की रकम जिसका वह हकदार है की मंजूरी का आदेश, उस रकम का उल्लेख करते हुए करेगा, यदि कोई, धारा 54 की उपधारा (6) के अधीन औपबंधिक आधार पर उसको प्रतिदाय किया जा चुका है तो अधिनियम या अन्य किसी विद्यमान विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्ध रकम समायोजित की जाएगी और शेष रकम प्रतिदाय योग्य होगी :

परंतु यहकि उस दशा में जहां प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम या अन्य किसी विद्यमान विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्ध पूर्णतः समायोजित हो गई है तो समायोजन के ब्यौरे का आदेश प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07 के भाग क में जारी किया जाएगा।

(2) जहां समुचित अधिकारी या आयुक्त की राय, में धारा 54 की उपधारा (10) या उपधारा (11), जैसा मामला हो, के प्रावधानों के अधीन प्रतिदाय की रकम रोक लेने योग्य है तो वह प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07 के भाग ख में प्रतिदाय की रकम रोक लेने के कारणों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित कर आवेदक को सूचित करेगा।

(3) जहां समुचित अधिकारी को लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए समाधान हो गया है, कि प्रतिदाय के रूप में दावा की गई रकम का पूरा या कोई हिस्सा स्वीकार्य नहीं है या आवेदक को संदेय नहीं हैं, वह प्ररूप जीएसटी आरएफडी-08 में एक नोटिस आवेदक को जारी करेगा, उस नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरएफडी-09 में उत्तर देने की अपेक्षा है और उत्तर पर विचार करने के बाद, प्ररूप एमजीएसटी आरएफडी-06 में एक आदेश करने के लिए, राशि की मंजूरी पूरे या भाग में वापसी या उक्त वापसी के

दावे को खारिज कर दिया है और उक्त आदेश इलैक्ट्रानिक रूप में आवेदक को उपलब्ध कराया जाएगा और उप-नियम (1) के उपबंधों को यथा आवश्यक परिवर्तन के सहित प्रतिदाय की सीमा तक लागू कर आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी

परंतु यह यह कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रतिदाय के लिए कोई आवेदन खारिज नहीं किया जाएगा।

(4) जहां समुचित अधिकारी को समाधान हो जाता है कि उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन प्रतिदाय धारा 54 की उप-धारा (8) के अधीन देय है, तो वह प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में आदेश करेगा और प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में संदाय सूचना जारी करेगा तथा उसे उसके रजिस्ट्रीकृत विशिष्टियों विवरण में निर्दिष्ट और प्रतिदाय के लिए यथाविनिर्दिष्ट किसी भी बैंक खाते में इलैक्ट्रानिक रूप से प्रत्यय किया जाएगा।

(5) जहां समुचित अधिकारी को समाधान हो जाता है कि उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन प्रतिदाय की रकम धारा 54 के उप-धारा (8) के अधीन आवेदक को देय नहीं है तो वह प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में आदेश करेगा और प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में प्रतिदाय की रकम उपभोक्ता कल्याण कोष में प्रत्यय की जाने की सूचना जारी करेगा।

### 93. अस्वीकृत प्रतिदाय दावे की रकम का प्रत्यय -

(1) जहां नियम 90 की उप-नियम (3) के अधीन किसी भी कमी को सूचित किया गया है, वहां नियम 89 के उप-नियम (3) के अधीन विकलित की गई रकम को इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में पुनः प्रत्यय कर दिया जाएगा।

(2) जहां किसी प्रतिदाय के रूप में दावा की गई कोई रकम नियम 92 के अधीन या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज कर दी गई है, तो खारिज की सीमा तक विकलित की गई रकम, प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03 में खारिज किए गए आदेश द्वारा इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में पुनः प्रत्यय कर दी जाएगी।

स्पष्टीकरण.—इन नियमों के प्रयोजन के लिए कोई प्रतिदाय खारिज समझा जाएगा यदि अपील अंतिम रूप से खारिज कर दी गई है या दावाकर्ता ने समुचित प्राधिकारी को लिखित में वचनपत्र दे दिया है कि वह अपील दाखिल नहीं करेगा।

### 94. विलंबित प्रतिदायों पर ब्याज मंजूरी आदेश--

जहां धारा 56 के अधीन आवेदक को कोई ब्याज देय है और भुगतये योग्य है तो समुचित अधिकारी प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 में संदाय सूचना के साथ एक आदेश जिसमें प्रतिदाय की रकम जो विलंबित है, विलंब की अवधि जिसके लिए ब्याज संदेय है और संदेय ब्याज की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश करेगा तथा ब्याज की ऐसी रकम रजिस्ट्रकरण विशिष्टियों में निर्दिष्ट और प्रतिदाय के लिए आवेदन में यथाविनिर्दिष्ट बैंक के खातों में से किसी एक में इलैक्ट्रानिक रूप से प्रत्यय किया जाएगा।

### 95. कतिपय व्यक्तियों के लिए कर का प्रतिदाय--

(1) धारा 55 के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार अपने आवक प्रदायों पर उसके द्वारा संदत्त कर का प्रतिदाय के दावे के लिए पात्र कोई व्यक्ति प्रतिदाय के लिए प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10 में प्रतिदाय के लिए प्रत्येक

तिमाही में एक बार सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से चाहें सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सहायता केन्द्र के माध्यम से प्ररूप **जीएसटीआर-11** में माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों के कथन सहित **प्ररूप जीएसटीआर-1** में तत्स्थानी प्रदायकर्ताओं द्वारा आवक प्रदायों के कथन के आधार पर तैयार रूप में आवेदन करेगा।

(2) प्रतिदाय के लिए आवेदन की प्राप्ति की पावती प्ररूप जीएसटी आरएफडी-02 में जारी की जाएगी।

(3) आवेदक द्वारा भुगतित कर का प्रतिदाय उपलब्ध होगा यदि--

(क) माल या सेवा या दोनों के आवक प्रदाय एक कर बीजक के विरुद्ध एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त हुआ है और प्रदाय का मूल्य एकल कर बीजक में पांच हजार रुपए, भुगतित कर को छोड़कर, से अधिक है;

(ख) आवेदक का नाम और माल और सेवाकर संख्यांक या विशिष्ट पहचान संख्यांक कर बीजक पर निर्दिष्ट है ; और

(ग) ऐसे अन्य निर्बंधन या दशाएं जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों पूरी करता हो।

(4) नियम 92 के उपबंध यथाआवश्यक परिवर्तनों के अधीन इस नियम के अधीन प्रतिदाय की मंजूरी और संदाय पर लागू होंगे।

(5) जहां व्यक्त उपबंध संधि या अन्य अंतरराष्ट्रीय करार है जिसमें राष्ट्रपति या भारत सरकार पक्षकार है इन नियमों के उपबंधों से असंगत है तो ऐसी संधि या अंतरराष्ट्रीय करार लागू होगा।

**96. भारत के बाहर निर्यात किए गए माल पर एकीकृत कर का प्रतिदाय—**(1) किसी निर्यातकर्ता द्वारा फाइल किए गए पोतपत्र को भारत के बाहर, निर्यात किए गए माल पर संदत्त एकीकृत प्रतिदाय के लिए आवेदन समझा जाएगा और ऐसा आवेदन केवल तब फाइल किया गया समझा जाएगा जब :--

(क) निर्यात माल का वहन करने वाले प्रवहण का भारसाधक व्यक्ति सम्यक् रूप से पोत पत्रों या निर्यात पत्रों की संख्या और तारीख वाली कोई निर्यात माल सूची या निर्यात रिपोर्ट फाइल करता है ; और

(ख) आवेदक ने प्ररूप **जीएसटीआर-3** में विधिमान्य विवरणी दी है।

(2) प्ररूप **जीएसटीआर-1** में अंतर्विष्ट सुसंगत निर्यात बीजकों के व्यौरों को सामान्य पोर्टल द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रूप से सीमाशुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम पर परेषित किया जाएगा और उक्त सिस्टम इलैक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल को ऐसी पुष्टि पारेषित करेगा कि उक्त बीजकों के अन्तर्गत आने वाले माल का भारत से बाहर निर्यात किया गया है।

(3) सामान्य पोर्टल से प्ररूप **जीएसटीआर-3** में विधिमान्य विवरणी देने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर सीमाशुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम प्रतिदाय के दावे के लिए कार्यवाही करेगा और प्रत्येक पोत पत्र या निर्यात पत्र के संबंध में संदत्त एकीकृत कर के बराबर रकम को इलैक्ट्रॉनिक रूप से आवेदक के रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में वर्णित और सीमाशुल्क प्राधिकारियों को यथा सूचित उसके बैंक खाते में जमा की जाएगी।

(4) प्रतिदाय के दावे को वहां विधारित कर दिया जाएगा, जहां,--

(क) केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारिता आयुक्त से धारा 54 की उपधारा (10) या उपधारा (11) के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति के प्रति देय संदाय को विधारित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; या

(ख) सीमाशुल्क उचित अधिकारी ने यह अवधारित किया है कि माल का निर्यात सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया है।

(5) जहां उपनियम (4) के खंड (क) उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय विधारित किया जाता है वहां सीमाशुल्क स्टेशन का एकीकृत कर उचित अधिकारी आवेदक और यथास्थिति, केन्द्रीय कर अधिकारिता आयुक्त, राज्य कर अधिकारिता आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारिता आयुक्त को सूचित करेगा और ऐसी सूचना की एक प्रति सामान्य पोर्टल को पारेषित करेगा।

(6) उपनियम (5) के अधीन सूचना के पारेषण पर, यथास्थिति, केन्द्रीय कर उचित अधिकारी, राज्य कर उचित अधिकारी या संघ राज्यक्षेत्र कर उचित अधिकारी प्ररूप **जीएसटी आरएफडी-07** के **भाग ख** में आदेश पारित करेगा।

(7) जहां आवेदक उपनियम (4) के खंड (क) के अधीन विधारित रकम के प्रतिदाय का हकदार हो गया है वहां यथास्थिति, संबंधित केन्द्रीय कर अधिकारिता अधिकारी, राज्य कर अधिकारिता अधिकारी या संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारिता अधिकारी **जीएसटी आरएफडी-06** में आदेश पारित करने के पश्चात् प्रतिदाय के लिए कार्यवाही करेगा।

(8) केन्द्रीय सरकार, माल के ऐसे वर्ग के लिए जो इस निमित्त अधिसूचित किया जाए भुटान को निर्यात पर, भुटान सरकार को एकीकृत कर के प्रतिदाय का संदाय कर सकेगी और भुटान सरकार को ऐसा प्रतिदाय संदत्त किया जाता है वहां निर्यातकर्ता एकीकृत कर के किसी प्रतिदाय का संदाय नहीं करेगा।

#### 97. उपभोक्ता कल्याण निधि--

- (1) उपभोक्ता कल्याण निधि को सभी प्रत्यय नियम 92 के उपनियम (5) के अधीन किए जाएंगे।
- (2) कोई रकम निधि को प्रत्यित किए जाने के लिए आदेशित या समुचित प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी, अपीलीय अधिकरण या न्यायालय के आदेशों द्वारा किसी दावाकर्ता को संदेय के रूप में निदेशित की जा चुकी है, निधि से संदत्त की जाएगी।
- (3) धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन उपभोक्ता कल्याण निधि से रकम का कोई प्रयोग उपभोक्ता कल्याण निधि लेखा से विकलन और खाते जिसमें रकम को प्रयोग के लिए अंतरित किया जाना है, में प्रत्यय द्वारा किया जाएगा।
- (4) सरकार, आदेश द्वारा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और ऐसे अन्य सदस्यों जिनको ठीक समझे, सहित स्थायी समिति का गठन करेगी और समिति उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता कल्याण निधि को विकलित धन के समुचित प्रयोग के लिए सिफारिश करेगी।
- (5) समिति जब आवश्यक हो बैठक करेगी किंतु तीन मास में एक बार से कम नहीं।
- (6) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अभिकरण या संगठन जो उपभोक्ता कल्याण क्रियाकलापों में तीन वर्षों से लगा हुआ है जिसमें ग्राम या मंडल या उपभोक्ताओं के सहकारी स्तर समिति विशेषतः महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) में परिभाषित कोई उद्योग जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुशंसित हो और पांच वर्षों से जीव्य और उपयोगी क्रियाकलापों में लगा हुआ है, जिसके द्वारा बहुउपयोग के उत्पादों के लिए मानक चिन्ह के विरचन के महत्वपूर्ण योगदान किया

गया है या किया जाना है, सरकार या राज्य सरकार उपभोक्ता कल्याण निधि से अनुदान देने के लिए आवेदन करेगी।

परन्तु यह कि एक उपभोक्ता उपभोक्ता-विवाद के समाधान हेतु दायर परिवाद से संबंधित विधिक खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु इसके अंतिम न्याय-निर्णय के पश्चात् आवेदन कर सकता है।

(7) उपभोक्ता कल्याण निधि से अनुदान के लिए सभी आवेदन, आवेदक द्वारा सदस्य सचिव को किए जाएंगे लेकिन समिति किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं करेगी जब तक सदस्य सचिव सारभूत व्यौरों की जांच न कर ले और विचार करने के पश्चात् अनुशंसा न दे दे।

(8) समिति को शक्तियां होंगी-

(क) किसी आवेदक को अपने समक्ष या सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष ऐसी पुस्तो, लेखाओ, दस्तावेजों, लिखतों या आवेदक की अभिरक्षा या नियंत्रण में माल को जैसा आवश्यक हो आवेदन के समुचित मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी।

(ख) किसी आवेदक को परिसर जिसमें उपभोक्ता कल्याण के लिए क्रियाकलापों का होने का दावा किया गया है, और किया जाना बताया गया है का सम्यक् रूप से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, यथास्थिति सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी को प्रवेश और निरीक्षण के लिए अनुमति देने की अपेक्षा कर सकेगी ;

(ग) आवेदकों के लेखाओं का अंकेक्षण कराना ताकि अनुदान के समुचित उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके ;

(घ) किसी आवेदक से किसी चूक के या उसके भाग पर किसी सारभूत सूचना के छिपाने की दशा में समिति को मंजूर अनुदान के एकमुश्त प्रतिदाय के लिए अपेक्षा कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन अभियोजित कर सकेगी ;

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में किसी आवेदक से शोध्य रकम वसूल कर सकेगी ;

(च) किसी आवेदक या आवेदकों के वर्ग से आवर्तिक रिपोर्ट जो अनुदान के समुचित प्रयोग को दर्शित करती हो को प्रस्तुत करने को कह सकेगी ;

(छ) ताथ्यिक असंगतताओं या सारभूत विशिष्टियों में त्रुटि होने पर उसके समक्ष प्रस्तुत किसी आवेदन को खारिज कर सकेगी ;

(ज) किसी आवेदक को अनुदान के द्वारा उसकी वित्तीय प्रास्थिति और उसके काम के अधीन क्रियाकलापों की प्रकृति की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि प्रदत्त वित्तीय सहायता का दुरुपयोग नहीं होगा, न्यूनतम वित्तीय सहायता देने की सिफारिश कर सकेगी ;

(झ) लाभकारी और सुरक्षित सेक्टर जहां उपभोक्ता कल्याण निधि का विनिधान किया जाना है को पहचान कर तदनुसार सिफारिश करेगी ;

(ञ) किसी आवेदक के उपभोक्त कल्याण क्रियाकलापों की अवधि के लिए अपेक्षित शर्तों को शिथिल कर सकेगी ;

(ट) उपभोक्ता कल्याण निधि के प्रबंधन, प्रशासन और संपरीक्षा के लिए दिशानिर्देश बना सकेगी।

(9) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् और भारतीय मानक ब्यूरो, माल और सेवाकर परिषद् को उपभोक्ता कल्याण निधि से होने वाले व्यय के प्रयोजन के लिए परियोजनाओं या प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों की सिफारिश कर सकेगी।



**अध्याय- XI**  
**कर-निर्धारण एवं लेखा परीक्षा**

**98. अंतिम कर-निर्धारण -:**

(1) धारा 60की उपधारा(1) के उपबंधों के अनुसरण में औपबंधिक आधार पर कर के भुगतान हेतु आवेदन करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर, चाहे सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सहायता केन्द्र के माध्यम से, जीएसटी प्ररूप ए.एस.टी.एम.टी 01- .में अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेजों के साथ आवेदन करेगा ।

(2) उपनियम (1)के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर उचित अधिकारी प्ररूप जीएसटी ए .एस.टी.एम 02-में, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को अपने आवेदन के समर्थन में अतिरिक्त सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी कर सकता है एवं आवेदक नोटिस का जवाब जीएसटी प्ररूप ए.एस.टी.एम 03-में दाखिल करेगा एवं उक्त अधिकारी के समक्ष, यदि वह ऐसा चाहता है, प्रस्तुत हो सकता है ।

(3) उचित अधिकारी, जीएसटी प्ररूप ए.एस.टी.एम 04-में, दी गई मूल्य अथवा दर अथवा दोनों, जिनके आधार पर औपबंधिक आधार पर निर्धारण की अनुमति दी जानी है, एवं राशि, जिसके लिए बंधपत्र निष्पादित किया जाना है एवं प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूति, जो बंधपत्र के अधीन कवर की गई राशि के 25% से अधिक न हो, को दर्शाते हुए औपबंधिक आधार पर कर के भुगतान की अनुमति प्रदान करते हुए आदेश जारी करेगा ।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 60की उपधारा (2)के उपबंधों के अनुसरण में उपनियम (3)के अधीन यथा निर्धारित राशि हेतु बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति के साथ जीएसटी प्ररूप ए.एस.टी.एम0-.5 में एक बन्धपत्र निष्पादित करेगा ।

परन्तु यह कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम अथवा एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम के अधीन उचित अधिकारी को प्रस्तुत बंधपत्र को इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रस्तुत किया मान लिया जाएगा ।

**स्पष्टीकरण -:**इस नियम के प्रयोजन हेतु शब्द “राशि” में एकीकृत कर की राशि, केन्द्रीय कर, राज्य कर अथवा केन्द्र शासित प्रदेश एवं संव्यवहार के संबंध में भुगतान किए जाने वाले उपकर की राशि शामिल होगी ।

(5) उचित अधिकारी धारा 60की उपधारा (3)के अधीन निर्धारण को अंतिम रूप देने हेतु अपेक्षित सूचना एवं रिकार्ड मंगाने हेतु जीएसटी प्ररूप ए.एस.टी.एम 06-में नोटिस जारी करेगा एवं रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि एवं प्रत्यर्पणीय राशि, यदि कोई हो, को विनिर्दिष्ट करते हुए जीएसटी प्ररूप ए.एस.टी.एम 07-में अंतिम निर्धारण आदेश जारी करेगा ।

(6) आवेदक उपनियम (4)के अधीन प्रस्तुत की गई प्रतिभूति को उपनियम (5)के अधीन जारी आदेश के पश्चात विमुक्ति हेतु जीएसटी प्ररूप ए.एस.टी.एम 08-में आवेदन दाखिल कर सकता है ।

(7) उचित अधिकारी, यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि उपनियम (5)में विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान कर दिया है, उपनियम (4)के अधीन प्रस्तुत की गई प्रतिभूति की विमुक्ति करेगा एवं उपनियम (6)के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 07 कार्य दिवसों की अवधि के अंदर जीएसटी प्ररूप ए.एस.टी.एम 09-में एक आदेश जारी करेगा ।

**99. विवरणियों की संवीक्षा**

(1) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किसी विवरणी को यदि संवीक्षा हेतु चुना जाता है तो उचित अधिकारी उसके पास उपलब्ध सूचना के संदर्भ में धारा 61के प्रावधानों के अनुसरण में उसकी संवीक्षा करेगा एवं यदि कोई विसंगति हो तो, वह जीएसटी फारम ए.एस.टी.एम 10-में उक्त व्यक्ति को विसंगति के बारे में सूचित करते हुए नोटिस जारी करेगा एवं ऐसी अवधि, जो नोटिस के प्राप्त होने की तिथि से 30दिनों से अधिक न हो, अथवा ऐसी और अवधि, जिसकी उसके द्वारा अनुमति दी जा सकती हो, के अंदर विसंगति से संबंधित स्पष्टीकरण की मांग करेगा एवं जहां संभव हो, ऐसी विसंगति के संबंध में कर ब्याज एवं भुगतान की जाने वाली अन्य राशि की गणना करेगा।

( 2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (1)के अधीन जारी नोटिस में वर्णित विसंगति को स्वीकार कर सकता है एवं ऐसी विसंगति से उत्पन्न कर, ब्याज अथवा अन्य किसी राशि का भुगतान कर सकता है एवं उसकी सूचना दे सकता है या जीएसटी प्ररूप ए.एस.टी.एम 11-में विसंगति हेतु उचित अधिकारी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है।

(3) उपनियम (2)के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण अथवा प्रस्तुत सूचना को स्वीकार्य पाया जाता है तो उचित अधिकारी तदनुसार जीएसटी प्ररूप ए.एस.टी.एम 12-में उसे सूचित करेगा।

**100 .कुछ मामलों में निर्धारण :**

(1) धारा 62के उपनियम (1)के अधीन किए गए निर्धारण के आदेश को जीएसटी प्ररूप ए.एस.टी.एम 13-में जारी किया जाएगा।

(2) उचित अधिकारी धारा 63के उपबंधों के अनुसरण में जीएसटी प्ररूप ए.एस.टी.एम.-14 में कर योग्य व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा जिसमें वे आधार शामिल होंगे जिनके आधार पर सर्वोत्तम न्याय आधार पर कर-निर्धारण किया जाना है एवं ऐसे व्यक्ति को उसका उत्तर प्रस्तुत करने हेतु, यदि कोई हो, 15 दिनों के समय की अनुमति देने के पश्चात जीएसटी प्ररूप ए.एस.टी.एम 15-में उचित अधिकारी आदेश जारी करेगा।

(3) धारा 64की उपधारा (1)के अधीन संक्षिप्त निर्धारण का आदेश जीएसटी प्ररूप ए.एस.टी.एम 16-में जारी किया जाएगा।

(4) धारा 64 की उपधारा (2)में संदर्भित व्यक्ति जीएसटी प्ररूप ए.एस.टी.एम 17-में संक्षिप्त निर्धारण आदेश के वापस लेने हेतु आवेदन दाखिल कर सकता है।

(5) वापसी के आदेश, अथवा जैसा भी मामला हो, आवेदन का निरस्तीकरण धारा 64की उपधारा (2)के अधीन जीएसटी प्ररूप ए.एस.टी.एम 18-में जारी किया जाएगा।

**101. लेखा परीक्षा:**

(1) धारा 65की उपधारा (1)के अधीन किए जाने वाले लेखा परीक्षा की अवधि एक वित्तीय वर्ष अथवा उसके गुणांक होगी।

(2) जहां धारा 65के उपबंधों के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की लेखा परीक्षा करने का निर्णय लिया जाता है तो उचित प्राधिकारी उक्त धारा की उपधारा (3)के प्रावधानों के अनुसरण में जीएसटी प्ररूप ए.डी.टी.-01में नोटिस जारी करेगा।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रिकार्ड एवं लेखाबही की लेखा परीक्षा हेतु प्राधिकृत उचित अधिकारी, अधिकारियों की टीम एवं उसके साथ चल रहे अधिकारियों की सहायता से अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन संधारित किए जाने वाले लेखाबही के आधार पर एवं प्रस्तुत विवरणियों एवं कथनों के आधार पर दस्तावेजों का सत्यापन करेगा एवं टर्न ओवर की सत्यता, छूट एवं कटौतियों के दावे, माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति के संबंध में लागू किए गए कर की दर, प्राप्त किए गए एवं प्रयुक्त इन्पुट टैक्स-क्रेडिट, दावा किए गए रिफण्ड एवं अन्य संगत मुद्दों का सत्यापन करेगा एवं अपनी लेखा परीक्षा टिप्पणियों में अपनी राय को रिकार्ड करेगा।

(4) उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को नोटिस की गई विसंगतियों, यदि कोई हों, को लेखा परीक्षा की टिप्पणियों के रूप में सूचित कर सकता है एवं उक्त व्यक्ति अपना जवाब प्रस्तुत कर सकता है एवं उचित अधिकारी प्रस्तुत किए गए जवाब पर सम्यक् विचार करने के पश्चात लेखा परीक्षा के निष्कर्षों को अंतिम रूप देगा।

(5) लेखा परीक्षा की समाप्ति पर, उचित अधिकारी द्वारा धारा 65की उपधारा (6)के उपबंधों के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लेखा परीक्षा के निष्कर्षों को जीएसटी प्ररूप ए.डी.टी 02-में सूचित करेगा।

#### 102. विशेष लेखा परीक्षा :

(1) जहाँ धारा 66के प्रावधानों के अनुसरण में विशेष लेखा परीक्षा आयोजित की जानी अपेक्षित हैं तो उक्त धारा में संदर्भित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को अपने रिकार्ड किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा उक्त निदेशों में विनिर्दिष्ट लागत लेखाकार से अपने रिकार्ड का लेखा परीक्षा कराने हेतु जी.एस.टी. प्ररूप ए.डी.टी 03-में आदेश जारी करेगा।

(2) विशेष लेखा परीक्षा की समाप्ति पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जीएसटी प्ररूप ए.डी.टी 04-में विशेष लेखा परीक्षा के निष्कर्षों से सूचित किया जाएगा।

**अध्याय- XII**  
**अग्रिम विनिर्णय**

**103. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्य के लिए अर्हता एवं उसकी नियुक्ति**

केंद्र एवं राज्य सरकार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में संयुक्त आयुक्त पद के एक अधिकारी की नियुक्ति करेंगे।

**104. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण को आवेदन का फॉर्म एवं तरीका**

(1) अधिनियम की धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए लिए कॉमन पोर्टल पर जीएसटी प्ररूप आरए-1 में आवेदन देना होगा और इसके साथ पांच हजार रुपये की फीस भी देनी होगी जो कि अधिनियम की धारा 49 में विनिर्दिष्ट तरीके से जमा करनी होगी।

(2) उप-नियम (1) में वर्णित आवेदन, इसमें निहित सत्यापन एवं ऐसे आवेदनों के साथ लगाए गए सभी संगत दस्तावेज नियम 26 में विनिर्दिष्ट तरीके के अनुसार हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

**105. प्राधिकरण द्वारा दिए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रतियों का प्रमाणीकरण**

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के किसी भी सदस्य द्वारा अग्रिम विनिर्णय की एक प्रति इसके मूल की सही नकल के रूप में प्रमाणित की जाएगी।

**106. अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकार के समक्ष अपील करने का फारम एवं तरीका**

(1) अधिनियम की धारा 98 की उपधारा (6) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए कॉमन पोर्टल पर जीएसटी प्ररूप एआरए-2 में आवेदन देना होगा और इसके साथ दस हजार रुपये की फीस भी देनी होगी जो कि अधिनियम की धारा 49 में विनिर्दिष्ट तरीके से जमा करनी होगी।

(2) धारा 100 में वर्णित क्षेत्राधिकारी अथवा संबंधित अधिकारी द्वारा] अधिनियम की धारा 98 की उपधारा (6) के अधीन दिए गए अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध कॉमन पोर्टल पर जीएसटी प्ररूप एआरए-3 में अपील की जा सकती है और अपील दायर करने के लिए उक्त अधिकारी द्वारा कोई फीस देय नहीं होगी।

(3) उप-नियम (1) एवं उप-नियम (2) में वर्णित अपील, इसमें निहित सत्यापन और ऐसी अपील के साथ लगाए गए सभी संगत दस्तावेज निम्नवत हस्ताक्षरित किए जाएंगे, -

(क) क्षेत्राधिकारी अथवा संबंधित अधिकारी के मामले में, ऐसे अधिकारी द्वारा प्राधिकृत एक अधिकारी द्वारा; और

(ख) आवेदक के मामले में, नियम 26 में वर्णित तरीके से।

**107. प्राधिकार द्वारा दिए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रतियों का प्रमाणीकरण**

अधिनियम की धारा 101 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के अनुरूप

अग्रिम विनिर्णय अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिए गए अग्रिम विनिर्णय की, प्राधिकार के सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रति निम्न को भेजी जाएगी-

(क) आवेदक एवं अपीलकर्ता;

(ख) केंद्रीय कर और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र कर के संबंधित अधिकारी;

(ग) केंद्रीय कर और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र कर के क्षेत्राधिकारी; और

(घ) प्राधिकारी

अध्याय—XIII  
अपील एवं रिवीजन

**108. अपीलीय प्राधिकारी को अपील**

(1) अधिनियम की धारा 107की उपधारा (1) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी को अपील, समर्थित दस्तावेजों सहित, प्ररूप जी.एस.टी .ए.पी.एल 01-में, इलेक्ट्रानिक रूप में या अन्य तरीके से, जैसा कि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, फाइल की जाएगी एवं आवेदक को अन्तिम पावती तत्काल जारी की जाएगी।

(2) अपील के आधार एवं फार्म जी.एस.टी .ए.पी.एल 01-में दिए गए सत्यापन का फार्म नियम 26 में विनिर्दिष्ट तरीके से हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(3) जिस निर्णय अथवा आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की प्रमाणित प्रति अपील फाइल करने के सात दिनों के अंदर उपनियम (1)के अधीन प्रस्तुत की जाएगी एवं उसके पश्चात अपील प्राधिकारी अथवा उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा फार्म जी.एस.टी .ए.पी.एल 02-में अपील संख्या को दर्शाते हुए अंतिम पावती जारी की जाएगी।

बशर्ते कि जहां प्ररूप जी.एस.टी .ए.पी.एल 01-फाइल करने की तारीख से सात दिनों के अंदर निर्णय या आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर दी जाती है तो अपील फाइल करने की तिथि अंतिम पावती जारी करने की तिथि होगी एवं यदि प्रमाणित प्रति 07दिनों के बाद प्रस्तुत की जाती है तो अपील फाइल करने की तिथि ऐसी प्रति प्रस्तुत करने की तिथि होगी।

स्पष्टीकरण -:अपील को तभी फाइल हुआ माना जाएगा जब अपील संख्या दर्शाती हुई अंतिम पावती जारी की जाती है।

**109. अपीलीय प्राधिकारी को आवेदन**

(1) अधिनियम की धारा 107की उपधारा (2)के अधीन अपीलीय प्राधिकारी को आवेदन, समर्थित दस्तावेजों सहित, फार्म जी.एस.टी .ए.पी.एल03- में, इलेक्ट्रानिक रूप में या अन्य तरीके से, जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किये जाएंगे, किया जाएगा।

(2) निर्णय अथवा आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की प्रमाणित प्रति अपील फाइल करने के सात दिनों के अंदर उपनियम (1)के अधीन प्रस्तुत की जाएगी एवं अपीलीय प्राधिकारी अथवा उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एक अपील संख्या निर्गत की जाएगी।

**110. अपीलीय अधिकरण को आवेदन**

(1) अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (1)के अधीन अपीलीय अधिकरण को अपील, समर्थित दस्तावेजों सहित, फार्म जी.एस.टी .ए.पी.एल 05-में, इलेक्ट्रानिक रूप में या अन्य तरीके से, जो कि रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचित किये जाएंगे, कामन पोर्टल पर फाइल की जा सकती है एवं आवेदक को तत्काल अंतिम पावती जारी की जाएगी।

(2) अधिनियम की धारा 112के उपनियम (5)के अधीन अपीलीय अधिकरण को प्रति-आक्षेप का ज्ञापन फार्म जी.एस.टी .ए.पी.एल 06-में इलेक्ट्रानिक रूप में या अन्य तरीके से, जो रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचित किये जाएंगे, फाइल किया जाएगा।

(3) अपील एवं प्रति-आक्षेप का ज्ञापन नियम 26 में दिए गए तरीके से हस्ताक्षर किया जाएगा।

(4) निर्णय अथवा आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की प्रमाणित प्रति उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट फीस के साथ उपनियम (1) के अधीन अपील फाइल करने के सात दिनों के अंदर प्रस्तुत की जाएगी एवं उसके पश्चात अपील संख्या दर्शाती हुई एक अंतिम पावती फार्म जी.एस.टी .ए.पी.एल.- 02 में रजिस्ट्रार द्वारा जारी की जाएगी।

बशर्ते कि जहां जी.एस.टी .ए.पी.एल 05- फाइल करने की तिथि से सात दिनों के अंदर प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर दी जाती है तो अपील फाइल करने की तिथि अनंतिम पावती जारी करने की तिथि होगी एवं जहां प्रमाणित प्रति 07 दिनों के बाद प्रस्तुत की जाती है तो अपील फाइल करने की तिथि ऐसी प्रति प्रस्तुत करने की तिथि होगी।  
स्पष्टीकरण -: अपील को तभी फाइल हुआ माना जाएगा जब अपील संख्या दर्शाती हुई अंतिम पावती जारी की जाती है।

(5) अपील फाइल करने अथवा अपील की वापसी हेतु फीस, कर अथवा इन्पुट कर क्रेडिट की सन्निहित राशि अथवा कर या इन्पुट कर क्रेडिट की सन्निहित राशि में अंतर अथवा दंड, फीस, शास्ति की राशि, उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, में निर्धारित की गई राशि के प्रत्येक लाख हेतु एक हजार रुपये होगा जिसकी अधिकतम सीमा पच्चीस हजार रुपये होगी।

(6) त्रुटियों के संशोधन हेतु अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए आवेदन हेतु धारा 112 की उपधारा (10) के संदर्भ में कोई फीस नहीं होगी।

#### 111. अपीलीय अधिकरण को आवेदन

(1) अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (3) के अधीन अपीलीय अधिकरण को आवेदन, समर्थित दस्तावेजों सहित, फार्म जी.एस.टी .ए.पी.एल 07- में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्य तरीके से कॉमन पोर्टल पर दी जाएगी।

(2) निर्णय अथवा आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की प्रमाणित प्रति उपनियम (1) के अधीन आवेदन फाइल करने के 07 दिनों के अंदर प्रस्तुत की जाएगी एवं रजिस्ट्रार द्वारा एक अपील संख्या निर्गत की जाएगी।

#### 112. अपीलीय प्राधिकारी अथवा अपीलीय अधिकरण के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना :

(1) न्याय-निर्णायक प्राधिकारी अथवा जैसा भी मामला हो, अपीलीय अधिकारी के समक्ष कार्यवाही की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए साक्ष्यों के अलावा अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण के समक्ष किसी साक्ष्य, चाहे मौखिक या दस्तावेजों, को अपीलार्थी द्वारा निम्न परिस्थितियों के अलावा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी,

(क) जहां न्याय-निर्णायक प्राधिकारी अथवा जैसा भी मामला हो, अपीलीय प्राधिकारी ने उन साक्ष्यों को स्वीकार करने से मना कर दिया हो जिन्हें स्वीकार किया गया माना जाना चाहिए, अथवा

(ख) जहां अपीलार्थी को न्याय-निर्णायक प्राधिकारी अथवा जैसा भी मामला हो, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने हेतु मंगाए गए साक्ष्यों को पर्याप्त कारण से प्रस्तुत करने से रोका गया हो, अथवा

(ग) जहां अपीलार्थी को न्याय-निर्णायक प्राधिकारी अथवा जैसा भी मामला हो, न्याय-निर्णायक प्राधिकारियों द्वारा किसी साक्ष्य को पर्याप्त कारण से प्रस्तुत करने से रोक दिया गया हो जो कि अपील के किसी आधार से संगत है, अथवा

(घ) जहां न्याय-निर्णायक प्राधिकारी अथवा जैसा भी मामला हो, अपीलीय प्राधिकारी ने अपील के किसी आधार से संगत साक्ष्य को प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को पर्याप्त मौका दिए बिना अपील किए गए आदेश के विरुद्ध आदेश जारी कर दिया हो।

(2) कोई साक्ष्य उपनियम (1) के अधीन स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण लिखित में इसकी स्वीकृति को रिकार्ड न करें।

- (3) अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण उपनियम (1)के अधीन प्रस्तुत किसी साक्ष्य को नहीं लेंगे जब तक न्याय-निर्णायक प्राधिकारी या उस प्राधिकारी के द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी को निम्न हेतु पर्याप्त अवसर की अनुमति दी गई है -;
- (क) साक्ष्य अथवा दस्तावेज के परीक्षण अथवा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किसी गवाह के प्रति - परीक्षण हेतु ; अथवा
- (ख) उपनियम (1)के अधीन अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के खंडन में किसी गवाह या साक्ष्य को प्रस्तुत करने हेतु ।
- (4) इस नियम में किसी बात का अभाव अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण को अपील के निपटान हेतु, किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या किसी साक्ष्य के परीक्षण हेतु, निदेशित करने हेतु इसकी शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा।

### 113. अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण का आदेश

- (1) **अपीलीय प्राधिकारी** अधिनियम की धारा 107की उपधारा (11) के अधीन जारी अपने आदेश के साथ-साथ फार्म जी.एस.टी .ए.पी.एल 04-में आदेश की संक्षिप्त विवरणी जारी करेंगे जिसमें संपुष्ट मांग की अंतिम राशि दर्शाई जाएगी ।
- (2) क्षेत्राधिकारी फार्म जी.एस.टी .ए.पी.एल 04-में एक विवरण जारी करेंगे जिसमें अपीलीय अधिकरण द्वारा संपुष्ट की गई मांग की अंतिम राशि स्पष्ट रूप में दर्शाई जाएगी।

### 114. उच्च न्यायालय में अपील

- (1) अधिनियम की धारा 117 के उपनियम (1)के अधीन उच्च न्यायालय में अपील फार्म जी.एस.टी . ए.पी.एल 08 में फाइल की जाएगी ।
- (2) अपील के आधार एवं फार्म जी.एस.टी.ए.पी.एल 08 में दिए गए सत्यापन के फार्म नियम 26 में दिए गए तरीके से हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

### 115. न्यायालय द्वारा संपुष्ट की गई मांग

क्षेत्राधिकारी फार्म जी.एस.टी .ए.पी.एल 04 में एक विवरण जारी करेंगे जिसमें उच्च-न्यायालय अथवा, जैसा भी मामला हो, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संपुष्ट की गई मांग की अंतिम राशि दर्शाई जाएगी ।

### 116. प्राधिकृत प्रतिनिधि के कदाचार हेतु अयोग्यता

अधिनियम की धारा 116 के उपनियम (2)के खंड(ख) अथवा खंड(ग) में संदर्भित के अलावा यदि कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि, मामले की जांच के बाद ,अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में कदाचार का दोषी पाया जाता है तो उसको सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात आयुक्त उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने से अयोग्य ठहरा सकता है ।

**अध्याय XIV**  
**संक्रमणकालीन उपबंध**

**117. नियत दिन पर स्टॉक में रखे माल पर किसी विद्यमान विधि के अधीन कर या इयूटी प्रत्यय का अग्रेषण--**

(1) धारा 140 के अधीन निविष्ट कर के प्रत्यय को लेने का अधिकारी प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन के नब्बे दिन के भीतर प्ररूप जीएसटी ट्रान 1 में सम्यक रूप से हस्ताक्षर कर सामान्य पोर्टल पर जिसमें पृथक रूप से निविष्ट कर प्रत्यय की रकम जिसका वह उक्त धारा के उपबंधों के अधीन हकदार है, पृथक रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से घोषणा प्रस्तुत करेगा:

परन्तु यह कि आयुक्त परिषद की सिफारिश पर नब्बे दिन की अवधि को नब्बे दिन से अनधिक अवधि की सीमा तक बढ़ा सकेगा।

परन्तु यह और कि धारा 140 की उपधारा (1) के अन्तर्गत दावे के मामले में आवेदन में अलग से निर्दिष्ट होगा--

(i) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा-3, धारा-5 की उप-धारा (3), धारा-6 एवं धारा-6ए तथा धारा 8 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत आवेदक द्वारा किये गये दावे का मूल्य; और

(ii) आवेदक द्वारा उपरोक्त उप-खंड (i) में उल्लेखित दावे के समर्थन में समर्पित केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रेशन एवं टर्न ओवर) नियमावली, 1957 के नियम 12 में निर्दिष्ट प्ररूप में घोषणा पत्र 'सी' और/या 'एफ' या प्ररूप 'ई' और/या 'एच' या प्ररूप 'आई' में प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या एवं मूल्य

(2) उप नियम 1 के अधीन प्रत्येक घोषणा में --

(क) धारा 140 की उप-धारा (2) के अधीन दावे की दशा में नियत तिथि पर पूँजी माल के प्रत्येक मद की बावत निम्नलिखित प्रविष्टियाँ पृथक रूप से विनिर्दिष्ट की जाएंगी--

(i) नियत तिथि तक प्रत्येक विद्यमान विधि के अधीन निविष्ट कर प्रत्यय के माध्यम से लभ्य या प्रयुक्त कर या शुल्क की रकम; और

(ii) नियत तिथि तक प्रत्येक विद्यमान विधि के अधीन निविष्ट कर प्रत्यय के माध्यम से अभी तक लभ्य या प्रयुक्त किए जाने वाले कर या शुल्क की रकम; और

(ख) धारा 140 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के खंड (ख) या उपधारा (6) या उपधारा (8) के अधीन दावे की दशा में नियत तिथि पर रखे स्टॉक का ब्यौरा पृथक रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(ग) धारा 140 की उपधारा (5) के अधीन दावे की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे, अर्थात् --

(i) प्रदायकर्ता का नाम, क्रम संख्यांक और प्रदायकर्ता द्वारा बीजक को जारी करने की तारीख या कोई दस्तावेज जिसके आधार पर निवेश कर का प्रत्यय विद्यमान विधि के अधीन अनुज्ञेय था;

(ii) माल या सेवा का वर्णन और मूल्य;

(iii) माल की दशा में मात्रा और उसपर ईकाई या ईकाई मात्रा का कोड;

(iv) पात्र कर और शुल्क की रकम यथास्थिति मूल्यवर्द्धित कर या (प्रवेश कर) जो प्रदायकर्ता द्वारा माल या सेवाओं के बावत प्रभारित किया गया है; और

(v) वह तारीख जब माल या सेवाओं की रसीद प्राप्तकर्ता के खाते की पुस्तकों में प्रविष्ट की गयी है।



(3) प्ररूप जीएसटी ट्रान-1 में आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रत्यय की रकम सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी पीएमटी-2 में रखे गए आवेदक के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही को प्रत्ययित की जाएगी।

(4) (क) (i) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसके पास माल का वैसा भंडार है जिस पर राज्य में बिक्री के प्रथम बिन्दु पर कर लग चुका है एवं राज्य में जिसके आगामी बिक्रियों पर कर नहीं लगना है एवं धारा 140 की उप-धारा (3) के परंतुक के अनुसार क्रेडिट का लाभ लिया जाना है, को नियत तिथि को भंडार में रखे जैसे वस्तुओं, जिनकी बाबत वह मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान दर्शाने वाले कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं रखता है, पर इन-पुट टैक्स क्रेडिट के लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी।

(ii) उप-खंड (i) में उल्लेखित क्रेडिट, ऐसे मालों जिसके नियत तिथि के बाद आपूर्ति पर राज्य कर की दर 9 या इससे अधिक प्रतिशत की दर से आकृष्ट है पर 60 प्रतिशत की दर से तथा राज्य कर की अन्य दर आकृष्ट होने वाले वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की दर से अनुज्ञेय होगी और संगत आपूर्ति पर देय राज्य कर के भुगतान के पश्चात् क्रेडिट दी जायेगी।

परन्तु यह कि जहाँ ऐसी वस्तुओं पर एकीकृत कर का भुगतान किया जाना है वहाँ क्रेडिट की रकम उक्त कर के क्रमशः 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की दर से अनुज्ञेय होगी।

(iii) यह व्यवस्था निर्धारित तिथि से छः कर अवधि तक उपलब्ध रहेगी।

(ख) राज्य कर का ऐसा क्रेडिट निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राप्य होगी-

(i) ऐसी वस्तुएं जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पूर्णतः विमुक्त नहीं थी।

(ii) ऐसे माल के प्राप्ति के लिए दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास उपलब्ध है;

(iii) ऐसी योजना का लाभ उठाने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियम 1 के उप-नियम (2) के खंड (ख) के अनुसरण में उसके द्वारा रखे माल के भंडार का ब्यौरा जिसमें कर अवधि के दौरान प्रभावित ऐसे माल के प्रदाय के ब्यौरे होंगे, प्ररूप जीएसटी ट्रान 2 में स्कीम संचालन के दौरान छः कर अवधियों के प्रत्येक के अंत पर प्रस्तुत करेगा।

(iv) अनुज्ञात क्रेडिट की रकम सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी पीएमटी 2-में रखे गए आवेदक के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर को प्रत्ययित की जाएगी और ;

(v) माल का वह स्टॉक जिसपर क्रेडिट उपलब्ध है को इस प्रकार से भंडारित किया गया है कि इसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा आसानी से पहचाना जा सके।

**118. धारा 142 की उपधारा (11) के खंड (ग) के अधीन की जाने वाली घोषणा-** प्रत्येक व्यक्ति जिस पर धारा 142 की उपधारा (11) के खंड (ग) के उपबंध लागू हैं नियत दिन के नब्बे दिन की अवधि में प्ररूप जीएसटी ट्रान-1 में प्रदाय का अनुपात जिसको नियत दिन से पूर्व मूल्य वर्धित कर या सेवा कर संदत्त किया जा चुका लेकिन प्रदाय नियत तारीख के बाद किया गया है और उस पर अनुज्ञेय निवेश कर प्रत्यय की घोषणा प्रस्तुत करेगा।

**119. प्रधान और अभिकर्ता द्वारा रखे स्टॉक की घोषणा-** प्रत्येक व्यक्ति जिसपर धारा 141 या धारा 142 की उपधारा (14) के उपबंध लागू है, नियत तिथि के 90 दिनों के अन्दर प्ररूप जीएसटी ट्रान-1 में नियत तिथि को उसके द्वारा धारित इनपुट, अर्ध-निर्मित वस्तुओं या निर्मित वस्तुओं, जैसा कि लागू हो, के भण्डार को इलेक्ट्रॉनिक रीति से विनिर्दिष्ट करते हुए घोषणा करेगा।

**120. अनुमोदन के आधार पर भेजे माल के ब्यौरे--** प्रत्येक व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन अनुमोदन पर माल भेजना है और जिसको धारा 142 की उपधारा (12) लागू है नियत दिन के नब्बे दिन के भीतर प्ररूप जीएसटी ट्रान-1 के अनुमोदन पर भेजे गए ऐसे माल के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

**121. गलत रूप से प्राप्त किए गए प्रत्यय की वसूली-** नियम 117 के उपनियम (3) के अधीन प्रत्यय की गई रकम सत्यापित की जाएगी और धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्यवाहियां, यथास्थिति, चाहे वह पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी गलत तरीके से प्राप्त किसी प्रत्यय के बावत शुरू की जाएंगी

#### अध्याय XV

#### मुनाफाखोरी-रोधी

**122. प्राधिकरण का गठन--** प्राधिकरण परिषद् द्वारा नामनिर्देशित निम्नलिखित से मिलकर बनेगा--

(क) अध्यक्ष जिसने भारत सरकार के सचिव की श्रेणी के समतुल्य पदधारण किया है या किया हो

(ख) चार तकनीकी सदस्य जो राज्य कर आयुक्त या केन्द्रीय कर आयुक्त हैं या रहा है या जिसने विद्यमान विधि के अधीन समतुल्य पद धारण किया है या किया हो

**123. स्थायी समिति और छानबीन समिति का गठन :-** (1) परिषद्, राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट, ऐसे अधिकारियों से मिलकर मुनाफाखोरी रोधी स्थायी समिति का गठन कर सकेगा।

(2) राज्य स्तरीय छानबीन समिति राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक राज्य में गठित की जाएंगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी

(क) आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया गया, राज्य सरकार का कोई अधिकारी और

(ख) मुख्य आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया गया, केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी।

**124. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधनों और शर्तें -**

(1) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थायी समिति जिसका गठन परिषद् द्वारा प्रयोजन के लिए किया गया है, की सिफारिशों पर होगी।

(2) अध्यक्ष को 2,25,000 (नियत) मासिक वेतन संदत्त किया जाएगा और अन्य भत्ते और फायदे यथाग्राह्य है जैसे कि केन्द्रीय सरकार में पदधारण किए अधिकारी को समान वेतन में दिए जा रहे हैं।

परंतु यह कि जहां कोई सेवानिवृत्त अधिकारी अध्यक्ष के रूप में चयनित होता है उसे रु. 2,25,000/- का मासिक वेतन में से पेंशन की रकम घटाकर संदत्त किया जाएगा।

(3) तकनीकी सदस्य को 2,05,400 (नियत) मासिक वेतन संदत्त किया जाएगा और वह भत्ते निकालने का हकदार होगा जैसे कि भारत सरकार के समूह 'क' पदधारित अधिकारी को समान वेतन में ग्राह्य है।

परंतु यह कि जहां कोई सेवानिवृत्त अधिकारी तकनीकी सदस्य के रूप में चयनित होता है उसे रु. 2,05,400/- का मासिक वेतन में से पेंशन की रकम घटाकर संदत्त किया जाएगा।

(4) अध्यक्ष, उस तारीख से जिससे उन्होंने कार्यभार संभाला है, से दो वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा या जब तक कि वह पैसठ वर्ष की आयु का नहीं हो जाता, जो भी पहले हो और पुनरुनियुक्ति के लिए पात्र होगा।

परंतु यह कि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में चयनित नहीं होगा, यदि उसकी आयु बासठ वर्ष की हो चुकी है।

(5) प्राधिकरण का तकनीकी सदस्य, उस तारीख से जिससे उन्होंने कार्यभार संभाला है, से दो वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा या जब तक कि वह पैसठ वर्ष की आयु का नहीं हो जाता, जो भी पहले हो और पुनःनियुक्ति के लिए पात्र होगा।

परंतु यह कि कोई भी व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में चयनित नहीं होगा यदि उसकी आयु बासठ वर्ष की हो चुकी है।

125. **प्राधिकरण का सचिव**-- बोर्ड के अधीन रक्षोपाय अपर महानिदेशक, प्राधिकरण का सचिव होगा।

126. **पद्धति और प्रक्रिया अवधारित करने की शक्ति**-- प्राधिकरण यह अवधारण करने के लिए कि क्या माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय पर फायदे, मूल्य में कटौती की अनुरूपता द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्तकर्ता को पहुंच रहे हैं, पद्धति और प्रक्रिया को अवधारित कर सकता है।

127. **प्राधिकरण के कर्तव्य**-- प्राधिकरण का कर्तव्य होगा कि

(i) यह अवधारित करे कि क्या किसी माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती के फायदे या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्य में कटौती की अनुरूपता द्वारा प्राप्तकर्ता को पहुंच रहे हैं;

(ii) वह उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की पहचान करे जो माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर में कटौती के फायदे या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तकर्ता को नहीं पहुंचा रहा है;

(iii) प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि -

(क) वह मूल्यों में कटौती का आदेश दे;

(ख) प्राप्तकर्ता को, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से होने वाली रकम के समकक्ष रकम, उच्च दर पर रकम संग्रहित करने की तारीख से वापिस करने की तारीख तक अठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित, वापिस करने का आदेश दे सकेगा; या

उस दशा में जहां पात्र व्यक्ति वापिस की रकम प्राप्त करने के लिए उपलब्ध नहीं है, खंड (ख) के अधीन वापिस नहीं की गई ब्याज सहित रकम की वसूली का आदेश दे सकेगा और उसे धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में निक्षेप करेगा।

(ग) अधिनियम के अधीन यथाविहित शास्ति अधिरोपित करना; और

(घ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण को रद्द करना ।

**128. स्थायी समिति और छानबीन समिति द्वारा आवेदन का परीक्षण :-** (1) स्थायी समिति, किसी हितबद्ध पक्षकार या आयुक्त या किसी अन्य व्यक्ति से, उनके द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट रूप और रीति में लिखित आवेदन की प्राप्ति करने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर आवेदन में उपबंधित साक्ष्य की यथार्थता और यथा योग्यता का परीक्षण करेगी जिससे यह अवधारित किया जा सके कि क्या आवेदक का दावा कि किसी माल या सेवा के प्रदाय में कर की दर में कटौती का फायदा या ईनपुट कर प्रत्यय का फायदा, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाया है, के दावे के समर्थन के लिए क्या प्रथम दृष्टया साक्ष्य है ।

(2) स्थानीय प्रकृति के मामलों पर हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त सभी आवेदनों का परीक्षण प्रथमतः राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा किया जाएगा और यह समाधान होने पर कि प्रदायकर्ता ने धारा 171 के उपबंधों का उल्लंघन किया है, उसकी सिफरिशों सहित आवेदन को स्थायी समिति के पास अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रेषित करेगा ।

**129. आरंभ और कार्यवाहियों का परिचालन :-** (1) जहां स्थायी समिति ने अपना समाधान कर लिया है कि यह दिखाने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि प्रदायकर्ता द्वारा माल और सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती का फायदा या ईनपुट कर प्रत्यय का फायदा, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाया है, मामले को ब्यौरेवार अन्वेषण के लिए रक्षोपाय महानिदेशक को निर्दिष्ट करेगी ।

(2) रक्षोपाय महानिदेशक अन्वेषण संचालित करेगा और क्या माल या सेवाओं के किसी प्रदाय पर कर की दर में कटौती का फायदा या ईनपुट कर प्रत्यय पर फायदा, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तकर्ता तक पहुंचा है, को अवधारित करने के लिये आवश्यक साक्ष्य संग्रहित करेगा ।

(3) रक्षोपाय महानिदेशक, अन्वेषण के आरंभ से पूर्व, हितबद्ध पक्षकारों को सूचना जारी करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित यथा योग्य सूचना अंतर्विष्ट रहेगी, अर्थात् :-

(क) माल या सेवाओं का विवरण जिसके संदर्भ में कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं;

(ख) तथ्यों के विवरण का सार जिस पर आरोप आधारित है; और

(ग) हितबद्ध व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों को जिनके पास उनके उत्तर के लिए कार्यवाहियों से संबंधित सूचना हो सकती है अनुज्ञात समय-सीमा ।

(4) रक्षोपाय महानिदेशक ऐसे अन्य व्यक्तियों जो मामले में ऋजु जांच के लिए उपयुक्त समझे गए हैं, को सूचना जारी कर सकेगा ।

(5) रक्षोपाय महानिदेशक, उसके समक्ष कार्यवाहियों में भाग ले रही किसी एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा दिए गए साक्ष्यों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करवाएगा ।

(6) रक्षोपाय महानिदेशक स्थायी समिति से निर्देश की प्राप्ति से तीन मास की अवधि के भीतर या स्थायी समिति से यथा अनुज्ञात लिखित में अभिलेखित कारणों से ऐसी विस्तारित अवधि जो आगे तीन मास की अवधि से अनधिक हो के भीतर अन्वेषण पूर्ण करेगा और अन्वेषण के पूर्ण होने पर, सुसंगत अभिलेखों के साथ उनके निष्कर्ष की एक रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंपेगा।

130. **सूचना की गोपनीयता :-** (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 11 के उपबंध, नियम 129 के उपनियम (3) और (5) और नियम 133 के उपनियम (2) में अन्य बातों के साथ अंतर्विष्ट होते हुए भी, गोपनीयता के आधार पर उपलब्ध करायी गई सूचना के प्रकटीकरण पर यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

(2) रक्षोपाय महानिदेशक, पक्षकार जो गोपनीयता के आधार पर जानकारी दे रहे हैं, से गैर-गोपनीय सार देने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि, ऐसी जानकारी देने वाले पक्षकार की यह राय है कि ऐसी जानकारी का सार नहीं किया जा सकता, ऐसे पक्षकार रक्षोपाय महानिदेशक को, कि क्यों सार करना संभव नहीं है के कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं:

131. **अन्य अभिकरणों या कानूनी प्राधिकरणों के साथ सहयोग :-** जहां रक्षोपाय महानिदेशक ठीक समझे, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी अन्य अभिकरण या विधिक प्राधिकार की राय मांग सकता है।

132. **साक्ष्य देने और दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को समन करने की शक्ति :-** (1) रक्षोपाय महानिदेशक या उनकी ओर से उनके द्वारा प्राधिकृत एक अधिकारी को किसी व्यक्ति को समन करने की शक्ति प्रयोग करने के लिए जिसकी उपस्थिति या तो साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने या धारा 70 के अधीन कोई अन्य चीज के लिए आवश्यक है, उचित अधिकारी समझा जायेगा और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अधीन सिविल न्यायालय की दशा में यथा उपबंधित, उसी रीति में जांच की शक्ति होगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सभी ऐसी जांच, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 193 और 228 के अर्थ के अंतर्गत "न्यायिक कार्यवाहियां" समझी जाएं।

133. **प्राधिकरण का आदेश :-** (1) प्राधिकरण, रक्षोपाय महानिदेशक से रिपोर्ट प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर अवधारित करेगा कि क्या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती के फायदे या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाए हैं।

(2) जहां ऐसे हितबद्ध पक्षकारों से लिखित में कोई प्रार्थना प्राप्त होती है, प्राधिकरण द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को सुनने का एक अवसर प्रदान करेगा।

(3) जहां प्राधिकरण यह अवधारित करता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कटौती के फायदे या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे को मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से प्राप्तकर्ता को नहीं पहुंचाया है, प्राधिकरण :-

(क) मूल्यों में कटौती का आदेश कर सकेगा;

(ख) प्राप्तकर्ता को, मूल्यों में कटौती की अनुरूपता से होने वाली रकम के समकक्ष रकम, उच्च दर पर रकम संग्रहित करने की तारीख से वापिस करने की तारीख तक अठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित, वापिस करने का आदेश दे सकेगा; या

उस दशा में जहां पात्र व्यक्ति वापिस की रकम प्राप्त करने के लिए उपलब्ध नहीं है, खंड (ख) के अधीन वापिस नहीं की गई ब्याज सहित रकम की वसूली का आदेश दे सकेगा और उसे धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में निक्षेप करेगा।

(ग) अधिनियम के अधीन यथाविहित शास्ति का अधिरोपण; और

(घ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण।

134. **बहुमत द्वारा विनिश्चय** :- यदि प्राधिकरण के सदस्यों की राय किसी बिंदु पर भिन्न है, बिंदु बहुमत की राय अनुसार विनिश्चित होगा।

135. **रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अनुपालना** :- इन नियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश की अनुपालना तुरंत रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी, जिसके न होने पर, यथास्थिति एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या अपने-अपने राज्यों के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अनुसार रकम वसूलने की कारवाई आरंभ की जाएगी।

136. **आदेश की मानीटरी** :- प्राधिकरण, उसके द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन को मानीटर करने के लिए किसी केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के किसी प्राधिकार की अपेक्षा कर सकता है।

137. **प्राधिकरण की अवधि** :- परिषद्, उस तारीख से जब से अध्यक्ष ने कार्यभार संभाला था, से दो वर्ष के पश्चात् अस्तित्वहीन हो जाएगी, जब तक कि परिषद् अन्यथा सिफारिश न करे।

स्पष्टीकरण: इस अध्याय के प्रयोजन के लिए,

(क) "प्राधिकरण" से नियम 122 के अधीन गठित राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) "समिति" से नियम 123 के उपनियम (1) के अधीन परिषद् द्वारा गठित मुनाफाखोरी रोधी स्थायी समिति अभिप्रेत है;

(ग) "हितबद्ध पक्षकार" जिसके अंतर्गत शामिल है -

क. कार्यवाहियों के अधीन माल और सेवाओं के प्रदायकर्ता; और

ख. कार्यवाहियों के अधीन माल और सेवाओं के प्राप्तकर्ता;

(घ) "छानबीन समिति" से नियम 123 के उपनियम (2) के अधीन गठित राज्य स्तरीय छानबीन समिति अभिप्रेत है।

## अध्याय--- XVI

### ई - वे नियमावली

ऐसे समय तक जब तक ई - वे बिल सिस्टम, परिषद् द्वारा विकसित एवं अनुमोदित नहीं हो तब तक सरकार, जब माल संचलन में हो या ट्रांजिट स्टोरेज में हो, अधिसूचना द्वारा उन दस्तावेजों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जो माल के परेषण को ले जा रहे वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा साथ ले जाए जाएंगे।

प्ररूप जीएसटी सीएमपी -01

[नियम 3(1) देखें]

धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए प्रज्ञापना (प्रशमन् उदग्रहण)

(केवल नियत तारीख को विद्यमान प्रव्रजेन विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए)

1. जीएसटीआईएन/अनितम पहचान		
2. विधिक नाम		
3. व्यापारिक का नाम, यदि कोई हो		
4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता		
5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग <निम्नलिखित में से चयन करें>		
(i) ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता		<input type="checkbox"/>
(ii) अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट आपूर्तियां करने वाले आपूर्तिकर्ता		<input type="checkbox"/>
(iii) प्रशमन् उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य आपूर्तिकर्ता		<input type="checkbox"/>
6. वित्तीय वर्ष जिससे प्रशमन् स्कीम के विकल्प का लिया गया है		2017-18
7. अधिकार- क्षेत्र	केन्द्र	राज्य
8. घोषणा - मैं घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कारबार में धारा 10 के अधीन कर के संदाय के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों का पालन किया गया है ।		
9. सत्यापन मैं _____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।  प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर  नाम  स्थान तारीख  पदनाम/हैसियत		

## प्ररूप जीएसटी सीएमपी -02

[नियम 3(2) देखें]

धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए प्रज्ञापना (प्रशमन् उदग्रहण)  
(अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रकृत व्यक्तियों के लिए)

1. जीएसटीआईएन		
2. विधिक नाम		
3. व्यापारिक का नाम, यदि कोई हो		
4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता		
5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग <निम्नलिखित में से चयन करें>		
(i)	ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता	<input type="checkbox"/>
(ii)	अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट आपूर्तियां करने वाले आपूर्तिकर्ता	<input type="checkbox"/>
(iii)	प्रशमन् उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य आपूर्तिकर्ता	<input type="checkbox"/>
6. वित्तीय वर्ष जिससे प्रशमन् स्कीम के विकल्प का लिया गया है		
7. अधिकार- क्षेत्र	केन्द्र	राज्य
8. घोषणा – मैं घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कारबार में धारा 10 के अधीन कर के संदाय के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों का पालन किया गया है ।		
9. सत्यापन मैं _____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।  प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर  नाम  स्थान तारीख  पदनाम/हैसियत		



प्ररूप जीएसटी सीएमपी -03

[नियम 3(4) देखें]

**प्रशमन** उदग्रहण के विकल्प की तारीख को स्टॉक के ब्यौरों की प्रजापना  
(केवल नियत तारीख को विद्यमान प्रव्रजेन विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए)

1. जीएसटीआईएन	
2. विधिक नाम	
3. व्यापारिक का नाम, यदि कोई हो	
4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता	
5. धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए दाखिल किए गए आवेदन के ब्यौरा	(i) आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)
	(ii) दाखिल करने की तारीख
6. अधिकार- क्षेत्र	केन्द्र राज्य

7. विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से किए गए क्रय का स्टॉक

क्रम सं०	जीएसटीआईएन/टीआईएन	आपूर्तिकर्ता का नाम	बिल/बीजक सं०	तारीख	स्टॉक का मूल्य	मूल्य वर्धित कर (वैट)	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क	सेवा-कर (यदि लागू हो)	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
कुल योग									

8. विद्यमान विधि के अधीन गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से किए गए क्रय का स्टॉक

क्रम सं०	गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम	पता	बिल/बीजक सं०	तारीख	स्टॉक का मूल्य	मूल्य वर्धित कर (वैट)	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क	सेवा-कर (यदि लागू हो)	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

1																			
2																			
कुल योग																			
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">9. संदत्त कर के ब्यौर</td> <td>विवरण</td> <td>केन्द्रीय कर</td> <td>राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर</td> </tr> <tr> <td>रकम</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>विकलन प्रविष्टि सं०</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>10. सत्यापन</p> <p>मैं _____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।</p> <p style="text-align: center;">प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर</p> <p style="text-align: center;">नाम</p> <p>स्थान तारीख</p> <p style="text-align: center;">पदनाम/हैसियत</p>										9. संदत्त कर के ब्यौर	विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	रकम			विकलन प्रविष्टि सं०		
9. संदत्त कर के ब्यौर	विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर																
	रकम																		
	विकलन प्रविष्टि सं०																		

प्ररूप जीएसटी सीएमपी -04

[नियम 6(2) देखें]

प्रशमन् उदग्रहण से प्रत्याहरण के लिए प्रज्ञापना/आवेदन

1. जीएसटीआईएन	
2. विधिक नाम	
3. व्यापारिक का नाम, यदि कोई हो	
4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता	
5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग	
(i) ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता	<input type="checkbox"/>
(ii) अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट	<input type="checkbox"/>

आपूर्तियां करने वाले आपूर्तिकर्ता					
(iii) प्रशमन उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य आपूर्तिकर्ता		<input type="checkbox"/>			
6. कारबार की प्रकृति					
7. तारीख जिससे प्रशमन स्कीम से प्रत्याहरण की ईप्सा की गई है			दिन	मास	वर्ष
8. अधिकार- क्षेत्र		केन्द्र	राज्य		
9. प्रशमन स्कीम से प्रत्याहरण के कारण					
10. सत्यापन					
<p>मैं _____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।</p> <p style="text-align: center;">प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर</p> <p style="text-align: center;">नाम</p> <p>स्थान</p> <p>तारीख</p> <p style="text-align: center;">पदनाम/हैसियत</p>					

टिप्पण: उस तारीख से, जिससे प्ररूप जीएसटी आइटीसी-01 में प्रशमन विकल्प का प्रत्याहरण किया गया है, पूर्ववर्ती तारीख को उपलब्ध स्टॉक पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए पृथक रूप से स्टॉक विवरण दिया जा सकेगा।

## प्ररूप जीएसटी सीएमपी -05

[नियम 6(4) देखें]

संदर्भ सं०&lt;&lt; ... &gt;&gt;

&lt;&lt;तारीख&gt;&gt;

सेवा में

जीएसटीआईएन

नाम

पता

धारा 10 के अधीन कर संदाय के विकल्प की प्रत्याख्यान के लिए

मेरी जानकारी में आई ऐसी सूचना के आधार पर यह प्रतीत होता है कि आप ने धारा 10 के अधीन प्रशमन स्कीम के उपभोग के लिए आवश्यक शर्तों और प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है। अतः मैं आपको निम्नलिखित कारणों से उक्त धारा के अधीन संदाय के विकल्प प्रत्याख्यान करता हूँ। :-

1

2

3

....

?आपको इस सूचना की तामील की तारीख से पंद्रह कार्यदिवसों के भीतर इस सूचना का उत्तर देने का संदर्भ दिया जाता है।

?आपको .....दिन/मास/वर्ष को .....बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर होने का संदर्भ दिया जाता है।

यदि आप नियत तारीख के भीतर उत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तारीख और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए हाजिर होने में असफल रहते हैं तो मामले का उपलब्ध अभिलेख और गुणावगुण के आधार पर विनिश्चय किया जाएगा।

हस्ताक्षर

उचित अधिकारी का नाम

पदनाम

अधिकार- क्षेत्र

स्थान तारीख

प्ररूप जीएसटी सीएमपी -06  
[नियम 6(5) देखें]  
कारण बताओं सूचना का उत्तर

1.	जीएसटीआईएन	
2.	कारण बताओं सूचना के ब्यौरा	संदर्भ सं०
		तारीख
3.	विधिक नाम	
4.	व्यापारिक का नाम, यदि कोई हो	
5.	कारबार के प्रमुख स्थान का पता	
6.	सूचना का उत्तर	
7.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची	
8.	सत्यापन	<p>मैं _____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।</p> <p style="text-align: right;">प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर</p> <p>तारीख स्थान</p>

टिप्पण –

1. उत्तर 500 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए यदि वह 500 शब्दों से अधिक है तो उसे पृथक रूप से अपलोड किया जाए ।

2. समर्थनकारी दस्तावेजों, यदि कोई हों, दस्तावेजों को पीडीएफ फार्मेट में अपलोड किया जाए ।

प्ररूप जीएसटी सीएमपी -07

[नियम 6(5) देखें]

संदर्भ सं०<< ... >>

<<तारीख>>

सेवा में

जीएसटीआईएन

नाम

पता

आवेदन संदर्भ सं० (एआरएन)

तारीख -

कारण बताओं सूचना के उत्तर को स्वीकार करने/नामंजूर करने के लिए आदेश

यह संदर्भ संख्या.....तारीख..... द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के प्रत्युत्तर में दाखिल किए गए आपके तारीख..... के उत्तर के संदर्भ में है। आपके उत्तर की परीक्षा की गई और उसे समाधानप्रद रूप में पाया गया है और अतः, प्रशमन स्कीम के अधीन कर संदाय के विकल्प को जारी रखा जाएगा। उक्त कारण बताओ सूचना रद्द की जाती है।

या

यह संदर्भ संख्या.....तारीख..... द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के प्रत्युत्तर में दाखिल किए गए आपके तारीख..... के उत्तर के संदर्भ में है। आपके उत्तर की परीक्षा की गई और उसे समाधानप्रद रूप में नहीं पाया गया है और अतः, प्रशमन स्कीम के अधीन कर संदाय के विकल्प का निम्नलिखित कारणों से <<>> से प्रत्याख्यान किया जाता है।

<<पाठ>>

या

आपने कारण बताओ सूचना का कोई उत्तर दाखिल नहीं किया है; या

आप सुनवाई के लिए नियत तारीख हाजिर नहीं हुए हैं।

अतः निम्नलिखित कारणों से <<तारीख>> से संविचरणा स्कीम के अधीन आपके कर संदाय के विकल्प का प्रत्याख्यान किया जाता है :

<<पाठ>>

तारीख

स्थान

हस्ताक्षर

उचित अधिकारी का नाम

पदनाम

अधिकार- क्षेत्र

प्ररूप जीएसटी आरईजी -01  
[नियम 8(1) देखें]  
रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति और धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट किसी गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत से बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या विपर्यन सेवाओं का प्रदाय करने वाला कोई व्यक्ति)

भाग - क

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश  जिला -

(i)	कारबार का विधिक नाम: (यथाउल्लिखित स्थायी लेखा संख्या)	
(ii)	स्थायी लेखा संख्या : (कारबार का स्थायी लेखा संख्या; भागीदारी समुत्थान की दशा में व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्या प्रविष्ट करें)	
(iii)	ई-मेल पता :	
(iv)	मोबाइल संख्या :	
<p>टिप्पण-भाग-ख को भरने हेतु कार्रवाई से पूर्व ऊपर दी गई सूचना ऑनलाइन सत्यापन के अध्याधीन होगी । आवेदन दाखिल करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को अपना मोबाइल सं0 और ई-मेल पता देना होगा ।</p>		
<b>भाग-ख</b>		
1.	व्यापारिक का नाम, यदि कोई हो	
2.	कारबार का गठन (समुचित का चयन करें)	
(i) स्वत्वाधिकारी	<input type="checkbox"/>	(ii) भागीदारी
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(iii) हिंदु अविभक्त कुटुम्ब	<input type="checkbox"/>	(iv) प्राईवेट लिमिटेड कंपनी	<input type="checkbox"/>
(v) पब्लिक लिमिटेड कंपनी	<input type="checkbox"/>	(vi) सोसायटी/क्लब/न्यास/व्यक्ति संगम	<input type="checkbox"/>
(vii) सरकारी विभाग	<input type="checkbox"/>	(viii) पब्लिक सैक्टर उपक्रम	<input type="checkbox"/>
(ix) असीमित कंपनी	<input type="checkbox"/>	(x) सीमित दायित्व भागीदारी	<input type="checkbox"/>
(xi) स्थानीय प्राधिकारी	<input type="checkbox"/>	(xii) कानूनी निकाय	<input type="checkbox"/>
(xiii) विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	<input type="checkbox"/>	(xiv) रजिस्ट्रीकृत विदेशी कंपनी (भारत में)	<input type="checkbox"/>
(xv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3.	राज्य का नाम	<input type="checkbox"/>	जिला
4.	अधिकार- क्षेत्र	राज्य	केन्द्र
		सैक्टर, सर्कल, वार्ड, युनिट आदि	
		अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	



5.	संविचरणा के लिए विकल्प	हां/नहीं	
6.	<input type="checkbox"/> संविचरणा की घोषणा मैं यह घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कारबार में अधिनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों का या संविचरणा स्कीम के अधीन कर संदाय के विकल्प के लिए नियमों का पालन किया गया है ।		
6.1	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग <चैकबॉक्स में चिन्हित करें>		
(i)	ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, जिसके लिए विकल्प उपलब्ध नहीं हैं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता		
(ii)	अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने वाले प्रदायकर्ता		
(iii)	संविचरणा उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता ।		
7.	कारबार के प्रारंभ की तारीख	दिन/मास/वर्ष	
8.	तारीख जिसको रजिस्टर किए जाने का दायित्व उत्पन्न हुआ है	दिन/मास/वर्ष	
9.	क्या आपने नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रिकरण के लिए आवेदन किया है	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
10.	यदि क्रम सं0 9 में 'हां' का चयन किया गया है तो वह अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रिकरण अपेक्षित है	से दिन/मास/वर्ष	तक दिन/मास/वर्ष
11.	यदि क्रम सं0 9 में 'हां' का चयन किया गया है तो रजिस्ट्रिकरण की अवधि के दौरान प्राक्कलित प्रदायों और प्राक्कलित शुद्ध कर दायित्व ।		
क्रम सं0	कर का प्रकार	आवर्त (रुपए में)	शुद्ध कर दायित्व (रुपए में)
(i)	एकीकृत कर		
(ii)	केन्द्रीय कर		
(iii)	राज्य कर		
(iv)	संघ राज्यक्षेत्र कर		
(v)	उपकर		
	कुल योग		

संदाय के ब्यौरा					
चालान पहचान संख्या		तारीख		रकम	
12.	क्या आपने विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है?	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>		
	(i) विशेष आर्थिक क्षेत्र के नाम का चयन करें				▽
	(ii) अनुमोदन आदेश संख्या और आदेश की तारीख				
	(iii) अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का पदनाम				
13.	क्या आपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है?	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>		
	(i) विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता के नाम का चयन करें				▽
	(ii) अनुमोदन आदेश संख्या और आदेश की तारीख				
	(iii) अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का पदनाम				
14.	रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने कारण:				
	(i) सीमारेखन	(viii) दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का विलियन /समामेलन			
	(ii) अंतरराज्यिक प्रदाय	(ix) इनपुट सेवा वितरक			
	(iii) धारा 9(3) या 9(4) के अधीन माल या सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के रूप में कर संदाय का दायित्व ।	(x) धारा 9(5)के अधीनकर संदाय के लिए दायी व्यक्ति			
	(iv) ऐसे कारबार का अंतरण जिसमें कारबार के स्वामित्व का परिवर्तन हो (यदि अंतरिति रजिस्ट्रीकृत अस्तित्व नहीं है)	(xi) ई-कार्मस पोर्टल के माध्यम से प्रदाय करने वाला कराधेय व्यक्ति			
	(v) स्वत्वाधिकारी की मृत्यु (यदि उत्तरवर्ती रजिस्ट्रीकृत अस्तित्व नहीं है)	(xii) स्वैच्छिक आधार			
	(vi) निर्विलयन	(xiii) अन्य कराधेय व्यक्ति (व्यक्तियों) की ओर से माल और/या सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति			
	(vii) कारबार के गठन में परिवर्तन	(xiv) अन्य (जो ऊपर नहीं आते हैं) – विनिर्दिष्ट करें			
15.	विद्यमान रजिस्ट्रीकरण उपदर्शित करें जहां कहीं लागू हों ।				
मूल्य वर्धित कर के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्या					

केन्द्रीय विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण संख्या				
प्रवेश कर रजिस्ट्रीकरण संख्या				
मनोरंजन कर रजिस्ट्रीकरण संख्या				
होटल और विलासिता रजिस्ट्रीकरण संख्या				
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्या				
सेवा-कर रजिस्ट्रीकरण संख्या				
कारपोरेट पहचान संख्या/विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या				
सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या/विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या				
आयातकर्ता/निर्यातकर्ता कोड संख्या				
चिकित्सीय और प्रसाधन निर्मिति (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्या				
दुकानों और संस्थापन अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्या				
अस्थायी पहचान, यदि कोई हो				
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)				
16.	(क) कारबार के मुख्य स्थान का पता			
भवन सं0/फ्लैट सं0		तल सं0		
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली		
शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव		जिला		
तालुक/ब्लॉक				
राज्य		पिन कोड		
अक्षांतर		देशांतर		
(ख) संपर्क सूचना				
कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय दूरभाष संख्या	एसटीडी	
मोबाईल संख्या		कार्यालय फैक्स संख्या	एसटीडी	

(ग) परिसर की प्रकृति					
निज	पट्टा	किराए पर	सहमति	हिस्सेदार	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
(घ) ऊपर वर्णित परिसर पर किए जा रहे कारबार के क्रियाकलापों की प्रकृति (जो लागू हों कृपय उन्हें चिन्हित करें)					
फैक्टरी/विनिर्माण	<input type="checkbox"/>	थोक कारबार	<input type="checkbox"/>	खुदरा कारबार	<input type="checkbox"/>
भांडागार/डिपो	<input type="checkbox"/>	बंधित भांडागार	<input type="checkbox"/>	सेवाओं के प्रदायकर्ता	<input type="checkbox"/>
कार्यालय/विक्रय कार्यालय	<input type="checkbox"/>	पट्टा कारबार	<input type="checkbox"/>	माल या सेवाओं का प्राप्तिकर्ता	<input type="checkbox"/>
ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी	<input type="checkbox"/>	कार्य संविदा	<input type="checkbox"/>	निर्यात	<input type="checkbox"/>
आयात	<input type="checkbox"/>	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	<input type="checkbox"/>		

## 17. बैंक खाता (खातों) का ब्यौरा

कारबार चलाने के लिए आवेदक द्वारा रखे गए बैंक खातों की कुल संख्या (10 बैंक खातों तक की रिपोर्ट दी जाए)	
--	--

## बैंक खाता 1 का ब्यौरा

खाता संख्या															
खाते का प्रकार											आईएफएससी				
बैंक का नाम															

शाखा का पता	ऑटो पोपुलेटेड द्वारा किया जाए (संपादित विधि)
-------------	--

टिप्पण – और अधिक खतों को जोड़ें -----

18. कारबार द्वारा प्रदायित माल का ब्यौरा

कृपया 5 उच्च श्रेणी के माल को विनिर्दिष्ट करें		
क्रम सं०	माल का विवरण	एचएसएन कोड (चार अंको में)
(i)		
(ii)		
...		
(v)		

19. कारबार द्वारा प्रदायित सेवाओं का ब्यौरा ।

कृपया 5 उच्च श्रेणी की सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें		
क्रम सं०	सेवाओं का विवरण	एचएसएन कोड (चार अंको में)
(i)		
(ii)		
...		
(v)		

20. कारबार के अतिरिक्त स्थान (स्थानों) का ब्यौरा

अतिरिक्त स्थानों की संख्या	
----------------------------	--

परिसर ।

(क) कारबार के अतिरिक्त स्थानों का ब्यौरा

भवन सं०/फ्लैट सं०		तल सं०	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव		जिला	

तालुक/ब्लॉक					
राज्य			पिन कोड		
अक्षांश			देशांतर		
(ख) संपर्क सूचना					
कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय दूरभाष संख्या	एसटीडी		
मोबाईल संख्या		कार्यालय फैक्स संख्या	एसटीडी		
(ग) परिसर की प्रकृति					
निज	पट्टा	किराए पर	सहमति	हिस्सेदार	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
(घ) ऊपर वर्णित परिसर पर किए जा रहे कारबार के क्रियाकलापों की प्रकृति (जो लागू हों कृपया उन्हें चिन्हित करें)					
फैक्टरी/विनिर्माण	<input type="checkbox"/>	थोक कारबार	<input type="checkbox"/>	खुदरा कारबार	<input type="checkbox"/>
भांडागार/डिपो	<input type="checkbox"/>	बंधित भांडागार	<input type="checkbox"/>	सेवाओं के प्रदायकर्ता	<input type="checkbox"/>
कार्यालय/विक्रय कार्यालय	<input type="checkbox"/>	पट्टा कारबार	<input type="checkbox"/>	माल या सेवाओं का प्राप्तिकर्ता	<input type="checkbox"/>
ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी	<input type="checkbox"/>	कार्य संविदा	<input type="checkbox"/>	निर्यात	<input type="checkbox"/>
आयात	<input type="checkbox"/>	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	<input type="checkbox"/>		

21. स्वत्वाधिकारी/सभी भागीदार/कर्ता/प्रबंधकन संदर्भक और न्यास के संगम/बोर्ड के प्रबंधकन समिति के पूर्णकालिक संदर्भक/सदस्यों का ब्यौरा ।

विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तारीख	दिन/मास/वर्ष	लिंग	अन्य>
मोबाईल संख्या		ई-मेल पता	
टेलीफोन सं० एसटीडी सहित			
पदनाम/हैसियत		संदर्भक पहचान संख्या (यदि कोई है)	
स्थायी लेखा संख्या		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/ नहीं	पासपोर्ट संख्या (विदेशी नागरिक की दशा में)	
आवासीय पता			
भवन सं०/फ्लैट सं०		तल सं०	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव		जिला	
ब्लॉक/तालुक			
राज्य		पिन कोड	
देश(विदेशी नागरिक की दशा में)		ज़िप कोड	

22.

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का ब्यौरा

प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए चैक बॉक्स   
हस्ताक्षरी सं० 1 का ब्यौरा

विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
नाम			
फोटो			

पिता का नाम			
जन्म की तारीख	दिन/मास/वर्ष	लिंग	अन्य>
मोबाईल संख्या		ई-मेल पता	

टेलीफोन नंबर, एसटीडी के साथ			
पदनाम/हैसियत		संदर्भक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
स्थायी खाता संख्या		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं ?	हां/नहीं	पासपोर्ट नंबर (विदेशियों के मामलों में)	

भारत में आवासीय पता			
मकान नंबर/ फ्लैट नंबर		तल नंबर	
परिसर /मकान का नाम		सड़क/ गली	
ब्लाक /तालुका			
शहर/ नगर /मुहल्ला/ ग्राम		जिला	
राज्य		पिन कोड	

### 23.प्राधिकृत प्रतिनिधि का ब्यौरा

नामांकन आई डी, यदि उपलब्ध हो			
निम्नलिखित ब्यौरा दे, यदि नामांकन आई डी उपलब्ध न हो			
स्थायी खाता संख्या			
आधार, यदि स्थायी खाता संख्या उपलब्ध न हो			
	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम



व्यक्ति का नाम											
पदनाम/हैसियत											
मोबाइल नंबर											
ई मेल पता											
टेलीफोन नंबर, एस टी डी के साथ						फैक्स नंबर, एस टी डी के साथ					

24. विनिर्दिष्ट सूचना का विवरण दें

पेशा कर नामांकन कोड संख्या

पेशा कर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या

उत्पाद शुल्क अनुज्ञप्ति संख्या और उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम से उत्पाद शुल्क की अनुज्ञप्ति है

- (क) क्षेत्र 1
- (ख) क्षेत्र 2
- (ग) ....
- (घ) .....
- (ड.) क्षेत्र n

25. दस्तावेज अपलोड करना

प्ररूप में क्षेत्र मूल्य के अनुसार ग्राहक-अपेक्षित दस्तावेजों की सूची को अपलोड करने (नियम 8 में निर्दिष्ट) की अपेक्षा की जाती है।

26. सहमति

मैं आधार संख्या के धारक की और से <प्ररूप में दिये गए आधार संख्या के आधार पर पहले से भरे गए> माल और सेवा कर नेटवर्क को अधिप्रमाणित करने के उद्देश्य से अपना ब्यौरा प्राप्त कराने हेतु सहमति देता हूँ। माल और सेवा कर नेटवर्क ने मुझे सूचित किया है कि पहचान की जानकारी का प्रयोग केवल आधार धारक की पहचान मान्य करने के लिए किया जाएगा और केवल अधिप्रमाणित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय पहचान डेटा संग्रह के साथ साझा किया जाएगा।

27. सत्यापन (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा)

..... मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई सूची मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य और ठीक है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

## हस्ताक्षर

स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....

तारीख पदनाम/हैसियत.....

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची :--

1.	<p>फोटो (जहां आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है)</p> <p>(क) स्वत्वाधिकारी समुत्थान –स्वत्वाधिकारी</p> <p>(ख) भागीदारी फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी –प्रबंधक/प्राधिकृत/अभिहित भागीदार (सभी भागीदारों के व्यक्तिगत ब्यौरा प्रस्तुत किए जाएंगे, परंतु प्रबंधक भागीदार सहित केवल दस भागीदारों की फोटो प्रस्तुत की जाएगी)</p> <p>(ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब –कर्ता</p> <p>(घ) कंपनी –प्रबंधकसंदर्भक या प्राधिकृत व्यक्ति</p> <p>(ङ) न्यास –प्रबंधक न्यासी</p> <p>(च) व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय –प्रबंधक समिति के सदस्य (सभी सदस्यों के व्यक्तिगत ब्यौरा प्रस्तुत किए जाएंगे, परंतु अध्यक्ष सहित केवल दस सदस्यों की फोटो प्रस्तुत की जाएगी)</p> <p>(छ) स्थानीय प्राधिकारी – मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका समतुल्य</p> <p>(ज) कानूनी निकाय – मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका समतुल्य</p> <p>(झ) अन्य – भारसाधक व्यक्ति</p>
2.	<p>कारबार का गठन : भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारी विलेख, सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब, सरकारी विभाग, व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय और अन्य, आदि की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/गठन का प्रमाण ।</p>
3.	<p>कारबार के मुख्य स्थान का प्रमाण :</p> <p>(क) स्वयं के परिसर के लिए--</p> <p>परिसर के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज, यथा नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विधुत बिल की प्रति ।</p>

	<p>(ख) भाड़े पर लिए गए या पट्टे पर लिए गए परिसर के लिए--</p> <p>पट्टाकर्ता के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विधुत बिल की प्रति के साथ वैध किराए/पट्टा करार की प्रति ।</p> <p>(ग) ऊपर (क) और (ख) के अंतर्गत न आने वाले परिसर के लिए--</p> <p>सहमतिकर्ता के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विधुत बिल की प्रति के साथ सहमति पत्र की प्रति । शेरर की गई संपत्तियों के लिए भी, यही दस्तावेज अपलोड किए जा सकेंगे ।</p> <p>(घ) भाड़े पर लिए गए/पट्टे पर लिए गए परिसर के लिए, जहां किराए/पट्टा करार उपलब्ध नहीं है, वहां परिसर के कब्जे के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, विधुत बिल की प्रति के साथ उस प्रभाव का शपथपत्र ।</p> <p>(ङ) यदि कारबार का मुख्य स्थान विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित है या आवेदक विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकासकर्ता है, तो भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को अपलोड करना अपेक्षित है ।</p>
<p>4.</p>	<p>बैंक खाते से संबंधित प्रमाण :</p> <p>बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ या बैंक विवरण के सुसंगत पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति या रद्द किए गए चैक की, जिसमें स्वत्वधारी या कारबार अस्तित्व का नाम, बैंक खाता सं०, एम.आई.सी.आर. कोड, आई.एफ.एस.सी. और कोड सहित शाखा विवरण अंतर्विष्ट हो, स्कैन प्रति ।</p>
<p>5.</p>	<p>प्राधिकारपत्र प्ररूप :--</p> <p>आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए, प्रबंधक समिति या संदर्भक बोर्ड के संकल्प या प्राधिकारपत्र की प्रति निम्नलिखित प्ररूप में भरे जाएंगे :</p> <p>प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए पृथक्) (स्वत्वधारी/सभी भागीदार/कर्ता/प्रबंधकसंदर्भक और पूर्णकालिक संदर्भक/संगम की प्रबंधक समिति/ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य आदि)</p> <p>मैं/हम ..... (नाम) (साझेदार/कर्ता/प्रबंधकसंदर्भक और पूर्णकालिक संदर्भक/संगम की प्रबंधक समिति/ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य आदि) (रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम) का सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/करते हैं कि &lt;&lt; प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, (हैसियत/पदनाम) &gt;&gt; को संकल्प सं० ..... तारीख ..... द्वारा (प्रति इसके साथ प्रस्तुत), &lt;&lt; माल और सेवा कर पहचान संख्या- कारबार का नाम &gt;&gt;, कारबार के लिए, जिसके लिए अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन दाखिल किया जा रहा</p>

	<p>है, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । इस कारबार के संबंध में उसके सभी कार्य मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगे ।</p> <p>हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर नाम : हैसियत/पदनाम : (स्वत्वाधिकारी/कारबार अस्तित्व का नाम)</p>
	<p>प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अभिस्वीकृति</p> <p>मैं &lt;&lt; (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) &gt;&gt; उपर्युक्त निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी अभिस्वीकृत देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे ।</p>
<p>स्थान : तारीख :</p>	<p>प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर (नाम) पदनाम/हैसियत :</p>

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

1. व्यक्ति का नाम, कारबार के स्थायी लेखा संख्या में अभिलिखित के अनुसार दर्ज करे । स्वत्वाधिकारी समुत्थान की दशा में, स्वत्वाधिकारी का नाम विधिक नाम के सामने दर्ज करे और स्वत्वाधिकारी का स्थायी लेखा संख्या उल्लिखित करे । स्थायी लेखा संख्या आय-कर डाटाबेस से सत्यापित किया जाएगा ।
2. सत्यापन और भावी संसूचना के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल पता और मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराएं, जो आवेदन के भाग ख को भरे जाने से पूर्व, पृथक रूप से भेजे जाने वाले एक समय पासवर्ड द्वारा सत्यापित किया जाएगा ।
3. कारबार द्वारा किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता घोषित किए जाने की दशा में, आवेदक द्वारा स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/कर्ता/प्रबंधकसंदर्भकों और पूर्णकालिक संदर्भक/संगम की प्रबंधक समिति/ट्रस्टी बोर्ड के सदस्यों आदि हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी आवश्यक है ।
4. निम्नलिखित व्यक्ति नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को डिजिटल हस्ताक्षर कर सकते हैं :--

कारबार का गठन	व्यक्ति, जो आवेदन को डिजिटल हस्ताक्षर कर सकते हैं
स्वत्वधारिता	स्वत्वाधिकारी
भागीदारी	प्रबंधक/प्राधिकृत भागीदार
हिंदू अविभक्त कुटुंब	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंधक/पूर्णकालिक संदर्भक
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंधक/पूर्णकालिक संदर्भक
सोसाइटी/क्लब/ट्रस्ट/व्यक्ति संगम	प्रबंधक समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	भारसाधक व्यक्ति
पब्लिक सेक्टर उपक्रम	प्रबंधक/पूर्णकालिक संदर्भक
असीमित कंपनी	प्रबंधक/पूर्णकालिक संदर्भक
सीमित दायित्व भागीदारी	पदाभिहित भागीदार
स्थानीय प्राधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
कानूनी निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	भारसाधक व्यक्ति

5. प्राधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में जानकारी वैकल्पिक है। यदि प्राधिकृत प्रतिनिधि नामांकित है तो कृपया सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध सूची से अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि का चयन करे, अन्यथा ऐसे व्यक्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराएं।

6. राज्य से संबंधित सूचना केवल संबंधित राज्य के लिए ही सुसंगत है।

7. नीचे वर्णित व्यक्तियों द्वारा भरे गए आवेदन डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होंगे :-

क्रम सं०	आवेदक का प्रकार	अपेक्षित हस्ताक्षर का प्रकार
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर उपक्रम असीमित कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डी.एस.सी.) वर्ग 2 और अधिक

	विदेशी कंपनी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	
2.	उपर्युक्त से अन्यथा	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डी.एस.सी.) वर्ग 2 और अधिक ई-हस्ताक्षर या कोई अन्य ढंग, जो अधिसूचित किया जाए ।

8. स्थायी लेखा संख्या, आधार,संदर्भक पहचान संख्या, चालान पहचान संख्या से संबंधित सभी सूचना, प्रणाली द्वारा आनलाइन विधिमान्य की जाएगी और सभी भरी गई सूचना के सफलतापूर्वक विधिमान्य किए जाने के पश्चात् अभिस्वीकृति प्राप्ति संख्या जनित किया जाएगा ।

9. आनलाइन दाखिल किए गए आवेदन की हैसियत, अभिस्वीकृत पर उपदर्शित आवेदन संदर्भ संख्या (ए.आर.एन.), सामान्य पोर्टल पर प्रविष्ट करके, देखी जा सकती है ।

10. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं है ।

11. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होगा ।

12. किसी व्यक्ति को, जिसके किसी राज्य के भीतर बहु शीर्षका कारबार हैं, जो अपने किसी कारबार शीर्षका के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण चाहता है, प्रत्येक शीर्षका के संबंध में पृथक् रूप से आवेदन करना आवश्यक होगा ।

13. आवेदन के अनुमोदन के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

14. आवेदन के भाग क में प्रारंभिक ब्यौरा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के पश्चात् अस्थायी संदर्भ संख्या (टी.आर.एन.) आबंटित किया जाएगा, जिसका आवेदन के भाग ख में ब्यौरा भरने के लिए उपयोग किया जाएगा । अस्थायी संदर्भ संख्या सामान्य पोर्टल पर 15 दिन की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा ।

15. कोई व्यक्ति, जो नियम 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने के लिए, प्ररूप जी.एस.टी. आर.ई.जी. 01 के भाग 10 में, विकल्प दे सकेगा, जो उक्त धारा के अधीन कर का भुगतान करने की सूचना समझी जाएगी ।

प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी-2

(नियम 8(5) देखें)

अभिस्वीकृति

आवेदन संदर्भ संख्या

आपने आवेदन सफलतापूर्वक दाखिल कर दिया है और आवेदन की विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

दाखिल करने की तारीख :

दाखिल करने का समय :

माल और सेवाकर पहचान संख्या, यदि उपलब्ध हो :

विधिक नाम :

व्यापार नाम :

प्ररूप संख्या :

प्ररूप वर्णन :

केन्द्र अधिकार- क्षेत्र:

राज्य अधिकार- क्षेत्र:

दाखिल किया गया :

स्थायी निदश संख्या, यदि कोई हो :

संदाय के ब्यौरा: चालान पहचान संख्या :

तारीख :

रकम :

यह सिस्टम जेनरेटेड अभिस्वीकृति है और किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है :

\*केवल आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति के मामले में लागू ।

जी.एस.टी. आरईजी-3 प्ररूप

(नियम 9(2) देखें)

संदर्भ संख्या

तारीख

सेवा में,

आवेदक का नाम,

पता,

माल और सेवाकर पहचान संख्या (यदि उपलब्ध हो)

तारीख

आवेदन संदर्भ संख्या

अतिरिक्त जानकारी/ स्पष्टीकरण/दस्तावेजों के लिए नोटिस रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दीकरण के लिए आवेदन से संबंधित

यह आपके एआरएन

तारीख

द्वारा दाखिल किए गए

रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दीकरण के लिए आवेदन के संदर्भ अनुसार है। विभाग ने आपके आवेदन की परीक्षा की है और निम्नलिखित कारणों से वह सन्तुष्ट नहीं है :

1.

2.

3.

? आप तारीख ..... तक अपना जबाव प्रस्तुत करने के लिए निदेशित किए जाते हैं

? आप तारीख ..... को ..... समय पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने के लिए निदेशित किए जाते हैं।

यदि निर्धारित तारीख तक जबाव नहीं आता है तो आपका आवेदन अस्वीकृत होने का दायी होगा।

कृपया नोट करें कि इस मामले में कोई और नोटिस/अनुस्मारक जारी नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षर

उचित अधिकारी का नाम

पद नाम

अधिकार- क्षेत्र

\*नए रजिस्ट्रीकरण आवेदन के लिए लागू नहीं।



प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी-04

(नियम 9(2) देखें)

रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दीकरण के लिए स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज

1.	नोटिस के ब्यौरा	संदर्भ संख्या		तारीख	
2.	आवेदन के ब्यौरा	संदर्भ संख्या		तारीख	
3.	जीएसटीआईएन, यदि लागू हो				
4.	कारबार का नाम (विधिक)				
5.	व्यापार नाम, यदि कोई हो				
6.	पता				
7.	क्या रजिस्ट्रीकरण या फील्ड के लिए आवेदन में कोई उपांतरण अपेक्षित है				हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (एक पर निशान लगाएं)
8.	अतिरिक्त जानकारी				
9.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची				
10.	सत्यापन				
<p>मैं.....सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषित करता हूं कि ऊपर दिए गये जानकारी मेरे सर्वोच्च ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।</p> <p style="text-align: right;">प्राधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर</p> <p style="text-align: center;">नाम</p> <p style="text-align: right;">पदनाम/हैसियत</p> <p>स्थान :</p> <p>तारीख :</p>					

टिप्पणी :

- नए रजिस्ट्रीकरण के लिए मूल रजिस्ट्रीकरण आवेदन संपादन ढंग में उपलब्ध रहेगा यदि मद सात में विकल्प हां चुने ।
- रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों के संशोधन के लिए संशोधन के लिए आशयित फील्ड संपादन ढंग में उपलब्ध रहेगी यदि मद 7 में विकल्प हां चुने ।

प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी-05

(नियम 9(4) देखें)

संदर्भ संख्या :

दिनांक

सेवा में

आवेदक का नाम :

पता

माल और सेवा कर पहचान संख्या (यदि उपलब्ध हो)

रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/ रद्दीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृती का आदेश

यह आपके एआरएन                      तारीख                      द्वारा दाखिल किए गए जबाव के संदर्भ अनुसार है  
। विभाग ने आपके जबाव की परीक्षा की है और निम्नलिखित कारणों से वह सन्तुष्ट नहीं है :

- 1.
- 2.
- 3.

इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है ।

या

आपने संदर्भ संख्या                      तारीख                      द्वारा जारी नोटिस का जबाव उसमें विनिर्दिष्ट समय के  
भीतर नहीं दिया है । इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है ।

हस्ताक्षर

नाम

पद नाम

अधिकार- क्षेत्र





उपबंध क

कारबार के अतिरिक्त स्थानों काब्यौरा

माल और सेवा कर पहचान संख्या  
 विधिक नाम  
 व्यापार नाम, यदि कोई हो  
 राज्य में कारबार के अतिरिक्त स्थानों की कुल संख्या

क्रम सं.	पता
1	
2	
3	

उपबंध ख

माल और सेवा कर पहचान संख्या  
 विधिक नाम  
 व्यापार का नाम, यदि कोई हो

स्वत्वधारी/भागीदार/कर्ता/प्रबंधकसंदर्भक और पूर्णकालिक संदर्भक प्रबंधक समिति व्यक्ति संगमों के सदस्य/ न्यासियों का बोर्ड आदि

1. फोटो	नाम	पदनाम/ हैसियत	राज्य का निवासी
2. फोटो	नाम	पदनाम/ हैसियत	राज्य का निवासी

3. फोटो	नाम	पदनाम/ हैसियत
		राज्य का निवासी
4. फोटो	नाम	पदनाम/ हैसियत
		राज्य का निवासी
5. फोटो	नाम	पदनाम / हैसियत
		राज्य का निवासी
6. फोटो	नाम	पदनाम/ हैसियत
		राज्य का निवासी
7. फोटो	नाम	पदनाम / हैसियत
		राज्य का निवासी
8. फोटो	नाम	पदनाम / हैसियत
		राज्य का निवासी
9. फोटो	नाम	पदनाम/ हैसियत
		राज्य का निवासी
10. फोटो	नाम	पदनाम / हैसियत

राज्य का निवासी  
प्ररूप जीएसटी आरईजी-07  
(नियम 12 (1) देखें)

धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण की संख्या

भाग क

- (i) कर कटौतीकर्ता या कर संग्रहकर्ता का विधिक नाम (स्थायी लेखा संख्या /कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या में उल्लेखानुसार)
- (ii) स्थायी लेखा संख्या  
(कारबार के स्थायी लेखा संख्या भरे संबद्ध स्वत्वधारिता के मामले में व्यक्ति स्थायी लेखा संख्या)
- (iii) कर कटौती संग्रहण लेखा संख्या

(कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या, यदि स्थायी लेखा संख्या उपलब्ध नहीं है ।

(iv) ई-मेल पता

(v) मोबाइल नंबर

टिप्पण - भाग ख भरे जाने के लिए पूर्व कार्रवाई के ऑनलाइन सत्यापन के अधीन उपर्युक्त सूचना प्रस्तुत किया जाना है ।

भाग ख

1. व्यापार का नाम,यदि कोई हो
2. कारबार का गठन (समुचित चयन करें)

- (i) स्वत्वधारी
- (ii) भागीदारी
- (iii) हिन्दु अविभक्त कुटुंब
- (iv) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
- (v) पब्लिक लिमिटेड कंपनी
- (vi) सोसाइटी/ क्लब /न्यास/व्यक्तियों का संगम
- (vii) सरकारी विभाग
- (viii) पब्लिक सेक्टर उपक्रम
- (ix)असीमित कंपनी
- (x)सीमित दायित्व भागीदारी
- (xi)स्थानीय प्राधिकारी
- (xii)कानूनी निकाय
- (xiii)विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी

(xiv) रजिस्ट्रीकृत विदेशी कंपनी (भारत में)

(xv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

3. राज्य का नाम		जिला	
4. अधिकार- क्षेत्र		राज्य	केन्द्र
		सेक्टर/सर्किल /वार्ड /प्रभार/यूनिट इत्यादि	
		इत्यादि	
5	रजिस्ट्रीकरण का प्रकार	कर कटौतीकर्ता <input type="radio"/>	संग्रहकर्ता <input type="radio"/>
6.	सरकार (केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	केन्द्रराज्य/संघ <input type="radio"/>	ज्यक्षेत्र <input type="radio"/>

7.	कर की कटौती करने/संग्रहित करने के दायित्व की तारीख	तारीख/मास/वर्ष
8.	(क) कारबार के मूल स्थान का पता	
	भवन सं./फ्लैट सं.	तल सं.
	परिसर/भवन का नाम	मार्ग/गली
	शहर/नगर/परिक्षेत्र/ग्राम	जिला
	ब्लॉक/ताल्लुका	
	देशान्तर	अक्षांश
	राज्य	पिन कोड
	(ख) संपर्क सूचना	
	कार्यालय ई-मेल पता	कार्यालय टेलीफोन नं.
	मोबाइल नं.	कार्यालय फैक्स नं.
(ग)	परिसरों के कब्जे की प्रकृति	
	स्वमित्व	पट्टे पर दिया गया
		किराये पर दिया गया
		सहमति
		साझा की हुई
		अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
9.	क्या आपने उसी राज्य में माल और सेवा कर के अधीन कोई अन्य रजिस्ट्रीकरण	हां नहीं <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



	प्राप्त किए हैं?			
10	माल और सेवा कर पहचान संख्या का उल्लेख करें			
11	यदि लागू हों			
12	कर कटौती करने/कर संग्रह करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति/डीडीओ (आहरण और सवितरण अधिकारी का ब्यौरा			
विशिष्टियां				
नाम		प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम
पिता का नाम				
फोटो				
जन्म की तारीख		तारीख/मास/वर्ष	लिंग	अन्य>
मोबाइल नं.		ई-मेल पता		
टेलीफोन सं.	एसटीडी सहित			
पदनाम/हेसियत		संदर्भक पहचान संख्या (यदि कोई हो)		
स्थायी लेखा संख्याक		आधार संख्या		
क्या आप बाहर के नागरिक हैं?	हां/नहीं	पासपोर्ट नं. (विदेशी व्यक्तियों के मामले में)		
निवास पता				
भवन सं./फ्लैट सं.		तल सं.		
परिसर/भवन का नाम		परिक्षेत्र/ग्राम		
राज्य		पिन कोड		
13.	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ब्यौरा प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए चेक बॉक्स <input type="checkbox"/> हस्ताक्षरी सं. 1 के ब्यौरा			

विशिष्टयां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तारीख	तारीख/मास/वर्ष	लिंग	अन्य>
मोबाइल नं.		ई-मेल पता	
टेलिफोन नं. एसटीडी सहित			
पदनाम/हैंसियत		संदर्भक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
स्थायी लेखा संख्या		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/नहीं	पासपोर्ट सं.( विदेशी व्यक्तियों के मामले में)	
निवास पता (देश के भीतर)			
भवन सं./फ्लैट सं.		तल सं.	
परिसर/भवन का नाम		मार्ग/गली	
शहर/नगर/परिक्षेत्र/ग्राम		जिला	
राज्य		पिन कोड	
ब्लॉक/ताल्लुका			
टिप्पण-अतिरिक्त लिखें....			
14.	<p>सहमति</p> <p>में आधार सं &lt;प्ररूप में दी गई आधार सं. के आधार पर पहले भरा गया&gt; के धारक की ओर से अधिप्रमाण के प्रयोजन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अपने ब्यौरा प्राप्त करने के लिए “माल और सेवा कर नेटवर्क”को सहमति देता हूं। “माल और सेवा कर नेटवर्क”ने मुझे सूचित किया है कि पहचान सूचना केवल आधार धारक की पहचान को विधिमान्य करने के लिए प्रयोग की जाएगी और इसे अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए ही संग्रह के साथ सांझा किया जाएगा।</p>		

15.	<p>सत्यापन  मैं सत्य निष्ठा से यह प्रतिज्ञा करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें किसी बात को छिपाया नहीं गया है।</p> <p style="text-align: right;">(हस्ताक्षर)</p> <p>स्थान: आहरण और संवितरण अधिकारी/ कर कटौती करने/कर संग्रह करने के लिए  उत्तरदायी व्यक्ति/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम</p> <p>तारीख  (पदनाम)</p>
-----	--

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार विभागों या स्थानों या स्थानीय प्राधिकारी या केन्द्रीय अभिकरणों को लागू न होना):-

	<p>कारबार के मूल स्थान का सबूत:</p> <p>(क) स्वयं के परिसरों के लिए -</p> <p>परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति।</p> <p>(ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए -</p> <p>पट्टाकर्ता के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज यथा नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति के साथ किराया/पट्टा करार की प्रति।</p> <p>(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए -</p> <p>नगरपालिक खाता की प्रति या बिजली के बिल की प्रति जैसे सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमतिपत्र की प्रति। सांझा की गई संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए।</p> <p>(घ) किराए पर दिए गए/पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए जहां किराया/पट्टा करार उपलब्ध नहीं है वहां परिसर के कब्जे के समर्थन में किसी दस्तावेज जैसे बिजली के बिल की प्रति के साथ इस आशय का शपथपत्र।</p> <p>भारत सरकार द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेज या प्रमाणपत्र अपलोड किए जाने अपेक्षित हैं।</p>
--	--

कर कटौतीकर्ता/कर संग्रहकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश।

1. कारबारिक कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या/स्थायी लेखा संख्या पर यथा अभिलिखित कर कटौतीकर्ता/कर संग्रहकर्ता का नाम प्रविष्ट करे। कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या/स्थायी लेखा संख्या आय-कर विभाग डाटाबेस के साथ सत्यापित किए जाएंगे।

2. सत्यापन और भावी संसूचना के लिए कर की कटौती करने/कर संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/डीडीओ (आहरण और संवितरण अधिकारी की ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. उपलब्ध कराए जिसे आवेदन भरने से पहले पृथकतः भेजे जाने वाले वनटाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।

आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकता है।

4. अधोलिखित व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया गया आवेदन डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाएगा।

क्र. सं.	आवेदक के प्रकार	अपेक्षित डिजिटल हस्ताक्षर
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर उपक्रम अपरिसीमित कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी समिति दायित्व भागीदारी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के ई-जो विनिर्दिष्ट हो या जो अधिसूचित किया जाए

संदर्भक पहचान संख्या चालान पहचान संख्या से सम्बन्धित सभी जानकारी प्रणाली द्वारा ऑनलाइन विधिमान्य की जाएगी और अभिस्वीकृति रसीद सं. सभी भरी गई सूचना के सफल विधिमान्यकरण के पश्चात् निर्गत की जाएगी।

6. ऑनलाइन दाखिल किए गए आवेदन की हैसियत को सामान्य पोर्टल पर देखा जा सकता है।

7. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए कोई शुल्क संदेय नहीं है।

8. प्राधिकृत व्यक्ति अवयस्क नहीं होगा।

प्ररूप जीएसटीआरईजी-08  
[नियम 12(3)देखें]

संदर्भ सं.

तारीख:

सेवा में

नाम:

पता:

आवेदन संदर्भ सं. (एआरएन) (प्रतिउत्तर)

तारीख:

स्रोत कर कर कटौतीकर्ता या स्रोत पर कर संग्रहकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण का आदेश

तारीख..... द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के संदर्भ में है।

य

य

चूंकि कारण बताओ सूचना के प्रति आपका प्रतिउत्तर और सुनवाई के समय किए गए निवेदनों की जांच की गई है। अधोहस्ताक्षरी की यह राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) के लिए रद्द किया जा सकता है।

- 1.
- 2.

रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण की प्रभावी तारीख<<तारीख/मास/वर्ष>>.

आपको..... (तारीख) को या इससे पहले अधोलिखित रकम का संदाय करने के लिए संदर्भ दिया जाता है जिसके न हो सकने पर रकम अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वसूल की जाएगी।

(यह आदेश आपके डैश बोर्ड पर भी उपलब्ध है)

शीर्ष	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
कर					
ब्याज					
शास्ति					
अन्य					
कुल					

हस्ताक्षरनाम

पदनाम

अधिकार- क्षेत्र



प्ररूप जीएसटीआरईजी-09  
[नियम 13(1)देखें]

अनिवासी कराधेय व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

भाग-क

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र -

जिला -

(i)	अनिवासी कराधेय व्यक्ति का विधिक नाम	
(ii)	यदि कोई हो	
(iii)	यदि स्थायी लेखा संख्या उपलब्ध नहीं है	
(iv)	कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश में सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम (स्थायी लेखा संख्या के अनुसार)	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का स्थायी लेखा संख्या	
(vii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का ई-मेल पता	
(viii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का मोबाइल नं. (+91)	
<p>वहां ऊपर प्रस्तुत सुसंगत जानकारी ऑनलाइन सत्यापन के अध्याधीन है।</p>		

## भाग-ख

1.	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ब्यौरा (भारत का निवासी होना चाहिए)								
	प्रथम नाम		मध्य नाम		अन्तिम नाम				
	फोटो								
	लिंग		पुरुष/स्त्री/अन्य						
	पदनाम								
	जन्म की तारीख		तारीख/मास/वर्ष						
	पिता का नाम								
	राष्ट्रीयता								
	आधार								
प्राधिकृत हस्ताक्षरी का पता				पता पंक्ति 1					
				पता पंक्ति 2					
				पता पंक्ति 3					
2.	जिसके लिए रजिस्ट्रीकरणअपेक्षित है		से		तक				
			तारीख/मास/वर्ष		तारीख/मास/वर्ष				
3	आवर्त के ब्यौरा		प्राक्कलित आवर्त (रुपये)		प्राक्कलित कर दायित्व (शुद्ध) (रुपये)				
			राज्य के भीतर	अन्तर्राज्यीय	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
4	उद्भव के देश में अनिवासी कराधेय व्यक्ति का पता								
	(कारबार अस्तित्व के मामले में - कार्यालय का पता)								
	पता पंक्ति 1								
	पता पंक्ति 2								
	पता पंक्ति 3								



	देश (ड्रॉप डाउन)			
	जिप कोड			
	ई-मेल पता			
	टेलिफोन नं.			
5	भारत में कारबार के मूल स्थान का पता			
	भवन सं./फ्लैट सं.		तल सं.	
	परिसर/भवन का नाम		मार्ग/गली	
	शहर/नगर/ग्राम/परिक्षेत्र		जिला	
	ब्लॉक/ताल्लुका			
	देशांतर		अक्षांश	
	राज्य		पिन कोड	
	मोबाइल नं.		टेलीफोन नं.	
	ई-मेल पता		फैक्स नं. एसटीडी सहित	
6	भारत में बैंक खाते के ब्यौरा			
	लेखा संख्या		लेखा का प्रकार	
	बैंक का नाम	शाखा का पता	आईएफएससी	
7	<p>अपलोड किए गए दस्तावेज</p> <p>प्ररूप में क्षेत्रीय महत्व के अनुसार दस्तावेजों (अनुदेश देखें) की अनुकूल सूची अपलोड किया जाना अपेक्षित हैं।</p>			
8	<p>घोषणा</p> <p>मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं छिपाई गई है।</p> <p style="text-align: center;">हस्ताक्षर</p> <p>स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम</p> <p>तारीख: पदनाम:</p>			

टिप्पणी: अनिवासी कराधेय व्यक्ति से पासपोर्ट और फोटो की स्कैन की गई प्रति के साथ घोषणा (अधोलिखित प्रारूप के अनुसार) अपलोड करने की अपेक्षा की जाती है।

साक्ष्य के रूप में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:-

1.	<p>मूल कारबार के स्थान का सबूत:</p> <p>(क) स्वयं के परिसरों के लिए –</p> <p>परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति</p> <p>(ख) किराए पर या प्ले पर लिए गए परिसर के लिए –</p> <p>जैसे प्लेकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित विधिमान्य किराया/प्ले करार की प्रति।</p> <p>(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए –</p> <p>नगरपालिक खाता की प्रति या बिजली के बिल की प्रति जैसे सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमतिपत्र की प्रति/सांझा की गई संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए।</p>
2.	<p>अनिवासी कराधेय व्यक्ति के सबूत:</p> <p>वीजा के ब्यौरा सहित अनिवासी कराधेय व्यक्ति के पासपोर्ट की स्कैन की गई प्रति। भारत से बाहर निगमित या स्थापित कारबार अस्तित्व के मामले में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उसकी जिसके आधार पर उस राज्य की सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है या उसका के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।</p>
3	<p>बैंक खाता संबंधी सबूत:</p> <p>बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ या बैंक विवरण के सुसंगत पेज की स्कैन की गई प्रति या स्वत्वधारी आईएफएससी और कोड सहित शाखा के ब्यौरा अन्तर्विष्ट करने वाला रद्द चेक की स्कैन की गई प्रति।</p>
4	<p>प्राधिकार प्ररूप:-</p> <p>आवेदन प्ररूप में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए। निम्नलिखितप्रारूप में दखिल की</p>

	<p>प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरी के लिए अलग से) (स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/कर्ता/प्रबंधकसंदर्भकों और संगमों की प्रबंधक समिति/न्यासी बोर्ड आदि के पूर्णकालिक संदर्भक/सदस्य) मैं/हम.....(नाम) जो .....(रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम) के (भागीदार/कर्ता/प्रबंधकसंदर्भक और संगमों की प्रबंधक समिति/न्यासी बोर्ड आदि के पूर्णकालिक सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करते हैं कि &lt;&lt;प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम (हैंसियत/पदनाम)&gt;&gt; कारबार&lt;&lt;माल और सेवा कर पहचान संख्या - कारबार का नाम के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने के लिए संकल्प संख्या..... तारीख.....(इसके साथ प्रस्तुत प्रति) द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। इस कारबार के सम्बन्ध में उसके सभी कार्य मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगे</p> <p style="text-align: right;">सक्षम व्यक्ति का हस्ताक्षर</p> <p style="text-align: center;">नाम:</p> <p>पदनाम/हैंसियत:</p> <p style="text-align: center;">(स्वत्वधारी/कारबार अस्तित्व का नाम)</p> <p style="text-align: center;">प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में स्वीकृति प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में स्वीकृति</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>मैं&lt;&lt;प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम&gt;&gt;सत्य निष्ठा से ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे।</p> <p>प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर</p> <p>पता:</p> <p>तारीख:</p> <p style="text-align: center;">पदनाम/हैंसियत:</p> </div>
--	---

अनिवासी कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के लिए संदर्भ-

1. पासपोर्ट में यथा अभिलिखित आवेदक अनिवासी कराधेय व्यक्ति का नाम प्रविष्ट करें।
2. सामान्य पोर्टल पर कारबार के प्रारम्भ से कम से कम पांच दिन पहले आवेदन करें।
3. आवेदक को सत्यापन तथा भावी संसूचना के लिए ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. उपलब्ध कराना पृथक रूप से भेजने जाने वाले वन टाईम पासवर्ड के माध्यम से सत्यपित किया जाएगा।

4. आवेदक को स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/प्रबन्ध संदर्भकों और संगमों की प्रबंधक समिति/न्यासी बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक/सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करना यदि कारबार किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में घोषित करता है।

अधोलिखित व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया गया आवेदन डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा।

क्र. सं.	आवेदक का प्रकार	अपेक्षित डिजिटल हस्ताक्षर
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर उपक्रम अपरिसीमित कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी समिति दायित्व भागीदारी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और ई-हस्ताक्षर या जो अधिसूचित किया जाए

संदर्भक पहचान संख्या चालान पहचान संख्या से सम्बन्धित सभी जानकारी प्रणाली द्वारा आने लाइन विधिमान्य की जाएगी और अभिस्वीकृति रसीद सं. सभी भरी गई सूचना के सफल विधिमान्यकरण के पश्चात् निर्गत की जाएगी।

7. ऑनलाइन दाखिल किए गए आवेदन की हैसियत को सामान्य पोर्टल पर देखा जा सकता है।

8. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए कोई रसीद संदेय नहीं है।

9. प्राधिकृत हस्ताक्षरी भारतीय नागरिक होगा और वह अवयस्क नहीं होगा

प्ररूप जीएसटीआरईजी-10

[नियम 14(1)देखें]

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, भारत में किसी व्यक्ति को भारत से बाहर स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

भाग-क

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र -

जिला -

(i)	व्यक्ति का विधिक नाम	
(ii)	यदि कोई हो	
(iii)	कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश में सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है	
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम (स्थायी लेखा संख्या के अनुसार)	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का स्थायी लेखा संख्या	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का ई-मेल पता	
(vii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का मोबाइल नं. (+91)	
<p>वहां ऊपर प्रस्तुत सुसंगत जानकारी ऑनलाइन सत्यापन के अधीन है।</p>		

<p><b>भाग-ख</b> 1.</p>	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ब्यौर (भारत का निवासी होगा)		
	प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम
	फोटो		
	लिंग	पुरुष/स्त्री/अन्य	
	पदनाम		
	जन्म की तारीख	तारीख/मास/वर्ष	
	पिता का नाम		
	राष्ट्रीयता		
	यदि कोई हो		
	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का पता	पता पंक्ति 1	
		पता पंक्ति 2	
		पता पंक्ति 3	
	2.	भारत में ऑनलाइन सेवा के प्रारम्भ की तारीख	तारीख/मास/वर्ष

3	के एक समान स्रोत अवस्थापक (यू आर एल):			
	1. 2. 3...			
4	अधिकार- क्षेत्र	केन्द्र		
5	बैंक खाते के ब्यौरा			
	खाता सं.		खाता का प्रकार	
	बैंक का नाम	शाखा का पता		आइएफएससी
6	अपलोड की गई दस्तावेज			
	प्ररूप में क्षेत्रीय महत्व के अनुसार दस्तावेजों (अनुदेश देखें) की अनुकूल सूची अपलोड किया जाना अपेक्षित हैं			
7	घोषणा			
	मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं छिपाई गई है।			
	मैं.....यह घोषणा करता हूँ कि मैं रजिस्टरकर्ता की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ। मैं कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित गैर-निर्धारित ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता से दायी से कर प्रभारित करूंगा और संग्रहित करूंगा और उसे बिहार सरकार में जमा करूंगा।			
			हस्ताक्षर	
	स्थान:	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम		
	तारीख:	पदनाम :		

टिप्पणी: आवेदक से पासपोर्ट और फोटो की स्कैन की गई प्रति के साथ घोषणा (अधोलिखित प्रारूप के अनुसार) अपलोड करने की अपेक्षा की जाएगी।

साक्ष्य के रूप में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है।

1.	भारत में कारबार के स्थान का सबूत:  (क) स्वयं के परिसरों के लिए –  जैसे परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज।
----	---

	<p>(ख) किराए पर या प्ले पर लिए गए परिसरों के लिए-</p> <p>नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति जैसे प्लकर्टा के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित विधिमान्य किराया/प्ले करार की प्रति।</p> <p>(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए -</p> <p>जैसे सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमतिपत्र की प्रति/सांझा की गई संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए।</p>
<p>2.</p>	<p>निम्नलिखित के सबूत :</p> <p>वीजा ब्योरों के साथ अनिवासी करदाता के पासपोर्ट की स्कैन की गई प्रति। जो प्राधिकार पत्र के साथ मुख्तारनामा धारण करता है।</p> <p>निगमन के प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति यदि कंपनी भारत से बाहर या भारत में रजिस्ट्रीकृत है।</p> <p>उद्भव के देश द्वारा जारी अनुज्ञप्ति की स्कैन की गई प्रति</p> <p>भारत सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।</p>
<p>3</p>	<p>बैंक खाता संबंधी सबूत:</p> <p>बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ/बैंक विवरण के एक पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति।</p> <p>नाम/एमआइसीआर और आइएफएससी तथा शाखा के ब्यौरा अन्तर्विष्ट हों।</p>
<p>4</p>	<p>प्राधिकार प्ररूप:-</p> <p>निम्नलिखित प्रारूप में दाखिल की जाने वाली प्रबंधक समिति या संदर्भक बोर्ड के प्राधिकार या उसके संकल्प की प्रति:</p> <p>प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरी के लिए अलग से)</p> <p>में .....(प्रबंधकसंदर्भक/पूर्णकालिक संदर्भक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्तारनामा धारक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि कारबार &lt;&lt;कारबार का नाम&gt;&gt;जिसके लिए के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने के लिए &lt;&lt;प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम&gt;&gt;प्राधिकृत हूं।</p> <p>इस कारबार के सम्बन्ध में उसकी सभी कार्रवाईयां मुझ पर/हम पर आबद्ध कर होंगी।</p>

जो भारसाधक हैं।	
क्र. सं.	पूरा नाम पदनाम/हैसियत
1.	हस्ताक्षर
<p>1. प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में स्वीकृति</p> <p>मैं&lt;&lt;( प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम&gt;&gt;ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने की अपनी स्वीकृति सत्यनिष्ठा से देता हूँ और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे।</p> <p>(नाम)प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर स्थान</p> <p>तारीख: पदनाम/हैसियत</p>	

प्ररूप जीएसटीआरईजी-11  
[नियम 15(1)देखें]

आकस्मिक/अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण अवधि के विस्तार के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआइएन	
2.	नाम (विधिक)	
3.	यदि कोई हो	
4.	पता	
5.	विधिमान्यता की अवधि (मूल)	से तक तारीख/मास/वर्ष तारीख/मास/वर्ष
6.	वह अवधि जिसके लिए विस्तार का अनुरोध किया गया है	से तक तारीख/मास/वर्ष तारीख/मास/वर्ष
7.	विस्तारित अवधि के लिए आवर्त के ब्यौरा (रुपये)	विस्तारित अवधि के लिए प्राक्कलित कर दायित्व (शुद्ध (रुपये))
	अन्तर्राज्यीय	राज्य के भीतर
		केन्द्रीय कर राज्य कर संघ राज्यक्षेत्र कर एकीकृत कर उपकर



8.	संदाय के ब्यौरा			
	तारीख	सीआइएन	बीआरएन	रकम
9.	घोषणा-			
	<p>में सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं छिपाई गई है।</p>			
	हस्ताक्षर			
स्थान:				प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम:
तारीख:				पदनाम/हैसियत:

विधिमान्यता के विस्तार के लिए आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुदेश

1. आवेदन विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति से पूर्व ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है।
2. आवेदन केवल तब दाखिल किया जा सकता है जब अग्रिम संदाय किया जाता है।
3. सफल दाखिल करने के पश्चात्, आवेदन संदर्भ संख्या तैयार की जाएगी जिसे आवेदन की हैसियत का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 12

[नियम 16(1) देखिए]

संदर्भ संख्या -

तारीख:

सेवा में,

(नाम):

(पता):

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण संख्या

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण/स्वप्रेरणा से आरईजी अनुदत्त करने के लिए आदेश

अधोहस्ताक्षरी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि आप अधिनियम के अधीनरजिस्ट्रीकरण करने के दायीं हैं और इसलिए आपका अस्थायी आधार पर आरईजी किया जाता है। कारबार परिसर से पता लगाई गई कारबार की विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :

उस व्यक्ति के ब्यौरा, जिसे अस्थायी रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है	
1.	नाम और विधिक नाम, यदि लागू हो

2.	लिंग	पुरुष/ महिला/ अन्य
3.	पिता का नाम	
4.	जन्म की तारीख	दिन/ मास/वर्ष
5.	व्यक्ति का पता	भवन संख्या/फ्लैट संख्या मंजिल परिसर/भवन का नाम सड़क गली शहर/नगर/लोकलिटी/ग्राम ब्लॉक/तालुका जिला राज्य पिन कोड
6.	व्यक्ति की स्थायी लेखा संख्या, यदि उपलब्ध हो	
7.	मोबाइल नंबर	
8.	ईमेल पता	
9.	अन्य पहचान, यदि कोई हो (मतदाता पहचान संख्या/पासपोर्ट संख्या/चालन अनुज्ञप्ति संख्या/आधार संख्या/अन्य)	
10.	अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के कारण	
11.	रजिस्ट्रीकरण/अस्थायी पहचान की प्रभावी तारीख	
12.	रजिस्ट्रीकरण संख्या/अस्थायी पहचान	
<p>(अभिग्रहणमेमो/निरुद्ध मेमो/कोई अन्य समर्थनकारी दस्तावेज़ का अपलोड किया जाना)</p> <p>&lt;&lt;आपको इस आदेश के जारी होने के 90 दिनों के भीतर समुचित आरईजी के लिए आवेदन दाखिल करने का संदर्भ दिया जाता है&gt;&gt;</p>		

<p>हस्ताक्षर</p> <p style="text-align: center;">&lt;&lt;अधिकारी का नाम&gt;&gt;&gt;&gt;</p> <p>स्थान</p> <p>तारीख: पदनाम/अधिकार- क्षेत्र:</p> <p>टिप्पण: आदेश की एक प्रतिअधिकार- क्षेत्र रखने वाले तत्स्थानी केंद्रीय/राज्य प्राधिकारी को भेजीजाएगी।</p>
---

**प्ररूप जीएसटी आरईजी- 13**

[नियम 17 (1) देखिए]

संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/ अन्य को विशिष्ट पहचान संख्या अनुदत्त करने के लिए आवेदन/प्ररूप

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र - जिला -  
भाग क

(i)	इकाई का नाम	
(ii)	इकाई की स्थायी लेखा संख्या, यदि कोई है (किसी अन्य अधिसूचित व्यक्ति की दशा में लागू)	
(iii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की स्थायी लेखासंख्या	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ईमेल पता	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर(+91)	

**भाग ख**

1.	इकाई का किस्म (कोई एक चुनें)	संयुक्त राष्ट्र <input type="radio"/> ावास अन्य <input type="radio"/> प्रकित <input type="radio"/>	
2.	देश		
3.	अधिसूचना के ब्यौरा	अधिसूचना संख्या	तारीख
4.	राज्य में इकाई का पता		
	भवनसंख्या/फ्लैट नंबर	मंजिल	
	परिसर/भवन का नाम	सड़क/ गली	
	शहर/कस्बा/गाँव	जिला	

	ब्लॉक/तालुका			
	अक्षांश	देशान्तर		
	राज्य	पिन कोड		
	संपर्क के लिए जानकारी			
	ईमेल पता	टेलीफोन नंबर		
	फैक्स नंबर	मोबाइल नंबर		
7.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरा, यदि लागू हों			
	विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
	नाम			
	फोटो			
	पिता का नाम			
	जन्म की तारीख	दिन/ मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष,महिला, अन्य>
	मोबाइल नंबर		ईमेल पता	
	टेलीफोन नंबर			
	पदनाम/हैसियत		संदर्भक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
	स्थायी लेखा संख्या		आधार संख्या	
	क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/नहीं	पासपोर्ट संख्या (विदेशियों के मामले में)	
	घर का पता			
	भवन संख्या/फ्लैट नंबर		मंजिल	
	परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
	नगर/शहर/गांव		जिला	
	ब्लॉक/तालुका			
	राज्य		पिन कोड	
8.	बैंक खाताब्यौरा(यदि आवश्यक हो तो और जोड़ें)			

	खाता संख्या	खाते का प्रकार	
	आईएफएससी	बैंक का नाम	
	शाखा का पता		
9.	<p><i>अपलोड किए गए दस्तावेज</i></p> <p>प्राधिकृत व्यक्ति, जिसके कब्जे में दस्तावेजी साक्ष्य हैं (संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि से भिन्न) ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत निकाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्तारनामा है, सम्मिलित हैं, को अपलोड किया जाएगा।</p> <p>या</p> <p>समुचित अधिकारी, जिसने आवेदक (संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि) से दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए हैं, ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदिका भारत में प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्तारनामा है, सम्मिलित हैं, के साथ सृजित और संबंधित संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावासआदि को आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या को अपलोड किया जाएगा।</p>		
11.	<p>सत्यापन</p> <p>मैंसत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तमजानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।</p>		

स्थान:

(हस्ताक्षर)

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम:

या

(हस्ताक्षर)

स्थान:

उचित अधिकारी का नाम:

तारीख:

पदनाम:

अधिकार- क्षेत्र:

सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/अन्यके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनप्रस्तुत करने के लिए अनुदेश।

- प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- आवेदन सामान्य पोर्टल के माध्यम से दाखिल किया जाएगा या समुचित अधिकारी द्वारा स्व:प्रेरणा से रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया जा सकता है
- सामान्य पोर्टल पर दाखिल किए गए आवेदन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से हस्ताक्षर करना अपेक्षित है

संबंधित निकाय द्वारा प्रतिदाय आवेदन या अन्यथा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत ब्यौरों को आवेदन में "प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरा" के सामने भरा जाना चाहिए।

प्ररूप जीएसटी आरईजी - 14

[नियम 19(1) देखिए]

आरईजी विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन  
(सभी प्रकार के रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए)

1. जीएसटीआईएन/यूआईएन			
2. कारबार का नाम			
3. आरईजी का प्रकार			
4. संशोधन सारांश			
क्रम सं.	फील्डनाम	प्रभावी तारीख (दिन/ मास/वर्ष)	कारण
5. अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची			
(क)			
(ख)			
(ग)			
...			
6. घोषणा			
मैं/हम द्वारा सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।			
हस्ताक्षर			
स्थान:	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताका नाम:		
तारीख	: पदनाम/हैसियत:		

संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

1. संशोधन के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।

2. कारबार के नाम, कारबार का प्रधान स्थान, कारबार के अतिरिक्त स्थान और भागीदारों या संदर्भकों के ब्यौरा, कर्ता, प्रबंधक समिति, न्यासी बोर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य, जो कारबार के दिन प्रतिदिन के मामलों के लिए उत्तरदायी है- से संबंधित परिवर्तन, जो आरईजी को रद्द करने के लिए आदेश नहीं करते हैं, कोर फील्ड हैं, जिनका सम्यक् सत्यापन के पश्चात् समुचित अधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।
3. गैर-कोर फील्ड में संशोधन के लिए उचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।
4. जहां किसी कारबार के गठन में किसी परिवर्तन का परिणाम रजिस्ट्रीकृत की स्थायी लेखा संख्या में परिवर्तन के रूप में होता है तो उक्त व्यक्ति से नए आरईजी के लिए आवेदन करना अपेक्षित है।
5. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के समय-समय पर संशोधित मोबाइल नंबर या ई-मेल पते में परिवर्तन को सामान्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन के पश्चात् ही किया जाएगा।
6. स्थायी लेखा संख्या, आधार, संदर्भक पहचान संख्या, चालान पहचान संख्या से संबंधित सभी सूचना का विधिमान्यकरण प्रणाली द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा तथा आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) आवश्यक फील्ड के सफलतापूर्वक विधिमान्यकरण के पश्चात् सृजित की जाएगी।
7. आवेदन की हैसियत का सामान्य पोर्टल पर पता लगाया जा सकता है।
8. संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई शुल्क संदेय नहीं है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होगा।

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 15

[नियम 19 (1) देखिए]

संदर्भ संख्या - <<>>

तारीख - दिन/ मास/वर्ष

सेवा में

(नाम)

(पता)

आरईजी संख्या (माल और सेवा कर पहचान संख्या/विशिष्ट पहचान संख्या)

आवेदन संदर्भ संख्या() एआरएन)

तारीख - दिन/ मास/वर्ष

संशोधन आदेश

आपकी आवेदन संख्या ----- तारीख---- जो आरईजी विशिष्टियों में संशोधन के संबंध में है, को निर्दिष्ट करें। आपके आवेदन की जांच की गई है और उसे सही पाया गया है। आरईजी का संशोधन प्रमाण पत्र डाउनलोड किए जाने के लिए आपके डैशबोर्ड पर उपलब्ध है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

## अधिकार- क्षेत्र

तारीख

स्थान

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 16

[नियम 20 देखिए]

आरईजी रद्द करने के लिए आवेदन

1	जीएसटीआईएन			
2	विधिक नाम			
3	व्यापारिक नाम, यदि कोई हो			
4	कारबार के प्रधान स्थान का पता			
5	भावी पत्राचार का पता (ईमेल, मोबाइल टेलीफोन, फ़ैक्स सहित)	भवन संख्या/फ़्लैट संख्या		तल संख्या
		परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली
		शहर/कस्बा/गाँव		जिला
		प्रखंड/तालुका		
		अक्षांश		देशान्तर
		राज्य		पिन कोड
		मोबाइल (देश कोड के साथ)		टेलीफोन
		ईमेल		फ़ैक्स संख्या
6.	रद्द करने के कारण (एक चुने)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ कारबार को जारी न रखना/ समापन</li> <li>○ करके संदाय की देयता समाप्त होना</li> <li>○ समामेलन, आमेलन/अविलयन, विक्रय, पट्टा या अन्यथा निपटान के कारण कारबार का अंतरण आदि।</li> <li>○ कारबार के गठन में परिवर्तन के कारण स्थायी लेखा संख्या में परिवर्तन</li> <li>○ एकलस्वत्वाधिकारीकी मृत्यु</li> <li>○ अन्य (विनिर्दिष्ट करें)</li> </ul>		



7.	कारबार के अंतरण, विलयन की दशा में उस इकाई के आरईजी की विशिष्टियां, जिसमें विलयन, समामेलन, अंतरण आदि किया गया है						
(i)	माल और सेवा कर पहचान संख्या						
(ii)	(क) नाम (विधिक)						
	(ख) व्यापारिक नाम, यदि कोई हो						
(iii)	कारबार के प्रधान स्थान का पता	भवन संख्या/फ्लैट संख्या					मंजिल
		परिसर/भवन का नाम					सड़क/गली
		शहर/कस्बा/गाँव					जिला
		प्रखंड/तालुका					
		अक्षांश					देशान्तर
		राज्य					पिन कोड
		मोबाइल (देश कोड के साथ)					टेलीफोन
	ईमेल					फैक्स संख्या	
8.	तारीख जिससे आरईजी रद्द किया जाना है।					दिन/ मास/वर्ष	
9.	दाखिल किए गए अंतिम रिटर्न की विशिष्टियां						
(i)	कर अवधि						
(ii)	आवेदन संदर्भ संख्या						
(iii)	तारीख						
10.	आरईजी के रद्द करने की प्रभावी तारीख को स्टॉक में धारित इनपुट/पूँजीगत मालों के संबंध में संदेय कर की रकम						
	विवरण	स्टॉक का मूल्य (रु.)		संदेय इनपुट कर/कर (जो भी अधिक हो) रुपए)			
			केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	इनपुट						
	अर्द्ध परिरूपित मालोंमें अंतर्विष्ट इनपुट						
	परिष्कृत मालों में						

	अंतर्विष्ट इनपुट						
	पूँजीगत माल/संयंत्र और मशीनरी						
	योग						
11.	संदत्त कर के ब्यौरा, यदि कोई हो						
				रोकड़खाते से संदाय			
	क्रम सं.	नामे प्रविष्टि संख्या	केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1.						
	2.						
		उप-योग					
				आईटीसी खाते से संदाय			
	क्रम सं.	नामे प्रविष्टि संख्या	केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1.						
	2.						
		उप-योग					
	संदत्त कर की कुल रकम						

.12 अपलोड किए गए दस्तावेज	
.13 सत्यापन मैं/हम सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूँ/ करते हैं कि और यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।	
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर	
स्थान	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
तारीख	पदनाम/हैसियत

रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए अनुदेश

- अपने आरईजी को रद्द करने की चाह करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन, जिसमें इतिशेषस्टॉक और उस पर दायित्व के ब्यौरों के साथ सुसंगत दस्तावेज होंगे, आम पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा।
- निम्नलिखित व्यक्ति, जो लागू हो, रद्द करने के लिए आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करेंगे:

कारबार का गठन	व्यक्ति जो आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकता है
स्वत्वधारिता	स्वत्वाधिकारी
भागीदारी	प्रबंधक/प्राधिकृत भागीदार
हिंदू अविभक्त कुटुंब	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंधक/पूर्णकालिक संदर्भक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पब्लिकलिमिटेड कंपनी	प्रबंधक/पूर्णकालिक संदर्भक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सोसाइटी/क्लब/न्यास/एओपी	प्रबंधक समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	भारसाधक व्यक्ति
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	प्रबंधक/पूर्णकालिक संदर्भक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
असीमित कंपनी	प्रबंधक/पूर्णकालिक संदर्भक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीमित दायित्व भागीदारी	नामनिर्दिष्ट भागीदार
स्थानीय प्राधिकरण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
कानूनी निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य	प्रभारी व्यक्ति

स्वत्वाधिकारी की मृत्यु की दशा में, आवेदन संबंधित कर प्राधिकारियों के समक्ष मैनुअल रूप से उसके विधिक उत्तराधिकारी/उत्तरवर्ती द्वारा किया जाएगा। नई इकाई, जिसमें आवेदक स्वयं का समामेलन करने का प्रस्ताव करता है, को कर प्राधिकारी के पास उसके रद्द करने के लिए आवेदन करने से पूर्व रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। यह आवेदन केवल नई इकाई को रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् ही किया जाएगा। रद्द करने के लिए आवेदन करने से पूर्व उस कर अवधि के लिए कृपया अपनी सम्यक् कर विवरणी दाखिल करें, जिसमें आरईजी का अभ्यर्पण करने की प्रभावी तारीख पड़ती है।

- आवेदन की हैसियत का सामान्य पोर्टल पर पता लगाया जा सकता है।
- रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं है।

- आरईजी रद्द करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति संदाय करेगा, यदि इस आवेदन के समय नहीं किया गया है तो, और अधिनियम में यथाउपबंधित अंतिम विवरणी प्रस्तुत करेगा।
- रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने संपर्क के पते को अपडेट करेगा तथा मोबाइल नंबर और ई-मेल पते को भी अपडेट करेगा।

प्ररूप जीएसटी आरईजी - 17

[नियम 22(1) देखिए]

संदर्भ संख्या -

<<तारीख>>

सेवा में

आरईजी संख्या (जीएसटीआईएन/यूआईएन)

(नाम)

(पता)

आरईजी रद्द करने के लिए कारणबताओसूचना

मेरी सूचना में आई जानकारी के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि निम्नलिखित कारणों से आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का दायी है: -

1

2

3

...

? आपको इस सूचना का प्रत्युत्तर नोटिस की तामील की तारीख से सात कार्यदिवस के भीतर देने का ऐत द्वारा संदर्भ दिया जाता है।

? आपको अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष दिन/ मास/वर्ष को घंटा/मिनटपर उपस्थित होने का संदर्भ दिया जाता है

यदि आप उपदर्शित तारीख के भीतर प्रत्युत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तारीख और समय पर वैयक्तिक सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं तो मामले का उपलब्ध अभिलेखों और गुणदोषों के आधार पर एकतरफा विनिश्चय किया जाएगा।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

<अधिकारी का नाम>

पदनाम

अधिकार- क्षेत्र

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 18

[ नियम 22 (2) देखिए ]

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिएजारीकारण बताओ सूचना का प्रत्युत्तर

1.	संदर्भ सूचना की संख्या		जारी करने की तारीख	
2.	जीएसटीआईएन/यूआईएन			
3.	कारबार का नाम (विधिक)			
4.	व्यापारिक नाम, यदि कोई हो			
5.	सूचना का प्रत्युत्तर			
6.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची			
7.	<p>सत्यापन</p> <p>मैं _____ सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और यह घोषित करता हूं कियहां ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमेंकुछ भी छिपाया नहीं गया है।</p> <p style="text-align: right;">प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर</p> <p>नाम</p> <p>पदनाम/हैसियत</p> <p>स्थान</p> <p>तारीख</p>			

## प्ररूप जीएसटी आरईजी- 19

[नियम 22 (3) देखिए]

संदर्भ संख्या -

तारीख

सेवा में

नाम

पता

माल और सेवा कर पहचान संख्या/विशिष्ट पहचान संख्या

आवेदन संदर्भ संख्या) एआरएन)

तारीख

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए आदेश

आपके तारीख ----- के प्रत्युत्तर के संदर्भ में तारीख ..... की कारण बताओं सूचना के संदर्भ में

- औरकारण बताओं सूचना का कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है ; या

- औरसुनवाई के लिए नियत दिन को आप उपस्थित नहीं हुए थे; या

- औरअद्योहस्ताक्षरी ने सुनवाई के समय दिए गए आपके प्रत्युत्तर और दलीलों की जांच की है और उसका यह मत है कि आपकाआरईजीनिम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किए जाने का दायी है।

1.

2.

आपके आरईजी के रद्द किए जाने की प्रभावी तारीख &lt;&lt;दिन/मास/वर्ष&gt;&gt;है।

रद्दीकरण के अनुसरण में संदेय रकमका अवधारण:

तदनुसार, आपके द्वारा संदेय रकम और उसकी संगणना तथा उसके आधार निम्नानुसार हैं:

पूर्वोक्त संदेय अवधारण की जाने वाली रकम किसी अन्य रकम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है, जो आपके द्वारा अंतिम विवरण प्रस्तुत किए जाने पर संदेय हो सकती है ।

आपसे) ..... तारीख) को या उससे पूर्व निम्नलिखित रकमों का संदाय करना अपेक्षित है, जिसके न हो सकने पर रकम की अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वसूली की जाएगी ।

शीर्ष	केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
कर					
ब्याज					
शास्ति					
अन्य					
योग					

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

&lt;अधिकारी का नाम&gt;

पदनाम

अधिकार- क्षेत्र

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 20

[नियम 22 (4) देखिए]

संदर्भ संख्या -

तारीख

सेवा में

नाम

पता

जीएसटीआईएन/यूआईएन

कारण बताओं सूचना संख्या

तारीख

रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए आदेश

आपके तारीख ..... की कारण बताओं सूचना दिन/ मास/वर्ष के प्रत्युत्तर के उत्तर को निर्दिष्ट करें ।  
सुनवाई के दौरान दिए गए आपके उत्तर और/या दलीलों पर विचार करने पर आरईजी को रद्द करने के लिए  
आरंभ की गई कार्यवाहियां निम्नलिखित कारणों से समाप्त की जाती हैं :

<<पाठ>>

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

<अधिकारी का नाम>

पदनाम

अधिकार- क्षेत्र

प्ररूपजीएसटीआरईजी-21

[नियम 23(1) देखें]

रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआईएन (रद्द)	
2.	विधिक नाम	
3.	व्यापारिक नाम, यदि कोई हों	
4.	पता (कारबार का प्रमुख स्थान)	
5.	रद्दीकरण आदेश सं.	तारीख -

6	रद्दीकरण के कारण				
7	दाखिल की गई अंतिम विवरणी का ब्यौरा				
	विवरणी की अवधि		आवेदन संदर्भसंख्या	दाखिल करने की तारीख	दिन/ मास/वर्ष
8	रद्दीकरणके प्रतिसंहरण का कारण	संक्षिप्त में कारण (विस्तृत कारण संलग्नक के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं)			
9	अपलोड दस्तावेज				
10.	<p><b>सत्यापन</b></p> <p>में शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है तथा उसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है ।</p> <p style="text-align: right;">प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर पूरा नाम (प्रथम नाम, मध्य, उपनाम) पदनाम/हैसियत</p> <p>स्थान तारीख</p>				

**रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश**

- किसी व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण उचित अधिकारी द्वारा अपने स्वप्रेरणा पर रद्द कर दिया गया है, समान पोर्टल संख्या आवेदन पर आरईजी के रद्दीकरण के आदेश की तामील की तारीख से तीस दिनों में रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा । विवरणी दाखिल करने में असफल रहने के कारण रजिस्ट्रीकरण रद्द किया गया है तो प्रतिसंहरण हेतु आवेदन तब तक जमा नहीं किया जा सकता है जब तक विवरणिया दाखिल नहीं की जाती और ऐसी विवरणी में कर के रूप में शोधय कोई रकम व्याज, शास्ति और विलम्ब शुल्क के लिए संदेह किसी रकम के साथ संदत की जाएगी।
- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोबाइल संख्या या ई-मेल पते में किसी परिवर्तन को समय-समय पर संशोधित किया जाएगा और इनके आनलाईन सत्यापन के पश्चात् समान पोर्टल के माध्यम से विहित रीति में इनको संशोधित किया जाएगा ।
- समान पोर्टल पर आवेदन की हैसियत देखी जा सकेगी ।
- रद्दीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए कोई शुल्क संदेय नहीं होगा ।



प्ररूप जीएसटी आरईजी-22

[नियम 23(2) देखें]

संदर्भ सं. -

तारीख

सेवा में

जीएसटीआईएन / यूआईएन

(करदाता का नाम)

(पता)

आवेदन सन्दर्भ सं. (एआरएन)

तारीख

रजिस्ट्रेशन के रद्दीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आदेश  
रजिस्ट्रेशन के रद्दीकरण के प्रतिसंहरण के लिए अपने आवेदन तारीख दिन/ मास /वर्ष का संदर्भ लें । आपके  
आवेदन का परीक्षण किया जा चुका है और उसको सही पाया गया है, आपका आरईजी प्रत्यावर्तित किया जाता  
है ।

उचित अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

(पदनाम)

अधिकार- क्षेत्र -

तारीख

स्थान

प्ररूप जीएसटी-23

[नियम 23(3) देखें]

संदर्भ सं. : तारीख

सेवा में,

आवेदक/ करदाता का नाम

आवेदक/ करदाता का पता

जीएसटीआईएन

आवेदन संदर्भ सं.(एआरएन):

तारीख

रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के प्रतिसंहरण के आवेदन को खारिज करने के लिए कारण बताओ नोटिस

आरईजी के रद्दीकरण के विखंडन के बाबत अपने आवेदन तारीख दिन/मास/वर्ष का संदर्भ लें। आपके आवेदन का परीक्षण किया गया और उसके निम्नलिखित कारणों के कारण खारिज होने योग्य पाया गया :

- 1.
- 2.
- 3.
- ...

?आपको यह संदर्भ दिया जाता है कि आप इस नोटिस के तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों में इस नोटिस का उत्तर दें।

?आपको यह संदर्भ दिया जाता है कि आप दिन/मास/वर्षको समयघंटा/मिनट पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों।

यदि आप निर्धारित समय में अपना उत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तारीख और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असफल रहते हैं तो मामला उपलब्ध अभिलेखों और गुणदोषों के आधार पर एकपक्षीय विनिश्चित कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर

समुचित अधिकारी का नाम

(पदनाम)

अधिकार- क्षेत्र

प्ररूप जीएसटीआरईजी-24

[नियम 23(3)देखें]

रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन को खारिज करने के नोटिस का उत्तर

1.	नोटिस की संदर्भ सं.		तारीख	
2.	आवेदन संदर्भ सं. (एआरएन)		तारीख	
3.	जीएसटीआईएन, यदि लागू हों			
4.	सूचना/कारण			
5.	दाखिल दस्तावेजों की सूची			
6.	<p>सत्यापन</p> <p>मैं _____ शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरे जानकारी और विश्वास में सत्य और सही हैं तथा उसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है ।</p> <p style="text-align: right;">प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर पूरा नाम पदनाम/हैसियत</p> <p>तारीख</p> <p>स्थान</p>			

बिहार सरकार

प्ररूप जीएसटी आरईजी-25

[नियम 24(1)देखें]

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

1.	जीएसटीआईएन	
2.	स्थायी खाता संख्या	
3.	विधिक नाम	
4.	व्यापारिक नाम	
5.	विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरणब्यौरा	
	अधिनियम	रजिस्ट्रीकरणसंख्या
(क)		
(ख)		
(ग)		
तारीख	<प्रमाण पत्र के सृजन की तारीख>	

जीएसटीन का यह प्रमाणपत्र अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किया गया है ।

प्ररूप जीएसटीआरईजी-26

(नियम 24(2) देखें)

विद्यमान करदाता के नामांकन के लिए आवेदन			
करदाता का ब्यौरा			
1. अनंतिम पहचान			
2. विधिक नाम (स्थायी खाता सं. के अनुसार)			
3. विधिक नाम (राज्य/केन्द्र के अनुसार)			
4. व्यापारिक नाम, यदि कोई है			
5. कारबार का स्थायी खाता सं०			
6. गठन			
7. राज्य			
7अ. सेक्टर, सर्किल, वार्ड इत्यादि, जो लागू हों			
7आ. अधिकार- क्षेत्र केन्द्र			
8. रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए दायित्व का कारण	पूर्ववर्ती विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण		
9. विद्यमान रजिस्ट्रीकरण			
क्रम सं.	रजिस्ट्रीकरण का प्रकार	रजिस्ट्रीकरण संख्या	रजिस्ट्रीकरण की तारीख
1	मूल्य वर्धित कर के अधीन टिन		
2	केन्द्रीय विक्रयकर रजिस्ट्रीकरण सं.		
3	प्रवेश कर रजिस्ट्रीकरण सं.		
4	मनोरंजन कर रजिस्ट्रीकरण सं.		
5	होटल एवंविलासिता कर रजिस्ट्रीकरण सं		
6	केन्द्रीय उत्पाद रजिस्ट्रीकरण सं.		
7	सेवा कर रजिस्ट्रीकरण सं.		

8	कारपोरेट पहचान सं./विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण		
9	सीमित दायित्व साझेदारी पहचान सं. / विदेशी सीमित दायित्व साझेदारी पहचान सं.		
10	आयात/निर्यातक कोड सं.		
11	ओषधिय और प्रसाधन पर उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण		
12	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		
<b>10. कारबार के मूल स्थान का ब्यौरा</b>			
भवन सं. /फ्लैट सं.		तल सं.	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
स्थान/ग्राम		जिला	
राज्य		पिन कोड	
अक्षांश		देशान्तर	
संपर्क सूचना			
कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय दूरभाष सं.	
मोबाइल सं.		कार्यालय फैक्स सं.	
10अ. परिसर के कब्जे की प्रकृति	(निज, पट्टे पर, किराए पर, सहमति से, साझेदारी)		
10आ. किए जाने वाले कारबार क्रियाकलापों की प्रकृति			
फैक्ट्री/निर्माण <input type="radio"/>	थोक कारबार <input type="radio"/>	खुदरा कारबार <input type="radio"/>	भंडागार/डिपो <input type="radio"/>
बांडेड भंडागार <input type="radio"/>	सेवा उपबंध <input type="radio"/>	कार्यालय/विक्रय कार्यालय <input type="radio"/>	पट्टा कारबार <input type="radio"/>
सेवा प्राप्तकर्ता <input type="radio"/>	ईओयू/एसटीपी/ईएच टीपी <input type="radio"/>	एस ई जैड <input type="radio"/>	निवेश सेवा वितरक <input type="radio"/>
कार्य संविदा <input type="radio"/>	अन्य (विनिर्दिष्ट करें) <input type="radio"/>		
<b>11. कारबार के अतिरिक्त स्थानों का ब्यौरा</b>			

भवन सं. /फ्लैट सं.		फ्लैट सं.			
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली			
स्थान/ग्राम		जिला			
राज्य		पिन कोड			
अक्षांश		देशान्तर			
संपर्क सूचना					
कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय दूरभाष सं.			
मोबाइल सं.		कार्यालय फैक्स सं.			
11अ. परिसर के कब्जे की प्रकृति		(अपनी, पट्टे पर, किराए पर, सहमति से, साझेदारी)			
11आ. किए जाने वाले कारबार क्रियाकलापों की प्रकृति					
फैक्ट्री/निर्माण <input type="radio"/>	थोक कारबार <input type="radio"/>	फैक्ट्री/निर्माण <input type="radio"/>	थोक कारबार <input type="radio"/>		
बांडेड भंडागार <input type="radio"/>	सेवा उपबंध <input type="radio"/>	बांडेड भंडागार <input type="radio"/>	सेवा उपवन <input type="radio"/>		
सेवा प्राप्तकर्ता <input type="radio"/>	ईओयू/एसटीपी/ईएच टीपी <input type="radio"/>	सेवा प्राप्तकर्ता <input type="radio"/>	ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी <input type="radio"/>		
कार्य संविदा <input type="radio"/>	अन्य (विनिर्दिष्ट करें) <input type="radio"/>	कार्य संविदा <input type="radio"/>	अन्य (विनिर्दिष्ट करें) <input type="radio"/>		
और जोड़ें					
कारबार द्वारा प्रदाय किए जाने वाला माल/सेवा का ब्यौरा					
क्रम सं.	माल का ब्यौरा		एचएसएन कोड		
क्रम सं.	सेवा का ब्यौरा		एचएसएन कोड		
13. कारबार चलाने के लिए आपके द्वारा रखे गए कुल बैंक खाते					
क्रम सं.	खाता सं.	खाता का प्रकार	आईएफएससी	बैंक का नाम	शाखा का खाता

14. मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंधकसंदर्भक और पूर्णकालिक संदर्भक/संगम की प्रबंधक समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि के ब्यौरा					
नाम		प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	फोटो
पिता/पति का नाम		प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	
जन्म तिथि	दिन/मास/वर्ष	लिंग		अन्य	
मोबाईल सं.			ई-मेल पता		
टेलीफोन सं.					
पहचान सूचना					
पदनाम		संदर्भक पहचान सं.			
स्थायी खाता संख्या		आधार सं.			
क्या आप भारत के नागरिक हैं		हां या नहीं	पासपोर्ट सं.		
निवास का पता					
भवन/फ्लैट सं.			तल सं.		
परिसर/भवन का नाम			सड़क/गली		
स्थान/ग्राम			जिला		
राज्य			पिन कोड		
15. प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरा					
नाम		प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	फोटो
पिता/पति का नाम		प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	
जन्म तिथि	दिन/मास/वर्ष	लिंग	अन्य		
मोबाईल सं.			ई-मेल पता		
टेलीफोन सं.					
पहचान सूचना					
पदनाम		संदर्भक पहचान सं.			
स्थायी खाता संख्या		आधार सं.			



क्या आप भारत के नागरिक हैं	हां या नहीं	पासपोर्ट सं.	
निवास का पता			
भवन/फ्लैट सं.		तल सं.	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
स्थान/ग्राम		जिला	
राज्य		पिन कोड	
और जोड़ें			
<p>अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची</p> <p>दस्तावेजों की पारंपरिक सूची जिनका प्ररूप में क्षेत्रमूल्य के अनुसार अपलोड किया जाना अपेक्षित है, सूची में (अनुदेश देंखे) में प्रत्येक प्रविष्टि के सामने अपलोड सुसंगत दस्तावेज के लिए उपबंध के साथ स्वतः आ जाने चाहिए ।</p> <p>16. आधार सत्यापन –</p> <p>मैं, प्ररूप में प्रदत्त आधार संख्याओं के धारकों के निमित्त माल और सेवाकर नैटवर्क को अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए यूआईडीएआई से ब्यौरा प्राप्त करने की सहमति देता हूं । माल और सेवाकर नैटवर्क ने मुझे सूचित कर दिया है कि पहचान सूचना आधार धारक की पहचान को वैधता के लिए प्रयोग किया जाएगा तथा अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए ही केन्द्रीय पहचान डाटा रक्षण के साथ साझा की जाएगी ।</p>			
<p>17.घोषणा</p> <p>मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे जानकारी और विश्वास में सत्य और सही है तथा इसमें कुछ नहीं छिपाया गया है ।</p>			
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नाम		स्थान	
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम		तारीख	

नामांकन के लिए आवेदन को दाखिल करने के लिए अनुदेश

1. प्रत्येक व्यक्ति, स्रोत पर कर कटौती करने वाले से भिन्न या निवेश सेवा वितरक जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी लेखा सं. रखता है, उसके ई-मेल और मोबाइल सं. वैधता द्वारा समान पोर्टल पर नामांकित किया जाएगा ।

2. खंड (क) के अधीन नामांकन पर उक्त व्यक्ति को अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदत्त किया जाएगा और प्ररूप जी. एस. टी. आर. ई. जी. 25 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जिसमें माल और सेवाकर पहचान सं. होगी को समान पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा ।

3. अधिप्रमाणन प्ररूप -

आवेदन प्ररूप में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए अधिप्रमाणन या प्रबंधक समिति या बोर्ड संदर्भकों के संकल्प प्रति निम्नलिखित फोरमेट में दाखिल की जाएगी ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए पृथक)

1.

(मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंधकसंदर्भक और पूर्णकालिक संदर्भक/संगम की प्रबंधक समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि के ब्यौरा)

1. मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंधकसंदर्भक और पूर्णकालिक संदर्भक/संगम की प्रबंधक समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि के ब्यौरा

2.

3.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि माल और सेवा पहचान सं. - कारबार का नाम, कारबार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करता हूं जिसके लिए माल और सेवा कर अधिनियम, 20 - के अधीन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन दाखिल किया जाना है /रजिस्ट्रीकृत है ।

इस कारोबार के संबंध में उसके सभी कृत्य मुझ /हम पर बाध्यकारी हैं ।

व्यक्तियों के हस्ताक्षर जो मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंधकसंदर्भक और पूर्णकालिक संदर्भक/संगम की प्रबंधक समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि हैं ।

क्रम सं.	पूरा नाम	पद /हैसियत	हस्ताक्षर
----------	----------	------------	-----------

1.

2.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में स्वीकृति

मैं प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम शपथपूर्वक ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर बाध्यकारी होंगे ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

पदनाम/हैसियत

तारीख

स्थान

आनलाईन प्ररूप भरने के लिए अनुदेश

- जीएसटी पोर्टल पर लाग इन के लिए राज्य/वाणिज्यकर /केन्द्रीय उत्पाद/सेवाकर विभाग द्वारा यथा प्रदत्त अपनी अनंतिम पहचान और पासवर्ड प्रविष्ट करें ।
- प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सही ई-मेल, पता और मोबाइल सं. दिए जाएं । ई-मेल पता और मोबाइल पते प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सम्पर्क सूचना के रूप में भरे जाएं ।
- ई-मेल और मोबाइल संख्या पृथक वन टाइम पासवर्ड द्वारा सत्यापित किए जाएं । करदाता प्रथम लाग इन के पश्चात् अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड बदल लेगा ।
- करदाता को मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंधकसंदर्भक और पूर्णकालिक संदर्भक/संगम की प्रबंधक समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड कारबार का मूल स्थान और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के ब्यौरों के संबंध में आवेदन प्ररूप में अपेक्षित सूचनाएं भरना अपेक्षित होगा ।
- माल और सेवाओं (ऊपर की पांच) के संबंध में सेवाओं के लिए कारबार के अतिरिक्त, बैंक खाता वस्तुओं से संबंधित सूचना भरी जाना भी अपेक्षित है ।
- आवेदक को मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंधकसंदर्भक और पूर्णकालिक संदर्भक/संगम की प्रबंधक समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई कापी अपलोड करना आवश्यक है ।
- विनिर्दिष्ट संलग्नक के अनुसार किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में घोषित करने की दशा में आवेदक को मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंधकसंदर्भक और पूर्णकालिक संदर्भक/संगम की प्रबंधक समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई कापी अपलोड करना आवश्यक है ।
- साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित अपेक्षित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे -

1.	<p>आवेदन प्ररूप में जहां फोटोग्राफ विनिर्दिष्ट हों (अधिकतम दस)</p> <p>मालिकाना संबंध- मालिक</p> <p>साझेदारी फर्म /सीमित दायित्व साझेदारी - प्रबंधक /प्राधिकृत साझेदार (सभी साझेदारों के वैयक्तिक ब्यौरा दिए जाएं लेकिन केवल दस फोटो दिए जाएं जिसमें प्रबंधक साझेदार को दिए जाने वाले भी सम्मिलित हैं ।</p> <p>हिन्दू अविभक्त कुटुंब - कर्ता</p> <p>कंपनी -प्रबंधकसंदर्भक या प्राधिकृत व्यक्ति</p> <p>न्यास -प्रबंधक न्यासी</p>
----	--

	<p>व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि का निकाय – प्रबंधक समिति के सदस्य (सभी सदस्यों के वैयक्तिक ब्यौरा दिए जाएं लेकिन केवल दस फोटो दिए जाएं जिसमें अध्यक्ष को दिए जाने वाले भी सम्मिलित हैं ।)</p> <p>स्थानीय निकाय – मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके समतुल्य</p> <p>कानूनी निकाय</p> <p>मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके समतुल्य</p> <p>अन्य – कार्यसाधक व्यक्ति</p>
2.	<p>कारबार का गठन – साझेदारी फर्म की दशा में साझेदारी विलेख, समिति, न्यास, क्लब, सरकारी विभाग, व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि का निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय और अन्य इत्यादि में गठन का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र /सबूत ।</p>
3.	<p>कारबार के मूल /अतिरिक्त स्थान का सबूत</p> <p>(क) अपने परिसर के लिए –</p> <p>परिसर के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या म्युनिसिपल खाता प्रति या विल की प्रति</p> <p>(ख) किराए या पट्टे के परिसर के लिए –</p> <p>पट्टे के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित वैध किराए /पट्टा करार की प्रति जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या म्युनिसिपल खाता प्रति या विल की प्रति</p> <p>(ग) उपरोक्त क और ख में न आने वाले परिसर के लिए –</p> <p>सहमतिकर्ता के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमति पत्र की प्रति जैसे म्युनिसिपल खाता प्रति या विधुत बिल प्रति । साझेदार संपत्तियों के लिए ये दस्तावेज भी अपलोड किए जाएंगे</p>
4	<p>बैंक खाते से संबंधित सबूत</p> <p>बैंक पासबुक/बैंक विवरण के प्रथम पृष्ठ की स्केन की हुई प्रति</p> <p>बैंक पासबुक के शुरुआती पृष्ठ जिसमें मालिक/संबंधित कारबार, खाता सं., खाता धारक का नाम, एमआईसीआर और आईएफएससी और शाखा ब्यौरा हों ।</p>
5	<p>प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए – प्रबंधक समिति या बोर्ड सदस्यों का प्राधिकरण पत्र या संकल्प की प्रति जो इस प्रभाव हेतु विनिर्दिष्ट हों</p>

- सूचना इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रस्तुत करने के पश्चात् अपेक्षित होगी । निम्नलिखित व्यक्ति नामांकन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं -

कारबार का गठन	व्यक्ति जो आवेदन पर डिजीटल हस्ताक्षर कर सकते हैं
स्वामित्व	स्वामी
साझेदारी	प्रबंधक/प्राधिकृत साझेदार
हिन्दु अविभक्त परिवार	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंधक/पूर्णकालिक संदर्भक और प्रबंधकसंदर्भक/पूर्णकालिक संदर्भक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंधक/पूर्णकालिक संदर्भक और प्रबंधकसंदर्भक/पूर्णकालिक संदर्भक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
समिति /क्लब /न्यास/एओपी	प्रबंधक समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	भारसाधक व्यक्ति
लोक सैक्टर उपक्रम	प्रबंधक/पूर्णकालिक संदर्भक और प्रबंधकसंदर्भक/पूर्णकालिक संदर्भक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अनलिमिटेड कंपनी	प्रबंधक/पूर्णकालिक संदर्भक और प्रबंधकसंदर्भक/पूर्णकालिक संदर्भक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीमित दायित्व भागीदारी	पदाविहित साझेदार
स्थानीय प्राधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष
संवैधानिक निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी Partnership	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य	भारसाधक व्यक्ति

- आवेदन अनिवार्य रूप से डिजीटल हस्ताक्षरित निम्नलिखित रूप में होने चाहिए -

क्रम सं.	आवेदक का प्रकार	डिजिटल हस्ताक्षर अपेक्षित हैं
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी लोक सैक्टर उपक्रम अनलिमिटेड कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) वर्ग 2 और उपरोक्त
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) वर्ग 2 और उपरोक्त ई-हस्ताक्षर

नोट :- 1. आवेदक से समान पोर्टल पर अपने डीएससी. को रजिस्ट्रीकृत करना अपेक्षित होगा ।

2. ई-हस्ताक्षर सुविधा आधार धारकों के लिए समान पोर्टल पर उपलब्ध होगी ।

स्थायी लेखा सं., आधार, संदर्भक, पहचान सं., चालान, पहचान सं., सीमित दायित्व भागीदारी पहचान सं. से संबंधित सभी सूचनाएं सिस्टम द्वारा आनलाइन विधिमान्य किया जाएगा और पावती संदर्भ संख्या भरी गई सभी सूचनाओं के सफलतापूर्वक विधिमान्य होने के पश्चात् सृजित होंगी । आनलाइन भरे गए आवेदन की हैसियत समान पोर्टल पर देखी जा सकेगी ।

1. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होना चाहिए ।
2. नामांकन के लिए आवेदन भरने हेतु कोई शुल्क लागू नहीं होगा ।

अभिस्विकृति

नामांकन आवेदन - जी. एस. टी. प्ररूप - आवेदन संदर्भ संख्या (ए. आर. एन.)----- के विरुद्ध दाखिल की गई	
प्ररूप सं.	: <.....>
प्ररूप विवरण	: <विद्यमान करदाताओं के नामांकन के लिए आवेदन>
दाखिल करने की तारीख	: <दिन/मास/वर्ष>
करदाता का व्यापारिक नाम	: <व्यापारिक नाम>

करदाता का विधिक नाम : <राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा विधिक नाम

अनंतिम पहचान सं.	अनंतिम पहचान सं.
यह सिस्टम से सृजित पावती है और इसमें हस्ताक्षर होना अपेक्षित नहीं है ।	

प्ररूप जीएसटी आरईजी-27  
(नियम 24(3) देखें)

संदर्भ सं. <तारीख-दिन/मास/वर्ष>  
सेवा में,  
अनंतिम पहचान  
नाम  
पता

आवेदन संदर्भ सं. (ए.आर.एन.)<> <तारीख-दिन/मास/वर्ष>

अनंतिम आरईजी के रद्दीकरण के लिए कारण बताओ नोटिस

अपने आवेदन तारीख .....का संदर्भ लें । आवेदन का परीक्षण किया गया और निम्नलिखित कारणों से यह संतोषप्रद नहीं पाया गया:-

- 1
- 2
- ...

आपको यह संदर्भ दिया जाता है कि आपको प्रदत्त अनंतिम प्रमाणपत्र क्यों न रद्द कर दिया जाए, बताएं ।

हस्ताक्षर

उचित प्राधिकारी का नाम  
पदनाम

तारीख  
स्थान

प्ररूप जीएसटी आरईजी-28

(नियम 24(3) देखें)

संदर्भ सं. <तारीख-दिन/मास/वर्ष>>

सेवा में,

पहचान

नाम

पता

माल और सेवा कर पहचान सं./अनंतिम पहचान

आवेदन संदर्भ सं. (ए.आर.एन.)<> <तारीख-दिन/मास/वर्ष>>

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के लिए आदेश

कारण बताओ नोटिस तारीख..... के संबंध में आपके उत्तर तारीख ..... के संदर्भ में --

- कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं दिया गया है; या
- सुनवाई के लिए नियत दिन पर आप उपस्थित नहीं हुए; या
- अधोहस्ताक्षरी ने आपके उत्तर और सुनवाई के समय किए गए कथनों का परीक्षण किया और उनका विचार यह है कि आपका अनंतिम रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने का दायी है ।

- 1.
- 2.

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के अनुसरण में संदेय रकम का अवधारण

तदनुसार आपके द्वारा संदेय रकम और उसकी संगणना तथा उसके आधार निम्नलिखित हैं:

आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि निम्नलिखित रकम तारीख ..... तक या उससे पूर्व संदेय करें जिसके असफल होने पर रकम इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए हुए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में वसूल की जाएगी ।

शीर्ष	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्य कर	समेकित कर	उपकर
कर					
ब्याज					
शास्ति					
अन्य					
कुल					

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

<अधिकारी का नाम>

पदनाम



अधिकार- क्षेत्र

प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी-29

[नियम 24(4) देखें]

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के लिए आवेदन

भाग अ

(i) अनंतिम आई डी			
(ii) ईमेल आई डी			
(iii) मोबाईल नंबर			
भाग आ			
1. विधिक नाम (स्थाई खाता संख्या के अनुसार)			
2. पत्र-व्यवहार के लिए पता			
भवन संख्या/ फ्लैट सं.		तल सं.	
परिसर का नाम/भवन		सड़क/गली	
शहर/कस्बा / गांव/परिक्षेत्र		जिला	
ब्लाक/ताल्लुका			
राज्य		3. रद्दीकरण के लिए कारण	
1. जी.एस.टी अवधि के दौरान किसी कर बीजक को आपने हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>			
जारी किया है			
2. घोषणा			
(i) मैं <स्वत्वधारी/कर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम>,< विधिक नाम> के <पदनाम> के रूप में एतद्वारा घोषणा करता हूं कि अधिनियम के उपबंधों के अधीन मैं आरईजी के लिए दायी नहीं हूं ।			
6.सत्यापन			
मैं <सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि यहां उपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में सही और सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।			
आधार सं.		स्थाई खाता सं.	
प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर			
पूरा नाम			
पदनाम/हैसियत			
स्थान			
तारीख	तारीख/मास/वर्ष		

प्ररुप जी.एस.टी. आरईजी-30

[नियम 25 देखें]

स्थल भ्रमण प्रतिवेदन के लिए प्ररुप

केन्द्रीय अधिकार- क्षेत्र (वार्ड/सर्किल/क्षेत्र)

अधिकारी का नाम:- <<पहले से भरा जाए>>

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख:-

करादेय व्यक्ति का नाम

जी एस टी आई एन/यू आई एन -

द्वारा समनुदेशित कार्य:- <अधिकारी का नाम- पहले भरा जाए>

समनुदेशित कार्य की तारीख और समय:- <प्रणाली तारीख और समय>

क्रम सं.	विशिष्टियां	ईनपुट
1.	निरीक्षण की तारीख	
2.	निरीक्षण का समय	
3.	अवस्थान ब्यौरा	
	उत्तर-द्वारा आबद्ध	दक्षिण- द्वारा आबद्ध
	पश्चिम- द्वारा आबद्ध	पूर्व- द्वारा आबद्ध
4.	क्या पता वहीं है जैसा आवेदन में वर्णित है	हां/नहीं
5.	निरीक्षण के समय उपलब्ध व्यक्ति की विशिष्टियां	
(i)	नाम	
(ii)	पिता का नाम	
(iii)	आवासीय पता	
(iv)	मोबाईल संख्या	
(v)	पदनाम/प्रतिष्ठा	
(vi)	करादेय व्यक्ति के साथ संबंध, यदि लागू हो	
6.	कारबार की कार्यकरण की हैसियत	कार्यकरण- हां/नहीं
7.	परिसर का ब्यौरा	
	खुली जगह का क्षेत्र (वर्ग मी. में) -	

	(लगभग)	
	छत्तदार जगह का क्षेत्र (वर्ग मी. में) - (लगभग)	
	तल जिस पर कारबार परिसर स्थित है	
8.	स्थापित दस्तावेज	हां/नहीं
9.	स्थान के साथ व्यक्ति, जो उस स्थान पर मौजूद है जहां स्थल का सत्यापन किया गया, का फोटो अपलोड करना ।	
10.	टिप्पणी(100 शब्दों<से अनधिक> स्थान: तारीख:  हस्ताक्षर <अधिकारी का नाम> पदनाम अधिकार- क्षेत्र	

**प्ररूप जीएसटी आईटीसी – 1**

[नियम 40(1) देखें]

**धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय  
के दावे की घोषणा**

निम्नलिखित के अधीन दावा	
धारा 18 (1)(क)	<input type="checkbox"/>
धारा 18 (1)(ख)	<input type="checkbox"/>
धारा 18 (1)(ग)	<input type="checkbox"/>
धारा 18 (1)(घ)	<input type="checkbox"/>

1.	<b>जीएसटीआईएन</b>	
2.	<b>विधिक नाम</b>	
3.	<b>व्यापार का नाम, यदि कोई हों</b>	
4.	तारीख जिससे धारा 9(3) और धारा 9(4) को छोड़कर धारा 9 के अधीन कर के संदाय का दायित्व उद्भूत होता है [धारा 18(1)(क) और धारा 18(1)(ग) के अधीन दावे के लिए]	
5.	ऐच्छिक रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख [धारा 18 (1)(ख) के अधीन किए गए दावे के लिए]	
6.	तारीख जिसके माल और सेवाएं कराधेय हुई हैं [धारा 18 (1)(घ) के अधीन किए गए दावे के लिए]	

7. धारा 18 (1) (क) या धारा 18 (1) (ख) के अधीन दावा

ऐसे इनपुट के स्टॉक और ऐसे अर्धपरिरूपित माल या परिरूपितमाल में, जिस पर इनपुट टैक्स प्रत्यय का दावा किया गया है, अंतर्विष्ट इनपुट के ब्यौरे

क्रम सं.	प्रदायकर्ता का जीएसटीआई एन/ सीएक्स/ मूल्य वर्धित कर के अधीन रजिस्ट्रीकरण	बीजक *		स्टाक में धारित इनपुट, स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित माल या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट का विवरण	इकाई परिमाण कोड (यूक्यू सी)	परिमाण	मूल्य** (नामे नोट/जमा नोट द्वारा समायोजित)	दावा किए गए इनपुट कर के प्रत्यय की रकम (₹.)				
		सं.	तारीख					केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 (क) स्टाक में धारित इनपुट												
7 (ख) स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित माल या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट												

\*यदि बीजक की पहचान करना संभव नहीं है ,पहले प्राप्त बीजक के सिद्धांत का अनुसरण किया जा सकेगा

8. धारा 18 (1) (ग) या धारा 18 (1)(घ) के अधीन दावा

इनपुट, अर्धपरिरूपित माल या परिरूपित माल और पूंजी माल में अंतर्विष्ट इनपुट जिन पर इनपुट टैक्स प्रत्यय का दावा किया गया है, के स्टॉक का ब्यौरा

क्रम सं.	प्रदायकर्ता का जीएसटीआई एन/ सीएक्स/ मूल्य वर्धित कर के अधीन रजिस्ट्रीकरण	बीजक */ बिल ऑफ इंट्री		स्टाक में धारित इनपुट, स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित माल या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट, पूंजी माल का विवरण	इकाई परिमाण कोड (यूक्यू सी)	परिमाण	मूल्य (नामे नोट/जमा नोट द्वारा समायोजित)	दावा किए गए इनपुट कर के प्रत्यय की रकम (₹.)				
		सं.	तारीख					केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

8 (क) स्टॉक में धारित इनपुट											
8 (ख) ) स्टॉक में धारित अर्धपरिरूपित माल या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट											
8 (ग) स्टॉक में धारित पूंजी माल											

\*यदि बीजक की पहचान करना संभव नहीं है ,पहले प्राप्त बीजक के सिद्धांत का अनुसरण किया जा सकेगा

\*\* पूंजी माल का मूल्य बीजक की तारीख से किसी वर्ष की प्रति तिमाही या उसके किसी भाग के पांच प्रतिशत पॉइंट को घटाकर बीजक मूल्य होगा ।

9. प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल की विशिष्टियां [जहां लागू हों]

- (क) प्रमाणपत्र जारी करने वाली फर्म का नाम
- (ख) प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट /लागत लेखापाल का नाम
- (ग) सदस्यता संख्यांक
- (घ) प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख
- (ङ) संलग्नक (प्रमाणपत्र अपलोड करने का विकल्प)

10. सत्यापन

में \_\_\_\_\_ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_

पदनाम/प्रास्थिति \_\_\_\_\_

तारीख --- दिन/मास/वर्ष

**प्ररूप जीएसटी आईटीसी -02**

[नियम- 41(1)देखें]

धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन किसी कारबार के विक्रय, विलयन, निर्वलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण की दशा में इनपुट कर प्रत्यय के अंतरण की घोषणा

1.	अंतरक का जीएसटीआईएन	
2.	अंतरक का विधिक नाम	
3.	व्यापार का नाम, यदि कोई हों	
4.	अंतरिती का जीएसटीआईएन	
5.	अंतरिती का विधिक नाम	
6.	व्यापार का नाम, यदि कोई हों	

7. अंतरित किए जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे

कर	उपलब्ध सुमेलित इनपुट कर प्रत्यय की रकम	अंतरित की जाने वाली सुमेलित इनपुट कर प्रत्यय की रकम
1	2	3
केन्द्रीय कर		
राज्य कर		
संघ राज्यक्षेत्र कर		
एकीकृत कर		
उपकर		

8. प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल की विशिष्टियां

- (क) प्रमाणपत्र जारी करने वाली फर्म का नाम  
 (ख) प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट /लागत लेखापाल का नाम  
 (ग) सदस्यता संख्यांक  
 (घ) अंतरक को प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख  
 (ङ) संलग्नक (प्रमाणपत्र अपलोड करने का विकल्प)

#### 9. सत्यापन

मैं \_\_\_\_\_ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_

पदनाम/प्रास्थिति \_\_\_\_\_

तारीख --- दिन/मास/वर्ष

#### प्ररूप जीएसटी आईटीसी -03

[नियम - 44(4) देखें]

धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय विपर्यय की सूचना /स्टाक में धारित इनपुट, स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित और परिरूपित माल और पूंजी माल में अंतर्विष्ट इनपुट पर कर के संदाय की घोषणा

1. जीएसटीआईएन	
2. विधिक नाम	
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हों	
4(क). संरचना स्कीम के विकल्प के लिए फाइल किए गए आवेदन के ब्यौरे [केवल धारा 18 (4) के लिए लागू]	(i) आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) (ii) फाइल करने की तारीख
4(ख). तारीख जिससे छूट प्रभावी होगी [केवल धारा 18 (4) के लिए लागू]	

5. स्टाक में धारित इनपुट, स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित और परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट और पूंजी माल के स्टाक के ब्यौरे जिन पर धारा 18(4) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का संदाय किया जाना अपेक्षित है



क्रम सं.	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन/सीएक्स/मूल्य वर्धित कर के अधीन रजिस्ट्रीकरण	*बीजक / बिल ऑफ इंट्री		स्टाक में धारित इनपुट, स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित माल या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट और पूंजी माल का विवरण	इकाई परिमाण कोड (यूएनसीसी)	परिमाण	मूल्य** (नामे नोट/ जमा नोट द्वारा समायोजित)	दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम (रु.)				
		सं.	तारीख					केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 (क) स्टाक में धारित इनपुट (जहां बीजक उपलब्ध है)												
5 (ख) स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित माल या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट (जहां बीजक उपलब्ध है)												
5 (ग) स्टाक में धारित पूंजी माल (जहां बीजक उपलब्ध है)												
5 (घ) स्टाक में धारित इनपुट और स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित/परिरूपित माल में यथाअंतर्विष्ट इनपुट (जहां बीजक उपलब्ध नहीं है)												
5 (ङ) स्टाक में धारित पूंजी माल (जहां बीजक उपलब्ध नहीं है)												

पहले प्राप्त बीजक के सिद्धांत का अनुसरण किया जा सकेगा

(2) यदि कतिपय इनपुट या पूंजी माल के लिए बीजक उपलब्ध नहीं है तो मूल्य का प्राक्कलन अधिभावी बाजार कीमत के आधार पर किया जाएगा ।

\*\*पूंजी माल का मूल्य बीजक की तारीख से किसी वर्ष की प्रति तिमाही या उसके किसी भाग के पांच प्रतिशत पॉइंट को घटाकर बीजक मूल्य होगा ।

6. संदेय और संदत्त इनपुट कर प्रत्यय की रकम (सारणी 5 के आधार पर)

क्रम सं.	विवरण	संदेय कर	नकद / जमा खाता द्वारा संदाय	विकलन प्रविष्टि सं.	संदत्त इनपुट कर प्रत्यय की रकम मानक				
					केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	केन्द्रीय कर		नकद खाता						
			जमा खाता						
2.	राज्य कर		नकद खाता						
			जमा खाता						
3.	संघ राज्यक्षेत्र कर		नकद खाता						
			जमा खाता						
4.	एकीकृत कर		नकद खाता						
			जमा खाता						
5.	उपकर		नकद खाता						
			जमा खाता						

## 7. सत्यापन

मैं \_\_\_\_\_ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_

पदनाम/प्रास्थिति \_\_\_\_\_

तारीख --- दिन/मास/वर्ष



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 6. सत्यापन

मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

हस्ताक्षर

स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम .....

तारीख

पदनाम/प्रास्थिति.....

प्ररूप जीएसटी ईएनआर-01

[नियम 58(1) देखिए]

## धारा 35(2) के अधीन नामांकन के लिए आवेदन

[केवल अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए]

1.	(क) विधिक नाम	
	(ख) व्यापार नाम, यदि कोई हो	
	(ग) स्थायी खाता संख्या (पैन)	
	(घ) आधार (केवल संबद्ध स्वत्वधारिता के मामले में लागू)	
2.	नामांकन का प्रकार	
	परिवाहक <input type="radio"/> गोदाम स्वामी/प्रचालक <input type="radio"/> मांडागार स्वामी/प्रचालक <input type="radio"/> शीतागार स्वामी /प्रचालक <input type="radio"/>	
3.	कारबार का गठन (कृपया समुचित चयन करें)	
(i) स्वत्वधारिता	<input type="radio"/>	(ii) भागीदारी <input type="radio"/>
(iii) हिन्दू अविभक्त कुटुंब	<input type="radio"/>	(iv) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी <input type="radio"/>
(v) पब्लिक लिमिटेड कंपनी	<input type="radio"/>	(vi) सोसाइटी/क्लब/न्यास/व्यक्तियों का संगम <input type="radio"/>
(vii) सरकारी विभाग	<input type="radio"/>	(viii) पब्लिक सेक्टर उपक्रम <input type="radio"/>
(ix) असीमित कंपनी	<input type="radio"/>	(x) सीमित दायित्व भागीदारी <input type="radio"/>
(xi) स्थानीय प्राधिकारी	<input type="radio"/>	(xii) कानूनी निकाय <input type="radio"/>
(xiii) विदेशी लिमिटेड दायित्व भागीदारी	<input type="radio"/>	(xiv) रजिस्ट्रीकृत विदेशी कंपनी (भारत में) <input type="radio"/>

(xv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		<input type="radio"/>		
4.	राज्य का नाम		जिला	
5.	अधिकारिता के ब्यौरे			
	केन्द्र		राज्य	
6.	कारबार प्रारंभ करने की तारीख			
7.	कारबार का मुख्य स्थान की विशिष्टयां			
(क)	पता			
	भवन सं०./फ्लैट सं०.		तल सं०.	
	परिसर/भवन		सड़क/गली	
	शहर/नगर/परिक्षेत्र/ग्राम		जिला	
	तलुका/ब्लाक			
	राज्य		पिन कोड	
	अक्षांश		देशांतर रेखांश	
(ख)	संपर्क सूचना			
	कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय टेलीफोन नं०	एसटीडी
	मोबाइल नं०		कार्यालय फैक्स नं०	एसटीडी
(ग)	परिसर का स्वरूप			
	स्वामित्व	पट्टे पर	किराए पर	सम्मति
				अंशित
				अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
(घ)	ऊपर उल्लिखित परिसर पर किए जा रहे क्रियाकलाप के कारबार की प्रकृति			
	भांडागार/डिपो	<input type="radio"/>	गोदाम	<input type="radio"/>
	कार्यालय/विक्रय कार्यालय	<input type="radio"/>	शीतागार	<input type="radio"/>
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	<input type="radio"/>		
8.	कारबार के अतिरिक्त स्थान और ब्यौरे	कारबार के अतिरिक्त स्थान (स्थानों) के लिए जोड़े यदि कोई हो (मद 7(क), (ख), (ग) और (घ) के अनुसार वही सूचना भरें)		
9.	बैंक खाते के ब्यौरे			

कारबार के संचालन के लिए आवेदक द्वारा अनुरक्षित कुल बैंक खाता संख्या (10 तक बैंक खातों की रिपोर्ट की जाए)	
--	--

बैंक खाते का ब्यौरा 1

खाता संख्या																				
खाता के प्रकार	आईएफएस सी																			
बैंक का नाम																				

शाखा का पता	स्वतः भरा जाना चाहिए (संपादन रूप में)
-------------	---------------------------------------

टिप्पण : और खाते जोड़ें

10.	स्वत्वधारी/सभी भागीदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगमों की समिति प्रबंध के सदस्य/न्यासियों के बोर्ड आदि के ब्यौरे ।
-----	--

विशिष्टियां	पहला नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तारीख	तारीख/मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष, स्त्री, अन्य >
मोबाइल नं0		ई-मेल पता	
टेलीफोन नं0, एसटीडी सहित			
पदनाम /प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
स्थायी खाता संख्या (पैन)		आधार सं0	
क्या आप भारत के नागरिक हैं ?	हां/ नहीं	पासपोर्ट सं0. (विदेशियों के मामले में)	
निवास का पता :			
भवन सं0/फ्लैट सं0		तल सं0	
परिसर/भवन		सड़क/गली	
शहन/नगर/परिक्षेत्र/ग्राम		जिला	
ब्लाक/तलुका			
राज्य		पिन कोड	
देश (केवल विदेशी के मामले में)		जिप कोड	

11.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे		
विशिष्टियां	पहला नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तारीख	तारीख/मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष, स्त्री, अन्य >
मोबाइल सं0		ई-मेल पता	
टेलीफोन सं0, एसटीडी सहित			

पदनाम /प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
स्थायी खाता संख्या (पैन)		आधार सं०	
क्या आप भारत के नागरिक हैं ?	हां/ नहीं	पासपोर्ट सं०. (विदेशियों के मामले में)	

भारत में निवास का पता			
भवन सं०/फ्लैट सं०		तल सं०	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
ब्लाक/तलुका			
शहन/नगर/परिक्षेत्र/ग्राम		जिला	
राज्य		पिन कोड	

12.	सम्मति
<p>मैं ,प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए यूआईडीएआई से मेरे ब्यौरे अभिप्राप्त करने के "माल और सेवा कर नेटवर्क" के लिए सम्मति दिए गए प्ररूप में उपबंधित आधार संख्या पर आधारित पहले भरे गए आधार संख्या के धारक के ओर से हूं । "माल और सेवा कर नेटवर्क" ने मुझे सूचना दी है कि पहचान आधार धारक के पहचान विधिमान्यता के लिए केवल उपयोगी होगा और प्रमाणांकन के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय पहचान डाटा कोष के साथ साझा किया जाएगा ।</p>	

13. अपलोड किए गए दस्तावेजों की संख्या (पहचान और पता की सबूत)

14. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

हस्ताक्षर

स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम.....  
 तारीख : पदनाम/प्रास्थिति .....

कार्यालय उपयोग के लिए –  
 नामांकन सं०. .... तारीख .....

**प्ररूप जीएसटी आर-1**

[ नियम 59 (1) देखें ]

माल और सेवाओं के जावक प्रदाय के ब्यौरे

वर्ष				
माह				

1.		जी एस टी आई एन																
2.	(क)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम																
	(ख)	व्यापारिक नाम, यदि कोई हो																
3.	(क)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त																
	(ख)	संकलित आवर्त – अप्रैल से जून, 2017																

4. सारणी 6 में आने वाली प्रदाय से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (यू आई एन-धारक सहित) को जावक कराधेय प्रदाय  
(सभी सारणियों के लिए रकम रु0 में)

जीएसटी आईएन/ यूआईएन	बीजक के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	रकम				आपूर्ती का स्थान (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम)
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघराज्य क्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4अ. (i) पतिवर्ती प्रभार आकर्षित और (ii) ई-वाणिज्य प्रचालक के प्रदाय, के अलावा अन्य प्रदाय										
4आ. प्रतिवर्ती प्रभार के आधार पर प्रदाय आकर्षित-कर										
4इ. टीसीएस (प्रचालक वार, दर वार) से संबंधित ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से प्रदाय										
4ई-वाणिज्य प्रचालक का जीएसटीआईएन										

5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जावक कराधेय की अंतरराज्यिक प्रदाय, जहाँ बीजक मूल्य 2.5 लाख रुपये से अधिक हो

प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम)	बीजक के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य संख्या	रकम	
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8
5अ. जावक प्रदाय (ई-वाणिज्य दर वार के माध्यम से की गई प्रदाय से भिन्न)							
5आ. टीसीएस आकर्षित ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई प्रदाय							
ई-वाणिज्य प्रचालक का जीएसटी							

6. शून्य दर से प्रदाय और समझा गया निर्यात



प्राप्तकर्ता का जीएसटी आईएन	बीजक के व्यौरे			बिल लदान/निर्यात का विल		एकीकृत कर		
	संख्या	तारीख	मूल्य	संख्या	तारीख	दर	कराधेय मूल्य	रकम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6अ. निर्यात								
6आ. एस ईजेड ईकाई या एस ई जेड विकासकर्ता को की गई प्रदाय								
6इ. समझा गया निर्यात								

**7. सारणी 5 में आने वाली प्रदाय से भिन्न अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को कराधेय प्रदाय (शुद्ध नामे नोट और जमापत्र)**

कर की दर	कुल कराधेय मूल्य	रकम			
		एकीकृत	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र	उपकर
1	2	3	4	5	6
7अ. राज्यांतरिक प्रदाय					
7अ (1). एकीकृत दर वार जावक प्रदाय [ई-वाणिज्य प्रचालक टीसीएस आकर्षित प्रदाय सहित ]					
7अ (2). 7अ (1) में प्रदाय से बाहर उल्लिखित, ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई टीसीएस आकर्षित (प्रचालकवार, दर-वार) प्रदाय का मूल्य					
ई-वाणिज्य प्रचालक का जी एस टी आई एन					
7आ. अन्तर्राज्यिक प्रदाय, जहां बीजक मूल्य 2.5 लाख रु0 तक है (दर वार)					
7आ (1). प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम)					
7आ (2). 7 आ (1) मे उल्लिखित प्रदाय से बाहर, ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई प्रदाय (प्रचालक वार, दर वार )					
ई-वाणिज्य प्रचालक का जी एस टी आई एन					

**8. शून्य दर, कर-विमुक्त और गैर जीएसटी जावक प्रदाय**

विवरण	शून्य दर प्रदाय	कर-विमुक्त (शून्य दर/गैर जी एस टी से भिन्न प्रदाय)	गैर-जीएसटी प्रदाय
1	2	3	4
8अ.रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अंतर्राज्यिक प्रदाय			

8आ.रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को राज्यांतरिक प्रदाय			
8इ.अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अंतर्राज्यिक प्रदाय			
8ई अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को राज्यांतरिक प्रदाय			

**9. सारणी 4, 5 और 6 में पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियों में किए गए कराधेय जावक प्रदाय के व्यौरों का चालू अवधि के दौरान जारी किए गए प्रतिदाय वाउचर और उसका संशोधन)**

मूल दस्तावेज के व्यौरे				दस्तावेज के पुनरीक्षित व्यौरे या मूलतः नामे नोट/जमापत्र के व्यौरे या प्रतिदाय वाउचर				दर	कराधेय मूल्य	रकम				प्रदाय का स्थान	
जीएसटी आईएन	बीजक संख्या	बीजक तारीख	जीएसटी आईएन	बीजक		पोत परिवहन पत्र		मूल्य	10	11	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	16
1	2	3	4	संख्या	तारीख	संख्या	तारीख	9			12	13	14	15	
9अ. यदि बीजक/पोत परिवहन पत्र में दिए गए व्यौरे गलत थे															
9आ. नामे नोट/ जमापत्र/ प्रतिदाय वाउचर(मूल प्रति)															
9इ. नामे नोट/ जमापत्र/ प्रतिदाय वाउचर(उसके संशोधन)															

**10. सराणीय 7 में पूर्व कर अवधियों के लिए अरजिस्टर्ड व्यक्तियों को किए गए कारधेय जावक प्रदायों का संशोधन**

कर की दर	कुल कराधेय मूल्य	रकम			
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
कर अवधि जिनके लिए व्यौरे पुनरीक्षित किए जा रहे हैं		माह			
10अ. राज्यांतरिक प्रदाय (टीसीएस आकर्षित ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई प्रदाय सहित) (दर वार)					
10अ. (1) 10अ में उल्लिखित प्रदाय से बाहर, टी सी एस आकर्षित ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई प्रदाय का मूल्य (प्रचालक वार, दर वार)					
ई-वाणिज्य प्रचालक का जी एस टी आई एन					
10आ. अंतर्राज्यिक प्रदाय [टी सी एस आकर्षित ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई प्रदाय सहित] (कर वार)					
प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम)					
10आ (1). 10आ में उल्लेखित प्रदाय से बाहर टी सी एस से सम्बन्धी ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से की गई प्रदाय का मूल्य (प्रचालक वार, दर वार)					
ई-वाणिज्य प्रचालक का जी एस टी आई एन					

**11. अग्रिम प्राप्ति का एकीकृत विवरण/चालू कर अवधि में अग्रिम समायोजन/पूर्वतर कर अवधि में सूचना का संशोधन किया जाना**

दर	कुल अग्रिम प्राप्त/समयोजित	प्रदाय (राज्य का नाम )	रकम			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
<b>I चालू कर अवधि के लिए सूचना</b>						
11अ. कर अवधि में अग्रिम रकम की प्राप्ति जिसके लिए बीजक नहीं जारी किया गया (कर रकम को निवेश कर दायित्व से जाड़ा जाएगा)						
11अ (1). राज्यांतरिक प्रदाय (कर वार)						
11अ (2). अंतर्राज्यिक प्रदाय (कर वार)						
11आ. पूर्वतर कर अवधि में अग्रिम रकम की प्राप्ति और सारणी संख्या 4,5,6 और 7 में दिखाये गये कर अवधि में प्रदाय के विरुद्ध समायोजन						
11आ (1). राज्यांतरिक प्रदाय (कर वार)						
11आ (2). अंतर्राज्यिक प्रदाय (कर वार)						
<b>II पूर्वतर कर अवधि के लिए जी एस टी आर-1 विवरण में, सारणी सं० 11 (1) में दी गई सूचना का संशोधन [पुनरीक्षित सूचना देना]</b>						
माह					क्रम सं० (चयन) में दी गई सूचना से सम्बन्धित संशोधन	11अ(1) 11अ(2) 11आ(1) 11आ(2)

**12. जावक प्रदाय का एच एस एन-वार संक्षिप्त विवरण**

क्रम संख्या	एच एस एन	विवरण (वैकल्पिक, यदि एच एस एन प्रदान किया गया तो)	यू क्यू सी	कुल परिमाण	कुल मूल्य	कुल कराधेय मूल	रकम			
							एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**13. कर अवधि के दौरान जारी किए गये दस्तावेज**

क्रम संख्या	दस्तावेज को प्रकृति	क्रम सं०		कुल संख्या	रद्द	शुद्ध जारी किया गया
		से	तक			
1	2	3	4	5	6	7
1	जावक प्रदाय के लिये बीजक					
2	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से जावक प्रदाय के लिए बीजक					
3	पुनरीक्षित बीजक					
4	नामे नोट					
5	जमापत्र					
6	प्राप्ति वाउचर					
7	भुगतान वाउचर					
8	वापसी वाउचर					
9	छूटपुट काम के लिए वितरण चालान					
10	अनुमोदन पर प्रदाय के लिए वितरण चालान					
11	द्रव गैस के मामले में वितरण चालान					
12	प्रदाय से भिन्न मामलों में वितरण चालान (क्रम सं० 9 से 11 को छोड़कर)					

### सत्यापन

मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है और उत्पाद कर पर दायित्व में किसी कटौती की दशा में उसके फायदे प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को पहुंचे/पहुंचाए जाएंगे।

हस्ताक्षर

प्राधिकृत का नाम

पदनाम

स्थान

हस्ताक्षरी.....

तारीख

प्रास्थिति.....

अनुदेश -

1. प्रयुक्त शब्द:

(क) जीएसटीआईएन: माल और सेवा कर पहचान संख्या

(ख) यूआईएन: यूनीक पहचान संख्या

(ग) यूक्यूसी: यूनीक परिमाण कोड

(घ) एचएसएन: नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली

(ड) पीओएस:	प्रदाय का स्थान (अपने-अपने राज्य)
(च) बी से बी:	एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से दूसरे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को
(छ) बी से सी:	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को

2. जीएसटी आर-1 के ब्यौरे मास की 10 वीं तारीख तक उत्तरवर्ती सुसंगत कर अवधि में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

3. करदाता का ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के लिए संकलित आवर्त सारणी 3 की प्रारंभिक सूचना में प्रतिवेदित किया जाएगा । यह सूचना केवल प्रथम वर्ष में करदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जायेगी । पश्चातवर्ती विवरणियों में तिमाही आवर्त की सूचना प्रग्रहित नहीं होगी । पश्चातवर्ती वर्षों में संकलित आवर्त स्वतः वासित हो जाएंगे।

4. कर अवधि से सम्बंधित बीजक-स्तर की सूचना सभी प्रदाय के लिए प्रकाशित होनी चाहिए जो निम्नलिखित है--:

(i) सभी बी से बी प्रदायों के लिए (चाहे अंतर्राज्यिक या अंतःराज्यिक हो) बीजक स्तर के ब्यौर दर-वार, प्रतिवर्ती संबंधी प्रदाय और वे जो ई वाणिज्य प्रचारक से जो प्रभावित प्रभार है सहित सारणी 4 में अपलोड किया जाना चाहिए । इन प्रवर्गों में जावक प्रदाय सूचना सारणी प्रथक रूप से दी जाएगी ।

(ii) सभी अंतर्राज्यिक बी से सी प्रदाय के लिए, जहां बीजक मूल्य 2,50,000/- रु से आधिक है (बी से सी बृहद( बीजक-स्तर के ब्यौरे, दर-वार, प्रतिवर्ती प्रभार आकर्षित प्रदाय के साथ-साथ वे जो ई वाणिज्य प्रचारक से प्रभावित है) सारणी 4 में अपलोड किया जाना चाहिए। इन प्रवर्गों में

(iii) सभी बी से सी प्रदाय (चाहे अंतर्राज्यिक या अंतःराज्यिक हो) जहां बीजक मूल्य 2,50,000 रु तक हो, प्रदाय का राज्यवार संक्षिप्त विवरण, दर-वार, सारणी 7 में अपलोड किया जाना चाहिए ।

5. सारणी 4 में जाने वाली सूचना जो बी से बी प्रदाय से सम्बंधित है:

(i) (क) (प्रतिवर्ती प्रभार से भिन्न, ई-वाणिज्य प्रचारक संबंधित प्रदाय, दर-वार, सारणी 4क में प्रग्रहित होगा ।

(ख) (प्रतिवर्ती प्रभार से सम्बंधी प्रदाय, दर-वार, कर-वार, सारणी 4ख में प्रग्रहित होगा; और

(ग) इस अधिनियम की धारा 52 के अधीन होने वाले श्रोत पर कर, सग्रहण से संबंधित, प्रदाय ऑपरेटरवार एवं कर-दरवार प्रचापर के माध्यम से सारणी 4ग में प्रग्रहित होगा।

)ii (प्रदाय का स्थान संग्रहित होगा जब प्राप्तकर्ता का स्थान प्रदाय के स्थान से भिन्न होगा ।

6. सारणी 5 में बी से सी के वृहत बीजकों की सूचना प्रग्रहित होगी एवं अन्य सूचनाएँ सारणी 4 के समरूप होगी। इस सारणी में प्रदाय का स्थान अनिर्वाय होगा।

7. सारणी 6 में वह सूचना आएगी जो निम्नलिखित से संबंधित है:

- (i) भारत से बाहर निर्यात
- (ii) विशेष आर्थिक जोन ईकाई और विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को प्रदाय
- (iii) माना गया निर्यात।

8. सारणी 6 में पोत परिवहन पत्र और उसकी तारीख के बारे में सूचना दिये जाने की आवश्यकता है । यद्यपि कि, यदि पोत परिवहन पत्र उपलब्ध नहीं है, तो भी सारणी 6 में ही सूचना देना होगा । लेकिन उक्त बीजक से संबंधित किसी प्रतिदाय/छूट से पूर्व कर अवधि में, सारणी 9 में संशोधन के संबंध में, जिसके ब्यौरे उपलब्ध हों, सूचना के माध्यम से अद्यतन किया जा सकता है । पोत परिवहन पत्र के ब्यौरे पत्तन कोड (छः अंक) के साथ 13 अकों में दिये जाएंगे, जो पोत परिवहन पत्र की संख्या द्वारा अनुसारित किया जाएगा ।

9. विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र द्वारा डी टी ए को बिना बिल ऑफ इंटरी से आच्छादित किया गया कोई भी प्रदाय, जीएसटीआर- 1 में प्रतिवेदित किया जाना है। विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र द्वारा बिल ऑफ इंटी से आच्छादित प्रदाय डीटीए ईकाइ अपने जीएसटीआर-2 में आयात के रूप में प्रतिवेदित करेगा। सेवाओं के प्रदाय से संबंध में आईजीएसटी के संदाय के लिए दायित्व का सृजन इस सारणी से किया जाएगा ।

10. निर्यात संव्यवहारों के मामले में प्राप्तकर्ता का जीएसटीआई एन नहीं होगा, अतः यह रिक्त रहेगा ।

11. निर्यात संव्यवहारों को, जीआईजीएसटी (बंधपत्र/वचनबंध पत्र के अधीन) में संदाय के बिना है, उन्हें सारणी 6अ और 6आ में "0" कर रकम शीर्षक के अधीन रिपोर्ट करना आवश्यक है ।

12. कराधेय प्रदाय के बारे निम्नलिखित सूचना सारणी 7 में दी जाएगी :

- (0) बी से सी प्रदाय (चाहे वह अंतर्राज्यिक या अन्तःराज्यिक हो) जिसका बीजक मूल्य 2,50,000 ₹0 तक हो ;

(□□) विशेष कर अवधि में तैयार किये गये नामे नोट/जमापत्र का शुद्ध कराधेय मूल्य और पूर्ववर्ती कर अवधियों से संबंधित सूचना, जिसे पूर्व में रिपोर्ट नहीं किया गाय था, उसे सारणी 10 में रिपोर्ट किया जाएगा । यदि आवश्यक हुआ तो नकारात्मक मूल्य इस सारणी में उल्लिखित किया जा सकता है ।

(□□□) इस अधिनियम की धारा 52 के अधीन कर संग्रहण से संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालक से प्रभावित संव्यवहार जिसे प्रचालकवार और दर वार प्रावधानित किया गया है ;

(□□) स्रोत पर कर संग्रहण से संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किए गए प्रदायों सहित कुल अंतःराज्यिक प्रदाय, दर-वार, सारणी 7 अ(1) में और कुल प्रदाय से अलग स्रोत पर कर संग्रहण से संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किए गए प्रदाय सारणी 7 अ(2) में आते हैं, जो सारणी 7 अ(1) में रिपोर्ट किए जाएंगे ।

(□) स्रोत पर कर संग्रहण से संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किए गए प्रदायों सहित कुल अंतःराज्यिक प्रदाय, दर वार सारणी 7 आ(1) में आते हैं, और कुल प्रदाय से बाहर स्रोत पर कर संग्रहण से संबंधी ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किए गए प्रदाय सारणी 7 अ(2) में आते हैं, जो सारणी 7 आ(1) में रिपोर्ट किए जाएंगे ; और

(√) राज्य वार और दर वार सूचना सारणी 7आ में आयेगी ।

13. सारणी 9 में निम्नलिखित सूचना आयेगी :

(□) सारणी 4 में रिपोर्ट की गई बी से बी प्रदायों का संशोधन, सारणी 5 में रिपोर्ट की गई बी से बी बृहद् प्रदाय और सारणी 6 में रिपोर्ट किए गए निर्यातों/ विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र ईकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता/ समझे गए निर्यात से सम्मिलित प्रदाय ;

(□□) दर वार दी गई सूचना ;

(□□□) जारी किए गए नामे नोट /जमापत्र की मूलतः सूचना और इसके संशोधन, जो पूर्वतर कर अवधियों में प्रकाशित किए गये थे, भी आते हैं । जब सूचना प्रस्तुत की जा रही हो, तब मूलतः नामे नोट /जमापत्र, बीजक के ब्यौरे प्रथम तीन स्तंभों में उल्लिखित किए जाएंगे, जब नामे नोट/ जमापत्र का पुनरीक्षण किया जा रहा हो, तब मूलतः नामे नोट/ जमापत्र के ब्यौरे इस सारणी में प्रथम तीन स्तंभों में उल्लिखित किए जाएंगे ;

(iv) प्रदाय का स्थान यदि वह प्राप्तकर्ता के स्थान से भिन्न है ;





आई एन/ यू आई एन							कर	राज्यक्षेत्र कर		राज्य क्षेत्र का नाम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3अ. प्रतिवर्ती प्रभार से भिन्न प्रदाय (जी एस टी आर-2 की प्ररूप सारणी 3)										
3आ. प्रतिवर्ती प्रभार संबंधी प्रदाय (जी एस टी आर-2 की प्ररूप सारणी 4)										

**4. विशेष आर्थिक जोन और माने गये निर्यात के लिए शून्य दर से प्रदाय**

प्राप्तकर्ता का जी एस टी आई एन	बीजक के ब्यौरे			एकीकृत कर		
	संख्या	तारीख	मूल्य	दर	कराधेय मूल्य	कर रकम
1	2	3	4	5	6	7
4अ. विशेष आर्थिक जोन ईकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को की गई प्रदाय						
4आ. माने गये निर्यात						

**5. चालू अवधि के दौरान जारी किए गये नाम नोट, जमापत्र (उसके संशोधन सहित)**

मूल दस्तावेज में ब्यौरे			दस्तावेज के पूनरीक्षित ब्यौरे या मूलतः नामे नोट/जमापत्र के ब्यौरे				दर	कराधेय मूल्य	प्रदाय का स्थान (राज्य/सं घ राज्य क्षेत्र का नाम)	कर की रकम			
जी एस टी आई एन	संख्या	तारीख	जी एस टी आई एन	संख्या	तारीख	मूल्य				एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**प्ररूप जीएसटी आर-2**

[नियम 60(1) देखें]

माल और सेवाओं की आवक प्रदाय के ब्यौरे

वर्ष				
माह				

1.	जी एस टी आई एन																		
2.	(क)	रजिस्टर्ड व्यक्ति का विधिक नाम																	
	(ख)	व्यापारिक नाम, यदि कोई हों																	

3. प्रतिवर्ती प्रभार से सम्बन्धी प्रदाय से सम्बन्धी प्रदाय से भिन्न रजिस्टर्ड व्यक्ति से प्राप्त आवक प्रदायों

(सभी सारणियों के लिए रकम रूपये में)

प्रदायकर्ता का जी एस टी आई एन	बीजक के व्यौरें			दर	कराधेय मूल्य	कर की रकम				प्रदाय कर स्थान	जहां निवेश या निवेश सेवा/पूजी माल (संयंत्र और मशीनरी सहित)/ आई टी सी के लिए अपात्र हों	आई टी सी उपलब्ध की रकम				
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

4. प्रतिवर्ती प्रभार संदत्त किये जाने वाले कर की आवक प्रदाय

प्रदायकर्ता का जी एस टी आई एन	बीजक के व्यौरें			दर	कराधेय मूल्य	कर की रकम				प्रदाय कर स्थान	जहां निवेश या निवेश सेवा/पूजी माल (संयंत्र और मशीनरी सहित)/ आई टी सी के लिए अपात्र हों	आई टी सी उपलब्ध की रकम				
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	

4अ. रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से आवक प्रदाय की प्राप्ति (प्रतिवर्ती प्रभार सम्बन्धी)

4आ. अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से आवक प्रदाय की प्राप्ति																		
4इ. सेवा का आयात																		

**5. बिल ऑफ इंट्री पर विदेश से या विशेष आर्थिक जोन ईकाई से निवेश/पूंजी माल की प्राप्ति**

प्रदायकर्ता का जी एस टी आई एन	प्रवेश पत्र के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	रकम		जहां निवेश/पूंजी माल (संयंत्र और मशीनरी सहित) आई टी सी के लिए अपात्र हैं	आई टी सी उपलब्ध की रकम	
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	उपकर		एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5अ. आयात										
5आ. विशेष आर्थित जाने से प्राप्ति										
पत्तन कोड + बिल ऑफ इंट्री की संख्या = 13 अंक						निर्धारणीय मूल्य				

6. सारणी 3, 4 और 5 में पूर्वतर कर अवधियों के लिए विवरणियों में किए गए आवक प्रदाय के ब्यौरे का संशोधन (जारी किए गये नामे नोट/जमापत्र और उसके पश्चात्पूर्ति संशोधनों सहित)

7. संरचना कराधेय व्यक्ति से प्राप्त प्रदाय और अन्य छूट/शून्य दर/गैर जी एस टी से प्राप्त प्रदाय

मूलतः बीजक/बिल ऑफ इंट्री संख्या के ब्यौरे			बीजक के पुनरीक्षित ब्यौरे				दर कराधेय मूल्य		रकम				प्रदाय कर स्थान	जहां निवेश या निवेश सेवा/पूजी माल/आई टी सी के लिए अपात्र है	आई टी सी की उपलब्ध रकम			
जी एस टी आई एन	संख्या	तारीख	का जी एस टी आई एन	संख्या	तारीख	मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	एकीकृत कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर			उपकर			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6अ. मालों के आयात या विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त माल से भिन्न प्रदाय [पूर्वतर विवरणियों में सारणी 3 और 4 में दी गई सूचना], यदि दिये गये पूर्वतर ब्यौरे गलत थे																		
6आ. मालों का आयात या विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त माल के रूप में प्रदाय [पूर्वतर विवरणियों के सारणी 5 में दी गई सूचना], यदि दिये गये पूर्वतर ब्यौरे गलत थे																		
6इ. नामे नोट/जमापत्र [मूल प्रति ]																		
6ई. नामे नोट/जमापत्र [पूर्वतर कर अवधियों में नामे नोट/साखपत्रों का किया गया संशोधन]																		
विवरण			प्राप्ति से प्रदायों का मूल्य															
			संरचना कराधेय व्यक्ति				प्रदाय से छूट				शून्य दर से प्रदाय				गैर जी एस टी प्रदाय			
1			2				3				4				5			
7अ. अंतर्राज्यिक प्रदाय																		
7आ. राज्यांतरिक प्रदाय																		

### 8 प्राप्त आईएसडी प्रत्यय

	आईएसडी दस्तावेज विवरण	प्राप्त आईएसडी प्रत्यय	पात्र आईटीसी की रकम
--	-----------------------	------------------------	---------------------

	संख्या	तारीख	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8अ. आईएसडी बीजक										
8आ. आईएसडी जमापत्र										

**9 प्राप्त टीडीएस और टीसीएस प्रत्यय**

कटौती कर्ता का जीएसटीआईएन / ई-वाणिज्यिक आपरेटर का जीएसटीआईएन	सकल मूल्य	बिक्री वापसी	शुद्ध कीमत	रकम		
				एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7
9अ. टीडीएस						
9आ. टीसीएस						

**10. प्रदाय का प्राप्ति के खाते में अग्रिम संदेय /अग्रिम समायोजन का एकीकृत विवरण**

दर	सकल अग्रिम संदेय	प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का)	रकम			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
<b>I चालू माह की जानकारी</b>						
10अ. कर अवधि में प्रतिवर्ती प्रभावी प्रदाय के लिए संदेय अग्रिम रकम ( आउटपुट कर दायित्व में जोड़ा जाने वाला कर की रकम)						
10आ (1). राज्यांतरिक प्रदाय (दर वार)						
10आ (2). अंतर्राज्यिक प्रदाय (दर वार)						
10आ. अग्रिम राशि जिस पर कर पूर्वतर अवधि में भुगतान किया गया था, लेकिन चालान वर्तमान अवधि में प्राप्त हो गया है ( ऊपरसारणी 4 में परिलक्षित)						
10आ (1). राज्यांतरिक प्रदाय (दर वार)						
10आ (2). अंतर्राज्यिक प्रदाय (दर वार)						
<b>II पूर्व माह में सारणी संख्या 10 (1) में उपलब्ध कराये गये जानकारी का संशोधन (उपलब्ध पुनरीक्षित)</b>						

जानकारी )						
माह	क्र.सं. में उपलब्ध जानकारी से संबंधित संशोधन (चयन)	10अ(1)	10अ(2)	10(आ1)	10आ(2)	

## 11. इनपुट कर प्रत्यय उत्क्रमण /पुनर्दावा

आईटीसी के उत्क्रमण के लिए विवरण	आउटपुट दायित्व से जोड़ा या कम करने के लिए	आईटीसी की रकम			
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
<b>अ. वर्तमान कर अवधि के लिए जानकारी</b>					
(क) नियम 37(2) के संदर्भ में राशि	जोड़ा जाए				
(ख) नियम 39(1)(ज) (ii) के संदर्भ में राशि	जोड़ा जाए				
(ग) नियम 42(1)(ड) के संदर्भ में राशि	जोड़ा जाए				
(घ) नियम 43(1)(ज) के संदर्भ में राशि	जोड़ा जाए				
(ङ) नियम 42(2) (क) के संदर्भ में राशि	जोड़ा जाए				
(च) नियम 42(2) (ख) के संदर्भ में राशि	कम किया जाए				
(छ) आईटीसी के उत्क्रमण के बाद भुगतान की गई राशि के कारण	कम किया जाए				
(ज) कोई अन्य दायित्व (विनिर्दिष्ट करें)	.....				
<b>ख. किसी पूर्व विवरणी में क्रम संख्या क पर सारणी संख्या 11में उपलब्ध कराये गये जानकारी का संशोधन</b>					
माह में प्रस्तुत जानकारी के संबंध में संशोधन किया गया है					
जानकारी जो आप संशोधन करना चाहते हैं निर्दिष्ट करें) (ड्रॉप डाउन)					

## 12. बेमेल और अन्य कारणों के लिए जावक कर में रकम का घटाया जाना और जोड़ा जाना

विवरण		जावक दायित्व से जोड़ा जाना या कम किया जाना	रकम			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1		2	3	4	5	6
(क)	बेमेल / बीजक का डुप्लीकेट / नामेनोट्स पर दावा किया गया आईटीसी	जोड़ना				
(ख)	बेमेल जमापत्र पर कर दायित्व	जोड़ना				
(ग)	बेमेल बीजक / नामेनोट्स के सुधार के कारण पुनः दावा	कम करें				
(घ)	बेमेल जमापत्र के सुधार के कारण पुनः दावा	कम करें				
(ङ)	पिछले कर अवधि से नकारात्मक कर दायित्व	कम करें				
(च)	पूर्व में कर अवधि में अग्रिम पर देय कर और वर्तमान कर अवधि में की गई प्रदाय पर कर के साथ समायोजित	कम करें				

13. आवक प्रदाय का एचएसएन सारांश

संख्या	एचएसएन	विवरण (वैकल्पिक यदि एचएसएन उपलब्ध कराया गया हो)	यूक्यूसी	कुल मात्रा	कुल मूल्य	कुल कर योग्य मूल्य	रकम			
							एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

सत्यापन

में सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई है ।

हस्ताक्षर.....

स्थान:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम

.....

तारीख:

पदनाम / प्रास्थिति

**अनुदेश-**

## 1. प्रयोग की गई शर्तें:

- (क) जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या  
 (ख) यूआईएन : विशिष्ट पहचान संख्या  
 (ग) यूक्यूसी: यूनिट मात्रा कोड  
 (घ) एचएसएन: नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली  
 (ङ) पीओएस प्रदाय की जगह )संबंधित राज्य(  
 (च) बी से बी: एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से दूसरे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति तक  
 (छ) बी से सी: रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को

## 2. सारिणी 3 और 4 की जानकारी प्राप्त करने के लिए

- (i) जीएसटीआर2-क में प्राप्त स्वतः वासित ब्यौरे पर आधारित जीएसटीआर 2-में उपलब्ध कराये जाने के लिए जीएसटीआर 1-में प्रदायकर्ता द्वारा रिपोर्ट की गई कर की अवधि से संबंधित, दर-वार, बीजक स्तरीय आवक प्रदाय जानकारी
- (ii) सारिणी 3 में प्रतिवर्ती प्रभार आकर्षित प्रदाय से भिन्न आवक प्रदाय को पकड़ने वाले और सारिणी 4 में प्रतिवर्ती प्रभार आकर्षित आवक प्रदाय का प्रग्रहण होगा
- (iii) प्राप्तकर्ता कर दाता के पास स्वतः जानने वाली जानकारी पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित विकल्प हैं:
- (क) स्वीकार करना,  
 (ख) अस्वीकार,  
 (ग) संशोधन )यदि प्रदायकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी गलत है(, या  
 (घ) कार्रवाई के लिए लेन-देन लम्बित रखें )यदि सामान या सेवाएं प्राप्त नहीं हुई हैं(  
 (iv) कार्रवाई करने के बाद, प्राप्तकर्ता करदाता को यह उल्लेख करना होगा कि क्या वह प्रत्यय का लाभ लेने के लिए पात्र है या नहीं और अगर वह प्रत्यय का लाभ लेने के योग्य है, तो बीजक में उल्लिखित कर के खिलाफ पात्र प्रत्यय की राशि दर्ज की जानी चाहिए;  
 (v) प्राप्तकर्ता करदाता भी बीजक जोड़ सकता है )प्रतिपक्ष प्रदायकर्ता द्वारा अपलोड नहीं किया है ( यदि उसका बीजक उसके पास है और माल या सेवाओं को प्राप्त किया है;



- (vi) सारणी 4 क को स्वतः तैयार किया जाना है;
- (vii) प्राप्तकर्ता कर दाता द्वारा बीजक को जोड़ने की दशा में प्रदाय का स्थान )पीओएस( का, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त प्रदाय मामले को छोड़कर जहां प्राप्तकर्ता के स्थान से भिन्न कोई स्थान है, सदैव प्रग्रहित होगा ।
- (viii) प्राप्तकर्ता को केवल स्वतः वासित बिजकों को स्वीकार करने एवं प्रतिवर्ती प्रभार से संबंधित बिजकों को जोड़ने का विकल्प होगा जब प्रदाय का समय अधिनियम की धारा 12 एवं 13 के अनुसार उत्पन्न हो
- (ix) प्राप्तकर्ता कर दाता को स्तंभ संख्या 12 में घोषित करना आवश्यक है कि क्या आवक प्रदाय इनपुट या इनपुट सेवाओं या पूंजीगत माल है )संयंत्र और मशीनरी सहित (है।
3. किसी एसईजेड यूनिट द्वारा किये गये प्रदाय के साथ-साथ भारत के बाहर से आयातित माल/पूंजीगत माल से संबंधित व्यौरा, दर-वार सारणी 5 में प्राप्तकर्ता कर दाता के द्वारा प्रतिवेदित किया जाना है।
4. प्राप्तकर्ता को बिल की प्रविष्टि की जानकारी प्रदान करने के लिए छह अंक पोर्ट कोड और प्रविष्टि संख्या के सात अंकों का बिल सम्मिलित है।
5. सारणी 5 में कर योग्य मूल्य का अर्थ सीमा शुल्क प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन योग्य मान है जिस पर आईजीएसटी की गणना की जाती है )मूल्य के साथ निर्दिष्ट सीमा शुल्क पर आईजीएसटी लगाया जाता है।(। आयात के मामले में, जीएसटीआईएन प्राप्तकर्ता कर दाता का होगा।
6. नामे या जमापत्र की मूल /संशोधित जानकारी के साथ-साथ सारणी 3, 4 और 5 में पूर्व के कर-अवधि में दी गई, दर-वार, सूचना संशोधन सारणी 6 में प्रग्रहित होना है । निर्यात लेनदेन के मामले में जीएसटीआईएन प्रदान नहीं किया जाना है।
7. सारणी 7 सकल मूल्य स्तर पर जानकारी लेता है।
8. सारणी 8 के सारणी 3 के अनुरूप समान विकल्प उपलब्ध नहीं है और आईएसडी द्वारा वितरण के रूप में प्रत्यय) चाहे योग्य या अयोग्य (को प्राप्तकर्ता इकाई के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और इसके लिए पात्रता के साथ-साथ इसे फिर से आईटीसी के रूप में योग्य रकम के साथ-साथ निर्धारित करने की अपेक्षा होगी
9. टीडीएस और टीसीएस प्रत्यय सारणी 9 में स्वतः बनाई जाएगी। विक्री वापसी और शूद्ध मूल्य कॉलम सारणी 9 में स्रोत पर कर के कटौती के मामले में लागू नहीं है।
10. सारणी 3, सारणी 4 और सारणी 8 से आवक प्रदाय से संबंधित पात्र प्रत्यय को प्ररूप जीएसटीआर-3 में अपनी विवरणी की प्रस्तुत करने पर इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता बही में भरी जाएगी ।
11. प्राप्तकर्ता एक बीजक पर आईटीसी से कम का दावा कर सकता है जो उसके व्वसायीक उद्देश्य या गैर व्वसायीक उद्देश्य के लिए निर्भर है ।
12. प्रतिप्रदाय प्रभार प्रदाय से संबंधित अग्रिम भुगतान की जानकारी और जारी किए गए कर के समायोजन सहित बीजक द्वारा दिया गया कर सारणी 10 में सूचित किया जाना चाहिए।



										का नाम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5. चालू कर अवधि के दौरान प्राप्त अतिशेष /जमापत्र (उसके संशोधनों सहित)

मूल दस्तावेज के ब्यौरे			दस्तावेजों के पुनरीक्षित ब्यौरे या मूल अतिशेष के प्रत्यय ब्यौरे				दर	कर योग्य मूल्य	कर की रकम				प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम)
जीएसटी आईएन	संख्या	तारीख	जीएसटी आईएन	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**भाग-ख**

6. प्राप्त आईएसडी प्रत्यय(उसके संशोधनों सहित)

आईएसडी का जीएसटी आईएन	आईएसडी का दस्तावेज ब्यौरा		सन्निहित आईटीसी रकम			
	संख्या	तारीख	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
आईएसडी बीजक –पात्र आईटीसी						
आईएसडी बीजक –अपात्र आईटीसी						
आईएसडी जमापत्र –पात्र आईटीसी						
आईएसडी जमापत्र –अपात्र आईटीसी						

**भाग -ग**

7. प्राप्त टीडीएस और टीसीएस प्रत्यय (उसके संशोधनों सहित)

कटौतीकर्ता का	प्राप्त	बिक्री	कुल कीमत	रकम
---------------	---------	--------	----------	-----

जीएसटी आईएन / ई-वाणिज्यिक आपरेटर का जीएसटीआईएन	रकम/ सकल मूल्य	वापसी		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7
7अ. टीडीएस						
7आ. टीसीएस						

**प्ररूप जीएसटी आर-3**

[नियम 61(1) देखें]

**मासिक विवरणी**

वर्ष				
मास				

1.	जीएसटी आईएन																		
2.	(क)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	स्वतः वासित																
	(ख)	व्यापारिक नाम यदि कोई हो	स्वतः वासित																

**भाग- क (स्वतःवासित के लिए )**

(सभी सारणी के लिए रकम रुपए में )

3. आवर्त																				
संख्या	आवर्त का प्रकार	रकम																		
1	2	3																		
(i)	कर योग्य) शून्य दर के अलावा[																			
(ii)	कर के भुगतान पर शून्य दर प्रदाय																			
(iii)	कर के भुगतान के बिना शून्य दर प्रदाय																			
(iv)	समझा गया निर्यात																			
(v)	छूट प्राप्त																			
(vi)	शून्य दर																			
(vii)	गैर जीएसटी प्रदाय																			
	कुल																			

**4. जावक प्रदाय**

**4.1 अंतर्राज्यीय प्रदाय) महीने के लिए शुद्ध प्रदाय(**

दर	कर योग्य मूल्य	कर की रकम	
		एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4
<b>अ. कर योग्य( प्रदाय प्रतिवर्ती प्रभार और शून्य दर प्रदाय के सिवाय) (कर-दर वार )</b>			

आ. प्रदाय प्राप्तकर्ता द्वारा देय प्रतिवर्ती प्रभार कर को आकर्षित करने वाली प्रदाय				
इ. एकीकृत कर के भुगतान के साथ शून्य दर प्रदाय				
ई. अ में उल्लिखित प्रदाय से बाहर, टीसीएस आकर्षित करने वाले ई-वाणिज्य ऑपरेटर के माध्यम से प्रदाय का मूल्य (दर वार)				
-ई-वाणिज्य ऑपरेटर के जीएसटी आईएन				

#### 4.2 अंतर-राज्य की प्रदाय) महीने के लिए शुद्ध प्रदाय(

दर	कर योग्य मूल्य	कर की रकम		
		केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5
अ. कर योग्य प्रदाय) प्रतिवर्ती प्रभार से भिन्न ] (कर दर के अनुसार[				
आ. प्रदाय प्राप्तकर्ता द्वारा संदेय प्रतिवर्ती प्रभार कर को आकर्षित करने वाली प्रदाय				
इ. अ में उल्लिखित प्रदाय से बाहर, टीसीएस आकर्षित करने वाले ई-वाणिज्य ऑपरेटर के माध्यम से प्रदाय का मूल्य (दर वार)				
ई-वाणिज्य ऑपरेटर के जीएसटी आईएन				

#### 4.3 जावक प्रदाय के संबंध में किए गए संशोधनों का कर-प्रभावितता

दर	कुल भिन्नता मूल्य	कर की रकम			
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
(I) अंतर्राज्यिक प्रदाय					
क.कर योग्य प्रदाय) प्रतिवर्ती प्रभार और एकीकृत दरों के भुगतान के साथ शून्य दर प्रदाय के अलावा) (दर वार(					
ख.शून्य दर प्रदाय एकीकृत कर के भुगतान के साथ )दर वार(					
ग .क में उल्लिखित प्रदाय के बाहर, टीसीएस को प्रभावित करने वाले ई-वाणिज्य ऑपरेटर के माध्यम से की जाने वाली प्रदाय का मूल्य					



				कर				कर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(I)	चालू कर अवधि के दौरान प्राप्त			प्रदाय और	नामेनोट /जमापत्र			के बाबत	
(क)	(इनपुट								
(ख)	(इनपुट सेवाओं								
(ग)	(पूजीमाल								
(ii)	संशोधनों के कारण )पहले के कर अवधि में			प्रस्तुत	विवरण(				
(क)	(इनपुट								
(ख)	(इनपुट सेवाओं								
(ग)	(पूजीमाल								

7. बैमेल और अन्य कारणों के लिए आउटपुट कर में रकम का जोड़ा जाना और घटाया जाना

विवरण		आउटपुट दायित्व से जोड़ा जाना अथवा घटाया जाना	रकम			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	
(क)	बीजक/नामे नोट के बैमेल /दोहराव पर दावाकृत आईटीसी	जोड़ना				
(ख)	बेमेल नामे नोट्स पर कर दायित्व	जोड़ना				
(ग)	बेमेल बीजक / नामे नोट्स के सुधार पर पुनः दावा	कम करें				
(घ)	बेमेल जमापत्र के सुधार पर पुनः दावा	कम करें				
(ङ)	पिछले कर अवधि से नकारात्मक कर देयता	कम करें				
(च)	पहले कर अवधि में अग्रिम पर देय कर	कम करें				





				का निर्देश				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
)क (एकीकृत कर								
(ख) केन्द्रीय कर								
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर								
(घ) उपकर								

**11. विलंब शुल्क**

निम्नलिखित के बाबत	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3
विलंब शुल्क		

**भाग-ख****12. देय और संदत्त कर**

विवरण	देय कर	नगद में संदत्त	आईटीसी के माध्यम से देय				संदत्त कर
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8
)क (एकीकृत कर							
(ख) केन्द्रीय कर							
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर							
(घ) उपकर							

**13. देय और संदत्त किया जाने वाला ब्याज, बिलंब शुल्क और अन्य रकम (कर को छोड़कर )**

विवरण	देय रकम	संदत्त रकम
1	2	3

(I) निम्नलिखित के बाबत पर ब्याज		
(क) एकीकृत कर		
(ख) केन्द्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		
(घ) उपकर		
(II) विलंब शुल्क		
(क) केन्द्रीय कर		
(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

14. इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ खाता से दावाकृत प्रतिदाय

विवरण	कर	ब्याज	शास्ति	शुल्क	अन्य	नामे प्रविष्टि संख्या
1	2	3	4	5	6	7
(क) एकीकृत कर						
(ख) केन्द्रीय कर						
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						
(घ) उपकर						
बैंक खाता विवरण (नीच करें)						

15. कर/देय ब्याज के लिए इलेक्ट्रॉनिक रोकड़/प्रत्यय खाता में नामें प्रविष्टियां (कर के संदाय और विवरणी को सौंपे जाने के पश्चात बनाया जाना

विवरण	नगद में संदत्त कर	आईटीसी के द्वारा देय कर				ब्याज	विलंब शुल्क
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर		
1	2	3	4	5	6	7	8
(क) एकीकृत कर							
(ख) केन्द्रीय कर							
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर							
(घ) उपकर							

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे जानकारी और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई है ।

हस्ताक्षर.....

स्थान:

अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम.....

तारीख:

पदनाम / स्थिति.....

अनुदेश:-

1. प्रयुक्त शब्द:--

- (क) जीएसटीआईएम - माल और सेवा कर पहचान संख्या
- (ख) टीडीएस - स्रोत पर कर कटौती
- (ग) टीसीएस - स्रोत पर कर संग्रहण

2. जीएसटी आर-3 को केवल तभी सृजित किया जा सकेगा जब कर अवधि के जीएसटी आर-1 और जीएसटी आर-2 फाईल कर दिये गये हों ।

3. कर दाता के इलैक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्ट्रर, इलैक्ट्रॉनिक खातों और इलैक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते को कर दाता द्वारा जीएसटी आर-3 के सृजन पर अद्यतन किया जा सकेगा ।

4. जीएसटीआर -1, जीएसटीआर-1अ और जीएसटी आर-2 के आधार पर जो एसटीआर-3 का भाग अ स्वतः ही भर जायेगा ।

5. जीएसटी आर-3 का भाग-आ इलैक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते और नकद खाते में उपलब्ध प्रत्यय के उपयोग द्वारा कर, ब्याज, विलंब शूलक आदि के संदाय से संबंधित है ।

6. सारणी 4 में जावक प्रदाय से संबंधित कर दायित्व बीजकों, नामें/जमा पत्रों और प्राप्त अग्रिम का शुद्ध है ।

7. सारणी 4.1 में शून्य की दर से कर का संदाय किये बिना किए गए प्रदाय सम्मिलित नहीं होगी ।

8. सारणी 4.3 में प्रतिवर्ती प्रभार के आधार पर किए गए मूल प्रदायों का संशोधन सम्मिलित होगा ।

9. सारणी 5 में आवक प्रदाय पर प्रतिवर्ती प्रभार के कारण कर दायित्व बीजकों, नामें/जमा पत्रों, संदत्त अग्रिम और पूर्व के अग्रिम पर संदत्त कर के समायोजन का शुद्ध है ।

10. निवेश कर प्रत्यय का उपयोग धारा 49 के उपबंधों के अनुसरण में किया जाना चाहिए ।

11. पूर्ण दायित्व के उन्मोचन किये बिना फाईल किये गये जीएसटी आर-3 को विधिमान्य विवरणी के रूप में नहीं माना जायेगा ।

12. यदि करदाता ने एक ऐसी विवरणी फाईल की है जो पूर्व में या उसके बाद विधिमान्य नहीं थी, वह बाकी दायित्व का उन्मोचन करना चाहता है, तो उसे जीएसटी आर-3 के भाग आ को पुनः फाईल करना पड़ेगा ।

13. नकद खाते से प्रतिदाय के लिये केवल तभी दावा किया जा सकेगा जब उस कर अवधि के लिये दायित्व संबंधी सभी विवरणीयों का उन्मोचन हो गया हो ।

14. सारणी 14 के माध्यम द्वारा नकद खाते से दावाकृत प्रतिदाय का परिणाम जीएसटी आर-3 फाईल करने पर इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में किसी नामों की प्रविष्टि होगी ।

**प्ररूप जीएसटी आर-3क**

[नियम 68 देखिए]

संदर्भ सं०:

तारीख:

सेवा में,

\_\_\_\_\_ जीएसटीआईएन

----- नाम

\_\_\_\_\_ पता

**विवरणी दाखिल नहीं करने के लिए विवरणी व्यक्तिगत करने वाले को धारा 46 के अर्न्तगत सूचना**

**कर अवधि-**

**विवरणी का प्रकार -**

एक रजिस्ट्रीकृत कर दाता होने के कारण आपसे अपेक्षा है कि निर्धारित अवधि तक उपरोक्त कर अवधि के लिए किए गए या प्राप्त किए गए प्रदायों के लिए कर दायित्व के परिणाम स्वरूप उनका उन्मोचन करने के लिए देय तिथि तक विवरणी प्रस्तुत करें। ऐसा देखा गया है कि आपने अभी तक विवरणी दाखिल नहीं किया।

1. इसलिए आप से निवेदन है कि 15 दिन के अन्दर उक्त विवरणी प्रस्तुत करें जिसके असफल होने पर इस कार्यालय में उपलब्ध संबंधित सामग्री के आधार पर अधिनियम की धारा 62 के अधीन कर दायित्व का निर्धारण किया जाएगा । कृपया नोट करें कि इस प्रकार निर्धारित कर के अतिरिक्त आप अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ब्याज और शास्ति का भी संदाय करने के लिए दायी होंगे ।
2. कृपया नोट करें कि दायित्व निर्धारण के लिए और कोई सूचना जारी नहीं की जाएगी ।
3. यदि आप के द्वारा निर्धारण आदेश के जारी होने से पूर्व उपरोक्त निर्देशित विवरणी फाइल कर दी गई है तो सूचना को वापिस लिया माना जाएगा ।

या

**रजिस्ट्रीकरण के रद्द होने पर अन्तिम विवरणी फाइल न करने के लिए धारा 46 के अधीन विवरणी व्यतिक्रम करने वाले को सूचना**

रद्दीकरण आदेश संख्या --

तारीख ---

आवेदन संदर्भ संख्या, यदि कोई है

तारीख-

आदेश में विनिर्दिष्ट कारणों से रजिस्ट्रेशन को अभ्यर्पित करने के लिए आवेदन या आपके रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के आवेदन के फलस्वरूप, आप अधिनियम की धारा 45 के अधीन यथा अपेक्षित जी एस टी आर- 10 के प्ररूप में एक अन्तिम विवरणी दाखिल के लिए अपेक्षित थे ।

2. यह देखा गया है कि आप ने निर्धारित तारीख तक अंतिम विवरणी फाइल नहीं है ।
3. इसलिए आप से निवेदन है कि 15 दिन के अन्दर अधिनियम की धारा 45 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अंतिम विवरणी प्रस्तुत करें जिसके असफल होने पर इस कार्यालय में उपलब्ध या संग्रहित संबंधित सामग्री के आधार पर अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में उपरोक्त कर अवधि के लिए कर दायित्व का निर्धारण किया जाएगा । कृपया नोट करें कि इस प्रकार निर्धारित कर के अतिरिक्त आप अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ब्याज और शास्ति का भी संदाय करने के लिए दायी होंगे ।
4. यदि आप के द्वारा निर्धारण आदेश के जारी होने से पूर्व उपरोक्त विवरणी फाइल कर दी गई है तो सूचना को वापिस लिया माना जाएगा ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

**प्ररूप जीएसटीआर – 3ख**

[नियम 61(5) देखें]

वर्ष					
मास					

1.	जीएसटीआईएन																		
2.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	Auto Populated																	

**3.1 विपर्यय प्रभारों के प्रति दायी जावक प्रदायों और आवक प्रदाय के ब्यारे**

प्रदाय की प्रकृति	कुल कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ	उपकर
1	2	3	4	5	6
(क) जावक कराधेय प्रदाय (शून्य दर पर, शून्यांक दर पर और छूट प्राप्त से भिन्न)					
(ख) जावक कराधेय प्रदाय (शून्यांक दर पर)					
(ग) अन्य जावक प्रदाय (शून्य दर पर, छूट प्राप्त)					

(घ) आवक प्रदाय (विपर्यय प्रभारों के प्रति दायी)					
(ङ) गैर-जीएसटी जावक प्रदाय					

3.2 ऊपर 3.1क (में दर्शित प्रदायों के लिए ,अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों ,सम्मिश्रित कराधेय व्यक्तियों और यूआईएन धारकों को किए गए अंतर्राज्यिक प्रदायों के ब्यौरे

	प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	कुल कराधेय मूल्य	एकीकृत कर की रकम
	1	2	3
अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किया गया प्रदाय			
सम्मिश्रित कराधेय व्यक्ति को किया गया प्रदाय			
यूआईएन धारक को किया गया प्रदाय			

4.पात्र आईटीसी

ब्यौरे	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5
<b>अ) उपलब्ध आईटीसी )पूर्ण रूप में या उसका कोई भाग(</b>				
(1) माल का आयात				
(2) सेवाओं का आयात				
(3) विपर्यय प्रभारों के प्रति दायी जावक प्रदाय )उपरोक्त 1 और 2से भिन्न(				
(4) आईएसडी से आवक प्रदाय				
(5) अन्य सभी आईटीसी				
<b>आ) विपर्यय आईटीसी</b>				
(1) सीजीएसटी नियम के नियम 42 और नियम 43 के अनुसार				
(2) अन्य				
<b>इ) उपलब्ध शुद्ध आईटीसी (अ) – (आ)</b>				
<b>ई) अपात्र आईटीसी</b>				
(1) नियम (5)17के अनुसार				
(2) अन्य				

5.छूट प्राप्त ,शून्यांक दर पर और गैर-जीएसटी आवक प्रदायों का मूल्य

प्रदायों का प्रकृति	अंतर्राज्यिक प्रदाय	अन्तःराज्यिक प्रदाय
1	2	3
सम्मिश्रित स्कीम के अधीन प्रदायकर्ता से, छूट प्राप्त और शून्यांक दर पर प्रदाय		
गैर-जीएसटी प्रदाय		

6.1 कर का संदाय

## 6.2 टीडीएस/टीसीएस प्रत्यय

विवरण	संदेय कर	आईटीसी के माध्यम से संदत				संदत कर टीडीएस/टीसीएस	नकद में संदत कर/उपकर	व्याज	विलम्ब शुल्क
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
एकीकृत कर									
केन्द्रीय कर									
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर									
उपकर									
	व्यौरे	एकीकृत कर			केन्द्रीय कर		राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		
	1	2			3		4		
	टीडीएस								
	टीसीएस								

सत्यापन (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा)

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास सत्य और सही हैं और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

अनुदेश:

- कराधेय प्रदायों का मूल्य = प्राप्त बीजकों का मूल्य+नामनेटों का मूल्य-जमापत्रों का मूल्य+अग्रिमों का मूल्य, जिसके लिए उसी मास में बीजक जारी नहीं किए गए हैं - बीजकों के लिए समायोजित अग्रिमों का मूल्य
- अग्रिमों और बीजकों के लिए उसके लिए समायोजन के व्यौरे, जिन्हें समायोजित किया जाना है और जो पृथक रूप से दर्शाया हुआ नहीं है
- समायोजित किये जाने वाले और पृथक रूप से दर्शाये नहीं गये किन्ही व्यौरों का संशोधन ।

**प्ररूप जीएसटी आर-4**

{ नियम 62 देखें }

सम्मिश्रण लेवी को चुनने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए तिमाही विवरणी

वर्ष				
तिमाही				

1.		जीएसटीआइएन																	
2.	क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	स्वतः वासित																







				राज्य क्षेत्र कर		कर	राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8

**8. प्रदाय की प्राप्ति के कारण संदत्त अग्रिम/समायोजित अग्रिम का एकीकृत विवरण**

दर	सकल संदत्त अग्रिम	प्रदाय का स्थान राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रकम			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
<b>(I) चालू तिमाही की सूचना</b>						
8 अ- कर अवधि में प्रतिवर्ती प्रभार प्रदाय के लिए संदत्त अग्रिम रकम (कर रकम को निर्गम कर दायित्व में जोड़ा जायेगा)						
8क (1). राज्यान्वर्गत प्रदाय (दर वार)						
8 क (2). अन्तरराज्यीय प्रदाय (दर वार)						
8 ख. अग्रिम रकम जिस पर पूर्व की अवधि कर का संदाय किया गया था परंतु बीजक चालू अवधि (उपरोक्त सारणी 4 में निर्देशित) में प्राप्त हुआ है। (कर रकम को निर्गम कर के दायित्व में से घटाया जाएगा)						
8 ख (1). राज्यान्वर्गत प्रदाय (दर वार)						
8 ख (2). अन्तरराज्यीय प्रदाय (दर वार)						
<b>II किसी पूर्व तिमाही के लिए सारणी सं0 8 (1) में दी गई सूचना में संशोधन</b>						

वर्ष	तिमाही	क्रम सं० (चुनें) में दी गई सूचना से संबंधित संशोधन	8क (1)	8क (2)	8ख (1)	8ख (2)

### 9. प्राप्त टीडीएस प्रत्यय

जीएसटीआईएन का कटौती कर्ता	सकल मूल्य	रकम	
		केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4

### 10. संदेय और संदत्त कर

विवरण	संदेय कर रकम	संदत्त कर रकम
1	2	3
)क( एकीकृत कर		
)ख( केन्द्रीय कर		
)ग( राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		
)घ( उपकर		

### 11. संदेय और संदत्त ब्याज, विलंब फीस

विवरण	संदेय कर रकम	संदत्त कर रकम
1	2	3
(I) ब्याज के बाबत-		

)क( एकीकृत कर		
)ख( केन्द्रीय कर		
)ग( राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		
)घ( उपकर		
(II) विलंब फीस		
)क( केन्द्रीय कर		
)ख( राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		

12. इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से दावाकृत प्रतिदाय

विवरण	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	नाम प्रविष्टि सं०
1	2	3	4	5	6	7
)क( एकीकृत कर						
)ख( केन्द्रीय कर						
)ग( राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर						
)घ( उपकर						
बैंक खाता विवरण (नीचे खींचें)						

13. कर/ब्याज संदाय के लिए नकद खाते में नाम प्रविष्टियां

[कर संदाय और विवरणी जमा करने के पश्चात् भरा जाए]

विवरण	नकद में संदत्त कर	ब्याज	विलंब फीस
1	2	3	4
)क( एकीकृत कर			
)ख( केन्द्रीय कर			
)ग( राज्य/संघ राज्य			

क्षेत्र कर			
)घ( उपकर			

सत्यापन:-

मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषण करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य और ठीक है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर.....

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम.....

पदनाम/पास्थिति.....

स्थान

तारीख

अनुदेश :-

1. प्रयुक्त शब्द:

(क) जी एस टी आई एन: माल और सेवा कर पहचान संख्या

)ख (टी डी एस: स्रोत पर कटौती

2. जी एस टी आर-4 में ब्यौरे संबंधित कर अवधि के उत्तरवर्ती माह कि 11वीं और 18वीं तारीख के बीच दिए जाने चाहिए ।

3. ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए कर दाता का संकलित आवर्त सारणी 3 में प्रारंभिक सूचना में रिपोर्ट किया जाएगा यह सूचना केवल पहले वर्ष में कर दाता द्वारा दी जानी अपेक्षित होगी ओर उत्तरवर्ती वर्षों में स्वतः भरी जाएगी ।

4. सारणी-4, दर वार आवक प्रदायों से संबंधित सूचना का प्रग्रहण :

(i) सारणी-4क, प्रतिवर्ती प्रभार से भिन्न रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ताओं से आवक प्रदाय का प्रग्रहण । वह सूचना जी एस टी आर-1 और जी एस टी आर-5 में प्रदायकर्ता द्वारा रिपोर्ट कि गई सूचना से स्वतः भरी जाएगी ।

- (ii) सारणी-4ख, प्रतिवर्ती प्रभार से संबंधित रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ताओं से आवक प्रदाय का प्रग्रहण । वह सूचना जी एस टी आर-1 में प्रदायकर्ता द्वारा रिपोर्ट कि गई सूचना से स्वतः भरी जाएगी ।
  - (iii) सारणी-4ग, अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से प्रदायों के प्रग्रहण के लिए ।
  - (iv) सारणी-4घ, सेवा के आयात के प्रग्रहण के लिए
  - (v) कर प्राप्त कर्ता को स्वतः भरे गए बीजकों /प्रतिवर्ती प्रभार से संबंधित अतिरिक्त बीजकों को स्वीकार करने का विकल्प केवल तभी होगा जब अधिनियम की धारा 12 या 13 की शर्तों में व्युत्पन्न प्रदाय के समय होगा ; और
  - (vi) प्रदाय का स्थान (पी.ओ.एस) केवल यदि वह प्राप्तकर्ता के अवस्थिति से भिन्न है ।
5. सारणी 5, दर-वार, पूर्व कर अवधियों में दी गई सूचना का संशोधन और प्राप्त नामे और जमा पत्र की मूल संशोधित सूचना का प्रग्रहण के लिए है । प्रदाय के स्थान को केवल तभी रिपोर्ट किया जाना है जब वह प्राप्तकर्ता की अवस्थिति से भिन्न है । मूल नामे/जमा पत्र की सूचना देते समय बीजक के ब्यौरों का पहले तीन स्तंभों में उल्लेख किया जाएगा । किसी नामे/जमा पत्र का पुनःरीक्षण देते समय, मूल नामे/जमा पत्र के ब्यौरों का इस सारणी के प्रथम तीन स्तंभों में उल्लेख किया जाएगा ।
  6. सारणी 6, जावक प्रदायों, जिसमें अग्रिम और चालू कर अवधि के दौरान वापिस किये गये माल का शुद्ध भी है, के ब्यौरों के प्रग्रहण के लिए है ।
  7. सारणी 7, पूर्ववर्ती विवरणियों की सारणी 6 में रिपोर्ट किये गये गलत ब्यौरों के संशोधन ब्यौरों के प्रग्रहण के लिए है ।
  8. प्रतिवर्ती प्रभार प्रदायों से संबंधित संदत अग्रिम और इस पर संदत कर की सूचना जिसमें जारी बीजकों के सापेक्ष समायोजन भी शामिल है को सारणी 8 में रिपोर्ट किया जायेगा ।
  9. टीडीएस प्रत्यय सारणी - 9 में स्वतः भरा होगा ।

**प्ररूप जीएसटी आर-4क**[नियम 59(3) और 66(2) देखें]

सम्मिश्रण लेवी का विकल्प चुनने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के स्वप्रारूपित ब्यौरे  
(जीएसटी आर-1, जीएसटी आर-5 और जीएसटी आर-7 से स्वप्रारूपित)

		वर्ष									
		तिमाही									
1.	जीएसटीआईएन										
2.	(क)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	Auto Populated								
	(ख)	व्यापारिक नाम, यदि कोई हों	Auto Populated								

**3. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्त आवक प्रदाय जिसके अंतर्गत प्रतिकूल प्रभार वाले प्रदाय भी है**

प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			दर कराधेय मूल्य	कर की रकम				प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम)	
	सं.	तारीख	मूल्य		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3क. रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता (प्रतिकूल प्रभार वाले प्रदायों से भिन्न) से प्राप्त आवक प्रदाय</b>										
<b>3ख. रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता (प्रतिकूल प्रभार वाले) से प्राप्त आवक प्रदाय</b>										

**4. चालू अवधि के दौरान प्राप्त नामेनोट/जमा पत्र (इसके अंतर्गत उसके संशोधन भी है)**

मूल दस्तावेजों के ब्यौरे		दस्तावेज के ब्यौरे			पुनरीक्षित या नामेनोट/जमा पत्र के ब्यौरे		दर कराधेय मूल्य	कर की रकम				प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम)	
जीएसटी आईएन	सं.	तारीख	जीएसटी आईएन	सं.	तारीख	मूल्य		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**5. प्राप्त टीडीएस प्रत्यय**

कटौतीकर्ता की जीएसटीआईएन	सकल मूल्य	कर की रकम	
		केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4



**प्ररूप जीएसटी आर-5**  
(नियम 63 देखें)

अनिवासी कराधेय व्यक्ति के लिए विवरणी

वर्ष				
मास				

1.	जीएसटीआईएन																			
2.	(क)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	स्वतः वासित																	
	(ख)	व्यापारिक नाम, यदि कोई हों	स्वतः वासित																	
	(ग)	रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्य अवधि	स्वतः वासित																	

3. विदेश से प्राप्त इनपुट/पूँजी (माल का आयात)

(सभी सारणियों के लिए रकम रुपए में)

बिल ऑफ इंटरी के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल	रकम		उपलब्ध आईटीसी की रकम	
सं.	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	उपकर	एकीकृत रकम	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4. किसी पूर्व विवरणी में दिए गए ब्यौरों में संशोधन

मूल ब्यौरे		पुनरीक्षित ब्यौरे									अंतरीय आईटीसी (+/_)	
बिल ऑफ इंटरी		बिल ऑफ इंटरी			दर	कराधेय मूल्य	रकम		उपलब्ध आईटीसी की रकम		आईटीसी (+/_)	
सं.	तारीख	सं.	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	उपकर	एकीकृत कर	उपकर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (यूआईएस धारकों सहित) को किए गए जावक प्रदाय

जीएसटीआईएन/	बीजक के ब्यौरे	दर	कराधेय	रकम	प्रदाय का
-------------	----------------	----	--------	-----	-----------



											राज्यक्षेत्र कर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8क. यदि पहले दिए गए बीजक ब्यौरे गलत थे													
8ख. नामेनोट/जमापत्र [मूल]													
8ग. नामेनोट/जमापत्र [पूर्ववर्ती टैक्स कर अवधियों में दिए गए नामेनोट/जमापत्रों का संशोधन]													

9. सारणी 7 में पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए दिए गए अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को कराधेय जावक प्रदायों का संशोधन

कर की दर	कुल कराधेय मूल्य	रकम			
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
<b>कर अवधि जिसके लिए ब्यौरों को पुनरीक्षित किया जाना है</b>					
9क. अंतःराज्यिक प्रदाय [दर वार]					
9ख. अंतरराज्यिक प्रदाय [दर वार]					
प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम)					

10. कुल कर दायित्व

कर की दर	कराधेय मूल्य	कर की रकम			
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
10क. जावक प्रदाय के बाबत					
10ख. सारणी 4 में नकारात्मक होने के कारण अंतरीय आईटीसी के बाबत					

11. संदेय और संदत्त कर

विवरण	संदेय कर	नकद में	आईटीसी के माध्यम से संदाय	संदत्त कर
-------	----------	---------	---------------------------	-----------

		संदाय	एकीकृत कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6
(क) एकीकृत कर					
(ख) केन्द्रीय कर					
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
(घ) उपकर					

12. संदेय और संदत्त ब्याज, विलंब फीस और कोई अन्य रकम

विवरण	संदेय रकम	संदत्त रकम
1	2	3
<b>(I) ब्याज के बाबत</b>		
(क) एकीकृत कर		
(ख) केन्द्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		
(घ) उपकर		
<b>(II) विलंब फीस के बाबत</b>		
(क) केन्द्रीय कर		
(ख) राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर		

13. इलैक्ट्रानिक जमा खाते से दावा किया गया प्रतिदाय

विवरण	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	विकलन प्रविष्टि सं.
1	2	3	4	5	6	7
(क) एकीकृत कर						
(ख) केन्द्रीय कर						
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						
(घ) उपकर						
बैंक खाते के ब्यौरे (नीचे खींचें)						

14. कर/ब्याज संदाय के लिए इलैक्ट्रानिक नकद/जमाखाते में विकलन प्रविष्टियां [कर का संदाय करने और विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात् बनाया गया]

विवरण	नकद में संदत्त	आईटीसी के माध्यम से संदत्त कर	ब्याज	विलंब शुल्क
-------	----------------	-------------------------------	-------	-------------

	कर	एकीकृत कर	उपकर		
1	2	3	4	5	6
(क) एकीकृत कर					
(ख) केन्द्रीय कर					
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
(घ) उपकर					

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर .....

स्थान .....

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम .....

तारीख .....

पदनाम/प्रास्थिति.....

अनुदेश :-

.1 प्रयुक्त किए गए पद:

- ) क (जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या
- )ख (यूआईएन : विशिष्ट पहचान संख्या
- )ग (यूक्यूसी : इकाई मात्रा कोड
- )घ (एचएसएन : नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली
- )ङ (पी ओ एस : प्रदाय का स्थान (संबंधित राज्य)
- )च (बी से बी : एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को
- )छ (बी से सी : रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को

.2 जीएसटी आर 5-अनिवासी कराधेय व्यक्ति को लागू होगा और यह मासिक विवरणी है ।

3. जीएसटी आर 5-में की विवरणियां सुसंगत कर अवधि के उत्तरवर्ती मास की 20 तारीख तक या रजिस्ट्रीकरण की अंतिम तारीख से सात दिन के भीतर ,इनमें से जो भी पूर्वतर हो ,दी जानी होगी ।
4. सारणी 3-में माल के आयात के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे और करदाता को माल के ऐसे आयात पर उपयुक्त आईटीसी की रकम विनिर्दिष्ट करनी होगी ।
5. प्राप्तिकर्ता को छह अंकीय पत्तन कोड सहित आयात बिल और सात अंकीय प्रवेशपत्र संख्यांक देनी होगी ।
6. सारणी 4में ऐसे माल के आयात का संशोधन अंतर्विष्ट होगा जिन्हें पूर्ववर्ती कर अवधि की विवरणियों में घोषित किया गया है ।
7. माल और सेवाओं के लिए पृथक् रूप से कर अवधि संबंधित बीजक स्तरीय सूचना दर वार निम्नलिखित रूप में रिपोर्ट की जाएगी :
  - i. सभी बी से बी प्रदायों के लिए (चाहे अंतरराज्यिक हो या अंतःराज्यीय), बीजक स्तरीय ब्यौरे सारणी 5में अपलोड किए जाएंगे ;
  - ii. सभी अंतरराज्यिक बी से सी प्रदायों के लिए ,जहां बीजक मूल्य रु. 2,50,000/- से अधिक है )बी से सी अधिक है (बीजक स्तरीय ब्यौरे सारणी 6में दिए जाएंगे ; और
  - iii. सभी बी से सी प्रदायों के लिए (चाहे अंतरराज्यिक हो या अंतःराज्यीय) जहां बीजक मूल्य रु. 2,50,000/- प्रदायों का राज्य वार सारांश सारणी 7में फाइल किया जाएगा ।

8. सारणी 8में निम्नलिखित के संबंध में संशोधनों के रूप में होगी -
  - i. पूर्ववर्ती कर की अवधि में घोषित बी से बी जावक प्रदाय ;
  - ii. पूर्ववर्ती कर अवधि में रिपोर्ट किए गए बी से सी अंतरराज्यिक बीजक ,जहां बीजक मूल्य 2.5लाख रु .से अधिक है ; और
  - iii. मूल नामेनोट और जमापत्र और उसके संशोधन ।
9. सारणी 9के अंतर्गत अंतरराज्यिक प्रदायों से भिन्न बी से सी जावक प्रदायों के संबंध में संशोधन होंगे जहां बीजक मूल्य रु. 250000/- से अधिक है ।
10. सारणी 10चालू कर अवधि में घोषित जावक प्रदायों के बाबत और चालू कर अवधि में माल के आयात में संशोधन के बाबत नकारात्मक आईटीसी कर दायित्व के रूप में होगी ।

जीएसटीआर 5प्रस्तुत करने पर सिस्टम कर दायित्व की संगणना करेगा और आईटीसी उसे संबंधित खाते में पोस्ट करेगा ।

**प्ररूप जीएसटी आर-5क**

(नियम 64 देखिए)

**भारत में स्थित गैर-कर योग्य व्यक्तियों के लिए भारत के बाहर स्थित किसी व्यक्ति के द्वारा ऑनलाईन जानकारी और डेटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की आपूर्ति का विवरण**

1. प्रदायकर्ता का जी एस०टी०आई०एन -
2. (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम-  
(ख) व्यापारिक नाम, यदि कोई हो -
3. विवरणी फाइल करने वाले भारत के प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम –
4. अवधि: मास - वर्ष -
5. भारत में उपभोक्ताओं को की गई प्रदाय का कराधेय जावक

(रकम रुपए में)

प्रदाय का स्थान (रकम/संघ राज्यक्षेत्र)	कर का दर	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	उपकर

1	2	3	4	5

5क. भारत में गैर कराधेय व्यक्तियों से कराधेय जावक प्रदाय का संशोधन

(रकम, राज्य में)

माह	प्रदाय का स्थान (रकम/संघराज्यक्षेत्र)	कर का दर	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6

### 6. ब्याज, शास्ति या किसी अन्य रकम की संगणना

क्र०. सं०.	विवरण	देय कर की रकम	
		एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4
1.	ब्याज		
2.	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		

### 7. कर, ब्याज, बिलम्ब फीस और संदेय और सदत्त कोई अन्य रकम

क्र०. सं०.	विवरण	संदेय रकम		डेविट प्रविष्टि सं०	संदत्त रकम	
		एकीकृत कर	उपकर		एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
1.	कर दायित्व (सारणी 5 और 5क पर आधारित)					
2.	ब्याज (सारणी 6 पर आधारित)					
3.	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)					

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कोई बात छुपाई नहीं गई है।

हस्ताक्षर







**प्ररूप जीएसटी आर -7**

[नियम 66(1) देखें]

स्त्रोत पर काटे गए कर की विवरणी

वर्ष				
मास				

1.	जीएसटीआईएन																		
2.	(क) कटौतीकर्ता का विधिक नाम	स्वतः वासित																	
	(ख) व्यापारिक नाम, यदि कोई हो	स्वतः वासित																	

3. स्त्रोत पर काटे गए कर के ब्यौरे

(सभी सारणी के लिए रकम रु० में)

जिसकी कटौती की गई है का जी एस टी आई एन	जिसकी कटौती की गई है की संदत्त रकम जिससे कर काटा गया है।	स्त्रोत पर काटा गया कर की रकम		
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5

4. किसी पूर्वतर कर अवधि की बाबत स्त्रोत पर काटे गए कर के ब्यौरे का संशोधन

मूल ब्यौरे			पुनरीक्षित ब्यौरे				
मास	जिसकी कटौती की गई है का जी एस टी आई एन	जिसकी कटौती की गई है की संदत्त रकम जिससे कर काटा गया है	जिसकी कटौती की गई है का जी एस टी आई एन	जिसकी कटौती की गई है का जी एस टी आई एन	स्त्रोत पर काटा गया कर की रकम		
					एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8

5. स्त्रोत एवं संदत्त कर / स्त्रोत पर कटौती और संदत्त कर

विवरण	कर कटौती की रकम	संदत्त रकम
1	2	3

---

(क) एकीकृत कर		
(ख) केन्द्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

6. संदेय और संदत्त ब्याज, विलंब शुल्क

विवरण	कर कटौती की रकम	संदत्त रकम
1	2	3
<b>(I) निम्नलिखित की बाबत टी डी एस के बाबत</b>		
(क) एकीकृत कर		
(ख) केन्द्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		
<b>(II) विलंब शुल्क</b>		
(क) केन्द्रीय कर		
(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

7. इलैक्ट्रॉनिक नकद खाता में दावाकृत प्रतिदाय

विवरण	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	नामे प्रविष्टि सं०
1	2	3	4	5	6	7
(क) एकीकृत कर						
(ख) केन्द्रीय कर						
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						
बैंक खाते का ब्यौरे (नीचे करें)						

8. इलैक्ट्रॉनिक नकद खाता में टी डी एस /ब्याज संदेय के लिए नामे प्रविष्टि (विवरणी दाखिला एवं कर संदेय के पश्चात वासित किया जाएगा )

विवरण	नकद कर भुगतान	ब्याज	विलंब शुल्क
1	2	3	4
(क) एकीकृत कर			
(ख) केन्द्रीय कर			
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर			

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें से मैं कोई बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर.....

## प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम

तारीख

पदनाम /प्रास्थिति

अनुदेश :-

## 1. प्रयुक्त शब्द

(क) जी एस टी आई एन – माल एवं सेवा कर पहचान संख्या

(ख) टी डी एस – स्रोत पर काटा गया कर

2. सारणी 3 काटे गए कर को प्रग्राहित करेगा ।

3. सारणी 4 में पूर्वतर कर अवधि की संसोधित जानकारी रहेगी ।

कर दायित्व के पूर्ण भुगतान के बिना विवरणी दाखिल नहीं की जा सकेगी ।

**प्ररूप जीएसटी आर-7क****(नियम 66(3) देखें)****स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र**

- 1 टीडीएस प्रमाणपत्र सं0 –
- 2 कटौतीकर्ता का जीएसटीआईएन-
- 3 कटौतीकर्ता का नाम-
- 4 जिसकी कटौती की गई है का जीएसटीआईएन-
5. (क) जिसकी कटौती की गई है का विधिक नाम  
(ख) व्यापारिक नाम, यदि कोई है-
6. कर अवधि जिसमें जीएसटी आर-7 में एवं लेखांकन कर कटौती--
7. कर कटौती की प्रदाय रकम का ब्यौरा—

मूल्य जिस पर कर कटौती है	स्रोत पर कर कटौती की रकम (रुपए में)		
	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यालय

**प्ररूप जीएसटी आर-8**

[नियम 67(1)देखें]

**स्रोत पर कर संग्रहण के लिए विवरण**

वर्ष				
मास				

1.	जीएसटीआईएन																
2.	(क)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	स्वतः वासित														
	(ख)	व्यापारिक नाम, यदि कोई हो	स्वतः वासित														

**3.ई-कामर्स आपरेटर के माध्यम से की गई प्रदाय के ब्यौरे**

(सभी सारणी के लिए रकम रुपए में)

प्रदायकर्ता का जीएसटी आईएन	संबंधित टीसीएस से की गई प्रदाय के ब्यौरे			स्रोत पर संग्रहीत कर की रकम		
	की गई प्रदाय का सकल मूल्य	प्रदाय वापसी का मूल्य	टीसीएस के लिए दायी शुद्ध रकम	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7
3क. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से की गई प्रदाय						
3ख. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से की गई प्रदाय						

**4.किसी पूर्वतर विवरण की बाबत प्रदाय के ब्यौरे का संशोधन**

मूल ब्यौरे		पुनरीक्षित ब्यौरे						
मास	प्रदायकर्ता का जीएसटी आईएन	प्रदायकर्ता का जीएसटी आईएन	आकृषित टीसीएस से की गई प्रदाय के ब्यौरे			स्रोत पर संग्रहीत कर की रकम		
			की गई प्रदाय का सकल मूल्य	प्रदाय वापसी का मूल्य	टीसीएस के लिए दायी शुद्ध रकम	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4क. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से की गई प्रदाय								
4ख. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से की गई प्रदाय								

**5. ब्याज के ब्यौरे**

बाबत	व्यतिक्रम में रकम	ब्याज की रकम		
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
1	2	3	4	5

टीसीएस रकम का देर से संदाय				
----------------------------	--	--	--	--

## 6. संदेय और संदत्त कर

विवरण	संदाय कर	संदत्त रकम
1	2	3
एकीकृत कर		
केन्द्रीय कर		
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

## 7. संदेय और संदत्त ब्याज

विवरण	संदाय ब्याज की रकम	संदत्त रकम
1	2	3
)क (एकीकृत कर		
)ख (केन्द्रीय कर		
)ग (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

## 8. इलैक्ट्रॉनिक नकद खाता से दावाकृत प्रतिदाय

विवरण	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	नामे प्रविष्टि संख्या
1	2	3	4	5	6
)क (एकीकृत कर					
)ख (केन्द्रीय कर					
)ग (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
बैंक खाते के ब्यौरे) नीचे करें(					

## 9. संदेय टी सी एस / ब्याज के लिए नकद खाता में नामे प्रविष्टि [कर के संदाय और विवरणी को प्रस्तुत करने के पश्चात वासित किया जाए]

विवरण	नकद में संदत्त कर	ब्याज
1	2	3
)क (एकीकृत कर		
)ख (केन्द्रीय कर		
)ग (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और या घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर .....



---

स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम .....

तारीख: पदनाम/प्रास्थिति .....

अनुदेश- :

1. प्रयुक्त शब्द- :

(क) जीएसटीआईएन :- माल और सेवा कर पहचान संख्यांक

(ख) टीसीएस :- स्रोत पर संग्रहीत

2. कोई ई-कॉमर्स ऑपरेटर केवल तब जीएसटी आर- 8 फाइल कर सकेगा जब संपूर्ण टी सी एस दायित्व निर्वहन कर लिया हो ।
3. टी सी एस दायित्व सारणी 3 और सारणी 4 के आधार पर संगणित की जाएगी।
4. इलैक्ट्रॉनिक नगद खाता से केवल तभी प्रतिदाय का दावा किया जा सकता है जब उस अवधि के लिए सभी टी सी एस दायित्व का निर्वहन कर लिया गया हो।
5. उक्त खाता से दावाकृत प्रतिदाय के लिए नगद खाता विकलित की जाएगी।
6. स्रोत पर संग्रहीत कर की रकम जीएसटी आर-8 के दाखिल किए जाने पर कर दाता के जीएसटी आर-2क के भाग ग से अनुसरण किया जाएगा।
7. प्रदायकर्ता के जीएसटीआर-1 से ब्यौरे का मिलान प्रदायकर्ता के जीएसटीआईएन के स्तर पर किया जाएगा।

**प्ररूप जीएसटीआर -11**

[नियम 82 देखें]

**विशिष्ट पहचान संख्यांक (यूआईएन) वाले व्यक्तियों द्वारा आवक प्रदाय का विवरण**

वर्ष				
माह				

1	यू एन आई																		
2.	यू एन आई वाले व्यक्ति का नाम	स्वतः वासित																	

**3. प्राप्त आवक प्रदाय के ब्यौरे**

(सभी सारणी के लिए रकम रुपए में )

प्रदायकर्ता का जीएसटी आईएन	बीजक /नामे नोट/जमापत्र के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	कर की रकम			
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3क. प्राप्त बीजक									
3ख. प्राप्त नामे नोट/जमापत्र									

**4. प्रतिदाय रकम**

एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4
बैंक खाते के ब्यौरे) नीचे करें(			

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और या घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर .....

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम .....

तारीख:

पदनाम/प्रास्थिति .....

अनुदेश- :

1. प्रयुक्त शब्द :-

)क( जीएसटीआई एन:- माल और सेवा कर पहचान संख्यांक

(ख) यूआईएन :- विशिष्ट पहचान संख्यांक

2. यूआईएन धारक को त्रैमासिक आधार पर प्रतिदाय दावा करने के लिए जीएसटी आर-11 फाइल करना होगा या अन्यथा जब कभी समुचित अधिकारी द्वारा दाखिल करना आवश्यक होगा।

3. जीएसटीआईआर-11 की सारणी 3 जीएसटीआर-1 से वासित होगा।

4. यू आई एन धारक को जीएसटी आर-11 में किन्हीं ब्यौरों को जोड़ने या उपांतरण करने की अनुमति नहीं होगी।

**सितम्बर की विवरणी के फाइल करने के पश्चात् मिलान का परिणाम (20 अक्टूबर तक फाइल किया जाना चाहिए)**

		प्रवेश पत्र सं/बीजक/नामपत्र/जमापत्र			आई टी सी/निर्गम दायित्व				ब्याज			
		तारीख	संख्या	कराधेय मूल्य	एकीकृत	केन्द्रीय	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	उपकर	एकीकृत	केन्द्रीय	राज्य	उपकर

**अ. अन्तिम रूप से स्वीकृत निविष्ट कर प्रत्यय**

आ.1. सितम्बर माह के उन बीजकों, नामे और जमापत्रों का ब्यौरा, जिनका मिलान किया गया है

1	सितम्बर								शून्य			
2	सितम्बर								शून्य			

आ.2 अगस्त माह के उन बीजकों, नामे और जमापत्रों का ब्यौरा, जो 20 सितम्बर तक फाइल की गई अगस्त माह की विवरणी से बेमेल पाया गया है लेकिन जिसकी 20 अक्टूबर तक फाइल की गई सितम्बर माह की विवरणी में परिशुद्धी कर ली गई थी

1	अगस्त								शून्य			
2	अगस्त								शून्य			

आ.3 जुलाई माह और उससे पहले माह, लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अप्रैल से पूर्व नहीं, के उन बीजकों, नामे और जमापत्रों का ब्यौरा, जो संदेय हो गया है लेकिन युग्मकप्रदायकर्ता/प्राप्तकर्ता ने 20 अक्टूबर तक फाइल की गई सितम्बर माह तक अपनी विवरणी में तत्सम्बन्धी दस्तावेजों का ब्यौरा शामिल कर लिया है और इसके सुधार को ब्याज के प्रतिदाय के साथ अनुज्ञात किया गया है

1	माह								प्रतिदाय			
2	माह								प्रतिदाय			

आ. 20 अक्टूबर तक फाइल की गई विवरणी में दायित्व की वृद्धि की ओर अग्रसर होने वाले बेमेल/अनुप्रतियां

आ.1 जुलाई माह के उन बीजकों, नामे और जमापत्रों का ब्यौरा, जो 20 अगस्त तक फाइल की गई जुलाई माह की विवरणी में बेमेल पाए गए हैं लेकिन बेमेल को 20 सितम्बर तक फाइल की गई अगस्त माह की विवरणी में परिशुद्ध नहीं किया था और जो 20 अक्टूबर तक फाइल की जाने वाली सितम्बर माह की विवरणी में संदेय हो गया है

1	जुलाई								दो माह			
2	जुलाई								दो माह			

आ.2 अगस्त माह के उन बीजकों, नामे और जमापत्रों का ब्यौरा, जो अनुकृति के रूप में पाए गए हैं और जो 20 अक्टूबर तक फाइल की जाने वाली सितम्बर माह की विवरणी में संदेय हो गया है

1	अगस्त								एक माह			
2	अगस्त								एक माह			

आ.3 अगस्त माह के उन बीजकों, नामे और जमापत्रों का ब्यौरा, जहां धारा 42/43 के अतिक्रमण में किया गया सुधार प्रतिवर्तन था और जो 20 अक्टूबर तक फाइल की जाने वाली सितम्बर माह की विवरणी में संदेय हो गया है

1	अगस्त								एक माह- उच्च			
2	अगस्त								एक माह-			

								उच्च			
इ. 20 नवम्बर तक फाइल की जाने वाली अक्टूबर की विवरणी में दायित्व की वृद्धि की ओर अग्रसर करने वाले बेमेल/अनुप्रति											
इ.1 अगस्त माह के उन बीजकों, नामे और जमापत्रों का ब्यौरा, जो 20 सितम्बर तक फाइल की गई अगस्त माह की विवरणी में बेमेल पाए गए हैं लेकिन बेमेल को 20 अक्टूबर तक फाइल की गई सितम्बर माह की विवरणी में परिशुद्ध नहीं किया गया था और जो 20 नवम्बर तक फाइल की जाने वाली अक्टूबर माह की विवरणी में संदेय होगा											
1	अगस्त							दो माह			
2	अगस्त							दो माह			
इ.2 सितम्बर माह के उन बीजकों, नामे और जमापत्रों का ब्यौरा, जो अनुप्रति के रूप में पाए गए हैं और जो 20 नवम्बर तक फाइल की जाने वाली अक्टूबर माह की विवरणी में संदेय होंगे											
1	सितम्बर							एक माह			
2	सितम्बर							एक माह			
इ.3 सितम्बर माह के उन बीजकों, नामे और जमापत्रों का ब्यौरा, जहां धारा 42/43 के अतिक्रमण में किया गया सुधार प्रतिवर्तन था और जो 20 नवम्बर तक फाइल की जाने वाली अक्टूबर माह की विवरणी में संदेय होंगे											
1	सितम्बर							एक माह- उच्च			
2	सितम्बर							एक माह- उच्च			
ई 20 दिसम्बर तक फाइल की जाने वाली नवम्बर की विवरणी में दायित्व की वृद्धि की ओर अग्रसर करने वाले बेमेल/अनुप्रतियां											
ई.1 सितम्बर माह के उन बीजकों, नामे और जमापत्रों का ब्यौरा, जो बेमेल पाए गए हैं और 20 नवम्बर तक फाइल की जाने वाली अक्टूबर की विवरणी में बेमेल का परिशुद्ध न किए जाने की दशा में, जो 20 दिसम्बर तक फाइल की गई नवम्बर माह की विवरणी में संदेय हो गए हैं											
1	सितम्बर							शून्य/दो माह			
2	सितम्बर							शून्य/दो माह			

### प्ररूप जीएसटी पीसीटी - 1

[नियम 83(1) देखें]

माल और सेवा कर प्रैक्टिशनर के रूप में नामांकन के लिए आवेदन

#### भाग - अ

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र - ▾

जिला - ▾

(i)	माल और सेवा कर प्रैक्टिशनर का नाम (स्थायी खाता संख्या में यथा उल्लेखित)	
(ii)	स्थायी खाता संख्या	
(iii)	ई-मेल पता	
(iv)	मोबाइल नं.	

टिप्पण - उपरोक्त दी गई सूचना भाग - आ को भरने की कार्यवाही से पहले ऑनलाइन सत्यापन के अधीन है।

#### भाग - आ

1.	नामांकन प्राधिकारी	केन्द्र	<input type="checkbox"/>
		राज्य	<input type="checkbox"/>

2.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	
3.	आवेदन की तारीख	
4.	नामांकन की मांग करने वाले :	(1) सी ओ पी धारित चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (2) सी ओ पी धारित कंपनी सचिव (3) सी ओ पी धारित लागत और प्रबंधन अकाउन्टेन्ट (4) अधिवक्ता (5) वाणिज्य में स्नातक या परास्नातक डिग्री (6) बैंकिंग में स्नातक या परास्नातक डिग्री (7) कारबार प्रशासन में स्नातक या परास्नातक डिग्री (8) कारबार प्रबंधन में स्नातक या परास्नातक डिग्री (9) किसी विदेशी विश्वविद्यालय की परीक्षा की डिग्री (10) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारीगण
5.	सदस्यता संख्या	
5.1	सदस्यता का प्रकार (नीचे करने पर चुने गए संस्थान पर आधार में परिवर्तन होगा ।	
5.2	नामांकन/सदस्यता की तारीख	
5.3	सदस्यता की विधिमान्यता अवधि	
6	बार में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता (बार काउंसिल का नाम)	
6.1	बार द्वारा दी गई रजिस्ट्रीकण संख्या	
6.2	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	
6.3	तक विधिमान्य	
7	सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारीगण	केन्द्रीय/राज्य सरकार से सेवानिवृत्त
7.1	सेवानिवृत्ति की तारीख	
7.2	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद का पदनाम	ए जी कार्यालय द्वारा जारी किए गए पेंशन प्रमाणपत्र की या सेवानिवृत्त का साक्ष्य देने वाला किसी अन्य दस्तावेज की स्कैन प्रति
8.	आवेदन का ब्यौरा	
8.1	स्थायी खाता संख्या के अनुसार पूरा नाम	
8.2	पिता का नाम	
8.3	जन्म की तारीख	
8.4	फोटो	
8.5	लिंग	
8.6	आधार	<वैकल्पिक>
8.7	स्थायी खाता संख्या	< भाग अ से पूर्व में भरा हुआ >
8.8	मोबाइल नं.	<भाग अ से पूर्व में भरा हुआ >
8.9	लैंडलाइन नं.	
8.10	ई-मेल पता	< भाग अ से पूर्व में भरा हुआ >

9.	वृत्तिक पता	(कोई तीन आवश्यक होंगे)
9.1	भवन सं./फ्लैट सं./द्वार सं.	
9.2	तल सं.	
9.3	परिसर/भवन का नाम	
9.4	सड़क/मार्ग लेन	
9.5	परिक्षेत्र/क्षेत्र/ग्राम	
9.6	जिला	
9.7	राज्य	
9.8	पिन कोड	
10.	योग्यता के ब्यौरे	
10.1	अर्हक डिग्री	
10.2	विश्वविद्यालय/संस्थान की मान्यता	
	<p>सहमति मैं, आधार सं. &lt; प्ररूप में उपबंधित आधार सं. पर आधारित पूर्व में भरा हुआ&gt; में धारक की ओर से प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए यू आई डी ए आई से मेरा ब्यौरे प्राप्त करने की “माल और सेवा कर नेटवर्क” को सहमति देता हूं। “माल और सेवा कर नेटवर्क” ने मुझे सूचित किया है कि पहचान सूचना का उपयोग केवल आधार धारक की पहचान की विधिमान्यता के लिए किया जाएगा और केवल प्रमाणीकरण के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय पहचान आंकड़ा कोष के साथ साझा किया जाएगा।</p> <p>सत्यापन मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।</p>	
	स्थान	< डीएससी आवेदनक के ई-हस्ताक्षर/ईवीसी>
	तारीख	< आवेदक का नाम>

### अभिस्वीकृति

आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) -

आपने सफलतापूर्वक आवेदन भर दिया है:

जीएसटीआईएन, यदि उपलब्ध है:

विधिक नाम:

प्ररूप सं. :



प्ररूप विवरण:

फाइल करने की तारीख:

फाइल करने का समय:

केन्द्रीय अधिकारिता:

राज्य अधिकारिता:

जिसके द्वारा फाइल किया गया:

अस्थायी संदर्भ संख्या, (टीआरएन) यदि कोई है:

स्थान:

यह एक संयंत्र जनित अभिस्वीकृति है और जिस पर कोई हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है।

टिप्पण – आवेदन की प्रास्थिति को जीएसटी पोर्टल पर डेस बोर्ड पर “आवेदन प्रास्थिति खोज” के माध्यम से देखा जा सकेगा।

**प्ररूप जीएसटी पीसटी - 02**

[नियम 83(2) देखें]

**माल और सेवा कर प्रैक्टिशनर का नामांकन प्रमाणपत्र**

1.	नामांकन संख्या	
2.	स्थायी खाता संख्या	
3.	माल और सेवा कर प्रैक्टिशनर का नाम	
4.	पता और संपर्क सूचना	
5.	जीएसटीपी के अनुसार नामांकन की तारीख	
	तारीख	नामांकन प्राधिकारी का नाम
	नाम और पदनाम	
		केन्द्र/राज्य

**प्ररूप जीएसटी पीसटी - 03**

[नियम 83(4) देखें]

संदर्भ सं.

तारीख

सेवा में,

नाम

आवेदक का पता

जीएसटी प्रैक्टिशनर की नामांकन सं.

### निरर्हता के लिए कारण बताओ सूचना

यह मेरी अवेक्षा में आया है कि आप अवचार के दोषी हैं, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है -

1.

2.

इसलिए आपको कारण बताओ सूचना दी जाती है कि उपरोक्त कथित कारणों के लिए क्यों नहीं आपको प्रदान किया गया नामांकन प्रमाणपत्र नामंजूर कर दिया जाए। आपसे निवेदन है कि अपना जवाब इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से <15> दिनों के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को भेज दें।

(तारीख)..... (समय)..... पर अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर हों।

यदि आप नियत तारीख के अन्दर उत्तर देने में असफल रहते हों या नियत तारीख और समय पर वयैक्तिक सुनवाई हेतु हाजिर होने में असफल रहते हों, मामले का उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर तथा गुणागुण अनुसार एक पक्षीय रूप से विनिश्चय कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर

नाम

(पदनाम)

**प्ररूप जीएसटी पीसटी - 04**

[नियम 83(4) देखें]

संदर्भ सं.

तारीख-

सेवा में

नाम

पता

नामांकन सं.

### जीएसटी प्रैक्टिशनर के रूप में नामांकन की नामंजूरी का आदेश

यह, कारण बताओ सूचना -----तारीख के जवाब में आपके उत्तर -----तारीख के संदर्भ में है।

जहां कारण बताओ सूचना का कोई उत्तर नहीं दिया गया है; या

जहां आप नियत तारीख पर सुनवाई हेतु हाजिर नहीं हुए हैं; या

जहां अद्योहस्ताक्षरी ने सुनवाई के समय आपके उत्तर के निवेदनों का निरीक्षण कर लिया है और उनकी यह राय है कि निम्नलिखित कारणों से आपका नामांकन रद्द किए जाने का दायी है।

1.

2.

आपके नामांकन रद्दकरण की प्रभावी तारीख ----- <<दिन/मास/वर्ष >> है।

हस्ताक्षर  
नाम  
(पदनाम)

**प्ररूप जीएसटी पीसटी - 05**

[नियम 83(6) देखें]

**माल और सेवा कर प्रैक्टिशनर के प्राधिकरण/प्राधिकरण का वापस लिया जाना**

सेवा में  
प्राधिकृत अधिकारी  
केन्द्रीय कर/राज्य कर।

**भाग - अ**

महोदय/महोदया

में/हम(स्वत्वधारी का नाम, /सभी साझीदार/कर्ता प्रबंधन निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंधन समिति के सदस्य/न्यासियों का बोर्ड आदि) -

1. \* सत्यनिष्ठापूर्वक प्राधिकृत करते हैं,
2. \* <<जीएसटीआईएन>> धारित ).....विधिक नाम (की ओर से निम्नलिखित गतिविधियों को करने के लिए धारा 48के साथ पठित नियम 83के प्रयोजन के लिए नामांकन .....से सम्बन्धित) .....माल और सेवा कर प्रैक्टिशनर का नाम.....(का प्राधिकरण वापस लेते हैं।

क्र. सं.	गतिविधियों की सूची	जांच बॉक्स
1.	जावक और आवक प्रदायों का ब्यौरा प्रस्तुत करना	
2.	मासिक, तिमाही, वार्षिक या अंतिम विवरणी प्रस्तुत करना	
3.	इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में प्रत्यय के लिए निक्षेप करना	
4.	दावे या प्रतिदाय के लिए कोई आवेदन फाइल करना	
5.	रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दीकरण के लिए कोई आवेदन फाइल करना	

2. ....(माल और सेवा कर प्रैक्टिशनर का नाम) की सहमति इसके साथ संलग्न है।\*

\* जो भी लागू न हो उसे काट दें।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

तारीख

स्थान

**भाग - आ****माल और सेवा कर प्रैक्टिशनर की सहमति**

मैं <<माल और सेवा कर प्रैक्टिशनर का नाम>> <नामांकन संख्या> केवल जी एस टी आई एन.....(विधिक नाम).....द्वारा विनिर्दिष्ट गतिविधियों की बाबत जी एस टी आई एन.....(विधिक नाम).....की ओर से माल और सेवा कर प्रैक्टिशनर के रूप में कार्य करने की सत्यनिष्ठापूर्वक सहमति प्रदान करता हूँ।

हस्ताक्षर

नाम

तारीख

नामांकन सं.

**प्ररूप जीएसटी पीएमटी - 01**

(नियम 85(1) देखिए)

**रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलैक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर**

(भाग 1 : दायित्व से संबंधित विवरणी)

(सामान्य पोर्टल पर रखा जाए)

जीएसटी आईएन

नाम (विधिक)

व्यापार का नाम, यदि कोई हो

.....कर अवधि

अधिनियम—केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/एकीकृत कर/उपकर/समस्त

(रूप में रकम)

क्रम सं०	तारीखमाह/ वर्ष	संदर्भ सं०	उन्मोचित दायित्व के लिए खाता	विवरण	संव्यवहार के प्रकार [विकलन (डीआर) (संदेय)]/ [प्रत्यय (सीआर) संदत्त]	विकलित/जमा की गई रकम (केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/एकीकृत कर/उपकर/कुल)	कर व्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल	अतिशेष (केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/उपकर/कुल)	कर व्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

टिप्पण---

1. विवरणी और संदाय देय प्रोद्भूत सभी दायित्व इस खाते में उसी के सामने अभिलिखित किया जाएगा।
  2. विवरण शीर्ष के अंतर्गत समेकन, रजिस्ट्रीकरण रद्दीकरण के लिए विकल्प के कारण दायित्व भी इस भाग में पूरा किया जाएगा । ऐसा दायित्व कर अवधि के दायित्व रजिस्टर जिसमें यथास्थिति, आवेदन या आदेश की तारीख आती है में वासित होगा ।
  3. विवरणी अमान्य मानी जाएगी यदि अंतिम शेष सकारात्मक है । विकलन (संदेय रकम) से प्रत्यय (रकम संदत्त) कम कर के शेष निकाला जाएगा ।
- उपकार से माल सेवा कर (राज्यों के लिए प्रतिकर) अधिनियम, 2017 के अधीन उद्ग्रहित उपकर अभिप्रेत है।

**प्ररूप जीएसटी पीएमटी - 01**

(नियम 85(1) देखिए)

**कराधेय व्यक्ति का इलैक्ट्रानिक दायित्व रजिस्टर**

(भाग 2 : दायित्वों से संबंधित विवरणी अन्य से भिन्न)

(सामान्य पोर्टल पर रखा जाए)

जीएसटी आईएन/अस्थायी आईडी

नाम (विधिक)

व्यापार नाम, यदि कोई हो

अवधि..... से .....तक (तारीख/माह/वर्ष)

स्थगन प्रास्थिति/स्थागित/अस्थगित

अधिनियम—केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/एकीकृत कर/उपकर/समस्त

(रूप में रकम)

क्रम सं०	तारीख/ माह/वर्ष	संदर्भ सं०	कर अवधि, यदि कोई हो	उन्मोचित दायित्व के लिए खाता	विवरण	संव्यवहार के प्रकार [विकलन (डीआर) (संदेय)]/ [प्रत्यय (सीआर) (संदत्त)] घटाव (आरडी) प्रतिदाय समायोजित (आरएफ)]	विकलित/जमा की गई रकम (केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/एकीकृत कर/उपकर/कुल)						अतिशेष संदेय (केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/एकीकृत कर/उपकर/कुल)						
							क र	व्या ज	शास्ति	फीस	अ न्य	कुल	क र	व्या ज	शास्ति	फीस	अ न्य	कुल	प्रास्थिति (स्थगन/अ स्थगन)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

**टिप्पण---**

1. सभी प्रोद्भूत दायित्व, विवरणी से संबंधित दायित्व से भिन्न, इस खाते में अभिलिखित किया जाएगा । संव्यवहार का पूरा विवरण तदुसार अभिलिखित किया जाएगा ।
2. दायित्वों के प्रतिकूल नकद या प्रत्यय खाता से किए गए सभी संदाय तदुसार अभिलिखित किया जाएगा । ।
3. अपील का निर्णय, परिशोधन, प्रतिवर्तन, पुनर्विलोकन आदि के कारण संदेय रकम में कमी या वृद्धि यहां प्रतिबिंबित किया जाएगा ।

4. एकल मांग आईडी के लिए भी नकारात्मक अतिशेष आ सकते हैं यदि अपील अनुज्ञा की जाती है/अंशतः अनुज्ञा की जाती है। सम्पूर्ण अंतिम अतिशेष फिर भी सकारात्मक होगा।
5. उचित प्राधिकारी द्वारा किसी दायित्व से प्रतिदाय के समायोजन के अधीन विशिष्ट मांग आईडी के लिए पूर्व निक्षेप का प्रतिदाय किया जा सकता है यदि अपील अनुज्ञा की जाती है यद्यपि समस्त अतिशेष सकारात्मक हो सकता है।
6. इस भाग के अंतिम अतिशेष का विवरण दाखिल करने पर प्रभाव नहीं होगा।
7. अधिनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट समय या कारण बताओ सूचना के पश्चात् किया गया संदाय पर आधारित शास्ति की रकम में कमी स्वतः होगा।

प्रत्यय या नकद खाते के माध्यम से संदाय करने के समय कारण बताओ सूचना या स्वैच्छिक रूप से किया गया कोई अन्य संदाय खाता में दर्शित किया जाएगा। विकलन और प्रत्यय की प्रविष्टि एकसाथ सृजित किया जाएगा।

### प्ररूप जीएसटी पीएमटी - 02

(नियम 86(1) देखिए)

#### रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता

(सामान्य पोर्टल पर रखा जाए)

जीएसटी आईएन/अस्थायी आईडी

नाम (विधिक)

व्यापार नाम, यदि कोई हो

अवधि..... से .....तक (तारीख/माह/वर्ष)

अधिनियम—केन्द्रीय /राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र/एकीकृत कर/उपकर/समस्त

(रूप में रकम)

क्रम सं०	तारीख/ माह/ वर्ष	संदर्भ सं०	कर अवधि, यदि कोई हो	विवरण (प्रत्यय के स्रोत और उपयोगिता का प्रयोजन)	संव्यवहार प्रकार [विकलन (डीआर) जमा (सीआर)]
1	2	3	4	5	6

जमा/विकलन						अतिशेष उपलब्ध					
केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

#### अनंतिम प्रत्यय का अतिशेष

क्रम	कर की	केन्द्रीय	राज्य अनंतिम प्रत्यय	अतिशेष की रकम	कुल

		कर	कर	राज्यक्षेत्र कर	कर		
1	2	3	4	5	6	7	8

बेमेल प्रत्यय (प्रतिवर्ती से भिन्न)

क्रम सं०	कर की अवधि	बेमेल प्रत्यय का रकम					
		केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ कर	राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8

टिप्पण---

- विवरणी के अनुसार सभी प्रकार के प्रत्यय, विलयन के कारण प्रत्यय, पूर्व-रजिस्ट्रीकरण इनपुट आदि के कारण प्रत्यय, संरचना स्कीम, संक्रमण आदि से बाहर निकलने के कारण प्रत्यय, प्रत्यय खाता में अभिलिखित होगा ।
- विवरण में प्रत्यय का स्रोत (जीएसटी आर-3, जीएसटी आर 6 आदि) और विवरणी या मांग आदि से संबंधित दायित्व का उपयोग सम्मिलित होगा। प्रतिदाय खाते से दावा किए गए प्रतिदाय विकलित किया जाएगा और यदि दावा अस्वीकार किया जाता है तब अस्वीकार की सीमा तक खाते में पीछे प्रत्यायित किया जाएगा ।

**प्ररूप जीएसटी पीएमटी - 03**

(नियम 86(4) और 87(11) देखिए)

**दावा प्रतिदाय की अस्वीकृति पर नकद या प्रत्यय की रकम के पुनःप्रत्यय के लिए आदेश**

संदर्भ संख्या.

तारीख -

- जीएसटीआईएन -
- नाम )विधिक( -
- व्यापार का नाम ,यदि कोई हो
- पता -

5. अवधि / कर अवधि जिससे प्रत्यय संबंधित है ,यदि कोई हो-  
----- से -----
6. खाता जिससे प्रतिदाय के दावे के लिए विकलन प्रविष्टि की गयी थी --  
) नकद / प्रत्यय खाता(
7. विकलन प्रविष्टि संख्या और तारीख -
8. आवेदन संदर्भ संख्या और तारीख -
9. संख्या और आदेश की तारीख द्वारा जिसे प्रतिदाय अस्वीकार किया गया था-
10. प्रत्यय की रकम

क्रम सं०	अधिनियम )केन्द्रीय कर/(राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर /एकीकृत कर /उपकर)	प्रत्यय की रकम )रूपए(					
		कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8

हस्ताक्षर

नाम

अधिकारी का पदनाम

टिप्पण---

1. "केन्द्रीय कर" का अभिप्राय केन्द्रीय माल और सेवा कर है, "राज्य कर" का अभिप्राय राज्य माल और सेवा कर है, "संघ राज्यक्षेत्र कर" का अभिप्राय संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर है, "एकीकृत कर" का अभिप्राय एकीकृत माल तथा सेवा कर है और "उपकर" का अभिप्राय माल तथा सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) है ।

### प्ररूप जीएसटी पीएमटी - 04

(नियम 85(7), 86(6) और 87(12) देखें)

### इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता/नकद खाता/दायित्व रजिस्टर में विभेद की संसूचना के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआईएन			
2.	नाम )विधिक(			
3.	व्यापार का नाम ,यदि कोई हो			
4.	खाता/रजिस्टर जिसमे विभेद देखा गया है,	<input type="checkbox"/> प्रत्यय खाता	<input type="checkbox"/> नकद खाता	<input type="checkbox"/> दायित्व रजिस्टर
.5	विभेद के ब्यौरे			
	तारीख	कर का प्रकार	विदेभ का प्रकार	अन्तर्वलित रकम
		केन्द्रीय कर		
		राज्य कर		
		संघ राज्यक्षेत्र कर		





विकलित/प्रत्यय रकम (केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/एकीकृत कर/उपकर/कुल)						अतिशेष (केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर/एकीकृत कर/उपकर/ कुल)					
कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

**टिप्पण---**

1. संदर्भ संख्या जिसमें बीआरएन (बैंक संदर्भ संख्या) विकलन प्रविष्टि संख्या, आदेश संख्या यदि कोई हो और टीडीएस और टीडीसी प्रत्यय के मामले में विवरणी की अभिस्वीकृति संख्या सम्मिलित है ।
2. किसी विकलन के लिए कर की अवधि, यदि लागू हो, अभिलिखित किया जाएगा, अन्यथा स्थान छोड़ा जाएगा ।
3. स्रोत पर कटौतीकर्ता का माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटी आईएन), चालान पहचान संख्या (सीआईएन) जिसके प्रतिकूल निक्षेप किया गया है और दायित्व के प्रकार जिसके लिए विकलन किया गया है, शीर्षक "विभेद" के अधीन भी अभिलिखित किया जाएगा ।
4. आवेदन की संख्या, यदि कोई है, कारण बताओं सूचना संख्या, मांग आईडी, अपील के लिए पूर्व निक्षेप या किसी दायित्व जिसके लिए संदाय किया जा रहा है "विभेद" शीर्षक के अधीन अभिलिखित किया जाएगा ।
5. खाते से दावाकृत प्रतिदाय या किसी दायित्व के प्रतिकूल विकलन तदनुसार अभिलिखित किया जाएगा ।
6. निक्षेप का समय और तारीख, बैंक द्वारा सूचित सीआईएन सृजन की तारीख और समय है ।
7. "केन्द्रीय कर" का अभिप्राय केन्द्रीय माल और सेवा कर है, "राज्य कर" का अभिप्राय राज्य माल और सेवा कर है, "संघ राज्यक्षेत्र कर" का अभिप्राय संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर है, "एकीकृत कर" का अभिप्राय एकीकृत माल तथा सेवा कर है और "उपकर" का अभिप्राय माल तथा सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) है ।

**रूप जीएसटी पीएमटी - 06**

(नियम 87(2) देखिए)

**माल और सेवा कर के निक्षेप के लिए चालान**

सीपीआईएन	<<सूचना प्रस्तुति के पश्चात् स्वतः सृजित	तारीख << चालू तारीख	चालान अवसान की तारीख
जीएसटीआईएन	<<भरा गया/स्वतः वासित>>	ई-मेल पता	<<स्वतः वासित>>

नाम (विधिक)	<<स्वतः वासित>>	मोबाइल न0.	<< स्वतः वासित >>				
पता	<< स्वतः वासित >>						
निक्षेप के ब्यौरे (सभी माल रूप में)							
सरकार	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष					
		कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
भारत सरकार	केन्द्रीय कर (----)						
	एकीकृत कर (----)						
	उपकर (----)						
	उप योग						
राज्य (नाम)	राज्य कर (----)						
संघ राज्यक्षेत्र (नाम)	संघ राज्यक्षेत्र कर (----)						
कुल चालान रकम							
कुल रकम, शब्दों में							
संदाय का ढंग (सुसंगत भाग सक्रिय होगा जब विशिष्ट रूप का चयन किया जाए)							

ई-संदाय  
(इसमे ई-संदाय का सभी ढंग सम्मिलित होगा जैसे सीडी/डीसी और नेट बैंकिंग करदाता इसमें एक चयन करे ।)

<input type="checkbox"/> नेफ्ट/आरटीजीएस	
प्रेषण बैंक	
फायदाग्राही का नाम	जीएसटी
फायदाग्राही लेखा संख्या (सीपीआईएन)	< सीपीआईएन >
फायदाग्राही बैंक का नाम	भारतीय रिजर्व बैंक
फायदाग्राही बैंक का भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी)	आरबीआई का आईएफएससी
रकम	

**टिप्पण :** संदाय करते समय व्यक्ति द्वारा संदत्त प्रभारों के लिए पृथक् रूप से हो ।

निक्षेपकर्ता की विशिष्टियां	
नाम	

पदनाम/ प्रास्थिति (प्रबंधक, भागीदार, आदि)	
हस्ताक्षर	
तारीख	
संदत चालान सूचना	
जीएसटीआईएन	
करदाता का नाम	
बैंक का नाम	
रकम	
बैंक अभिस्वीकृति संख्या(बीआरएन/ युटीआर	
सीआईएन	
संदाय की तारीख	
बैंक अभिस्वीकृति संख्या (बैंक केपटल पर निक्षेपित चैक/बैंक के डीडी)	

**टिप्पण—** युटीआर से एनईएफटी/आरटीजीएस संदाय के लिए अभिप्राय यूनिक संव्यवहार संख्या से है ।

### प्ररूप जीएसटी पीएमटी-07

(नियम 87(8) देखिए)

#### संदाय से संबंधित सूचना विभेद के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआईएन	
2.	नाम )विधिक(	
3.	व्यापार नाम ,यदि कोई हो	
4.	सामान्य पोर्टल से चलान के सृजन की तारीख	
5.	सामान्य पोर्टल पहचान संख्या )सीपीआईएन(	
6.	संदाय का माध्यम )केवल एक को चिह्नित करे (	नेट बैंकिंग <input type="checkbox"/> सीसी/डीसी <input type="checkbox"/> एनईएफटी/आरटीजीएस <input type="checkbox"/> ओटीसी <input type="checkbox"/>
7.	लिखत ब्यौरा, केवल ओटीसी संदाय हेतु	चैक/ ड्राफ्ट सं० तारीख बैंक/शाखा जिससे निकाला गया
8.	बैंक का नाम जिसके माध्यम से संदाय किया गया है	
9.	उस तारीख को जिसको विकलन/सुव्यस्थीकरण किया गया है	

10.	संदर्भ बैंक सं० (बीआरएन)/ यीटीआर संख्या ,यदि कोई हो					
11.	संदाय गेटवे का नाम (सीसी/डीसी)					
12.	संदाय विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
13.	सत्यापन (प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा) मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि इस घोषणा में दी गई जानकारी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है ।  हस्ताक्षर स्थान प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम तारीख पदनाम /प्रास्थिति.....					

**टिप्पण –**

1. आवेदन करदाता के लिए है जहां उसके लेखा से विकलित रकम संदत्त होने के लिए आशयित है किन्तु बैंक द्वारा सामान्य पोर्टल को सीआईएन संप्रेषित नहीं किया गया है या सीआईएन उत्पन्न किया गया है किन्तु बैंक द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया है ।
2. यदि विकलन के 24घंटे के भीतर सीआईएन संप्रेषित नहीं किया गया है तब आवेदन फाइल किया जा सकता है।
3. सामान्य पोर्टल सम्बंधित बैंक को परिवाद अग्रेषित करेगा और व्यथित व्यक्ति को सूचना देगा ।
4. "केन्द्रीय कर" का अभिप्राय केन्द्रीय माल और सेवा कर है, "राज्य कर" का अभिप्राय राज्य माल और सेवा कर है, "संघ राज्यक्षेत्र कर" का अभिप्राय संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर है, "एकीकृत कर" का अभिप्राय एकीकृत माल और सेवा कर अभिप्राय है और "उपकर" का अभिप्राय माल तथा सेवा कर (राज्यों के प्रतिकर) है ।

**प्ररूप – जीएसटी-आरएफडी-01**

[नियम 89(1) देखिए]

**प्रतिदाय के लिए आवेदन**

चयन – रजिस्ट्रीकृत/आकस्मिक/अरजिस्ट्रीकृत/अनिवासी कराधेय व्यक्ति

1. जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी:
2. विधिक नाम :
3. व्यापार नाम, यदि कोई हो :
4. पता :
5. कर अवधि : <दिन/मास/वर्ष> से <दिन/मास/वर्ष>

6. दावा किया गया प्रतिदाय की रकम :

अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
केन्द्रीय कर						
राज्य कर						
संघ राज्यक्षेत्र कर						
एकीकृत कर						
उपकर						
कुल						

7. प्रतिदाय दावा के लिए आधार (नीचे से चयन करें) :

(क) इलैक्ट्रानिक के नकद खाता में अधिक अतिशेष :

(ख) माल/सेवाओं के निर्यात कर के संदाय के साथ :

(ग) माल/सेवाओं के निर्यात – कर के संदाय को छोड़कर, उदाहरणार्थ, इनपुट कर प्रत्यय संचित

(घ) निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील/कोई अन्य आदेश के कारण—

(i) आदेश के प्रकार, उसका चयन :

निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील आदेश

(ii) निम्नलिखित ब्यौरे उल्लिखित करें,—

1. आदेश संख्या ;
2. आदेश की तारीख <कलेंडर>
3. प्राधिकारी का आदेश जारी करना
4. संदाय संदर्भ संख्या (प्रतिदाय के रूप दावे के लिए रकम)

)यदि आदेश प्रणाली के भीतर जारी किया जाता है ,तब 1,2,3,4स्वतः वासित (

(ङ) विपर्यस्त कर ढांचा के लिए निवेश कर प्रत्यय संचित )धारा ((3)54के परन्तुक के खंड )iii(

(च) विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक विकासकर्ता या समझे गए निर्यात प्रापक के लिए गए प्रदाय पर—

)i (प्रदायकर्ता/प्राप्तिकर्ता के प्रकार चयन करें--

- .1विशेष आर्थिक जोन इकाई के लिए प्रदायकर्ता
- .2विकासकर्ता विशेष आर्थिक जोन के लिए प्रदायकर्ता
- .3समझा गया निर्यात की प्राप्ति ।

)छ (प्रदाय पर संदत्त कर जिसे उपबंधित नहीं किया गया है ,या तो पूर्णतः या भागतः और जिसके लिए बीजक जारी किया गया है ।

)ज (राज्यांतरिक पर संदत्त कर पर जिसे अन्तराज्यिक और विपर्ययेन धारित किया जाए ।

)i (कर की अधिकता संदाय ,यदि कोई हो

)झ( अन्य )विनिर्दिष्ट करें(

.8बैंक लेखा के ब्यौरे )रजिस्ट्रीकृत करदाता के मामले में आरसी से स्वतः वासित(

)क (बैंक खाता संख्या

)ख (बैंक का नाम

)ग (बैंक खाता प्रकार

)घ (खाता धारक का नाम

)ङ (बैंक शाखा का पता

)च (भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड )आईएफएससी(

)छ (मैगनेटिक इंक करेक्टर रिकागनाइजेशन )एमआईसीआर(

.9क्या धारा (4)54के आवेदक द्वारा स्वयं घोषणा है ,यदि लागू हो हां नहीं

#### घोषणा) धारा ((00) (3) 54

में तदनुसार घोषणा करता हूं कि निर्यातित माल किसी निर्यात शुल्क के लिए कोई विषय नहीं है ,में यह भी घोषणा करता हूं कि माल या सेवाएं दोनों पर कोई प्रतिदाय प्राप्त नहीं है और कि मैंने प्रदाय पर संदत्त कर एकीकृत कर जिसकी बाबत प्रतिदाय दावा किया गया है ,के प्रतिदाय हेतु दावा नहीं किया है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

#### घोषणा )धारा ((00) (3) 54

में घोषणा करता हूं कि आवेदन में किए गए दावा इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय दरों पर शून्य के लिए उपयोजित माल या सेवाओं पर प्राप्त किया था या पूर्णतः छूट जो प्रदाय करता है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

#### घोषणा )देखे नियम (89

में यह घोषणा करता हूं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई /विशेष आर्थिक क्षेत्र डेवलपर ने इस धनवापसी दावे के तहत आवेदक द्वारा भुगतान किए गए कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं लिया है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

#### स्वयं-घोषणा

में/हम) .....आवेदक (जिसके पास माल या सेवा कर पहचान संख्या/अस्थायी आईडी .....सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और प्रमाणित करता हूं/करते हैं और प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि कर ,





स्तंभ 17: पीओएस (अभिग्रहक स्थिति से केवल यदि भिन्न हो)

स्तंभ 18: उपदर्शित करे यदि प्रदाय प्रतिवर्ती प्रभार्य आकर्षित किया जाता है । (हां/नहीं)

स्तंभ 19: निवेश कर प्रत्यय की पात्रता जैसे (निवेश/पूँजी माल/निवेश सेवाएं/कोई नहीं)

स्तंभ 20/21/22/23: निवेश कर प्रत्यय की रकम जो उपलब्ध है ।

**बाह्य प्रदाय :**

जीएसटी आर-1 के अनुसार (सारणी 5) :

.....कर अवधि

जीएसटी आईएस/ यूआईएन	बीजक के ब्यारे							एकीकृत कर		केन्द्रीय कर		राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर		उपकर		स्तंभ 16	स्तंभ 17	स्तंभ 18	स्तंभ 19	स्तंभ 20	स्तंभ 21	स्तंभ 22	
	सं०	तारीख	मूल्य	माल/ सेवाएं (जी/एस)	एचएसएन मूल्य	कराधेय मूल्य	यूक्यूसी स्यूटीवाई	दर (%)	रकम	दर (%)	रकम	दर (%)	रकम	दर (एनए)	रकम								
1	2	3	4	5	6	7	23क	23ख	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

स्तंभ 16: पीओएस (केवल यदि प्रासिकर्ता के अवस्थित से भिन्न हो)

स्तंभ 17: क्या विशेष आर्थिक जोन/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता के लिए की गई प्रदाय (हां/नहीं)

स्तंभ 18: विशेष आर्थिक जोन/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता के लिए की गई प्रदाय हेतु विकल्प (एकीकृत कर के साथ/एकीकृत कर के बिना)

स्तंभ 19: माना गया निर्यात (हां/नहीं)

स्तंभ 20: क्या प्रतिवर्ती प्रभार से संबंधित है (हां/नहीं)

स्तंभ 21: क्या यह बीजक अनंतिम आधार पर कर संदत किया है (हां/नहीं)

स्तंभ 22: ई-वाणिज्य प्रचालक (यदि लागू हो) के माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन)

स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

तारीख

(नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

कथन 2:

नियम 89 के उपनियम 2(ख) और (ग) के अधीन आवेदन के मामले में कथन :

कर के संदाय के साथ निर्यात :

.....: कर अवधि

बीजक							
सं०	तारीख	मूल्य	माल/सेवाएं (जी/एस)	एचएसएन	सं०	तारीख	कराधेय मूल्य
1	2	3	4	5	15क	15ख	6

लदान बिल/निर्यात का बिल			कर संदाय विकल्प		एकीकृत कर		क्या अन्तिम आधारों पर यह बीजक संदत कर पर है (हां/नहीं)	ईजीएम के ब्यौरे		बीआरसी/एफआईआरसी	
पतन कोड	सं०	तारीख	एकीकृत कर के साथ	एकीकृत कर के बिना	दर (%)	रकम		संदर्भ सं०	तारीख	सं०	तारीख
7	8	9	10	11	12	13	14	15C	15D	15E	15F

(\*लदान बिल और ईजीएम जो आज्ञापक है—माल के मामले में ;  
बीआरसी/एफआईआरसी के ब्यौरे, आज्ञापक है—सेवाओं के मामले में)

स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

तारीख  
(नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

### कथन 3:

कर के संदाय के बिना निर्यात :

.....:कर अवधि

बीजक
------

सं०	तारीख	मूल्य	माल/सेवाएं (जी/एस)	एचएसएन	यूक्यूसी	क्यूटीवाई	कराधेय मूल्य
1	2	3	4	5	15A	15B	6

लदान बिल/निर्यात का बिल			कर संदाय विकल्प		एकीकृत कर		क्या बीजक पर कर अनंतिम आधार पर संदत है (हां/नहीं)	ईजीएम के ब्यौरे		बीआरसी/ एफआईआरसी	
पतन कोड	सं०	तारीख	एकीकृत कर के साथ	एकीकृत कर के बिना	दर (%)	रकम		संदर्भ सं०	तारीख	सं०	तारीख
7	8	9	10	11	12	13	14	15C	15D	15E	15F

(\*लदान बिल और ईजीएम—माल के मामले में आज्ञापक है;

बीआरसी/एफआईआरसी के ब्यौरे आज्ञापक है—सेवाओं के मामले में)

स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

तारीख

(नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

कथन 4:

नियम 89, उपनियम 2(घ) और (ड) के अधीन आवेदन के मामले में कथन:

विशेष आर्थिक जोन/विकासकर्ता के प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय :

जीएसटीआर-1 सारणी 5

.....कर अवधि

जीएसटी आईएस/ आईएस/	बीजक के ब्यौरे	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर
--------------------------	----------------	-----------	--------------	---------------------------------





एकीकृत कर		केन्द्रीय कर		राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर		उपकर		स्तंभ 16 स्तंभ 17 स्तंभ 18			स्तंभ 20/21/22/23				एआरई		प्राप्ति की तारीख
दर (%)	रकम	दर (%)	रकम	दर (%)	रकम	दर (एनए)	रकम				एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	सं०	तारीख	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24ग	24घ	24ङ

स्तंभ 17: पीओएस (केवल यदि प्राप्तकर्ता की अवस्थिति से भिन्न हो)

स्तंभ 18: उपदर्शित करे यदि प्रदाय प्रतियर्ता परिवर्तन से संबंधित है (हां/नहीं)

स्तंभ 19: इनपुट कर प्रत्यय की पात्रता जैसे (निवेश/पूँजी माल/निवेश सेवाएं/कोई नहीं)

स्तंभ 20/21/22/23: निवेश कर प्रत्यय की रकम उपलब्ध

स्तंभ 24 सी/डी : एआरई (निर्यात हटाने के लिए आवेदन)

स्तंभ 24 ई: विशेष आर्थिक जोन/विकासकर्ता (गोदाम प्रमाणपत्र के अनुसार) द्वारा प्राप्ति की तारीख

(\* माल के मामले में : एआरई और प्राप्ति की तिथि अनिवार्य ;)

स्थान  
तारीख  
(नाम)

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

पदनाम/प्रास्थिति

कथन 6:

नियम 89(2)(ज) के अधीन फाइल किए गए आवेदन के मामले में

[धारा 77(1) के अधीन प्रतिदाय - अनुचित संग्रहीत कर और संदत्त]

आदेश ब्यौरे (धारा 77(1) और (2) के अनुसरण में जारी:

आदेश तारीख:

आदेश सं०:

जीएसटी आईएन/यूआईएन (वी 2सी के मामले में)	बीजको का विवरण जो पूर्व में अन्तरराज्यिक/राज्यांतरिक संव्यवहार से आच्छादित था								
	बीजक के व्यौरे				एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	प्रदाय का स्थान (केवल यदि प्रासिकर्ता से भिन्न की प्रास्थिति)
	सं०	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	रकम	रकम	रकम	रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11

संव्यवहार जिसके लिए अन्तरराज्यिक/राज्यांतरिक प्रदाय पश्चातवर्ती धारित किए गए थे				
एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	प्रदाय का स्थान (केवल यदि प्रासिकर्ता से भिन्न की प्रास्थिति)
रकम	रकम	रकम	रकम	
12	13	14	15	16

**कथन:7**

नियम 89(2) (ट) के अधीन फाईल किया आवेदन के मामले में कथन

कर के अधिक संदाय खाते पर प्रतिदाय

क्रम सं.	कर अवधि	विवरणी का संदर्भ सं०	विवरणी फाईल करने की तारीख	दायित्व रजिस्टर में उपलब्ध अधिक रकम			
				एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8

**(नियम 89 (२)(ड) देखें)****प्रमाणपत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि .....कर अवधि के लिए.....माल और सेवा कर पहचान संख्या/अस्थायी आई डी, मैसर्स..... (आवेदक का नाम) द्वारा .....(शब्दों में) आई एन आर दावे के प्रतिदाय के संबंध में कर और ब्याज का आपतन किसी अन्य व्यक्ति ने पारित नहीं किया है । यह प्रमाणपत्र आवेदन द्वारा विशेष रूप से अनुरक्षण दिए गए लेखा पुस्तकों और अन्य संबंधित अभिलेखों और विवरणियों के परीक्षण के आधार पर है ।

चार्टर्ड आकाउन्टेंट/लागत लेखाकार के हस्ताक्षर:

नाम:

सदस्य संख्या:

स्थान:

तारीख:

यह प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (ड.) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय दावा दिया जाना अपेक्षित नहीं है।



**प्ररूप जीएसटी आरएफडी- -02**

[नियम 90(2) और 95(2) देखें]

**अभिस्वीकृति**

प्रतिदाय के लिए आपका आवेदन का <आवेदन संदर्भ संख्या > के विरुद्ध अभिस्वीकृत कर लिया गया है।

अभिस्वीकृति संख्या :

अभिस्वीकृति की तारीख:

जी एस टीआई एन /यू आई एन/ अस्थायी आई डी, यदि उपलब्ध है:

आवेदक का नाम:

प्ररूप सं. :

प्ररूप विवरण:

अधिकारिता (समुचित निशान लगाएं) :

केन्द्रीय

राज्य/

संघ राज्य क्षेत्र :

द्वारा भरा गया

प्रतिदाय आवेदन ब्यौरा	
कर अवधि	
फाइल करने की तारीख और समय	
प्रतिदाय के लिए कारण	

दावाकृत प्रतिदाय की रकम

	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
केन्द्रीय कर						
राज्य कर						
यू टी कर						
एकीकृत कर						
उपकर						
कुल						

टिप्पण 1: आवेदन की प्रास्थिति जी एस टी प्रणाली पोर्टल पर ट्रैक आवेदन प्रास्थिति <प्रतिदाय > के माध्यम से आवेदन संदर्भ संख्या दर्ज करने से देखी जा सकती है ।

टिप्पण 2: यह एक प्रणाली उत्पन्न अभिस्वीकृति है और इसमें हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है ।

**प्ररूप जीएसटी आरएफडी 03**

[नियम 90(3) देखें]

**ऊनता का ज्ञापन**

संदर्भ सं. :

तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

सेवा में

\_\_\_\_\_ (माल और सेवा कर पहचान संख्या/यूनिक पहचान संख्या /अस्थायी आई डी)

\_\_\_\_\_ (नाम)

\_\_\_\_\_ (पता)

विषय: प्रतिदाय आवेदन संदर्भ सं. (ए आर एन.....तारीख .....<दिन /मास /वर्ष >..... के

संबंध में

महोदय/महोदया

यह अधिनियम की धारा 54 के अधीन फाइल किए गए आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन के संदर्भ में है । आपके आवेदन की संवीक्षा करने पर, निम्नलिखित कतिपय कमियां नोटिस की गई हैं .-

क्रम सं.	विवरण (प्रतिदाय आवेदन के छूटने के कारण को चयन करें ।
1.	<बहुचयन विकल्प >
2.	
	अन्य<टेक्सट बॉक्स > { कारण मास्टर' से चयनित कारण के सिवाय कोई अन्य कारण }

आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त कमियों के शुद्धिकरण के पश्चात, एक नया प्रतिदाय आवेदन फाइल करें ।

तारीख:

हस्ताक्षर (डी एस सी):

स्थान:

उचित अधिकारी का नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

प्ररूप जीएसटी आरएफडी- -04  
/नियम 91(2) देखें/

मंजूरी आदेश सं. :

तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

सेवा में

\_\_\_\_\_ (माल और सेवा कर पहचान संख्या)

\_\_\_\_\_ (नाम)

\_\_\_\_\_ (पता)

अनंतिम प्रतिदाय आदेश

प्रतिदाय आवेदन संदर्भ सं. (ए आर एन).....तारीख ..... तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

अभिस्वीकृति सं.....तारीख..... <दिन /मास /वर्ष >

महोदय /महोदया,

प्रतिदाय के लिए आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन के संदर्भ में, निम्नलिखित रकम अनंतिम आधार पर आपको स्वीकृत की जाती है :

क्रम सं.	विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्य क्षेत्र कर	ऐकीकृत कर	उपकर
(i)	दावाकृत प्रतिदाय की रकम					
(ii)	दावाकृत रकम का 10% प्रतिदाय के रूप में (बाद में स्वीकृत किया जाएगा)					
(iii)	बकाया रकम (i-ii)					

(iv)	स्वीकृत प्रतिदाय की रकम					
	बैंक विवरण					
(v)	आवेदन के अनुसार बैंक खाता संख्या					
(vi)	बैंक का नाम					
(vii)	बैंक /शाखा का पता					
(viii)	आई एफ एस सी					
(ix)	एम आई सी आर					

तारीख:

हस्ताक्षर (डी एस सी):

स्थान:

नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05  
/नियम 91(3), 92(4), 92(5) और 94 देखें/

संदाय सलाह

संदाय सलाह सं.

तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

सेवा में, <केन्द्रीय> पी ए ओ /खजाना / आर बी आई / बैंक

प्रतिदाय स्वीकृति आदेश सं.. .. .

आदेश तारीख.....<दिन /मास /वर्ष >.....

जी एस टीआई एन /यू आई एन/ अस्थायी आई डी <>

नाम: <>

प्रतिदाय रकम (आदेश के अनुसार) :

	केन्द्रीय कर	राज्य कर	यू टी कर	एकीकृत कर	उपकर
नेट स्वीकृत प्रतिदाय रकम					
विलंब प्रतिदाय पर ब्याज					
कुल					

	बैंक का ब्यौरा	
(i)	आवेदन के अनुसार बैंक खाता संख्या	
(ii)	बैंक का नाम	
(iii)	बैंक /शाखा का नाम और पता	
(iv)	आई एफ एस सी	
(v)	एम आई सी आर	

तारीख:

हस्ताक्षर (डी एस सी):

स्थान:

नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

सेवा में

.....(जी एस टी आई एन /यू आई एन/ अस्थायी आई डी)

.....(नाम)

.....(पता)

### प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06

[नियम 92 (1), 92(3), 92(4), 92(5) और 96(7) देखें]

आदेश सं.

तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

सेवा में,

..... (जी एस टीआई एन /यू आई एन/ अस्थायी आई डी )

.....(नाम)

.....(पता)

कारण बताओ नोटिस संख्या (यदि लागू हो)

अभिस्वीकृति संख्या .....

तारीख:.....<दिन /मास /वर्ष >.....

स्वीकृत प्रतिदाय/ अस्वीकृत आदेश

महोदय/महोदया,

यह अधिनियम की धारा 54 के अधीन प्रतिदाय के लिए आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन के संदर्भ में /\*प्रतिदाय पर ब्याज\*/ आपके आवेदन का परीक्षण करने पर आपको मंजूर प्रतिदाय की रकम बकाया (जहां लागू है) के समायोजन के पश्चात् की जाएगी, जो निम्नलिखित है :-

क्रम सं.	विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य कर	यू टी कर	एकीकृत कर	उपकर
(i)	दावाकृत प्रतिदाय/ब्याज* की रकम					
(ii)	अनंतिम आधार पर मंजूर प्रतिदाय (आदेश सं.....तारीख.....) (यदि लागू हों)					
(iii)	प्रतिदाय रकम अग्राह्य >> < कारण उल्लेख कीजिए >					

	< बहु-कारण अनुज्ञेय है >					
(iv)	संदाय किए जाने वाली सकल रकम(1-2-3)					
(v)	विद्यमान विधि के अधीन या अधिनियम के अधीन बकाया मांग के विरुद्ध (यदि कोई हो) समायोजित रकम मांग आदेश सं.....तारीख.....अधिनियम अवधि <पंक्ति के साथ बहु पंक्तियों को संभव हो जोड़ें >					
(vi)	नेट संदाय की जाने वाली रकम					

\*जो लागू न हो उसे काट दें।

&1. मैं, अधिनियम<sup>@</sup> की धारा 56 के अधीन /अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन माल और सेवा कर पहचान संख्या रखने वाले मैसर्स.....को आई एन आर.....की रकम की मंजूरी देता हूँ।

@ जो लागू न हो उसे काट दें।

(क) और रकम को उसके द्वारा उसके आवेदन में विनिर्दिष्ट बैंक खाता में संदाय किया गया है

(ख) रकम को उपरोक्त तालिका के क्रम संख्यां 5 पर विनिर्दिष्ट बकाया की वसूली को समायोजित किया गया है।

(ग) .....रुपए की रकम को उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 6 पर विनिर्दिष्ट बकाया की वसूली को समायोजित किया है और शेष.....रुपए की रकम को उसके द्वारा उसके आवेदन में विनिर्दिष्ट बैंक खाता में संदाय कर दिया गया है।

#जो लागू न हो उसे काट दें।

या

&2 मैं, अधिनियम की धारा (.....) की उपधारा (.....) के अधीन उपभोक्ता कल्याण निधि को आई एन आर.....की रकम जमा करता हूँ।

&3 मैं, अधिनियम की धारा (.....) की उपधारा (.....) के अधीन माल और सेवा कर पहचान संख्या रखने वाले मैसर्स.....को आई एन आर.....की रकम को निरस्त करता हूँ।

& जो लागू न हो उसे काट दें।

तारीख:

हस्ताक्षर (डी एस सी):

स्थान:

नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

**प्ररुप जीएसटी आरएफडी-07**  
**/नियम 92(1), 92(2), 96(6) देखें/**

संदर्भ सं.

तारीख: &lt;दिन /मास /वर्ष &gt;

सेवा में,

..... (माल और सेवा कर पहचान संख्या /यूनिक पहचान संख्या /अस्थायी आई डी सं.)

.....नाम

.....(पता)

अभिस्वीकृति संख्या .....

तारीख:.....&lt;दिन /मास /वर्ष &gt;.....

मंजूरी प्रतिदाय के पूर्ण समायोजन के लिए आदेश

भाग - क

महोदय/महोदया,

उपरोक्त यथानिर्दिष्ट आपके प्रतिदाय आवेदन के संदर्भ में और आपको मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम के विरुद्ध और दी गई सूचना या फाइल किए गए दस्तावेज बकाया मांग के विरुद्ध पूर्ण रूप से समायोजित कर दिया गया है जो ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित है :-

	प्रतिदाय गणना	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	यू टी कर	उपकर
(i)	दावाकृत प्रतिदाय की रकम					
(ii)	अनंतिम आधार पर नेट मंजूर प्रतिदाय					



(iii)	अस्वीकृत अग्राह्य प्रतिदाय रकम <<कारण उल्लेख कीजिए >>					
(iv)	प्रतिदाय अनुज्ञेय (i-ii-iii)					
(v)	विद्यमान विधि के अधीन या इस विधि के अधीन बकाया मांग (आदेश सं.....के अनुसार) के विरुद्ध समायोजित प्रतिदाय मांग आदेश सं..... तारीख..... <बहु-पंक्तियों में दी जा सकती है>					
(vi)	प्रतिदाय रकम का शेष	शून्य	शून्य			शून्य

में, यह आदेश देता हूँ कि उपरोक्त यथादर्शित दावाकृत अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम के अधीन विद्यमान विधि के अधीन बकाया मांग के विरुद्ध पूर्ण रूप से समायोजित कर ली जाए। इस आवेदन का निपटारा अधिनियम की धारा (.....) की उपधारा (.....) के अधीन उपबंधों के अनुसार जारी किया गया है।

या

भाग- ख

प्रतिदाय रोकने के लिए आदेश

उपरोक्त यथानिर्दिष्ट आपके प्रतिदाय आवेदन के संदर्भ में और आपको मंजूर किए गए प्रतिदाय रकम के विरुद्ध और दी गई सूचना या फाइल किए गए दस्तावेज निम्नलिखित कारणों से रोक दिए गए हैं जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

प्रतिदाय आदेश सं. :						
आदेश जारी करने की तारीख:						
	प्रतिदाय गणना	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	यू टी कर	उपकर
i.	मंजूर प्रतिदाय की रकम					
ii.	रोके गए प्रतिदाय की रकम					
iii.	अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम					

प्रतिदाय रोकने के लिए कारण

<<पाठ>>
---------

मैं, यह आदेश देता हूँ कि उपरोक्त यथादर्शित दावाकृत अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम के अधीन उपरोक्त वर्णित कारणों के लिए रोक दी गई। यह आदेश इस अधिनियम की धारा (.....) उपधारा (.....) के अधीन उपबंधों के अनुसार जारी किया गया है

तारीख:

हस्ताक्षर (डी एस सी):

स्थान:

नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

### प्ररूप जीएसटी आरएफडी-08

[नियम 92(3) देखें]

#### प्रतिदाय के लिए आवेदन अस्वीकार करने के लिए नोटिस

एस सी एन सं.

तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

सेवा में,

..... (माल और सेवा कर पहचान संख्या /यूनिफ पहचान संख्या /अस्थायी आई डी सं.)

.....नाम

.....(पता)

अभिस्वीकृति संख्या .....

तारीख:.....<दिन /मास /वर्ष >.....

आवेदन संदर्भ संख्या .....

यह अधिनियम की धारा 54 के अधीन फाइल किए गए प्रतिदाय के लिए आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन का संदर्भ है। परीक्षण करने पर, यह पाया गया है कि, प्रतिदाय आवेदन निम्नलिखित कारणों के कारण अस्वीकार करने योग्य है :-

क्रम सं.	विवरण (उल्लेख छोड़े जाने से प्रतिदाय का अग्राह्य के कारणों का चयन)	अग्राह्य रकम
(i)		
(ii)		
(iii)	अन्य { 'कारण मास्टर' में उल्लिखित कारणों को छोड़ कर कोई अन्य कारण }	

आपको उन कारणों को बताए जाने के लिए कहा गया है जो उपरोक्त विनिर्दिष्ट रकम के परिमाण उपरोक्त कथित कारणों के लिए आपके प्रतिदाय दावे को अस्वीकार क्यों न कर दिया जाए।

- आपको यह निदेशित किया जाता है कि इस नोटिस के तामील होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर इस नोटिस का उत्तर दिया जाए ।
- आपको यह भी निदेशित किया जाता है कि आप तारीख/मास वर्ष समय ..... पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों ।

यदि आप नियत तारीख के भीतर उत्तर दिए जाने में असफल होते हो या नियत तारीख और समय पर निजी सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असफल होने की दशा में उपलब्ध अभिलेखों और गुणागुण के आधार पर एक तरफा विनिश्चय किया जाएगा ।

तारीख:

हस्ताक्षर (डी एस सी):

स्थान:

नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

### प्ररूप जीएसटी आरएफडी-09

[नियम 92(3) देखें]

कारण बताओं नोटिस का उत्तर

तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

1.	नोटिस का संदर्भ संख्या		जारी करने की तारीख	
2.	जी एस टी-आई एन / यू आई एन			
3.	कारबार का नाम, (विधिक)			
4.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो			
5.	नोटिस का उत्तर			
6.	अपलोड दस्तावेजों की सूची			

7.	<p>सत्यापन  मैं,.....सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।</p> <p style="text-align: right;"><b>प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर</b>  नाम.....  पदनाम / प्रास्थिति.....</p> <p>स्थान  तारीख: &lt;दिन /मास /वर्ष &gt;</p>
----	---

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम / प्रास्थिति

### प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10

[नियम 95(1) देखें]

संयुक्त राष्ट्र का कोई विशिष्ट अभिकरण या कोई बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन

1. यूनिक पहचान संख्या :
2. नाम :
3. पता :
4. कर अवधि )तिमाही( : दिन /मास /वर्ष से .....तक  
<दिन /मास /वर्ष >
5. दावा प्रतिदाय की रकम <आई एन आर ><शब्दों में>

	रकम
--	-----

केन्द्रीय कर	
राज्य कर	
संघ राज्य क्षेत्र कर	
एकीकृत कर	
उपकर	
कुल	

6. बैंक खाते का ब्यौरा:

- (क) बैंक खाता संख्या
- (ख) बैंक खाते का प्रकार
- (ग) बैंक का नाम
- (घ) खाता धारक / संचालक का नाम
- (ङ) बैंक शाखा का पता
- (च) आई एफ एस सी
- (छ) एम आई सी आर

7. संदर्भ संख्या और दिए गए प्ररूप जी एस टी आर-11 की तारीख

8. सत्यापन

मैं, .....>दूतावास /अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम> का प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणी करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

यह कि हम सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास कोई अन्य व्यक्ति विशिष्ट व्यक्तियों का वर्ग के रूप में ऐसे प्रतिदाय दावा के पात्र हैं ।

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम / प्रास्थिति

प्ररूप जीएसटी एसएमटी-01

{नियम 98(1) देखें}

धारा 60 के अधीन अनंतिम निर्धारण के लिए आवेदन

1. जीएसटीआईएन
2. नाम
3. पता

4. उस वस्तु/सेवा का विवरण/जिसके लिए कर की दर/मूल्यांकन का अवधारण किया जाना है ।								
क्र.सं.	एचएसएन/एसएसी	वस्तु का नाम	कर की दर				मूल्यांकन	मासिक औसत
			केन्द्रीय कर	राज्य/सं.शा. राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. अनंतिम निर्धारण कर की मांग करने के लिए कारण								
6. फाईल किये गये दस्तावेज								

7. सत्यापन-

मैं-----सत्यनिष्ठा पूर्वक यह कथन करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि यहां उपरोक्त में दी गई सूचना मेरे ज्ञान विश्वास से सत्य और सही है तथा उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

तारीख-----





**प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-02**  
{नियम 98(2) देखें}

संदर्भ सं०

तारीख:

सेवा में

जीएसटी आईएन-----

नाम-----

पता-----

आवेदन संदर्भ सं०-----

तारीख -----

**अंतिम निर्धारण के लिए अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण/दस्तावेजो को मांगने हेतु सूचना ।**

कृपया उपरोक्त संदर्भित आवेदन का संदर्भ ले । अंतिम निर्धारण के लिए आपकी प्रार्थना का निरीक्षण करते समय यह पाया गया है कि निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज इस प्रक्रिया के लिए अपेक्षित है -

<< पाठ >>

अतः आप से निवेदन है कि इस सूचना की तामील की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर सूचना/दस्तावेज का उपबंध करें जिससे कि यह कार्यालय इस मामले में कोई विनिश्चय करने में समर्थ हो सकें । कृपया नोट करें कि यदि नियत तारीख तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो आपका आवेदन, आपको और संदर्भ किए बिना नामंजूर किए जाने का दायी होगा ।

आप से निवेदन है कि << तारीख-----समय-----स्थल >> पर व्यैक्तिक सुनवाई के लिए अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत हों ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

**प्ररूप जीएसटीआईएन  
{नियम 98(2) देखें}  
अतिरिक्त सूचना मांगने के लिए सूचना का उत्तर**

1. जीएसटीआईएन		
2. नाम		
3. उस सूचना का विवरण जिसके द्वारा अतिरिक्त सूचना मांगी गई	सूचना सं०	सूचना तारीख
4. उत्तर		
5. फाईल किये गये दस्तावेज		

6. सत्यापन

में-----सत्यनिष्ठापूर्वक यह कथन करता हूँ और धोषणा करता हूँ कि यहां उपरोक्त में दी गई सूचना मेरे ज्ञान विश्वास से सत्य और सही है तथा उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

तारीख-----



**प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-04**

{नियम 98(3) देखें}

संदर्भ सं०

तारीख

सेवा में

जीएसटी आईएन-----

नाम-----

पता-----

आवेदन संदर्भ सं०-----

तारीख -----

-----

**अंतिम निर्धारण की मंजूरी या नामंजूरी का आदेश**

यह अंतिम निर्धारण के आपके निवेदन के समर्थन में सूचना/दस्तवेजों को प्रस्तुत करने, उपरोक्त लिखित आवेदन तथा उत्तर तारीख----- के संदर्भ में है। आपके आवेदन और उत्तर का निरीक्षण करने पर, अंतिम निर्धारण को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञात किया गया है -

<< पाठ >>

अंतिम निर्धारण-----तारीख तक और विहित रूप विधान में बंधपत्र----- (माध्यम) के प्ररूप में ----- रूपये की रकम की प्रतिभूति देने के अध्यक्षीन अनुज्ञात किया जाता है।

कृपया नोट करें कि यदि बंधपत्र और प्रतिभूति नियम तारीख के भीतर नहीं दी जाती है, अंतिम निर्धारण आदेश को अकृत और शून्य माना जाएगा जैसे कि ऐसा कोई आदेश पारित ही न हुआ हो

या

यह अंतिम निर्धारण के आपके निवेदन के समर्थन में सूचना/दस्तवेजों को प्रस्तुत करने, उपरोक्त लिखित आवेदन तथा उत्तर तारीख----- के संदर्भ में है।

अंतिम निर्धारण के लिए आपके आवेदन का निरीक्षण किया गया और यह पाया गया कि यह निम्नलिखित कारणों की वजह से स्वीकार्य है-

<< पाठ >>

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

**अंतिम निर्धारण के लिए बंधपत्र  
)नियम देखें(**

मैं/हम.....इसमें इसके पश्चात् बाध्यताधारी कहा जाएगा, भारत के राष्ट्रपति )जिन्हे इसमें इसके पश्चात् "राष्ट्रपति" कहा गया है)/(राज्य (के .....राज्यपाल )जिन्हे इसमें इसके पश्चात् "राज्यपाल" कहा गया है (के प्रति.....रू..... 0की रकम का राष्ट्रपति/राज्यपाल को संदाय करने के लिए वचनबद्ध और दृढतापूर्व आबद्ध हूँ/हैं इसका संदाय पूर्णतः और सही रूप में किए जाने के लिए मैं/हम संयुक्त रूप से और पृथकतः स्वयं को /अपने आप को और अपने वारिसों/निष्पादकों/प्रशासकों/विधिक प्रतिनिधियों/उत्तरवर्तियों को इस विलेख द्वारा दृढतापूर्वक आबद्ध करता हूँ/करते हैं/तारीख.....को इस पर हस्ताक्षर किए गए ।

ऊपर आबद्धकर बाध्यताधारी द्वारा प्रदाय किए गए).....माल/सेवाओं या दोनों— एचएसएन (.....पर एकीकृत कर/केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर का समय-समय पर अंतिम निर्धारण, उनको लागू कर के मूल्य या दर के संबंध में पूरी जानकारी नहीं होने के कारण नहीं हो सका है;

और बाध्यताधारी यह वांछा करता है कि धारा 60के उपबंधों के अनुसार अंतिम निर्धारण किया जाए ।

और आयुक्त, बाध्यताधारी से राष्ट्रपति/राज्यपाल के पक्ष में पृष्ठांकित.....रूप रकम की बैंक प्रतिभूति देने की अपेक्षा करता है और जबकि बाध्यताधारी को आयुक्त के पास ऊपर उल्लिखित बैंक प्रतिभूति जमा करके ऐसी प्रतिभूति देनी है ।

इस बंधपत्र की शर्त यह है कि बाध्यताधारी और उसका प्रतिनिधि, धारा 60के अधीन अंतिम निर्धारण के संबंध में अधिनियम के सभी उपबंधों का पालन करें;

और यदि ऐसे एकीकृत कर/केन्द्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर या अन्य प्रभारों का जो अंतिम निर्धारण के पश्चात् मांग योग्य होंगे सम्यक् रूप से उक्त अधिकारी द्वारा लिखित में की गई उसकी मांग की तारीख से तीस दिन के भीतर ब्याज, यदि कोई हो, के साथ संदाय कर दिया गया है तो यह बाध्यता शून्य होगी;

अन्यथा और इस शर्त के किसी भाग के भंग या असफल होने के आधार पर उसका पूर्ण बल और आधार होगा ।

और राष्ट्रपति/राज्यपाल, अपने विकल्प पर, बैंक प्रतिभूति की रकम से या ऊपर लिखित बंधपत्र के अधीन अपने अधिकारों का पृष्ठांकन करके या दोनों से सभी हानि और नुकसानों को पूरा करवाएंगे ।

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि यह बंधपत्र, किसी ऐसे कृत्य के अनुपालन के लिए, जिसमें सार्वजनिक हित है, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के आदेश सं 0बनाया गया है;

इसके साक्ष्य स्वरूप बाध्यताधारी )बाध्यताधारियों (द्वारा इसमें इसके पूर्व तारीख को इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

बाध्यताधारी )बाध्यताधारियों के हस्ताक्षर(

तारीख :

स्थान :

साक्षी

(1)नाम और पता

व्यापार

(2)नाम और पता

व्यापार

तारीख :

स्थान :

साक्षी

(1)नाम और पता

व्यापार

(2)नाम और पता

व्यापार

में,..... तारीख).....मास)..... (वर्ष( का ).....पदनाम( को उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति)/राज्य.....(राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से इसे स्वीकार करता हूँ ।

**प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-05**  
**{नियम 98(4) देखें}**  
**प्रतिभूति देना**

1. जीएसटीआईएन					
2. नाम					
3. आदेश जिसके द्वारा प्रतिभूति को विहित किया गया है			आदेश सं०	आदेश की तारीख	
4. दी गई प्रतिभूति का विवरण					
क्र.सं.	माध्यम	संदर्भ सं०/लिए नगद संदाय के लिए नामे प्रविष्टि सं०	तारीख	रकम	बैंक का नाम
1	2	3	4	5	6

टिप्पण: बैंक गारंटी और बंधपत्र की हाई प्रति आदेश में वर्णित तय तारीख को या उससे पूर्व जमा करनी होगी ।

**5. घोषणा--**

(i) ऊपर वर्णित बैंक गारंटी उन माल और सेवाओं के प्रदाय पर अंतरीय कर को सुरक्षित करने के लिए दी गई है जिसकी बाबत मुझे अंतिम आधार पर कर संदाय करने को अनुज्ञात किया गया है ।

(ii) मैं बैंक गारंटी का इसके अवसान से पहले नवीनीकरण कराने का वचन देता हूँ । यदि मैं/हम ऐसा करने में असफल रहते हैं तो विभाग को बैंक से बैंक गारंटी के विरुद्ध संदाय प्राप्त करने की छूट होगी ।

(iii) यदि हम अंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए सुकर बनाने में अपेक्षित दस्तावेज/सूचना देने में असफल रहते हैं, विभाग को अंतिम निर्धारण का आच्छेदन करने के लिए हमारे द्वारा उपबंधित बैंक गारंटी को अवलंब करने की छूट होगी ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर  
नाम  
पदनाम/प्रास्थिति  
तारीख-----



प्ररूप जीएसटी एसएमटी-06  
{नियम 98(5) देखें}

संदर्भ सं०

तारीख

सेवा में

जीएसटी आईएन-----

नाम-----

पता-----

आवेदन संदर्भ सं०-----

तारीख -----

अंतिम निर्धारण आदेश सं०

(तारीख-----)

**अंतिम निर्धारण के लिए अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण/दस्तावेजों को मांगने के लिए सूचना**

कृपया उपरोक्त संदर्भित अंतिम निर्धारण आदेश और आपके आवेदन का संदर्भ लें । निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज अंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए अपेक्षित है -

<< पाठ >>

अतः आप से निवेदन है कि इस सूचना की तामीन की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर सूचना/दस्तावेज का उपबंध करें जिससे कि यह कार्यालय इस मामले में कोई विनिश्चय करने में समर्थ हो सकें । कृपया नोट करें कि यदि नियत तारीख तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो आपका आवेदन, उसको और संदर्भ किए बिना नामंजूर किए जाने का दायी होगा ।

आप से निवेदन है कि << तारीख-----समय-----स्थल >> पर व्यैक्तिक सुनवाई के लिए अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत हों ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्ररूप जीएसटी एसएमटी-07  
{नियम 98(5) देखें}

संदर्भ सं०

तारीख -----

सेवा में

जीएसटी आईएन-----

नाम-----

पता-----

आवेदन संदर्भ सं०-----

तारीख -----

**अंतिम निर्धारण आदेश**

प्रस्तावना << मानक >>

ऊपर संदर्भित अंतिम निर्धारण आदेश के क्रम में और उपलब्ध सूचना/प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के आधार पर अंतिम निर्धारण आदेश निम्नलिखित रूप में जारी किया जाता है :-

संक्षिप्त तथ्य

आवेदक द्वारा निवेदन

चर्चा और निष्कर्ष

निर्णय और आदेश

आदेश के अनुपालन के पश्चात कोई आवेदन फाईल पर प्रयोजन के लिए दी गई प्रतिभूति को वापिस लिया जा सकेगा ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्ररूप जीएसटी एसएमटी-08  
{नियम 98(6) देखें}

प्रतिभूति वापिस लेने के लिए आवेदन

1. जीएसटीआईएन					
2. नाम					
3. वह विवरण जिसके द्वारा प्रतिभूति दी गई				एआरएन	तारीख
4. वापिस ली जाने वाली प्रतिभूति का विवरण					
क्र.सं.	माध्यम	संदर्भ सं0(नगद संदाय के लिए) नामे प्रविष्टि सं0	तारीख	रकम	बैंक का नाम
1	2	3	4	5	6

5. सत्यापन--

मैं-----सत्यनिष्ठापूर्वक यह कथन करता हूँ और धोषणा करता हू कि यहां उपरोक्त में दी गई सूचना मेरे  
जान विश्वास से सत्य और सही है तथा उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

तारीख-----



प्ररूप जीएसटी एसएमटी-09  
{नियम 98(7) देखें}

संदर्भ सं०

तारीख -----

सेवा में

जीएसटी आईएन-----

नाम-----

पता-----

आवेदन संदर्भ सं०-----  
-----

तारीख -----

**प्रतिभूति के निर्मोचन या आवेदन को नामंजूर करने का आदेश**

यह प्रतिभूति की रकम-----रु ( -----रु० शब्दों में ) के निर्मोचन के संबंध में ऊपर वर्णित आपके आवेदन के संदर्भ में है । आपके आवेदन का निरिक्षण किया गया है और उसे सही पाया गया । पूर्वोक्त प्रतिभूति को निर्मोचित किया जाता है ।

**या**

प्रतिभूति के निर्मोचन संबंधी ऊपर संदर्भित आपके आवेदन का निरिक्षण किया गया लेकिन उसे निम्नलिखित कारणों से सही नहीं पाया गया:-

<< पाठ >>

इसलिए प्रतिभूति के निर्मोचन के लिए आवेदन को नामंजूर किया जाता है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

तारीख-----

प्ररूप जीएसटी एसएमटी-10  
{नियम 99(1) देखें}

संदर्भ सं०

तारीख

सेवा में

जीएसटी आईएन-----

नाम-----

पता-----

कर अवधि-----

वि० वर्ष-----

**सर्विक्षा के पश्चात विवरणी में फर्क को सूचित करने के लिए आवेदन**

यह सूचित किया जाता है कि ऊपर संदर्भित कर अवधि के लिए विवरणी की सर्विक्षा के दौरान निम्नलिखित फर्क अवेक्षित किये गये हैं -

<< पाठ >>

आपको,-----तारीख तक फर्कों के लिए कारणों की व्याख्या का निदेश दिया जाता है । यदि उपरोक्त तारीख तक कोई व्याख्या प्राप्त नहीं होती है, यह समझा जाएगा कि आपको मामलों में कुछ नहीं कहना है और इस संबंध में आपको और संदर्भ किये बिना आपके विरुद्ध विधि के अनुसरण में कार्रवाई की जाएगी ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्ररूप जीएसटी एसएमटी-11

{नियम 99(2) देखें}

धारा 61 के अधीनविवरणी में फर्क को सूचित करने के लिए जारी सूचना का उत्तर

1. जीएसटीआईएन		
2. नाम		
3. सूचना का विवरण		संदर्भ सं०
4. कर अवधि		तारीख
5. फर्कों के लिए उत्तर		
क्रम सं.	फर्क	उत्तर

6. स्वीकृत रकम और संदत्त, यदि कोई हो -

अधिनियम	कर	ब्याज	अन्य	कुल

7. सत्यापन

में-----सत्यनिष्ठापूर्वक यह कथन करता हूँ और धोषणा करता हूँ कि यहां उपरोक्त में दी गई सूचना मेरे ज्ञान विश्वास से सत्य और सही है तथा उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

तारीख-----

## जीएसटी एसएमटी प्ररूप12-

[नियम 99(3) देखें]

संदर्भ सं.:

तारीख:

सेवा में,

जीएसटीआईएन

नाम

पता

कर अवधि

-वित्तीय वर्ष

ए .आर.एन - .

तारीख

## धारा 61के अधीन जारी किए गए नोटिस के विरुद्ध प्रतिग्रहण आदेश का उत्तर

यह ,संदर्भ सं.....तारीख.....द्वारा जारी किए गए नोटिस के जवाब में आपके उत्तर तारीख.....के संदर्भ में है । आपका उत्तर संतोषजनक पाया गया है और इस मामले में आगे की कार्रवाई की जानी अपेक्षित है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम



**जीएसटी एसएमटी प्ररूप13-**

**[नियम 100(1) देखें]**

संदर्भ सं.:

तारीख:

सेवा में,

जीएसटीआईएन

नाम

पता

कर अवधि

-वित्तीय वर्ष

विवरणी प्रकार

नोटिस संदर्भ सं

.तारीख

**धारा 62के अधीन निर्धारण आदेश**

उद्देशिका -<< मानक >>

उक्त कर अवधि के लिए विवरणी न भरे जाने के लिए अधिनियम की धारा 46के अधीन आपको जारी किए गए उपरोक्त नोटिस का संदर्भ लें । विभाग के पास उपलब्ध अभिलेख से यह नोटिस किया गया है कि आपने आज तारीख तक उक्त विवरणी नहीं दी है ।

अतः विभाग के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर आपके द्वारा निर्धारण और देय राशि निम्नलिखित है

प्रस्तावना

जमा किया गया ,यदि कोई हो

चर्चा और निष्कर्ष

निष्कर्ष

निर्धारित और देय राशि )ब्यौरे उपाबंध पर (:

(राशि रुपयों में)

क्रम संय	कर अवधि	अधिनि यम	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल							

कृपया नोट करें कि आदेश पारित करने की तारीख तक ब्याज की गणना की गई है । भुगतान करते समय ,आदेश की तारीख और भुगतान की तारीख के बीच की अवधि के लिए ब्याज आदेश में वर्णित बकाया राशि के साथ लिखी जाएगी और भुगतान किया जाएगा ।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप आदेश के तामिल होने की तारीख से 30दिनों की अवधि के भीतर विवरणी दे देते हैं तो आदेश वापस लिया गया समझा जाएगा ,अन्यथा ,उपर्युक्त अवधि के पश्चात् आपके विरुद्ध बकाया राशि वसूल करनी की कार्यवाहियां शुरू की जाएगी ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

## जीएसटी एएसएमटी प्ररूप14-

[नियम 100(2) देखें]

संदर्भ सं.:

तारीख:

सेवा में,

नाम

पता

कर अवधि

-वित्तीय वर्ष

## धारा 63के अधीन निर्धारण के लिए कारण बताओ नोटिस

मेरी जानकारी में यह आया है कि यद्यपि आप /आपकी कंपनी/ फर्म अधिनियम की धारा .....के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए उत्तरदायी है ,रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में असफल रहा है और उक्त अधिनियम के अधीन कर और अन्य दायित्वों को चुकाने में असफल रहा है जो कि निम्नलिखित ब्यौरे में दी गई है :-

संक्षिप्त तथ्य -

आधार -

निष्कर्ष -

या

मेरी जानकारी में यह आया है कि आपका रजिस्ट्रीकरण तारीख .....से धारा 29की उपधारा (2)के अधीन रद्द किया गया है और आप उपरोक्त दर्शित अवधि के लिए कर अदा करने के दायी है ।

अतः आपको यह निदेशिक किया जाता है कि आप कारण बताएं कि क्यों रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होने के बावजूद रजिस्ट्रीकरण के बिना कारबार संचालन के लिए आपके विरुद्ध क्यों न ब्याज सहित कर दायित्व और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण के लिए क्यों न शास्ति अधिरोपित की जाए ।

इस संबंध में ,आपको निदेशित किया जाता है कि आप तारीख.....को समय .....पर हस्ताक्षरित के समक्ष उपस्थित हों।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

**जीएसटी एसएमटी प्ररूप15-**

**[नियम 100(2) देखें]**

संदर्भ सं.:

तारीख:

सेवा में,

अस्थायी पहचान पत्र

नाम

पता

कर अवधि

-वित्तीय वर्ष

एस सी एन संदर्भ सं

**धारा 63के अधीन निर्धारण आदेश**

उद्देशिका -<< मानक >>

आपको जारी किए गए उपरोक्त नोटिस के संदर्भ में वह कारण बताएं कि अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत दायित्व होने के बावजूद ,अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रूप में कारबार संचालन चलाये रखा गया ।

या

आपको जारी किए गए उपरोक्त नोटिस के संदर्भ में वह कारण बताएं कि तारीख .....से धारा 29के उपधारा (2)के अधीन आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द हो गया था ..... ,अवधि के लिए क्यों कर नहीं दिया जाना चाहिए ।

जबकि ,आपके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है या आपका उत्तर तारीख .....को आयोजित कार्यवाही के दौरान विचारणीय नहीं था।

विभाग के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर/कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत अभिलेख में आपके द्वारा निर्धारित और देय राशि निम्नलिखित है:-

प्रस्तावना

जमा किया गया ,यदि कोई हो

निष्कर्ष )छोड़ी गई कार्यवाही या सृजित मांग(

निर्धारण और दायी राशि :-) ब्यौरे उपाबंध पर(

(राशि रूप्यों में)

क्रम संय	कर अवधि	अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल							

कृपया ध्यान दें कि आदेश पारित करने की तारीख तक ब्याज की गणना की गई है। भुगतान करते समय ,आदेश की तारीख और भुगतान की तारीख के बीच की अवधि के लिए ब्याज आदेश में वर्णित बकाया राशि के साथ लिखी जाएगी और भुगतान किया जाएगा ।

आपको यह निदेशित किया जाता है कि भुगतान तारीख .....तक कर दिया जाए जिसके न हो सकने पर आपके विरुद्ध बकाया राशि वसूल करने की कार्यवाहियां शुरु की जाएंगी।

हस्ताक्षर

नाम

## जीएसटी एसएमटी प्ररूप1-6

[नियम 100(3) देखें]

संदर्भ सं.:

तारीख:

सेवा में,

जीएसटीआईएन/पहचान सं०

नाम

पता

कर अवधि

-वित्तीय वर्ष

## धारा 64 के अधीन निर्धारण आदेश

उद्देशिका -&lt;&lt; मानक &gt;&gt;

मेरे यह संज्ञान में लाया गया है कि गोदाम.....(पता) के स्टॉक में या.....(पता और यान के ब्यौरे) पर आस्थित यान में बेहिसाब माल पड़ा हुआ है और आप इस माल का लेखा देने में या माल का ब्यौरे दर्शित करने वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ थे ।

अतः मैं ऐसे माल पर देय कर के निर्धारण के लिए निम्नानुसार कार्यवाही करता हूँ:

प्रस्तावना

विचार विमर्श और निष्कर्ष

निर्णय

निर्धारित और संदेय रकम) ब्यौरे उपाबंध में हैं(

(राशि रुपयों में)

क्रम संख्या	कर अवधि	अधिनियम	कर	ब्याज यदि कोई हो	शास्ति	अन्य	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल योग							

कृपया ध्यान दें कि आदेश पारित करने की तारीख तक ब्याज की संगणना की गई है। संदाय करते समय ,आदेश की तारीख और संदाय की तारीख के बीच की अवधि के लिए ब्याज का भी परिकलन किया जाएगा और उसे आदेश में वर्णित बकाया राशि के साथ संदत्त किया जाएगा ।

आपको.....तारीख यह निदेशित किया जाता है कि भुगतान तारीख .....तक कर दिया जाए जिसके न हो सकने पर आपके विरुद्ध बकाया राशि वसूल करने की कार्यवाहियां शुरु की जाएगी।

हस्ताक्षर

नाम

प्ररूप जीएसटी एएसएमटी17-  
[नियम 100(4) देखें]

धारा 64के अधीन जारी किए गए निर्धारण आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन

1. जी एस टी आई एन/आई डी		
2.नाम		
3. आदेश का विवरण	संदर्भ सं.	आदेश जारी होने की तारीख
4. कर अवधि ,यदि कोई हो		
5. वापस लेने का आधार		
6. सत्यापन		
<p>मैं _____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।</p> <p>प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर</p> <p>नाम _____</p> <p>पदनाम/प्रास्थिति -----</p> <p>तारीख-</p>		

प्ररूप जीएसटी एएसएमटी18-  
[नियम 100(5) देखें]

संदर्भ सं.:

तारीख:

जीएसटीआईएन/आई डी

नाम

पता

ए आर एन-

तारीख-

**धारा (2)64के अधीन दिए गए आवेदन का प्रतिग्रहण या अग्रहित करना ।**

उपरोक्त निर्दिष्ट आपके आवेदन द्वारा दिए गए उत्तर को विचार में लिया गया और अनुक्रम में पाया गया है तथा निर्धारण आदेश सं.....तारीख.....को वापस ले लिया गया है ।

या

उपरोक्त निर्दिष्ट आपके आवेदन द्वारा दिए गए उत्तर निम्नलिखित कारणों के लिए अनुक्रम में नहीं पाए गए हैं :

<<पाठ >>

अतः आपके द्वारा आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन को निरस्त किया जाता है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्ररूप जीएसटी एडीटी 01-

[नियम 101(2) देखें]

संदर्भ सं.:

तारीख:

सेवा में

.....

जी एस टी आई एन.....

नाम.....

पता.....

अवधि-वित्तीय वर्ष (वर्षों) - .....

### लेखा परीक्षा आयोजित करने का नोटिस

जहां यह विनिश्चय किया गया है कि धारा 65के उपबंधों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष )वर्षों.....(से.....के लिए आपकी लेखा और अभिलेखों पुस्तकों का लेखा परीक्षा किया जाएगा । मैं उक्त लेखा परीक्षा को मेरे कार्यालय/ आपके कारबार स्थान पर दिनांक ..... को आयोजित करने का प्रस्ताव करता हूं ।

और जहां आपसे अपेक्षित हो कि:-

(i) इस संदर्भ में यथा अपेक्षित लेखा और अभिलेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आवश्यक सुविधाएं अधोहस्ताक्षरित को उपलब्ध कराएं ,और

(ii) यथा अपेक्षित ऐसी सूचनाओं को देना और लेखा परीक्षा को समय पर पूरा करने के लिए सहायता करना ।

आप को यह निदेशित किया जाता है कि हस्ताक्षरित के समक्ष).....स्थान (पर तारीख .....को व्यक्तिगत रूप से या प्रधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो और लेखा परीक्षा के लिए यथा अपेक्षित पूर्वोक्त वित्तीय वर्ष )वर्षों (के लिए आपना लेखा और अभिलेखों पुस्तकों को प्रस्तुत करें ।

इस नोटिस के अनुपालन न करने की दशा में ,यह समझा जाएगा कि ऐसी लेखा पुस्तकें आपके कब्जे में नहीं हैं और इस संबंध में पत्राचार किए बिना आपके विरुद्ध इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाहियां शुरू करने योग्य समझी जा सकेंगी ।

हस्ताक्षर.....

नाम .....

पदनाम.....

प्ररूप जीएसटी एडीटी 02-

[नियम 101(5) देखें]

संदर्भ सं.:

तारीख:

सेवा में

.....

जीएसटीआईएन.....

नाम.....

पता.....

लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं..... दिनांक .....

**धारा (6)65के अधीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट**

वित्तीय वर्ष.....के लिए आपकी लेखा और अभिलेखों पुस्तकों का परीक्षण किया गया और आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी/दिए गए दस्तावेजों के आधार पर यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है और निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :-

कम संदाय का	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
कर				
ब्याज				
कोई अन्य रकम				

[लेखा परीक्षा अवलोकन अंतर्विष्ट पी डी एफ फाइल अपलोड]

आपको निदेशित किया जाता है कि अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार इस संबंध में आप अपने कानूनी दायित्वों को पूरा करें, जिसके न हो सकने पर अधिनियम के उपबंधों के अधीन आपके विरुद्ध यथोचित कार्यवाहियां शुरू की जा सकेगी।

हस्ताक्षर.....

नाम .....

पदनाम.....



प्ररूप जीएसटी एडीटी 03-

[नियम 102(1) देखें]

संदर्भ सं.:

तारीख:

सेवा में

.....

जीएसटीआईएन.....

नाम.....

पता.....

कर अवधि-वित्तीय वर्ष (वर्षों) - .....

**धारा 66के अधीन विशेष लेखा परीक्षा के आयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से पत्र व्यवहार ।**

जहां विवरणी संविधा/जाच /अंवेषण /.....कार्यवाहियों चल रही हो;

और जहां यह महसूस किया गया है कि आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित).....नाम (चार्टर्ड अकाउन्टेंट /लागत लेखाकार द्वारा आपके लेखा और अभिलेखों पुस्तकों की परीक्षण और लेखा परीक्षा करवाना आवश्यक है ।

आपको निदेशित किया जाता है कि उक्त चार्टर्ड अकाउन्टेंट /लागत लेखाकार द्वारा आपके लेखा और अभिलेखों पुस्तकों का लेखा परीक्षा करवा लें ।

हस्ताक्षर.....

नाम .....

पदनाम.....

## प्ररूप जीएसटी एडीटी 04-

## [नियम 102(2) देखें]

संदर्भ सं.:

तारीख:

सेवा में

.....

जीएसटीआईएन.....

नाम.....

पता.....

## विशेष लेखा परीक्षा पर निष्कर्ष की सूचना

वित्तीय वर्ष.....के लिए आपकी लेखा और अभिलेखों पुस्तकों का परीक्षण )चार्टर्ड आकाउन्टेंट /लागत लेखाकार.....(द्वारा किया गया है और आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी/दिए गए दस्तावेजों के आधार पर यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है और निष्कर्ष विसंगति निम्नलिखित है :-

कम संदाय का	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/यू टी कर	उपकर
कर				
ब्याज				
कोई अन्य रकम				

[लेखा परीक्षा अवलोकन अंतर्विष्ट पी डी एफ फाइल अपलोड/

आपको निदेशित किया जाता है कि अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार इस संबंध में आप अपने कानूनी दायित्वों को पूरा करें ,जिसके न हो सकने पर अधिनियम के उपबंधों के अधीन आपके विरुद्ध यथोचित कार्यवाहियां शुरू की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर.....

नाम .....

पदनाम.....

**प्ररूप जीएसटी एआरए -01**

[नियम 104(1) देखें]

**अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन प्ररूप**

1.	जीएसटीआएन सं./ उपभोक्ता पहचान		
2.	आवेदक का विधिक नाम		
3.	आवेदक के व्यापार का नाम (वैकल्पिक)		
4.	आवेदक की प्रास्थिति [रजिस्ट्रीकृत / अरजिस्ट्रीकृत]		
5.	रजिस्ट्रीकृत पता/ उपभोक्ता पहचान प्राप्त करने के समय दिया गया पता		
6.	पत्राचार का पता ,यदि ऊपर से भिन्न हों		
7.	मोबाइल नंबर [एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ]		
8.	टेलीफोन नंबर [एसटीडी/आईएसडी कोड के साथ]		
9.	ई-मेल पता		
10.	अधिकारिता वाला प्राधिकारी		<<नाम ,पदनाम ,पता>>
11.	i. प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम		वैकल्पिक
	ii. मोबाइल नंबर		iii. ई-मेल पता
12.	कार्यकलाप/कार्यकलापों (की प्रकृति (प्रस्तावित / वर्तमान) जिनके संबंध में अग्रिम विनिर्णय की मांग की गई है		
	अ .प्रवर्ग		
	कारखाना / विनिर्माण	थोक व्यापार	खुदरा व्यापार
	भांडागार/डिपो	बंधित भांडागार	सेवा उपबंध
	कार्यालय/विक्रय कार्यालय	पट्टा कारोबार	सेवा प्राप्तकर्ता
	ईओयू/ एसटीपी/ ईएचटीपी	विशेष आर्थिक जोन	इनपुट सेवा वितरण (आईएसडी)
	कार्य संविदा		
	आ. विवरण (संक्षेप में)		

	(संलग्नक भी फाइल करने के लिए उपबंध)	
13.	विवादक/विवादकों जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है (जहां कहीं लागू हों, चिन्हित करें) :-	
	(i) माल और/या सेवा या दोनों का वर्गीकरण	?
	(ii) अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचना का लागू होना	?
	(iii) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के समय और मूल्य का अवधारण	?
	(iv) संदत्त कर या संदत्त किए जाने के लिए समझा गया कर के इनपुट कर की ग्राह्यता	?
	(v) किसी माल या सेवा या दोनों पर कर के संदाय के दायित्व का अवधारण	?
	(vi) क्या अपीलार्थी के लिए अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना अपेक्षित है	?
	(vii) क्या किसी माल और/या सेवाओं और दोनों के संबंध में आवेदक द्वारा कोई ऐसी विशिष्ट बात की गई है जो माल और/या सेवाओं और दोनों उसके निबंधनों के अर्थात्गत आते हैं या उनके परिणामस्वरूप है	?
14.	प्रश्न जिसके )जिनके (लिए अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है	
15.	उद्धृत प्रश्न )प्रश्नों (के संबंध में सुसंगत तथ्यों का विवरण	
16.	पूर्वोक्त प्रश्न )प्रश्नों (के संबंध में )अर्थात् और ऐसे विवादकों पर अनुरोध जिन पर अग्रिम विनिर्णय की मांग की गई है (आवेदक का ,यथास्थिति, विधि और/या तथ्यों के निर्वचन वाला कथन	
17.	मैं यह घोषणा करता हूं कि आवेदन में उद्धृत प्रश्न (चिन्हित करें) -	
	क. अधिनियम के उपबंधों में किसी उपबंध के अधीन आवेदक के मामले में किसी कार्यवाही में पहले से लंबित नहीं है ख. अधिनियम के उपबंधों में किसी उपबंध के अधीन आवेदक के मामले में किन्हीं कार्यवाहियों में से पहले विनिश्चित नहीं की गई है	
18.	संदाय के व्यौरे	चालान पहचान संख्या (सीआईएन) - तारीख -

### सत्यापन

मैं, \_\_\_\_\_ (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री \_\_\_\_\_ सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर संलग्नक )संलग्नकों(, जिसके अंतर्गत दस्तावेज भी हैं ,मैं जो कथन किया गया है मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है । मैं यह आवेदन \_\_\_\_\_ )पदनाम (के रूप में अपनी हैसियत से कर रहा/रही हूं और मैं यह आवेदन करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं ।

हस्ताक्षर

स्थान \_\_\_\_\_

आवेदक /प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम

तारीख \_\_\_\_\_

पदनाम/प्रास्थिति

प्ररूप जीएसटी एआरए -02

[नियम 106(1) देखें]

अग्रिम विनिर्णय के लिए अपील प्राधिकारी को अपील

क्रम सं.	विशिष्टियां	टिप्पण
1	अग्रिम विनिर्णय सं.	
2	अग्रिम विनिर्णय संसूचित करने की तारीख	दिन/मास/वर्ष
3	अपीलार्थी की जीएसटीआईएन / उपभोक्ता पहचान	
4	अपीलार्थी का विधिक नाम	
5	अपीलार्थी के व्यापार का नाम )वैकल्पिक(	
6	अपीलार्थी का पता जिस पर सूचनाएं भेजी जा सकेंगी	
7	अपीलार्थी का ई-मेल पता	
8	अपीलार्थी का मोबाइल नंबर	
9	अधिकारिता रखने वाला अधिकारी / संबंधित अधिकारी	
10	अधिकारिता रखने वाला अधिकारी / संबंधित अधिकारी का पदनाम	
11	अधिकारिता रखने वाला अधिकारी / संबंधित अधिकारी का ई-मेल पता	
12	अधिकारिता रखने वाला अधिकारी / संबंधित अधिकारी का मोबाइल नंबर	
13	क्या अपीलार्थी व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की वांछा रखता है	हां/नहीं
14.	मामले के तथ्य (संक्षेप में)	
15.	अपील का आधार	
16.	संदाय के ब्यौरे	चालान पहचान सं. (सीआईएन) – तारीख -

### प्रार्थना

पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए आदरपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय अपील प्राधिकारी )स्थान (:

क. जैसी ऊपर प्रार्थना की गई है अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित अग्रिम विनिर्णय को रद्द/संशोधित करने की कृपा करें ;

ख. व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान करें; और

ग. कोई ऐसा )एसे (और या अन्य आदेश पारित करने की कृपा करें जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ठीक और उचित समझे ;

और इस कृपापूर्ण कार्य के लिए अपीलार्थी प्रार्थना करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ है ।

### सत्यापन

में, \_\_\_\_\_ (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री \_\_\_\_\_ सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर संलग्नक )संलग्नकों(, जिसके अंतर्गत दस्तावेज भी हैं ,में जो कथन किया गया है मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है । मैं यह आवेदन \_\_\_\_\_ )पदनाम (के रूप में अपनी हैसियत से कर रहा/रही हूँ और मैं यह आवेदन करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ ।

हस्ताक्षर

स्थान \_\_\_\_\_

आवेदक /प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम

तारीख \_\_\_\_\_

पदनाम/प्रास्थिति



**प्ररूप जीएसटी एआरए -03**

[नियम 106(2) देखें]

**अग्रिम विनिर्णय के लिए अपील प्राधिकरण को अपील**

क्रम सं.	विशिष्टियां	टिप्पण
1	अग्रिम विनिर्णय सं.	
2	अग्रिम विनिर्णय संसूचित करने की तारीख	दिन/मास/वर्ष
3	जीएसटीआईएन, यदि कोई है/व्यक्ति का पहचान पत्र जिसने अग्रिम विनिर्णय की मांग की है	
4	क्रम संख्या 3में विनिर्दिष्ट व्यक्ति का विधिक नाम	
5	अधिकारिता अधिकारी/संबद्ध अधिकारी का नाम और पदनाम	
6	अधिकारिता अधिकारी/संबद्ध अधिकारी का ई-मेल पता	
7	अधिकारिता अधिकारी/संबद्ध अधिकारी का मोबाईल नं०	
8	क्या अधिकारिता अधिकारी/संबद्ध अधिकारी की व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की वांछा रखता है	हां/नहीं
10	<p>अपील का आधार</p> <p style="text-align: center;"><b>प्रार्थना</b></p> <p>पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए आदरपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय अपील प्राधिकारी )स्थान (:                      क .जैसी ऊपर प्रार्थना की गई है अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित अग्रिम विनिर्णय को रद्द/संशोधित करने की कृपा करें ;                      व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान करें ; और                      कोई ऐसा )ऐसे (और या अन्य आदेश पारित करने की कृपा करें जो वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ठीक और उचित समझे ;</p>	

**सत्यापन**

मैं, \_\_\_\_\_ (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री \_\_\_\_\_ सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर संलग्नक )संलग्नकों(, जिसके अंतर्गत दस्तावेज भी हैं ,में जो कथन किया गया है मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है । मैं यह आवेदन \_\_\_\_\_ )पदनाम (के रूप में अपनी हैसियत से कर रहा/रही हूं और मैं यह आवेदन करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं ।

हस्ताक्षर

स्थान \_\_\_\_\_

संबद्ध अधिकारी/अधिकारिता के अधिकारी

तारीख \_\_\_\_\_

का नाम और पदनाम

**प्ररूप जीएसटी एपीएल - 01**

[नियम 108(1) देखें]

**अपील प्राधिकारी को अपील**

1. जीएसटीआईएन/ अस्थायी पहचान/यूआईएन -
2. अपीलार्थी का विधिक नाम -
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हों -
4. पता -
5. आदेश सं. - आदेश की तारीख -
6. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है ,पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम और पता -
7. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है ,की संसूचना की तारीख -
8. प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम -
9. विवादित मामले के ब्यौरे -
  - (i) विवादित मामले के संक्षिप्त विवाचक -
  - (ii) विवादग्रस्त माल/ सेवाओं का विवरण और वर्गीकरण-
  - (iii) विवाद की अवधि-
  - (iv) विवाद के अधीन रकम :

विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
क) कर/ उपकर				
ख) ब्याज				
ग) शास्ति				
घ) फीस				
ङ) अन्य प्रभार				

- (v) अभिगृहीत माल का बाजार मूल्य
10. क्या अपीलार्थी व्यक्तिगत सुनवाई की वांछा रखता है – हां / नहीं
11. तथ्यों का कथन:-
12. अपील के आधार:-
13. प्रार्थना:-
14. सृजित ,स्वीकृत और विवादित मांग की रकम

मांग/ प्रतिदाय की विशिष्टियां	विशिष्टियां		केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल रकम	
सृजित मांग की रकम (अ)	क) कर/ उपकर						< कुल >	< कुल >
	ख) ब्याज						< कुल >	
	ग) शास्ति						< कुल >	
	घ) फीस						< कुल >	
	ड) अन्य प्रभार						< कुल >	
स्वीकृत मांग की रकम (आ)	क) कर/ उपकर						< कुल >	< कुल >
	ख) ब्याज						< कुल >	
	ग) शास्ति						< कुल >	
	घ) फीस						< कुल >	
	ड) अन्य प्रभार						< कुल >	
विवादित मांग की रकम (इ)	क) कर/ उपकर						< कुल >	< कुल >
	ख) ब्याज						< कुल >	
	ग) शास्ति						< कुल >	
	घ) फीस						< कुल >	
	ड) अन्य प्रभार						< कुल >	

15. स्वीकृत रकम और पूर्व निक्षेप के संदाय के ब्यौरे :-  
(क) अपेक्षित संदाय के ब्यौरे

विशिष्टियां		केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	एकीकृत कर	उपकर	कुल रकम
-------------	--	-----------------	-------------------------------	--------------	------	---------

				कर				
क) स्वीकृत रकम	कर / उपकर	कर/ उपकर					< कुल >	< कुल >
	ब्याज						< कुल >	
	शास्ति						< कुल >	
	फीस						< कुल >	
	अन्य प्रभार						< कुल >	
	ख) पूर्व निक्षेप (विवादित कर का 10 प्रतिशत)							

)ख (स्वीकृत रकम और पूर्व निक्षेप के संदाय के ब्यौरे (विवादित कर और उपकर का दस प्रतिशत पूर्व निक्षेप)

क्रम सं.	विवरण	संदेय कर	नकद/ जमा खाते के माध्यम से संदाय	विकलन प्रविष्टि सं.	संदत्त कर की रकम			
					केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सं.	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एकीकृत कर		नकद खाता					
			जमा खाता					
2.	केन्द्रीय कर		नकद खाता					
			जमा खाता					
3.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		नकद खाता					
			जमा खाता					
4.	उपकर		नकद खाता					
			जमा खाता					

)ग (संदाय और संदत्त ब्याज ,शास्ति ,विलंब शुल्क और कोई अन्य रकम

क्रम सं.	विवरण	संदेय रकम				विकलन प्रविष्टि	संदत्त रकम			
		एकीकृत	केन्द्रीय	राज्य/संघ	उपकर		एकीकृत	केन्द्रीय	राज्य/संघ	उपकर

		कर	कर	राज्यक्षेत्र कर		सं.	कर	कर	राज्यक्षेत्र कर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ब्याज									
2.	शास्ति									
3.	विलंब शुल्क									
4.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									

.16क्या विहित अवधि के पश्चात् अपील फाइल की गई है - हां / नहीं

.17यदि मद 16 में 'हां' है -

)क (विलंब की अवधि -

)ख (विलंब के कारण -

### सत्यापन

में, < \_\_\_\_\_ >, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

स्थान:

तारीख:

<हस्ताक्षर>

आवेदक का नाम:

प्ररूप जीएसटी एपीएल - 02

[नियम 108(3) देखें]

अपील प्रस्तुत करने की पावती

<अपीलार्थी का नाम><जीएसटीआईएन/अस्थायी पहचान/यूआईएन/तारीख सहित संदर्भ संख्या >

....के विरुद्ध आपकी अपील सफलतापूर्वक फाइल हो गई है < आवेदन संदर्भ सं. >

1. संदर्भ संख्या-
2. फाइल करने की तारीख-
3. फाइल करने की समय-
4. फाइल करने का स्थान-
5. अपील फाइल करने वाले व्यक्ति का नाम-
6. पूर्व निक्षेप की रकम -
7. अपील के प्रतिग्रहण/नामंजूर करने की तारीख-
8. हाजिर होने की तारीख तारीख : समय:
9. न्यायालय सं./ न्यायपीठ न्यायालय : न्यायपीठ :

स्थान :

तारीख :

< हस्ताक्षर >

नाम:

पदनाम:

अपील प्राधिकारी/अपील अधिकरण/आयुक्त/अपर या संयुक्त आयुक्त की ओर से

प्ररूप जीएसटी एपीएल - 03

[नियम 109(1) देखें]

धारा 107की उपधारा (2)के अधीन अपील प्राधिकारी को आवेदन

1. अपीलार्थी का नाम और पदनाम नाम-  
पदनाम-  
अधिकारिता-  
राज्य/केन्द्र-  
राज्य का नाम-
2. जीएसटीआईएन/ अस्थायी पहचान /यूआईएन-
3. आदेश सं. तारीख-
4. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है ,पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम और पता -
5. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है ,के संसूचना की तारीख-
6. विवादित मामले के ब्यौरे-
  - (i) विवादाधीन मामले के संक्षिप्त विवाद्यक
  - (ii) विवादित माल/ सेवा का विवरण और वर्गीकरण-
  - (iii) विवाद की अवधि-
  - (iv) विवादाधीन रकम-

विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
क) कर/ उपकर				
ख) ब्याज				
ग) शास्ति				
घ) फीस				
ङ) अन्य प्रभार				

7. तथ्यों की कथन-

8. अपील के आधार-
9. प्रार्थना-
10. विवादित मांग की रकम ,यदि कोई हों -

मांग/ प्रतिदाय की विशिष्टियां	विशिष्टियां	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षे त्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल रकम		
	सृजित मांग की रकम (अ)	क) कर/ उपकर				< कुल >	< कुल >	
		ख) ब्याज				< कुल >		
		ग) शास्ति				< कुल >		
		घ) फीस				< कुल >		
		ङ) अन्य प्रभार				< कुल >		
	विवादित मांग की रकम (आ)	क) कर/ उपकर					< कुल >	< कुल >
		ख) ब्याज					< कुल >	
		ग) शास्ति					< कुल >	
		घ) फीस					< कुल >	
		ङ) अन्य प्रभार					< कुल >	
घ) फीस						< कुल >		
ङ) अन्य प्रभार						< कुल >		

तारीख :

< हस्ताक्षर >

आवेदक अधिकारी का नाम :

पदनाम :

अधिकारिता :





## प्ररूप जीएसटी एपीएल - 04

[नियम 113(1) और 115 देखें]

अपील प्राधिकारी ,अधिकरण या न्यायालय द्वारा आदेश जारी करने के पश्चात् मांग का सारांश

आदेश सं. -

आदेश की तारीख -

1. जीएसटी आईएन/ अस्थायी पहचान/यूआईएन -
2. अपीलार्थी का नाम-
3. अपीलार्थी का पता-
4. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है- संख्या- तारीख-
5. अपील सं. तारीख-
6. व्यक्तिगत सुनवाई -
7. संक्षेप में आदेश-
8. आदेश की प्रास्थिति- पुष्टि/उपांतरित/नामंजूर
9. पुष्ट मांग की रकम :

विशिष्टियां	केन्द्रीय कर		राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		एकीकृत कर		उपकर		कुल योग	
	विवादित रकम	अवधारित रकम	विवादित रकम	अवधारित रकम	विवादित रकम	अवधारित रकम	विवादित रकम	अवधारित रकम	विवादित रकम	अवधारित रकम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क) कर										
ख) ब्याज										
ग) शास्ति										
घ) फीस										
ङ) अन्य										
च) प्रतिदाय										

स्थान :

तारीख :

☐

हस्ताक्षर>

< अपील प्राधिकारी का नाम >

पदनाम :

अधिकारिता :



### प्ररूप जीएसटी एपीएल - 05

[नियम 110(1) देखें]

#### अपील अधिकरण को अपील

1. जीएसटीआईएन/ अस्थायी पहचान /यूआईएन -
2. अपीलार्थी का नाम -
3. अपीलार्थी का पता -
4. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है - संख्या- तारीख-
5. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है ,पारित करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता -
6. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है ,की संसूचना की तारीख -
7. प्रतिनिधि का नाम -
8. विवादाधीन मामले के ब्यौरे :
  - i) (विवादाधीन मामले के संक्षिप्त विवाचक
  - ii) (विवादित माल/ सेवाओं का विवरण और वर्गीकरण
  - iii) (विवाद की अवधि
  - iv) (विवादाधीन रकम:

विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
क) कर/ उपकर				
ख) ब्याज				
ग) शास्ति				
घ) फीस				
ङ) अन्य प्रभार				

(V) अभिगृहीत माल का बाजार मूल्य

9. क्या अपीलार्थी व्यक्तिगत सुनवाई की वांछा रखता है ?
10. तथ्यों का कथन
11. अपील का आधार
12. प्रार्थना
13. सृजित विवादित और स्वीकृत मांग के ब्यौरे

मांग की विशिष्टियां	विशिष्टियां		केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल रकम	
							< कुल >	< कुल >
मांग/नामंजूर की गई रकम ,यदि कोई हों (अ)	क) कर/ उपकर						< कुल >	< कुल >
	ख) ब्याज						< कुल >	
	ग) शास्ति						< कुल >	
	घ) फीस						< कुल >	
	ड) अन्य प्रभार						< कुल >	
विवादित मांग की रकम (आ)	क) कर/ उपकर						< कुल >	< कुल >
	ख) ब्याज						< कुल >	
	ग) शास्ति						< कुल >	
	घ) फीस						< कुल >	
	ड) अन्य प्रभार						< कुल >	

स्वीकृत मांग की रकम (इ)	क) कर/ उपकर						< कुल >	< कुल >
	ख) ब्याज						< कुल >	
	ग) शास्ति						< कुल >	
	घ) फीस						< कुल >	
	ड) अन्य प्रभार						< कुल >	

14. स्वीकृत रकम और पूर्व निक्षेप के संदाय के ब्यौरे :-

(क) संदेय रकम के ब्यौरे

विशिष्टियां		केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल रकम	
क) स्वीकृत रकम	कर / उपकर					< कुल >	< कुल >
	ब्याज					< कुल >	
	शास्ति					< कुल >	
	फीस					< कुल >	
	अन्य प्रभार					< कुल >	
ख) पूर्व निक्षेप (विवादित कर का 20 प्रतिशत)	कर/ उपकर					< कुल >	

)ख (स्वीकृत रकम और पूर्व निक्षेप के संदाय के ब्यौरे (विवादित कर और उपकर का बीस



2.	शास्ति									
3.	विलंब शुल्क									
4.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									

### सत्यापन

में, < \_\_\_\_\_ >, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

स्थान:

तारीख:

<हस्ताक्षर>

आवेदक का नाम :

पदनाम/प्रास्थिति :



**प्ररूप जीएसटी एपीएल - 06**

[नियम 110(2) देखें]

(धारा 112 की उपधारा (5) के तहत)

**अपील प्राधिकारी/अपील अधिकरण के समक्ष प्रति आक्षेप**

क्रम सं.	विशिष्टियां				
1	अपील सं. -		फाईल करने की तारीख -		
2	जीएसटी आईएन/ अस्थायी पहचान/यूआईएन-				
3	अपीलार्थी का नाम-				
4	अपीलार्थी का स्थायी पता-				
5	पत्राचार का पता-				
6	आदेश सं.		तारीख-		
7.	आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है ,पारित करने वाला अधिकारी का नाम और पता-				
8.	आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है ,की संसूचना की तारीख				
9.	प्रतिनिधि का नाम-				
10.	विवादाधीन मामले के ब्यौरे-				
(i)	विवादाधीन मामले के संक्षिप्त विवाद्यक-				
(ii)	विवादाधीन माल/ सेवाओं का विवरण और वर्गीकरण-				
(iii)	विवाद की अवधि-				
(iv)	विवादाधीन रकम	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	क) कर				
	ख) ब्याज				

	ग) शास्ति					
	घ) फीस					
	ड) अन्य प्रभार (विनिर्दिष्ट करें)					
(v)	अभिगृहीत माल का बाजार मूल्य-					
11	राज्य या संघ राज्यक्षेत्र और कमीशनरी जिसमें आदेश या विनिश्चय पारित किया गया था , (अधिकारिता के ब्यौरे)-					
12	यथास्थिति ,अपीलार्थी/राज्य/केन्द्रीय कर/संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अपील अधिकरण में फाइल की गई अपील या आवेदन के सूचना की प्राप्ति की तारीख					
13	क्या ऐसे विनिश्चय या आदेश में ,जिसके विरुद्ध अपील की गई है ,प्रदाय के स्थान से संबंधित कोई प्रश्न अंतर्वलित है - हां नहीं					
14	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर/ केन्द्रीय कर आयुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए प्रति आक्षेपों के मामले					
	(i) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का नाम-					
	(ii) आदेश संख्या और आदेश की तारीख-					
	(iii) जीएसटीआईएन/यूआईएन/अस्थायी पहचान-					
	(iv) अंतर्वलित रकम :					
	शीर्ष	कर	ब्याज	शास्ति	प्रतिदाय	कुल
	एकीकृत कर					
	केन्द्रीय कर					
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
	उपकर					
15	संदाय के ब्यौरे					

	शीर्ष	कर	ब्याज	शास्ति	प्रतिदाय	कुल
	एकीकृत कर					
	केन्द्रीय कर					
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
	उपकर					
	एकीकृत कर					
	कुल योग					
16	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर/ केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा फाइल किए गए प्रति आक्षेपों के मामले में :					
	(i)	विवाद की अवधि के लिए मांगे गए कर की रकम को कम करना या घटाया जाना				
	(ii)	विवाद की अवधि के लिए ब्याज की रकम को कम करना या घटाया जाना				
	(iii)	विवाद की अवधि के लिए मंजूर किए गए या अनुज्ञात किए गए प्रतिदाय की रकम				
	(iv)	क्या शास्ति के रूप में रकम अधिरोपित नहीं की गई है या कम अधिरोपित की गई है				
		कुल योग				
17	प्रति आक्षेपों के ज्ञापन में दावा किए गए अनुतोष					
18	प्रतिआक्षेप के आधार					

	<p style="text-align: center;"><b>सत्यापन</b></p> <p>में, _____ प्रत्यर्थी यह घोषणा करता हूं कि जो कुछ ऊपर कथन किया गया है मेरे जानकारी और विश्वास में सत्य है।</p> <p>आज तारीख .....मास.....20.... को सत्यापित किया गया।</p> <p>हस्ताक्षर : तारीख :</p> <p style="text-align: right;"><b>&lt;हस्ताक्षर&gt;</b></p> <p style="text-align: right;">आवेदक/ अधिकारी के हस्ताक्षर : आवेदक/ अधिकारी का पदनाम/ प्रास्थिति:</p>

**प्ररूप जीएसटी एपीएल - 07**

[नियम 111(1) देखें]

**धारा 112की उपधारा (3)के अधीन अपील अधिकरण को आवेदन**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. अपीलार्थी का नाम और पदनाम   | नाम :          |
|  | पदनाम          |
|  | अधिकारिता      |
|  | राज्य/केन्द्र  |
|  | राज्य का नाम : |
| 2. जीएसटीआईएन/ अस्थायी पहचान /यूआईएन-  |                |
| 3. अपील आदेश सं.   | तारीख-         |
| 4. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है ,पारित करने वाले अपील प्राधिकारी का पदनाम और |                |

पता -

5. आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है ,की संसूचना की तारीख
6. विवादाधीन मामले के ब्यौरे :
  - )i (विवादाधीन मामले के संक्षिप्त विवाचक
  - )ii( विवादित माल/ सेवाओं का विवरण और वर्गीकरण
  - )iii (विवाद की अवधि
  - )iv (विवादाधीन रकम:

विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
क) कर/ उपकर				
ख) ब्याज				
ग) शास्ति				
घ) फीस				
ङ) अन्य प्रभार				

7. तथ्यों का कथन
8. अपील के आधार
9. प्रार्थना
10. मांगी गई ,विवादित और स्वीकृत रकम

मांग की विशिष्टियां , यदि कोई हों	विशिष्टियां		केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल रकम		
	सृजित मांग की रकम , यदि कोई हों	क) कर/ उपकर						< कुल >	< कुल >
		ख) ब्याज						< कुल >	
		ग) शास्ति						< कुल	

	(अ)						>	
		घ) फीस					< कुल >	
		ड) अन्य प्रभार					< कुल >	
	विवादाधीन रकम (आ)	क) कर/ उपकर					< कुल >	< कुल >
		ख) ब्याज					< कुल >	
		ग) शास्ति					< कुल >	
		घ) फीस					< कुल >	
		ड) अन्य प्रभार					< कुल >	

स्थान :

तारीख :

< हस्ताक्षर >

अधिकारी का नाम :

पदनाम :

अधिकारिता :

प्ररूप जीएसटी एपीएल 8-

)नियम 114(1) देखें(

धारा 117के अधीन उच्च न्यायालय को अपील

1. ....कराधेय व्यक्ति/ .....सरकार द्वारा फाइल अपील
2. जीएसटीआईएन/अस्थाई आईडी/युआईएन  
अपीलार्थी/अधिकारी .....का नाम --
3. अपीलार्थी का स्थाई पता ,यदि लागू हो :

4. संसूचना का पता :
5. विरुद्ध अपील किया गया आदेश .....संख्या .....तारीख
6. विरुद्ध अपील किए गए आदेश को पारित करने वाले अपीलीय अधिकरण का नाम और पता:
7. विरुद्ध अपील किए गए आदेश की संसूचना की तारीख :
8. प्रतिनिधि का नाम :
9. विवादित मामले के ब्यौरे :
  - i. सिनोप्सेस के साथ विवादित मामले का संक्षिप्त विवाध्यक :
  - ii. विवादित मालों/सेवाओं का विवरण और वर्गीकरण :
  - iii. विवाद की अवधि :
  - iv. विवादित रकम :

विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य/यूटी कर	एकीकृत कर	उपकर
)क (कर/उपकर				
)ख (ब्याज				
)ग (शास्ति				
)घ (फीस				
)ङ (अन्य प्रभार				

)V (जब्त किए गए मालों का बाजार मूल्य :

- .10तथ्यों का कथन
- .11अपील के आधार
- .12प्रार्थना
- .13अपील के आधारों से संबंधित उपाबंध )उपाबंधों (:

**सत्यापन**

मैं .....सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

**प्ररूप जीएसटी टीआरएन-1  
(नियम 117(1), 118, 119 और 120 देखें)**

संक्रमणकालीन आईटीसी/स्टॉक विवरण

1. जीएसटीआईएन -
2. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम -
3. व्यापार नाम, यदि कोई है -
4. क्या नियत दिन से तुरंत पूर्ववर्ती छह मास की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां दी गई हैं --:हां/नहीं
5. विद्यमान विधि के अधीन फाइल की गई विवरणी में कर प्रत्यय की अग्रणीत रकम:

(क (केन्द्रीय कर धारा (1)140और धारा (4)140क के रूप में इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते से अग्रणीत सेनवेट प्रत्यय की रकम

क्रम सं०	विद्यमान विधि (केन्द्रीय उत्पाद और सेवा कर) के अधीन रजिस्ट्रीकरण सं०	कर अवधि जिसके लिए संबंधित विद्यमान विधि के अधीन अंतिम विवरणी दाखिल की गई	स्तंभ सं० 3 में विनिर्दिष्ट विवरणी फाइल करने की तारीख	उक्त अंतिम विवरणी में अग्रणीत सेनवेट प्रत्यय का अतिशेष	संक्रमणकालीन उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय कर के आईटीसी के रूप में ग्राह्य सेनवेट प्रत्यय
1	2	3	4	5	6
	कुल				

अवधि: 1<sup>st</sup> अप्रैल 2015 से 30<sup>th</sup> जून 2017

(ख (प्राप्त कानूनी प्ररूपों के ब्यौरे जिसके लिए प्रत्यय अग्रणीत किया जाना है

जारीकर्ता का टीआईएन	जारीकर्ता का नाम	प्ररूप की क्रम संख्या	रकम	लागू मूल्य वर्धित कर की दर
<b>सी-प्ररूप</b>				
<b>कुल</b>				
<b>एफ-प्ररूप</b>				
<b>कुल</b>				
<b>एच/आई-प्ररूप</b>				
<b>कुल योग</b>				









1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कुल							

9. धारा 141 के अधीन प्रिंसिपल की ओर से कार्य कर्मकार को भेजे गए और उसके स्टॉक में धारित माल का ब्यौरा

क. धारा 141 के अधीन कार्य कर्मकार को प्रिंसिपल के द्वारा भेजे गए माल का ब्यौरा

क्र. सं०	चालान सं०	चालान तारीख	माल का प्रकार (इनपुट/अर्द्धपरिरूपित/ परिरूपित)	कार्य कर्मकार के पास माल का ब्यौरा				
				एचएस न	विवरण	इकाई	परिमाण	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			कार्य कर्मकार का जीएसटीआईएन, यदि उपलब्ध हो					
	कुल							

ख. धारा 141 के अधीन प्रिंसिपल की ओर से कार्य कर्मकार के रूप में स्टॉक में धारित माल का ब्यौरा

क्र. सं०	चालान सं०	चालान तारीख	माल का प्रकार (इनपुट/अर्द्धपरिरूपित/ परिरूपित)	कार्य कर्मकार के पास माल का ब्यौरा				
				एचएस न	विवरण	इकाई	परिमाण	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			विनिर्माता का जीएसटीआईएन					
	कुल							

10. राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 142 (14) के अधीन प्रिंसिपल की ओर से अभिकर्ता के रूप में स्टॉक में धारित माल का ब्यौरा

क. प्रिंसिपल की ओर से अभिकर्ता के रूप में धारित माल का ब्यौरा

क्र. सं०	प्रिंसिपल का जीएसटीआईएन	अभिकर्ता के पास माल का ब्यौरा				
		विवरण	इकाई	परिमाण	मूल्य	लिया जाने वाला इनपुट कर
1	2	3	4	5	6	7

ख. अभिकर्ता द्वारा धारित माल का ब्यौरा

क्र. सं०	मूल का जीएसटीआईएन	अभिकर्ता के पास माल का ब्यौरा				
		विवरण	इकाई	परिमाण	मूल्य	लिया जाने वाला इनपुट कर

						कर
1	2	3	4	5	6	7

11. धारा 142 (11(ग)के निबंधनों में उपभुक्त प्रत्यय का ब्यौरा

क्र.सं.	मूल्य वर्धित कर की रजिस्ट्रीकरण सं०	सेवा कर की रजिस्ट्रीकरण सं०	बीजक/दस्ता वेज सं०	बीजक/दस्तावेज तारीख	कर संदत्त	मूल्य वर्धित कर संदत्त एसजीएसटी प्रत्यय के रूप में /लिया या केन्द्रीय कर प्रत्यय के रूप में सेवा कर संदत्त
1	2	3	4	5	6	7
			कुल			

12. नियत दिन से छह: मास पूर्व अनुमोदन आधार पर भेजे गए माल का ब्यौरा (धारा 142(12))

क्रम. सं.	दस्तावेज सं.	दस्तावेज तारीख	प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन सं) 0यदि लागू हो(	प्राप्तिकर्ता का नाम और पता	अनुमोदन आधार पर भेजे गए माल का ब्यौरा				
					एचएसए	विवरण	इकाई	परिमाण	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	कुल								

सत्यापन (प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा)

मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

हस्ताक्षर

प्राधिकृत

स्थान

हस्ताक्षरी का नाम .....

तारीख

पदनाम/प्रास्थिति.....

**प्ररूप जीएसटी टीआरएन-2**  
**(नियम 117(4) देखें)**

1. जीएसटीआईएन -
2. कराधेय व्यक्ति का नाम
3. कर अवधि : मास..... वर्ष.....
4. नियत दिन पर स्टॉक में धारित इनपुट के संदर्भ में जिसका कोई बीजक/दस्तावेज इलैक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते से अग्रणीत कर संदाय के साक्ष्य के रूप में कब्जे में नहीं है का ब्यौरा

कर अवधि का आरंभिक स्टॉक			किया गया जावक प्रदाय					अंतिम शेष
एचएसएन (6 अंकीय स्तर पर)	इकाई	परिमाण	परिमाण	मूल्य	केन्द्रीय कर	एकीकृत कर	आईटीसी अनुज्ञात	परिमाण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. ऊपर 4 में उल्लिखित स्टॉक पर राज्य कर पर प्रत्यय )केवल उन्ही राज्यों में जिनमें मूल्य वर्धित कर एकल बिंदु पर है(

कर अवधि का आरंभिक स्टॉक			किया गया जावक प्रदाय					अंतिम शेष
एचएसएन (6 अंकीय स्तर पर)	इकाई	परिमाण	परिमाण	मूल्य	केन्द्रीय कर	एकीकृत कर	आईटीसी अनुज्ञात	परिमाण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

सत्यापन (प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा)

में, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान  
हस्ताक्षरी का नाम .....

हस्ताक्षर  
प्राधिकृत

तारीख

पदनाम/प्रास्थिति.....

(सं०सं०-बिक्री-कर/जी०एस०टी०/विविध-13/2017-2207.),

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

29 जून 2017

एस०ओ० 104, एस०ओ० 103, दिनांक 29 जून 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०सं०-बिक्री-कर/जी०एस०टी०/विविध-13/2017-2207.),

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

*The 29<sup>th</sup> June 2017*

S.O. 103, dated the 29<sup>th</sup> June 2017—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), The Governor of Bihar hereby makes the following rules, namely:-

#### Chapter I

#### PRELIMINARY

**1. Short title and Commencement.**-(1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017.

(2) They shall come into force with effect from date of its issuance.

**2. Definitions.**- In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017);
- (b) “FORM” means a Form appended to these rules;
- (c) “Section” means a section of the Act;
- (d) “Special Economic Zone” shall have the same meaning as assigned to it in clause (za) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);
- (e) words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

#### Chapter II

#### COMPOSITION RULES

**3. Intimation for composition levy.**- (1) Any person who has been granted registration on a provisional basis under clause (b) of sub-rule (1) of rule 24 and who opts to pay tax under section 10, shall electronically file an intimation in FORM GST CMP-01, duly signed or verified through electronic verification code, on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, prior to the appointed day, but not later than thirty days after the said day, or such further period as may be extended by the Commissioner in this behalf:

Provided that where the intimation in FORM GST CMP-01 is filed after the appointed day, the registered person shall not collect any tax from the appointed day but shall issue bill of supply for supplies made after the said day.

(2) Any person who applies for registration under sub-rule (1) of rule 8 may give an option to pay tax under section 10 in Part B of FORM GST REG-01, which shall be considered as an intimation to pay tax under the said section.

(3) Any registered person who opts to pay tax under section 10 shall electronically file an intimation in FORM GST CMP-02, duly signed or verified through electronic verification code, on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, prior to the commencement of the financial year for which the option to pay tax under the aforesaid section is exercised and shall furnish the statement in FORM GSTITC-03 in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 44 within a period of sixty days from the commencement of the relevant financial year.

(4) Any person who files an intimation under sub-rule (1) to pay tax under section 10 shall furnish the details of stock, including the inward supply of goods received from unregistered persons, held by him on the day preceding the date from which he opts to pay

tax under the said section, electronically, in FORM GST CMP-03, on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, within a period of sixty days from the date on which the option for composition levy is exercised or within such further period as may be extended by the Commissioner in this behalf.

(5) Any intimation under sub-rule (1) or sub-rule (3) in respect of any place of business in any State or Union territory shall be deemed to be an intimation in respect of all other places of business registered on the same Permanent Account Number.

4. Effective date for composition levy.- (1) The option to pay tax under section 10 shall be effective from the beginning of the financial year, where the intimation is filed under sub-rule (3) of rule 3 and the appointed day where the intimation is filed under sub-rule (1) of the said rule.

(2) The intimation under sub-rule (2) of rule 3, shall be considered only after the grant of registration to the applicant and his option to pay tax under section 10 shall be effective from the date fixed under sub-rule (2) or (3) of rule 10.

5. Conditions and restrictions for composition levy.- (1) The person exercising the option to pay tax under section 10 shall comply with the following conditions, namely:-

- (a) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person;
- (b) the goods held in stock by him on the appointed day have not been purchased in the course of inter-State trade or commerce or imported from a place outside India or received from his branch situated outside the State or from his agent or principal outside the State, where the option is exercised under sub-rule (1) of rule 3;
- (c) the goods held in stock by him have not been purchased from an unregistered supplier and where purchased, he pays the tax under sub-section (4) of section 9;
- (d) he shall pay tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 on inward supply of goods or services or both;
- (e) he was not engaged in the manufacture of goods as notified under clause (e) of sub-section (2) of section 10, during the preceding financial year;
- (f) he shall mention the words “composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies” at the top of the bill of supply issued by him; and
- (g) he shall mention the words “composition taxable person” on every notice or signboard displayed at a prominent place at his principal place of business and at every additional place or places of business.

(2) The registered person paying tax under section 10 may not file a fresh intimation every year and he may continue to pay tax under the said section subject to the provisions of the Act and these rules.

6. Validity of composition levy.- (1) The option exercised by a registered person to pay tax under section 10 shall remain valid so long as he satisfies all the conditions mentioned in the said section and under these rules.

(2) The person referred to in sub-rule (1) shall be liable to pay tax under sub-section (1) of section 9 from the day he ceases to satisfy any of the conditions mentioned in section 10 or the provisions of this Chapter and shall issue tax invoice for every taxable supply



made thereafter and he shall also file an intimation for withdrawal from the scheme in FORM GST CMP-04 within seven days of the occurrence of such event.

(3) The registered person who intends to withdraw from the composition scheme shall, before the date of such withdrawal, file an application in FORM GST CMP-04, duly signed or verified through electronic verification code, electronically on the common portal.

(4) Where the proper officer has reasons to believe that the registered person was not eligible to pay tax under section 10 or has contravened the provisions of the Act or provisions of this Chapter, he may issue a notice to such person in FORM GST CMP-05 to show cause within fifteen days of the receipt of such notice as to why the option to pay tax under section 10 shall not be denied.

(5) Upon receipt of the reply to the show cause notice issued under sub-rule (4) from the registered person in FORM GST CMP-06, the proper officer shall issue an order in FORM GST CMP-07 within a period of thirty days of the receipt of such reply, either accepting the reply, or denying the option to pay tax under section 10 from the date of the option or from the date of the event concerning such contravention, as the case may be.

(6) Every person who has furnished an intimation under sub-rule (2) or filed an application for withdrawal under sub-rule (3) or a person in respect of whom an order of withdrawal of option has been passed in FORM GST CMP-07 under sub-rule (5), may electronically furnish at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, a statement in FORM GST ITC-01 containing details of the stock of inputs and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock by him on the date on which the option is withdrawn or denied, within a period of thirty days from the date from which the option is withdrawn or from the date of the order passed in FORM GST CMP-07, as the case may be.

(7) Any intimation or application for withdrawal under sub-rule (2) or (3) or denial of the option to pay tax under section 10 in accordance with sub-rule (5) in respect of any place of business in any State or Union territory, shall be deemed to be an intimation in respect of all other places of business registered on the same Permanent Account Number.

7. Rate of tax of the composition levy.- The category of registered persons, eligible for composition levy under section 10 and the provisions of this Chapter, specified in column (2) of the Table below shall pay tax under section 10 at the rate specified in column (3) of the said Table:-

Sl. No.	Category of registered persons	Rate of tax
(1)	(2)	(3)
1	Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government	One per cent.
2	Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II	Two and a half per cent.
3	Any other supplier eligible for composition levy under section 10 and the provisions of this Chapter	Half per cent.

## REGISTRATION

**8. Application for registration.**-(1) Every person, other than a non-resident taxable person, a person required to deduct tax at source under section 51, a person required to collect tax at source under section 52 and a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) who is liable to be registered under sub-section (1) of section 25 and every person seeking registration under sub-section (3) of section 25 (hereafter in this Chapter referred to as “the applicant”) shall, before applying for registration, declare his Permanent Account Number, mobile number, email address, State or Union territory in **Part A** of **FORM GST REG-01** on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that a person having a unit(s) in a Special Economic Zone or being a Special Economic Zone developer shall make a separate application for registration as a business vertical distinct from his other units located outside the Special Economic Zone:

Provided further that every person being an Input Service Distributor shall make a separate application for registration as such Input Service Distributor.

(2) (a) The Permanent Account Number shall be validated online by the common portal from the database maintained by the Central Board of Direct Taxes.

(b) The mobile number declared under sub-rule (1) shall be verified through a one-time password sent to the said mobile number; and

(c) The e-mail address declared under sub-rule (1) shall be verified through a separate one-time password sent to the said e-mail address.

(3) On successful verification of the Permanent Account Number, mobile number and email address, a temporary reference number shall be generated and communicated to the applicant on the said mobile number and e-mail address.

(4) Using the reference number generated under sub-rule (3), the applicant shall electronically submit an application in **Part B** of **FORM GST REG-01**, duly signed or verified through electronic verification code, along with the documents specified in the said Form at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(5) On receipt of an application under sub-rule (4), an acknowledgement shall be issued electronically to the applicant in FORM GST REG-02.

(6) A person applying for registration as a casual taxable person shall be given a temporary reference number by the common portal for making advance deposit of tax in accordance with the provisions of section 27 and the acknowledgement under sub-rule (5) shall be issued electronically only after the said deposit.

**9. Verification of the application and approval.**-(1) The application shall be forwarded to the proper officer who shall examine the application and the accompanying

documents and if the same are found to be in order, approve the grant of registration to the applicant within a period of three working days from the date of submission of the application.

(2) Where the application submitted under rule 8 is found to be deficient, either in terms of any information or any document required to be furnished under the said rule, or where the proper officer requires any clarification with regard to any information provided in the application or documents furnished therewith, he may issue a notice to the applicant electronically in **FORM GST REG-03** within a period of three working days from the date of submission of the application and the applicant shall furnish such clarification, information or documents electronically, in **FORM GST REG-04**, within a period of seven working days from the date of the receipt of such notice.

*Explanation.-* For the purposes of this sub-rule, the expression “clarification” includes

modification or correction of particulars declared in the application for registration, other than Permanent Account Number, State, mobile number and e-mail address declared in Part A of **FORM GST REG-01**.

(3) Where the proper officer is satisfied with the clarification, information or documents furnished by the applicant, he may approve the grant of registration to the applicant within a period of seven working days from the date of the receipt of such clarification or information or documents.

(4) Where no reply is furnished by the applicant in response to the notice issued under sub-rule (2) or where the proper officer is not satisfied with the clarification, information or documents furnished, he shall, for reasons to be recorded in writing, reject such application and inform the applicant electronically in **FORM GST REG-05**. If the proper officer fails to take any action, -

(a) within a period of three working days from the date of submission of the application; or

(b) within a period of seven working days from the date of the receipt of the clarification, information or documents furnished by the applicant under sub-rule (2), the application for grant of registration shall be deemed to have been approved.

**10. Issue of registration certificate.-** (1) Subject to the provisions of sub-section (12) of section 25, where the application for grant of registration has been approved under rule 9, a certificate of registration in **FORM GST REG-06** showing the principal place of business and additional place or places of business shall be made available to the applicant on the common portal and a Goods and Services Tax Identification Number shall be assigned subject to the following characters, namely:-

- (a) two characters for the State code;
- (b) ten characters for the Permanent Account Number or the Tax Deduction and Collection Account Number;
- (c) two characters for the entity code; and
- (d) one checksum character.

(2) The registration shall be effective from the date on which the person becomes liable to registration where the application for registration has been submitted within a period of thirty days from such date.

(3) Where an application for registration has been submitted by the applicant after the expiry of thirty days from the date of his becoming liable to registration, the effective date of registration shall be the date of the grant of registration under sub-rule (1) or sub-rule (3) or sub-rule (5) of rule 9.

(4) Every certificate of registration shall be duly signed or verified through electronic verification code by the proper officer under the Act.

(5) Where the registration has been granted under sub-rule (5) of rule 9, the applicant shall be communicated the registration number, and the certificate of registration under subrule (1), duly signed or verified through electronic verification code, shall be made available to him on the common portal, within a period of three days after the expiry of the period specified in sub-rule (5) of rule 9.

### **11. Separate registration for multiple business verticals within a State or a Union**

**territory.-** (1) Any person having multiple business verticals within a State or a Union territory, requiring a separate registration for any of its business verticals under sub-section (2) of section 25 shall be granted separate registration in respect of each of the verticals subject to the following conditions, namely:-

(a) such person has more than one business vertical as defined in clause (18) of section 2;

(b) the business vertical of a taxable person shall not be granted registration to pay tax under section 10 if any one of the other business verticals of the same person is paying tax under section 9;

(c) all separately registered business verticals of such person shall pay tax under the Act on supply of goods or services or both made to another registered business vertical of such person and issue a tax invoice for such supply.

*Explanation.-* For the purposes of clause (b), it is hereby clarified that where any business vertical of a registered person that has been granted a separate registration becomes ineligible to pay tax under section 10, all other business verticals of the said person shall become ineligible to pay tax under the said section.

(2) A registered person eligible to obtain separate registration for business verticals may submit a separate application in FORM GST REG-01 in respect of each such vertical.

(3) The provisions of **rule 9 and rule 10** relating to the verification and the grant of registration shall, *mutatis mutandis*, apply to an application submitted under this rule.

### **12. Grant of registration to persons required to deduct tax at source or to collect tax at source.-** (1) Any person required to deduct tax in accordance with the provisions of section 51 or a person required to collect tax at source in accordance with the

provisions of section 52 shall electronically submit an application, duly signed or verified through electronic verification code, in FORM GST REG-07 for the grant of registration through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(2) The proper officer may grant registration after due verification and issue a certificate of registration in FORM GST REG-06 within a period of three working days from the date of submission of the application.

(3) Where, upon an enquiry or pursuant to any other proceeding under the Act, the proper officer is satisfied that a person to whom a certificate of registration in FORM GST REG-06 has been issued is no longer liable to deduct tax at source under section 51 or collect tax at source under section 52, the said officer may cancel the registration issued under sub-rule (2) and such cancellation shall be communicated to the said person electronically in **FORM GST REG-08**:

Provided that the proper officer shall follow the procedure as provided in rule 22 for the cancellation of registration.

**13. Grant of registration to non-resident taxable person.-** (1) A non-resident taxable person shall electronically submit an application, along with a self-attested copy of his valid passport, for registration, duly signed or verified through electronic verification code, in FORM GST REG-09, at least five days prior to the commencement of business at the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that in the case of a business entity incorporated or established outside India, the application for registration shall be submitted along with its tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the Government of that country or its Permanent Account Number, if available.

(2) A person applying for registration as a non-resident taxable person shall be given a

temporary reference number by the common portal for making an advance deposit of tax in accordance with the provisions of section 27 and the acknowledgement under sub-rule (5) of rule 8 shall be issued electronically only after the said deposit in his electronic cash ledger.

(3) The provisions of rule 9 and rule 10 relating to the verification and the grant of registration shall, *mutatis mutandis*, apply to an application submitted under this rule.

(4) The application for registration made by a non-resident taxable person shall be duly signed or verified through electronic verification code by his authorised signatory who shall be a person resident in India having a valid Permanent Account Number.

**14. Grant of registration to a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient.-**(1) Any person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient shall electronically submit an application for registration, duly signed or verified through electronic verification

code, in **FORM GST REG-10**, at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(2) The applicant referred to in sub-rule (1) shall be granted registration, in FORM GST REG-06, subject to such conditions and restrictions and by such officer as may be notified by the Central Government on the recommendations of the Council.

**15. Extension in period of operation by casual taxable person and non-resident taxable person.-** (1) Where a registered casual taxable person or a non-resident taxable person intends to extend the period of registration indicated in his application of registration, an application in FORM GST REG-11 shall be submitted electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, by such person before the end of the validity of registration granted to him.

(2) The application under sub-rule (1) shall be acknowledged only on payment of the amount specified in sub-section (2) of section 27.

**16. Suo moto registration.-** (1) Where, pursuant to any survey, enquiry, inspection, search or any other proceedings under the Act, the proper officer finds that a person liable to registration under the Act has failed to apply for such registration, such officer may register the said person on a temporary basis and issue an order in **FORM GST REG- 12**.

(2) The registration granted under sub-rule (1) shall be effective from the date of such order granting registration.

(3) Every person to whom a temporary registration has been granted under sub-rule (1) shall, within a period of ninety days from the date of the grant of such registration, submit an application for registration in the form and manner provided in rule 8 or rule 12: Provided that where the said person has filed an appeal against the grant of temporary registration, in such case, the application for registration shall be submitted within a period of thirty days from the date of the issuance of the order upholding the liability to registration by the Appellate Authority.

(4) The provisions of rule 9 and rule 10 relating to verification and the issue of the certificate of registration shall, *mutatis mutandis*, apply to an application submitted under sub-rule (3).

(5) The Goods and Services Tax Identification Number assigned, pursuant to the verification under sub-rule (4), shall be effective from the date of the order granting registration under sub-rule (1).

**17. Assignment of Unique Identity Number to certain special entities.-** (1) Every person required to be granted a Unique Identity Number in accordance with the provisions of subsection (9) of section 25 may submit an application electronically in FORM GST REG-13, duly signed or verified through electronic verification code, in the manner specified in rule 8 at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(2) The proper officer may, upon submission of an application in FORM GST REG-13 or after filling up the said form, assign a Unique Identity Number to the said person and issue a certificate in FORM GST REG-06 within a period of three working days from the date of the submission of the application.

**18. Display of registration certificate and Goods and Services Tax Identification**



**Number on the name board.-** (1) Every registered person shall display his certificate of registration in a prominent location at his principal place of business and at every additional place or places of business.

(2) Every registered person shall display his Goods and Services Tax Identification Number on the name board exhibited at the entry of his principal place of business and at every additional place or places of business.

**19. Amendment of registration.-** (1) Where there is any change in any of the particulars furnished in the application for registration in FORM GST REG-01 or FORM GST REG- 07 or FORM GST REG-09 or FORM GST REG-10 or for Unique Identity Number in FORM GST-REG-13, either at the time of obtaining registration or Unique Identity Number or as amended from time to time, the registered person shall, within a period of fifteen days of such change, submit an application, duly signed or verified through electronic verification code, electronically in FORM GST REG-14, along with the documents relating to such change at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that – (a) where the change relates to,-

(i) legal name of business;

(ii) address of the principal place of business or any additional place(s) of business;

or

(iii) addition, deletion or retirement of partners or directors, Karta, Managing Committee, Board of Trustees, Chief Executive Officer or equivalent, responsible for the day to day affairs of the business,-

which does not warrant cancellation of registration under section 29, the proper officer shall, after due verification, approve the amendment within a period of fifteen working days from the date of the receipt of the application in FORM GST REG-14 and issue an order in FORM GST REG-15 electronically and such amendment shall take effect from the date of the occurrence of the event warranting such amendment;

(b) the change relating to sub-clause (i) and sub-clause (iii) of clause (a) in any State or Union territory shall be applicable for all registrations of the registered person obtained under the provisions of this Chapter on the same Permanent Account Number;

(c) where the change relates to any particulars other than those specified in clause (a), the certificate of registration shall stand amended upon submission of the application in FORM GST REG- 14 on the common portal;

(d) where a change in the constitution of any business results in the change of the Permanent Account Number of a registered person, the said person shall apply for fresh registration in FORM GST REG-01:

Provided further that any change in the mobile number or e-mail address of the authorised signatory submitted under this rule, as amended from time to time, shall be carried out only after online verification through the common portal in the manner provided under sub-rule (2) of rule 8.

(2) Where the proper officer is of the opinion that the amendment sought under sub-rule (1) is either not warranted or the documents furnished therewith are incomplete or incorrect, he may, within a period of fifteen working days from the date of the receipt of the application in FORM GST REG-14, serve a notice in FORM GST REG-03, requiring the registered person to show cause, within a period of seven working days of the service of the said notice, as to why the application submitted under sub-rule (1) shall not be rejected.

(3) The registered person shall furnish a reply to the notice to show cause, issued under sub-rule (2), in FORM GST REG-04, within a period of seven working days from the date of the service of the said notice.

(4) Where the reply furnished under sub-rule (3) is found to be not satisfactory or where no reply is furnished in response to the notice issued under sub-rule (2) within the period prescribed in sub-rule (3), the proper officer shall reject the application submitted under sub-rule (1) and pass an order in FORM GST REG -05.

(5) If the proper officer fails to take any action,-

- (a) within a period of fifteen working days from the date of submission of the application, or
- (b) within a period of seven working days from the date of the receipt of the reply to the notice to show cause under sub-rule (3),

the certificate of registration shall stand amended to the extent applied for and the amended certificate shall be made available to the registered person on the common portal.

**20. Application for cancellation of registration.-** A registered person, other than a person to whom a registration has been granted under rule 12 or a person to whom a Unique Identity Number has been granted under rule 17, seeking cancellation of his registration under subsection (1) of section 29 shall electronically submit an application in FORM GST REG-16, including therein the details of inputs held in stock or inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and of capital goods held in stock on the date from which the cancellation of registration is sought, liability thereon, the details of the payment, if any, made against such liability and may furnish, along with the application, relevant documents in support thereof, at the common portal within a period of thirty days of the occurrence of the event warranting the cancellation, either directly or through a Facilitation Centre notified

by the Commissioner:

Provided that no application for the cancellation of registration shall be considered in case of a taxable person, who has registered voluntarily, before the expiry of a period of one year from the effective date of registration.

**21. Registration to be cancelled in certain cases.-** The registration granted to a person is liable to be cancelled, if the said person,-

- (a) does not conduct any business from the declared place of business; or
- (b) issues invoice or bill without supply of goods or services in violation of the provisions of this Act, or the rules made thereunder ; or
- (c) violates the provisions of section 171 of the Act or the rules made thereunder.

**22. Cancellation of registration.-** (1) Where the proper officer has reasons to believe that the registration of a person is liable to be cancelled under section 29, he shall issue a notice to such person in **FORM GST REG-17**, requiring him to show cause, within a period of seven working days from the date of the service of such notice, as to why his registration shall not be cancelled.



(2) The reply to the show cause notice issued under sub-rule (1) shall be furnished in FORM REG-18 within the period specified in the said sub-rule.

(3) Where a person who has submitted an application for cancellation of his registration is no longer liable to be registered or his registration is liable to be cancelled, the proper officer shall issue an order in FORM GST REG-19, within a period of thirty days from the date of application submitted under rule 20 or, as the case may be, the date of the reply to the show cause issued under sub-rule (1), cancel the registration, with effect from a date to be determined by him and notify the taxable person, directing him to pay arrears of any tax, interest or penalty including the amount liable to be paid under sub-section (5) of section 29.

(4) Where the reply furnished under sub-rule (2) is found to be satisfactory, the proper officer shall drop the proceedings and pass an order in **FORM GST REG -20**.

(5) The provisions of sub-rule (3) shall, *mutatis mutandis*, apply to the legal heirs of a deceased proprietor, as if the application had been submitted by the proprietor himself.

**23. Revocation of cancellation of registration.-** (1) A registered person, whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion, may submit an application for revocation of cancellation of registration, in **FORM GST REG-21**, to such proper officer, within a period of thirty days from the date of the service of the order of cancellation of registration at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that no application for revocation shall be filed, if the registration has been cancelled for the failure of the registered person to furnish returns, unless such returns are furnished and any amount due as tax, in terms of such returns, has been paid along with any amount payable towards interest, penalty and late fee in respect of the said returns.

(2) (a) Where the proper officer is satisfied, for reasons to be recorded in writing, that there are sufficient grounds for revocation of cancellation of registration, he shall revoke the cancellation of registration by an order in FORM GST REG-22 within a period of thirty days from the date of the receipt of the application and communicate the same to the applicant.

(b) The proper officer may, for reasons to be recorded in writing, under circumstances other than those specified in clause (a), by an order in FORM GST REG-05, reject the application for revocation of cancellation of registration and communicate the same to the applicant.

(3) The proper officer shall, before passing the order referred to in clause (b) of sub-rule (2), issue a notice in **FORM GST REG-23** requiring the applicant to show cause as to why the application submitted for revocation under sub-rule (1) should not be rejected and the applicant shall furnish the reply within a period of seven working days from the date of the service of the notice in **FORM GST REG-24**.

(4) Upon receipt of the information or clarification in FORM GST REG-24, the proper officer shall proceed to dispose of the application in the manner specified in sub-rule (2) within a period of thirty days from the date of the receipt of such information or clarification from the applicant.

**24. Migration of persons registered under the existing law.**- (1) (a) Every person, other than a person deducting tax at source or an Input Service Distributor, registered under an existing law and having a Permanent Account Number issued under the provisions of the Income-tax Act, 1961 (Act 43 of 1961) shall enrol on the common portal by validating his email address and mobile number, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(b) Upon enrolment under clause (a), the said person shall be granted registration on a

provisional basis and a certificate of registration in FORM GST REG-25, incorporating the Goods and Services Tax Identification Number therein, shall be made available to him on the common portal:

Provided that a taxable person who has been granted multiple registrations under the existing law on the basis of a single Permanent Account Number shall be granted only one provisional registration under the Act:

(2)(a) Every person who has been granted a provisional registration under sub-rule (1) shall submit an application electronically in FORM GST REG-26, duly signed or verified through electronic verification code, along with the information and documents specified in the said application, on the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(b) The information asked for in clause (a) shall be furnished within a period of three months or within such further period as may be extended by the Commissioner in this behalf.

(c) If the information and the particulars furnished in the application are found, by the proper officer, to be correct and complete, a certificate of registration in **FORM GST REG-06** shall be made available to the registered person electronically on the common portal.

(3) Where the particulars or information specified in sub-rule (2) have either not been

furnished or not found to be correct or complete, the proper officer shall, after serving a notice to show cause in **FORM GST REG-27** and after affording the person concerned a reasonable opportunity of being heard, cancel the provisional registration granted under subrule (1) and issue an order in **FORM GST REG-28**;

(3A) Where a certificate of registration has not been made available to the application on the common portal within a period of fifteen days from the date of the furnishing of information and particulars referred to in clause (c) of sub-rule (2) and no notice has been issued under sub-rule (3) within the said period, the registration shall be deemed to have been granted and the said certificate of registration, duly signed or verified through electronic verification code, shall be made available to the registered person on the common portal.

Provided that the show cause notice issued in **FORM GST REG- 27** can be withdrawn by issuing an order in **FORM GST REG- 20**, if it is found, after affording the person an opportunity of being heard, that no such cause exists for which the notice was issued.

(4) Every person registered under any of the existing laws, who is not liable to be registered under the Act may, within a period of thirty days from the appointed day, at his option, submit an application electronically in FORM GST REG-29 at the common portal for the cancellation of registration granted to him and the proper officer shall, after conducting such enquiry as deemed fit, cancel the said registration.

**25. Physical verification of business premises in certain cases.-** Where the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of a registered person is required after the grant of registration, he may get such verification done and the verification report along with the other documents, including photographs, shall be uploaded in FORM GST REG-30 on the common portal within a period of fifteen working days following the date of such verification.

**26. Method of authentication.-** (1) All applications, including reply, if any, to the notices, returns including the details of outward and inward supplies, appeals or any other document required to be submitted under the provisions of these rules shall be so submitted electronically with digital signature certificate or through e-signature as specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) or verified by any other mode of signature or verification as notified by the Board in this behalf:

Provided that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall furnish the documents or application verified through digital signature certificate.

(2) Each document including the return furnished online shall be signed or verified through electronic verification code-

(a) in the case of an individual, by the individual himself or where he is absent from India, by some other person duly authorised by him in this behalf, and where the individual is mentally incapacitated from attending to his affairs, by his guardian or by any other person competent to act on his behalf;

(b) in the case of a Hindu Undivided Family, by a Karta and where the Karta is absent from India or is mentally incapacitated from attending to his affairs, by any other adult member of such family or by the authorised signatory of such Karta;

(c) in the case of a company, by the chief executive officer or authorised signatory thereof;

(d) in the case of a Government or any Governmental agency or local authority, by an officer authorised in this behalf;

(e) in the case of a firm, by any partner thereof, not being a minor or authorised signatory thereof;

(f) in the case of any other association, by any member of the association or persons or authorised signatory thereof;

(g) in the case of a trust, by the trustee or any trustee or authorised signatory thereof;  
or

(h) in the case of any other person, by some person competent to act on his behalf, or by a person authorised in accordance with the provisions of section 48.

(3) All notices, certificates and orders under the provisions of this Chapter shall be issued electronically by the proper officer or any other officer authorised to issue such notices or certificates or orders, through digital signature certificate or through e-signature as specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) or

verified by any other mode of signature or verification as notified by the Board in this behalf.

“Chapter IV

Determination of Value of Supply

**27. Value of supply of goods or services where the consideration is not wholly in money.**-Where the supply of goods or services is for a consideration not wholly in money, the value of the supply shall,-

- (a) be the open market value of such supply;
- (b) if the open market value is not available under clause (a), be the sum total of consideration in money and any such further amount in money as is equivalent to the consideration not in money, if such amount is known at the time of supply;
- (c) if the value of supply is not determinable under clause (a) or clause (b), be the value of supply of goods or services or both of like kind and quality;
- (d) if the value is not determinable under clause (a) or clause (b) or clause (c), be the sum total of consideration in money and such further amount in money that is equivalent to consideration not in money as determined by the application of rule 30 or rule 31 in that order.

*Illustration:*

(1) Where a new phone is supplied for twenty thousand rupees along with the exchange of an old phone and if the price of the new phone without exchange is twenty four thousand rupees, the open market value of the new phone is twenty four thousand rupees.

(2) Where a laptop is supplied for forty thousand rupees along with the barter of a printer that is manufactured by the recipient and the value of the printer known at the time of supply is four thousand rupees but the open market value of the laptop is not known, the value of the supply of the laptop is forty four thousand rupees.

**28. Value of supply of goods or services or both between distinct or related persons, other than through an agent.**-The value of the supply of goods or services or both between distinct persons as specified in sub-section (4) and (5) of section 25 or where the supplier and recipient are related, other than where the supply is made through an agent, shall-

- (a) be the open market value of such supply;
- (b) if the open market value is not available, be the value of supply of goods or services of like kind and quality;
- (c) if the value is not determinable under clause (a) or (b), be the value as determined by the application of rule 30 or rule 31, in that order:

Provided that where the goods are intended for further supply as such by the recipient, the value shall, at the option of the supplier, be an amount equivalent to ninety

percent of the price charged for the supply of goods of like kind and quality by the recipient to his customer not being a related person:

Provided further that where the recipient is eligible for full input tax credit, the value declared in the invoice shall be deemed to be the open market value of the goods or services.

**29. Value of supply of goods made or received through an agent.-**The value of supply of goods between the principal and his agent shall-

(a) be the open market value of the goods being supplied, or at the option of the supplier, be ninety per cent. of the price charged for the supply of goods of like kind and quality by the recipient to his customer not being a related person, where the goods are intended for further supply by the said recipient.

*Illustration: A principal supplies groundnut to his agent and the agent is supplying groundnuts of like kind and quality in subsequent supplies at a price of five thousand rupees per quintal on the day of the supply. Another independent supplier is supplying groundnuts of like kind and quality to the said agent at the price of four thousand five hundred and fifty rupees per quintal. The value of the supply made by the principal shall be four thousand five hundred and fifty rupees per quintal or where he exercises the option, the value shall be 90 per cent. of five thousand rupees i.e., four thousand five hundred rupees per quintal.*

(b) where the value of a supply is not determinable under clause (a), the same shall be determined by the application of rule 30 or rule 31 in that order.

**30. Value of supply of goods or services or both based on cost.-**Where the value of a supply of goods or services or both is not determinable by any of the preceding rules of this Chapter, the value shall be one hundred and ten percent of the cost of production or manufacture or the cost of acquisition of such goods or the cost of provision of such services.

**31. Residual method for determination of value of supply of goods or services or both.-**Where the value of supply of goods or services or both cannot be determined under rules 27 to 30, the same shall be determined using reasonable means consistent with the principles and the general provisions of section 15 and the provisions of this Chapter:

Provided that in the case of supply of services, the supplier may opt for this rule, ignoring rule 30.

**32. Determination of value in respect of certain supplies.-** (1) Notwithstanding anything contained in the provisions of this Chapter, the value in respect of supplies specified below shall, at the option of the supplier, be determined in the manner provided hereinafter.

(2) The value of supply of services in relation to the purchase or sale of foreign currency, including money changing, shall be determined by the supplier of services in the following manner, namely:-

(a) for a currency, when exchanged from, or to, Indian Rupees, the value shall be equal to the difference in the buying rate or the selling rate, as the case may be, and the Reserve Bank of India reference rate for that currency at that time, multiplied by the total units of currency:

Provided that in case where the Reserve Bank of India reference rate for a currency is not available, the value shall be one per cent. of the gross amount of Indian Rupees provided or received by the person changing the money:

Provided further that in case where neither of the currencies exchanged is Indian Rupees, the value shall be equal to one per cent. of the lesser of the two amounts the person changing the money would have received by converting any of the two currencies into Indian Rupee on that day at the reference rate provided by the Reserve Bank of India.

Provided also that a person supplying the services may exercise the option to ascertain the value in terms of clause (b) for a financial year and such option shall not be withdrawn during the remaining part of that financial year.

(b) at the option of the supplier of services, the value in relation to the supply of foreign currency, including money changing, shall be deemed to be-

(i) one per cent. of the gross amount of currency exchanged for an amount up to one lakh rupees, subject to a minimum amount of two hundred and fifty rupees;

(ii) one thousand rupees and half of a per cent. of the gross amount of currency exchanged for an amount exceeding one lakh rupees and up to ten lakh rupees; and

(iii) five thousand and five hundred rupees and one tenth of a per cent. of the gross amount of currency exchanged for an amount exceeding ten lakh rupees, subject to a maximum amount of sixty thousand rupees.

(3) The value of the supply of services in relation to booking of tickets for travel by air provided by an air travel agent shall be deemed to be an amount calculated at the rate of five per cent. of the basic fare in the case of domestic bookings, and at the rate of ten per cent. of the basic fare in the case of international bookings of passage for travel by air.

*Explanation.*- For the purposes of this sub-rule, the expression "basic fare" means that part of the air fare on which commission is normally paid to the air travel agent by the airlines.

(4) The value of supply of services in relation to life insurance business shall be,-

(a) the gross premium charged from a policy holder reduced by the amount allocated for investment, or savings on behalf of the policy holder, if such an amount is intimated to the policy holder at the time of supply of service;

(b) in case of single premium annuity policies other than (a), ten per cent. of single premium charged from the policy holder; or



(c) in all other cases, twenty five per cent. of the premium charged from the policy holder in the first year and twelve and a half per cent. of the premium charged from the policy holder in subsequent years:

Provided that nothing contained in this sub-rule shall apply where the entire premium paid by the policy holder is only towards the risk cover in life insurance.

(5) Where a taxable supply is provided by a person dealing in buying and selling of second hand goods i.e., used goods as such or after such minor processing which does not change the nature of the goods and where no input tax credit has been availed on the purchase of such goods, the value of supply shall be the difference between the selling price and the purchase price and where the value of such supply is negative, it shall be ignored:

Provided that the purchase value of goods repossessed from a defaulting borrower, who is not registered, for the purpose of recovery of a loan or debt shall be deemed to be the purchase price of such goods by the defaulting borrower reduced by five percentage points for every quarter or part thereof, between the date of purchase and the date of disposal by the person making such repossession.

(6) The value of a token, or a voucher, or a coupon, or a stamp (other than postage stamp) which is redeemable against a supply of goods or services or both shall be equal to the money value of the goods or services or both redeemable against such token, voucher, coupon, or stamp.

(7) The value of taxable services provided by such class of service providers as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, as referred to in paragraph 2 of Schedule I of the said Act between distinct persons as referred to in section 25, where input tax credit is available, shall be deemed to be NIL.

**33. Value of supply of services in case of pure agent.-** Notwithstanding anything contained in the provisions of this Chapter, the expenditure or costs incurred by a supplier as a pure agent of the recipient of supply shall be excluded from the value of supply, if all the following conditions are satisfied, namely,-

(i) the supplier acts as a pure agent of the recipient of the supply, when he makes the payment to the third party on authorisation by such recipient;

(ii) the payment made by the pure agent on behalf of the recipient of supply has been separately indicated in the invoice issued by the pure agent to the recipient of service; and

(iii) the supplies procured by the pure agent from the third party as a pure agent of the recipient of supply are in addition to the services he supplies on his own account.

*Explanation.-* For the purposes of this rule, the expression “pure agent” means a person who-

(a) enters into a contractual agreement with the recipient of supply to act as his pure agent to incur expenditure or costs in the course of supply of goods or services or both;

(b) neither intends to hold nor holds any title to the goods or services or both so procured or supplied as pure agent of the recipient of supply;

(c) does not use for his own interest such goods or services so procured; and

(d) receives only the actual amount incurred to procure such goods or services in addition to the amount received for supply he provides on his own account.

*Illustration.-* Corporate services firm A is engaged to handle the legal work pertaining to the incorporation of Company B. Other than its service fees, A also recovers from B, registration fee and approval fee for the name of the company paid to the Registrar of Companies. The fees charged by the Registrar of Companies for the registration and approval of the name are compulsorily levied on B. A is merely acting as a pure agent in the payment of those fees. Therefore, A's recovery of such expenses is a disbursement and not part of the value of supply made by A to B.

**34. Rate of exchange of currency, other than Indian rupees, for determination of value.-**

The rate of exchange for the determination of the value of taxable goods or services or both shall be the applicable reference rate for that currency as determined by the Reserve Bank of India on the date of time of supply in respect of such supply in terms of section 12 or, as the case may be, section 13 of the Act.

**35. Value of supply inclusive of integrated tax, central tax, State tax, Union territory tax.-**Where the value of supply is inclusive of integrated tax or, as the case may be, central tax, State tax, Union territory tax, the tax amount shall be determined in the following manner, namely,-

Tax amount = (Value inclusive of taxes X tax rate in % of IGST or, as the case may be, CGST, SGST or UTGST) ÷ (100+ sum of tax rates, as applicable, in %)

**Explanation.-** For the purposes of the provisions of this Chapter, the expressions-

(a) "open market value" of a supply of goods or services or both means the full value in money, excluding the integrated tax, central tax, State tax, Union territory tax and the cess payable by a person in a transaction, where the supplier and the recipient of the supply are not related and the price is the sole consideration, to obtain such supply at the same time when the supply being valued is made;

(b) "supply of goods or services or both of like kind and quality" means any other supply of goods or services or both made under similar circumstances that, in respect of the characteristics, quality, quantity, functional components, materials, and the reputation of the goods or services or both first mentioned, is the same as, or closely or substantially resembles, that supply of goods or services or both.

Chapter V

Input Tax Credit

**36. Documentary requirements and conditions for claiming input tax credit.-**

(1)The input tax credit shall be availed by a registered person, including the Input Service Distributor, on the basis of any of the following documents, namely,-



- (a) an invoice issued by the supplier of goods or services or both in accordance with the provisions of section 31;
  - (b) an invoice issued in accordance with the provisions of clause (f) of sub-section (3) of section 31, subject to the payment of tax;
  - (c) a debit note issued by a supplier in accordance with the provisions of section 34;
  - (d) a bill of entry or any similar document prescribed under the Customs Act, 1962 or rules made thereunder for the assessment of integrated tax on imports;
  - (e) an Input Service Distributor invoice or Input Service Distributor credit note or any document issued by an Input Service Distributor in accordance with the provisions of sub-rule (1) of rule 54.
- (2) Input tax credit shall be availed by a registered person only if all the applicable particulars as specified in Chapter VI are contained in the said document, and the relevant information, as contained in the said document, is furnished in **FORM GSTR-2** by such person.
- (3) No input tax credit shall be availed by a registered person in respect of any tax that has been paid in pursuance of any order where any demand has been confirmed on account of any fraud, willful misstatement or suppression of facts.

**37. Reversal of input tax credit in the case of non-payment of consideration.-(1)**

A registered person, who has availed of input tax credit on any inward supply of goods or services or both, but fails to pay to the supplier thereof, the value of such supply along with the tax payable thereon, within the time limit specified in the second proviso to sub-section (2) of section 16, shall furnish the details of such supply, the amount of value not paid and the amount of input tax credit availed of proportionate to such amount not paid to the supplier in **FORM GSTR-2** for the month immediately following the period of one hundred and eighty days from the date of the issue of the invoice:

Provided that the value of supplies made without consideration as specified in Schedule I of the said Act shall be deemed to have been paid for the purposes of the second proviso to sub-section (2) of section 16.

(2) The amount of input tax credit referred to in sub-rule (1) shall be added to the output tax liability of the registered person for the month in which the details are furnished.

(3) The registered person shall be liable to pay interest at the rate notified under sub-section (1) of section 50 for the period starting from the date of availing credit on such supplies till the date when the amount added to the output tax liability, as mentioned in sub-rule (2), is paid.

(4) The time limit specified in sub-section (4) of section 16 shall not apply to a claim for re-availing of any credit, in accordance with the provisions of the Act or the provisions of this Chapter, that had been reversed earlier.

**38. Claim of credit by a banking company or a financial institution.-** A banking company or a financial institution, including a non-banking financial company, engaged in the supply of services by way of accepting deposits or extending loans or advances that chooses not to comply with the provisions of sub-section (2) of section 17, in accordance with the option permitted under sub-section (4) of that section, shall follow the following procedure, namely,-

- (a) the said company or institution shall not avail the credit of,-
  - (i) the tax paid on inputs and input services that are used for non-business purposes; and
  - (ii) the credit attributable to the supplies specified in sub-section (5) of section 17, in **FORM GSTR-2**;
- (b) the said company or institution shall avail the credit of tax paid on inputs and input services referred to in the second proviso to sub-section (4) of section 17 and not covered under clause (a);
- (c) fifty per cent. of the remaining amount of input tax shall be the input tax credit admissible to the company or the institution and shall be furnished in **FORM GSTR-2**;
- (d) the amount referred to in clauses (b) and (c) shall, subject to the provisions of sections 41, 42 and 43, be credited to the electronic credit ledger of the said company or the institution.

**39. Procedure for distribution of input tax credit by Input Service Distributor.-** (1) An Input Service Distributor shall distribute input tax credit in the manner and subject to the following conditions, namely,-

- (a) the input tax credit available for distribution in a month shall be distributed in the same month and the details thereof shall be furnished in **FORM GSTR-6** in accordance with the provisions of Chapter VIII of these rules;
- (b) the Input Service Distributor shall, in accordance with the provisions of clause (d), separately distribute the amount of ineligible input tax credit (ineligible under the provisions of sub-section (5) of section 17 or otherwise) and the amount of eligible input tax credit;
- (c) the input tax credit on account of central tax, state tax, union territory tax and integrated tax shall be distributed separately in accordance with the provisions of clause (d);
- (d) the input tax credit that is required to be distributed in accordance with the provisions of clause (d) and (e) of sub-section (2) of section 20 to one of the recipients 'R1', whether registered or not, from amongst the total of all the recipients to whom input tax credit is attributable, including the recipient(s) who are engaged in making exempt supply, or are otherwise not registered for any reason, shall be the amount, "C1", to be calculated by applying the following formula -

$$C_1 = (t_1 \div T) \times C$$

where,

“C” is the amount of credit to be distributed,

“ $t_1$ ” is the turnover, as referred to in section 20, of person  $R_1$  during the relevant period, and

“T” is the aggregate of the turnover, during the relevant period, of all recipients to whom the input service is attributable in accordance with the provisions of section 20;

- (e) the input tax credit on account of integrated tax shall be distributed as input tax credit of integrated tax to every recipient;
- (f) the input tax credit on account of central tax and State tax or Union territory tax shall-
- (i) in respect of a recipient located in the same State or Union territory in which the Input Service Distributor is located, be distributed as input tax credit of central tax and State tax or Union territory tax respectively;
- (ii) in respect of a recipient located in a State or Union territory other than that of the Input Service Distributor, be distributed as integrated tax and the amount to be so distributed shall be equal to the aggregate of the amount of input tax credit of central tax and State tax or Union territory tax that qualifies for distribution to such recipient in accordance with clause (d);
- (g) the Input Service Distributor shall issue an Input Service Distributor invoice, as prescribed in sub-rule (1) of rule 54, clearly indicating in such invoice that it is issued only for distribution of input tax credit;
- (h) the Input Service Distributor shall issue an Input Service Distributor credit note, as prescribed in sub-rule (1) of rule 54, for reduction of credit in case the input tax credit already distributed gets reduced for any reason;
- (i) any additional amount of input tax credit on account of issuance of a debit note to an Input Service Distributor by the supplier shall be distributed in the manner and subject to the conditions specified in clauses (a) to (f) and the amount attributable to any recipient shall be calculated in the manner provided in clause (d) and such credit shall be distributed in the month in which the debit note is included in the return in **FORM GSTR-6**;
- (j) any input tax credit required to be reduced on account of issuance of a credit note to the Input Service Distributor by the supplier shall be apportioned to each recipient in the same ratio in which the input tax credit contained in the original invoice was distributed in terms of clause (d), and the amount so apportioned shall be-

(i) reduced from the amount to be distributed in the month in which the credit note is included in the return in **FORM GSTR-6**; or

(ii) added to the output tax liability of the recipient where the amount so apportioned is in the negative by virtue of the amount of credit under distribution being less than the amount to be adjusted.

(2) If the amount of input tax credit distributed by an Input Service Distributor is reduced later on for any other reason for any of the recipients, including that it was distributed to a wrong recipient by the Input Service Distributor, the process specified in clause (j) of sub-rule (1) shall apply, *mutatis mutandis*, for reduction of credit.

(3) Subject to sub-rule (2), the Input Service Distributor shall, on the basis of the Input Service Distributor credit note specified in clause (h) of sub-rule (1), issue an Input Service Distributor invoice to the recipient entitled to such credit and include the Input Service Distributor credit note and the Input Service Distributor invoice in the return in **FORM GSTR-6** for the month in which such credit note and invoice was issued.

**40. Manner of claiming credit in special circumstances.-** (1) The input tax credit claimed in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 18 on the inputs held in stock or inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock, or the credit claimed on capital goods in accordance with the provisions of clauses (c) and (d) of the said sub-section, shall be subject to the following conditions, namely,-

(a) the input tax credit on capital goods, in terms of clauses (c) and (d) of sub-section (1) of section 18, shall be claimed after reducing the tax paid on such capital goods by five percentage points per quarter of a year or part thereof from the date of the invoice or such other documents on which the capital goods were received by the taxable person.

(b) the registered person shall within a period of thirty days from the date of his becoming eligible to avail the input tax credit under sub-section (1) of section 18 shall make a declaration, electronically, on the common portal in **FORM GST ITC-01** to the effect that he is eligible to avail the input tax credit as aforesaid;

(c) the declaration under clause (b) shall clearly specify the details relating to the inputs held in stock or inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock, or as the case may be, capital goods—

(i) on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under the provisions of the Act, in the case of a claim under clause (a) of sub-section (1) of section 18;

(ii) on the day immediately preceding the date of the grant of registration, in the case of a claim under clause (b) of sub-section (1) of section 18;

(iii) on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under section 9, in the case of a claim under clause (c) of sub-section (1) of section 18;

(iv) on the day immediately preceding the date from which the supplies made by the registered person becomes taxable, in the case of a claim under clause (d) of sub-section (1) of section 18;

(d) the details furnished in the declaration under clause (b) shall be duly certified by a practicing chartered accountant or a cost accountant if the aggregate value of the claim on account of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax exceeds two lakh rupees;

(e) the input tax credit claimed in accordance with the provisions of clauses (c) and (d) of sub-section (1) of section 18 shall be verified with the corresponding details furnished by the corresponding supplier in **FORM GSTR-1** or as the case may be, in **FORM GSTR- 4**, on the common portal.

(2) The amount of credit in the case of supply of capital goods or plant and machinery, for the purposes of sub-section (6) of section 18, shall be calculated by reducing the input tax on the said goods at the rate of five percentage points for every quarter or part thereof from the date of the issue of the invoice for such goods.

**41. Transfer of credit on sale, merger, amalgamation, lease or transfer of a business.-** (1) A registered person shall, in the event of sale, merger, de-merger, amalgamation, lease or transfer or change in the ownership of business for any reason, furnish the details of sale, merger, de-merger, amalgamation, lease or transfer of business, in **FORM GST ITC-02**, electronically on the common portal along with a request for transfer of unutilized input tax credit lying in his electronic credit ledger to the transferee:

Provided that in the case of demerger, the input tax credit shall be apportioned in the ratio of the value of assets of the new units as specified in the demerger scheme.

(2) The transferor shall also submit a copy of a certificate issued by a practicing chartered accountant or cost accountant certifying that the sale, merger, de-merger, amalgamation, lease or transfer of business has been done with a specific provision for the transfer of liabilities.

(3) The transferee shall, on the common portal, accept the details so furnished by the transferor and, upon such acceptance, the un-utilized credit specified in **FORM GST ITC-02** shall be credited to his electronic credit ledger.

(4) The inputs and capital goods so transferred shall be duly accounted for by the transferee in his books of account.

**42. Manner of determination of input tax credit in respect of inputs or input services and reversal thereof.-** (1) The input tax credit in respect of inputs or input services, which attract the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) of section 17, being partly used for the purposes of business and partly for other purposes, or partly used for effecting taxable supplies including zero rated supplies and partly for effecting exempt

supplies, shall be attributed to the purposes of business or for effecting taxable supplies in the following manner, namely,-

(a) the total input tax involved on inputs and input services in a tax period, be denoted as 'T';

(b) the amount of input tax, out of 'T', attributable to inputs and input services intended to be used exclusively for the purposes other than business, be denoted as 'T<sub>1</sub>';

(c) the amount of input tax, out of 'T', attributable to inputs and input services intended to be used exclusively for effecting exempt supplies, be denoted as 'T<sub>2</sub>';

(d) the amount of input tax, out of 'T', in respect of inputs and input services on which credit is not available under sub-section (5) of section 17, be denoted as 'T<sub>3</sub>';

(e) the amount of input tax credit credited to the electronic credit ledger of registered person, be denoted as 'C<sub>1</sub>' and calculated as-

$$C_1 = T - (T_1 + T_2 + T_3);$$

(f) the amount of input tax credit attributable to inputs and input services intended to be used exclusively for effecting supplies other than exempted but including zero rated supplies, be denoted as 'T<sub>4</sub>';

(g) 'T<sub>1</sub>', 'T<sub>2</sub>', 'T<sub>3</sub>' and 'T<sub>4</sub>' shall be determined and declared by the registered person at the invoice level in **FORM GSTR-2**;

(h) input tax credit left after attribution of input tax credit under clause (g) shall be called common credit, be denoted as 'C<sub>2</sub>' and calculated as-

$$C_2 = C_1 - T_4;$$

(i) the amount of input tax credit attributable towards exempt supplies, be denoted as 'D<sub>1</sub>' and calculated as-

$$D_1 = (E \div F) \times C_2$$

where,

'E' is the aggregate value of exempt supplies during the tax period, and

'F' is the total turnover in the State of the registered person during the tax period:

Provided that where the registered person does not have any turnover during the said tax period or the aforesaid information is not available, the value of 'E/F' shall be calculated by taking values of 'E' and 'F' of the last tax period for which the details of such turnover are available, previous to the month during which the said value of 'E/F' is to be calculated;

*Explanation:* For the purposes of this clause, it is hereby clarified that the aggregate value of exempt supplies and the total turnover shall exclude the amount of any duty

or tax levied under entry 84 of List I of the Seventh Schedule to the Constitution and entry 51 and 54 of List II of the said Schedule;

(j) the amount of credit attributable to non-business purposes if common inputs and input services are used partly for business and partly for non-business purposes, be denoted as 'D<sub>2</sub>', and shall be equal to five per cent. of C<sub>2</sub>; and

(k) the remainder of the common credit shall be the eligible input tax credit attributed to the purposes of business and for effecting supplies other than exempted supplies but including zero rated supplies and shall be denoted as 'C<sub>3</sub>', where,-

$$C_3 = C_2 - (D_1 + D_2);$$

(l) the amount 'C<sub>3</sub>' shall be computed separately for input tax credit of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax;

(m) the amount equal to aggregate of 'D<sub>1</sub>' and 'D<sub>2</sub>' shall be added to the output tax liability of the registered person:

Provided that where the amount of input tax relating to inputs or input services used partly for the purposes other than business and partly for effecting exempt supplies has been identified and segregated at the invoice level by the registered person, the same shall be included in 'T<sub>1</sub>' and 'T<sub>2</sub>' respectively, and the remaining amount of credit on such inputs or input services shall be included in 'T<sub>4</sub>'.

(2) The input tax credit determined under sub-rule (1) shall be calculated finally for the financial year before the due date for furnishing of the return for the month of September following the end of the financial year to which such credit relates, in the manner specified in the said sub-rule and-

(a) where the aggregate of the amounts calculated finally in respect of 'D<sub>1</sub>' and 'D<sub>2</sub>' exceeds the aggregate of the amounts determined under sub-rule (1) in respect of 'D<sub>1</sub>' and 'D<sub>2</sub>', such excess shall be added to the output tax liability of the registered person in the month not later than the month of September following the end of the financial year to which such credit relates and the said person shall be liable to pay interest on the said excess amount at the rate specified in sub-section (1) of section 50 for the period starting from the first day of April of the succeeding financial year till the date of payment; or

(b) where the aggregate of the amounts determined under sub-rule (1) in respect of 'D<sub>1</sub>' and 'D<sub>2</sub>' exceeds the aggregate of the amounts calculated finally in respect of 'D<sub>1</sub>' and 'D<sub>2</sub>', such excess amount shall be claimed as credit by the registered person in his return for a month not later than the month of September following the end of the financial year to which such credit relates.

**43. Manner of determination of input tax credit in respect of capital goods and reversal thereof in certain cases.-** (1) Subject to the provisions of sub-section (3) of section 16, the input tax credit in respect of capital goods, which attract the provisions of sub-sections (1) and (2) of section 17, being partly used for the purposes of business and partly for other purposes, or partly used for effecting taxable supplies including zero rated



supplies and partly for effecting exempt supplies, shall be attributed to the purposes of business or for effecting taxable supplies in the following manner, namely,-

(a) the amount of input tax in respect of capital goods used or intended to be used exclusively for non-business purposes or used or intended to be used exclusively for effecting exempt supplies shall be indicated in **FORM GSTR-2** and shall not be credited to his electronic credit ledger;

(b) the amount of input tax in respect of capital goods used or intended to be used exclusively for effecting supplies other than exempted supplies but including zero-rated supplies shall be indicated in **FORM GSTR-2** and shall be credited to the electronic credit ledger;

(c) the amount of input tax in respect of capital goods not covered under clauses (a) and (b), denoted as 'A', shall be credited to the electronic credit ledger and the useful life of such goods shall be taken as five years from the date of the invoice for such goods:

Provided that where any capital goods earlier covered under clause (a) is subsequently covered under this clause, the value of 'A' shall be arrived at by reducing the input tax at the rate of five percentage points for every quarter or part thereof and the amount 'A' shall be credited to the electronic credit ledger;

*Explanation.- An item of capital goods declared under clause (a) on its receipt shall not attract the provisions of sub-section (4) of section 18, if it is subsequently covered under this clause.*

(d) the aggregate of the amounts of 'A' credited to the electronic credit ledger under clause (c), to be denoted as 'T<sub>c</sub>', shall be the common credit in respect of capital goods for a tax period:

Provided that where any capital goods earlier covered under clause (b) is subsequently covered under clause (c), the value of 'A' arrived at by reducing the input tax at the rate of five percentage points for every quarter or part thereof shall be added to the aggregate value 'T<sub>c</sub>';

(e) the amount of input tax credit attributable to a tax period on common capital goods during their useful life, be denoted as 'T<sub>m</sub>' and calculated as-

$$T_m = T_c \div 60$$

(f) the amount of input tax credit, at the beginning of a tax period, on all common capital goods whose useful life remains during the tax period, be denoted as 'T<sub>r</sub>' and shall be the aggregate of 'T<sub>m</sub>' for all such capital goods;

(g) the amount of common credit attributable towards exempted supplies, be denoted as 'T<sub>e</sub>', and calculated as-

$$T_e = (E \div F) \times T_r$$

where,

'E' is the aggregate value of exempt supplies, made, during the tax period, and



'F' is the total turnover of the registered person during the tax period:

Provided that where the registered person does not have any turnover during the said tax period or the aforesaid information is not available, the value of 'E/F' shall be calculated by taking values of 'E' and 'F' of the last tax period for which the details of such turnover are available, previous to the month during which the said value of 'E/F' is to be calculated;

*Explanation.-* For the purposes of this clause, it is hereby clarified that the aggregate value of exempt supplies and the total turnover shall exclude the amount of any duty or tax levied under entry 84 of List I of the Seventh Schedule to the Constitution and entry 51 and 54 of List II of the said Schedule;

(h) the amount  $T_e$  along with the applicable interest shall, during every tax period of the useful life of the concerned capital goods, be added to the output tax liability of the person making such claim of credit.

(2) The amount  $T_e$  shall be computed separately for central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax.

**44. Manner of reversal of credit under special circumstances.-** (1) The amount of input tax credit relating to inputs held in stock, inputs contained in semi-finished and finished goods held in stock, and capital goods held in stock shall, for the purposes of sub-section (4) of section 18 or sub-section (5) of section 29, be determined in the following manner, namely,-

- (a) for inputs held in stock and inputs contained in semi-finished and finished goods held in stock, the input tax credit shall be calculated proportionately on the basis of the corresponding invoices on which credit had been availed by the registered taxable person on such inputs;
- (b) for capital goods held in stock, the input tax credit involved in the remaining useful life in months shall be computed on pro-rata basis, taking the useful life as five years.

*Illustration*

*Capital goods have been in use for 4 years, 6 month and 15 days.*

*The useful remaining life in months= 5 months ignoring a part of the month*

*Input tax credit taken on such capital goods= C*

*Input tax credit attributable to remaining useful life= C multiplied by 5/60*

(2) The amount, as specified in sub-rule (1) shall be determined separately for input tax credit of integrated tax and central tax.

(3) Where the tax invoices related to the inputs held in stock are not available, the registered person shall estimate the amount under sub-rule (1) based on the prevailing market price of the goods on the effective date of the occurrence of any of the events specified in sub-section (4) of section 18 or, as the case may be, sub-section (5) of section 29.

(4) The amount determined under sub-rule (1) shall form part of the output tax liability of the registered person and the details of the amount shall be furnished in **FORM GST ITC-03**, where such amount relates to any event specified in sub-section (4) of section 18 and in **FORM GSTR-10**, where such amount relates to the cancellation of registration.

(5) The details furnished in accordance with sub-rule (3) shall be duly certified by a practicing chartered accountant or cost accountant.

(6) The amount of input tax credit for the purposes of sub-section (6) of section 18 relating to capital goods shall be determined in the same manner as specified in clause (b) of sub-rule (1) and the amount shall be determined separately for input tax credit of IGST and CGST:

Provided that where the amount so determined is more than the tax determined on the transaction value of the capital goods, the amount determined shall form part of the output tax liability and the same shall be furnished in **FORM GSTR-1**.

**45. Conditions and restrictions in respect of inputs and capital goods sent to the job worker.-** (1) The inputs, semi-finished goods or capital goods shall be sent to the job worker under the cover of a challan issued by the principal, including where such goods are sent directly to a job-worker.

(2) The challan issued by the principal to the job worker shall contain the details specified in rule 55.

(3) The details of challans in respect of goods dispatched to a job worker or received from a job worker or sent from one job worker to another during a quarter shall be included in **FORM GST ITC-04** furnished for that period on or before the twenty-fifth day of the month succeeding the said quarter.

(4) Where the inputs or capital goods are not returned to the principal within the time stipulated in section 143, it shall be deemed that such inputs or capital goods had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said inputs or capital goods were sent out and the said supply shall be declared in **FORM GSTR-1** and the principal shall be liable to pay the tax along with applicable interest.

*Explanation.-* For the purposes of this Chapter,-

(1) the expressions “capital goods” shall include “plant and machinery” as defined in the Explanation to section 17;

(2) for determining the value of an exempt supply as referred to in sub-section (3) of section 17-

(a) the value of land and building shall be taken as the same as adopted for the purpose of paying stamp duty; and

(b) the value of security shall be taken as one per cent. of the sale value of such security.

**46. Tax invoice.-** Subject to rule 54, a tax invoice referred to in section 31 shall be issued by the registered person containing the following particulars, namely,-

- (a) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the supplier;
- (b) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters-hyphen or dash and slash symbolised as “-” and “/” respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
- (c) date of its issue;
- (d) name, address and Goods and Services Tax Identification Number or Unique Identity Number, if registered, of the recipient;
- (e) name and address of the recipient and the address of delivery, along with the name of the State and its code, if such recipient is un-registered and where the value of the taxable supply is fifty thousand rupees or more;
- (f) name and address of the recipient and the address of delivery, along with the name of the State and its code, if such recipient is un-registered and where the value of the taxable supply is less than fifty thousand rupees and the recipient requests that such details be recorded in the tax invoice;
- (g) Harmonised System of Nomenclature code for goods or services;
- (h) description of goods or services;
- (i) quantity in case of goods and unit or Unique Quantity Code thereof;
- (j) total value of supply of goods or services or both;
- (k) taxable value of the supply of goods or services or both taking into account discount or abatement, if any;
- (l) rate of tax (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
- (m) amount of tax charged in respect of taxable goods or services (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
- (n) place of supply along with the name of the State, in the case of a supply in the course of inter-State trade or commerce;
- (o) address of delivery where the same is different from the place of supply;
- (p) whether the tax is payable on reverse charge basis; and
- (q) signature or digital signature of the supplier or his authorised representative:

Provided that the Board may, on the recommendations of the Council, by notification, specify-

- (i) the number of digits of Harmonised System of Nomenclature code for goods or services that a class of registered persons shall be required to mention, for such period as may be specified in the said notification; and
- (ii) the class of registered persons that would not be required to mention the Harmonised System of Nomenclature code for goods or services, for such period as may be specified in the said notification:

Provided further that where an invoice is required to be issued under clause (f) of sub-section (3) of section 31, a registered person may issue a consolidated invoice at the end of a month for supplies covered under sub-section (4) of section 9, the aggregate value of such supplies exceeds rupees five thousand in a day from any or all the suppliers:

Provided also that in the case of the export of goods or services, the invoice shall carry an endorsement "SUPPLY MEANT FOR EXPORT ON PAYMENT OF INTEGRATED TAX" or "SUPPLY MEANT FOR EXPORT UNDER BOND OR LETTER OF UNDERTAKING WITHOUT PAYMENT OF INTEGRATED TAX", as the case may be, and shall, in lieu of the details specified in clause (e), contain the following details, namely,-

- (i) name and address of the recipient;
- (ii) address of delivery; and
- (iii) name of the country of destination:

Provided also that a registered person may not issue a tax invoice in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (3) of section 31 subject to the following conditions, namely,-

- (a) the recipient is not a registered person; and
- (b) the recipient does not require such invoice, and

shall issue a consolidated tax invoice for such supplies at the close of each day in respect of all such supplies.

**47. Time limit for issuing tax invoice.-** The invoice referred to in rule 46, in the case of the taxable supply of services, shall be issued within a period of thirty days from the date of the supply of service:

Provided that where the supplier of services is an insurer or a banking company or a financial institution, including a non-banking financial company, the period within which the invoice or any document in lieu thereof is to be issued shall be forty five days from the date of the supply of service:

Provided further that an insurer or a banking company or a financial institution, including a non-banking financial company, or a telecom operator, or any other class of supplier of services as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, making taxable supplies of services between distinct persons as specified in section

25, may issue the invoice before or at the time such supplier records the same in his books of account or before the expiry of the quarter during which the supply was made.

**48. Manner of issuing invoice.-** (1) The invoice shall be prepared in triplicate, in the case of supply of goods, in the following manner, namely,-

- (a) the original copy being marked as ORIGINAL FOR RECIPIENT;
  - (b) the duplicate copy being marked as DUPLICATE FOR TRANSPORTER; and
  - (c) the triplicate copy being marked as TRIPLICATE FOR SUPPLIER.
- (2) The invoice shall be prepared in duplicate, in the case of the supply of services, in the following manner, namely,-
- (a) the original copy being marked as ORIGINAL FOR RECIPIENT; and
  - (b) the duplicate copy being marked as DUPLICATE FOR SUPPLIER.
- (3) The serial number of invoices issued during a tax period shall be furnished electronically through the common portal in **FORM GSTR-1**.

**49. Bill of supply.-** A bill of supply referred to in clause (c) of sub-section (3) of section 31 shall be issued by the supplier containing the following details, namely,-

- (a) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the supplier;
- (b) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters - hyphen or dash and slash symbolised as “-” and “/” respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
- (c) date of its issue;
- (d) name, address and Goods and Services Tax Identification Number or Unique Identity Number, if registered, of the recipient;
- (e) Harmonised System of Nomenclature Code for goods or services;
- (f) description of goods or services or both;
- (g) value of supply of goods or services or both taking into account discount or abatement, if any; and
- (h) signature or digital signature of the supplier or his authorised representative:

Provided that the provisos to rule 46 shall, *mutatis mutandis*, apply to the bill of supply issued under this rule:

Provided further that any tax invoice or any other similar document issued under any other Act for the time being in force in respect of any non-taxable supply shall be treated as a bill of supply for the purposes of the Act.

**50. Receipt voucher.-** A receipt voucher referred to in clause (d) of sub-section (3) of section 31 shall contain the following particulars, namely,-

- (a) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the supplier;
- (b) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters-hyphen or dash and slash symbolised as “-” and “/” respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
- (c) date of its issue;
- (d) name, address and Goods and Services Tax Identification Number or Unique Identity Number, if registered, of the recipient;
- (e) description of goods or services;
- (f) amount of advance taken;
- (g) rate of tax (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
- (h) amount of tax charged in respect of taxable goods or services (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
- (i) place of supply along with the name of State and its code, in case of a supply in the course of inter-State trade or commerce;
- (j) whether the tax is payable on reverse charge basis; and
- (k) signature or digital signature of the supplier or his authorised representative:

Provided that where at the time of receipt of advance,-

- (i) the rate of tax is not determinable, the tax shall be paid at the rate of eighteen per cent.;
- (ii) the nature of supply is not determinable, the same shall be treated as inter-State supply.

**51. Refund voucher.-** A refund voucher referred to in clause (e) of sub-section (3) of section 31 shall contain the following particulars, namely:-

- (a) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the supplier;
- (b) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters-hyphen or dash and slash symbolised as “-” and “/” respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
- (c) date of its issue;
- (d) name, address and Goods and Services Tax Identification Number or Unique Identity Number, if registered, of the recipient;

- (e) number and date of receipt voucher issued in accordance with the provisions of rule 50;
- (f) description of goods or services in respect of which refund is made;
- (g) amount of refund made;
- (h) rate of tax (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
- (i) amount of tax paid in respect of such goods or services (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
- (j) whether the tax is payable on reverse charge basis; and
- (k) signature or digital signature of the supplier or his authorised representative.

**52. Payment voucher.-** A payment voucher referred to in clause (g) of sub-section (3) of section 31 shall contain the following particulars, namely:-

- (a) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the supplier if registered;
- (b) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters-hyphen or dash and slash symbolised as “-” and “/” respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
- (c) date of its issue;
- (d) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the recipient;
- (e) description of goods or services;
- (f) amount paid;
- (g) rate of tax (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
- (h) amount of tax payable in respect of taxable goods or services (central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess);
- (i) place of supply along with the name of State and its code, in case of a supply in the course of inter-State trade or commerce; and
- (j) signature or digital signature of the supplier or his authorised representative.

**53. Revised tax invoice and credit or debit notes.-** (1) A revised tax invoice referred to in section 31 and credit or debit notes referred to in section 34 shall contain the following particulars, namely:-

- (a) the word “Revised Invoice”, wherever applicable, indicated prominently;
- (b) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the supplier;
- (c) nature of the document;

- (d) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters-hyphen or dash and slash symbolised as “-” and “/” respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
- (e) date of issue of the document;
- (f) name, address and Goods and Services Tax Identification Number or Unique Identity Number, if registered, of the recipient;
- (g) name and address of the recipient and the address of delivery, along with the name of State and its code, if such recipient is un-registered;
- (h) serial number and date of the corresponding tax invoice or, as the case may be, bill of supply;
- (i) value of taxable supply of goods or services, rate of tax and the amount of the tax credited or, as the case may be, debited to the recipient; and
- (j) signature or digital signature of the supplier or his authorised representative.

(2) Every registered person who has been granted registration with effect from a date earlier than the date of issuance of certificate of registration to him, may issue revised tax invoices in respect of taxable supplies effected during the period starting from the effective date of registration till the date of the issuance of the certificate of registration:

Provided that the registered person may issue a consolidated revised tax invoice in respect of all taxable supplies made to a recipient who is not registered under the Act during such period:

Provided further that in the case of inter-State supplies, where the value of a supply does not exceed two lakh and fifty thousand rupees, a consolidated revised invoice may be issued separately in respect of all the recipients located in a State, who are not registered under the Act.

(3) Any invoice or debit note issued in pursuance of any tax payable in accordance with the provisions of section 74 or section 129 or section 130 shall prominently contain the words “INPUT TAX CREDIT NOT ADMISSIBLE”.

**54. Tax invoice in special cases.-** (1) An Input Service Distributor invoice or, as the case may be, an Input Service Distributor credit note issued by an Input Service Distributor shall contain the following details:-

- (a) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the Input Service Distributor;
- (b) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters-hyphen or dash and slash symbolised as- “-”, “/” respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
- (c) date of its issue;



- (d) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the recipient to whom the credit is distributed;
- (e) amount of the credit distributed; and
- (f) signature or digital signature of the Input Service Distributor or his authorised representative:

Provided that where the Input Service Distributor is an office of a banking company or a financial institution, including a non-banking financial company, a tax invoice shall include any document in lieu thereof, by whatever name called, whether or not serially numbered but containing the information as mentioned above.

(2) Where the supplier of taxable service is an insurer or a banking company or a financial institution, including a non-banking financial company, the said supplier shall issue a tax invoice or any other document in lieu thereof, by whatever name called, whether issued or made available, physically or electronically whether or not serially numbered, and whether or not containing the address of the recipient of taxable service but containing other information as mentioned under rule 46.

(3) Where the supplier of taxable service is a goods transport agency supplying services in relation to transportation of goods by road in a goods carriage, the said supplier shall issue a tax invoice or any other document in lieu thereof, by whatever name called, containing the gross weight of the consignment, name of the consigner and the consignee, registration number of goods carriage in which the goods are transported, details of goods transported, details of place of origin and destination, Goods and Services Tax Identification Number of the person liable for paying tax whether as consigner, consignee or goods transport agency, and also containing other information as mentioned under rule 46.

(4) Where the supplier of taxable service is supplying passenger transportation service, a tax invoice shall include ticket in any form, by whatever name called, whether or not serially numbered, and whether or not containing the address of the recipient of service but containing other information as mentioned under rule 46.

(5) The provisions of sub-rule (2) or sub-rule (4) shall apply, *mutatis mutandis*, to the documents issued under rule 49 or rule 50 or rule 51 or rule 52 or rule 53.

**55. Transportation of goods without issue of invoice.-** (1) For the purposes of-

- (a) supply of liquid gas where the quantity at the time of removal from the place of business of the supplier is not known,
- (b) transportation of goods for job work,
- (c) transportation of goods for reasons other than by way of supply, or
- (d) such other supplies as may be notified by the Board,

the consigner may issue a delivery challan, serially numbered not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, in lieu of invoice at the time of removal of goods for transportation, containing the following details, namely:-

- (i) date and number of the delivery challan;
  - (ii) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the consigner, if registered;
  - (iii) name, address and Goods and Services Tax Identification Number or Unique Identity Number of the consignee, if registered;
  - (iv) Harmonised System of Nomenclature code and description of goods;
  - (v) quantity (provisional, where the exact quantity being supplied is not known);
  - (vi) taxable value;
  - (vii) tax rate and tax amount – central tax, State tax, integrated tax, Union territory tax or cess, where the transportation is for supply to the consignee;
  - (viii) place of supply, in case of inter-State movement; and
  - (ix) signature.
- (2) The delivery challan shall be prepared in triplicate, in case of supply of goods, in the following manner, namely:-
- (a) the original copy being marked as ORIGINAL FOR CONSIGNEE;
  - (b) the duplicate copy being marked as DUPLICATE FOR TRANSPORTER; and
  - (c) the triplicate copy being marked as TRIPLICATE FOR CONSIGNER.
- (3) Where goods are being transported on a delivery challan in lieu of invoice, the same shall be declared as specified in rule 138.
- (4) Where the goods being transported are for the purpose of supply to the recipient but the tax invoice could not be issued at the time of removal of goods for the purpose of supply, the supplier shall issue a tax invoice after delivery of goods.
- (5) Where the goods are being transported in a semi knocked down or completely knocked down condition -
- (a) the supplier shall issue the complete invoice before dispatch of the first consignment;
  - (b) the supplier shall issue a delivery challan for each of the subsequent consignments, giving reference of the invoice;
  - (c) each consignment shall be accompanied by copies of the corresponding delivery challan along with a duly certified copy of the invoice; and
  - (d) the original copy of the invoice shall be sent along with the last consignment.

Chapter VII  
Accounts and Records

**56. Maintenance of accounts by registered persons.-** (1) Every registered person shall keep and maintain, in addition to the particulars mentioned in sub-section (1) of section 35, a true and correct account of the goods or services imported or exported or of supplies attracting payment of tax on reverse charge along with the relevant documents, including invoices, bills of supply, delivery challans, credit notes, debit notes, receipt vouchers, payment vouchers and refund vouchers.

(2) Every registered person, other than a person paying tax under section 10, shall maintain the accounts of stock in respect of goods received and supplied by him, and such accounts shall contain particulars of the opening balance, receipt, supply, goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift or free sample and the balance of stock including raw materials, finished goods, scrap and wastage thereof.

(3) Every registered person shall keep and maintain a separate account of advances received, paid and adjustments made thereto.

(4) Every registered person, other than a person paying tax under section 10, shall keep and maintain an account, containing the details of tax payable (including tax payable in accordance with the provisions of sub-section (3) and sub-section (4) of section 9), tax collected and paid, input tax, input tax credit claimed, together with a register of tax invoice, credit notes, debit notes, delivery challan issued or received during any tax period.

(5) Every registered person shall keep the particulars of -

- (a) names and complete addresses of suppliers from whom he has received the goods or services chargeable to tax under the Act;
- (b) names and complete addresses of the persons to whom he has supplied goods or services, where required under the provisions of this Chapter;
- (c) the complete address of the premises where goods are stored by him, including goods stored during transit along with the particulars of the stock stored therein.

(6) If any taxable goods are found to be stored at any place(s) other than those declared under sub-rule (5) without the cover of any valid documents, the proper officer shall determine the amount of tax payable on such goods as if such goods have been supplied by the registered person.

(7) Every registered person shall keep the books of account at the principal place of business and books of account relating to additional place of business mentioned in his certificate of registration and such books of account shall include any electronic form of data stored on any electronic device.

(8) Any entry in registers, accounts and documents shall not be erased, effaced or overwritten, and all incorrect entries, otherwise than those of clerical nature, shall be scored out under attestation and thereafter, the correct entry shall be recorded and where the registers and other documents are maintained electronically, a log of every entry edited or deleted shall be maintained.

(9) Each volume of books of account maintained manually by the registered person shall be serially numbered.

(10) Unless proved otherwise, if any documents, registers, or any books of account belonging to a registered person are found at any premises other than those mentioned in the certificate of registration, they shall be presumed to be maintained by the said registered person.

(11) Every agent referred to in clause (5) of section 2 shall maintain accounts depicting the,-

- (a) particulars of authorisation received by him from each principal to receive or supply goods or services on behalf of such principal separately;
- (b) particulars including description, value and quantity (wherever applicable) of goods or services received on behalf of every principal;
- (c) particulars including description, value and quantity (wherever applicable) of goods or services supplied on behalf of every principal;
- (d) details of accounts furnished to every principal; and
- (e) tax paid on receipts or on supply of goods or services effected on behalf of every principal.

(12) Every registered person manufacturing goods shall maintain monthly production accounts, showing quantitative details of raw materials or services used in the manufacture and quantitative details of the goods so manufactured including the waste and by products thereof.

(13) Every registered person supplying services shall maintain the accounts showing quantitative details of goods used in the provision of services, details of input services utilised and the services supplied.

(14) Every registered person executing works contract shall keep separate accounts for works contract showing -

- (a) the names and addresses of the persons on whose behalf the works contract is executed;
- (b) description, value and quantity (wherever applicable) of goods or services received for the execution of works contract;
- (c) description, value and quantity (wherever applicable) of goods or services utilized in the execution of works contract;
- (d) the details of payment received in respect of each works contract; and
- (e) the names and addresses of suppliers from whom he received goods or services.

(15) The records under the provisions of this Chapter may be maintained in electronic form and the record so maintained shall be authenticated by means of a digital signature.

(16) Accounts maintained by the registered person together with all invoices, bills of supply, credit and debit notes, and delivery challans relating to stocks, deliveries, inward supply and outward supply shall be preserved for the period as provided in section 36 and

shall, where such accounts and documents are maintained manually, be kept at every related place of business mentioned in the certificate of registration and shall be accessible at every related place of business where such accounts and documents are maintained digitally.

(17) Any person having custody over the goods in the capacity of a carrier or a clearing and forwarding agent for delivery or dispatch thereof to a recipient on behalf of any registered person shall maintain true and correct records in respect of such goods handled by him on behalf of such registered person and shall produce the details thereof as and when required by the proper officer.

(18) Every registered person shall, on demand, produce the books of accounts which he is required to maintain under any law for the time being in force.

**57. Generation and maintenance of electronic records.-** (1) Proper electronic back-up of records shall be maintained and preserved in such manner that, in the event of destruction of such records due to accidents or natural causes, the information can be restored within a reasonable period of time.

(2) The registered person maintaining electronic records shall produce, on demand, the relevant records or documents, duly authenticated by him, in hard copy or in any electronically readable format.

(3) Where the accounts and records are stored electronically by any registered person, he shall, on demand, provide the details of such files, passwords of such files and explanation for codes used, where necessary, for access and any other information which is required for such access along with a sample copy in print form of the information stored in such files.

**58. Records to be maintained by owner or operator of godown or warehouse and transporters.-** (1) Every person required to maintain records and accounts in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 35, if not already registered under the Act, shall submit the details regarding his business electronically on the common portal in **FORM GST ENR-01**, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner and, upon validation of the details furnished, a unique enrolment number shall be generated and communicated to the said person.

(2) The person enrolled under sub-rule (1) as aforesaid in any other State or Union territory shall be deemed to be enrolled in the State or Union territory.

(3) Every person who is enrolled under sub-rule (1) shall, where required, amend the details furnished in **FORM GST ENR-01** electronically on the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(4) Subject to the provisions of rule 56,-

(a) any person engaged in the business of transporting goods shall maintain records of goods transported, delivered and goods stored in transit by him alongwith the Goods and Services Tax Identification Number of the registered consigner and consignee for each of his branches.

(b) every owner or operator of a warehouse or godown shall maintain books of accounts with respect to the period for which particular goods remain in the warehouse, including the particulars relating to dispatch, movement, receipt and disposal of such goods.

(5) The owner or the operator of the godown shall store the goods in such manner that they can be identified item-wise and owner-wise and shall facilitate any physical verification or inspection by the proper officer on demand.

### Chapter VIII Returns

**59. Form and manner of furnishing details of outward supplies.-** (1) **Every registered person, other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, required to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37, shall furnish such details in FORM GSTR-1 electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.**

(2) The details of outward supplies of goods or services or both furnished in **FORM GSTR-1** shall include the –

(a) invoice wise details of all -

- (i) inter-State and intra-State supplies made to the registered persons; and
- (ii) inter-State supplies with invoice value more than two and a half lakh rupees made to the unregistered persons;

(b) consolidated details of all -

- (i) intra-State supplies made to unregistered persons for each rate of tax; and
- (ii) State wise inter-State supplies with invoice value upto two and a half lakh rupees made to unregistered persons for each rate of tax;

(c) debit and credit notes, if any, issued during the month for invoices issued previously.

(3) The details of outward supplies furnished by the supplier shall be made available electronically to the concerned registered persons (recipients) in **Part A of FORM GSTR-2A**, in **FORM GSTR-4A** and in **FORM GSTR-6A** through the common portal after the due date of filing of **FORM GSTR-1**.

(4) The details of inward supplies added, corrected or deleted by the recipient in his **FORM GSTR-2** under section 38 or **FORM GSTR-4** or **FORM GSTR-6** under section 39 shall be made available to the supplier electronically in **FORM GSTR-1A** through the common portal and such supplier may either accept or reject the modifications made by the recipient and **FORM GSTR-1** furnished earlier by the supplier shall stand amended to the extent of modifications accepted by him.

**60. Form and manner of furnishing details of inward supplies.-** (1) **Every registered person, other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, required to furnish the details of inward supplies of goods or**

services or both received during a tax period under sub-section (2) of section 38 shall, on the basis of details contained in Part A, Part Band Part C of FORM GSTR-2A, prepare such details as specified in sub-section (1) of the said section and furnish the same in FORM GSTR-2 electronically through the common portal, either directly or from a Facilitation Centre notified by the Commissioner, after including therein details of such other inward supplies, if any, required to be furnished under sub-section (2) of section 38.

(2) Every registered person shall furnish the details, if any, required under sub-section (5) of section 38 electronically in **FORM GSTR-2**.

(3) The registered person shall specify the inward supplies in respect of which he is not eligible, either fully or partially, for input tax credit in **FORM GSTR-2** where such eligibility can be determined at the invoice level.

(4) The registered person shall declare the quantum of ineligible input tax credit on inward supplies which is relatable to non-taxable supplies or for purposes other than business and cannot be determined at the invoice level in **FORM GSTR-2**.

(4A) The details of invoices furnished by an non-resident taxable person in his return in **FORM GSTR-5** under rule 63 shall be made available to the recipient of credit in **Part A** of **FORM GSTR 2A** electronically through the common portal and the said recipient may include the same in **FORM GSTR-2**.

(5) The details of invoices furnished by an Input Service Distributor in his return in **FORM GSTR-6** under rule 65 shall be made available to the recipient of credit in **Part B** of **FORM GSTR 2A** electronically through the common portal and the said recipient may include the same in **FORM GSTR-2**.

(6) The details of tax deducted at source furnished by the deductor under sub-section (3) of section 39 in **FORM GSTR-7** shall be made available to the deductee in **Part C** of **FORM GSTR-2A** electronically through the common portal and the said deductee may include the same in **FORM GSTR-2**.

(7) The details of tax collected at source furnished by an e-commerce operator under section 52 in **FORM GSTR-8** shall be made available to the concerned person in **Part C** of **FORM GSTR 2A** electronically through the common portal and such person may include the same in **FORM GSTR-2**.

(8) The details of inward supplies of goods or services or both furnished in **FORM GSTR-2** shall include the -

- (a) invoice wise details of all inter-State and intra-State supplies received from registered persons or unregistered persons;
- (b) import of goods and services made; and
- (c) debit and credit notes, if any, received from supplier.

**61. Form and manner of submission of monthly return.- (1) Every registered person other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 or an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under section 10 or section 51 or, as the case may be, under section 52 shall furnish a return specified under sub-section (1) of**



**section 39 in FORM GSTR-3 electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.**

(2) **Part A** of the return under sub-rule (1) shall be electronically generated on the basis of information furnished through **FORM GSTR-1, FORM GSTR-2** and based on other liabilities of preceding tax periods.

(3) Every registered person furnishing the return under sub-rule (1) shall, subject to the provisions of section 49, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act or the provisions of this Chapter by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger and include the details in **Part B** of the return in **FORM GSTR-3**.

(4) A registered person, claiming refund of any balance in the electronic cash ledger in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 49, may claim such refund in **Part B** of the return in **FORM GSTR-3** and such return shall be deemed to be an application filed under section 54.

(5) Where the time limit for furnishing of details in **FORM GSTR-1** under section 37 and in **FORM GSTR-2** under section 38 has been extended and the circumstances so warrant, return in **FORM GSTR-3B**, in lieu of **FORM GSTR-3**, may be furnished in such manner and subject to such conditions as may be notified by the Commissioner.

**62. Form and manner of submission of quarterly return by the composition supplier.-** (1) Every registered person paying tax under section 10 shall, on the basis of details contained in FORM GSTR-4A, and where required, after adding, correcting or deleting the details, furnish the quarterly return in FORM GSTR-4 electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(2) Every registered person furnishing the return under sub-rule (1) shall discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act or the provisions of this Chapter by debiting the electronic cash ledger.

(3) The return furnished under sub-rule (1) shall include the -

- (a) invoice wise inter-State and intra-State inward supplies received from registered and un-registered persons; and
- (b) consolidated details of outward supplies made.

(4) A registered person who has opted to pay tax under section 10 from the beginning of a financial year shall, where required, furnish the details of outward and inward supplies and return under rule 59, rule 60 and rule 61 relating to the period during which the person was liable to furnish such details and returns till the due date of furnishing the return for the month of September of the succeeding financial year or furnishing of annual return of the preceding financial year, whichever is earlier.

*Explanation.*— For the purpose of this sub-rule, it is hereby declared that the person shall not be eligible to avail of input tax credit on receipt of invoices or debit notes from the supplier for the period prior to his opting for the composition scheme.



(5) A registered person opting to withdraw from the composition scheme at his own motion or where option is withdrawn at the instance of the proper officer shall, where required, furnish the details relating to the period prior to his opting for payment of tax under section 9 in **FORM GSTR- 4** till the due date of furnishing the return for the quarter ending September of the succeeding financial year or furnishing of annual return of the preceding financial year, whichever is earlier.

**63. Form and manner of submission of return by non-resident taxable person.-** Every registered non-resident taxable person shall furnish a return in **FORM GSTR-5** electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, including therein the details of outward supplies and inward supplies and shall pay the tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act or the provisions of this Chapter within twenty days after the end of a tax period or within seven days after the last day of the validity period of registration, whichever is earlier.

**64. Form and manner of submission of return by persons providing online information and database access or retrieval services.-** Every registered person providing online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India other than a registered person shall file return in **FORM GSTR-5A** on or before the twentieth day of the month succeeding the calendar month or part thereof.

**65. Form and manner of submission of return by an Input Service Distributor.-** Every Input Service Distributor shall, on the basis of details contained in FORM GSTR-6A, and where required, after adding, correcting or deleting the details, furnish electronically the return in FORM GSTR-6, containing the details of tax invoices on which credit has been received and those issued under section 20, through the common portal either directly or from a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

**66. Form and manner of submission of return by a person required to deduct tax at source.-** (1) Every registered person required to deduct tax at source under section 51 (hereafter in this rule referred to as deductor) shall furnish a return in FORM GSTR-7 electronically through the common portal either directly or from a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(2) The details furnished by the deductor under sub-rule (1) shall be made available electronically to each of the suppliers in **Part C** of **FORM GSTR-2A** and **FORM-GSTR-4A** on the common portal after the due date of filing of **FORM GSTR-7**.

(3) The certificate referred to in sub-section (3) of section 51 shall be issued by deductor electronically on the basis of the return furnished under sub-rule (1) through the common portal in **FORM GSTR-7A**.

**67. Form and manner of submission of statement of supplies through an e-commerce operator.-** (1) Every electronic commerce operator required to collect tax at source under section 52 shall furnish a statement in FORM GSTR-8 electronically on the common portal, either directly or from a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

containing details of supplies effected through such operator and the amount of tax collected as required under sub-section (1) of section 52.

(2) The details furnished by the operator under sub-rule (1) shall be made available electronically to each of the suppliers in **Part C of FORM GSTR-2A** on the common portal after the due date of filing of **FORM GSTR-8**.

**68. Notice to non-filers of returns.- A notice in FORM GSTR-3A shall be issued, electronically, to a registered person who fails to furnish return under section 39 or section 44 or section 45 or section 52.**

**69. Matching of claim of input tax credit .-** The following details relating to the claim of input tax credit on inward supplies including imports, provisionally allowed under section 41, shall be matched under section 42 after the due date for furnishing the return in **FORM GSTR-3-**

- (a) Goods and Services Tax Identification Number of the supplier;
- (b) Goods and Services Tax Identification Number of the recipient;
- (c) invoice or debit note number;
- (d) invoice or debit note date; and
- (e) tax amount:

Provided that where the time limit for furnishing **FORM GSTR-1** specified under section 37 and **FORM GSTR-2** specified under section 38 has been extended, the date of matching relating to claim of input tax credit shall also be extended accordingly:

Provided further that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by order, extend the date of matching relating to claim of input tax credit to such date as may be specified therein.

*Explanation.-* For the purpose of this rule, it is hereby declared that –

- (i) The claim of input tax credit in respect of invoices and debit notes in **FORM GSTR-2** that were accepted by the recipient on the basis of **FORM GSTR-2A** without amendment shall be treated as matched if the corresponding supplier has furnished a valid return;
- (ii) The claim of input tax credit shall be considered as matched where the amount of input tax credit claimed is equal to or less than the output tax paid on such tax invoice or debit note by the corresponding supplier.

**70. Final acceptance of input tax credit and communication thereof.-** (1) The final acceptance of claim of input tax credit in respect of any tax period, specified in sub-section (2) of section 42, shall be made available electronically to the registered person making such claim in **FORM GST MIS-1** through the common portal.

(2) The claim of input tax credit in respect of any tax period which had been communicated as mismatched but is found to be matched after rectification by the supplier or recipient shall be finally accepted and made available electronically to the person making such claim in **FORM GST MIS-1** through the common portal.

**71. Communication and rectification of discrepancy in claim of input tax credit and reversal of claim of input tax credit.-** (1) Any discrepancy in the claim of input tax credit in respect of any tax period, specified in sub-section (3) of section 42 and the details of output tax liable to be added under sub-section (5) of the said section on account of continuation of such discrepancy, shall be made available to the recipient making such claim electronically in **FORM GST MIS-1** and to the supplier electronically in **FORM GST MIS-2** through the common portal on or before the last date of the month in which the matching has been carried out.

(2) A supplier to whom any discrepancy is made available under sub-rule (1) may make suitable rectifications in the statement of outward supplies to be furnished for the month in which the discrepancy is made available.

(3) A recipient to whom any discrepancy is made available under sub-rule (1) may make suitable rectifications in the statement of inward supplies to be furnished for the month in which the discrepancy is made available.

(4) Where the discrepancy is not rectified under sub-rule (2) or sub-rule (3), an amount to the extent of discrepancy shall be added to the output tax liability of the recipient in his return to be furnished in **FORM GSTR-3** for the month succeeding the month in which the discrepancy is made available.

*Explanation.-* For the purpose of this rule, it is hereby declared that -

- (i) Rectification by a supplier means adding or correcting the details of an outward supply in his valid return so as to match the details of corresponding inward supply declared by the recipient;
- (ii) Rectification by the recipient means deleting or correcting the details of an inward supply so as to match the details of corresponding outward supply declared by the supplier.

**72. Claim of input tax credit on the same invoice more than once.- Duplication of claims of input tax credit in the details of inward supplies shall be communicated to the registered person in FORM GST MIS-1 electronically through the common portal.**

**73. Matching of claim of reduction in the output tax liability .-**The following details relating to the claim of reduction in output tax liability shall be matched under section 43 after the due date for furnishing the return in **FORM GSTR-3:-**

- (a) Goods and Services Tax Identification Number of the supplier;
- (b) Goods and Services Tax Identification Number of the recipient;
- (c) credit note number;
- (d) credit note date; and
- (e) tax amount:

Provided that where the time limit for furnishing **FORM GSTR-1** under section 37 and **FORM GSTR-2** under section 38 has been extended, the date of matching of claim of reduction in the output tax liability shall be extended accordingly:

Provided further that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by order, extend the date of matching relating to claim of reduction in output tax liability to such date as may be specified therein.

*Explanation.*- For the purpose of this rule, it is hereby declared that –

- (i) The claim of reduction in output tax liability due to issuance of credit notes in **FORM GSTR-1** that were accepted by the corresponding recipient in **FORM GSTR-2** without amendment shall be treated as matched if the said recipient has furnished a valid return.
- (ii) The claim of reduction in the output tax liability shall be considered as matched where the amount of output tax liability after taking into account the reduction claimed is equal to or more than the claim of input tax credit after taking into account the reduction admitted and discharged on such credit note by the corresponding recipient in his valid return.

**74. Final acceptance of reduction in output tax liability and communication thereof.-**

(1) The final acceptance of claim of reduction in output tax liability in respect of any tax period, specified in sub-section (2) of section 43, shall be made available electronically to the person making such claim in **FORM GST MIS-1** through the common portal.

(2) The claim of reduction in output tax liability in respect of any tax period which had been communicated as mis-matched but is found to be matched after rectification by the supplier or recipient shall be finally accepted and made available electronically to the person making such claim in **FORM GST MIS-1** through the common portal.

**75. Communication and rectification of discrepancy in reduction in output tax liability and reversal of claim of reduction.-** (1) Any discrepancy in claim of reduction in output tax liability, specified in sub-section (3) of section 43, and the details of output tax liability to be added under sub-section (5) of the said section on account of continuation of such discrepancy, shall be made available to the registered person making such claim electronically in **FORM GST MIS- 1** and the recipient electronically in **FORM GST MIS-2** through the common portal on or before the last date of the month in which the matching has been carried out.

(2) A supplier to whom any discrepancy is made available under sub-rule (1) may make suitable rectifications in the statement of outward supplies to be furnished for the month in which the discrepancy is made available.

(3) A recipient to whom any discrepancy is made available under sub-rule (1) may make suitable rectifications in the statement of inward supplies to be furnished for the month in which the discrepancy is made available.

(4) Where the discrepancy is not rectified under sub-rule (2) or sub-rule (3), an amount to the extent of discrepancy shall be added to the output tax liability of the supplier and debited to the electronic liability register and also shown in his return in **FORM GSTR-3** for the month succeeding the month in which the discrepancy is made available.

*Explanation.*- For the purpose of this rule, it is hereby declared that –

(i) Rectification by a supplier means deleting or correcting the details of an outward supply in his valid return so as to match the details of corresponding inward supply declared by the recipient;

(ii) Rectification by the recipient means adding or correcting the details of an inward supply so as to match the details of corresponding outward supply declared by the supplier.

**76. Claim of reduction in output tax liability more than once.-** The duplication of claims for reduction in output tax liability in the details of outward supplies shall be communicated to the registered person in **FORM GST MIS-1** electronically through the common portal.

**77. Refund of interest paid on reclaim of reversals.-** The interest to be refunded under sub-section (9) of section 42 or sub-section (9) of section 43 shall be claimed by the registered person in his return in **FORM GSTR-3** and shall be credited to his electronic cash ledger in **FORM GST PMT-05** and the amount credited shall be available for payment of any future liability towards interest or the taxable person may claim refund of the amount under section 54.

**78. Matching of details furnished by the e-Commerce operator with the details furnished by the supplier.-** The following details relating to the supplies made through an e-Commerce operator, as declared in **FORM GSTR-8**, shall be matched with the corresponding details declared by the supplier in **FORM GSTR-1**-

- (a) State of place of supply; and
- (b) net taxable value:

Provided that where the time limit for furnishing **FORM GSTR-1** under section 37 has been extended, the date of matching of the above mentioned details shall be extended accordingly.

Provided further that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by order, extend the date of matching to such date as may be specified therein.

**79. Communication and rectification of discrepancy in details furnished by the e-commerce operator and the supplier.-** (1) Any discrepancy in the details furnished by the operator and those declared by the supplier shall be made available to the supplier electronically in **FORM GST MIS-3** and to the e-commerce operator electronically in **FORM GST MIS-4** on the common portal on or before the last date of the month in which the matching has been carried out.

(2) A supplier to whom any discrepancy is made available under sub-rule (1) may make suitable rectifications in the statement of outward supplies to be furnished for the month in which the discrepancy is made available.

(3) An operator to whom any discrepancy is made available under sub-rule (1) may make suitable rectifications in the statement to be furnished for the month in which the discrepancy is made available.

(4) Where the discrepancy is not rectified under sub-rule (2) or sub-rule (3), an amount to the extent of discrepancy shall be added to the output tax liability of the supplier in his return in **FORM GSTR-3** for the month succeeding the month in which the details of discrepancy are made available and such addition to the output tax liability and interest

payable thereon shall be made available to the supplier electronically on the common portal in **FORM GST MIS-3**.

**80. Annual return.-** (1) Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return as specified under sub-section (1) of section 44 electronically in **FORM GSTR-9** through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that a person paying tax under section 10 shall furnish the annual return in **FORM GSTR-9A**.

(2) Every electronic commerce operator required to collect tax at source under section 52 shall furnish annual statement referred to in sub-section (5) of the said section in **FORM GSTR -9B**.

(3) Every registered person whose aggregate turnover during a financial year exceeds two crore rupees shall get his accounts audited as specified under sub-section (5) of section 35 and he shall furnish a copy of audited annual accounts and a reconciliation statement, duly certified, in **FORM GSTR-9C**, electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

**81. Final return.-** Every registered person required to furnish a final return under section 45, shall furnish such return electronically in **FORM GSTR-10** through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

**82. Details of inward supplies of persons having Unique Identity Number.-** (1) Every person who has been issued a Unique Identity Number and claims refund of the taxes paid on his inward supplies, shall furnish the details of such supplies of taxable goods or services or both electronically in **FORM GSTR-11**, along with application for such refund claim, through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(2) Every person who has been issued a Unique Identity Number for purposes other than refund of the taxes paid shall furnish the details of inward supplies of taxable goods or services or both as may be required by the proper officer in **FORM GSTR-11**.

**83. Provisions relating to a goods and services tax practitioner.-**(1) An application in **FORM GST PCT-01** may be made electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner for enrolment as goods and services tax practitioner by any person who-

- (a) (i) is a citizen of India;
  - (ii) is a person of sound mind;
  - (iii) is not adjudicated as insolvent;
  - (iv) has not been convicted by a competent court;-
- (b) satisfies any of the following conditions, namely:-

(i) that he is a retired officer of the Commercial Tax Department of any State Government or of the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue, Government of India, who, during his service under the Government, had worked in a post not lower in rank than that of a Group-B gazetted officer for a period of not less than two years; or

(ii) that he has enrolled as a sales tax practitioner or tax return preparer under the existing law for a period of not less than five years;

(c) he has passed-

(i) a graduate or postgraduate degree or its equivalent examination having a degree in Commerce, Law, Banking including Higher Auditing, or Business Administration or Business Management from any Indian University established by any law for the time being in force; or

(ii) a degree examination of any Foreign University recognized by any Indian University as equivalent to the degree examination mentioned in sub-clause (i); or

(iii) any other examination notified by the Government, on the recommendation of the Council, for this purpose; or

(iv) has passed any of the following examinations, namely:-

(a) final examination of the Institute of Chartered Accountants of India; or

(b) final examination of the Institute of Cost Accountants of India; or

(c) final examination of the Institute of Company Secretaries of India.

(2) On receipt of the application referred to in sub-rule (1), the officer authorised in this behalf shall, after making such enquiry as he considers necessary, either enrol the applicant as a goods and services tax practitioner and issue a certificate to that effect in **FORM GST PCT-02** or reject his application where it is found that the applicant is not qualified to be enrolled as a goods and services tax practitioner.

(3) The enrolment made under sub-rule (2) shall be valid until it is cancelled:

Provided that no person enrolled as a goods and services tax practitioner shall be eligible to remain enrolled unless he passes such examination conducted at such periods and by such authority as may be notified by the Commissioner on the recommendations of the Council:

Provided further that no person to whom the provisions of clause (c) of sub-section (1) apply shall be eligible to remain enrolled unless he passes the said examination within a period of one year from the appointed date.



(4) If any goods and services tax practitioner is found guilty of misconduct in connection with any proceedings under the Act, the authorised officer may, after giving him a notice to show cause in **FORM GST PCT-03** for such misconduct and after giving him a reasonable opportunity of being heard, by order in **FORM GST PCT -04** direct that he shall henceforth be disqualified under section 48 to function as a goods and services tax practitioner.

(5) Any person against whom an order under sub-rule (4) is made may, within thirty days from the date of issue of such order, appeal to the Commissioner against such order.

(6) Any registered person may, at his option, authorise a goods and services tax practitioner on the common portal in **FORM GST PCT-05** or, at any time, withdraw such authorisation in **FORM GST PCT-05** and the goods and services tax practitioner so authorised shall be allowed to undertake such tasks as indicated in the said authorisation during the period of authorisation.

(7) Where a statement required to be furnished by a registered person has been furnished by the goods and services tax practitioner authorised by him, a confirmation shall be sought from the registered person over email or SMS and the statement furnished by the goods and services tax practitioner shall be made available to the registered person on the common portal:

Provided that where the registered person fails to respond to the request for confirmation till the last date of furnishing of such statement, it shall be deemed that he has confirmed the statement furnished by the goods and services tax practitioner.

(8) A goods and services tax practitioner can undertake any or all of the following activities on behalf of a registered person, if so authorised by him to-

- (a) furnish the details of outward and inward supplies;
- (b) furnish monthly, quarterly, annual or final return;
- (c) make deposit for credit into the electronic cash ledger;
- (d) file a claim for refund; and
- (e) file an application for amendment or cancellation of registration:

Provided that where any application relating to a claim for refund or an application for amendment or cancellation of registration has been submitted by the goods and services tax practitioner authorised by the registered person, a confirmation shall be sought from the registered person and the application submitted by the said practitioner shall be made available to the registered person on the common portal and such application shall not be proceeded with further until the registered person gives his consent to the same.

(9) Any registered person opting to furnish his return through a goods and services tax practitioner shall-



- (a) give his consent in **FORM GST PCT-05** to any goods and services tax practitioner to prepare and furnish his return; and
- (b) before confirming submission of any statement prepared by the goods and services tax practitioner, ensure that the facts mentioned in the return are true and correct.
- (10) The goods and services tax practitioner shall-
- (a) prepare the statements with due diligence; and
- (b) affix his digital signature on the statements prepared by him or electronically verify using his credentials.
- (11) A goods and services tax practitioner enrolled in any other State or Union territory shall be treated as enrolled in the State or Union territory for the purposes specified in sub-rule (8).

**84. Conditions for purposes of appearance.-** (1) No person shall be eligible to attend before any authority as a goods and services tax practitioner in connection with any proceedings under the Act on behalf of any registered or un-registered person unless he has been enrolled under rule 83.

(2) A goods and services tax practitioner attending on behalf of a registered or an un-registered person in any proceedings under the Act before any authority shall produce before such authority, if required, a copy of the authorisation given by such person in **FORM GST PCT-05**.

#### Chapter IX Payment of Tax

**85. Electronic Liability Register.-** (1) The electronic liability register specified under sub-section (7) of section 49 shall be maintained in **FORM GST PMT-01** for each person liable to pay tax, interest, penalty, late fee or any other amount on the common portal and all amounts payable by him shall be debited to the said register.

- (2) The electronic liability register of the person shall be debited by-
- (a) the amount payable towards tax, interest, late fee or any other amount payable as per the return furnished by the said person;
- (b) the amount of tax, interest, penalty or any other amount payable as determined by a proper officer in pursuance of any proceedings under the Act or as ascertained by the said person;
- (c) the amount of tax and interest payable as a result of mismatch under section 42 or section 43 or section 50; or
- (d) any amount of interest that may accrue from time to time.
- (3) Subject to the provisions of section 49, payment of every liability by a registered person as per his return shall be made by debiting the electronic credit ledger maintained as

per rule 86 or the electronic cash ledger maintained as per rule 87 and the electronic liability register shall be credited accordingly.

(4) The amount deducted under section 51, or the amount collected under section 52, or the amount payable on reverse charge basis, or the amount payable under section 10, any amount payable towards interest, penalty, fee or any other amount under the Act shall be paid by debiting the electronic cash ledger maintained as per rule 87 and the electronic liability register shall be credited accordingly.

(5) Any amount of demand debited in the electronic liability register shall stand reduced to the extent of relief given by the appellate authority or Appellate Tribunal or court and the electronic tax liability register shall be credited accordingly.

(6) The amount of penalty imposed or liable to be imposed shall stand reduced partly or fully, as the case may be, if the taxable person makes the payment of tax, interest and penalty specified in the show cause notice or demand order and the electronic liability register shall be credited accordingly.

(7) A registered person shall, upon noticing any discrepancy in his electronic liability ledger, communicate the same to the officer exercising jurisdiction in the matter, through the common portal in **FORM GST PMT-04**.

**86. Electronic Credit Ledger.-** (1) The electronic credit ledger shall be maintained in **FORM GST PMT-02** for each registered person eligible for input tax credit under the Act on the common portal and every claim of input tax credit under the Act shall be credited to the said ledger.

(2) The electronic credit ledger shall be debited to the extent of discharge of any liability in accordance with the provisions of section 49.

(3) Where a registered person has claimed refund of any unutilized amount from the electronic credit ledger in accordance with the provisions of section 54, the amount to the extent of the claim shall be debited in the said ledger.

(4) If the refund so filed is rejected, either fully or partly, the amount debited under sub-rule (3), to the extent of rejection, shall be re-credited to the electronic credit ledger by the proper officer by an order made in **FORM GST PMT-03**.

(5) Save as provided in the provisions of this Chapter, no entry shall be made directly in the electronic credit ledger under any circumstance.

(6) A registered person shall, upon noticing any discrepancy in his electronic credit ledger, communicate the same to the officer exercising jurisdiction in the matter, through the common portal in **FORM GST PMT-04**.

*Explanation.*— For the purpose of this rule, it is hereby clarified that a refund shall be deemed to be rejected, if the appeal is finally rejected or if the claimant gives an undertaking to the proper officer that he shall not file an appeal.

**87. Electronic Cash Ledger.**- (1) The electronic cash ledger under sub-section (1) of section 49 shall be maintained in **FORM GST PMT-05** for each person, liable to pay tax, interest, penalty, late fee or any other amount, on the common portal for crediting the amount deposited and debiting the payment therefrom towards tax, interest, penalty, fee or any other amount.

(2) Any person, or a person on his behalf, shall generate a challan in **FORM GST PMT-06** on the common portal and enter the details of the amount to be deposited by him towards tax, interest, penalty, fees or any other amount.

(3) The deposit under sub-rule (2) shall be made through any of the following modes, namely:-

- (i) Internet Banking through authorised banks;
- (ii) Credit card or Debit card through the authorised bank;
- (iii) National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement from any bank; or
- (iv) Over the Counter payment through authorised banks for deposits up to ten thousand rupees per challan per tax period, by cash, cheque or demand draft:

Provided that the restriction for deposit up to ten thousand rupees per challan in case of an Over the Counter payment shall not apply to deposit to be made by –

- (a) Government Departments or any other deposit to be made by persons as may be notified by the Commissioner in this behalf;
- (b) Proper officer or any other officer authorised to recover outstanding dues from any person, whether registered or not, including recovery made through attachment or sale of movable or immovable properties;
- (c) Proper officer or any other officer authorised for the amounts collected by way of cash, cheque or demand draft during any investigation or enforcement activity or any *ad hoc* deposit:

Provided further that the challan in **FORM GST PMT-06** generated at the common portal shall be valid for a period of fifteen days.

*Explanation.*— For the purpose of this sub-rule, it is hereby clarified that for making payment of any amount indicated in the challan, the commission, if any, payable in respect of such payment shall be borne by the person making such payment.

(4) Any payment required to be made by a person who is not registered under the Act, shall be made on the basis of a temporary identification number generated through the common portal.

(5) Where the payment is made by way of National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement mode from any bank, the mandate form shall be generated along with the challan on the common portal and the same shall be submitted to the bank from where the payment is to be made:

Provided that the mandate form shall be valid for a period of fifteen days from the date of generation of challan.

(6) On successful credit of the amount to the concerned government account maintained in the authorised bank, a Challan Identification Number shall be generated by the collecting bank and the same shall be indicated in the challan.

(7) On receipt of the Challan Identification Number from the collecting bank, the said amount shall be credited to the electronic cash ledger of the person on whose behalf the deposit has been made and the common portal shall make available a receipt to this effect.

(8) Where the bank account of the person concerned, or the person making the deposit on his behalf, is debited but no Challan Identification Number is generated or generated but not communicated to the common portal, the said person may represent electronically in **FORM GST PMT-07** through the common portal to the bank or electronic gateway through which the deposit was initiated.

(9) Any amount deducted under section 51 or collected under section 52 and claimed in **FORM GSTR-02** by the registered taxable person from whom the said amount was deducted or, as the case may be, collected shall be credited to his electronic cash ledger in accordance with the provisions of rule 87.

(10) Where a person has claimed refund of any amount from the electronic cash ledger, the said amount shall be debited to the electronic cash ledger.

(11) If the refund so claimed is rejected, either fully or partly, the amount debited under sub-rule (10), to the extent of rejection, shall be credited to the electronic cash ledger by the proper officer by an order made in **FORM GST PMT-03**.

(12) A registered person shall, upon noticing any discrepancy in his electronic cash ledger, communicate the same to the officer exercising jurisdiction in the matter, through the common portal in **FORM GST PMT-04**.

*Explanation 1.-* The refund shall be deemed to be rejected if the appeal is finally rejected.

*Explanation 2.*— For the purpose of this rule, it is hereby clarified that a refund shall be deemed to be rejected, if the appeal is finally rejected or if the claimant gives an undertaking to the proper officer that he shall not file an appeal.

**88. Identification number for each transaction.**- (1) A unique identification number shall be generated at the common portal for each debit or credit to the electronic cash or credit ledger, as the case may be.

(2) The unique identification number relating to discharge of any liability shall be indicated in the corresponding entry in the electronic liability register.

(3) A unique identification number shall be generated at the common portal for each credit in the electronic liability register for reasons other than those covered under sub-rule (2).

#### Chapter X Refund

**89. Application for refund of tax, interest, penalty, fees or any other amount.**-

(1) Any person (except the persons covered by notification issued under section 55) claiming refund of any tax, interest, penalty, fees or any other amount paid by him, other than refund of integrated tax paid on goods exported out of India, may file an application electronically in **FORM GST RFD-01** through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that any claim for refund relating to balance in the electronic cash ledger in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 49 may be made through the return furnished for the relevant tax period in **FORM GSTR-3** or **FORM GSTR-4** or **FORM GSTR-7**, as the case may be:

Provided further that in respect of supplies to a Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer, the application for refund shall be filed by the –

- (a) supplier of goods after such goods have been admitted in full in the Special Economic Zone for authorised operations, as endorsed by the specified officer of the Zone;
- (b) supplier of services along with such evidence regarding receipt of services for authorised operations as endorsed by the specified officer of the Zone:

Provided also that in respect of supplies regarded as deemed exports, the application shall be filed by the recipient of deemed export supplies:

Provided also that refund of any amount, after adjusting the tax payable by the applicant out of the advance tax deposited by him under section 27 at the time of registration, shall be claimed in the last return required to be furnished by him.

(2) The application under sub-rule (1) shall be accompanied by any of the following documentary evidences, as applicable, to establish that a refund is due to the applicant:-

(a) the reference number of the order and a copy of the order passed by the proper officer or an appellate authority or Appellate Tribunal or court resulting in such refund or reference number of the payment of the amount specified in sub-section (6) of section 107 and sub-section (8) of section 112 claimed as refund;

(b) a statement containing the number and date of shipping bills or bills of export and the number and the date of the relevant export invoices, in a case where the refund is on account of export of goods;

(c) a statement containing the number and date of invoices and the relevant Bank Realisation Certificates or Foreign Inward Remittance Certificates, as the case may be, in a case where the refund is on account of the export of services;

(d) a statement containing the number and date of invoices as provided in rule 46 along with the evidence regarding the endorsement specified in the second proviso to sub-rule (1) in the case of the supply of goods made to a Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer;

(e) a statement containing the number and date of invoices, the evidence regarding the endorsement specified in the second proviso to sub-rule (1) and the details of payment, along with the proof thereof, made by the recipient to the supplier for authorised operations as defined under the Special Economic Zone Act, 2005, in a case where the refund is on account of supply of services made to a Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer;

(f) a declaration to the effect that the Special Economic Zone unit or the Special Economic Zone developer has not availed the input tax credit of the tax paid by the supplier of goods or services or both, in a case where the refund is on account of supply of goods or services made to a Special Economic Zone unit or a Special Economic Zone developer;

(g) a statement containing the number and date of invoices along with such other evidence as may be notified in this behalf, in a case where the refund is on account of deemed exports;

(h) a statement in Annex 1 of **FORM GST RFD-01** containing the number and the date of the invoices received and issued during a tax period in a case where the claim pertains to refund of any unutilized input tax credit under sub-section (3) of section 54 where the credit has accumulated on account of the rate of tax on the inputs being higher than the rate of tax on output supplies, other than nil-rated or fully exempt supplies;

- (i) the reference number of the final assessment order and a copy of the said order in a case where the refund arises on account of the finalisation of provisional assessment;
- (j) a statement showing the details of transactions considered as intra-State supply but which is subsequently held to be inter-State supply;
- (k) a statement showing the details of the amount of claim on account of excess payment of tax;
- (l) a declaration to the effect that the incidence of tax, interest or any other amount claimed as refund has not been passed on to any other person, in a case where the amount of refund claimed does not exceed two lakh rupees:

Provided that a declaration is not required to be furnished in respect of the cases covered under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54;

- (m) a Certificate in Annex 2 of **FORM GST RFD-01** issued by a chartered accountant or a cost accountant to the effect that the incidence of tax, interest or any other amount claimed as refund has not been passed on to any other person, in a case where the amount of refund claimed exceeds two lakh rupees:

Provided that a certificate is not required to be furnished in respect of cases covered under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54;

*Explanation.*— For the purposes of this rule-

- (i) in case of refunds referred to in clause (c) of sub-section (8) of section 54, the expression “invoice” means invoice conforming to the provisions contained in section 31;
- (ii) where the amount of tax has been recovered from the recipient, it shall be deemed that the incidence of tax has been passed on to the ultimate consumer.

(3) Where the application relates to refund of input tax credit, the electronic credit ledger shall be debited by the applicant by an amount equal to the refund so claimed.

(4) In the case of zero-rated supply of goods or services or both without payment of tax under bond or letter of undertaking in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 16 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), refund of input tax credit shall be granted as per the following formula -

Refund Amount = (Turnover of zero-rated supply of goods + Turnover of zero-rated supply of services) x Net ITC ÷ Adjusted Total Turnover

Where,-

- (A) "Refund amount" means the maximum refund that is admissible;



(B) "Net ITC" means input tax credit availed on inputs and input services during the relevant period;

(C) "Turnover of zero-rated supply of goods" means the value of zero-rated supply of goods made during the relevant period without payment of tax under bond or letter of undertaking;

(D) "Turnover of zero-rated supply of services" means the value of zero-rated supply of services made without payment of tax under bond or letter of undertaking, calculated in the following manner, namely:-

Zero-rated supply of services is the aggregate of the payments received during the relevant period for zero-rated supply of services and zero-rated supply of services where supply has been completed for which payment had been received in advance in any period prior to the relevant period reduced by advances received for zero-rated supply of services for which the supply of services has not been completed during the relevant period;

(E) "Adjusted Total turnover" means the turnover in a State or a Union territory, as defined under sub-section (112) of section 2, excluding the value of exempt supplies other than zero-rated supplies, during the relevant period;

(F) "Relevant period" means the period for which the claim has been filed.

(5) In the case of refund on account of inverted duty structure, refund of input tax credit shall be granted as per the following formula -

$$\text{Maximum Refund Amount} = \left\{ \frac{\text{Turnover of inverted rated supply of goods} \times \text{Net ITC}}{\text{Adjusted Total Turnover}} \right\} - \text{tax payable on such inverted rated supply of goods}$$

Explanation.- For the purposes of this sub rule, the expressions "Net ITC" and "Adjusted Total turnover" shall have the same meanings as assigned to them in sub-rule (4).

**90. Acknowledgement.-** (1) Where the application relates to a claim for refund from the electronic cash ledger, an acknowledgement in **FORM GST RFD-02** shall be made available to the applicant through the common portal electronically, clearly indicating the date of filing of the claim for refund and the time period specified in sub-section (7) of section 54 shall be counted from such date of filing.

(2) The application for refund, other than claim for refund from electronic cash ledger, shall be forwarded to the proper officer who shall, within a period of fifteen days of filing of the said application, scrutinize the application for its completeness and where the application is found to be complete in terms of sub-rule (2), (3) and (4) of rule 89, an acknowledgement in **FORM GST RFD-02** shall be made available to the applicant through the common portal electronically, clearly indicating the date of filing of the claim for refund and the time period specified in sub-section (7) of section 54 shall be counted from such date of filing.



(3) Where any deficiencies are noticed, the proper officer shall communicate the deficiencies to the applicant in **FORM GST RFD-03** through the common portal electronically, requiring him to file a fresh refund application after rectification of such deficiencies.

(4) Where deficiencies have been communicated in **FORM GST RFD-03** under the Central Goods and Service Tax Rules, the same shall also deemed to have been communicated under this rule along with the deficiencies communicated under sub-rule (3).

**91. Grant of provisional refund.**-(1) The provisional refund in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 54 shall be granted subject to the condition that the person claiming refund has, during any period of five years immediately preceding the tax period to which the claim for refund relates, not been prosecuted for any offence under the Act or under an existing law where the amount of tax evaded exceeds two hundred and fifty lakh rupees.

(2) The proper officer, after scrutiny of the claim and the evidence submitted in support thereof and on being *prima facie* satisfied that the amount claimed as refund under sub-rule (1) is due to the applicant in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 54, shall make an order in **FORM GST RFD-04**, sanctioning the amount of refund due to the said applicant on a provisional basis within a period not exceeding seven days from the date of the acknowledgement under sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 90.

(3) The proper officer shall issue a payment advice in **FORM GST RFD-05** for the amount sanctioned under sub-rule (2) and the same shall be electronically credited to any of the bank accounts of the applicant mentioned in his registration particulars and as specified in the application for refund.

**92. Order sanctioning refund.**- (1) Where, upon examination of the application, the proper officer is satisfied that a refund under sub-section (5) of section 54 is due and payable to the applicant, he shall make an order in **FORM GST RFD-06**, sanctioning the amount of refund to which the applicant is entitled, mentioning therein the amount, if any, refunded to him on a provisional basis under sub-section (6) of section 54, amount adjusted against any outstanding demand under the Act or under any existing law and the balance amount refundable:

Provided that in cases where the amount of refund is completely adjusted against any outstanding demand under the Act or under any existing law, an order giving details of the adjustment shall be issued in Part A of **FORM GST RFD-07**.

(2) Where the proper officer or the Commissioner is of the opinion that the amount of refund is liable to be withheld under the provisions of sub-section (10) or, as the case may be, sub-section (11) of section 54, he shall pass an order in Part B of **FORM GST RFD-07** informing him the reasons for withholding of such refund.

(3) Where the proper officer is satisfied, for reasons to be recorded in writing, that the whole or any part of the amount claimed as refund is not admissible or is not payable to the

applicant, he shall issue a notice in **FORM GST RFD-08** to the applicant, requiring him to furnish a reply in **FORM GST RFD-09** within a period of fifteen days of the receipt of such notice and after considering the reply, make an order in **FORM GST RFD-06**, sanctioning the amount of refund in whole or part, or rejecting the said refund claim and the said order shall be made available to the applicant electronically and the provisions of sub-rule (1) shall, *mutatis mutandis*, apply to the extent refund is allowed:

Provided that no application for refund shall be rejected without giving the applicant an opportunity of being heard.

(4) Where the proper officer is satisfied that the amount refundable under sub-rule (1) or sub-rule (2) is payable to the applicant under sub-section (8) of section 54, he shall make an order in **FORM GST RFD-06** and issue a payment advice in **FORM GST RFD-05**, for the amount of refund and the same shall be electronically credited to any of the bank accounts of the applicant mentioned in his registration particulars and as specified in the application for refund.

(5) Where the proper officer is satisfied that the amount refundable under sub-rule (1) or sub-rule (2) is not payable to the applicant under sub-section (8) of section 54, he shall make an order in **FORM GST RFD-06** and issue an advice in **FORM GST RFD-05**, for the amount of refund to be credited to the Consumer Welfare Fund.

**93. Credit of the amount of rejected refund claim.-** (1) Where any deficiencies have been communicated under sub-rule (3) of rule 90, the amount debited under sub-rule (3) of rule 89 shall be re-credited to the electronic credit ledger.

(2) Where any amount claimed as refund is rejected under rule 92, either fully or partly, the amount debited, to the extent of rejection, shall be re-credited to the electronic credit ledger by an order made in **FORM GST PMT-03**.

*Explanation.-* For the purposes of this rule, a refund shall be deemed to be rejected, if the appeal is finally rejected or if the claimant gives an undertaking in writing to the proper officer that he shall not file an appeal.

**94. Order sanctioning interest on delayed refunds.-** Where any interest is due and payable to the applicant under section 56, the proper officer shall make an order along with a payment advice in **FORM GST RFD-05**, specifying therein the amount of refund which is delayed, the period of delay for which interest is payable and the amount of interest payable, and such amount of interest shall be electronically credited to any of the bank accounts of the applicant mentioned in his registration particulars and as specified in the application for refund.

**95. Refund of tax to certain persons.-** (1) Any person eligible to claim refund of tax paid by him on his inward supplies as per notification issued section 55 shall apply for refund in **FORM GST RFD-10** once in every quarter, electronically on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, along with a statement of the inward supplies of goods or services or both in **FORM GSTR-11**, prepared on the basis of the statement of the outward supplies furnished by the corresponding suppliers in **FORM GSTR-1**.

(2) An acknowledgement for the receipt of the application for refund shall be issued in **FORM GST RFD-02**.

(3) The refund of tax paid by the applicant shall be available if-

(a) the inward supplies of goods or services or both were received from a registered person against a tax invoice and the price of the supply covered under a single tax invoice exceeds five thousand rupees, excluding tax paid, if any;

(b) name and Goods and Services Tax Identification Number or Unique Identity Number of the applicant is mentioned in the tax invoice; and

(c) such other restrictions or conditions as may be specified in the notification are satisfied.

(4) The provisions of rule 92 shall, *mutatis mutandis*, apply for the sanction and payment of refund under this rule.

(5) Where an express provision in a treaty or other international agreement, to which the President or the Government of India is a party, is inconsistent with the provisions of this Chapter rules, such treaty or international agreement shall prevail.

**96. Refund of integrated tax paid on goods exported out of India.-**(1) The shipping bill filed by an exporter shall be deemed to be an application for refund of integrated tax paid on the goods exported out of India and such application shall be deemed to have been filed only when:-

(a) the person in charge of the conveyance carrying the export goods duly files an export manifest or an export report covering the number and the date of shipping bills or bills of export; and

(b) the applicant has furnished a valid return in **FORM GSTR-3**;

(2) The details of the relevant export invoices contained in **FORM GSTR-1** shall be transmitted electronically by the common portal to the system designated by the Customs and the said system shall electronically transmit to the common portal, a confirmation that the goods covered by the said invoices have been exported out of India.

(3) Upon the receipt of the information regarding the furnishing of a valid return in **FORM GSTR-3** from the common portal, the system designated by the Customs shall process the claim for refund and an amount equal to the integrated tax paid in respect of each shipping bill or bill of export shall be electronically credited to the bank account of the applicant mentioned in his registration particulars and as intimated to the Customs authorities.

(4) The claim for refund shall be withheld where,-

(a) a request has been received from the jurisdictional Commissioner of central tax, State tax or Union territory tax to withhold the payment of refund due to the person claiming refund in accordance with the provisions of sub-section (10) or sub-section (11) of section 54; or

(b) the proper officer of Customs determines that the goods were exported in violation of the provisions of the Customs Act, 1962.

(5) Where refund is withheld in accordance with the provisions of clause (a) of sub-rule (4), the proper officer of integrated tax at the Customs station shall intimate the applicant and the jurisdictional Commissioner of central tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, and a copy of such intimation shall be transmitted to the common portal.

(6) Upon transmission of the intimation under sub-rule (5), the proper officer of central tax or State tax or Union territory tax, as the case may be, shall pass an order in **Part B of FORM GST RFD-07**.

(7) Where the applicant becomes entitled to refund of the amount withheld under clause (a) of sub-rule (4), the concerned jurisdictional officer of central tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, shall proceed to refund the amount after passing an order in **FORM GST RFD-06**.

(8) The Central Government may pay refund of the integrated tax to the Government of Bhutan on the exports to Bhutan for such class of goods as may be notified in this behalf and where such refund is paid to the Government of Bhutan, the exporter shall not be paid any refund of the integrated tax.

**97. Consumer Welfare Fund.-** (1) All credits to the Consumer Welfare Fund shall be made under sub-rule (5) of rule 92.

(2) Any amount, having been credited to the Fund, ordered or directed as payable to any claimant by orders of the proper officer, appellate authority or Appellate Tribunal or court, shall be paid from the Fund.

(3) Any utilisation of amount from the Consumer Welfare Fund under sub-section (1) of section 58 shall be made by debiting the Consumer Welfare Fund account and crediting the account to which the amount is transferred for utilisation.

(4) The Government shall, by an order, constitute a Standing Committee with a Chairman, a Vice-Chairman, a Member Secretary and such other Members as it may deem fit and the Committee shall make recommendations for proper utilisation of the money credited to the Consumer Welfare Fund for welfare of the consumers.

(5) The Committee shall meet as and when necessary, but not less than once in three months.

(6) Any agency or organisation engaged in consumer welfare activities for a period of three years registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or under any other law for the time being in force, including village or mandal or samiti level co-operatives of consumers especially Women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, or any industry as defined in the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) recommended by the Bureau of Indian Standards to be engaged for a period of five years in viable and useful research activity which has made, or is likely to make, significant contribution in formulation of standard mark of the products of mass consumption, the Central Government or the State Government may make an application for a grant from the Consumer Welfare Fund:

Provided that a consumer may make application for reimbursement of legal expenses incurred by him as a complainant in a consumer dispute, after its final adjudication.

(7) All applications for grant from the Consumer Welfare Fund shall be made by the applicant Member Secretary, but the Committee shall not consider an application, unless it has been inquired into in material details and recommended for consideration accordingly, by the Member Secretary.

(8) The Committee shall have powers -

- (a) to require any applicant to produce before it, or before a duly authorised Officer of the Government such books, accounts, documents, instruments, or commodities in custody and control of the applicant, as may be necessary for proper evaluation of the application;
- (b) to require any applicant to allow entry and inspection of any premises, from which activities claimed to be for the welfare of consumers are stated to be carried on, to a duly authorised officer of the Central Government or, as the case may be, State Government;
- (c) to get the accounts of the applicants audited, for ensuring proper utilisation of the grant;
- (d) to require any applicant, in case of any default, or suppression of material information on his part, to refund in lump-sum, the sanctioned grant to the Committee, and to be subject to prosecution under the Act;

- (e) to recover any sum due from any applicant in accordance with the provisions of the Act;
  - (f) to require any applicant, or class of applicants to submit a periodical report, indicating proper utilisation of the grant;
  - (g) to reject an application placed before it on account of factual inconsistency, or inaccuracy in material particulars;
  - (h) to recommend minimum financial assistance, by way of grant to an applicant, having regard to his financial status, and importance and utility of nature of activity under pursuit, after ensuring that the financial assistance provided shall not be misutilised;
  - (i) to identify beneficial and safe sectors, where investments out of Consumer Welfare Fund may be made and make recommendations, accordingly;
  - (j) to relax the conditions required for the period of engagement in consumer welfare activities of an applicant;
  - (k) to make guidelines for the management, administration and audit of the Consumer Welfare Fund.
- (9) The Central Consumer Protection Council and the Bureau of Indian Standards shall recommend to the Goods and Services Tax Council, the broad guidelines for considering the projects or proposals for the purpose of incurring expenditure from the Consumer Welfare Fund.

## CHAPTER XI

### ASSESSMENT AND AUDIT

**98. Provisional Assessment.**-(1) Every registered person requesting for payment of tax on a provisional basis in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 60 shall furnish an application along with the documents in support of his request, electronically, in **FORM GST ASMT-01** on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(2) The proper officer may, on receipt of the application under sub-rule (1), issue a notice in **FORM GST ASMT-02** requiring the registered person to furnish additional information or documents in support of his request and the applicant shall file a reply to the notice in **FORM GST ASMT – 03**, and may appear in person before the said officer if he so desires.

(3) The proper officer shall issue an order in **FORM GST ASMT-04**, allowing payment of tax on a provisional basis indicating the value or the rate or both on the basis of which the assessment is to be allowed on a provisional basis and the amount for which the bond is to be executed and security to be furnished not exceeding twenty five per cent. of the amount covered under the bond.

(4) The registered person shall execute a bond in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 60 in **FORM GST ASMT-05** along with a security in the form of a bank guarantee for an amount as determined under sub-rule (3):

Provided that a bond furnished to the proper officer under the State Goods and Services Tax Act or Integrated Goods and Services Tax Act shall be deemed to be a bond furnished under the provisions of the Act and the rules made thereunder.

*Explanation.-* For the purposes of this rule, the expression “amount” shall include the amount of integrated tax, central tax, State tax or Union territory tax and cess payable in respect of the transaction.

(5) The proper officer shall issue a notice in **FORM GST ASMT-06**, calling for information and records required for finalization of assessment under sub-section (3) of section 60 and shall issue a final assessment order, specifying the amount payable by the registered person or the amount refundable, if any, in **FORM GST ASMT-07**.

(6) The applicant may file an application in **FORM GST ASMT- 08** for release of security furnished under sub-rule (4) after issue of order under sub-rule (5).

(7) The proper officer shall release the security furnished under sub-rule (4), after ensuring that the applicant has paid the amount specified in sub-rule (5) and issue an order in **FORM GST ASMT-09** within a period of seven working days from the date of receipt of the application under sub-rule (6).

**99. Scrutiny of returns.-** (1) Where any return furnished by a registered person is selected for scrutiny, the proper officer shall scrutinize the same in accordance with the provisions of section 61 with reference to the information available with him, and in case of any discrepancy, he shall issue a notice to the said person in **FORM GST ASMT-10**, informing him of such discrepancy and seeking his explanation thereto within such time, not exceeding thirty days from the date of service of the notice or such further period as may be permitted by him and also, where possible, quantifying the amount of tax, interest and any other amount payable in relation to such discrepancy.

(2) The registered person may accept the discrepancy mentioned in the notice issued under sub-rule (1), and pay the tax, interest and any other amount arising from such discrepancy and inform the same or furnish an explanation for the discrepancy in **FORM GST ASMT-11** to the proper officer.

(3) Where the explanation furnished by the registered person or the information submitted under sub-rule (2) is found to be acceptable, the proper officer shall inform him accordingly in **FORM GST ASMT-12**.

**100. Assessment in certain cases.** (1) The order of assessment made under sub-section (1) of section 62 shall be issued in **FORM GST ASMT-13**.

(2) The proper officer shall issue a notice to a taxable person in accordance with the provisions of section 63 in **FORM GST ASMT-14** containing the grounds on which the assessment is proposed to be made on best judgment basis and after allowing a time of



fifteen days to such person to furnish his reply, if any, pass an order in **FORM GST ASMT-15**.

(3) The order of summary assessment under sub-section (1) of section 64 shall be issued in **FORM GST ASMT-16**.

(4) The person referred to in sub-section (2) of section 64 may file an application for withdrawal of the summary assessment order in **FORM GST ASMT-17**.

(5) The order of withdrawal or, as the case may be, rejection of the application under sub-section (2) of section 64 shall be issued in **FORM GST ASMT-18**.

**101. Audit.-** (1) The period of audit to be conducted under sub-section (1) of section 65 shall be a financial year or multiples thereof.

(2) Where it is decided to undertake the audit of a registered person in accordance with the provisions of section 65, the proper officer shall issue a notice in **FORM GST ADT-01** in accordance with the provisions of sub-section (3) of the said section.

(3) The proper officer authorised to conduct audit of the records and books of account of the registered person shall, with the assistance of the team of officers and officials accompanying him, verify the documents on the basis of which the books of account are maintained and the returns and statements furnished under the provisions of the Act and the rules made thereunder, the correctness of the turnover, exemptions and deductions claimed, the rate of tax applied in respect of supply of goods or services or both, the input tax credit availed and utilised, refund claimed, and other relevant issues and record the observations in his audit notes.

(4) The proper officer may inform the registered person of the discrepancies noticed, if any, as observed in the audit and the said person may file his reply and the proper officer shall finalise the findings of the audit after due consideration of the reply furnished.

(5) On conclusion of the audit, the proper officer shall inform the findings of audit to the registered person in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 65 in **FORM GST ADT-02**.

**102. Special Audit.-** (1) Where special audit is required to be conducted in accordance with the provisions of section 66, the officer referred to in the said section shall issue a direction in **FORM GST ADT-03** to the registered person to get his records audited by a chartered accountant or a cost accountant specified in the said direction.

(2) On conclusion of special audit, the registered person shall be informed of the findings of special audit in **FORM GST ADT-04**.



Chapter – XII  
Advance Ruling

**103. Qualification and appointment of members of the Authority for Advance Ruling.-** The Central Government and the State Government shall appoint officer in the rank of Joint Commissioner as member of the Authority for Advance Ruling.

**104. Form and manner of application to the Authority for Advance Ruling.-** (1) An application for obtaining an advance ruling under sub-section (1) of section 97 shall be made on the common portal in **FORM GST ARA-1** and shall be accompanied by a fee of five thousand rupees, to be deposited in the manner specified in section 49.

(2) The application referred to in sub-rule (1), the verification contained therein and all relevant documents accompanying such application shall be signed in the manner specified in rule 26.

**105. Certification of copies of the advance rulings pronounced by the Authority.-** A copy of the advanced ruling shall be certified to be a true copy of its original by any member of the Authority for Advance Ruling.

**106. Form and manner of appeal to the Appellate Authority for Advance Ruling.-** (1) An appeal against the advance ruling issued under sub-section (6) of section 98 shall be made by an applicant on the common portal in **FORM GST ARA-2** and shall be accompanied by a fee of ten thousand rupees, to be deposited in the manner specified in section 49.

(2) An appeal against the advance ruling issued under sub-section (6) of section 98 shall be made by the concerned officer or the jurisdictional officer referred to in section 100 on the common portal in **FORM GST ARA-3** and no fee shall be payable by the said officer for filing the appeal.

(3) The appeal referred to in sub-rule (1) or sub-rule (2), the verification contained therein and all relevant documents accompanying such appeal shall be signed, -

(a) in the case of the concerned officer or jurisdictional officer, by an officer authorised in writing by such officer; and

(b) in the case of an applicant, in the manner specified in rule 26.

**107. Certification of copies of the advance rulings pronounced by the Authority. -** A copy of the advance ruling pronounced by the Appellate Authority for Advance Ruling and duly signed by the Members shall be sent to-

(a) the applicant and the appellant;

(b) the concerned officer of central tax and State or Union territory tax;

(c) the jurisdictional officer of central tax and State or Union territory tax; and

(d) the Authority,

in accordance with the provisions of sub-section (4) of section 101 of the Act.

Chapter – XIII  
Appeals and Revision

**108. Appeal to the Appellate Authority.-** (1) An appeal to the Appellate Authority under sub-section (1) of section 107 shall be filed in **FORM GST APL-01**, along with the relevant documents, either electronically or otherwise as may be notified by the Commissioner, and a provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately.

- (2) The grounds of appeal and the form of verification as contained in **FORM GST APL-01** shall be signed in the manner specified in rule 26.
- (3) A certified copy of the decision or order appealed against shall be submitted within seven days of filing the appeal under sub-rule (1) and a final acknowledgement, indicating appeal number shall be issued thereafter in **FORM GST APL-02** by the Appellate Authority or an officer authorised by him in this behalf:

Provided that where the certified copy of the decision or order is submitted within seven days from the date of filing the **FORM GST APL-01**, the date of filing of the appeal shall be the date of issue of provisional acknowledgement and where the said copy is submitted after seven days, the date of filing of the appeal shall be the date of submission of such copy.

*Explanation.-* For the provisions of this rule, the appeal shall be treated as filed only when the final acknowledgement, indicating the appeal number is issued.

**109. Application to the Appellate Authority.-** (1) An application to the Appellate Authority under sub-section (2) of section 107 shall be made in **FORM GST APL-03**, along with the relevant documents, either electronically or otherwise as may be notified by the Commissioner.

- (2) A certified copy of the decision or order appealed against shall be submitted within seven days of the filing the application under sub-rule (1) and an appeal number shall be generated by the Appellate Authority or an officer authorised by him in this behalf.

**110. Appeal to the Appellate Tribunal.-** (1) An appeal to the Appellate Tribunal under sub-section (1) of section 112 shall be filed along with the relevant documents either electronically or otherwise as may be notified by the Registrar, in **FORM GST APL-05**, on the common portal and a provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately.

- (2) A memorandum of cross-objections to the Appellate Tribunal under sub-section (5) of section 112 shall be filed either electronically or otherwise as may be notified by the Registrar, in **FORM GST APL-06**.

- (3) The appeal and the memorandum of cross objections shall be signed in the manner specified in rule 26.

(4) A certified copy of the decision or order appealed against along with fees as specified in sub-rule (5) shall be submitted to the Registrar within seven days of filing of the appeal under sub-rule (1) and a final acknowledgement, indicating the appeal number shall be issued thereafter in **FORM GST APL-02** by the Registrar:

Provided that where the certified copy of the decision or order is submitted within seven days from the date of filing the **FORM GST APL-05**, the date of filing of the appeal shall be the date of issue of provisional acknowledgement and where the said copy is submitted after seven days, the date of filing of the appeal shall be the date of submission of such copy.

*Explanation.*— For the purposes of this rule, the appeal shall be treated as filed only when the final acknowledgement indicating the appeal number is issued.

(5) The fees for filing of appeal or restoration of appeal shall be one thousand rupees for every one lakh rupees of tax or input tax credit involved or the difference in tax or input tax credit involved or the amount of fine, fee or penalty determined in the order appealed against, subject to maximum of twenty five thousand rupees.

(6) There shall be no fee for application made before the Appellate Tribunal for rectification of errors referred to in sub-section (10) of section 112.

**111. Application to the Appellate Tribunal.**- (1) An application to the Appellate Tribunal under sub-section (3) of section 112 shall be made electronically or otherwise, in **FORM GST APL-07**, along with supporting documents on the common portal.

(2) A certified copy of the decision or order appealed against shall be submitted within seven days of filing the application under sub-rule (1) and an appeal number shall be generated by the Registrar.

**112. Production of additional evidence before the Appellate Authority or the Appellate Tribunal.**- (1) The appellant shall not be allowed to produce before the Appellate Authority or the Appellate Tribunal any evidence, whether oral or documentary, other than the evidence produced by him during the course of the proceedings before the adjudicating authority or, as the case may be, the Appellate Authority except in the following circumstances, namely:-

- (a) where the adjudicating authority or, as the case may be, the Appellate Authority has refused to admit evidence which ought to have been admitted; or
- (b) where the appellant was prevented by sufficient cause from producing the evidence which he was called upon to produce by the adjudicating authority or, as the case may be, the Appellate Authority; or
- (c) where the appellant was prevented by sufficient cause from producing before the adjudicating authority or, as the case may be, the Appellate Authority any evidence which is relevant to any ground of appeal; or

- (d) where the adjudicating authority or, as the case may be, the Appellate Authority has made the order appealed against without giving sufficient opportunity to the appellant to adduce evidence relevant to any ground of appeal.
- (2) No evidence shall be admitted under sub-rule (1) unless the Appellate Authority or the Appellate Tribunal records in writing the reasons for its admission.
- (3) The Appellate Authority or the Appellate Tribunal shall not take any evidence produced under sub-rule (1) unless the adjudicating authority or an officer authorised in this behalf by the said authority has been allowed a reasonable opportunity -
- (a) to examine the evidence or document or to cross-examine any witness produced by the appellant; or
- (b) to produce any evidence or any witness in rebuttal of the evidence produced by the appellant under sub-rule (1).
- (4) Nothing contained in this rule shall affect the power of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal to direct the production of any document, or the examination of any witness, to enable it to dispose of the appeal.

**113. Order of Appellate Authority or Appellate Tribunal.-** (1) The Appellate Authority shall, along with its order under sub-section (11) of section 107, issue a summary of the order in **FORM GST APL-04** clearly indicating the final amount of demand confirmed.

(2) The jurisdictional officer shall issue a statement in **FORM GST APL-04** clearly indicating the final amount of demand confirmed by the Appellate Tribunal.

**114. Appeal to the High Court.-** (1) An appeal to the High Court under sub-section (1) of section 117 shall be filed in **FORM GST APL-08**.

(2) The grounds of appeal and the form of verification as contained in **FORM GST APL-08** shall be signed in the manner specified in rule 26.

**115. Demand confirmed by the Court.-** The jurisdictional officer shall issue a statement in **FORM GST APL-04** clearly indicating the final amount of demand confirmed by the High Court or, as the case may be, the Supreme Court.

**116. Disqualification for misconduct of an authorised representative.-** Where an authorised representative, other than those referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 116 is found, upon an enquiry into the matter, guilty of misconduct in connection with any proceedings under the Act, the Commissioner may, after providing him an opportunity of being heard, disqualify him from appearing as an authorised representative.

**117. Tax or duty credit carried forward under any existing law or on goods held in stock on the appointed day.-** (1) Every registered person entitled to take credit of input tax under section 140 shall, within ninety days of the appointed day, submit a declaration electronically in **FORM GST TRAN-1**, duly signed, on the common portal specifying therein, separately, the amount of input tax credit to which he is entitled under the provisions of the said section:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, extend the period of ninety days by a further period not exceeding ninety days:

Provided that in the case of a claim under sub-section (1) of section 140, the application shall specify separately-

- (i) the value of claims under section 3, sub-section (3) of section 5, section 6 and 6A and sub-section (8) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 made by the applicant; and
- (ii) the serial number and value of declarations in Forms C and / or F and certificates in Forms E and / or H or Form I specified in rule 12 of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957 submitted by the applicant in support of the claims referred to in sub-clause (i) above.

(2) Every declaration under sub-rule (1) shall-

(a) in the case of a claim under sub-section (2) of section 140, specify separately the following particulars in respect of every item of capital goods as on the appointed day-

(i) the amount of tax or duty availed or utilized by way of input tax credit under each of the existing laws till the appointed day; and

(ii) the amount of tax or duty yet to be availed or utilized by way of input tax credit under each of the existing laws till the appointed day;

(b) in the case of a claim under sub-section (3) or clause (b) of sub-section (4) or sub-section (6) or sub-section (8) of section 140, specify separately the details of stock held on the appointed day;

(c) in the case of a claim under sub-section (5) of section 140, furnish the following details, namely:—

- (i) the name of the supplier, serial number and date of issue of the invoice by the supplier or any document on the basis of which credit of input tax was admissible under the existing law;
- (ii) the description and value of the goods or services;
- (iii) the quantity in case of goods and the unit or unit quantity code thereof;
- (iv) the amount of eligible taxes and duties or, as the case may be, the value added tax [or entry tax] charged by the supplier in respect of the goods or services; and
- (v) the date on which the receipt of goods or services is entered in the books of account of the recipient.

(3) The amount of credit specified in the application in **FORM GST TRAN-1** shall be credited to the electronic credit ledger of the applicant maintained in **FORM GST PMT-2** on the common portal.

(4) (a) (i) A registered person, holding stock of goods which have suffered tax at the first point of their sale in the State and the subsequent sales of which are not subject to tax in the State availing credit in accordance with the proviso to sub-section (3) of section 140 shall be allowed to avail input tax credit on goods held in stock on the appointed day in respect of which he is not in possession of any document evidencing payment of value added tax.

(ii) The credit referred to in sub-clause (i) shall be allowed at the rate of sixty per cent on such goods which attract State tax at the rate of nine per cent or more and forty per cent for other goods of the State tax applicable on supply of such goods after the appointed date and shall be credited after the State tax payable on such supply has been paid:

Provided that where integrated tax is paid on such goods, the amount of credit shall be allowed at the rate of thirty per cent and twenty per cent respectively of the said tax.

(iii) The scheme shall be available for six tax periods from the appointed date.

(b) Such credit of State tax shall be availed subject to satisfying the following conditions, namely:-

(i) such goods were not wholly exempt from tax under the Bihar Value Added Tax Act, 2005;

(ii) the document for procurement of such goods is available with the registered person;

(iii) the registered person availing of this scheme and having furnished the details of stock held by him in accordance with the provisions of clause (b) of sub-rule (2) of rule 1, submits a statement in FORM GST TRAN 2 at the end of each of the six tax periods during which the scheme is in operation indicating therein the details of supplies of such goods effected during the tax period;

(iv) the amount of credit allowed shall be credited to the electronic credit ledger of the applicant maintained in FORM GST PMT-2 on the Common Portal.

(v) the stock of goods on which the credit is availed is so stored that it can be easily identified by the registered person.

**118. Declaration to be made under clause (c) of sub-section (11) of section 142.-** Every person to whom the provision of clause (c) of sub-section (11) of section 142 applies, shall within a period of ninety days of the appointed day, submit a declaration electronically in **FORM GST TRAN-1** furnishing the proportion of supply on which Value Added Tax or service tax has been paid before the appointed day but the supply is made after the appointed day, and the Input Tax Credit admissible thereon.

**119. Declaration of stock held by a principal and agent.-** Every person to whom the provisions of section 141 or sub-section 14 of section 142 apply shall, within ninety days of the appointed day, submit a declaration electronically in **FORM GST TRAN-1**, specifying

therein, the stock of the inputs, semi-finished goods or finished goods, as applicable, held by him on the appointed day.

**120. Details of goods sent on approval basis.-** Every person having sent goods on approval under the existing law and to whom sub-section (12) of section 142 applies shall, within ninety days of the appointed day, submit details of such goods sent on approval in **FORM GST TRAN-1**.

**121. Recovery of credit wrongly availed.-** The amount credited under sub-rule (3) of rule 117 may be verified and proceedings under section 73 or, as the case may be, section 74 shall be initiated in respect of any credit wrongly availed, whether wholly or partly.

Chapter XV  
Anti-Profiteering

**122. Constitution of the Authority.-** The Authority shall consist of,-

- (a) a Chairman who holds or has held a post equivalent in rank to a Secretary to the Government of India; and
- (b) four Technical Members who are or have been Commissioners of State tax or central tax or have held an equivalent post under the existing law,

to be nominated by the Council.

**123. Constitution of the Standing Committee and Screening Committees.-** (1) The Council may constitute a Standing Committee on Anti-profiteering which shall consist of such officers of the State Government and Central Government as may be nominated by it .

(2) A State level Screening Committee shall be constituted in each State by the State Governments which shall consist of-

- (a) one officer of the State Government, to be nominated by the Commissioner, and
- (b) one officer of the Central Government, to be nominated by the Chief Commissioner.

**124. Appointment, salary, allowances and other terms and conditions of service of the Chairman and Members of the Authority:-** (1) The Chairman and Members of the Authority shall be appointed by the Central Government on the recommendations of a Selection Committee to be constituted for the purpose by the Council

- (2) The Chairman shall be paid a monthly salary of Rs. 2,25,000 (fixed) and other allowances and benefits as are admissible to a Central Government officer holding posts carrying the same pay:

Provided that where a retired officer is selected as a Chairman, he shall be paid a monthly salary of Rs. 2,25,000 reduced by the amount of pension.



- (3) The Technical Member shall be paid a monthly salary of Rs. 2,05,400 (fixed) and shall be entitled to draw allowances as are admissible to a Government of India officer holding Group 'A' post carrying the same pay:

Provided that where a retired officer is selected as a Technical Member, he shall be paid a monthly salary of Rs. 2,05,400 reduced by the amount of pension.

- (4) The Chairman shall hold office for a term of two years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty- five years, whichever is earlier and shall be eligible for reappointment:

Provided that person shall not be selected as the Chairman, if he has attained the age of sixty-two years.

- (5) The Technical Member of the Authority shall hold office for a term of two years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier and shall be eligible for reappointment:

Provided that person shall not be selected as a Technical Member if he has attained the age of sixty-two years.

**125. Secretary to the Authority.-** The Additional Director General of Safeguards under the Board shall be the Secretary to the Authority.

**126. Power to determine the methodology and procedure.-** The Authority may determine the methodology and procedure for determination as to whether the reduction in rate of tax on the supply of goods or services or the benefit of input tax credit has been passed on by the registered person to the recipient by way of commensurate reduction in prices.

**127. Duties of the Authority.-** It shall be the duty of the Authority,-

- (i) to determine whether any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of the input tax credit has been passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices;
- (ii) to identify the registered person who has not passed on the benefit of reduction in rate of tax on supply of goods or services or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in prices;
- (iii) to order,
  - (a) reduction in prices;
  - (b) return to the recipient, an amount equivalent to the amount not passed on by way of commensurate reduction in prices along with interest at the rate of eighteen per cent. from the date of collection of higher



amount till the date of return of such amount or recovery of the amount not returned, as the case may be, in case the eligible person does not claim return of the amount or is not identifiable, and depositing the same in the Fund referred to in section 57;

- (c) imposition of penalty as specified in the Act; and
- (d) cancellation of registration under the Act.

**128. Examination of application by the Standing Committee and Screening Committee.-**

(1) The Standing Committee shall, within a period of two months from the date of receipt of a written application, in such form and manner as may be specified by it, from an interested party or from a Commissioner or any other person, examine the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application to determine whether there is *prima-facie* evidence to support the claim of the applicant that the benefit of reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit has not been passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices.

(2) All applications from interested parties on issues of local nature shall first be examined by the State level Screening Committee and the Screening Committee shall, upon being satisfied that the supplier has contravened the provisions of section 171, forward the application with its recommendations to the Standing Committee for further action.

**129. Initiation and conduct of proceedings.-** (1) Where the Standing Committee is satisfied that there is a *prima-facie* evidence to show that the supplier has not passed on the benefit of reduction in rate of tax on the supply of goods or services or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in prices, it shall refer the matter to Director General of Safeguards for a detailed investigation.

(2) The Director General of Safeguards shall conduct investigation and collect evidence necessary to determine whether the benefit of reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of the input tax credit has been passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices.

(3) The Director General of Safeguards shall, before initiation of investigation, issue a notice to the interested parties containing, *inter alia*, information on the following, namely:-

- (a) the description of the goods or services in respect of which the proceedings have been initiated;
- (b) summary of statement of facts on which the allegations are based; and
- (c) the time limit allowed to the interested parties and other persons who may have information related to the proceedings for furnishing their reply.

(4) The Director General of Safeguards may also issue notices to such other persons as deemed fit for fair enquiry into the matter.

(5) The Director General of Safeguards shall make available the evidence presented to it by one interested party to the other interested parties, participating in the proceedings.

(6) The Director General of Safeguards shall complete the investigation within a period of three months of receipt of reference from the Standing Committee or within such extended period not exceeding a further period of three months for reasons to be recorded in writing as allowed by the Standing Committee and, upon completion of the investigation, furnish to the Authority a report of its findings, along with the relevant records.

**130. Confidentiality of information.-** (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (3) and (5) of rule 129 and sub-rule (2) of rule 133, the provisions of section 11 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), shall apply *mutatis mutandis* to the disclosure of any information which is provided on a confidential basis.

(2) The Director General of Safeguards may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of the party providing such information, the said information cannot be summarised, such party may submit to the Director General of Safeguards a statement of reasons as to why summarisation is not possible.

**131. Cooperation with other agencies or statutory authorities.-** Where the Director General of Safeguards deems fit, he may seek opinion of any other agency or statutory authorities in discharge of his duties.

**132. Power to summon persons to give evidence and produce documents.-** (1) The Director General of Safeguards, or an officer authorised by him in this behalf, shall be deemed to be the proper officer to exercise power to summon any person whose attendance he considers necessary either to give evidence or to produce a document or any other thing under section 70 and shall have power in any inquiry in the same manner, as provided in the case of a civil court under the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(2) Every such inquiry referred to in sub-rule (1) shall be deemed to be a judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

**133. Order of the Authority.-** (1) The Authority shall, within a period of three months from the date of receipt of the report from the Director General of Safeguards determine whether a registered person has passed on the benefit of reduction in rate of tax on the supply of goods or services or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in prices.

(2) An opportunity of hearing shall be granted to the interested parties by the Authority where any request is received in writing from such interested parties.

(3) Where the Authority determines that a registered person has not passed on the benefit of reduction in rate of tax on the supply of goods or services or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in prices, the Authority may order -

(a) reduction in prices;

(b) return to the recipient, an amount equivalent to the amount not passed on by way of commensurate reduction in prices along with interest at the rate of eighteen per cent. from the date of collection of higher amount till the date of return of such amount or recovery of the amount including interest not returned, as the case may be, in case the eligible person does not claim return of the amount or is not identifiable, and depositing the same in the Fund referred to in section 57;

(c) imposition of penalty as specified under the Act; and

(d) cancellation of registration under the Act.

**134. Decision to be taken by the majority.-** If the Members of the Authority differ in opinion on any point, the point shall be decided according to the opinion of the majority.

**135. Compliance by the registered person.-** Any order passed by the Authority under these rules shall be immediately complied with by the registered person failing which action

shall be initiated to recover the amount in accordance with the provisions of the Integrated Goods and Services Tax Act or the Central Goods and Services Tax Act or the Union territory Goods and Services Tax Act or the State Goods and Services Tax Act of the respective States, as the case may be.

**136. Monitoring of the order.-** The Authority may require any authority of central tax, State tax or Union territory tax to monitor implementation of the order passed by it.

**137. Tenure of Authority.-** The Authority shall cease to exist after the expiry of two years from the date on which the Chairman enters upon his office unless the Council recommends otherwise.

*Explanation.-* For the purposes of this Chapter,

(a) “Authority” means the National Anti-profiteering Authority constituted under rule 122;

(b) “Committee” means the Standing Committee on Anti-profiteering constituted by the Council in terms of sub-rule (1) of rule 123 of these rules;

(c) “interested party” includes-

a. suppliers of goods or services under the proceedings; and

b. recipients of goods or services under the proceedings;

(d) “Screening Committee” means the State level Screening Committee constituted in terms of sub-rule (2) of rule 123 of these rules.

#### Chapter XVI

#### E-way Rules

**138. E-way rule.-** Till such time as an E-way bill system is developed and approved by the Council, the Government may, by notification, specify the documents that the person in charge of a conveyance carrying any consignment of goods shall carry while the goods are in movement or in transit storage.

**Form GST CMP-01**  
[See rule 3(1)]

Intimation to pay tax under section 10 (composition levy)  
(Only for persons registered under the existing law migrating on the appointed day)

1. GSTIN / Provisional ID		
2. Legal name		
3. Trade name, if any		
4. Address of Principal Place of Business		
5. Category of Registered Person < Select from drop down>		
(i)	Manufacturers, other than manufacturers of such goods as notified by the Government	<input type="checkbox"/>
(ii)	Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II	<input type="checkbox"/>
(iii)	Any other supplier eligible for composition levy.	<input type="checkbox"/>
6. Financial Year from which composition scheme is opted		2017-18
7. Jurisdiction	Centre	State
8. Declaration – I here by declare that the aforesaid business shall abide by the conditions and restrictions specified for payment of tax under section 10.		
9. Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.  <div style="text-align: right;">Signature of Authorised Signatory</div> <div style="text-align: right;">Name</div> <div style="text-align: right;">Designation/ Status</div> <div style="text-align: left;">Place</div> <div style="text-align: left;">Date</div>		

**Form GST CMP- 02**

[See rule 3(2)]

Intimation to pay tax under section10 (composition levy)  
(For persons registered under the Act)

1. GSTIN		
2. Legal name		
3. Trade name, if any		
4. Address of Principal Place of Business		
5. Category of Registered Person < Select from drop down>.		
(i)	Manufacturers, other than manufacturers of such goods as maybe notified by the Government	<input type="checkbox"/>
(ii)	Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II	<input type="checkbox"/>
(iii)	Any other supplier eligible for composition levy.	<input type="checkbox"/>
6. Financial Year from which composition scheme is opted		
7. Jurisdiction	Centre	State
8. Declaration – I hereby declare that the aforesaid business shall abide by the conditions and restrictions specified for paying tax under section10.		
9. Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given here in above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.  Signature of Authorised Signatory  Name Place Date  Designation / Status		

**FormGST-CMP-03****[See rule3(4)]**

Intimation of details of stock on date of opting for composition levy  
(Only for persons registered under the existing law migrating on the appointed day)

1. GSTIN		
2. Legal name		
3. Trade name, if any		
4. Address of Principal Place of Business		
5. Details of application filed to pay tax under section 10	(i) Application reference number (ARN)	
	(ii) Date of filing	
6. Jurisdiction	Centre	State

## 7. Stock of purchases made from registered person under the existing law

Sr.No	GSTIN/TIN	Name of the supplier	Bill/ Invoice No.	Date	Valueof Stock	VAT	Central Excise	Service Tax(if applicable)	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Total									

## 8. Stock of purchases made from unregistered person under the existing law

Sr.No	Name of the unregistered person	Address	Bill/ Invoice No	Date	Valueof Stock	VAT	Central Excise	Service Tax(if applicable)	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
2									
Total									

9. Details of tax paid	Description	Central Tax	State Tax / UT Tax
	Amount		

	Debit entry no.			
<p>10. Verification</p> <p>I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.</p> <p style="text-align: center;">Signature of Authorised Signatory</p> <p style="text-align: center;">Name</p> <p>Place</p> <p>Date</p> <p style="text-align: center;">Designation / Status</p>				

**Form GST- CMP-04**  
[See rule 6(2)]

Intimation/Application for Withdrawal from Composition Levy

1. GSTIN							
2. Legal name							
3. Trade name, if any							
4. Address of Principal Place of business							
5. Category of Registered Person							
(i) Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government				<input type="checkbox"/>			
(ii) Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II				<input type="checkbox"/>			
(iii) Any other supplier eligible for composition levy.				<input type="checkbox"/>			
6. Nature of Business							
7. Date from which withdrawal from composition scheme is sought			DD	MM	YYYY		
8. Jurisdiction		Centre		State			
9. Reasons for withdrawal from composition scheme							
10. Verification							
I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.							
Signature of Authorised Signatory							
Name							
Place							
Date							
Designation / Status							

Note – Stock statement may be furnished separately for availing input tax credit on the stock available on the date preceding the date from which composition option is withdrawn in FORM GST ITC-01.



**Form GST CMP-05**  
[See rule 6(4)]

Reference No. &lt;&lt;... &gt;&gt;

&lt;&lt; Date &gt;&gt;

To

GSTIN

Name

Address

**Notice for denial of option to pay tax under section10**

Whereas on the basis of information which has come to my notice, it appears that you have violated the conditions and restrictions necessary for availing of the composition scheme under section10 of the Act. I therefore propose to deny the option to you to pay tax under the said section for the following reasons:-

1

2

3

....

You are hereby directed to furnish a reply to this notice within fifteen working days from the date of service of this notice.

You are hereby directed to appear before the undersigned on DD/MM/YYYY at HH/MM.

If you fail to furnish a reply within the stipulated date or fail to appear for personal hearing on the appointed date and time, the case will be decided ex parte on the basis of available records and on merits

Signature

Name of Proper Officer

Designation

Jurisdiction

Place

Date

**Form GST CMP-06**  
[See rule 6(5)]

Reply to the notice to show cause

1.	GSTIN	
2.	Details of the show cause notice	Reference no.
		Date
3.	Legal name	
4.	Trade name, if any	
5.	Address of the Principal Place of Business	
6.	Reply to the notice	
7.	List of documents uploaded	
8.	Verification	<p>I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.</p> <p align="right">Signature of the Authorised Signatory</p> <p>Date Place</p>

Note—

1. The reply should not be more than 500 characters. In case the same is more than 500 characters, then it should be uploaded separately.
2. Supporting documents, if any, may be uploaded in PDF format.

**Form GST CMP-07**  
[See rule 6(5)]

Reference No. << >>Date- To

GSTIN Name Address

Application Reference No. (ARN)

Date-

**Order for acceptance / rejection of reply to show cause notice**

This has reference to your reply dated----- filed in response to the show cause notice issued vide reference no. ----- dated----- . Your reply has been examined and the same has been found to be satisfactory and, therefore, your option to pay tax under composition scheme shall continue. The said show cause notice stands vacated.

or

This has reference to your reply dated----- filed in response to the show cause notice issued vide reference no. ----- dated----- . Your reply has been examined and the same has not been found to be satisfactory and, therefore, your option to pay tax under composition scheme is hereby denied with effect from<< >>> for the following reasons:

<<text>>

or

- You have not filed any reply to the show cause notice; or
- You did not appear on the day fixed for hearing.

Therefore, your option to pay tax under composition scheme is hereby denied with effect from<< date >> for the following reasons:

<<Text >>

Date  
Place

Signature  
Name of Proper Officer

Designation  
Jurisdiction

**Form GST REG-01**

[See rule 8(1)]

**Application for Registration**

(Other than a non-resident taxable person, a person required to deduct tax at source under section 51 and a person required to collect tax at source under section 52 and a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017)

Part –A

State /UT – ▾ District - ▾

(i)	Legal Name of the Business: (As mentioned in Permanent Account Number)	
(ii)	Permanent Account Number : (Enter Permanent Account Number of the Business; Permanent Account Number of Individual in case of Proprietorship concern)	
(iii)	Email Address :	
(iv)	Mobile Number :	
Note - Information submitted above is subject to online verification before proceeding to fill up Part-B. Authorised signatory filing the application shall provide his mobile number and email address.		
Part –B		
1.	Trade Name, if any	
2.	Constitution of Business (Please Select the Appropriate)	
(i) Proprietorship		(ii) Partnership
(iii) Hindu Undivided Family		(iv) Private Limited Company
(v) Public Limited Company		(vi) Society/Club/Trust/Association of Persons
(vii) Government Department		(viii) Public Sector Undertaking
(ix) Unlimited Company		(x) Limited Liability Partnership
(xi) Local Authority		(xii) Statutory Body
(xiii) Foreign Limited Liability Partnership		(xiv) Foreign Company Registered (in India)
(xv) Others (Please specify)		
3.	Name of the State	<input type="text"/> District <input type="text"/>
4.	Jurisdiction	State <input type="text"/> Centre <input type="text"/> Sector, Circle, Ward, Unit, etc. others (specify) <input type="text"/>

5.	Option for Composition	Yes	No
6.	Composition Declaration <input type="checkbox"/> I hereby declare that the aforesaid business shall abide by the conditions and restrictions specified in the Act or the rules for opting to pay tax under the composition scheme.		
6.1 Category of Registered Person < tick in check box >			
(i)	Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government for which option is not available		
(ii)	Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II		
(iii)	Any other supplier eligible for composition levy.		
7.	Date of commencement of business	DD/MM/YYYY	
8.	Date on which liability to register arises	DD/MM/YYYY	
9.	Are you applying for registration as a casual taxable person?	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
10.	If selected 'Yes' in Sr. No. 9, period for which registration is required	From DD/MM/YYYY	To DD/MM/YYYY
11.	If selected 'Yes' in Sr. No. 9, estimated supplies and estimated net tax liability during the period of registration		
Sr. No.	Type of Tax	Turnover (Rs.)	Net Tax Liability (Rs.)
(i)	Integrated Tax		
(ii)	Central Tax		
(iii)	State Tax		
(iv)	UT Tax		
(v)	Cess		
	Total		
	Payment Details		
	Challan Identification Number	Date	Amount
12.	Are you applying for registration as a SEZ Unit?	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
	(i) Select name of SEZ		▽
	(ii) Approval order number and date of order		
	(iii) Designation of approving authority		
13.	Are you applying for registration as a SEZ Developer?	Yes <input type="checkbox"/>	No

	(i) Select name of SEZ Developer		▽
	(ii) Approval order number and date of order		
	(iii) Designation of approving authority		
14.	Reason to obtain registration:		
	(i) Crossing the threshold	(viii) Merger /amalgamation of two or more registered persons	
	(ii) Inter-State supply	(ix) Input Service Distributor	
	(iii) Liability to pay tax as recipient of goods or services u/s 9(3) or 9(4)	(x) Person liable to pay tax u/s 9(5)	
	(iv) Transfer of business which includes change in the ownership of business (if transferee is not a registered entity)	(xi) Taxable person supplying through e-Commerce portal	
	(v) Death of the proprietor (if the successor is not a registered entity)	(xii) Voluntary Basis	
	(vi) De-merger	(xiii) Persons supplying goods and/or services on behalf of other taxable person(s)	
	(vii) Change in constitution of business	(xiv) Others (Not covered above) – Specify	
15.	Indicate existing registrations wherever applicable		
	Registration number under Value Added Tax		
	Central Sales Tax Registration Number		
	Entry Tax Registration Number		
	Entertainment Tax Registration Number		
	Hotel and Luxury Tax Registration Number		
	Central Excise Registration Number		
	Service Tax Registration Number		
	Corporate Identify Number/Foreign Company Registration Number		
	Limited Liability Partnership Identification Number/Foreign Limited Liability Partnership Identification Number		
	Importer/Exporter Code Number		
	Registration number under Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act		
	Registration number under Shops and Establishment Act		
	Temporary ID, if any		
	Others (Please specify)		
16.	(a) Address of Principal Place of Business		
	Building No./Flat No.	Floor No.	

Name of the Premises/Building		Road/Street	
City/Town/Locality/Village		District	
Taluka/Block			
State		PIN Code	
Latitude		Longitude	
(b) Contact Information			
Office Email Address		Office Telephone number	STD
Mobile Number		Office Fax Number	STD
(c) Nature of premises			
Own	Leased	Rented	Consent
			Shared
			Others (specify)
(d) Nature of business activity being carried out at above mentioned premises (Please tick applicable)			
Factory / Manufacturing		Wholesale Business	Retail Business
Warehouse/Depot		Bonded Warehouse	Supplier of services
Office/Sale Office		Leasing Business	Recipient of goods or services
EOU/ STP/ EHTP		Works Contract	Export
Import		Others (Specify)	

17. Details of Bank Accounts (s)

Total number of Bank Accounts maintained by the applicant for conducting business (Upto 10 Bank Accounts to be reported)	
---	--

Details of Bank Account 1

Account Number																	
Type of Account												IFSC					
Bank Name																	
Branch Address	To be auto-populated (Edit mode)																

Note – Add more accounts -----

18. Details of the Goods supplied by the Business

Please specify top 5 Goods		
Sr. No.	Description of Goods	HSN Code (Four digit)
(i)		
(ii)		

...		
(v)		

## 19. Details of Services supplied by the Business.

Please specify top 5 Services		
Sr. No.	Description of Services	HSN Code (Four digit)
(i)		
(ii)		
...		
(v)		

## 20. Details of Additional Place(s) of Business

Number of additional places	
-----------------------------	--

## Premises 1

## (a) Details of Additional Place of Business

Building No/Flat No		Floor No	
Name of the Premises/Building		Road/Street	
City/Town/Locality/Village		District	
Block/Taluka			
State		PIN Code	
Latitude		Longitude	

## (b) Contact Information

Office Email Address		Office Telephone number	STD	
Mobile Number		Office Fax Number	STD	

## (c) Nature of premises

Own	Leased	Rented	Consent	Shared	Others (specify)
-----	--------	--------	---------	--------	------------------

## (d) Nature of business activity being carried out at above mentioned premises (Please tick applicable)

Factory / Manufacturing		Wholesale Business		Retail Business	
Warehouse/Depot		Bonded Warehouse		Supplier of services	
Office/Sale Office		Leasing Business		Recipient of goods or services	
EOU/ STP/ EHTP		Works Contract		Export	



Import		Others (specify)			
--------	--	------------------	--	--	--

21. Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.

Particulars	First Name	Middle Name	Last Name
Name			
Photo			
Name of Father			
Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender	<Male, Female, Other>
Mobile Number		Email address	
Telephone No. with STD			
Designation /Status		Director Identification Number (if any)	
Permanent Account Number		Aadhaar Number	
Are you a citizen of India?	Yes / No	Passport No. (in case of foreigners)	
Residential Address			
Building No/Flat No		Floor No	
Name of the Premises/Building		Road/Street	
City/Town/Locality/Village		District	
Block/Taluka			
State		PIN Code	
Country (in case of foreigner only)		ZIP code	

22. Details of Authorised Signatory

Checkbox for Primary Authorised Signatory

Details of Signatory No. 1

Particulars	First Name	Middle Name	Last Name
Name			
Photo			

Name of Father			
Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender	<Male, Female, Other>
Mobile Number		Email address	
Telephone No. with STD			
Designation /Status		Director Identification Number (if any)	
Permanent Account Number		Aadhaar Number	
Are you a citizen of India?	Yes / No	Passport No. (in case of foreigners)	

Residential Address in India			
Building No/Flat No		Floor No	
Name of the Premises/Building		Road/Street	
Block/Taluka			
City/Town/Locality/Village		District	
State		PIN Code	

## 23. Details of Authorised Representative

Enrolment ID, if available												
Provide following details, if enrolment ID is not available												
Permanent Account Number												
Aadhaar, if Permanent Account Number is not available												
	First Name	Middle Name	Last Name									
Name of Person												
Designation / Status												
Mobile Number												
Email address												
Telephone No. with STD						FAX No. with STD						

## 24. State Specific Information

Profession Tax Enrolment Code (EC) No.

Profession Tax Registration Certificate (RC) No.

State Excise License No. and the name of the person in whose name Excise License is held

(a) Field 1

(b) Field 2

(c) ....

(d) .....

(e) Field n

## 25. Document Upload

A customized list of documents required to be uploaded (refer rule 8) as per the field values in the form.

## 26. Consent

I on behalf of the holder of Aadhaar number <pre-filled based on Aadhaar number provided in the form> give consent to “Goods and Services Tax Network” to obtain my details from UIDAI for the purpose of authentication. “Goods and Services Tax Network” has informed me that identity information would only be used for validating identity of the Aadhaar holder and will be shared with Central Identities Data Repository only for the purpose of authentication.

## 27. Verification (by authorised signatory)

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom

Signature

Place: Name of Authorised Signatory .....

Date: Designation/Status.....

## List of documents to be uploaded:-

1.	<p>Photographs (wherever specified in the Application Form)</p> <p>(a) Proprietary Concern – Proprietor</p> <p>(b) Partnership Firm / Limited Liability Partnership – Managing/Authorised/Designated Partners (personal details of all partners are to be submitted but photos of only ten partners including that of Managing Partner are to be submitted)</p> <p>(c) Hindu Undivided Family – Karta</p> <p>(d) Company – Managing Director or the Authorised Person</p> <p>(e) Trust – Managing Trustee</p> <p>(f) Association of Persons or Body of Individuals –Members of Managing Committee (personal details of all members are to be submitted but photos of only ten members including that of Chairman are to be submitted)</p> <p>(g) Local Authority – Chief Executive Officer or his equivalent</p> <p>(h) Statutory Body – Chief Executive Officer or his equivalent</p> <p>(i) Others – Person in Charge</p>
2.	<p>Constitution of Business: Partnership Deed in case of Partnership Firm, Registration Certificate/Proof of Constitution in case of Society, Trust, Club, Government Department, Association of Persons or Body of Individuals, Local Authority, Statutory Body and Others etc.</p>
3.	<p>Proof of Principal Place of Business:</p> <p>(a) For Own premises – Any document in support of the ownership of the premises like latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.</p> <p>(b) For Rented or Leased premises – A copy of the valid Rent / Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.</p> <p>(c) For premises not covered in (a) and (b) above – A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded.</p> <p>(d) For rented/leased premises where the Rent/lease agreement is not available, an affidavit to that effect along with any document in support of the possession of the premises like copy of Electricity Bill.</p> <p>(e) If the principal place of business is located in a Special Economic Zone or the applicant is an Special Economic Zone developer, necessary documents/certificates issued by Government of India are required to be uploaded.</p>
4	<p>Bank Account Related Proof: Scanned copy of the first page of Bank passbook or the relevant page of Bank Statement or Scanned copy of a cancelled cheque containing name of the Proprietor or Business entity, Bank Account No., MICR, IFSC and Branch details including code.</p>
5	<p>Authorisation Form:- For each Authorised Signatory mentioned in the application form, Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format:</p> <p>Declaration for Authorised Signatory (Separate for each signatory) (Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees</p>

	<p>etc.)</p> <p>I/We --- (name) being (Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.) of ..... (name of registered person)</p> <p>hereby solemnly affirm and declare that &lt;&lt;name of the authorised signatory, (status/designation)&gt;&gt; is hereby authorised, vide resolution no... dated..... (copy submitted herewith), to act as an authorised signatory for the business &lt;&lt; Goods and Services Tax Identification Number - Name of the Business&gt;&gt; for which application for registration is being filed under the Act. All his actions in relation to this business will be binding on me/ us.</p> <p style="text-align: right;">Signature of the person competent to sign</p> <p style="text-align: right;">Name:</p> <p style="text-align: right;">Designation/Status:</p> <p style="text-align: right;">(Name of the proprietor/Business Entity)</p> <p><u>Acceptance as an authorised signatory</u></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">I &lt;&lt;(Name of the authorised signatory)&gt;&gt; hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business.</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Signatory Place:</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Signature of Authorised (Name)</td> </tr> <tr> <td>Date:</td> <td style="text-align: right;">Designation/Status:</td> </tr> </table>	I <<(Name of the authorised signatory)>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business.		Signatory Place:	Signature of Authorised (Name)	Date:	Designation/Status:
I <<(Name of the authorised signatory)>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business.							
Signatory Place:	Signature of Authorised (Name)						
Date:	Designation/Status:						

**Instructions for submission of Application for Registration.**

1. Enter name of person as recorded on Permanent Account Number of the Business. In case of Proprietorship concern, enter name of proprietor against Legal Name and mention Permanent Account Number of the proprietor. Permanent Account Number shall be verified with Income Tax database.
2. Provide E-mail Id and Mobile Number of authorised signatory for verification and future communication which will be verified through One Time Passwords to be sent separately, before filling up Part-B of the application.
3. Applicant need to upload scanned copy of the declaration signed by the Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc. in case the business declares a person as Authorised Signatory.
4. The following persons can digitally sign the application for new registration:-

Constitution of Business	Person who can digitally sign the application
Proprietorship	Proprietor
Partnership	Managing / Authorised Partners
Hindu Undivided Family	Karta
Private Limited Company	Managing / Whole-time Directors
Public Limited Company	Managing / Whole-time Directors
Society/ Club/ Trust/ AOP	Members of Managing Committee
Government Department	Person In charge
Public Sector Undertaking	Managing / Whole-time Director
Unlimited Company	Managing/ Whole-time Director
Limited Liability Partnership	Designated Partners
Local Authority	Chief Executive Officer or Equivalent
Statutory Body	Chief Executive Officer or Equivalent
Foreign Company	Authorised Person in India
Foreign Limited Liability Partnership	Authorised Person in India
Others (specify)	Person In charge

5. Information in respect of authorised representative is optional. Please select your authorised representative from the list available on the common portal if the authorised representative is enrolled, otherwise provide details of such person.
6. State specific information are relevant for the concerned State only.
7. Application filed by undermentioned persons shall be signed digitally:-

Sr. No	Type of Applicant	Type of Signature required
--------	-------------------	----------------------------

Sr. No	Type of Applicant	Type of Signature required
1.	Private Limited Company Public Limited Company Public Sector Undertaking Unlimited Company Limited Liability Partnership Foreign Company Foreign Limited Liability Partnership	Digital Signature Certificate (DSC)- Class-2 and above.
2.	Other than above	Digital Signature Certificate class 2 and above e-Signature or any other mode as may be notified

8. All information related to Permanent Account Number, Aadhaar, Director Identification Number, Challan Identification Number shall be validated online by the system and Acknowledgment Receipt Number will be generated after successful validation of all the filled up information.

9. Status of the application filed online can be tracked on the common portal by entering Application Reference Number (ARN) indicated on the Acknowledgment.

10. No fee is payable for filing application for registration.

11. Authorised signatory shall not be a minor.

12. Any person having multiple business verticals within a State, requiring a separate registration for any of its business verticals shall need to apply separately in respect of each of the vertical.

13. After approval of application, registration certificate shall be made available on the common portal.

14. Temporary Reference Number (TRN) will be allotted after successfully furnishing preliminary details in PART –A of the application which can be used for filling up details in PART-B of the application. TRN will be available on the common portal for a period of 15 days.

15. Any person who applies for registration under rule 8 may give an option to pay tax under section 10 in Part B of FORM GST REG-01, which shall be considered as an intimation to pay tax under the said section.

Form GST REG-02

[See rule 8(5)]

## Acknowledgment

Application Reference Number (ARN) -

You have filed the application successfully and the particulars of the application are given as under:

Date of filing :

Time of filing :

Goods and Services Tax Identification Number, if available :

Legal Name :

Trade Name (if applicable):

Form No. :

Form Description :

Center Jurisdiction :

State Jurisdiction :

Filed by :

Temporary reference number (TRN), if any:

Payment details\* : Challan Identification Number

: Date

: Amount

It is a system generated acknowledgement and does not require any signature.

\* Applicable only in case of Casual taxable person and Non Resident taxable person



Form GST REG-03  
[See rule 9(2)]

Reference Number:

Date-

To

Name of the Applicant:

Address:

GSTIN (if available):

Application Reference No. (ARN):

Date:

Notice for Seeking Additional Information / Clarification / Documents  
relating to Application for <<Registration/Amendment/Cancellation >>

This is with reference to your <<registration/amendment/cancellation>> application filed vide ARN < > Dated  
-DD/MM/YYYY The Department has examined your application and is not satisfied with it for the following  
reasons:

- 1.
- 2.
- 3.

...

You are directed to submit your reply by ..... (DD/MM/YYYY)

\*You are hereby directed to appear before the undersigned on ..... (DD/MM/YYYY) at .....  
(HH:MM)

If no response is received by the stipulated date, your application is liable for rejection. Please note that  
no further notice / reminder will be issued in this matter

Signature

Name of the Proper Officer:

Designation:

Jurisdiction:

\* Not applicable for New Registration Application

## Form GST REG-04

[See rule 9(2)]

Clarification/additional information/document  
for <<Registration/Amendment/Cancellation>>

1.	Notice details	Reference No.		Date	
2.	Application details	Reference No		Date	
3.	GSTIN, if applicable				
4.	Name of Business (Legal)				
5.	Trade name, if any				
6.	Address				
7.	Whether any modification in the application for registration or fields is required.-				Yes No (Tick one)
8.	Additional Information				
9.	List of Documents uploaded				
10.	<p>Verification</p> <p>I _____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.</p> <p style="text-align: right;">Signature of Authorised Signatory</p> <p style="text-align: right;">Name</p> <p style="text-align: right;">Designation/Status:</p> <p>Place:</p> <p>Date:</p>				

Note:-

1. For new registration, original registration application will be available in editable mode if option 'Yes' is selected in item 7.
2. For amendment of registration particulars, the fields intended to be amended will be available in editable mode if option 'Yes' is selected in item 7.

Form GST REG-05

[See rule 9(4)]

Reference Number:

Date-

To  
Name of the Applicant  
Address -  
GSTIN (if available)

Order of Rejection of Application for <Registration / Amendment / Cancellation/  
>

This has reference to your reply filed vide ARN --- dated---. The reply has been examined and the same has not been found to be satisfactory for the following reasons:

- 1.
- 2.
- 3.

...Therefore, your application is rejected in accordance with the provisions of the Act.

Or

You have not replied to the notice issued vide reference no. .... dated ..... within the time specified therein. Therefore, your application is hereby rejected in accordance with the provisions of the Act.

Signature  
Name  
Designation  
Jurisdiction

Government of Bihar  
Form GST REG-06  
[See rule 10(1)]  
Registration Certificate

Registration Number: <GSTIN/ UIN >

1.	Legal Name				
2.	Trade Name, if any				
3.	Constitution of Business				
4.	Address of Principal Place of Business				
5.	Date of Liability	DD/MM/ YYYY			
6.	Period of Validity <small>(Applicable only in case of Non-Resident taxable person or Casual taxable person)</small>	From	DD/MM/YYYY	To	DD/MM/YYYY
7.	Type of Registration				
8.	Particulars of Approving Authority				
Centre			State		
Signature					
Name					
Designation					
Office					
9. Date of issue of Certificate					
Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.					

Annexure A

Details of Additional Places of Business

Goods and Services Tax Identification Number

Legal Name

Trade Name, if any

Total Number of Additional Places of Business in the State

Sr. No.      Address

1

2

3

...

Goods and Services Tax Identification Number

Legal Name

Trade Name, if any

Details of <Proprietor / Partners / Karta / Managing Director and whole-time Directors / Members of the Managing Committee / Association of Persons / Board of Trustees etc.>

1.	Photo	Name Designation/Status Resident of State
2.	Photo	Name Designation/Status Resident of State
3.	Photo	Name Designation/Status Resident of State
4.	Photo	Name Designation/Status Resident of State

5.	Photo	Name Designation/Status Resident of State
6.	Photo	Name Designation/Status Resident of State
7.	Photo	Name Designation/Status Resident of State
8.	Photo	Name

		Designation/Status Resident of State
9.	Photo	Name Designation/Status Resident of State
10.	Photo	Name Designation/Status Resident of State

## Form GST REG-07

[See rule 12(1)]

Application for Registration as Tax Deductor at source (u/s 51) or Tax Collector at source (u/s 52)

State /UT-

District -

## Part -A

(i)	Legal Name of the Tax Deductor or Tax Collector( As mentioned in Permanent Account Number/ Tax Deduction and Collection Account Number)	
(ii)	Permanent Account Number (Enter Permanent Account Number of the Business; Permanent Account Number of Individual in case of Proprietorship concern)	
(iii)	Tax Deduction and Collection Account Number (Enter Tax Deduction and Collection Account Number, if Permanent Account Number is not available)	
(iv)	Email Address	
(v)	Mobile Number	

Note - Information submitted above is subject to online verification before proceeding to fill up Part-B.

## Part -B

1	Trade Name, if any	
2	Constitution of Business (Please Select the Appropriate)	
(i) Proprietorship		(ii) Partnership
(iii) Hindu Undivided Family		(iv) Private Limited Company
(v) Public Limited Company		(vi) Society/Club/Trust/Association of Persons
(vii) Government Department		(viii) Public Sector Undertaking
(ix) Unlimited Company		(x) Limited Liability Partnership
(xi) Local Authority		(xii) Statutory Body
(xiii) Foreign Limited Liability Partnership		(xiv) Foreign Company Registered (in India)
(xv) Others (Please specify)		
3	Name of the State	<input type="text"/> District <input type="text"/>
4	Jurisdiction -	State <input type="text"/> Centre <input type="text"/>
		Sector /Circle/ Ward /Charge/Unit etc. <input type="text"/>
5	Type of registration	Tax Deductor <input type="radio"/> Tax Collector <input type="radio"/>
6.	Government (Centre / State/Union Territory)	Center <input type="radio"/> State/UT <input type="radio"/>
7.	Date of liability to deduct/collect tax	DD/MM/YYYY
8.	(a) Address of principal place of business	



Building No./Flat No.		Floor No.	
Name of the Premises/Building		Road/Street	
City/Town/Locality/Village		District	
Block/Taluka			
Latitude		Longitude	
State		PIN Code	
(b) Contact Information			
Office Email Address		Office Telephone number	
Mobile Number		Office Fax Number	
(c)	Nature of possession of premises		
	Own	Leased	Rented
			Consent
			Shared
			Others(specify)
9.	Have you obtained any other registrations under Goods and Services Tax in the same State?	Yes	No
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	If Yes, mention Goods and Services Tax Identification Number		
11	IEC (Importer Exporter Code), if applicable		
12	Details of DDO (Drawing and Disbursing Officer) / Person responsible for deducting tax/collecting tax		
Particulars			
Name		First Name	Middle Name
Father's Name		Last Name	
Photo			
Date of Birth		DD/MM/YYYY	Gender
			<Male, Female, Other>
Mobile Number		Email address	
Telephone No. with STD			
Designation /Status		Director Identification Number (if any)	
Permanent Account Number		Aadhaar Number	
Are you a citizen of India?		Yes / No	Passport No. (in case of Foreigners)
Residential Address			
Building No./Flat No.		Floor No.	

Name of the Premises/Building		Locality/Village	
State		PIN Code	
13. Details of Authorised Signatory Checkbox for Primary Authorised Signatory <input type="checkbox"/>			
Details of Signatory No. 1			
Particulars	First Name	Middle Name	Last Name
Name			
Photo			
Name of Father			
Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender	<Male, Female, Other>
Mobile Number		Email address	
Telephone No. with STD			
Designation /Status		Director Identification Number (if any)	
Permanent Account Number		Aadhaar Number	
Are you a citizen of India?	Yes / No	Passport No. (in case of foreigners)	
Residential Address (Within the Country)			
Building No/Flat No		Floor No	
Name of the Premises/Building		Road/Street	
City/Town/Locality/Village		District	
State		PIN Code	
Block/Taluka			
Note – Add more ...			
14.	Consent  I on behalf of the holder of Aadhar number <pre-filled based on Aadhar number provided in the form> give consent to “Goods and Services Tax Network” to obtain my details from UIDAI for the purpose of authentication. “Goods and Services Tax Network” has informed me that identity information would only be used for validating identity of the Aadhar holder and will be shared with Central Identities Data Repository only for the purpose of authentication.		

15.	Verification
	I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom
	(Signature)
	Place: Name of DDO/ Person responsible for deducting tax/collecting tax/Authorised Signatory
	Date: Designation

List of documents to be uploaded (not applicable to a department or establishment of the Central Government or State Government or Local Authority or Governmental agencies):-

**Proof of Principal Place of Business:**

(a) For Own premises –  
Any document in support of the ownership of the premises like latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.

(b) For Rented or Leased premises –  
A copy of the valid Rent / Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.

(c) For premises not covered in (a) and (b) above –  
A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded.

(d) For rented/leased premises where the Rent/lease agreement is not available, an affidavit to that effect along with any document in support of the possession of the premises like copy of Electricity Bill.

(e) If the principal place of business is located in an Special Economic Zone or the applicant is an Special Economic Zone developer, necessary documents/certificates issued by Government of India are required to be uploaded.

Instructions for submission of application for registration as Tax Deductor/ Tax Collector.

1. Enter name of Tax Deductor /Tax Collector as recorded on Tax Deduction and Collection Account Number/ Permanent Account Number of the Business. Tax Deduction and Collection Account Number/Permanent Account Number shall be verified with Income Tax database.
2. Provide Email Id and Mobile Number of DDO (Drawing and Disbursing Officer) / Person responsible for deducting tax/collecting tax for verification and future communication which will be verified through One Time Passwords to be sent separately, before filling up of the application.
3. Person who is acting as DDO/ Person deducting/collecting tax can sign the application.
4. The application filed by undermentioned persons shall be signed digitally.

Sr. No	Type of Applicant	Digital Signature required
1.	Private Limited Company Public Limited Company Public Sector Undertaking Unlimited Company Limited Liability Partnership Foreign Company Foreign Limited Liability Partnership	Digital Signature Certificate(DSC) class 2 and above
2.	Other than above	Digital Signature Certificate class 2 and above, e-Signature or any other mode as specified or as may be notified.

5. All information relating to Permanent Account Number, Aadhaar, Director Identification Number, Challan Identification Number shall be validated online by the system and Acknowledgment Receipt Number will be generated after successful validation of all the filled information.
6. Status of the application filed online can be tracked on the Common portal.
7. No fee is payable for filing application for registration.
8. Authorised shall not be a minor.

Form GST REG-08  
[See rule 12(3) ]

Reference No

Date:

To

Name:

Address:

Application Reference No. (ARN) (Reply)

Date:

Order of Cancellation of Registration as Tax Deductor at source or Tax Collector at source

This has reference to the show-cause notice issued vide Reference Number ..... dated ..... for cancellation of registration under the Act.

Whereas no reply to show cause notice has been filed; or  
 Whereas on the day fixed for hearing you did not appear; or  
 Whereas your reply to the notice to show cause and submissions made at the time of hearing have been examined. The undersigned is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s).

- 1.
- 2.

The effective date of cancellation of registration is <<DD/MM/YYYY >>.

You are directed to pay the amounts mentioned below on or before ----- (date) failing which the amount will be recovered in accordance with the provisions of the Act and rules made thereunder.

(This order is also available on your dashboard).

Head	Integrated tax	Central tax	State tax	UT Tax	Cess
Tax					
Interest					
Penalty					
Others					
Total					

Signature  
Name

Designation  
Jurisdiction

Form GST REG-09  
[See rule 13(1)]

Application for Registration of Non Resident Taxable Person

Part -A

State /UT –

District -

(i)	Legal Name of the Non-Resident Taxable Person	
(ii)	Permanent Account Number of the Non-Resident Taxable person, if any	
(iii)	Passport number, if Permanent Account Number is not available	
(iv)	Tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the Government of that country	
(v)	Name of the Authorised Signatory (as per Permanent Account Number)	
(vi)	Permanent Account Number of the Authorised Signatory	
(vii)	Email Address of the Authorised Signatory	
(viii)	Mobile Number of the Authorised Signatory (+91)	
Note - Relevant information submitted above is subject to online verification, where practicable, before proceeding to fill up Part-B.		

Part -B

1.	Details of Authorised Signatory (should be a resident of India)		
	First Name	Middle Name	Last Name
	Photo		
	Gender	Male / Female / Others	
	Designation		
	Date of Birth	DD/MM/YYYY	
	Father's Name		
	Nationality		
	Aadhaar		
		Address of the Authorised signatory.	Address line 1
		Address Line 2	
		Address line 3	
2.	Period for which registration is required	From	To
		DD/MM/YYYY	DD/MM/YYYY

3	Turnover Details	Estimated Turnover (Rs.)		Estimated Tax Liability (Net) (Rs.)				
		Intra- State	Inter -State	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
4	Address of Non-Resident taxable person in the Country of Origin (In case of business entity - Address of the Office)							
	Address Line 1							
	Address Line 2							
	Address Line 3							
	Country (Drop Down)							
	Zip Code							
	E mail Address							
	Telephone Number							
	5	Address of Principal Place of Business in India						
Building No./Flat No.			Floor No.					
Name of the Premises/Building			Road/Street					
City/Town/Village/Locality			District					
Block/Taluka								
Latitude			Longitude					
State			PIN Code					
Mobile Number			Telephone Number					
E mail Address			Fax Number with STD					
6	Details of Bank Account in India							
	Account Number			Type of account				
	Bank Name		Branch Address			IFSC		
7	Documents Uploaded							
	A customized list of documents required to be uploaded (refer Instruction) as per the field values in the form							
8	Declaration I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.							
				Signature				
	Place:			Name of Authorised Signatory				
	Date:			Designation:				

Note: Non-Resident taxable person is required to upload declaration (as per under mentioned format) along with scanned copy of the passport and photograph.

List of documents to be uploaded as evidence are as follows:-

1.	<p>Proof of Principal Place of Business:</p> <p>(a) For own premises – Any document in support of the ownership of the premises like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.</p> <p>(b) For Rented or Leased premises – A copy of the valid Rent / Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.</p> <p>(c) For premises not covered in (a) and (b) above – A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded.</p>
2.	<p>Proof of Non-resident taxable person:</p> <p>Scanned copy of the passport of the Non -resident taxable person with VISA details. In case of a business entity incorporated or established outside India, the application for registration shall be submitted along with its tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the Government of that country or it's Permanent Account Number, if available.</p>
3	<p>Bank Account related proof:</p> <p>Scanned copy of the first page of Bank passbook or the relevant page of Bank Statement or Scanned copy of a cancelled cheque containing name of the Proprietor or Business entity, Bank Account No., MICR, IFSC and Branch details including code.</p>
4	<p>Authorisation Form:-</p> <p>For each Authorised Signatory mentioned in the application form, Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format:Declaration for Authorised Signatory (Separate for each signatory) (Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.)I/We --- (name) being (Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.) of ..... (name of registered person) hereby solemnly affirm and declare that &lt;&lt;name of the authorised signatory, (status/designation)&gt;&gt; is hereby authorised, vide resolution no... dated.... (Copy submitted herewith), to act as an authorised signatory for the business &lt;&lt; Goods and Services Tax Identification Number - Name of the Business&gt;&gt; for which application for registration is being filed under the Act. All his actions in relation to this business will be binding on me/ us. <span style="float: right;">Signature</span></p> <p style="text-align: right;">of the person competent to sign</p> <p style="text-align: right;">Name:</p> <p style="text-align: right;">Designation/Status:</p> <p style="text-align: right;">(Name of the proprietor/Business Entity)</p> <p style="text-align: center;">Acceptance as an authorised signatory    Acceptance as an authorised signatory</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>I &lt;&lt;(Name of the authorised signatory)&gt;&gt; hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business.</p> <p style="text-align: center;">Signature of Authorised Signatory</p> <p>Place:</p> <p>Date:</p> <p style="text-align: right;">Designation/Status:</p> </div>



Instructions for submission of application for registration as Non-Resident Taxable Person.

1. Enter Name of the applicant Non-Resident taxable person as recorded on Passport.
2. The applicant shall apply at least Five days prior to commencement of the business at the common portal.
3. The applicant needs to provide Email Id and Mobile Number for verification and future communication which will be verified through One Time Passwords to be sent separately, before filling up Part-B of the application.
4. The applicant needs to upload the scanned copy of the declaration signed by the Proprietor/all Partners /Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc. in case the business declares a person as Authorised Signatory.
5. The application filed by the under-mentioned persons shall be signed digitally:-

Sr. No	Type of Applicant	Digital Signature required
1.	Private Limited Company Public Limited Company Public Sector Undertaking Unlimited Company Limited Liability Partnership Foreign Company Foreign Limited Liability Partnership	Digital Signature Certificate(DSC) class 2 and above
2.	Other than above	Digital Signature Certificate class 2 and above e-Signature or as may be notified

6. All information related to Permanent Account Number, Aadhaar, shall be online validated by the system and Acknowledgment Receipt Number will be generated after successful validation of all filled up information.
7. Status of the application filed online can be tracked on the common portal.
8. No fee is payable for filing application for registration
9. Authorised signatory shall be an Indian national and shall not be a minor.

## Form GST REG-10

[See rule 14(1)]

Application for registration of person supplying online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person.

Part -A

State /UT –

District -

(i)	Legal Name of the person	
(ii)	Permanent Account Number of the person, if any	
(iii)	Tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the Government of that country	
(iv)	Name of the Authorised Signatory	
(v)	Permanent Account Number of the Authorised Signatory	
(vi)	Email Address of the Authorised Signatory	
(vii)	Mobile Number of the Authorised Signatory (+91)	
Note - Relevant information submitted above is subject to online verification, where practicable, before proceeding to fill up Part-B.		

Part -B

1.	Details of Authorised Signatory (shall be resident of India)		
	First Name	Middle Name	Last Name
	Photo		
	Gender	Male / Female / Others	
	Designation		
	Date of Birth	DD/MM/YYYY	
	Father's Name		
	Nationality		
	Aadhaar, if any		
	Address of the Authorised Signatory	Address line 1	
Address line 2			
Address line 3			
2.	Date of commencement of the online service in India.	DD/MM/YYYY	

3	Uniform Resource Locators (URLs) of the website through which taxable services are provided: 1. 2. 3...				
4	Jurisdiction	Center			
5	Details of Bank Account				
	Account Number			Type of account	
	Bank Name		Branch Address		IFSC
6	Documents Uploaded A customized list of documents required to be uploaded (refer Instruction) as per the field values in the form				
7	<p>Declaration I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.</p> <p>I, _ ..... hereby declare that I am authorised to sign on behalf of the Registrant. I would charge and collect tax liable from the non-assesse online recipient located in taxable territory and deposit the same with Government of India.</p> <p style="text-align: right;">Signature</p> <p>Place: _____ Name of Authorised Signatory: _____</p> <p>Date: _____ Designation: _____</p>				

Note: Applicant will require to upload declaration (as per under mentioned format) along with scanned copy of the passport and photograph.

List of documents to be uploaded as evidence are as follows:-

1.	<p>Proof of Place of Business in India: (a) For Own premises – Any document in support of the ownership of the premises like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. (b) For Rented or Leased premises – A copy of the valid Rent / Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. (c) For premises not covered in (a) and (b) above – A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded.</p>
2.	<p>Proof of : Scanned copy of the passport of the Non -resident tax payer with VISA details. In case of Company/Society/LLP/FCNR/ etc. person who is holding power of attorney with authorisation letter. Scanned copy of Certificate of Incorporation if the Company is registered outside India or in India Scanned copy of License is issued by origin country Scanned copy of Clearance certificate issued by Government of India</p>
3	<p>Bank Account Related Proof: Scanned copy of the first page of Bank passbook / one page of Bank Statement Opening page of the Bank Passbook held in the name of the Proprietor / Business Concern –</p>

	containing the Account No., Name of the Account Holder, MICR and IFSC and Branch details.										
4	<p>Authorisation Form:- For Authorised Signatory mentioned in the application form, Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format:</p> <p>Declaration for Authorised Signatory (Separate for each signatory)</p> <p>I ----(Managing Director/Whole Time Director/CEO or Power of Attorney holder) hereby solemnly affirm and declare that &lt;&lt;name of the authorised signatory&gt;&gt; to act as an authorised signatory for the business &lt;&lt; Name of the Business&gt;&gt; for which application for registration is being filed/ is registered under the Goods and Service Tax Act, 20__.</p> <p>All his actions in relation to this business will be binding on me/ us.</p> <p>Signatures of the persons who is in charge.</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>S. No.</th> <th>Full Name</th> <th>Designation/Status</th> <th>Signature</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Acceptance as an authorised signatory</p> <table border="1"> <tr> <td> <p>I &lt;&lt;(Name of authorised signatory)&gt;&gt; hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business.</p> <p>(Name)</p> <p>Date:</p> <p>Designation/Status</p> </td> <td> <p>Signature of Authorised Signatory Place</p> </td> </tr> </table>	S. No.	Full Name	Designation/Status	Signature	1.				<p>I &lt;&lt;(Name of authorised signatory)&gt;&gt; hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business.</p> <p>(Name)</p> <p>Date:</p> <p>Designation/Status</p>	<p>Signature of Authorised Signatory Place</p>
S. No.	Full Name	Designation/Status	Signature								
1.											
<p>I &lt;&lt;(Name of authorised signatory)&gt;&gt; hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business.</p> <p>(Name)</p> <p>Date:</p> <p>Designation/Status</p>	<p>Signature of Authorised Signatory Place</p>										

Form GST REG-11

[See rule 15(1) ]

Application for extension of registration period by casual / non-resident taxable person

1.	GSTIN								
2.	Name (Legal)								
3.	Trade Name, if any								
4.	Address								
5.	Period of Validity (original)		From		To				
			DD/MM/YYYY		DD/MM/YYYY				
6.	Period for which extension is requested.		From		To				
			DD/MM/YYYY		DD/MM/YYYY				
7.	Turnover Details for the extended period (Rs.)		Estimated Tax Liability (Net) for the extended period (Rs.)						
			Inter- State	Intra-State	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
8.	Payment details								
	Date	CIN	BRN		Amount				
9.	Declaration - I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.								
Signature Place: Name of Authorised Signatory: Date: Designation / Status:									

Instructions for submission of application for extension of validity

1. The application can be filed online before the expiry of the period of validity.
2. The application can only be filed when advance payment is made.
3. After successful filing, Application Reference Number will be generated which can be used to track the status of the application.

## Form GST REG-12

[See rule 16(1)]

Reference Number -

Date:

To

(Name):

(Address):

Temporary Registration Number

## Order of Grant of Temporary Registration/ Suo Moto Registration

Whereas the undersigned has sufficient reason to believe that you are liable for registration under the Act, and therefore, you are hereby registered on a temporary basis. The particulars of the business as ascertained from the business premises are given as under:

Details of person to whom temporary registration granted		
1.	Name and Legal Name, if applicable	
2.	Gender	Male/Female/Other
3.	Father's Name	
4.	Date of Birth	DD/MM/YYYY
5.	Address of the Person	Building No./ Flat No.
		Floor No.
		Name of Premises/ Building
		Road/ Street
		Town/City/Locality/ Village
		Block / Taluka
		District
		State
	PIN Code	
6.	Permanent Account Number of the person, if available	
7.	Mobile No.	
8.	Email Address	
9.	Other ID, if any (Voter ID No./ Passport No./Driving License No./ Aadhaar No./ Other)	
10.	Reasons for temporary registration	



## Form GST REG-13

[See rule 17(1)]

Application/Form for grant of Unique Identity Number to UN Bodies /  
Embassies / othersState /Union Territory– District –  
PART A

(i)	Name of the Entity	
(ii)	Permanent Account Number of entity, if any (applicable in case of any other person notified)	
(iii)	Name of the Authorised Signatory	
(iv)	Permanent Account Number of Authorised Signatory	
(v)	Email Address of the Authorised Signatory	
(vi)	Mobile Number of the Authorised Signatory (+91)	

## PART B

1.	Type of Entity (Choose one)	UN Body <input type="radio"/>	Embassy <input type="radio"/>	Other Person <input type="radio"/>
2.	Country			
3.	Notification Details	Notification No.	Date	
4.	Address of the entity in State			
	Building No./Flat No.	Floor No.		
	Name of the Premises/Building	Road/Street		
	City/Town/Village	District		
	Block/Taluka			
	Latitude	Longitude		
	State	PIN Code		
	Contact Information			
	Email Address		Telephone number	
	Fax Number		Mobile Number	
7.	Details of Authorised Signatory, if applicable			
	Particulars	First Name	Middle Name	Last name
	Name			
	Photo			
	Name of Father			
	Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender	<Male, Female, Other>
	Mobile Number		Email address	



	Telephone No.			
	Designation /Status		Director Identification Number (if any)	
	Permanent Account Number		Aadhaar Number	
	Are you a citizen of India?	Yes / No	Passport No. (in case of foreigners)	
	Residential Address			
	Building No/Flat No		Floor No	
	Name of the Premises/Building		Road/Street	
	Town/City/Village		District	
	Block/Taluka			
	State		PIN Code	
8	Bank Account Details (add more if required)			
	Account Number		Type of Account	
	IFSC		Bank Name	
	Branch Address			
9.	<p>Documents Uploaded</p> <p>The authorised person who is in possession of the documentary evidence (<u>otherthan</u> UN Body/ Embassy etc.) shall upload the scanned copy of such documents including the copy of resolution / power of attorney, authorising the applicant to represent the entity.</p> <p>Or</p> <p>The proper officer who has collected the documentary evidence from the applicant (UN Body/Embassy etc.) shall upload the scanned copy of such documents including the copy of resolution / power of attorney, authorising the applicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and link it along with the Unique Identity Number generated and allotted to respective UN Body/ Embassy etc.</p>			
11.	<p>Verification</p> <p>I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.</p>			

Place:

(Signature)

Date:

Name of Authorised Person:

Or

(Signature)

Place:

Name of Proper Officer:

Date:

Designation:

Jurisdiction:

Instructions for submission of application for registration for UN Bodies/ Embassies/others notified by the Government.

- Every person required to obtain a unique identity number shall submit the application electronically.
- Application shall be filed through common portal or registration can be granted suo-moto by proper officer.
- The application filed on the common portal is required to be signed electronically or through any other mode as specified by the Government.
- The details of the person authorised by the concerned entity to sign the refund application or otherwise, should be filled up against the “Authorised Signatory details” in the application.

Form GST REG-14

[See rule 19(1) ]

Application for Amendment in Registration Particulars

(For all types of registered persons)

1. GSTIN/UIN			
2. Name of Business			
3. Type of registration			
4. Amendment summary			
Sr. No	Field Name	Effective Date (DD/MM/YYYY)	Reasons(s)
5. List of documents uploaded			
(a)			
(b)			
(c)			
...			
6. Declaration			
I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom			
Place:		Signature	
Date:		Name of Authorised Signatory	
		Designation / Status:	

Instructions for submission of application for amendment

1. Application for amendment shall be submitted online.
2. Changes relating to - Name of Business, Principal Place of Business, additional place(s) of business and details of partners or directors, karta, Managing Committee, Board of Trustees, Chief Executive Officer or equivalent, responsible for day to day affairs of the business which does not warrant cancellation of registration, are core fields which shall be approved by the Proper Officer after due verification.
3. For amendment in Non-Core fields, approval of the Proper Officer is not required.
4. Where a change in the constitution of any business results in change of the Permanent Account Number of a registered person, the said person shall be required to apply for fresh registration.
5. Any change in the mobile number or the e-mail address of authorised signatory as amended from time to time, shall be carried out only after online verification through the common portal.
6. All information related to Permanent Account Number, Aadhaar, Director Identification Number, Challan Identification Number shall be validated online by the system and Application Reference Number (ARN) will be generated after successful validation of necessary field.
7. Status of the application can be tracked on the common portal.
8. No fee is payable for submitting application for amendment.
9. Authorised signatory shall not be a minor.

Form GST REG-15  
[See rule 19(1)]

Reference Number - << >>

Date – DD/MM/YYYY

To  
(Name)  
(Address)  
Registration Number (GSTIN / UIN)

Application Reference No. (ARN)

Dated – DD/MM/YYYY

### Order of Amendment

This has reference to your application number----- dated ---- regarding amendment in registration particulars. Your application has been examined and the same has been found to be in order. The amended certificate of registration is available on your dashboard for download.

Signature  
Name  
Designation  
Jurisdiction

Date  
Place

Form GST REG-16  
[See rule 20]

Application for Cancellation of Registration

1	GSTIN				
2	Legal name				
3	Trade name, if any				
4	Address of Principal Place of Business				
5	Address for future correspondence (including email, mobile telephone, fax )	Building No./ Flat No.		Floor No.	
		Name of Premises/ Building		Road/ Street	
		City/Town/ Village		District	
		Block/Taluka			
		Latitude		Longitude	
		State		PIN Code	
		Mobile (with country code)		Telephone	
		email		Fax Number	
6.	Reasons for Cancellation (Select one)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Discontinuance /Closure of business</li> <li>○ Ceased to be liable to pay tax</li> <li>○ Transfer of business on account of amalgamation, merger/ demerger, sale, lease or otherwise disposed of etc.</li> <li>○ Change in constitution of business leading to change in Permanent Account Number</li> <li>○ Death of Sole Proprietor</li> <li>○ Others (specify)</li> </ul>			
7.	In case of transfer, merger of business, particulars of registration of entity in which merged, amalgamated, transferred, etc.				
(i)	Goods and Services Tax Identification Number				
(ii)	(a) Name (Legal)				
	(b) Trade name, if any				
(iii)	Address of Principal Place of Business	Building No./ Flat No.		Floor No.	
		Name of Premises/ Building		Road/ Street	
		City/Town/ Village		District	
		Block/Taluka			

		Latitude		Longitude			
		State		PIN Code			
		Mobile (with country code)		Telephone			
		email		Fax Number			
8.	Date from which registration is to be cancelled.		<DD/MM/YYYY>				
9	Particulars of last Return Filed						
(i)	Tax period						
(ii)	Application Reference Number						
(iii)	Date						
10.	Amount of tax payable in respect of inputs/capital goods held in stock on the effective date of cancellation of registration.						
	Description	Value of Stock (Rs.)	Input Tax Credit/ Tax Payable (whichever is higher) (Rs.)				
			Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
	Inputs						
	Inputs contained in semi-finished goods						
	Inputs contained in finished goods						
	Capital Goods/Plant and machinery						
	Total						
11.	<u>Details of tax paid, if any</u>						
	Payment from Cash Ledger						
	Sr. No.	Debit Entry No.	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1.						
	2.						
		Sub-Total					
	Payment from ITC Ledger						
	Sr. No.	Debit Entry No.	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1.						
	2.						
		Sub-Total					
	Total Amount of Tax Paid						
12.	Documents uploaded						
13.	Verification						
	I/We <> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.						
	Signature of Authorised Signatory						
	Place	Name of the Authorised Signatory					
	Date	Designation / Status					

## Instructions for filing of Application for Cancellation

- A registered person seeking cancellation of his registration shall electronically submit an application including details of closing stock and liability thereon along with relevant documents, on common portal.
- The following persons shall digitally sign application for cancellation, as applicable:

Constitution of Business	Person who can digitally sign the application
Proprietorship	Proprietor
Partnership	Managing / Authorised Partners
Hindu Undivided Family	Karta
Private Limited Company	Managing / Whole-time Directors/ Chief Executive Officer
Public Limited Company	Managing / Whole-time Directors/ Chief Executive Officer
Society/ Club/ Trust/ AOP	Members of Managing Committee
Government Department	Person In charge
Public Sector Undertaking	Managing / Whole-time Directors/ Chief Executive Officer
Unlimited Company	Managing / Whole-time Directors/ Chief Executive Officer
Limited Liability Partnership	Designated Partners
Local Authority	Chief Executive Officer or Equivalent
Statutory Body	Chief Executive Officer or Equivalent
Foreign Company	Authorised Person in India
Foreign Limited Liability Partnership	Authorised Person in India
Others	Person In charge

In case of death of sole proprietor, application shall be made by the legal heir / successor manually before the concerned tax authorities. The new entity in which the applicant proposes to amalgamate itself shall register with the tax authority before submission of the application for cancellation. This application shall be made only after that the new entity is registered.

Before applying for cancellation, please file your tax return due for the tax period in which the effective date of surrender of registration falls.

- Status of the Application may be tracked on the common portal.
- No fee is payable for filing application for cancellation.
- After submission of application for cancellation of registration, the registered person shall make payment, if not made at the time of this application, and shall furnish final return as provided in the Act.
- The registered person may also update his contact address and update his mobile number and e mail address.



Form GST REG -17

[See rule 22(1)]

Reference No. -

<< Date >>

To  
Registration Number (GSTIN/UIN)  
(Name)  
(Address)

**Show Cause Notice for Cancellation of Registration**

Whereas on the basis of information which has come to my notice, it appears that your registration is liable to be cancelled for the following reasons: -

- 1
- 2
- 3

....

You are hereby directed to furnish a reply to this notice within seven working days from the date of service of this notice .

You are hereby directed to appear before the undersigned on DD/MM/YYYY at HH/MM  
If you fail to furnish a reply within the stipulated date or fail to appear for personal hearing on the appointed date and time, the case will be decided ex parte on the basis of available records and on merits

Place:

Date:

Signature  
< Name of the Officer >  
Designation  
Jurisdiction

## Form GST REG- 18

[See rule 22(2)]

## Reply to the Show Cause Notice issued for cancellation for registration

1.	Reference No. of Notice		Date of issue	
2.	GSTIN / UIN			
3.	Name of business (Legal)			
4.	Trade name, if any			
5.	Reply to the notice			
6.	List of documents uploaded			
7.	<p>Verification</p> <p>I _____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.</p> <p style="text-align: center;">Signature of Authorised Signatory</p> <p style="text-align: center;">Name</p> <p style="text-align: center;">Designation/Status</p> <p>Place</p> <p>Date</p>			

Form GST REG-19

[See rule 22(3)]

Reference No. -  
To  
Name  
Address  
GSTIN / UIN

Date

Application Reference No. (ARN)

Date

**Order for Cancellation of Registration**

This has reference to your reply dated ---- in response to the notice to show cause dated -----.

Whereas no reply to notice to show cause has been submitted; or  
 Whereas on the day fixed for hearing you did not appear; or  
 Whereas the undersigned has examined your reply and submissions made at the time of hearing, and is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for following reason(s).

- 1.
- 2.

The effective date of cancellation of your registration is <<DD/MM/YYYY >>.

**Determination of amount payable pursuant to cancellation:**

Accordingly, the amount payable by you and the computation and basis thereof is as follows:

The amounts determined as being payable above are without prejudice to any amount that may be found to be payable you on submission of final return furnished by you.

You are required to pay the following amounts on or before ----- (date) failing which the amount will be recovered in accordance with the provisions of the Act and rules made thereunder.

Head	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
Tax					
Interest					
Penalty					
Others					
Total					

Place:

Date:

Signature  
< Name of the Officer >  
Designation  
Jurisdiction

Form GST REG-20

[See rule 22(4) ]

Reference No. -

Date

To

Name

Address

GSTIN/UID

Show Cause Notice No.

Date

**Order for dropping the proceedings for cancellation of registration**

This has reference to your reply dated ---- in response to the notice to show cause notice dated DD/MM/YYYY. Upon consideration of your reply and/or submissions made during hearing, the proceedings initiated for cancellation of registration stands vacated due to the following reasons:

&lt;&lt; text &gt;&gt;

Signature  
< Name of the Officer >  
Designation  
Jurisdiction

Place:

Date:

Form GST REG-21  
[See rule 23(1) ]

Application for Revocation of Cancellation of Registration

1.	GSTIN (cancelled)					
2.	Legal Name					
3.	Trade Name, if any					
4.	Address (Principal place of business)					
5.	Cancellation Order No.		Date –			
6.	Reason for cancellation					
7.	Details of last return filed					
	Period of Return		Application Reference Number		Date of filing	DD/MM/YYYY
8.	Reasons for revocation of cancellation		Reasons in brief. (Detailed reasoning can be filed as an attachment)			
9.	Upload Documents					
10.	<p>Verification</p> <p>I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.</p> <p style="text-align: right;">Signature of Authorised Signatory Full Name (first name, middle, surname) Designation/Status</p> <p>Place Date</p>					

Instructions for submission of application for revocation of cancellation of registration

- A person, whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion, may apply for revocation of cancellation of registration, within thirty days from the date of service of the order of cancellation of registration at the common portal No application for revocation shall be submitted if the registration has been cancelled for the failure to furnish returns unless such returns are furnished and any amount due as tax in terms of such returns has been paid along with any amount payable towards interest, penalty and late fee payable in respect of the said returns.
- Any change in the mobile number or the e-mail address of authorised signatory submitted as amended from time to time, shall be carried out only after online verification through the common portal in the manner provided
- Status of the application can be tracked on the common portal.
- No fee is payable for filing application for revocation of cancellation.

Form GST REG-22

[See rule 23(2)]

Reference No. -

Date

To  
GSTIN / UIN  
(Name of Taxpayer)  
(Address)

Application Reference No. (ARN)

Date

**Order for revocation of cancellation of registration**

This has reference to your application dated DD/MM/YYYY for revocation of cancellation of registration. Your application has been examined and the same has been found to be in order. Accordingly, your registration is restored.

Signature

Name of Proper officer

(Designation)

Jurisdiction –

Date

Place

Form GST REG-23  
[See rule 23(3) ]

Reference Number :

Date

To

Name of the Applicant/ Taxpayer

Address of the Applicant/Taxpayer

GSTIN

Application Reference No. (ARN):

Dated

Show Cause Notice for rejection of application for revocation of cancellation of registration

This has reference to your application dated DD/MM/YYYY regarding revocation of cancellation of registration. Your application has been examined and the same is liable to be rejected for the following reasons:

- 1.
- 2.
- 3.

...

You are hereby directed to furnish a reply to this notice within seven working days from the date of service of this notice.

You are hereby directed to appear before the undersigned on DD/MM/YYYY at HH/MM.  
If you fail to furnish a reply within the stipulated day or you fail to appear for personal hearing on the appointed date and time, the case will be decided ex parte on the basis of available records and on merits

Signature  
Name of the Proper Officer  
Designation  
Jurisdiction

## Form GST REG-24

[See rule 23(3)]

Reply to the notice for rejection of application for revocation of cancellation of registration

1.	Reference No. of Notice		Date	
2.	Application Reference No. (ARN)		Date	
3.	GSTIN, if applicable			
4.	Information/reasons			
5.	List of documents filed			
6.	<p>Verification</p> <p>I _____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.</p> <p style="text-align: right;">Signature of Authorised Signatory</p> <p style="text-align: right;">Name</p> <p>Place</p> <p style="text-align: right;">Designation/Status</p> <p>Date</p>			



Government of Bihar

Form GST REG-25  
[See rule 24(1)]

Certificate of Provisional Registration

1.	GSTIN		
2.	Permanent Account Number		
3.	Legal Name		
4.	Trade Name		
5.	Registration Details under Existing Law		
	Act	Registration Number	
(a)			
(b)			
(c)			
Date	<Date of creation of Certificate>		

This is a Certificate of Provisional Registration issued under the provisions of the Act.

## Form GST REG-26

[See rule 24(2)]

Application for Enrolment of Existing Taxpayer			
Taxpayer Details			
1. Provisional ID			
2. Legal Name (As per Permanent Account Number )			
3. Legal Name (As per State/Center)			
4. Trade Name, if any			
5. Permanent Account Number of Business			
6. Constitution			
7. State			
7A Sector, Circle, Ward, etc. as applicable			
7B. Center Jurisdiction			
8. Reason of liability to obtain Registration		Registration under earlier law	
9. Existing Registrations			
Sr. No.	Type of Registration	Registration Number	Date of Registration
1	TIN Under Value Added Tax		
2	Central Sales Tax Registration Number		
3	Entry Tax Registration Number		
4	Entertainment Tax Registration Number		
5	Hotel And Luxury Tax Registration Number		
6	Central Excise Registration Number		
7	Service Tax Registration Number		
8	Corporate Identify Number/Foreign Company Registration		
9	Limited Liability Partnership Identification Number/Foreign Limited Liability Partnership Identification Number		
10	Import/Exporter Code Number		
11	Registration Under Duty Of Excise On Medicinal And Toiletry Act		
12	Others (Please specify)		

10. Details of Principal Place of Business			
Building No. /Flat No.		Floor No	
Name of the Premises/Building		Road/Street	
Locality/Village		District	
State		PIN Code	
Latitude		Longitude	
Contact Information			
Office Email Address		Office Telephone Number	
Mobile Number		Office Fax No	
10A. Nature of Possession of Premises	(Own; Leased; Rented; Consent; Shared)		
10B. Nature of Business Activities being carried out			
Factory / Manufacturing <input type="radio"/>	Wholesale Business <input type="radio"/>	Retail Business <input type="radio"/>	Warehouse/Depot <input type="radio"/>
Bonded Warehouse <input type="radio"/>	Service Provision <input type="radio"/>	Office/Sale Office <input type="radio"/>	Leasing Business <input type="radio"/>
Service Recipient <input type="radio"/>	EOU/ STP/ EHTP <input type="radio"/>	SEZ <input type="radio"/>	Input Service Distributor (ISD) <input type="radio"/>
Works Contract <input type="radio"/>	Others (Specify) <input type="radio"/>		
11. Details of Additional Places of Business			
Building No/Flat No		Floor No	
Name of the Premises/Building		Road/Street	
Locality/Village		District	
State		PIN Code	
Latitude (Optional)		Longitude(Optional)	
Contact Information			
Office Email Address		Office Telephone Number	
Mobile Number		Office Fax No	
11A.Nature of Possession of Premises	(Own; Leased; Rented; Consent; Shared)		
11B.Nature of Business Activities being carried out			
Factory / Manufacturing <input type="radio"/>	Wholesale Business <input type="radio"/>	Retail Business <input type="radio"/>	Warehouse/Depot <input type="radio"/>
Bonded Warehouse <input type="radio"/>	Service Provision <input type="radio"/>	Office/Sale Office <input type="radio"/>	Leasing Business <input type="radio"/>
Service Recipient <input type="radio"/>	EOU/ STP/ EHTP <input type="radio"/>	SEZ <input type="radio"/>	Input Service Distributor (ISD) <input type="radio"/>
Works Contract <input type="radio"/>	Others (Specify) <input type="radio"/>		
Add More -----			
12. Details of Goods/ Services supplied by the Business			
Sr. No.	Description of Goods	HSN Code	

Sr. No.	Description of Services			HSN Code	
13. Total Bank Accounts maintained by you for conducting Business					
Sr. No.	Account Number	Type of Account	IFSC	Bank Name	Branch Address
14. Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.					
Name		<First Name>	<Middle Name>	<Last Name>	<Photo>
Name of Father/Husband		<First Name>	<Middle Name>	<Last Name>	
Date of Birth	DD/ MM/ YYYY	Gender		<Male, Female, Other>	
Mobile Number			Email Address		
Telephone Number					
Identity Information					
Designation		Director Identification Number			
Permanent Account Number		Aadhaar Number			
Are you a citizen of India?		<Yes/No>	Passport Number		
Residential Address					
Building No/Flat No			Floor No		
Name of the Premises/Building			Road/Street		
Locality/Village			District		
State			PIN Code		
15. Details of Primary Authorised Signatory					
Name		<First Name>	<Middle Name>	<Last Name>	<Photo>
Name of Father/Husband		<First Name>	<Middle Name>	<Last Name>	
Date of Birth	DD / MM / YYYY	Gender		<Male, Female, Other>	
Mobile Number			Email Address		
Telephone Number					
Identity Information					
Designation			Director Identification Number		

Permanent Account Number		Aadhaar Number	
Are you a citizen of India?	<Yes/No>	Passport Number	
Residential Address			
Building No/Flat No		Floor No	
Name of the Premises/Building		Road/Street	
Locality/Village		District	
State		PIN Code	
Add More ---			
List of Documents Uploaded			
A customized list of documents required to be uploaded as per the field values in the form should be auto-populated with provision to upload relevant document against each entry in the list. (Refer instruction)			
16. Aadhaar Verification I on behalf of the holders of Aadhaar numbers provided in the form, give consent to “Goods and Services Tax Network” to obtain details from UIDAI for the purpose of authentication. “Goods and Services Tax Network” has informed me that identity information would only be used for validating identity of the Aadhaar holder and will be shared with Central Identities Data Repository only for the purpose of authentication.			
17. Declaration I, hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.  <p style="text-align: right;">Digital Signature/E-Sign</p>			
Name of the Authorised Signatory		Place	
Designation of Authorised Signatory		Date	

Instructions for filing of Application for enrolment

1. Every person, other than a person deducting tax at source or an Input Service Distributor, registered under an existing law and having a Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 (Act 43 of 1961) shall enroll on the common portal by validating his e-mail address and mobile number.
2. Upon enrolment under clause (a), the said person shall be granted registration on a provisional basis and a certificate of registration in FORM GST REG-25, incorporating the Goods and Services Tax Identification Number therein, shall be made available to him on the common portal:
3. Authorisation Form:-

For each Authorised Signatory mentioned in the application form, Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format:

Declaration for Authorised Signatory (Separate for each signatory)

I ---

(Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc)

1. << Name of the Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc>>

2.

3.

hereby solemnly affirm and declare that <<name of the authorised signatory>> to act as an authorised signatory for the business << Goods and Services Tax Identification Number - Name of the Business>> for which application for registration is being filed/ is registered under the Central Goods and Service Tax Act, 2017.

All his actions in relation to this business will be binding on me/ us.

Signatures of the persons who are Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.

S. No.	Full Name	Designation/Status	Signature
--------	-----------	--------------------	-----------

1.

2.

Acceptance as an authorised signatory			
I <<(Name of the authorised signatory)>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business.			
Signatory		Signature	of Authorised Designation/Status
Date			
Place			

#### Instructions for filing online form

- Enter your Provisional ID and password as provided by the State/Commercial Tax/Central Excise/Service Tax Department for log in on the GST Portal.
- Correct Email address and Mobile number of the Primary Authorised Signatory are to be provided. The Email address and Mobile Number would be filled as contact information of the Primary Authorised Signatory.
- E mail and Mobile number to be verified by separate One Time Passwords. Taxpayer shall change his user id and password after first login.
- Taxpayer shall require to fill the information required in the application form related details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees, Principal Place of Business and details in respect of Authorised signatories.
- Information related to additional place of business, Bank account, commodity in respect of goods and services dealt in (top five) are also required to be filled.
- Applicant need to upload scanned copy of the declaration signed by the Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc. in case he/she declares a person as Authorised Signatory as per Annexure specified. Documents required to be uploaded as evidence are as follows:-

- |    |  |
|----|--|
| 1. | Photographs wherever specified in the Application Form (maximum 10)<br>Proprietary Concern – Proprietor<br>Partnership Firm / Limited Liability Partnership – Managing/ Authorised<br>Partners (personal details of all partners is to be submitted but photos of only ten partners including that of Managing Partner is to be submitted)<br>Hindu Undivided Family – Karta<br>Company – Managing Director or the Authorised Person |
|----|--|

	Trust – Managing Trustee Association of Person or Body of Individual –Members of Managing Committee (personal details of all members is to be submitted but photos of only ten members including that of Chairman is to be submitted) Local Body – Chief Executive Officer or his equivalent Statutory Body – Chief Executive Officer or his equivalent Others – Person in Charge
2.	Constitution of business: Partnership Deed in case of Partnership Firm, Registration Certificate/Proof of Constitution in case of Society, Trust, Club, Government Department, Association of Person or Body of Individual, Local Authority, Statutory Body and Others etc.
3.	Proof of Principal/Additional Place of Business: (a) For Own premises – Any document in support of the ownership of the premises like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. (b) For Rented or Leased premises – A copy of the valid Rent / Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. (c) For premises not covered in (a) and (b) above – A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded.
4	Bank Account Related Proof: Scanned copy of the first page of Bank passbook / one page of Bank Statement Opening page of the Bank Passbook held in the name of the Proprietor / Business Concern – containing the Account No., Name of the Account Holder, MICR and IFSC and Branch details.
5	For each Authorised Signatory: Letter of Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to that effect as specified.

□ After submitting information electronic signature shall be required. Following person can electronically sign application for enrolment:-

Constitution of Business	Person who can digitally sign the application
Proprietorship	Proprietor
Partnership	Managing / Authorised Partners
Hindu Undivided Family	Karta
Private Limited Company	Managing / Whole-time Directors and Managing Director/Whole Time Director/ Chief Executive Officer
Public Limited Company	Managing / Whole-time Directors and Managing Director/Whole Time Director/ Chief Executive Officer
Society/ Club/ Trust/ AOP	Members of Managing Committee
Government Department	Person In charge
Public Sector Undertaking	Managing / Whole-time Director and Managing Director/Whole Time Director/ Chief Executive Officer
Unlimited Company	Managing/ Whole-time Director and Managing Director/Whole Time Director/ Chief Executive

	Officer
Limited Liability Partnership	Designated Partners
Local Authority	Chief Executive Officer or Equivalent
Statutory Body	Chief Executive Officer or Equivalent
Foreign Company	Authorised Person in India
Foreign Limited Liability Partnership	Authorised Person in India
Others	Person In charge

□ Application is required to be mandatorily digitally signed as per following :-

Sl. No	Type of Applicant	Digital Signature required
1.	Private Limited Company Public Limited Company Public Sector Undertaking Unlimited Company Limited Liability Partnership Foreign Company Foreign Limited Liability Partnership	Digital Signature Certificate(DSC) Class 2 and above
2.	Other than above	Digital Signature Certificate class 2 and above e-Signature

Note :- 1. Applicant shall require to register their DSC on common portal.  
2. e-Signature facility will be available on the common portal for Aadhar holders.

All information related to Permanent Account Number, Aadhaar, Director Identification Number, Challan Identification Number, Limited Liability Partnership Identification Number shall be online validated by the system and Acknowledgment Reference Number will be generated after successful validation of all the filled up information.

Status of the online filed Application can be tracked on the common portal.

1. Authorised signatory should not be minor.
2. No fee is applicable for filing application for enrolment.



## Acknowledgement

Enrolment Application - Form GST- has been filed against Application Reference Number (ARN) <.....>.

Form Number : <.....-.....>

Form Description : <Application for Enrolment of Existing Taxpayers>

Date of Filing : <DD/MM/YYYY>

Taxpayer Trade Name : <Trade Name>

Taxpayer Legal Name : <Legal Name as shared by State/Center>

Provisional ID Number : <Provisional ID Number>

It is a system generated acknowledgement and does not require any signature

Form GST REG-27

[See rule – 24(3)]

Reference No.  
To  
Provisional ID  
Name  
Address

&lt;&lt;Date-DD/MM/YYYY&gt;&gt;

Application Reference Number (ARN) &lt; &gt;

Dated &lt;DD/MM/YYYY&gt;

## Show Cause Notice for cancellation of provisional registration

This has reference to your application dated ----- . The application has been examined and the same has not been found to be satisfactory for the following reasons:-

1

2

...

You are hereby directed to show cause as to why the provisional registration granted to you shall not be cancelled.

Signature

Name of the Proper Officer

Designation

Jurisdiction

Date

Place

Form GST REG-28

[See rule 24(3)]

Reference No. -

<< Date-DD/MM/YYYY>>

To

Name

Address

GSTIN / Provisional ID

Application Reference No. (ARN)

Dated – DD/MM/YYYY

**Order for cancellation of provisional registration**

This has reference to your reply dated ---- in response to the notice to show cause dated -----.

- Whereas no reply to notice to show cause has been submitted; or  
 Whereas on the day fixed for hearing you did not appear; or  
 Whereas the undersigned has examined your reply and submissions made at the time of hearing, and is of the opinion that your provisional registration is liable to be cancelled for following reason(s).

- 1.
- 2.

**Determination of amount payable pursuant to cancellation of provisional registration:**

Accordingly, the amount payable by you and the computation and basis thereof is as follows:

You are required to pay the following amounts on or before ----- (date) failing which the amount will be recovered in accordance with the provisions of the Act and rules made thereunder.

Head	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
Tax					
Interest					
Penalty					
Others					
Total					

Place:

Date:

Signature  
 < Name of the Officer >  
 Designation  
 Jurisdiction

Form GST REG-29  
[See rule 24(4) ]

Application for cancellation of provisional registration  
Part A

(i) Provisional ID			
(ii) Email ID			
(iii) Mobile Number			
Part B			
1. Legal Name (As per Permanent Account Number)			
2. Address for correspondence			
Building No./ Flat No.		Floor No.	
Name of Premises/ Building		Road/ Street	
City/Town/ Village/Locality		District	
Block/Taluka			
State		PIN	
3. Reason for Cancellation			
4. Have you issued any tax invoice during GST regime?      YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
5. Declaration (i) I <Name of the Proprietor/Karta/Authorised Signatory>, being <Designation> of <Legal Name ()> do hereby declare that I am not liable to registration under the provisions of the Act.			
6. Verification I < > hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.			
Aadhaar Number		Permanent Account Number	
Signature of Authorised Signatory			
Full Name			
Designation / Status			
Place			
Date		DD/MM/YYYY	

Form GST REG-30  
[See rule 25]

Form for Field Visit Report  
Center Jurisdiction (Ward/Circle/Zone)

Name of the Officer:- << to be prefilled>>  
Date of Submission of Report:-  
Name of the taxable person  
GSTIN/UIN –  
Task Assigned by:- < Name of the Authority- to be prefilled>  
Date and Time of Assignment of task:- < System date and time>

Sr. No.	Particulars	Input
1.	Date of Visit	
2.	Time of Visit	
3.	Location details :	
	Latitude	Longitude
	North – Bounded By	South – Bounded By
	West – Bounded By	East – Bounded By
4.	Whether address is same as mentioned in application.	Y / N
5.	Particulars of the person available at the time of visit	
	(i) Name	
	(ii) Father's Name	
	(iii) Residential Address	
	(iv) Mobile Number	
	(v) Designation / Status	
	(vi) Relationship with taxable person, if applicable.	
6.	Functioning status of the business	Functioning - Y / N
7.	Details of the premises	
	Open Space Area (in sq m.) - (approx.)	
	Covered Space Area (in sq m.) - (approx.)	
	Floor on which business premises located	
8.	Documents verified	Yes/No
9.	Upload photograph of the place with the person who is present at the place where site verification is conducted.	
10.	Comments (not more than < 1000 characters>	
	Place: Date:	Signature Name of the Officer: Designation: Jurisdiction:

**Form GST ITC – 01**

[See rule 40(1)]

**Declaration for claim of input tax credit under sub-section (1) of section 18**

Claim made under	
Section 18 (1)(a)	<input type="checkbox"/>
Section 18 (1)(b)	<input type="checkbox"/>
Section 18 (1)(c)	<input type="checkbox"/>
Section 18 (1)(d)	<input type="checkbox"/>

1.	GSTIN	
2.	Legal name	
3.	Trade name, if any	
4.	Date from which liability to pay tax arises under section 9, except section 9 (3) and section 9 (4) [For claim under section 18 (1)(a) and section 18 (1)(c)]	
5.	Date of grant of voluntary registration [For claim made under section 18 (1)(b)]	
6.	Date on which goods or services becomes taxable [For claim made under section 18 (1)(d)]	

**7. Claim under section 18 (1) (a) or section 18 (1) (b)**

Details of stock of inputs and inputs contained in semi-finished goods or finished goods on which ITC is claimed

Sr. No.	GSTIN/ Registrati on under CX/ VAT of supplier	Invoice *		Description of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock	Unit Quantity Code (UQC)	Qua ntit y	Value (As adjusted by debit note/credit note)	Amount of ITC claimed (Rs.)				
		No.	Date					Central Tax	State Tax	UT Tax	Integr ated Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7 (a) Inputs held in stock												
7 (b) Inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock												

\*In case it is not feasible to identify invoice, the principle of first-in-first out may be followed.

8. Claim under section 18 (1) (c) or section 18 (1)(d)

Details of stock of inputs, inputs contained in semi-finished goods or finished goods and capital goods on which ITC is claimed

Sr. No.	GSTIN/Registration under CX/VAT of supplier	Invoice */ Bill of entry		Description of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock, capital goods	Unit Quantity Code (UQC)	Qty	Value** (As adjusted by debit note/credit note)	Amount of ITC claimed (Rs.)				
		No.	Date					Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 (a) Inputs held in stock												
8 (b) Inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock												
8 (c) Capital goods in stock												

\* In case it is not feasible to identify invoice, principle of first in and first out may be followed.

\*\* The value of capital goods shall be the invoice value reduced by five percentage points per quarter of a year or part thereof from the date of invoice

9. Particulars of certifying Chartered Accountant or Cost Accountant [where applicable]

- a) Name of the Firm issuing certificate
- b) Name of the certifying Chartered Accountant/Cost Accountant
- c) Membership number
- d) Date of issuance of certificate
- e) Attachment (option for uploading certificate)

10. Verification

I \_\_\_\_\_ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

Signature of authorised signatory \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Designation/Status \_\_\_\_\_

Date --- dd/mm/yyyy

**Form GST ITC -02**  
[See rule – 41(1)]

**Declaration for transfer of ITC in case of sale, merger, demerger, amalgamation, lease or transfer of a business under sub-section (3) of section 18**

1.	GSTIN of transferor	
2.	Legal name of transferor	
3.	Trade name, if any	
4.	GSTIN of transferee	
5.	Legal name of transferee	
6.	Trade name, if any	

7. Details of ITC to be transferred

Tax	Amount of matched ITC available	Amount of matched ITC to be transferred
1	2	3
Central Tax		
State Tax		
UT Tax		
Integrated Tax		
Cess		

8. Particulars of certifying Chartered Accountant or Cost Accountant

- Name of the Firm issuing certificate
- Name of the certifying Chartered Accountant/Cost Accountant
- Membership number
- Date of issuance of certificate to the transferor
- Attachment (option for uploading certificate)

9. Verification

I \_\_\_\_\_ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

Signature of authorised signatory \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Designation/Status \_\_\_\_\_

Date --- dd/mm/yyyy



**Form GST ITC -03**

[See rule 44(4)]

**Declaration for intimation of ITC reversal/payment of tax on inputs held in stock, inputs contained in semi-finished and finished goods held in stock and capital goods under sub-section (4) of section 18**

1. GSTIN	
2. Legal name	
3. Trade name, if any	
4(a). Details of application filed to opt for composition scheme [ applicable only for section 18 (4)]	(i) Application reference number (ARN)
	(ii) Date of filing
4(b). Date from which exemption is effective [ applicable only for section 18 (4)]	

5. Details of stock of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock, and capital goods on which input tax credit is required to be paid under section 18(4).

Sr. No.	GSTIN/ Registrati on under CX/ VAT of supplier	*Invoice /Bill of entry		Description of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and capital goods	Unit Quantity Code (UQC)	Qty	Value** (As adjusted by debit note/credit note)	Amount of ITC claimed (Rs.)				
		No.	Date					Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrat ed Tax	Ces s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 (a) Inputs held in stock (where invoice is available)												
5 (b) Inputs contained in semi-finished and finished goods held in stock (where invoice available)												
5 (c) Capital goods held in stock (where invoice available)												
5 (d) Inputs held in stock and as contained in semi-finished /finished goods held in stock ( where invoice not available)												
5 (e) Capital goods held in stock (where invoice not available)												

\* (1) In case, it is not feasible to identify invoice, the principle of first in first out may be followed.

(2) If Invoice is not available for certain inputs or capital goods, the value shall be estimated based on prevailing market price

\*\* The value of capital goods shall be the invoice value reduced by five percentage points per quarter of a year or part thereof from the date of invoice

## 6. Amount of ITC payable and paid (based on table 5)

Sr. No.	Description	Tax payable	Paid through Cash/ Credit Ledger	Debit entry no.	Amount of ITC paid standard				
					Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Central Tax		Cash Ledger						
			Credit Ledger						
2.	State Tax		Cash Ledger						
			Credit Ledger						
3.	UT Tax		Cash Ledger						
			Credit Ledger						
4.	Integrated Tax		Cash Ledger						
			Credit Ledger						
5.	CESS		Cash Ledger						
			Credit Ledger						

## 7. Verification

I \_\_\_\_\_ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

Signature of authorised signatory \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Designation/Status \_\_\_\_\_

Date - dd/mm/yyyy

**Form GST ITC-04**

[See rule – 45(3)]

**Details of goods/capital goods sent to job worker and received back**

1. GSTIN -
2. (a) Legal name -  
(b) Trade name, if any –
3. Period: Quarter - Year -

4. Details of inputs/capital goods sent for job-work

GSTIN / State in case of unregistered job-worker	Challan no.	Challan date	Description of goods	UQC	Quantity	Taxable value	Type of goods (Inputs/capital goods)	Rate of tax (%)			
								Central tax	State/UT tax	Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5. Details of inputs/capital goods received back from job worker or sent out from business place of job-work

GSTIN / State of job worker if unregistered	Received back/sent out to another job worker/supplied from premises of job worker	Original challan No.	Original challan date	Challan details if sent to another job worker			Invoice details in case supplied from premises of job worker		Description	UQC	Quantity	Taxable value
				No.	Date	GSTIN/ State if job worker unregistered	No.	Date				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

6. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place  
Date

Signature  
Name of Authorised Signatory .....  
Designation /Status.....

**Form GST ENR-01**

[See rule 58(1)]

**Application for Enrolment u/s 35 (2)**

[only for un-registered persons]

1.	(a) Legal name			
	(b) Trade Name, if any			
	(c) PAN			
	(d) Aadhaar (applicable in case of proprietorship concerns only)			
2.	Type of enrolment			
	Transporter <input type="radio"/> Godown owner /operator <input type="radio"/> Warehouse owner /operator <input type="radio"/> Cold storage owner /operator <input type="radio"/>			
3.	Constitution of Business (Please Select the Appropriate)			
	(i) Proprietorship	<input type="checkbox"/>	(ii) Partnership	<input type="checkbox"/>
	(iii) Hindu Undivided Family	<input type="checkbox"/>	(iv) Private Limited Company	<input type="checkbox"/>
	(v) Public Limited Company	<input type="checkbox"/>	(vi) Society/Club/Trust/Association of Persons	<input type="checkbox"/>
	(vii) Government Department	<input type="checkbox"/>	(viii) Public Sector Undertaking	<input type="checkbox"/>
	(ix) Unlimited Company	<input type="checkbox"/>	(x) Limited Liability Partnership	<input type="checkbox"/>
	(xi) Local Authority	<input type="checkbox"/>	(xii) Statutory Body	<input type="checkbox"/>
	(xiii) Foreign Limited Liability Partnership	<input type="checkbox"/>	(xiv) Foreign Company Registered (in India)	<input type="checkbox"/>
	(xv) Others (Please specify)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4.	Name of the State		District	
5.	Jurisdiction detail			
	Centre		State	
6.	Date of commencement of business			
7.	Particulars of Principal Place of Business			
(a)	Address			
	Building No./Flat No.		Floor No.	
	Name of the Premises/Building		Road/Street	
	City/Town/Locality/Village		District	
	Taluka/Block			
	State		PIN Code	
	Latitude		Longitude	
(b)	Contact Information			
	Office Email Address		Office Telephone number	STD
	Mobile Number		Office Fax Number	STD
(c)	Nature of premises			
	Own	Leased	Rented	Consent
				Shared
				Others (specify)

(d)	Nature of business activity being carried out at above mentioned premises (Please tick applicable)			
Warehouse/Depot	<input type="checkbox"/>	Godown	<input type="checkbox"/>	Retail Business
Office/ Sale Office	<input type="checkbox"/>	Cold Storage	<input type="checkbox"/>	Transport services
Others (Specify)	<input type="checkbox"/>			
8.	Details of additional place of business	Add for additional place(s) of business, if any (Fill up the same information as in item 7 [(a), (b), (c) & (d)])		
9.	Details of Bank Accounts (s)			

Total number of Bank Accounts maintained by the applicant for conducting business (Upto 10 Bank Accounts to be reported)	
---	--

Details of Bank Account 1

Account Number																			
Type of Account											IFSC								
Bank Name																			
Branch Address	To be auto-populated (Edit mode)																		

Note – Add more accounts -----

10.	Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.
-----	--

Particulars	First Name	Middle Name	Last Name
Name			
Photo			
Name of Father			
Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender	<Male, Female, Other>
Mobile Number		Email address	
Telephone No. with STD			
Designation /Status		Director Identification Number (if any)	
PAN		Aadhaar Number	
Are you a citizen of India?	Yes / No	Passport No. (in case of foreigners)	
Residential Address			
Building No/Flat No		Floor No	
Name of the Premises/Building		Road/Street	
City/Town/Locality/Village		District	
Block/Taluka			
State		PIN Code	
Country (in case of foreigner only)		ZIP code	

11.	Details of Authorised Signatory		
Particulars	First Name	Middle Name	Last Name
Name			
Photo			
Name of Father			
Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender	<Male, Female, Other>
Mobile Number		Email address	
Telephone No. with STD			
Designation /Status		Director Identification Number (if any)	
PAN		Aadhaar Number	
Are you a citizen of India?	Yes / No	Passport No. (in case of foreigners)	

Residential Address in India			
Building No/Flat No		Floor No	
Name of the Premises/Building		Road/Street	
Block/Taluka			
City/Town/Locality/Village		District	
State		PIN Code	

12.	Consent
<p><i>I on behalf of the holder of Aadhaar number &lt;pre-filled based on Aadhaar number provided in the form&gt; give consent to “Goods and Services Tax Network” to obtain my details from UIDAI for the purpose of authentication. “Goods and Services Tax Network” has informed me that identity information would only be used for validating identity of the Aadhaar holder and will be shared with Central Identities Data Repository only for the purpose of authentication.</i></p>	

13. List of documents uploaded  
(Identity and address proof)

14. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature

Place:

Name of Authorised Signatory .....

Date:

Designation/Status.....

**For office use –**

Enrolment no. -

Date -

**Form GSTR-1**

[See rule 59(1)]

**Details of outward supplies of goods or services**

Year				
Month				

1.		GSTIN																			
2.	(a)	Legal name of the registered person																			
	(b)	Trade name, if any																			
3.	(a)	Aggregate Turnover in the preceding Financial Year																			
	(b)	Aggregate Turnover - April to June, 2017																			

**4. Taxable outward supplies made to registered persons (including UIN-holders) other than supplies covered by Table 6**

(Amount in Rs. for all Tables)

GSTIN/ UIN	Invoice details			Rate	Taxable value	Amount				Place of Supply (Name of State/UT)
	No.	Date	Value			Integrated Tax	Central Tax	State / UT Tax	Cess	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4A. Supplies other than those (i) attracting reverse charge and (ii) supplies made through e-commerce operator										
4B. Supplies attracting tax on reverse charge basis										
4C. Supplies made through e-commerce operator attracting TCS (operator wise, rate wise)										
GSTIN of e-commerce operator										

**5. Taxable outward inter-State supplies to un-registered persons where the invoice value is more than Rs 2.5 lakh**

Place of Supply (State/UT)	Invoice details			Rate	Taxable Value	Amount	
	No.	Date	Value			Integrated Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8
5A. Outward supplies (other than supplies made through e-commerce operator, rate wise)							
5B. Supplies made through e-commerce operator attracting TCS (operator wise, rate wise)							



GSTIN of e-commerce operator							

**6. Zero rated supplies and Deemed Exports**

GSTIN of recipient	Invoice details			Shipping bill/ Bill of export		Integrated Tax		
	No.	Date	Value	No.	Date	Rate	Taxable value	Amt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6A. Exports								
6B. Supplies made to SEZ unit or SEZ Developer								
6C. Deemed exports								

**7. Taxable supplies (Net of debit notes and credit notes) to unregistered persons other than the supplies covered in Table 5**

Rate of tax	Total Taxable value	Amount			
		Integrated	Central	State Tax/UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6
7A. Intra-State supplies					
7A (1). Consolidated rate wise outward supplies [including supplies made through e-commerce operator attracting TCS]					
7A (2). Out of supplies mentioned at 7A(1), value of supplies made through e-Commerce Operators attracting TCS (operator wise, rate wise)					
GSTIN of e-commerce operator					
7B. Inter-State Supplies where invoice value is upto Rs 2.5 Lakh [Rate wise]					
7B (1). Place of Supply (Name of State)					
7B (2). Out of the supplies mentioned in 7B (1), the supplies made through e-Commerce Operators (operator wise, rate wise)					
GSTIN of e-commerce operator					

**8. Nil rated, exempted and non GST outward supplies**

Description	Nil Rated Supplies	Exempted (Other than Nil rated/non-GST supply)	Non-GST supplies
1	2	3	4

8A. Inter-State supplies to registered persons			
8B. Intra- State supplies to registered persons			
8C. Inter-State supplies to unregistered persons			
8D. Intra-State supplies to unregistered persons			

**9. Amendments to taxable outward supply details furnished in returns for earlier tax periods in Table 4, 5 and 6 [including debit notes, credit notes, refund vouchers issued during current period and amendments thereof]**

Details of original document			Revised details of document or details of original Debit/Credit Notes or refund vouchers					Rate	Taxable Value	Amount				Place of supply	
GSTIN	Inv. No.	Inv. Date	GSTIN	Invoice		Shipping bill				Value	Integrated Tax	Central Tax	State / UT Tax		Cess
				No	Date	No.	Date								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9A. If the invoice/Shipping bill details furnished earlier were incorrect															
9B. Debit Notes/Credit Notes/Refund voucher [original]															
9C. Debit Notes/Credit Notes/Refund voucher [amendments thereof]															

**10. Amendments to taxable outward supplies to unregistered persons furnished in returns for earlier tax periods in Table 7**

Rate of tax	Total Taxable value	Amount			
		Integrated	Central Tax	State/UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6
<b>Tax period for which the details are being revised</b>		<Month>			
10A. Intra-State Supplies [including supplies made through e-commerce operator attracting TCS] [Rate wise]					
10A (1). Out of supplies mentioned at 10A, value of supplies made through e-Commerce Operators attracting TCS (operator wise, rate wise)					
GSTIN of e-commerce operator					
10B. Inter-State Supplies [including supplies made through e-commerce operator attracting TCS] [Rate wise]					
Place of Supply (Name of State)					
10B (1). Out of supplies mentioned at 10B, value of supplies made through e-Commerce Operators attracting TCS (operator wise, rate wise)					
GSTIN of e-commerce operator					

**11. Consolidated Statement of Advances Received/Advance adjusted in the current tax period/ Amendments of information furnished in earlier tax period**

Rate	Gross Advance Received/adjust	Place of supply (Name of State <i>(UT)</i> )	Amount								
			Integrated	Central	State/UT	Cess					
1	2	3	4	5	6	7					
<b>I Information for the current tax period</b>											
11A. Advance amount received in the tax period for which invoice has not been issued (tax amount to be added to output tax liability)											
11A (1). Intra-State supplies (Rate Wise)											
11A (2). Inter-State Supplies (Rate Wise)											
11B. Advance amount received in earlier tax period and adjusted against the supplies being shown in this tax period in Table Nos. 4, 5, 6 and 7											
11B (1). Intra-State Supplies (Rate Wise)											
11B (2). Inter-State Supplies (Rate Wise)											
<b>II Amendment of information furnished in Table No. 11[1] in GSTR-1 statement for earlier tax periods</b> [Furnish revised information]											
Month							Amendment relating to information furnished in S. No.(select)	11A(1)	11A(2)	11B(1)	11B(2)

**12. HSN-wise summary of outward supplies**

Sr. No.	HSN	Description (Optional if HSN is provided)	UQC	Total Quantity	Total value	Total Taxable Value	Amount			
							Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**13. Documents issued during the tax period**

Sr. No.	Nature of document	Sr. No.		Total number	Cancelled	Net issued
		From	To			
1	2	3	4	5	6	7
1	Invoices for outward supply					
2	Invoices for inward supply from unregistered person					
3	Revised Invoice					
4	Debit Note					
5	Credit Note					
6	Receipt voucher					
7	Payment Voucher					
8	Refund voucher					

9	Delivery Challan for job work					
10	Delivery Challan for supply on approval					
11	Delivery Challan in case of liquid gas					
12	Delivery Challan in cases other than by way of supply (excluding at S no. 9 to 11)					

### Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from and in case of any reduction in output tax liability the benefit thereof has been/will be passed on to the recipient of supply.

### Signatures

Place  
Date

Name of Authorised Signatory .....

Designation /Status.....

**Instructions –**

## 1. Terms used:

- a. GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number
- b. UIN: Unique Identity Number
- c. UQC: Unit Quantity Code
- d. HSN: Harmonized System of Nomenclature
- e. POS: Place of Supply (Respective State)
- f. B to B: From one registered person to another registered person
- g. B to C: From registered person to unregistered person

2. The details in GSTR-1 should be furnished by 10<sup>th</sup> of the month succeeding the relevant tax period.

3. Aggregate turnover of the taxpayer for the immediate preceding financial year and first quarter of the current financial year shall be reported in the preliminary information in Table 3. This information would be required to be submitted by the taxpayers only in the first year. Quarterly turnover information shall not be captured in subsequent returns. Aggregate turnover shall be auto-populated in subsequent years.

4. Invoice-level information pertaining to the tax period should be reported for all supplies as under:

(i) For all B to B supplies (whether inter-State or intra-State), invoice level details, rate-wise, should be uploaded in Table 4, including supplies attracting reverse charge and those effected through e-commerce operator. Outwards supply information in these categories are to be furnished separately in the Table.

(ii) For all inter-State B to C supplies, where invoice value is more than Rs. 2,50,000/- (B to C Large) invoice level details, rate-wise, should be uploaded in Table 5; and

(iii) For all B to C supplies (whether inter-State or intra-State) where invoice value is up to Rs. 2,50,000/- State-wise summary of supplies, rate-wise, should be uploaded in Table 7.

5. Table 4 capturing information relating to B to B supplies should:

(i) be captured in:

- a. Table 4A for supplies relating to other than reverse charge/ made through e-commerce operator, rate-wise;

- b. Table 4B for supplies attracting reverse charge, rate-wise; and
- c. Table 4C relating to supplies effected through e-commerce operator attracting collection of tax at source under section 52 of the Act, operator wise and rate-wise.
  - (ii) Capture Place of Supply (PoS) only if the same is different from the location of the recipient.
6. Table 5 to capture information of B to C Large invoices and other information shall be similar to Table 4. The Place of Supply (PoS) column is mandatory in this table.
7. Table 6 to capture information related to:
  - (i) Exports out of India
  - (ii) Supplies to SEZ unit/ and SEZ developer
  - (iii) Deemed Exports
8. Table 6 needs to capture information about shipping bill and its date. However, if the shipping bill details are not available, Table 6 will still accept the information. The same can be updated through submission of information in relation to amendment Table 9 in the tax period in which the details are available but before claiming any refund / rebate related to the said invoice. The detail of Shipping Bill shall be furnished in 13 digits capturing port code (six digits) followed by number of shipping bill.
9. Any supply made by SEZ to DTA, without the cover of a bill of entry is required to be reported by SEZ unit in GSTR-1. The supplies made by SEZ on cover of a bill of entry shall be reported by DTA unit in its GSTR-2 as imports in GSTR-2. The liability for payment of IGST in respect of supply of services would, be created from this Table..
10. In case of export transactions, GSTIN of recipient will not be there. Hence it will remain blank.
11. Export transactions effected without payment of IGST (under Bond/ Letter of Undertaking (LUT)) needs to be reported under "0" tax amount heading in Table 6A and 6B.
12. Table 7 to capture information in respect of taxable supply of:
  - (i) B to C supplies (whether inter-State or intra-State) with invoice value upto Rs 2,50,000;
  - (ii) Taxable value net of debit/ credit note raised in a particular tax period and information pertaining to previous tax periods which was not reported earlier,

shall be reported in Table 10. Negative value can be mentioned in this table, if required;

- (iii) Transactions effected through e-commerce operator attracting collection of tax at source under section 52 of the Act to be provided operator wise and rate wise;
- (iv) Table 7A (1) to capture gross intra-State supplies, rate-wise, including supplies made through e-commerce operator attracting collection of tax at source and Table 7A (2) to capture supplies made through e-commerce operator attracting collection of tax at source out of gross supplies reported in Table 7A (1);
- (v) Table 7B (1) to capture gross inter-State supplies including supplies made through e-commerce operator attracting collection of tax at source and Table 7B (2) to capture supplies made through e-commerce operator attracting collection of tax at source out of gross supplies reported in Table 7B (1); and
- (vi) Table 7B to capture information State wise and rate wise.

13. Table 9 to capture information of:

- (i) Amendments of B to B supplies reported in Table 4, B to C Large supplies reported in Table 5 and Supplies involving exports/ SEZ unit or SEZ developer/ deemed exports reported in Table 6;
- (ii) Information to be captured rate-wise;
- (iii) It also captures original information of debit / credit note issued and amendment to it reported in earlier tax periods; While furnishing information the original debit note/credit note, the details of invoice shall be mentioned in the first three columns, While furnishing revision of a debit note/credit note, the details of original debit note/credit note shall be mentioned in the first three columns of this Table,
- (iv) Place of Supply (PoS) only if the same is different from the location of the recipient;
- (v) Any debit/ credit note pertaining to invoices issued before the appointed day under the existing law also to be reported in this table; and
- (vi) Shipping bill to be provided only in case of exports transactions amendment.

14. Table 10 is similar to Table 9 but captures amendment information related to B to C supplies and reported in Table 7.

15. Table 11A captures information related to advances received, rate-wise, in the tax period and tax to be paid thereon along with the respective PoS. It also includes information in Table 11B for adjustment of tax paid on advance received and reported in earlier tax periods against invoices issued in the current tax period. The details of

information relating to advances would be submitted only if the invoice has not been issued in the same tax period in which the advance was received.

16. Summary of supplies effected against a particular HSN code to be reported only in summary table. It will be optional for taxpayers having annual turnover upto Rs. 1.50 Cr but they need to provide information about description of goods.
17. It will be mandatory to report HSN code at two digits level for taxpayers having annual turnover in the preceding year above Rs. 1.50 Cr but upto Rs. 5.00 Cr and at four digits level for taxpayers having annual turnover above Rs. 5.00 Cr.





												Tax	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

### Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom and in case of any reduction in output tax liability the benefit thereof has been/will be passed on to the recipient of supply.

### Signatures

Place  
Date

Name of Authorised Signatory .....

Designation /Status.....





**7. Supplies received from composition taxable person and other exempt/Nil rated/Non GST supplies received**

Description	Value of supplies received from			
	Composition taxable person	Exempt supply	Nil Rated supply	Non GST supply
1	2	3	4	5
7A. Inter-State supplies				
7B. Intra-state supplies				

**8. ISD credit received**

GSTIN of ISD	ISD Document Details		ISD Credit received				Amount of eligible ITC			
	No.	Date	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8A. ISD Invoice										
8B. ISD Credit Note										

**9. TDS and TCS Credit received**

GSTIN of Deductor / GSTIN of e-Commerce Operator	Gross Value	Sales Return	Net Value	Amount		
				Integrated Tax	Central Tax	State Tax /UT Tax
1	2	3	4	5	6	7
9A. TDS						
9B. TCS						

**10. Consolidated Statement of Advances paid/Advance adjusted on account of receipt of supply**

Rate	Gross Advance	Place of supply (Name of Supplier)	Amount
------	---------------	------------------------------------	--------

			Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess			
1	2	3	4	5	6	7			
<b>(I) Information for the current month</b>									
10A. Advance amount paid for reverse charge supplies in the tax period (tax amount to be added to output tax liability)									
10A (1). Intra-State supplies (Rate Wise)									
10A (2). Inter -State Supplies (Rate Wise)									
10B. Advance amount on which tax was paid in earlier period but invoice has been received in the current period [reflected in Table 4 above]									
10B (1). Intra-State Supplies (Rate Wise)									
10B (2). Intra-State Supplies (Rate Wise)									
<b>II Amendments of information furnished in Table No. 10 (I) in an earlier month</b> [Furnish revised information]									
Month			Amendment relating to information furnished in S. No.(select)			10A(1)	10A(2)	10(B1)	10B(2)

**11. Input Tax Credit Reversal / Reclaim**

Description for reversal of ITC	To be added to or reduced from output liability	Amount of ITC			
		Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	CESS
1	2	3	4	5	6
<b>A. Information for the current tax period</b>					
(a) Amount in terms of rule 37(2)	To be added				
(b) Amount in terms of rule 39(1)(j)(ii)	To be added				
(c) Amount in terms of rule 42 (1) (m)	To be added				
(d) Amount in terms of rule 43(1) (h)	To be added				
(e) Amount in terms of rule 42 (2)(a)	To be added				
(f) Amount in terms of rule 42(2)(b)	To be reduced				
(g) On account of amount paid subsequent to reversal of ITC	To be reduced				
(h) Any other liability (Specify)	.....				
<b>B. Amendment of information furnished in Table No 11 at S. No A in an earlier return</b>					
Amendment is in respect of information furnished in the Month					
Specify the information you wish to amend (Drop down)					

**12. Addition and reduction of amount in output tax for mismatch and other reasons**

Description	Add to or reduce from output	Amount

		liability	Integrated Tax	Central Tax	State / UT Tax	CESS
1		2	3	4	5	6
(a)	ITC claimed on mismatched/duplication of invoices/debit notes	Add				
(b)	Tax liability on mismatched credit notes	Add				
(c)	Reclaim on account of rectification of mismatched invoices/debit notes	Reduce				
(d)	Reclaim on account of rectification of mismatched credit note	Reduce				
(e)	Negative tax liability from previous tax periods	Reduce				
(f)	Tax paid on advance in earlier tax periods and adjusted with tax on supplies made in current tax period	Reduce				

**13. HSN summary of inward supplies**

Sr. No.	HSN	Description (Optional if HSN is furnished)	UQC	Total Quantity	Total value	Total Taxable Value	Amount			
							Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Verification**

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom

Place: \_\_\_\_\_ Signatures.....  
 Date: \_\_\_\_\_ Name of Authorised Signatory .....  
 Designation /Status.....

**Instructions –**

1. Terms used:
  - a. GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number
  - b. UIN: Unique Identity Number
  - c. UQC: Unit Quantity Code
  - d. HSN: Harmonized System of Nomenclature
  - e. POS: Place of Supply (Respective State)
  - f. B to B: From one registered person to another registered person
  - g. B to C: From registered person to unregistered person
  
2. Table 3 & 4 to capture information of:
  - (i) Invoice-level inward supply information, rate-wise, pertaining to the tax period reported by supplier in GSTR-1 to be made available in GSTR-2 based on auto-populated details received in GSTR-2A;
  - (ii) Table 3 to capture inward supplies other than those attracting reverse charge and Table 4 to capture inward supplies attracting reverse charge;
  - (iii) The recipient taxpayer has the following option to act on the auto populated information:
    - a. Accept,
    - b. Reject,
    - c. Modify (if information provided by supplier is incorrect), or
    - d. Keep the transaction pending for action (if goods or services have not been received)
  - (iv) After taking the action, recipient taxpayer will have to mention whether he is eligible to avail credit or not and if he is eligible to avail credit, then the amount of eligible credit against the tax mentioned in the invoice needs to be filed;
  - (v) The recipient taxpayer can also add invoices (not uploaded by the counterparty supplier) if he is in possession of invoices and have received the goods or services;
  - (vi) Table 4A to be auto populated;
  - (vii) In case of invoices added by recipient tax payer, Place of Supply (PoS) to be captured always except in case of supplies received from registered person, where it is required only if the same is different from the location of the recipient;
  - (viii) Recipient will have the option to accept invoices auto populated as well as add invoices, pertaining to reverse charge only when the time of supply arises in terms of section 12 or 13 of the Act; and
  - (ix) Recipient tax payer is required to declare in Column No. 12 whether the inward supplies are inputs or input services or capital goods (including plant and machinery).
  
3. Details relating to import of Goods/Capital Goods from outside India as well as supplied by an SEZ Unit to be reported rate-wise by recipient tax payer in Table 5.



4. Recipient to provide for Bill of Entry information including six digits port code and seven digits bill of entry number.
5. Taxable Value in Table 5 means assessable value for customs purposes on which IGST is computed (IGST is levied on value plus specified customs duties). In case of imports, the GSTIN would be of recipient tax payer.
6. Table 6 to capture amendment of information, rate-wise, provided in earlier tax periods in Table 3, 4 and 5 as well as original/ amended information of debit or credit note. GSTIN not to be provided in case of export transactions.
7. Table 7 captures information on a gross value level.
8. An option similar to Table 3 is not available in case of Table 8 and the credit as distributed by ISD (whether eligible or ineligible) will be made available to the recipient unit and it will be required to re-determine the eligibility as well as the amount eligible as ITC.
9. TDS and TCS credit would be auto-populated in Table 9. Sales return and Net value columns are not applicable in case of tax deducted at source in Table 9.
10. The eligible credit from Table 3, Table 4 & Table 8 relating to inward supplies to be populated in the Electronic Credit Ledger on submission of its return in Form GSTR-3.
11. Recipient can claim less ITC on an invoice depending on its use i.e. whether for business purpose or non-business purpose.
12. Information of advance paid pertaining to reverse charge supplies and the tax paid on it including adjustments against invoices issued should be reported in Table 10.
13. Table 12 to capture additional liability due to mismatch as well as reduction in output liability due to rectification of mismatch on account of filing of GSTR-3 of the immediately preceding tax period.
14. Reporting criteria of HSN will be same as reported in GSTR-1.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

**5. Debit / Credit notes (including amendments thereof) received during current tax period**

**PART B**

**6. ISD credit (including amendments thereof) received**

GSTIN of ISD	ISD document details		ITC amount involved			
	No.	Date	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7
ISD Invoice –eligible ITC						
ISD Invoice –ineligible ITC						
ISD Credit note –eligible ITC						
ISD Credit note –ineligible ITC						

**PART- C**

**7. TDS and TCS Credit (including amendments thereof) received**

GSTIN of Deductor / GSTIN of e-Commerce Operator	Amount received / Gross Value	Sales Return	Net Value	Amount		
				Integrated Tax	Central Tax	State Tax /UT Tax
1	2	3	4	5	6	7
<b>7A. TDS</b>						
<b>7B. TCS</b>						

**Form GSTR-3**

[See rule 61(1)]

**Monthly return**

Year				
Month				

1.	GSTIN																		
2.	(a)	Legal name of the registered person	Auto Populated																
	(b)	Trade name, if any	Auto Populated																

**Part-A (To be auto populated)**

(Amount in Rs. for all Tables)

3. Turnover																		
Sr. No.	Type of Turnover		Amount															
1	2		3															
(i)	Taxable [other than zero rated]																	
(ii)	Zero rated supply on payment of Tax																	
(iii)	Zero rated supply without payment of Tax																	
(iv)	Deemed exports																	
(v)	Exempted																	
(vi)	Nil Rated																	
(vii)	Non-GST supply																	
	Total																	

**4. Outward supplies****4.1 Inter-State supplies (Net Supply for the month)**

Rate	Taxable Value	Amount of Tax	
		Integrated Tax	CESS
1	2	3	4
A. Taxable supplies (other than reverse charge and zero rated supply) [Tax Rate Wise]			
B. Supplies attracting reverse charge-Tax payable by recipient of supply			
C. Zero rated supply made with payment of Integrated Tax			
D. Out of the supplies mentioned at A, the value of supplies made through an e-commerce operator attracting TCS-[Rate wise]			
GSTIN of e-commerce operator			

--	--	--	--

**4.2 Intra-State supplies (Net supply for the month)**

Rate	Taxable Value	Amount of Tax		
		Central Tax	State /UT Tax	Cess
1	2	3	4	5
A. Taxable supplies (other than reverse charge) [Tax Rate wise]				
B. Supplies attracting reverse charge- Tax payable by the recipient of supply				
C. Out of the supplies mentioned at A, the value of supplies made though an e-commerce operator attracting TCS [Rate wise]				
GSTIN of e-commerce operator				

**4.3 Tax effect of amendments made in respect of outward supplies**

Rate	Net differential value	Amount of Tax			
		Integrated tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6
(I) Inter-State supplies					
A Taxable supplies (other than reverse charge and Zero Rated supply made with payment of Integrated Tax) [Rate wise]					
B Zero rated supply made with payment of Integrated Tax [Rate wise]					
C Out of the Supplies mentioned at A, the value of supplies made though an e-commerce operator attracting TCS					
(II) Intra-state supplies					
A Taxable supplies (other than reverse charge) [Rate wise]					
B Out of the supplies mentioned at A, the value of supplies made though an e-commerce operator attracting TCS					

**5. Inward supplies attracting reverse charge including import of services (Net of advance adjustments)**

**5A. Inward supplies on which tax is payable on reverse charge basis**

Rate of tax	Taxable Value	Amount of tax			
		Integrated Tax	Central Tax	State/UT tax	CESS
1	2	3	4	5	6
(I) Inter-State inward supplies [Rate Wise]					

(II) Intra-State inward supplies [Rate Wise]					

### 5B. Tax effect of amendments in respect of supplies attracting reverse charge

Rate of tax	Differential Taxable Value	Amount of tax			
		Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	CESS
1	2	3	4	5	6
(I) Inter-State inward supplies (Rate Wise)					
(II) Intra-State inward supplies (Rate Wise)					

### 6. Input tax credit

**ITC on inward taxable supplies, including imports and ITC received from ISD [Net of debit notes/credit notes]**

Description	Taxable value	Amount of tax				Amount of ITC			
		Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	CESS	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	CESS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(I) On account of supplies received and debit notes/credit notes received during the current tax period									
(a) Inputs									
(b) Input services									
(c) Capital goods									
(II) On account of amendments made (of the details furnished in earlier tax periods)									
(a) Inputs									
(b) Input services									
(c) Capital goods									

### 7. Addition and reduction of amount in output tax for mismatch and other reasons

Description	Add to or reduce from output liability	Amount			
		Integrated tax	Central tax	State / UT tax	CESS
1	2	3	4	5	6



(b) Central Tax								
(c) State/UT Tax								
(d) Cess								

**11. Late Fee**

On account of	Central Tax	State/UT tax
1	2	3
Late fee		

**Part B****12. Tax payable and paid**

Description	Tax payable	Paid in cash	Paid through ITC				Tax Paid
			Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess	
1	2	3	4	5	6	7	8
(a) Integrated Tax							
(b) Central Tax							
(c) State/UT Tax							
(d) Cess							

**13. Interest, Late Fee and any other amount (other than tax) payable and paid**

Description	Amount payable	Amount Paid
1	2	3
(I) Interest on account of		
(a) Integrated tax		
(b) Central Tax		
(c) State/UT Tax		
(d) Cess		
II Late fee		
(a) Central tax		
(b) State/UT tax		

**14. Refund claimed from Electronic cash ledger**

Description	Tax	Interest	Penalty	Fee	Other	Debit Entry Nos.
1	2	3	4	5	6	7
(a) Integrated tax						
(b) Central Tax						
(c) State/UT Tax						
(d) Cess						
Bank Account Details (Drop Down)						



**15. Debit entries in electronic cash/Credit ledger for tax/interest payment [to be populated after payment of tax and submissions of return]**

Description	Tax paid in cash	Tax paid through ITC				Interest	Late fee
		Integrated tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess		
1	2	3	4	5	6	7	8
(a) Integrated tax							
(b) Central Tax							
(c) State/UT Tax							
(d) Cess							

**Verification**

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place .....

Date .....

Signatures of Authorised Signatory .....  
 Name of Authorised Signatory .....  
 Designation /Status.....

**Instructions:-**

1. 

Terms Used :-

  - a) GSTIN :- Goods and Services Tax Identification Number
  - b) TDS :- Tax Deducted at source
  - c) TCS :- Tax Collected at source
2. GSTR 3 can be generated only when GSTR-1 and GSTR- 2 of the tax period have been filed.
3. Electronic liability register, electronic cash ledger and electronic credit ledger of taxpayer will be updated on generation of GSTR-3 by taxpayer.
4. Part-A of GSTR-3 is auto-populated on the basis of GSTR 1, GSTR 1A and GSTR 2.
5. Part-B of GSTR-3 relates to payment of tax, interest, late fee etc. by utilising credit available in electronic credit ledger and cash ledger.
6. Tax liability relating to outward supplies in Table 4 is net of invoices, debit/credit notes and advances received.
7. Table 4.1 will not include zero rated supplies made without payment of taxes.
8. Table 4.3 will not include amendments of supplies originally made under reverse charge basis.
9. Tax liability due to reverse charge on inward supplies in Table 5 is net of invoices, debit/credit notes, advances paid and adjustments made out of tax paid on advances earlier.
10. Utilization of input tax credit should be made in accordance with the provisions of section 49.
11. GSTR-3 filed without discharging complete liability will not be treated as valid return.
12. If taxpayer has filed a return which was not valid earlier and later on, he intends to discharge the remaining liability, then he has to file the Part B of GSTR-3 again.
13. Refund from cash ledger can only be claimed only when all the return related liabilities for that tax period have been discharged.
14. Refund claimed from cash ledger through Table 14 will result in a debit entry in electronic cash ledger on filing of valid GSTR 3.

**Form GSTR – 3A**  
[See rule 68]

Reference No:

Date:

To

\_\_\_\_\_ GSTIN

----- Name

\_\_\_\_\_ Address

**Notice to return defaulter u/s 46 for not filing return**

Tax Period -

Type of Return -

Being a registered taxpayer, you are required to furnish return for the supplies made or received and to discharge resultant tax liability for the aforesaid tax period by due date. It has been noticed that you have not filed the said return till date.

2. You are, therefore, requested to furnish the said return within 15 days failing which the tax liability will be assessed u/s 62 of the Act, based on the relevant material available with this office. Please note that in addition to tax so assessed, you will also be liable to pay interest and penalty as per provisions of the Act.
3. Please note that no further communication will be issued for assessing the liability.
4. The notice shall be deemed to have been withdrawn in case the return referred above, is filed by you before issue of the assessment order.

**Or**

**Notice to return defaulter u/s 46 for not filing final return upon cancellation of registration**

Cancellation order No. --

Date ---

Application Reference Number, if any -

Date -

Consequent upon applying for surrender of registration or cancellation of your registration for the reasons specified in the order, you were required to submit a final return in form **GSTR-10** as required under section 45 of the Act.

2. It has been noticed that you have not filed the final return by the due date.
3. You are, therefore, requested to furnish the final return as specified under section 45 of the Act within 15 days failing which your tax liability for the aforesaid tax period will be determined in accordance with the provisions of the Act based on the relevant material available with or gathered by this office. Please note that in addition to tax so assessed, you will also be liable to pay interest as per provisions of the Act.
4. This notice shall be deemed to be withdrawn in case the return is filed by you before issue of the assessment order.

Signature

Name

Designation

**FORM GSTR-3B**  
[See rule 61(5)]

Year						
Month						

1.	GSTIN	
2.	Legal name of the registered person	Auto Populated

**3.1 Details of Outward Supplies and inward supplies liable to reverse charge**

Nature of Supplies	Total Taxable value	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6
(a) Outward taxable supplies (other than zero rated, nil rated and exempted)					
(b) Outward taxable supplies (zero rated )					
(c) Other outward supplies (Nil rated, exempted)					
(d) Inward supplies (liable to reverse charge)					
(e) Non-GST outward supplies					

**3.2 Of the supplies shown in 3.1 (a) above, details of inter-State supplies made to unregistered persons, composition taxable persons and UIN holders**

1	Place of Supply (State/UT)	Total Taxable value	Amount of Integrated Tax
1	2	3	4
Supplies made to Unregistered Persons			
Supplies made to Composition Taxable Persons			
Supplies made to UIN holders			

**4. Eligible ITC**

Details	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
1	2	3	4	5
<b>(A) ITC Available (whether in full or part)</b>				
(1) Import of goods				
(2) Import of services				
(3) Inward supplies liable to reverse charge (other than 1 & 2 above)				
(4) Inward supplies from ISD				
(5) All other ITC				
<b>(B) ITC Reversed</b>				
(1) As per rules 42 & 43 of CGST Rules				
(2) Others				
<b>(C) Net ITC Available (A) – (B)</b>				
<b>(D) Ineligible ITC</b>				
(1) As per section 17(5)				
(2) Others				

**5. Values of exempt, nil-rated and non-GST inward supplies**

Nature of supplies	Inter-State supplies	Intra-State supplies
1	2	3
From a supplier under composition scheme, Exempt and Nil rated supply		
Non GST supply		

**6.1 Payment of tax**

Description	Tax payable	Paid through ITC				Tax paid TDS./TCS	Tax/Cess paid in cash	Interest	Late Fee
		Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Integrated Tax									
Central Tax									
State/UT Tax									
Cess									

**6.2 TDS/TCS Credit**

Details	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax
1	2	3	4
TDS			
TCS			

**Verification (by Authorised signatory)**

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

**Instructions:**

- 1) Value of Taxable Supplies = Value of invoices + value of Debit Notes – value of credit notes + value of advances received for which invoices have not been issued in the same month – value of advances adjusted against invoices
- 2) Details of advances as well as adjustment of same against invoices to be adjusted and not shown separately
- 3) Amendment in any details to be adjusted and not shown separately.



**5. Amendments to details of inward supplies furnished in returns for earlier tax periods in Table 4 [including debit notes/credit notes and their subsequent amendments]**

Details of original invoice			Revised details of invoice				Rate	Taxable value	Amount				Place of supply (Name of State/ <u>UT</u> )
GSTIN	No.	Date	GSTIN	No.	Date	Value			Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5A. Supplies [Information furnished in Table 4 of earlier returns]-If details furnished earlier were incorrect													
5B. Debit Notes/Credit Notes [original]]													
5C. Debit Notes/ Credit Notes [amendment of debit notes/credit notes furnished in earlier tax periods]													

**6. Tax on outward supplies made (Net of advance and goods returned)**

Rate of tax	Turnover	Composition tax amount	
		Central Tax	State/UT Tax
1	2	3	4

**7. Amendments to Outward Supply details furnished in returns for earlier tax periods in Table No. 6**

Quarter	Rate	Original details			Revised details		
		Turnover	Central Tax	State/UT tax	Turnover	Central Tax	State/UT Tax
1	2	3	4	5	6	7	8

**8. Consolidated Statement of Advances paid/Advance adjusted on account of receipt of supply**

Rate	Gross Advance Paid	Place of supply (Name of State/ <u>UT</u> )	Amount			
			Integrated Tax	Central Tax	State/ UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7
<b>(I) Information for the current quarter</b>						
8A. Advance amount paid for reverse charge supplies in the tax period (tax amount to be added to output tax liability)						
8A (1). Intra-State supplies (Rate Wise)						
8A (2). Inter-State Supplies (Rate Wise)						
8B. Advance amount on which tax was paid in earlier period but invoice has been received in the current period [reflected in Table 4 above] (tax amount to be reduced from output tax liability)						
8B (1). Intra-State Supplies (Rate Wise)						
8B (2). Intra-State Supplies (Rate Wise)						



II Amendments of information furnished in Table No. 8 (I) for an earlier quarter								
Year	Quarter	Amendment relating to information furnished in S. No.(select)			8A(1)	8A(2)	8B(1)	8B(2)

**9. TDS Credit received**

GSTIN of Deductor	Gross Value	Amount	
		Central Tax	State/UT Tax
1	2	3	4

**10. Tax payable and paid**

Description	Tax amount payable	Pay tax amount
1	2	3
(a) Integrated Tax		
(b) Central Tax		
(c) State/UT Tax		
(d) Cess		

**11. Interest, Late Fee payable and paid**

Description	Amount payable	Amount Paid
1	2	3
(I) Interest on account of		
(a) Integrated tax		
(b) Central Tax		
(c) State/UT Tax		
(d) Cess		
(II) Late fee		
(a) Central tax		
(b) State/UT tax		

**12. Refund claimed from Electronic cash ledger**

Description	Tax	Interest	Penalty	Fee	Other	Debit Entry Nos.
1	2	3	4	5	6	7
(a) Integrated tax						
(b) Central Tax						
(c) State/UT Tax						
(d) Cess						
Bank Account Details (Drop Down)						

**13. Debit entries in cash ledger for tax /interest payment**

[to be populated after payment of tax and submissions of return]

Description	Tax paid in cash	Interest	Late fee
1	2	3	4
(a) Integrated tax			
(b) Central Tax			
(c) State/UT Tax			
(d) Cess			

#### Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place  
Date

Signature of Authorised Signatory .....

Name of Authorised Signatory .....

Designation /Status.....

**Instructions:-**

1. Terms used:
  - (a) GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number
  - (b) TDS: Tax Deducted at Source
2. The details in GSTR-4 should be furnished between 11<sup>th</sup> and 18<sup>th</sup> of the month succeeding the relevant tax period.
3. Aggregate turnover of the taxpayer for the immediate preceding financial year and first quarter of the current financial year shall be reported in the preliminary information in Table 3. This information would be required to be submitted by the taxpayers only in the first year and should be auto-populated in subsequent years.
4. Table 4 to capture information related to inward supplies, rate-wise:
  - (i) Table 4A to capture inward supplies from registered supplier other than reverse charge. This information will be auto-populated from the information reported by supplier in GSTR-1 and GSTR-5;
  - (ii) Table 4B to capture inward supplies from registered supplier attracting reverse charge. This information will be auto-populated from the information reported by supplier in GSTR-1;
  - (iii) Table 4C to capture supplies from unregistered supplier;
  - (iv) Table 4D to capture import of service;
  - (v) Tax recipient to have the option to accept invoices auto populated/ add invoices, pertaining to reverse charge only when the time of supply arises in terms of section 12 or 13 of the Act; and
  - (vi) Place of Supply (PoS) only if the same is different from the location of the recipient.
5. Table 5 to capture amendment of information provided in earlier tax periods as well as original/ amended information of debit or credit note received, rate-wise. Place of Supply (PoS) to be reported only if the same is different from the location of the recipient. While furnishing information the original debit /credit note, the details of invoice shall be mentioned in the first three columns, While furnishing revision of a debit note/credit note, the details of original debit /credit note shall be mentioned in the first three columns of this Table,
6. Table 6 to capture details of outward supplies including advance and net of goods returned during the current tax period.
7. Table 7 to capture details of amendment of incorrect details reported in Table 6 of previous returns.
8. Information of advance paid pertaining to reverse charge supplies and the tax paid on it including adjustments against invoices issued to be reported in Table 8.
9. TDS credit would be auto-populated in a Table 9.

**Form GSTR-4A**

[See rules 59(3) &amp; 66(2)]

**Auto-drafted details for registered person opting for composition levy**

(Auto-drafted from GSTR-1, GSTR-5 and GSTR-7)

Year				
Quarter				

<b>1.</b>	GSTIN																				
<b>2.</b>	(a)	Legal name of the registered person					Auto Populated														
	(b)	Trade name, if any					Auto Populated														

**3. Inward supplies received from registered person including supplies attracting reverse charge**

GSTIN of supplier	Invoice details			Rate	Taxable value	Amount of tax				Place of supply (Name of State/ <u>UT</u> )
	No.	Date	Value			Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3A. Inward supplies received from a registered supplier (other than supplies attracting reverse charge)</b>										
<b>3B. Inward supplies received from a registered supplier (attracting reverse charge)</b>										

**4. Debit notes/credit notes (including amendments thereof) received during current period**

Details of original document			Revised details of document or details of original Debit / Credit Note				Rate	Taxable value	Amount of tax				Place of supply (Name of State/ <u>UT</u> )
GSTIN	No.	Date	GSTIN	No.	Date	Value			Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**5. TDS Credit received**

GSTIN of deductor	Gross value	Amount of tax	
		Central Tax	State/UT Tax
1	2	3	4



**6. Taxable outward inter-State supplies to un-registered persons where invoice value is more than Rs 2.5 lakh**

Place of Supply (State/UT)	Invoice details			Rate	Taxable Value	Amount	
	No.	Date	Value			Integrated Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8

**7. Taxable supplies (net of debit notes and credit notes) to unregistered persons other than the supplies mentioned at Table 6**

Rate of tax	Total Taxable value	Amount			
		Integrated Tax	Central Tax	State /UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6
<b>7A. Intra-State supply (Consolidated, rate wise)</b>					
<b>7B. Inter-State Supplies where the value of invoice is upto Rs 2.5 Lakh [Rate wise]</b>					
Place of Supply (Name of State)					

**8. Amendments to taxable outward supply details furnished in returns for earlier tax periods in Table 5 and 6 [including debit note/credit notes and amendments thereof]**

Details of original document			Revised details of document or details of original Debit/Credit Notes				Rate	Taxable Value	Amount				Place of supply
GSTIN	No.	Date	GSTIN	No.	Date	Value			Integrated Tax	Central Tax	State / UT Tax	Cess	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>8A. If the invoice details furnished earlier were incorrect</b>													
<b>8B. Debit Notes/Credit Notes [original]</b>													
<b>8C. Debit Notes/Credit Notes [amendment of debit notes/credit notes furnished in earlier tax periods]</b>													

**9. Amendments to taxable outward supplies to unregistered persons furnished in returns for Earlier tax periods in Table 7**

Rate of tax	Total taxable value	Amount			
		Integrated Tax	Central Tax	State / UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6
<b>Tax period for which the details are being revised</b>					
<b>9A. Intra-State Supplies [Rate wise]</b>					
<b>9B. Inter-State Supplies [Rate wise]</b>					
Place of Supply (Name of State)					

**10. Total tax liability**

Rate of Tax	Taxable value	Integrated Tax	Amount of tax		CESS
			Central Tax	State/UT Tax	
1	2	3	4	5	6

10A. On account of outward supply

10B. On account of differential ITC being negative in Table 4

**11. Tax payable and paid**

Description	Tax payable	Paid in cash	Paid through ITC		Tax Paid
			Integrated tax	Cess	
1	2	3	4	5	6
(a) Integrated Tax					
(b) Central Tax					
(c) State/UT Tax					
(d) Cess					

**12. Interest, late fee and any other amount payable and paid**

Description	Amount payable	Amount paid
1	2	3
<b>I Interest on account of</b>		
(a) Integrated tax		
(b) Central Tax		
(c) State/UT Tax		
(d) Cess		
<b>II Late fee on account of</b>		
(a) Central tax		
(b) State / UT tax		

**13. Refund claimed from electronic cash ledger**

Description	Tax	Interest	Penalty	Fee	Other	Debit Entry Nos.
1	2	3	4	5	6	7
(a) Integrated tax						
(b) Central Tax						
(c) State/UT Tax						
(d) Cess						
Bank Account Details (Drop Down)						

**14. Debit entries in electronic cash/credit ledger for tax/interest payment [to be populated after payment of tax and submissions of return]**

Description	Tax paid in cash	Tax paid through ITC		Interest	Late fee
		Integrated tax	Cess		
1	2	3	4	5	6
(a) Integrated tax					
(b) Central Tax					
(c) State/UT Tax					
(d) Cess					

#### Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place .....  
Date .....

Signatures of Authorised Signatory .....  
Name of Authorised Signatory .....  
Designation /Status.....



**Instructions:-**

1. Terms used:
  - a. GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number
  - b. UIN: Unique Identity Number
  - c. UQC: Unit Quantity Code
  - d. HSN: Harmonized System of Nomenclature
  - e. POS: Place of Supply (Respective State)
  - f. B to B: From one registered person to another registered person
  - g. B to C: From registered person to unregistered person
2. GSTR-5 is applicable to non-resident taxable person and it is a monthly return.
3. The details in GSTR-5 should be furnished by 20<sup>th</sup> of the month succeeding the relevant tax period or within 7 days from the last date of the registration whichever is earlier.
4. Table 3 consists of details of import of goods, bill of entry wise and taxpayer has to specify the amount of ITC eligible on such import of goods.
5. Recipient to provide for Bill of Entry information including six digits port code and seven digits bill of entry number.
6. Table 4 consists of amendment of import of goods which are declared in the returns of earlier tax period.
7. Invoice-level information, rate-wise, pertaining to the tax period separately for goods and services should be reported as under:
  - i. For all B to B supplies (whether inter-State or intra-State), invoice level details should be uploaded in Table 5;
  - ii. For all inter-state B to C supplies, where invoice value is more than Rs. 2,50,000/- (B to C Large) invoice level detail to be provided in Table 6; and
  - iii. For all B to C supplies (whether inter-State or intra-State) where invoice value is up to Rs. 2,50,000/- State-wise summary of supplies shall be filed in Table 7.
8. Table 8 consists of amendments in respect of -
  - i. B2B outward supplies declared in the previous tax period;
  - ii. "B2C inter-State invoices where invoice value is more than 2.5 lakhs" reported in the previous tax period; and
  - iii. Original Debit and credit note details and its amendments.
9. Table 9 covers the Amendments in respect of B2C outward supplies other than inter-State supplies where invoice value is more than Rs 250000/-.
10. Table 10 consists of tax liability on account of outward supplies declared in the current tax period and negative ITC on account of amendment to import of goods in the current tax period.

On submission of GSTR-5, System shall compute the tax liability and ITC will be posted to the respective ledgers.

**Form GSTR-5A***[See rule 64]***Details of supplies of online information and database access or retrieval services by a person located outside India made to non-taxable persons in India**

1. GSTIN of the supplier-
2. (a) Legal name of the registered person -  
(b) Trade name, if any -
3. Name of the Authorised representative in India filing the return –
4. Period:      Month -              Year -
5. Taxable outward supplies made to consumers in India

*(Amount in Rupees)*

Place of supply (State/UT)	Rate of tax	Taxable value	Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5

**5A. Amendments to taxable outward supplies to non-taxable persons in India***(Amount in Rupees)*

Month	Place of supply (State/UT)	Rate of tax	Taxable value	Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5	6

**6. Calculation of interest, penalty or any other amount**

Sr. No.	Description	Amount of tax due	
		Integrated tax	CESS
1	2	3	4
1.	Interest		
2.	Others (Please specify)		

---

	Total		
--	-------	--	--

## 7. Tax, interest, late fee and any other amount payable and paid

Sr. No.	Description	Amount payable		Debit entry no.	Amount paid	
		Integrated tax	CESS		Integrated tax	CESS
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tax Liability (based on Table 5 & 5A)					
2.	Interest (based on Table 6)					
3.	Others (Please Specify)					

## Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature

Place

Name of Authorised Signatory .....

Date

Designation /Status

**Form GSTR-6**

[See rule 65]

**Return for input service distributor**

Year				
Month				

<b>1.</b>	GSTIN																				
<b>2.</b>	(a)	Legal name of the registered person																			
	(b)	Trade name, if any																			

**3. Input tax credit received for distribution**

GSTIN of supplier	Invoice details			Rate	Taxable value	Amount of Tax			
	No	Date	Value			Integrated tax	Central Tax	State / UT Tax	CESS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(Amount in Rs. for all Tables)

**4. Total ITC/Eligible ITC/Ineligible ITC to be distributed for tax period (From Table No. 3)**

Description	Integrated tax	Central Tax	State / UT Tax	CESS
1	2	3	4	5
(a) Total ITC available for distribution				
(b) Amount of eligible ITC				
(c) Amount of ineligible ITC				

**5. Distribution of input tax credit reported in Table 4**

GSTIN of recipient/State, if recipient is unregistered	ISD invoice		Distribution of ITC by ISD			
	No.	Date	Integrated Tax	Central Tax	State / UT Tax	CESS
1	2	3	4	5	6	7
<b>5A. Distribution of the amount of eligible ITC</b>						
<b>5B. Distribution of the amount of ineligible ITC</b>						



9B. Distribution of the amount of ineligible ITC											

**10. Late Fee**

On account of	Central Tax	State / UT tax	Debit Entry No.
1	2	3	4
Late fee			

**11. Refund claimed from electronic cash ledger**

Description	Fee	Other	Debit Entry Nos.
1	2	3	4
(a) Central Tax			
(b) State/UT Tax			
Bank Account Details (Drop Down)			

**Verification**

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place  
Date

Signature of Authorised Signatory .....

Name of Authorised Signatory .....

Designation /Status.....

**Instructions:-**

1. 

Terms Used :-

  - a. GSTIN :- Goods and Services Tax Identification Number
  - b. ISD :- Input Service Distributor
  - c. ITC: - Input tax Credit.
2. GSTR-6 can only be filed only after 10<sup>th</sup> of the month and before 13<sup>th</sup> of the month succeeding the tax period.
3. ISD details will flow to Part B of GSTR-2A of the Registered Recipients Units on filing of GSTR-6.
4. ISD will not have any reverse charge supplies. If ISD wants to take reverse charge supplies, then in that case ISD has to separately register as Normal taxpayer.
5. ISD will have late fee and any other liability only.
6. ISD has to distribute both eligible and ineligible ITC to its Units in the same tax period in which the inward supplies have been received.
7. Ineligible ITC will be in respect of supplies made as per Section 17(5).
8. Mismatch liability between GSTR-1 and GSTR-6 will be added to ISD and further ISD taxpayer has to issue ISD credit note to reduce the ITC distributed earlier to its registered recipients units.
9. Table 7 in respect of mismatch liability will be populated by the system.
10. Refund claimed from cash ledger through Table 11 will result in a debit entry in electronic cash ledger.





**Form GSTR-7**  
[See rule 66 (1)]

**Return for Tax Deducted at Source**

Year				
Month				

<b>1.</b>	GSTIN																		
<b>2.</b>	(a) Legal name of the Deductor	Auto Populated																	
	(b) Trade name, if any	Auto Populated																	

**3. Details of the tax deducted at source**

(Amount in Rs. for all Tables)

GSTIN of deductee	Amount paid to deductee on which tax is deducted	Amount of tax deducted at source		
		Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax
1	2	3	4	5

**4. Amendments to details of tax deducted at source in respect of any earlier tax period**

Original details			Revised details				
Month	GSTIN of deductee	Amount paid to deductee on which tax is deducted	GSTIN of deductee	Amount paid to deductee on which tax is deducted	Amount of tax deducted at source		
					Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax
1	2	3	4	5	6	7	8

**5. Tax deduction at source and paid**

Description	Amount of tax deducted	Amount paid
1	2	3
(a) Integrated Tax		
(b) Central Tax		
(c) State/UT Tax		

**6. Interest, late Fee payable and paid**

Description	Amount payable	Amount paid
1	2	3
<b>(I) Interest on account of TDS in respect of</b>		
(a) Integrated tax		
(b) Central Tax		
(c) State/UT Tax		
<b>(II) Late fee</b>		

(a) Central tax		
(b) State / UT tax		

**7. Refund claimed from electronic cash ledger**

Description	Tax	Interest	Penalty	Fee	Other	Debit Entry Nos.
1	2	3	4	5	6	7
(a) Integrated Tax						
(b) Central Tax						
(c) State/UT Tax						
Bank Account Details (Drop Down)						

**8. Debit entries in electronic cash ledger for TDS/interest payment [to be populated after payment of tax and submissions of return]**

Description	Tax paid in cash	Interest	Late fee
1	2	3	4
(a) Integrated Tax			
(b) Central Tax			
(c) State/UT Tax			

**Verification**

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_  
 Signature of Authorised Signatory .....  
 Name of Authorised Signatory .....  
 Designation /Status.....

**Instructions –**

1. 

Terms used:

  - a) GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number
  - b) TDS: Tax Deducted at Source
2. Table 3 to capture details of tax deducted.
3. Table 4 will contain amendment of information provided in earlier tax periods.
4. Return cannot be filed without full payment of liability.

**Form GSTR 7A**

[See rule  
66(3)]

**Tax Deduction at Source Certificate**

1. TDS Certificate No. –
2. GSTIN of deductor –
3. Name of deductor –
4. GSTIN of deductee–
5. (a) Legal name of the deductee -  
(b) Trade name, if any –
6. Tax period in which tax deducted and accounted for in GSTR-7 –
7. Details of supplies Amount of tax deducted –

Value on which tax deducted	Amount of Tax deducted at source (Rs.)		
	Integrated Tax	Central Tax	State /UT Tax
1	2	3	4

Signature  
Name  
Designation  
Office -

**Form GSTR - 8**

[See rule 67(1)]

**Statement for tax collection at source**

Year				
Month				

1.	GSTIN																			
2.	(a)	Legal name of the registered person	Auto Populated																	
	(b)	Trade name, if any	Auto Populated																	

**3. Details of supplies made through e-commerce operator**

(Amount in Rs. for all

Tables)

GSTIN of the supplier	Details of supplies made which attract TCS			Amount of tax collected at source		
	Gross value of supplies made	Value of supplies returned	Net amount liable for TCS	Integrated Tax	Central Tax	State /UT Tax
1	2	3	4	5	6	7
3A. Supplies made to registered persons						
3B. Supplies made to unregistered persons						

**4. Amendments to details of supplies in respect of any earlier statement**

Original details		Revised details						
Month	GSTIN of supplier	GSTIN of supplier	Details of supplies made which attract TCS			Amount of tax collected at source		
			Gross value of supplies made	Value of supply returned	Net amount liable for TCS	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4A. Supplies made to registered persons								
4B. Supplies made to unregistered persons								

**5. Details of interest**

On account of	Amount in default	Amount of interest		
		Integrated Tax	Central Tax	State /UT Tax
1	2	3	4	5
Late payment of TCS amount				

**6. Tax payable and paid**

Description	Tax payable	Amount paid
1	2	3
(a) Integrated Tax		
(b) Central Tax		
(c) State / UT Tax		

**7. Interest payable and paid**

Description	Amount of interest payable	Amount paid
1	2	3
(a) Integrated tax		
(b) Central Tax		
(c) State/UT Tax		

**8. Refund claimed from electronic cash ledger**

Description	Tax	Interest	Penalty	Other	Debit Entry Nos.
1	2	3	4	5	6
(a) Integrated tax					
(b) Central Tax					
(c) State/UT Tax					
Bank Account Details (Drop Down)					

**9. Debit entries in cash ledger for TCS/interest payment [to be populated after payment of tax and submissions of return]**

Description	Tax paid in cash	Interest
1	2	3
(a) Integrated tax		
(b) Central Tax		
(c) State/UT Tax		

**Verification**

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_  
 Signature of Authorised Signatory .....  
 Name of Authorised Signatory .....  
 Designation /Status.....

**Instructions:-**

1. 

Terms Used :-

  - a. GSTIN :- Goods and Services Tax Identification Number
  - b. TCS :- Tax Collected at source
2. An e-commerce operator can file GSTR- 8 only when full TCS liability has been discharged.
3. TCS liability will be calculated on the basis of table 3 and table
- 4.
4. Refund from electronic cash ledger can only be claimed only when all the TCS liability for that tax period has been discharged.
5. Cash ledger will be debited for the refund claimed from the said ledger.
6. Amount of tax collected at source will flow to Part C of GSTR- 2A of the taxpayer on filing of GSTR-8.
7. Matching of Details with supplier's GSTR-1 will be at the level of GSTIN of supplier.



**Form GSTR -11**  
[See rule 82]

**Statement of inward supplies by persons having Unique Identification Number (UIN)**

Year				
Month				

<b>1</b>	UIN																		
<b>2.</b>	Name of the person having UIN	Auto populated																	

**3. Details of inward supplies received**

(Amount in Rs. for all

GSTIN of supplier	Invoice/Debit Note/Credit Note details			Rate	Taxable value	Amount of tax			
	No	Date	Value			Integrated tax	Central Tax	State/ UT Tax	CESS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3A. Invoices received</b>									
<b>3B. Debit/Credit Note received</b>									

Tables)

**4. Refund amount**

Integrated tax	Central Tax	State/ UT Tax	CESS
1	2	3	4
Bank details (drop down)			

**Verification**

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place

Signature

Name of Authorised Signatory .....

Date

Designation /Status.....

**Instructions:-**

1.
  - a. **Terms Used :-**  
**GSTIN :- Goods and Services Tax Identification Number**
  - b. **UIN :- Unique Identity Number**
2. UIN holder has to file GSTR-11 for claiming refund on quarterly basis or otherwise as and when required to file by proper officer.
3. Table 3 of GSTR-11 will be populated from GSTR-1.
4. UIN holder will not be allowed to add or modify any details in GSTR-11.

**Results of Matching after filing of the Returns of September (to be filed by 20<sup>th</sup> October)**

Month	Bill of Entry No. /Invoice/Debit Note/Credit Note			ITC/Output Liability				Interest			
	Date	Number	Taxable Value	Integrated	Central	State / UT	Cess	Integrated	Central	State	Cess

**A. Finally Accepted Input Tax Credit****A.1 Details of Invoices, Debit and Credit Notes of the month of September that have matched**

1	September							Nil			
2	September							Nil			

**A.2 Details of Invoices, Debit and Credit Notes of the month of August that were found to have mismatched in the return of the month of August filed by 20th September but mismatch was rectified in the return for the month of September filed by 20th October**

1	August							Nil			
2	August							Nil			

**A.3 Details of Invoices, Debit and Credit Notes of the month of July and before but not earlier than April of the previous Financial Year which had become payable but the pairing supplier/recipient has included the details of corresponding document in his return of the month of September filed by 20th October and the reclaim is being allowed alongwith refund of interest.**

1	Month							Refund			
2	Month							Refund			

**B. Mismatches/Duplicates that have led to increase of liability in the return for September filed by 20th October****B.1 Details of Invoices, Debit and Credit Notes of the month of July that were found to have mismatched in the return of the month of July filed by 20th August but mismatch was not rectified in the return for the month of August filed by 20th September and have become payable in the return for month of September to be filed 20th October**

1	July							Two Months			
2	July							Two Months			

**B.2 Details of Invoices, Debit and Credit Notes of the month of August that were found to be duplicates and have become payable in the return September filed by 20th October**

1	August							One Month			
2	August							One Month			

**B.3 Details of Invoices, Debit and Credit Notes of the month of August where reversal was reclaimed in violation of Section 42/ 43 and that have become payable in the return of September filed by 20th October**

1	August							One Month-high			
2	August							One Month-high			

**C. Mismatches/Duplicates that will lead to increase of liability in the return for October to be filed by 20th November****C.1 Details of Invoices, Debit and Credit Notes of the month of August that were found to have mismatched in the return of the month of August filed by 20th September but mismatch was not rectified in the return for the month of September filed by 20th October and will become**

*payable in the return for month of October to be filed 20th November*

1	August								Two Months			
2	August								Two Months			

*C.2 Details of Invoices, Debit and Credit Notes of the month of September that were found to be duplicate and will be become payable in the return for October to be filed by 20th November*

1	September								One Month			
2	September								One Month			

*C.3 Details of Invoices, Debit and Credit Notes of the month of September where reversal was reclaimed in violation of Section 42/43 and that will become payable in the return of October return to be filed by 20th November*

1	September								One Month-high			
2	September								One Month-high			

**D. Mismatches/Duplicates that may lead to increase of liability in the return for November to be filed by 20th December**

*D.1 Details of Invoices, Debit and Credit Notes of the month of September that have been found to have mismatched and may become payable in the return for November to be filed by 20th December in case mismatch not rectified in the return for October to be filed by 20th November*

1	September								Nil/Two Months			
2	September								Nil/Two Months			

**Form GST PCT - 1**

[See rule 83(1)]

**Application for Enrolment as Goods and Services Tax Practitioner****Part -A**

State /UT – ▾

District - ▾

(i)	Name of the Goods and Services Tax Practitioner (As mentioned in PAN)	
(ii)	PAN	
(iii)	Email Address	
(iv)	Mobile Number	
<i>Note - Information submitted above is subject to online verification before proceeding to fill up Part-B.</i>		

**PART B**

1.	Enrolling Authority	Centre <input type="checkbox"/> State <input type="checkbox"/>
2.	State/UT	
3.	Date of application	
4.	Enrolment sought as:	(1) Chartered Accountant holding COP (2) Company Secretary holding COP (3) Cost and Management Accountant holding COP (4) Advocate (5) Graduate or Postgraduate degree in Commerce (6) Graduate or Postgraduate degree in Banking (7) Graduate or Postgraduate degree in Business Administration (8) Graduate or Postgraduate degree in Business Management (9) Degree examination of any recognized Foreign University (10) Retired Government Officials
5.	Membership Number	
5.1	Membership Type (drop down will change based the institute selected )	
5.2	Date of Enrolment / Membership	
5.3	Membership Valid upto	
6.	Advocates registered with Bar (Name of Bar Council)	
6.1	Registration Number as given by Bar	
6.2	Date of Registration	
6.3	Valid up to	
7.	Retired Government Officials	Retired from Centre/ State
7.1	Date of Retirement	
7.2	Designation of the post held at the time of retirement	Scanned copy of Pension Certificate issued by AG office or any other document evidencing retirement
8.	<b>Applicant Details</b>	
8.1	Full name as per PAN	

8.2	Father's Name	
8.3	Date of Birth	
8.4	Photo	
8.5	Gender	
8.6	Aadhaar	<optional>
8.7	PAN	< Pre filled from Part A>
8.8	Mobile Number	<Pre filled from Part A>
8.9	Landline Number	
8.10	Email id	< Pre filled from Part A>
9.	<b>Professional Address</b>	(Any three will be mandatory)
9.1	Building No./ Flat No./ Door No.	
9.2	Floor No.	
9.3	Name of the Premises / Building	
9.4	Road / Street Lane	
9.5	Locality / Area / Village	
9.6	District	
9.7	State	
9.8	PIN Code	
10.	<b>Qualification Details</b>	
10.1	Qualifying Degree	
10.2	Affiliation University / Institute	
	<b>Consent</b> <i>I on behalf of the holder of Aadhaar number &lt;pre-filled based on Aadhaar number provided in the form&gt; give consent to "Goods and Services Tax Network" to obtain my details from UIDAI for the purpose of authentication. "Goods and Services Tax Network" has informed me that identity information would only be used for validating identity of the Aadhaar holder and will be shared with Central Identities Data Repository only for the purpose of authentication.</i>	
	<b>Verification</b> <i>I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.</i>	
	Place	< DSC /E-sign of the Applicant/EVC>
	Date	< Name of the Applicant>

### Acknowledgment

Application Reference Number (ARN) -  
 You have filed the application successfully.  
 GSTIN, if available:  
 Legal Name:  
 Form No. :  
 Form Description :  
 Date of Filing:  
 Time of filing:  
 Center Jurisdiction:  
 State Jurisdiction :  
 Filed by :  
 Temporary reference number, (TRN) if any:

Place:

It is a system generated acknowledgment and does not require any signature.

Note - The status of the application can be viewed through "Track Application Status" at dash board on the GST Portal.

**Form GST PCT-02***[See rule 83(2)]***Enrolment Certificate of Goods and Services Tax Practitioner**

1.	Enrolment Number	
2.	PAN	
3.	Name of the Goods and Services Tax Practitioner	
4.	Address and Contact Information	
5.	Date of enrolment as GSTP	
Date Authority		Signature of the Enrolment
		Name and Designation.
		Centre / State



**Form GST PCT-03***[See rule 83(4)]*

Reference No.

Date

To

Name

Address of the Applicant

GST practitioner enrolment No.

**Show Cause Notice for disqualification**

It has come to my notice that you are guilty of misconduct, the details of which are given hereunder:

- 1.
- 2.

You are hereby called upon to show cause as to why the certificate of enrolment granted to you should not be rejected for reasons stated above. You are requested to submit your response within <15> days to the undersigned from the date of receipt of this notice.

Appear before the undersigned on ----- (date)..... (Time).....

If you fail to furnish a reply within the stipulated date or fail to appear for personal hearing on the appointed date and time, the case will be decided ex parte on the basis of available records and on merits

Signature

Name  
(Designation)

**Form GST PCT-04***[See rule 83(4)]*

Reference No.

Date-

To

Name

Address

Enrollment Number

**Order of rejection of enrolment as GST Practitioner**

This has reference to your reply dated ---- in response to the notice to show cause dated -----.

- Whereas no reply to notice to show cause has been submitted; or  
 Whereas on the day fixed for hearing you did not appear; or  
 Whereas the undersigned has examined your reply and submissions made at the time of hearing, and is of the opinion that your enrolment is liable to be cancelled for following reason(s).

1.

2.

The effective date of cancellation of your enrolment is <<DD/MM/YYYY >>.

Signature  
Name  
(Designation)

**Form GST PCT-05**

[See rule 83(6)]

**Authorisation / withdrawal of authorisation for Goods and Services Tax Practitioner**

To  
The Authorised Officer  
Central Tax/State Tax.

**PART-A**

Sir/Madam

I/We <Name of the Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.) do hereby

1. \*solemnly authorise,
2. \*withdraw authorisation of

----- (Name of the Goods and Services Tax Practitioner), bearing Enrolment Number----- for the purposes of Section 48 read with rule 83 to perform the following activities on behalf of ----- (Legal Name) bearing << GSTIN - >>:

Sr. No.	List of Activities	Check box
1.	To furnish details of outward and inward supplies	
2.	To furnish monthly, quarterly, annual or final return	
3.	To make deposit for credit into the electronic cash ledger	
4.	To file an application for claim of refund	
5.	To file an application for amendment or cancellation of registration	

2. The consent of the ----- (Name of Goods and Services Tax Practitioner) is attached herewith\*.

*\*Strike out whichever is not applicable.*

Signature of the authorised signatory  
Name

Designation/Status

Date

Place

**Part -B**

**Consent of the Goods and Services Tax Practitioner**

I <<(Name of the Goods and Services Tax Practitioner)>>< Enrolment Number> do hereby solemnly accord my consent to act as the Goods and Services Tax Practitioner on behalf of ----- (Legal name), GSTIN ..... only in respect of the activities specified by ----- (Legal name), GSTIN .....

Signature

Name

Date

Enrolment No.

**Form GST PMT -01***[See rule 85(1)]***Electronic Liability Register of Registered Person****(Part-I: Return related liabilities)***(To be maintained at the Common Portal)*

GSTIN –

Name (Legal) –

Trade name, if any

Tax Period –

Act – Central

Tax/State Tax/UT Tax /Integrated Tax/CESS /All

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Date (dd/mm/yyyy)	Reference No.	Ledger used for discharging liability	Description	Type of Transaction [Debit (DR) (Payable)] / [Credit (CR) (Paid)]	Amount debited / credited (Central Tax/State Tax/UT Tax/Integrated Tax/CESS/Total)						Balance (Payable) (Central Tax/State Tax/UT Tax/Integrated Tax/CESS/Total)					
						Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

**Note –**

1. All liabilities accruing due to return and payments made against the same will be recorded in this ledger.
2. Under description head - liabilities due to opting for composition, cancellation of registration will also be covered in this part. Such liabilities shall be populated in the liability register of the tax period in which the date of application or order falls, as the case may be.
3. Return shall be treated as invalid if closing balance is positive. Balance shall be worked out by reducing credit (amount paid) from the debit (amount payable).
4. Cess means cess levied under Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017.

**Form GST PMT –01**

[See rule 85(1)]

**Electronic Liability Register of Taxable Person**

(Part–II: Other than return related liabilities)

(To be maintained at the Common Portal)

Demand ID --

GSTIN/Temporary Id –

Demand date -

Name (Legal) –

Trade name, if any -

Stay status – Stayed/Un-stayed

Period - From ----- To -----

(dd/mm/yyyy)

Act - Central Tax/State Tax/UT Tax /Integrated Tax/CESS /All

(Amount

in Rs.)

Sr No.	Date (dd/mm/yyyy)	Reference No.	Tax Period, if applicable	Ledger used for discharging liability	Description	Type of Transaction [Debit (DR) (Payable)] / [Credit (CR) (Paid)] / Reduction (RD)/ Refund adjusted (RF)/]	Amount debited/credited (Central Tax/State Tax/UT Tax/Integrated Tax/CESS/Total)						Balance (Payable) (Central Tax/State Tax/UT Tax/Integrated Tax/CESS/Total)						Status (Stayed /Un-stayed)
							Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

**Note –**

1. All liabilities accruing, other than return related liabilities, will be recorded in this ledger. Complete description of the transaction to be recorded accordingly.
2. All payments made out of cash or credit ledger against the liabilities would be recorded accordingly.
3. Reduction or enhancement in the amount payable due to decision of appeal, rectification, revision, review etc. will be reflected here.
4. Negative balance can occur for a single Demand ID also if appeal is allowed/partly allowed. Overall closing balance may still be positive.
5. Refund of pre-deposit can be claimed for a particular demand ID if appeal is allowed even though the overall balance may still be positive subject to the adjustment of the refund against any liability by the proper officer.
6. The closing balance in this part shall not have any effect on filing of return.
7. Reduction in amount of penalty would be automatic, based on payment made after show cause notice or within the time specified in the Act or the rules.
8. Payment made against the show cause notice or any other payment made voluntarily shall be shown in the register at the time of making payment through credit or cash ledger. Debit and credit entry will be created simultaneously.

**Form GST PMT –02**

[See rule 86(1)]

**Electronic Credit Ledger of Registered Person**

(To be maintained at the Common Portal)

GSTIN –

Name (Legal) –

Trade name, if any -

Period - From ----- To ----- (dd/mm/yyyy)

Act - Central Tax/State Tax/UT Tax /Integrated Tax/CESS /All

(Amount in Rs.)

Sr No.	Date (dd/mm/yyyy)	Reference No.	Tax Period, if any	Description (Source of credit & purpose of utilisation)	Transaction Type [Debit (DR) / Credit (CR)]	Credit / Debit						Balance available					
						Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	CESS	Total	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	CESS	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

**Balance of Provisional credit**

Sr. No.	Tax period	Amount of provisional credit balance					
		Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess	Total
1	2	3	4	5	6	7	8

**Mismatch credit (other than reversed)**

Sr. No.	Tax period	Amount of mismatch credit					
		Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess	Total
1	2	3	4	5	6	7	8

**Note –**

1. All type of credits as per return, credit on account of merger, credit due on account of pre-registration inputs, etc., credit due to opting out from composition scheme, transition etc. will be recorded in the credit ledger.
2. Description will include sources of credit (GSTR-3, GSTR-6 etc.) and utilisation thereof towards liability related to return or demand etc. Refund claimed from the ledger will be debited and if the claim is rejected, then it will be credited back to the ledger to the extent of rejection.

**Form GST PMT -03**

[See rules 86(4) & 87(11)]

**Order for re-credit of the amount to cash or credit ledger on rejection of refund claim**

Reference No.

Date –

1. GSTIN –
2. Name (Legal) –
3. Trade name, if any
4. Address –
5. Period / Tax Period to which the credit relates, if any – From ----- To -----  
-----
6. Ledger from which debit entry was made for claiming refund - cash /  
credit ledger
7. Debit entry no. and date -
8. Application reference no. and date –
9. No. and date of order vide which refund was rejected
10. Amount of credit -

Sr. No.	Act (Central Tax/State Tax/ UT Tax Integrated Tax/ CESS)	Amount of credit (Rs.)					
		Tax	Interest	Penalty	Fee	Other	Total
1	2	3	4	5	6	7	8

Signature  
Name  
Designation of the officer

Note –

‘Central Tax’ stands for Central Goods and Services Tax; ‘State Tax’ stands for State Goods and Services Tax; ‘UT Tax’ stands for Union territory Goods and Services Tax; ‘Integrated Tax’ stands for Integrated Goods and Services Tax and ‘Cess’ stands for Goods and Services Tax(Compensation to States)

**Form GST PMT -04**

[See rules 85(7), 86(6) &amp; 87(12)]

**Application for intimation of discrepancy in Electronic Credit Ledger/Cash Ledger/ Liability Register**

1.	GSTIN			
2.	Name (Legal)			
3.	Trade name, if any			
4.	Ledger / Register in which discrepancy noticed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Credit ledger	Cash ledger	Liability register
5.	Details of the discrepancy			
	Date	Type of tax	Type of discrepancy	Amount involved
		Central Tax		
		State Tax		
		UT Tax		
		Integrated Tax		
		Cess		
6.	Reasons, if any			
7.	<b>Verification</b> I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> Signature  Place  Date </div> <div style="width: 45%;"> Name of Authorized Signatory  Designation /Status..... </div> </div>			

Note –

‘Central Tax’ stands for Central Goods and Services Tax; ‘State Tax’ stands for State Goods and Services Tax; ‘UT Tax’ stands for Union territory Goods and Services Tax; ‘Integrated Tax’ stands for Integrated Goods and Services Tax and ‘Cess’ stands for Goods and Services Tax(Compensation to States)



**Form GST PMT –05**

[See rule 87(1)]

**Electronic Cash Ledger**

(To be maintained at the Common Portal)

GSTIN/Temporary Id –

Name (Legal) –

Trade name, if any

Period - From ----- To ----- (dd/mm/yyyy)

Act - Central Tax/State Tax/UT Tax/Integrated Tax/CESS/All

(Amount in Rs.)

S r. N o.	Date of deposit /Debit (dd/mm / yyyy)	Time of depos it	Reporti ng date (by bank)	Referen ce No.	Tax Period, if applicable	Description	Type of Transactio n [Debit (DR) / Credit (CR)]	Amount debited / credited (Central Tax/State Tax/UT Tax/Integrated Tax/CESS/Total)						Balance (Central Tax/State Tax/UT Tax/Integrated Tax/CESS/Total)					
								Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

**Note –**

1. Reference No. includes BRN (Bank Reference Number), debit entry no., order no., if any, and acknowledgment No. of return in case of TDS & TCS credit.
2. Tax period, if applicable, for any debit will be recorded, otherwise it will be left blank.
3. GSTIN of deductor or tax collector at source, Challan Identification Number (CIN) of the challan against which deposit has been made, and type of liability for which any debit has been made will also recorded under the head “description”.
4. Application no., if any, Show Cause Notice Number, Demand ID, pre-deposit for appeal or any other liability for which payment is being made will also be recorded under the head “description” .
5. Refund claimed from the ledger or any other debits made against any liability will be recorded accordingly.
6. Date and time of deposit is the date and time of generation of CIN as reported by bank.
7. ‘Central Tax’ stands for Central Goods and Services Tax; ‘State Tax’ stands for State Goods and Services Tax; ‘UT Tax’ stands for Union territory Goods and Services Tax; ‘Integrated Tax’ stands for Integrated Goods and Services Tax and ‘Cess’ stands for Goods and Services Tax(Compensation to States)

**Form GST PMT -06***[See rule 87(2)]***Challan for deposit of goods and services tax**

CPIN	<<Auto Generated after submission of information>>	Date <<Current date>>	Challan Expiry Date --
------	--	-----------------------	------------------------

GSTIN	<<Filled in/Auto populated>>	Email address	<<Auto Populated>>
Name (Legal)	<<Auto Populated>>	Mobile No.	<<Auto Populated>>
Address	<<Auto Populated>>		

		<b>Details of Deposit</b>						(All Amount in Rs.)
Government	Major Head	Minor Head						
		Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total	
Government of India	Central Tax (----)							
	Integrated Tax (----)							
	CESS (----)							
	Sub-Total							
State (Name)	State Tax (----)							
UT (Name)	UT Tax (----)							
Total Challan Amount								
Total Amount in words								

Mode of Payment (relevant part will become active when the particular mode is selected)

<input type="checkbox"/> Over the Counter (OTC)		
Bank (Where cash or instrument is proposed to be deposited)		
Details of Instrument		
<input type="checkbox"/> Cash	<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Demand Draft

<input type="checkbox"/> e-Payment (This will include all modes of e-payment such as CC/DC and net banking. Taxpayer will choose one of this)
--

<input type="checkbox"/> NEFT/RTGS	
Remitting bank	
Beneficiary name	GST
Beneficiary Account Number (CPIN)	<CPIN>
Name of beneficiary bank	Reserve Bank of India
Beneficiary Bank's Indian Financial System Code (IFSC)	IFSC of RBI
Amount	

*Note: Charges to be separately paid by the person making payment.*

Particulars of depositor	
Name	
Designation/ Status (Manager, partner etc.)	
Signature	
Date	

Paid Challan Information	
GSTIN	
Taxpayer Name	
Name of Bank	
Amount	
Bank Reference No. (BRN)/UTR	
CIN	
Payment Date	
Bank Ack. No. (For Cheque / DD deposited at Bank's counter)	

Note - UTR stands for Unique Transaction Number for NeFT / RTGS payment.

**Form GST PMT -07**

[See rule 87(8)]

**Application for intimating discrepancy relating to payment**

1.	GSTIN					
2.	Name (Legal)					
3.	Trade name, if any					
4.	Date of generation of challan from Common Portal					
5.	Common Portal Identification Number (CPIN)					
6.	Mode of payment (tick one)	Net banking <input type="checkbox"/>	CC/DC <input type="checkbox"/>	NEFT/RTGS <input type="checkbox"/>	OTC <input type="checkbox"/>	
7.	Instrument detail, for OTC payment only	Cheque / Draft No.	Date		Bank/branch on which drawn	
8.	Name of bank through which payment made					
9.	Date on which amount debited / realized					
10.	Bank Reference Number (BRN)/ UTR No., if any					
11.	Name of payment gateway (for CC/DC)					
12.	Payment detail	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
13.	<p>Verification (by authorized signatory)</p> <p>I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief.</p> <p>Signature Name of Authorized Signatory</p> <p>Place Date</p> <p>Designation /Status.....</p>					

---

--	--

Note –

1. The application is meant for the taxpayer where the amount intended to be paid is debited from his account but CIN has not been conveyed by bank to Common Portal or CIN has been generated but not reported by concerned bank.
2. The application may be filed if CIN is not conveyed within 24 hours of debit.
3. Common Portal shall forward the complaint to the Bank concerned and intimate the aggrieved person.
4. 'Central Tax' stands for Central Goods and Services Tax; 'State Tax' stands for State Goods and Services Tax; 'UT Tax' stands for Union territory Goods and Services Tax; 'Integrated Tax' stands for Integrated Goods and Services Tax and 'Cess' stands for Goods and Services Tax(Compensation to States).

**FORM-GST-RFD-01**

[See rule 89(1)]

**Application for Refund**

Select: Registered / Casual/ Unregistered/Non-resident taxable person

1. GSTIN/Temporary ID:
2. Legal Name:
3. Trade Name, if any:
4. Address:
5. Tax Period:                      From <DD/MM/YY>                      To <DD/MM/YY>
6. Amount of Refund Claimed:

Act	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total
Central Tax						
State Tax						
UT Tax						
Integrated Tax						
Cess						
Total						

7. Grounds of Refund Claim: (select from the drop down):
  - a. Excess balance in Electronic Cash ledger
  - b. Exports of goods / services- With payment of Tax
  - c. Exports of goods / services- Without payment of Tax, i.e., ITC accumulated
  - d. On account of assessment/provisional assessment/ appeal/ any other order
    - i. Select the type of Order:  
Assessment/ Provisional Assessment/ Appeal/ Others
    - ii. Mention the following details:
      1. Order No.
      2. Order Date <calendar>
      3. Order Issuing Authority
      4. Payment Reference No. (of the amount to be claimed as refund)

*(If Order is issued within the system, then 2, 3, 4 will be auto populated)*
  - e. ITC accumulated due to inverted tax structure (clause (ii) of proviso to section 54(3))
  - f. On account of supplies made to SEZ unit/ SEZ Developer or recipient of Deemed Exports
    - i. Select the type of supplier/ recipient:
      1. Supplier to SEZ Unit
      2. Supplier to SEZ Developer

## 3. Recipient of Deemed Exports

- g. Tax paid on a supply which is not provided, either wholly or partially, and for which invoice has not been issued
- h. Tax paid on an intra-State supply which is subsequently held to be inter-State supply and vice versa
- i. Excess payment of tax, if any
- j. Any other (*specify*)

8. Details of Bank Account (*to be auto populated from RC in case of registered taxpayer*)

- a. Bank Account Number :
- b. Name of the Bank :
- c. Bank Account Type :
- d. Name of account holder :
- e. Address of Bank Branch :
- f. IFSC :
- g. MICR :

9. Whether Self-Declaration filed by Applicant u/s 54(4), if applicable Yes  No

**DECLARATION (u/s 54(3)(ii))**

I hereby declare that the goods exported are not subject to any export duty. I also declare that I have not availed any drawback on goods or services or both and that I have not claimed refund of the integrated tax paid on supplies in respect of which refund is claimed.

Signature

Name –

Designation / Status

**DECLARATION (u/s 54(3)(ii))**

I hereby declare that the refund of ITC claimed in the application does not include ITC availed on goods or services used for making nil rated or fully exempt supplies.

Signature

Name –

Designation / Status



**DECLARATION** (See rule 89)

I hereby declare that the Special Economic Zone unit /the Special Economic Zone developer has not availed of the input tax credit of the tax paid by the applicant, covered under this refund claim.

Signature

Name –

Designation / Status

**SELF- DECLARATION**

I/We \_\_\_\_\_ (Applicant) having GSTIN/ temporary Id -----, solemnly affirm and certify that in respect of the refund amounting to Rs. ---/ with respect to the tax, interest, or any other amount for the period from---to---, claimed in the refund application, the incidence of such tax and interest has not been passed on to any other person.

(This Declaration is not required to be furnished by applicants, who are claiming refund under rule 96 of the CGST Rules)

10. Verification

I/We <Taxpayer Name> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

We declare that no refund on this account has been received by us earlier.

Place

Signature of Authorised Signatory

Date

(Name)

Designation/ Status

*Note: 1) A separate statement has to be filed under sub-rule (4) of rule 89*

**Statement 1:**

(Note: - All statements are auto populated from the corresponding returns taxpayer have to select the invoices accordingly and fields like egm/ebrc to be filled if the same was not filled in the return)

**Annexure-1**

Statement containing the number and date of invoices under 89 (2) (h) of CGST Rules,

**For Inward Supplies:**

**As per GSTR- 2 (Table 4):**

Tax Period: .....

GSTIN/ Name of registered supplier	Invoice details								State (in case of unregistered supplier)	Integrated Tax		Central Tax	
	No	Date	Value	Goods/ Services (G/S)	HSN	Taxable value	UQC	QTY		Rate (%)	Amt.	Rate (%)	Amt.
1	2	3	4	5	6	7	24A	24B	8	9	10	11	12

State Tax/ UT Tax		CESS		Col. 17	Col. 18	Col. 19	Col. 20/21/22/23			
Rate (%)	Amt.	Rate (NA)	Amt.				Integrated Tax	Central Tax	State Tax/ UT Tax	Cess
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Col. 17: POS (only if different from the location of recipient)

Col. 18: Indicate if supply attracts reverse charge (Yes / No)

Col. 19: Eligibility of ITC as (inputs/capital goods/input services/ none)

Col. 20/21/22/23: Amount of ITC available

**For Outward Supplies:  
As per GSTR- 1 (Table 5):**

Tax Period: .....

GSTIN/ UIN	Invoice details								Integrated Tax		Central Tax	
	No.	Date	Value	Goods/ services (G/S)	HSN	Taxable Value	UQC	QTY	Rate (%)	Amt	Rate (%)	Amt
1	2	3	4	5	6	7	23A	23B	8	9	10	11

State Tax/ UT Tax		Cess		Col. 16	Col. 17	Col. 18	Col. 19	Col. 20	Col. 21	Col. 22
Rate (%)	Amt	Rate (NA)	Amt							
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

- Col. 16: POS (only if different from the location of recipient)  
 Col. 17: Whether supply made to SEZ / SEZ developer (Yes / No)  
 Col. 18: Tax option for supplies made to SEZ / SEZ developer (With Integrated Tax/ Without Integrated Tax)  
 Col. 19: Deemed Exports (Yes/No)  
 Col. 20: whether supply attracts reverse charge (Yes / No)  
 Col. 21: Whether tax on this invoice is paid on provisional basis (Yes /No)  
 Col. 22: GSTIN of e-commerce operator (if applicable)

Place

Signature of Authorised Signatory

Date

(Name)

Designation/ Status

-----

**Statement 2:****Statement in case of Application under rule 89 sub rule 2 (b) and (c):****Exports with payment of Tax:**

Tax Period: .....

Invoice								Shipping bill/ Bill of export			Tax payment option	
No.	Date	Value	Goods/ Services (G/S)	HSN	UQC	QTY	Taxable value	Port Code	No.	Date	With Integrated Tax	Without Integrated Tax
1	2	3	4	5	15A	15B	6	7	8	9	10	11

Integrated Tax		Whether tax on this invoice is paid on provisional basis (Yes /No)	EGM Details		BRC/ FIRC	
Rate (%)	Amt.		Ref No.	Date	No.	Date
12	13	14	15C	15D	15E	15F

(\* Shipping Bill and EGM are mandatory; – in case of goods;

BRC/ FIRC details are mandatory– in case of Services)

Place

Signature of Authorised Signatory

Date

(Name)

Designation/ Status

-----

**Statement 3:**

**Exports without payment of Tax:**

Invoice								Shipping bill/ Bill of export			Tax payment option	
No.	Date	Value	Goods/ Services (G/S)	HSN	UQC	QTY	Taxable value	Port Code	No.	Date	With Integrated Tax	Without Integrated Tax
1	2	3	4	5	15A	15B	6	7	8	9	10	11

Tax Period: .....

Integrated Tax		Whether tax on this invoice is paid on provisional basis (Yes /No)	EGM Details		BRC/ FIRC	
Rate (%)	Amt.		Ref No.	Date	No.	Date
12	13	14	15C	15D	15E	15F

(\* Shipping Bill and EGM – in case of goods are mandatory;

BRC/ FIRC details are mandatory– in case of Services)

Place

Signature of Authorised Signatory

Date

(Name)

Designation/ Status

-----

**Statement 4:****Statement in case of Application under rule 89 sub rule 2 (d) and (e):****Refund by the supplier of SEZ/ Developer:****GSTR- 1 Table 5**

GSTIN/ UIN	Invoice details								Integrated Tax		Central Tax		State Tax/ UT Tax		Cess	
	No.	Date	Value	Goods/ services (G/S)	HSN	Taxable Value	UQC	QTY	Rate (%)	Amt	Rate (%)	Amt	Rate (%)	Amt	Rate (NA)	Amt
1	2	3	4	5	6	7	23A	23B	8	9	10	11	12	13	14	15

Tax Period: .....

Col. 16	Col. 17	Col. 18	Col. 19	Col. 20	Col. 21	Col. 22	ARE		Date of Receipt	Payment Details	
							No.	Date		Ref No.	Date
16	17	18	19	20	21	22	23C	23D	23E	23F	23G

Col. 16: POS (only if different from the location of recipient)

Col. 17: Whether supply made to SEZ / SEZ developer (Yes / No)

Col. 18: Tax option for supplies made to SEZ / SEZ developer (With Integrated Tax/ Without Integrated Tax)

Col. 19: Deemed Exports (Yes/No)

Col. 20: whether supply attracts reverse charge (Yes / No)

Col. 21: Whether tax on this invoice is paid on provisional basis (Yes /No)

Col. 22: GSTIN of e-commerce operator (if applicable)

Col. 23 C/D: ARE (Application for Removal of Export)

Col. 23 E: Date of receipt by SEZ/ Developer (as per re warehousing certificate)

Col. 23 F/G: Particulars of Payment Received

**(\* In case of Goods: ARE and Date of Receipt by SEZ/ Developer are mandatory;****In case of Services: Particulars of Payment Received is mandatory)**

**GSTR 5- Table 6**

Tax Period: .....

Col. 1	Invoice details								Integrated Tax		Central Tax		State Tax/ UT Tax	
	No.	Date	Value	Goods/ Services (G/S)	HSN	UQC	QTY	Taxable Value	Rate (%)	Amt.	Rate (%)	Amt.	Rate (%)	Amt.
1	2	3	4	5	6	21A	21B	7	8	9	10	11	12	13

Cess		Col. 16	Col. 17	Col. 18	Col. 19	Col. 20	ARE		Date of Receipt	Payment Details	
Rate (NA)	Amt.						No.	Date		Ref No.	Date
14	15	16	17	18	19	20	21C	21D	21E	21F	21G

- Col. 1: GSTIN / UIN/ Name of the un registered recipient (Supplier to SEZ/ Developer)
- Col. 16: POS (only if different from the location of recipient)
- Col. 17: Whether supply made to SEZ / SEZ developer (Yes / No)
- Col. 18: Tax option for supplies made to SEZ / SEZ developer (With Integrated Tax/ Without Integrated Tax)
- Col. 19: Deemed Exports (Yes/No)
- Col. 20: Whether tax on this invoice is paid on provisional basis (Yes /No)
- Col. 21 C/D: ARE (Application for Removal of Export)
- Col. 21 E: Date of receipt by SEZ/ Developer (as per re warehousing certificate)
- Col. 21 F/G: Particulars of Payment Received

(\* In case of Goods: ARE and Date of Receipt by SEZ/ Developer are mandatory;

In case of Services: Particulars of Payment Received is mandatory)

Place

Signature of Authorised Signatory

Date

(Name)

Designation/ Status

GSTR 5- Table 6

Tax Period: .....

Col. 1	Invoice details								Integrated Tax		Central Tax		State Tax/ UT Tax	
	No.	Date	Value	Goods/ Services (G/S)	HSN	UQC	QTY	Taxable Value	Rate (%)	Amt.	Rate (%)	Amt.	Rate (%)	Amt.
1	2	3	4	5	6	21A	21B	7	8	9	10	11	12	13

Cess		Col. 16	Col. 17	Col. 18	Col. 19	Col. 20	ARE		Date of Receipt	Payment Details	
Rate (NA)	Amt.						No.	Date		Ref No.	Date
14	15	16	17	18	19	20	21C	21D	21E	21F	21G

Col. 1: GSTIN / UIN/ Name of the un registered recipient (Supplier to SEZ/ Developer)

Col. 16: POS (only if different from the location of recipient)

Col. 17: Whether supply made to SEZ / SEZ developer (Yes / No)

Col. 18: Tax option for supplies made to SEZ / SEZ developer (With Integrated Tax/ Without Integrated Tax)

Col. 19: Deemed Exports (Yes/No)

Col. 20: Whether tax on this invoice is paid on provisional basis (Yes /No)

Col. 21 C/D: ARE (Application for Removal of Export)

Col. 21 E: Date of receipt by SEZ/ Developer (as per re warehousing certificate)

Col. 21 F/G: Particulars of Payment Received

(\* In case of Goods: ARE and Date of Receipt by SEZ/ Developer are mandatory;

In case of Services: Particulars of Payment Received is mandatory)

Place

Signature of Authorised Signatory

Date

(Name)

Designation/ Status



**Statement 5:**

**Statement in case of Application under rule 89 sub rule 2 (g):**

**Refund by the EOU/ Recipient of Deemed Exports:**

Tax Period: .....

GSTIN/ Name of unregistered supplier	Invoice details								State (in case of unregistered supplier)	Integrated Tax		Central Tax		State Tax/ UT Tax	
	No	Date	Value	Goods/ Services (G/S)	HSN	Taxable value	UQC	QTY		Rate (%)	Amt.	Rate (%)	Amt.	Rate (%)	Amt.
1	2	3	4	5	6	7	24A	24B	8	9	10	11	12	13	14
g															

CESS		Col. 17	Col. 18	Col. 19	Col. 20/21/22/23				ARE		Date of Receipt
Rate (NA)	Amt.				Integrated Tax	Central Tax	State Tax/ UT Tax	Cess	No.	Date	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24C	24D	24E

Col. 17: POS (only if different from the location of recipient)

Col. 18: Indicate if supply attracts reverse charge (Yes / No)

Col. 19: Eligibility of ITC as (inputs/capital goods/input services/ none)

Col. 20/21/22/23: Amount of ITC available

Col. 24 C/D: ARE (Application for Removal of Export)

Col. 24 E: Date of receipt by SEZ/ Developer (as per re warehousing certificate)

(\* In case of Goods: ARE and Date of Receipt are mandatory)

Place

Signature of Authorised Signatory

Date

(Name)

Designation/ Status

**Statement 6:****Statement in case of Application filed under rule 89(2)(i)****[Refund u/s 77(1) & 77(2) -Tax wrongfully collected and paid ]****Order Details (issued in pursuance of Section 77 (1) and (2):** \_\_\_\_\_ **Order No:** \_\_\_\_\_**Order Date:** \_\_\_\_\_

GSTIN/ UIN Name (in case B2C)	Details of invoice covering transaction considered as intra –State / inter-State transaction earlier									
	Invoice details				Integrat ed Tax	Central Tax	State Tax	Cess	Place of Supply (only if different from the location of recipient)	
	No.	Date	Value	Taxable Value	Amt	Amt	Amt	Amt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Transaction which were held inter State / intra-State supply subsequently				
Integrated Tax	Central Tax	State Tax	Cess	Place of Supply (only if different from the location of recipient)
Amt	Amt	Amt	Amt	
11	12	13	14	15



Annexure-2  
**[ See rule 89 (2) (m) ]**  
**Certificate**

This is to certify that in respect of the refund amounting to INR << >> ----- (in words) claimed by M/s -----  
----- (Applicant's Name) GSTIN/ Temporary ID----- for the tax period < ---->, the incidence of tax and interest, has  
not been passed on to any other person. This certificate is based on the examination of the Books of Accounts, and other  
relevant records and Returns particulars maintained/ furnished by the applicant.

Signature of the Chartered Accountant/ Cost Accountant:

Name:

Membership Number:

Place:

Date:

This Certificate is not required to be furnished by the applicant, claiming refund under clause (a) or clause (b) or clause  
(c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54 of the Act.

FORM-GST-RFD-02

[See rules 90(2) & 95(2)]

**Acknowledgment**

Your application for refund is hereby acknowledged against <Application Reference Number>

Acknowledgement Number :

Date of Acknowledgement :

GSTIN/ UIN/ Temporary ID, if applicable :

Applicant's Name :

Form No. :

Form Description :

Jurisdiction (*tick appropriate*) :

Centre State/ Union Territory:

Filed by :

Refund Application Details	
Tax Period	
Date and Time of Filing	
Reason for Refund	

Amount of Refund Claimed:

	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total
Central Tax						
State Tax						
UT Tax						
Integrated Tax						
Cess						
Total						

Note 1: The status of the application can be viewed by entering ARN through <Refund> Track Application Status” on the GST System Portal.

Note 2: It is a system generated acknowledgement and does not require any signature.

**FORM-GST-RFD-03***[See rule 90(3)]***Deficiency Memo**

Reference No. :

Date: &lt;DD/MM/YYYY&gt;

**To**

\_\_\_\_\_ (GSTIN/ UIN/ Temporary ID)  
 \_\_\_\_\_ (Name)  
 \_\_\_\_\_ (Address)

Subject: Refund Application Reference No. (ARN) .....Dated .....&lt;DD/MM/YYYY&gt;.....-Reg.

Sir/Madam,

This has reference to your above mentioned application filed under section 54 of the Act. Upon scrutiny of your application, certain deficiencies have been noticed below:

Sr No	Description( select the reason from the drop down of the Refund application)
1.	<MULTI SELECT OPTION>
2.	
	Other <TEXT BOX> { <i>any other reason other than the reason select from the 'reason master'</i> }

You are advised to file a fresh refund application after rectification of above deficiencies

Date:

Signature (DSC):

Place:

Name of Proper Officer:

Designation:

Office Address:

**FORM-GST-RFD-04**

[See rule 91(2)]

Sanction Order No:

Date: <DD/MM/YYYY>

**To**

\_\_\_\_\_ (GSTIN)  
 \_\_\_\_\_ (Name)  
 \_\_\_\_\_ (Address)

**Provisional Refund Order**

Refund Application Reference No. (ARN) .....Dated .....<DD/MM/YYYY>.....-

Acknowledgement No. ....Dated .....<DD/MM/YYYY>.....

Sir/Madam,

With reference to your above mentioned application for refund, the following amount is sanctioned to you on a provisional basis:

Sr. No	Description	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
i.	Amount of refund claimed					
ii.	10% of the amount claimed as refund (to be sanctioned later)					
iii.	Balance amount (i-ii)					
iv.	Amount of refund sanctioned					
	<b>Bank Details</b>					
v.	Bank Account No. as per application					
vi.	Name of the Bank					
vii.	Address of the Bank /Branch					
viii.	IFSC					
ix.	MICR					

Date:  
Place:

Signature (DSC):  
Name:  
Designation:  
Office Address:

**FORM-GST-RFD-05***[See rule 91(3), 92(4), 92(5) & 94]***Payment Advice**

Payment Advice No: -

Date: &lt;DD/MM/YYYY&gt;

To &lt;Centre&gt; PAO/ Treasury/ RBI/ Bank

Refund Sanction Order No. ....

Order Date.....&lt;DD/MM/YYYY&gt;.....

GSTIN/ UIN/ Temporary ID &lt;&gt;

Name: &lt;&gt;

Refund Amount (as per Order):

	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
Net Refund amount sanctioned					
Interest on delayed Refund					
Total					

	Details of the Bank	
i.	Bank Account no as per application	
ii.	Name of the Bank	
iii.	Name and Address of the Bank /branch	
iv.	IFSC	
v.	MICR	

Date:

Place:

Signature (DSC):

Name:

Designation:

Office Address:

To

\_\_\_\_\_ (GSTIN/ UIN/ Temporary ID)

\_\_\_\_\_ (Name)

\_\_\_\_\_ (Address)



**FORM-GST-RFD-06**

[See rule 92(1),92(3),92(4),92(5) & 96(7)]

Order No.:

Date: <DD/MM/YYYY>

To

\_\_\_\_\_ (GSTIN/ UIN/ Temporary ID)

\_\_\_\_\_ (Name)

\_\_\_\_\_ (Address)

Show cause notice No. (If applicable)

Acknowledgement No. ....

Dated .....<DD/MM/YYYY>

**Refund Sanction/Rejection Order**

Sir/Madam,

This has reference to your above mentioned application for refund filed under section 54 of the Act\*/ interest on refund\*.

Upon examination of your application, the amount of refund sanctioned to you, after adjustment of dues (where applicable) is as follows:

*\*Strike out whichever is not applicable*

Sr no	Description	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
i.	Amount of refund/interest* claimed					
ii.	Refund sanctioned on provisional basis (Order No....date) (if applicable)					
iii.	Refund amount inadmissible <<reason dropdown>> <Multiple reasons to be allowed>					
iv.	Gross amount to be paid (1-2-3)					
v.	Amount adjusted against outstanding demand (if any) under the existing law or under the Act. Demand Order No..... date....., Act Period <Multiple rows possible- add row to be given>					
vi.	Net amount to be paid					

*\*Strike out whichever is not applicable*

&1. I hereby sanction an amount of INR \_\_\_\_\_ to M/s \_\_\_\_\_ having GSTIN \_\_\_\_\_ under sub-section (5) of section 54) of the Act/under section 56 of the Act<sup>@</sup>

*@Strike out whichever is not applicable*

(a) <sup>#</sup>and the amount is to be paid to the bank account specified by him in his application/

(b) the amount is to be adjusted towards recovery of arrears as specified at serial number 5 of the Table above/

- (c) an amount of -----rupees is to be adjusted towards recovery of arrears as specified at serial number 5 of the Table above and the remaining amount of ----rupees is to be paid to the bank account specified by him in his application<sup>#</sup> . .

<sup>#</sup>*Strike-out whichever is not applicable.*

Or

<sup>&2.</sup> I hereby credit an amount of INR \_\_\_\_\_ to Consumer Welfare Fund under sub-section (...) of Section (...) of the Act. .

<sup>&3.</sup> I hereby reject an amount of INR \_\_\_\_\_ to M/s \_\_\_\_\_ having GSTIN \_\_\_\_ under sub-section (...) of Section (...) of the Act.

<sup>&</sup>*Strike-out whichever is not applicable*

Date:

Place:

Signature (DSC):

Name:

Designation:

Office Address:

**FORM-GST-RFD-07**

[See rule 92(1), 92(2) & 96(6)]

Reference No.

Date: <DD/MM/YYYY>

**To**

\_\_\_\_\_ (GSTIN/UIN/Temp.ID No.)

\_\_\_\_\_ (Name)

\_\_\_\_\_ (Address)

Acknowledgement No. ....

Dated .....<DD/MM/YYYY>.....

**Order for Complete adjustment of sanctioned Refund**

**Part- A**

Sir/Madam,

With reference to your refund application as referred above and further furnishing of information/ filing of documents against the amount of refund sanctioned to you has been completely adjusted against outstanding demands as per details below:

	<b>Refund Calculation</b>	Integrated Tax	Central Tax	State Tax	UT Tax	Cess
i.	Amount of Refund claimed					
ii.	Net Refund Sanctioned on Provisional Basis (Order No...date)					
iii.	Refund amount inadmissible rejected <<reason dropdown>>					
iv.	Refund admissible (i-ii-iii)					
v.	Refund adjusted against outstanding demand (as per order no.) under existing law or under this law. . Demand Order No..... date..... <Multiple rows may be given>					
vi.	Balance amount of refund	Nil	Nil			Nil

I hereby, order that the amount of claimed / admissible refund as shown above is completely adjusted against the outstanding demand under this Act / under the existing law. This application stands disposed as per provisions under sub-section (...) of Section (...) of the Act.

**OR**

**Part-B**

**Order for withholding the refund**

With reference to your refund application as referred above and further furnishing of information/ filing of documents against the amount of refund sanctioned to you has been withheld against following reasons as per details below:

Refund Order No.:						
Date of issuance of Order:						
	<b>Refund Calculation</b>	Integrated Tax	Central Tax	State Tax	UT Tax	Cess

i.	Amount of Refund Sanctioned					
ii.	Amount of Refund Withheld					
iii.	Amount of Refund Allowed					

Reasons for withholding of the refund:

<<Text>>
----------

I hereby, order that the amount of claimed / admissible refund as shown above is withheld for the above mention reason. This order is issued as per provisions under sub-section (...) of Section (...) of the Act.

Date:  
Place:

Signature (DSC):  
Name:  
Designation:  
Office Address:

**FORM-GST-RFD-08**

[See rule 92(3)]

**Notice for rejection of application for refund**

SCN No.:

Date: <DD/MM/YYYY>

**To**

\_\_\_\_\_ (GSTIN/ UIN/ Temporary ID)  
 \_\_\_\_\_ (Name)  
 \_\_\_\_\_ (Address)

ACKNOWLEDGEMENT No.....

ARN.....

Dated .....<DD/MM/YYYY>.....

This has reference to your above mentioned application for refund, filed under section 54 of the Act. On examination, it appears that refund application is liable to be rejected on account of the following reasons:

Sr No	Description (select the reasons of inadmissibility of refund from the drop down)	Amount Inadmissible
i.		
ii		
iii	Other{ <i>any other reason other than the reasons mentioned in 'reason master'</i> }	

You are hereby called upon to show cause as to why your refund claim, to the extent of the amount specified above, should not be rejected for reasons stated above.

You are hereby directed to furnish a reply to this notice within fifteen days from the date of service of this notice.

You are also directed to appear before the undersigned on DD/MM/YYYY at HH/MM.

If you fail to furnish a reply within the stipulated date or fail to appear for personal hearing on the appointed date and time, the case will be decided ex parte on the basis of available records and on merits.

Date:  
Place:

Signature (DSC):  
Name:  
Designation:  
Office Address:

**FORM-GST-RFD-09***[See rule 92(3)]***Reply to show cause notice**

Date: &lt;DD/MM/YYYY&gt;

1.	Reference No. of Notice		Date of issue	
2.	GSTIN / UIN			
3.	Name of business (Legal)			
4.	Trade name, if any			
5.	Reply to the notice			
6.	List of documents uploaded			
7.	<p>Verification I _____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.</p> <p style="text-align: right;">Signature of Authorised Signatory Name Designation/Status</p> <p>Place Date --- DD/MM/YYYY</p>			

Place

Signature of Authorised Signatory

Date

(Name)

Designation/ Status

**FORM GST RFD-10**

[See rule 95(1)]

**Application for Refund by any specialized agency of UN or any Multilateral Financial Institution and Organization, Consulate or Embassy of foreign countries, etc.**

1. UIN \_\_\_\_\_ :
2. Name \_\_\_\_\_ :
3. Address \_\_\_\_\_ :
4. Tax Period (Quarter) \_\_\_\_\_ : From <DD/MM/YY> To <DD/MM/YY>
5. Amount of Refund Claim \_\_\_\_\_ : <INR> <In Words>

	Amount
Central Tax	
State Tax	
UT Tax	
Integrated Tax	
Cess	
Total	

6. Details of Bank Account:

- a. Bank Account Number
- b. Bank Account Type
- c. Name of the Bank
- d. Name of the Account Holder/Operator
- e. Address of Bank Branch
- f. IFSC
- g. MICR

7. Reference number and date of furnishing **FORM GSTR-11**

8. Verification

I \_\_\_\_\_ as an authorised representative of << Name of Embassy/international organization >> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

That we are eligible to claim such refund as specified agency of UNO/Multilateral Financial Institution and Organization, Consulate or Embassy of foreign countries/ any other person/ class of persons specified/ notified by the Government.

Date:  
Place:

Signature of Authorised Signatory:  
Name:  
Designation / Status:

**Form GST ASMT - 01***[See rule 98(1)]***Application for Provisional Assessment under section 60**

1. GSTIN	
2. Name	
3. Address	

4. Details of Commodity / Service for which tax rate / valuation is to be determined								
Sr. No.	HSN	Name of commodity /service	Tax rate				Valuation	Average monthly turnover of the commodity / service
			Central tax	State/ UT tax	Integrated tax	Cess		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Reason for seeking provisional assessment								
6. Documents filed								

7. Verification-

I \_\_\_\_\_ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory  
Name  
Designation / Status -----  
Date -----



**Form GST ASMT - 02**

[See rule 98(2)]

Reference No.:

Date:

To

\_\_\_\_\_ GSTIN  
 -----Name  
 \_\_\_\_\_ (Address)

Application Reference No. (ARN) .....

Dated .....

**Notice for Seeking Additional Information / Clarification / Documents for provisional assessment**

Please refer to your application referred to above. While examining your request for provisional assessment, it has been found that the following information/documents are required for processing the same:

<< text >>

You are, therefore, requested to provide the information /documents within a period of << 15 days>> from the date of service of this notice to enable this office to take a decision in the matter. Please note that in case no information is received by the stipulated date your application is liable to be rejected without any further reference to you.

You are requested to appear before the undersigned for personal hearing on << Date --- Time ---Venue --->>.

Signature  
 Name  
 Designation

**Form GST ASMT – 03***[See rule 98(2)]***Reply to the notice seeking additional information**

1. GSTIN		
2. Name		
3. Details of notice vide which additional information sought	Notice No.	Notice date
4. Reply		
5. Documents filed		

**6. Verification-**

I \_\_\_\_\_ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory

Name

Designation / Status -----

Date

**Form GST ASMT – 04***[See rule 98(3)]*

Reference No.: .....

Date

To

GSTIN -

Name -

Address -

Application Reference No. (ARN) .....

Dated .....

**Order of Provisional Assessment**

This has reference to your application mentioned above and reply dated-----, furnishing information/documents in support of your request for provisional assessment. Upon examination of your application and the reply, the provisional assessment is allowed as under:

&lt;&lt; text &gt;&gt;

The provisional assessment is allowed subject to furnishing of security amounting to Rs.----- (in words) in the form of ----- (mode) and bond in the prescribed format by ----- (date). Please note that if the bond and security are not furnished within the stipulated date, the provisional assessment order will be treated as null and void as if no such order has been issued.

Signature

Name

Designation

**Form GST ASMT - 05**  
*[See rule 98(4)]*  
**Furnishing of Security**

1. GSTIN					
2. Name					
3. Order vide which security is prescribed			Order No.	Order date	
4. Details of the security furnished					
Sr. No.	Mode	Reference no. / Debit entry no. (for cash payment)	Date	Amount	Name of Bank
1	2	3	4	5	6

Note – Hard copy of the bank guarantee and bond shall be submitted on or before the due date mentioned in the order.

5. Declaration -

- (i) The above-mentioned bank guarantee is submitted to secure the differential tax on the supply of goods and/or services in respect of which I/we have been allowed to pay taxes on provisional basis.
- (ii) I undertake to renew the bank guarantee well before its expiry. In case I/We fail to do so the department will be at liberty to get the payment from the bank against the bank guarantee.
- (iii) The department will be at liberty to invoke the bank guarantee provided by us to cover the provisional assessment in case we fail to furnish the required documents/ information to facilitate finalization of provisional assessment.

Signature of Authorised Signatory

Name

Designation / Status -----

Date -----

**Bond for provisional assessment**  
*[Rule 98(3) & 98(4)]*

I/We.....of.....,hereinafter called "obligor(s)", am/are held and firmly bound to the President of India (hereinafter called "the President"/ the Governor of .....(State) (hereinafter called the "Governor") in the sum of.....rupees to be paid to the President/ Governor for which payment will and truly to be made. I/We jointly and severally bind myself/ourselves and my/our respective heirs/ executors/ administrators/ legal representatives/successors and assigns by these presents; Dated this.....day of.....;

WHEREAS final assessment of Integrated tax/ central tax/ State tax / Union territory tax on ..... (name of goods/services or both-HSN:.....) supplied by the above bounded obligor from time to time could not be made for want of full information with regard to the value or rate of tax applicable thereto;  
and whereas the obligor desires that the provisional assessment in accordance with the provisions of Section 60 be made;

AND WHEREAS the Commissioner has required the obligor to furnish bank guarantee for an amount of ..... rupees endorsed in favour of the President/ Governor and whereas the obligor has furnished such guarantee by depositing with the Commissioner the bank guarantee as aforementioned;

The condition of this bond is that the obligor and his representative observe all the provisions of the Act in respect of provisional assessment under section 60;

And if all dues of Integrated tax/ Central tax/ State tax/ Union territory tax or other lawful charges, which shall be demandable after final assessment, are duly paid to the Government along with interest, if any, within thirty days of the date of demand thereof being made in writing by the said Officer, this obligation shall be void;

OTHERWISE and on breach or failure in the performance of any part of this condition, the same shall be in full force and virtue:

AND the President/ Governor shall, at his option, be competent to make good all the loss and damages from the amount of bank guarantee or by endorsing his rights under the above-written bond or both;

I/We further declare that this bond is given under the orders of the Central Government/ State Government for the performance of an act in which the public are interested;

IN THE WITNESS THEREOF these presents have been signed the day hereinbefore written by the obligor(s).

Signature(s) of obligor(s).

Date :

Place :

## Witnesses

(1) Name and Address

Occupation

(2) Name and Address

Occupation

Date

Place

## Witnesses

(1) Name and Address

Occupation

(2) Name and Address

Occupation

Accepted by me this.....day of ..... (month).....  
(year)

.....of ..... (Designation)  
for and on behalf of the President of India./ Governor of ..... (state)".

**Form GST ASMT - 06***[See rule 98(5)]*

Reference No.:

Date:

To

GSTIN -

Name -

Address -

Application Reference No. (ARN) .....

Date .....

Provisional Assessment order no. -

Date ----

**Notice for seeking additional information / clarification / documents for final assessment**

Please refer to your application and provisional assessment order referred to above. The following information / documents are required for finalization of provisional assessment:

&lt;&lt; text &gt;&gt;

You are, therefore, requested to provide the information /documents within a period of << 15 days>> from the date of receipt of this notice to enable this office to take a decision in the matter. Please note that in case no information is received by the stipulated date your application is liable to be rejected without making any further reference to you.

You are requested to appear before the undersigned for personal hearing on << Date ---  
Time ---Venue --->>.

Signature  
Name  
Designation

**Form GST ASMT – 07***[See rule 98(5)]*

Reference No.: .....

Date

To

GSTIN  
Name  
Address

Provisional Assessment order No. ....

dated .....

**Final Assessment Order**

Preamble - &lt;&lt; Standard &gt;&gt;

In continuation of the provisional assessment order referred to above and on the basis of information available / documents furnished, the final assessment order is issued as under:

Brief facts –

Submissions by the applicant -

Discussion and finding -

Conclusion and order -

The security furnished for the purpose can be withdrawn after compliance with the order by filing an application.

Signature  
Name

Designation



**Form GST ASMT - 08**  
[See rule 98(6)]

**Application for Withdrawal of Security**

1. GSTIN					
2. Name					
3. Details vide which security furnished				ARN	Date
4. Details of the security to be withdrawn					
Sr. No.	Mode	Reference no. / Debit entry no. (for cash payment)	Date	Amount	Name of Bank
1	2	3	4	5	6

5. Verification-

I \_\_\_\_\_ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory

Name

Designation / Status -

Date -

**Form GST ASMT – 09***[See rule 98(7)]*

Reference No.: .....

Date

To

\_\_\_\_\_ GSTIN

----- Name

\_\_\_\_\_ Address

Application Reference No. ....

dated .....

**Order for release of security or rejecting the application**

This has reference to your application mentioned above regarding release of security amounting to Rs. ----- [----- Rupees (in words)]. Your application has been examined and the same is found to be in order. The aforesaid security is hereby released. **Or** Your application referred to above regarding release of security was examined but the same was not found to be in order for the following reasons:

&lt;&lt; text &gt;&gt;

Therefore, the application for release of security is rejected.

Signature  
Name  
Designation  
Date

**Form GST ASMT - 10**  
*[See rule 99(1)]*

Reference No.:

Date:

To \_\_\_\_\_

GSTIN:

Name :

Address :

Tax period -

F.Y. -

**Notice for intimating discrepancies in the return after scrutiny**

This is to inform that during scrutiny of the return for the tax period referred to above, the following discrepancies have been noticed:

<< text >>

You are hereby directed to explain the reasons for the aforesaid discrepancies by -----  
(date). If no explanation is received by the aforesaid date, it will be presumed that you have nothing  
to say in the matter and proceedings in accordance with law may be initiated against you without  
making any further reference to you in this regard.

Signature  
Name  
Designation

**Form GST ASMT - 11**  
[See rule 99(2)]

**Reply to the notice issued under section 61 intimating discrepancies in the return**

1. GSTIN		
2. Name		
3. Details of the notice		Reference No.      Date
4. Tax Period		
5. Reply to the discrepancies		
Sr. No.	Discrepancy	Reply

6. Amount admitted and paid, if any -

Act	Tax	Interest	Others	Total

7. Verification-

I \_\_\_\_\_ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory

Name

Designation / Status -----

Date –

**Form GST ASMT-12**  
*[See rule 99(3)]*

Reference No.:

Date:

To

GSTIN  
Name  
Address

Tax period -  
ARN -

F.Y. -  
Date -

**Order of acceptance of reply against the notice issued under section 61**

This has reference to your reply dated ----- in response to the notice issued vide reference no. -----  
---- dated --- . Your reply has been found to be satisfactory and no further action is required to be  
taken in the matter.

Signature  
Name  
Designation

**Form GST ASMT - 13***[See rule 100(1)]*

Reference No.:  
 To \_\_\_\_\_  
 GSTIN -  
 Name -  
 Address -

Date:

Tax Period -  
 Notice Reference No.-

F.Y. –

Return Type -

Date -

**Assessment order under section 62**

Preamble - &lt;&lt; standard &gt;&gt;

The notice referred to above was issued to you under section 46 of the Act for failure to furnish the return for the said tax period. From the records available with the department, it has been noticed that you have not furnished the said return till date.

Therefore, on the basis of information available with the department, the amount assessed and payable by you is as under:

Introduction  
 Submissions, if any  
 Discussions and Findings  
 Conclusion

Amount assessed and payable (Details at Annexure):

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Tax Period	Act	Tax	Interest	Penalty	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Total</b>							

Please note that interest has been calculated upto the date of passing the order. While making payment, interest for the period between the date of order and the date of payment shall also be worked out and paid along with the dues stated in the order.

You are also informed that if you furnish the return within a period of 30 days from the date of service of this order, the order shall be deemed to have been withdrawn; otherwise, proceedings shall be initiated against you after the aforesaid period to recover the outstanding dues.

Signature  
 Name  
 Designation

**Form GST ASMT - 14**  
[See rule 100(2)]

Reference No:

Date:

To \_\_\_\_\_  
Name  
Address

Tax Period --

F.Y. -----

**Show Cause Notice for assessment under section 63**

It has come to my notice that you/your company/firm, though liable to be registered under section ----- of the Act, have/has failed to obtain registration and failed to discharge the tax and other liabilities under the said Act as per the details given below:

Brief Facts –  
Grounds –  
Conclusion -

**OR**

It has come to my notice that your registration has been cancelled under sub-section (2) of section 29 with effect from ----- and that you are liable to pay tax for the above mentioned period.

Therefore, you are hereby directed to show cause as to why a tax liability along with interest not be created against you for conducting business without registration despite being liable for registration and why penalty should not be imposed for violation of the provisions of the Act or the rules made thereunder.

In this connection, you are directed to appear before the undersigned on ----- (date) at ----  
--- (time)

Signature  
Name  
Designation

**Form GST ASMT - 15**

[See rule 100(2)]

Reference No.:

Date:

To

Temporary ID

Name

Address

**Tax Period -****F.Y. -**

SCN reference no. -

Date -

**Assessment order under section 63**

Preamble - &lt;&lt; standard &gt;&gt;

The notice referred to above was issued to you to explain the reasons for continuing to conduct business as an un-registered person, despite being liable to be registered under the Act.

**OR**

The notice referred to above was issued to you to explain the reasons as to why you should not pay tax for the period ..... as your registration has been cancelled under sub-section (2) of section 29 with effect from-----

Whereas, no reply was filed by you or your reply was duly considered during proceedings held on ----- date(s).

On the basis of information available with the department / record produced during proceedings, the amount assessed and payable by you is as under:

Introduction

Submissions, if any

Conclusion (to drop proceedings or to create demand)

Amount assessed and payable:- (details at Annexure)

(Amount in Rs.)

Sr No.	Tax Period	Act	Tax	Interest	Penalty	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Total</b>							

Please note that interest has been calculated upto the date of passing the order. While making payment, interest for the period between the date of order and the date of payment shall also be worked out and paid along with the dues stated in the order.

You are hereby directed to make the payment by << date >> failing which proceedings shall be initiated against you to recover the outstanding dues.

Signature

Name



**Form GST ASMT - 16**

[See rule 100(3)]

Reference No.:  
To

Date:

GSTIN/ID  
Name  
Address

Tax Period - F.Y. -

**Assessment order under section 64**

Preamble - << standard >>

It has come to my notice that un-accounted for goods are lying in stock at godown ----- (address) or in a vehicle stationed at ----- (address & vehicle detail) and you were not able to, account for these goods or produce any document showing the detail of the goods.

Therefore, I proceed to assess the tax due on such goods as under:

Introduction

Discussion & finding

Conclusion

Amount assessed and payable (details at Annexure)

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Tax Period	Act	Tax	Interest, if any	Penalty	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Total</b>							

Please note that interest has been calculated upto the date of passing the order. While making payment, interest for the period between the date of order and the date of payment shall also be worked out and paid along with the dues stated in the order.

You are hereby directed to make the payment by << date >> failing which proceedings shall be initiated against you to recover the outstanding dues.

Signature  
Name

**Form GST ASMT – 17***[See rule 100(4)]***Application for withdrawal of assessment order issued under section 64**

1. GSTIN /ID		
2. Name		
3. Details of the order	Reference No.	Date of issue of order
4. Tax Period, if any		
5. Grounds for withdrawal		
6. Verification-		
I _____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.		
Signature of Authorised Signatory		
Name _____		
Designation / Status -----		
Date -		

**Form GST ASMT - 18**  
[See rule 100(5)]

Reference No.:

Date:

GSTIN/ID  
Name  
Address

ARN -

Date -

**Acceptance or Rejection of application filed under section 64 (2)**

The reply furnished by you vide application referred to above has been considered and found to be in order and the assessment order no. ----- dated ----- stands withdrawn.

**OR**

The reply furnished by you vide application referred above has not been found to be in order for the following reasons:

<<Text box>>

Therefore, the application filed by you for withdrawal of the order is hereby rejected.

Signature  
Name  
Designation

**Form GST ADT - 01***[See rule 101(2)]*

Reference No.:

Date:

To,

-----

GSTIN .....

Name .....

Address .....

Period - F.Y.(s) - .....

**Notice for conducting audit**

Whereas it has been decided to undertake audit of your books of account and records for the financial year(s) ..... to ..... in accordance with the provisions of section 65. I propose to conduct the said audit at my office/at your place of business on -----.

And whereas you are required to:-

- (i) afford the undersigned the necessary facility to verify the books of account and records or other documents as may be required in this context, and
- (ii) furnish such information as may be required and render assistance for timely completion of the audit.

You are hereby directed to attend in person or through an authorised representative on ..... (date) at.....(place) before the undersigned and to produce your books of account and records for the aforesaid financial year(s) as required for audit.

In case of failure to comply with this notice, it would be presumed that you are not in possession of such books of account and proceedings as deemed fit may be initiated as per the provisions of the Act and the rules made thereunder against you without making any further correspondence in this regard.

Signature ...

Name .....

Designation .....

**Form GST ADT – 02**

[See rule 101(5)]

Reference No.:

Date:

To,

-----

GSTIN .....

Name .....

Address .....

Audit Report No. .... dated .....

**Audit Report under section 65(6)**

Your books of account and records for the F.Y..... has been examined and this Audit Report is prepared on the basis of information available / documents furnished by you and the findings are as under:

Short payment of	Integrated tax	Central tax	State /UT tax	Cess
Tax				
Interest				
Any other amount				

[Upload pdf file containing audit observation]

You are directed to discharge your statutory liabilities in this regard as per the provisions of the Act and the rules made thereunder, failing which proceedings as deemed fit may be initiated against you under the provisions of the Act.

Signature .....

Name .....

Designation .....

**Form GST ADT - 03***[See rule 102(1)]*

Reference No.:

Date:

To,

-----

GSTIN .....

Name .....

Address .....

Tax period - F.Y.(s) - .....

**Communication to the registered person for conduct of special audit under section 66**

Whereas the proceedings of scrutiny of return /enquiry/investigation/..... are going on;

And whereas it is felt necessary to get your books of account and records examined and audited by .....(name), chartered accountant / cost accountant nominated by the Commissioner;

You are hereby directed to get your books of account and records audited by the said chartered accountant / cost accountant.

Signature .....

Name .....

Designation .....

**Form GST ADT – 04**  
[See rule 102(2)]

Reference No.:

Date:

To,

-----  
GSTIN .....

Name .....

Address .....

**Information of Findings upon Special Audit**

Your books of account and records for the F.Y..... has been examined by -----  
(chartered accountant/cost accountant) and this Audit Report is prepared on the basis of information available / documents furnished by you and the findings/discrepancies are as under:

Short payment of	Integrated tax	Central tax	State /UT tax	Cess
Tax				
Interest				
Any other amount				

[Upload pdf file containing audit observation]

You are directed to discharge your statutory liabilities in this regard as per the provisions of the Act and the rules made thereunder, failing which proceedings as deemed fit may be initiated against you under the provisions of the Act.

Signature .....

Name .....

Designation .....

**Form GST ARA -01**

[See Rule 104(1)]

**Application Form for Advance Ruling**

1.	GSTIN Number, if any/ User-id		
2.	Legal Name of Applicant		
3.	Trade Name of Applicant (Optional)		
4.	Status of the Applicant [registered / un-registered]		
5.	Registered Address / Address provided while obtaining user id		
6.	Correspondence address, if different from above		
7.	Mobile No. [with STD/ISD code]		
8.	Telephone No. [with STD/ISD code]		
9.	Email address		
10.	Jurisdictional Authority <<name, designation, address>>		
11.	i. Name of Authorised representative		Optional
	ii. Mobile No.		iii. Email Address
12.	Nature of activity(s) (proposed / present) in respect of which advance ruling sought		
	A. Category		
	<input type="checkbox"/>		
	Factory / Manufacturing	Wholesale Business	Retail Business
	Warehouse/Deport	Bonded Warehouse	Service Provision
	Office/Sale Office	Leasing Business	Service Recipient
	EOU/ STP/ EHTP	SEZ	Input Service Distributor (ISD)
	Works Contract		
	B. Description (in brief)	(Provision for file attachment also)	
13.	Issue/s on which advance ruling required (Tick whichever is applicable) :-		



	(i) classification of goods and/or services or both	<input type="checkbox"/>
	(ii) applicability of a notification issued under the provisions of the Act	<input type="checkbox"/>
	(iii) determination of time and value of supply of goods or services or both	<input type="checkbox"/>
	(iv) admissibility of input tax credit of tax paid or deemed to have been paid	<input type="checkbox"/>
	(v) determination of the liability to pay tax on any goods or services or both	<input type="checkbox"/>
	(vi) whether applicant is required to be registered under the Act	<input type="checkbox"/>
	(vii) whether any particular thing done by the applicant with respect to any goods and/or services or both amounts to or results in a supply of goods and/or services or both, within the meaning of that term	<input type="checkbox"/>
14.	Question(s) on which advance ruling is required	
15.	Statement of relevant facts having a bearing on the question(s) raised.	
16.	Statement containing the applicant's interpretation of law and/or facts, as the case may be, in respect of the aforesaid question(s) (i.e. applicant's view point and submissions on issues on which the advance ruling is sought).	
17.	I hereby declare that the question raised in the application is not (tick) - <input checked="" type="checkbox"/>	
	a. Already pending in any proceedings in the applicant's case under any of the provisions of the Act b. Already decided in any proceedings in the applicant's case under any of the provisions of the Act	
18.	Payment details	Challan Identification Number (CIN) – Date -

**VERIFICATION**

I, \_\_\_\_\_ (name in full and in block letters), son/daughter/wife of \_\_\_\_\_ do hereby solemnly declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the annexure(s), including the documents is correct. I am making this application in my capacity as \_\_\_\_\_ (designation) and that I am competent to make this application and verify it.

Place \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

Signature  
Name of Applicant/Authorised Signatory  
Designation/Status

**Form GST ARA -02**

[See Rule 106(1)]

**Appeal to the Appellate Authority for Advance Ruling**

Sr. No.	Particulars	Remarks
1	Advance Ruling No.	
2	Date of communication of the advance ruling	DD/MM/YYYY
3	GSTIN / User id of the appellant	
4	Legal Name of the appellant.	
5	Trade Name of the appellant (optional).	
6	Address of appellant at which notices may be sent	
7	Email Address of the appellant	
8	Mobile number of the appellant	
9	Jurisdictional officer / concerned officer	
10	Designation of jurisdictional officer / concerned officer	
11	Email Address of jurisdictional officer / concerned officer	
12	Mobile number of jurisdictional officer / concerned officer	
13	Whether the appellant wishes to be heard in person?	Yes/No
14.	The facts of the case (in brief)	
15.	Ground of Appeal	
16.	Payment details	Challan Identification Number (CIN) – Date -
<b>Prayer</b>		
<p>In view of the foregoing, it is respectfully prayed that the Ld. Appellate Authority, &lt;Place&gt; may be pleased to:</p> <p>a. set aside/modify the impugned advance ruling passed by the Authority for Advance Ruling as prayed above;</p> <p>b. grant a personal hearing; and</p> <p>c. pass any such further or other order (s) as may be deemed fit and proper in facts and circumstances of the case.</p> <p>And for this act of kindness, the appellant, as is duty bound, shall ever pray.</p>		

**VERIFICATION**

I, \_\_\_\_\_ (name in full and in block letters), son/daughter/wife of \_\_\_\_\_ do hereby solemnly declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the annexure(s), including the documents is correct. I am making this application in my capacity as \_\_\_\_\_ (designation) and that I am competent to make this application and verify it.

Place \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

Signature  
Name of Appellant/Authorised Signatory  
Designation/ Status

**Form GST ARA -03**

[See Rule 106(2)]

**Appeal to the Appellate Authority for Advance Ruling**

Sr. No.	Particulars	Remarks
1	Advance Ruling No.	
2	Date of communication of the advance ruling	DD/MM/YYYY
3	GSTIN, if any / User id of the person who had sought advance ruling	
4	Legal Name of the person referred to in serial number 3.	
5	Name and designation of jurisdictional officer / concerned officer	
6	Email Address of jurisdictional officer / concerned officer	
7	Mobile number of jurisdictional officer / concerned officer	
8	Whether the jurisdictional officer / concerned officer wishes to be heard in person?	Yes/No
9.	Facts of the case (in brief)	
10.	Grounds of Appeal	
<b>Prayer</b>		
<p>In view of the foregoing, it is respectfully prayed that the Ld. Appellate Authority, &lt;Place&gt; may be pleased to:</p> <p>a. set aside/modify the impugned advance ruling passed by the Authority for Advance Ruling as prayed above;</p> <p>b. grant a personal hearing; and</p> <p>c. pass any such further or other order (s) as may be deemed fit and proper in facts and circumstances of the case.</p>		

**VERIFICATION**

I, \_\_\_\_\_ (name in full and in block letters), son/daughter/wife of \_\_\_\_\_ do hereby solemnly declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above and in the annexure(s), including the documents are correct. I am making this application in my capacity as \_\_\_\_\_ (designation) and that I am competent to make this application and verify it.

Place \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

Signature  
Name and designation of the concerned officer / jurisdictional officer

**Form GST APL - 01***[See rule108(1)]****Appeal to Appellate Authority***

1. GSTIN/ Temporary ID/UIN-
2. Legal name of the appellant -
3. Trade name, if any -
4. Address -
5. Order no.- Order date -
6. Designation and address of the officer passing the order appealed against -
7. Date of communication of the order appealed against -
8. Name of the authorised representative -
9. Details of the case under dispute -
  - (i) Brief issue of the case under dispute -
  - (ii) Description and classification of goods/ services in dispute-
  - (iii) Period of dispute-
  - (iv) Amount under dispute:

Description	Central tax	State/ UT tax	Integrated tax	Cess
a) Tax/ Cess				
b) Interest				
c) Penalty				
d) Fees				
e) Other charges				

- (v) Market value of seized goods
10. Whether the appellant wishes to be heard in person – Yes / No
11. Statement of facts:-
12. Grounds of appeal:-
13. Prayer:-

14. Amount of demand created, admitted and disputed

Particulars of demand/refund	Particulars		Central tax	State/ UT tax	Integrated tax	Cess	Total amount	
	Amount of demand created						< total >	< total >
	a) Tax/ Cess						< total >	< total >
	b) Interest						< total >	< total >

	(A)	c) Penalty					< total >	< total >
		d) Fees					< total >	
		e) Other charges					< total >	
	Amount of demand admitted (B)	a) Tax/ Cess					< total >	
		b) Interest					< total >	
		c) Penalty					< total >	
		d) Fees					< total >	
		e) Other charges					< total >	
	Amount of demand disputed (C)	a) Tax/ Cess					< total >	
		b) Interest					< total >	
		c) Penalty					< total >	
		d) Fees					< total >	
		e) Other charges					< total >	

15. Details of payment of admitted amount and pre-deposit:-

(a) Details of payment required

Particulars		Central tax	State/ UT tax	Integrated tax	Cesses	Total amount	
a) Admitted amount	Tax/ Cess					< total >	< total >
	Interest					< total >	
	Penalty					< total >	
	Fees					< total >	
	Other charges					< total >	
b) Pre-deposit (10% of disputed tax)	Tax/ Cess					< total >	

(b) Details of payment of admitted amount and pre-deposit (pre-deposit 10% of the disputed tax and cess)

Sr. No.	Description	Tax payable	Paid through Cash/ Credit Ledger	Debit entry no.	Amount of tax paid			
					Central tax	State/UT tax	Integrated tax	CESS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Integrated tax		Cash Ledger					
			Credit Ledger					
2.	Central tax		Cash Ledger					
			Credit Ledger					
3.	State/UT tax		Cash Ledger					
			Credit Ledger					
4.	CESS		Cash Ledger					
			Credit Ledger					

(c) Interest, penalty, late fee and any other amount payable and paid

Sr. No.	Description	Amount payable				Debit entry no.	Amount paid			
		Integrated tax	Central tax	State/UT tax	CESS		Integrated tax	Central tax	State/UT tax	CESS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Interest									
2.	Penalty									
3.	Late fee									
4.	Others (specify)									

16. Whether appeal is being filed after the prescribed period - Yes / No

17. If 'Yes' in item 16 –

(a) Period of  
delay –

(b) Reasons  
for delay -

### Verification

I, < \_\_\_\_\_ >, hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place:

Date:

<Signature>

Name of the Applicant:

**Form GST APL – 02**

*[See rule 108(3)]*

***Acknowledgment for submission of appeal***

**<Name of applicant><GSTIN/Temp ID/UIN/Reference Number with date>**

Your appeal has been successfully filed against < Application Reference Number >

1. Reference Number-
2. Date of filing-
3. Time of filing-
4. Place of filing-
5. Name of the person filing the appeal-
6. Amount of pre-deposit-
7. Date of acceptance/rejection of appeal-
8. Date of appearance-
9. Court Number/ Bench

Date:Time:

Court:Bench:

Place:

Date:

**< Signature >**

Name:

Designation:

On behalf of Appellate Authority/Appellate  
Tribunal/Commissioner / Additional or Joint Commissioner

**Form GST APL - 03***[See rule 109(1)]****Application to the Appellate Authority under sub-section (2) of Section 107***

1. Name and designation of the appellant
- Name-  
Designation-  
Jurisdiction-  
State/Center-  
Name of the State-
2. GSTIN/ Temporary ID /UIN-
3. Order no.Date-
4. Designation and address of the officer passing the order appealed against-
5. Date of communication of the order appealed against-
6. Details of the case under dispute-
- (i) Brief issue of the case under dispute-
- (ii) Description and classification of goods/ services in dispute-
- (iii) Period of dispute-
- (iv) Amount under dispute-

Description	Central tax	State/ UT tax	Integrated tax	Cess
a) Tax/ Cess				
b) Interest				
c) Penalty				
d) Fees				
e) Other charges				

7. Statement of facts-
8. Grounds of appeal-
9. Prayer-
10. Amount of demand in dispute, if any -

Particulars of demand/refund,	Particulars	Central tax	State/UT tax	Integrated tax	Cess	Total amount
-------------------------------	-------------	-------------	--------------	----------------	------	--------------



if any	Amount of demand created,if any (A)	a) Tax/ Cess					< total >	< total >
		b) Interest					< total >	
		c) Penalty					< total >	
		d) Fees					< total >	
		e) Other charges					< total >	
	Amount under dispute (B)	a) Tax/ Cess					< total >	< total >
		b) Interest					< total >	
		c) Penalty					< total >	
		d) Fees					< total >	
		e) Other charges					< total >	

Date:

< Signature >

Name of the Applicant Officer:  
 Designation:  
 Jurisdiction:

**Form GST APL – 04***[See rules 113(1) & 115]***Summary of the demand after issue of order by the Appellate Authority, Tribunal or Court**

Order no. -

Date of order -

1. GSTIN/ Temporary ID/UIN-
2. Name of the appellant-
3. Address of the appellant-
4. Order appealed against- Number-      Date-
5. Appeal no.                                      Date-
6. Personal Hearing –
7. Order in brief-
8. Status of order- Confirmed/Modified/Rejected
9. Amount of demand confirmed:

Particulars	Central tax		State/UT tax		Integrated tax		Cess		Total	
	Disputed Amount	Determined Amount	Disputed Amount	Determined Amount	Disputed Amount	Determined Amount	Disputed Amount	Determined Amount	Disputed Amount	Determined Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Tax										
b) Interest										
c) Penalty										
d) Fees										
e) Others										
f) Refund										

Place:

Date:

**< Signature >**

&lt;Name of the Appellate Authority /Tribunal/ Jurisdictional Officer&gt;

Designation:

Jurisdiction:





1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Integrated tax		Cash Ledger					
			Credit Ledger					
2.	Central tax		Cash Ledger					
			Credit Ledger					
3.	State/UT tax		Cash Ledger					
			Credit Ledger					
4.	CESS		Cash Ledger					
			Credit Ledger					

**(c) Interest, penalty, late fee and any other amount payable and paid:**

Sr. No.	Description	Amount payable				Debit entry no.	Amount paid			
		Integrated tax	Central tax	State/UT tax	CESS		Integrated tax	Central tax	State/UT tax	CESS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Interest									
2.	Penalty									
3.	Late fee									
4.	Others (specify)									

**Verification**

I, < \_\_\_\_\_ >, hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place:

Date:

< Signature >

Name of the Applicant:

Designation /Status:

**Form GST APL – 06**

[See rule 110(2)]

**Cross-objections before the Appellate Tribunal**

under sub-section (5) of section 112

Sr. No.	Particulars					
1	AppealNo. -		Date of filing -			
2	GSTIN/ Temporary ID/UIN-					
3	Name of the appellant-					
4	Permanent address of the appellant-					
5	Address for communication-					
6	Order no.			Date-		
7.	Designation and Address of the officer passing the order appealed against-					
8.	Date of communication of the order appealed against-					
9.	Name of the representative-					
10.	Details of the case under dispute-					
(i)	Brief issue of the case under dispute-					
(ii)	Description and classification of goods/ services in dispute-					
(iii)	Period of dispute-					
(iv)	Amount under dispute	Central tax	State/UT tax	Integrated tax	Cess	
	a) Tax					
	b) Interest					
	c) Penalty					
	d) Fees					
	e) Other charges (specify)					
(v)	Market value of seized goods-					
11	State or Union Territory and the Commissionerate (Centre) in which the order or decision was passed (Jurisdiction details)-					
12	Date of receipt of notice of appeal or application filed with the Appellate Tribunal by the appellant or the Commissioner of State/Central tax/UT tax, as the case may be-					
13	Whether the decision or order appealed against involves any question relating to place of supply - Yes                      No					
14	In case of cross-objections filed by a person other than the Commissioner of State/UT tax/Central tax					
	(i) Name of the Adjudicating Authority-					
	(ii) Order Number and date of Order-					
	(iii) GSTIN/UIN/Temporary ID-					
	(iv) Amount involved:					
	Head	Tax	Interest	Penalty	Refund	Total

	Integrated tax					
	Central tax					
	State/UT tax					
	Cess					
15	Details of payment					
	Head	Tax	Interest	Penalty	Refund	Total
	Central tax					
	State/UT tax					
	Integrated tax					
	Cess					
	Total					
16	In case of cross-objections filed by the Commissioner State/UT tax/Central tax:					
	(i)	Amount of tax demand dropped or reduced for the period of dispute				
	(ii)	Amount of interest demand dropped or reduced for the period of dispute				
	(iii)	Amount of refund sanctioned or allowed for the period of dispute				
	(iv)	Whether no or lesser amount imposed as penalty				
		TOTAL				
17	Reliefs claimed in memorandum of cross -objections.					
18	Grounds of Cross objection					
	<b>Verification</b>					

	<p>I, _____ the respondent, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.</p> <p>Verified today, the _____ day of _____ 20... _____</p> <p>Place: Date: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">&lt;Signature&gt;</span></p> <p>Name of the Applicant/ Officer: Designation/Status of Applicant/ officer:</p>
--	--





Particulars of demand, if any	Particulars		Central tax	State/ UT tax	Integrated tax	Cess	Total amount	
							< total >	< total >
	Amount of demand created, if any (A)	a) Tax/ Cess					< total >	< total >
		b) Interest					< total >	
		c) Penalty					< total >	
		d) Fees					< total >	
		e) Other charges					< total >	
	Amount under dispute (B)	a) Tax/ Cess					< total >	< total >
		b) Interest					< total >	
		c) Penalty					< total >	
		d) Fees					< total >	
		e) Other charges					< total >	

Place:

Date

:&lt;Signature&gt;

Name of the Officer:

Designation:

Jurisdiction:-

**Form GST APL – 08**

[See rule 114(1)]

**Appeal to the High Court under section 117**

1. Appeal filed by -----Taxable person / Government of <-->
2. GSTIN/ Temporary ID/UIN-  
Name of the appellant/ officer-
3. Permanent address of the appellant, if applicable-
4. Address for communication-
5. Order appealed against                      Number                      Date-
6. Name and Address of the Appellate Tribunal passing the order appealed against-
7. Date of communication of the order appealed against-
8. Name of the representative
9. Details of the case under dispute:
  - (i) Brief issue of the case under dispute with synopsis
  - (ii) Description and classification of goods/ services in dispute
  - (iii) Period of dispute
  - (iv) Amount under dispute

Description	Central tax	State/UT tax	Integrated tax	Cess
a) Tax/ Cess				
b) Interest				
c) Penalty				
d) Fees				
e) Other charges				

Market value of seized goods

10. Statement of facts
11. Grounds of appeal
12. Prayer
13. Annexure(s) related to grounds of appeal

**Verification**

I, < \_\_\_\_\_ >, hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place:

Date:

<Signature>

Name:



6. Details of capitals goods for which unavailed credit has not been carried forward under existing law (section 140 (2)).

(a) Amount of unavailed cenvat credit in respect of capital goods carried forward to electronic credit ledger as central tax

Sr. no	Invoice / Document no.	Invoice / document Date	Supplier's registration no. under existing law	Recipients' registration no. under existing law	Details of capital goods on which credit has been partially availed		Total eligible cenvat credit under existing law	Total cenvat credit availed under existing law	Total cenvat credit unavailed under existing law (admissible as ITC of central tax) (9-10)	
					Value	Duties and taxes paid				
						ED/ CVD				SAD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Total</b>								

(b) Amount of unavailed input tax credit carried forward to electronic credit ledger as State/UT tax  
(For all registrations on the same PAN and in the same State)

Sr. no	Invoice / Document no.	Invoice / document Date	Supplier's registration no. under existing law	Recipients' registration no. under existing law	Details regarding capital goods on which credit is not availed		Total eligible VAT [and ET] credit under existing law	Total VAT [and ET] credit availed under existing law	Total VAT [and ET] credit unavailed under existing law (admissible as ITC of State/UT tax) (8-9)
					Value	Taxes paid VAT [and ET]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Total</b>							

7. Details of the inputs held in stock in terms of sections 140(3), 140(4)(b), 140(5) and 140(6).

(a) Amount of duties and taxes on inputs claimed as credit excluding the credit claimed under Table 5(a) (under sections 140(3), 140(4)(b) and 140(6))

Sr. no.	Details of inputs held in stock or inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock				
	HSN (at 6 digit level)	Unit	Qty.	Value	Eligible Duties paid on such inputs
1	2	3	4	5	6
<b>7A Where duty paid invoices are available</b>					
Inputs					

Inputs contained in semi-finished and finished goods					
<b>7B Where duty paid invoices are not available (Applicable only for person other than manufacturer or service provider) – Credit in terms of Rule 117 (4)</b>					
Inputs					

(b) Amount of eligible duties and taxes/VAT/[ET] in respect of inputs or input services under section 140(5):

Name of the supplier	Invoice number	Invoice date	Description	Quantity	UQC	Value	Eligible duties and taxes	VAT/[ET]	Date on which entered in recipients books of account
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(c) Amount of VAT and Entry Tax paid on inputs supported by invoices/documents evidencing payment of tax carried forward to electronic credit ledger as SGST/UTGST under sections 140(3), 140(4)(b) and 140(6)

Details of inputs in stock					Total input tax credit claimed under earlier law	Total input tax credit related to exempt sales not claimed under earlier law	Total Input tax credit admissible as SGST/UTGST
Description	Unit	Qty	Value	VAT [and Entry Tax] paid	6	7	8
1	2	3	4	5			
<b>Inputs</b>							
<b>Inputs contained in semi-finished and finished goods</b>							

(d) Stock of goods not supported by invoices/documents evidencing payment of tax (credit in terms of rule 117 (4))  
(To be there only in States having VAT at single point)

Details of inputs in stock				
Description	Unit	Qty	Value	Tax paid
1	2	3	4	5

Details of description and quantity of inputs / input services as well as date of receipt of goods or services (as entered in books of accounts) is also required.

**8. Details of transfer of cenvat credit for registered person having centralized registration under existing law (Section 140(8))**

Sl. No.	Registration no. under existing law (Centralized)	Tax period to which the last return filed under the existing law pertains	Date of filing of the return specified in Column no. 3	Balance eligible cenvat credit carried forward in the said last return	GSTIN of receivers (same PAN) of ITC of CENTRAL TAX	Distribution document /invoice		ITC of CENTRAL TAX transferred
						No.	Date	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Total</b>							

9. Details of goods sent to job-worker and held in his stock on behalf of principal under section 141

a. Details of goods sent as principal to the job worker under section 141

Sr. No.	Challan No.	Challan date	Type of goods (inputs/ semi-finished/ finished)	Details of goods with job- worker				
				HSN	Description	Unit	Quantity	Value
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GSTIN of Job Worker, if available								
	<b>Total</b>							

b. Details of goods held in stock as job worker on behalf of the principal under section 141

Sr. No.	Challan No.	Challan Date	Type of goods (inputs/ semi-finished/ finished)	Details of goods with job- worker				
				HSN	Description	Unit	Quantity	Value
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GSTIN of Manufacturer								
	<b>Total</b>							

10. Details of goods held in stock as agent on behalf of the principal under section 142 (14) of the SGST Act

a. Details of goods held as agent on behalf of the principal

Sr. No.	GSTIN of Principal	Details of goods with Agent				
		Description	Unit	Quantity	Value	Input Tax to be taken

1	2	3	4	5	6	7

b. Details of goods held by the agent

Sr. No.	GSTIN of Principal	Details of goods with Agent				
		Description	Unit	Quantity	Value	Input Tax to be taken
1	2	3	4	5	6	7

11. Details of credit availed in terms of Section 142 (11 (c))

Sr. no.	Registration No of VAT	Service Tax Registration No.	Invoice/doc ument no.	Invoice/ document date	Tax Paid	VAT paid Taken as SGST Credit or Service Tax paid as Central Tax Credit
1	2	3	4	5	6	7
			Total			

12. Details of goods sent on approval basis six months prior to the appointed day (section 142(12))

Sr No.	Document no.	Document date	GSTIN no. of recipient, (if applicable)	Name & address of recipient	Details of goods sent on approval basis				
					HSN	Description	Unit	Quantity	Value
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Total</b>								

Verification (by authorised signatory)



I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom

Place  
Date

Signature  
Name of Authorised Signatory .....

Designation /Status.....

**Form GST TRAN - 2**  
[See Rule 117(4)]

1. GSTIN -
2. Name of Taxable person -
3. Tax Period: month..... year.....
4. Details of inputs held on stock on appointment date in respect of which he is not in possession of any invoice/document evidencing payment of tax carried forward to Electronic Credit ledger.

Opening stock for the tax period			Outward supply made					Closing balance
HSN (at 6 digit level)	Unit	Qty.	Qty	Value	Central Tax	Integrated Tax	ITC allowed	Qty
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. Credit on State Tax on the stock mentioned in 4 above (*To be there only in States having VAT at single point*)

Opening stock for the tax period			Outward supply made					Closing balance
HSN (at 6 digit level)	Unit	Qty.	Qty	Value	State Tax	Integrated tax	ITC allowed	Qty
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verification (by authorised signatory)

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom

Place  
Date

Signature  
Name of Authorised Signatory .....

Designation /Status.....

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-13/2017 - 2207)]

By the order of Governor of Bihar,  
SUJATACHATURVADI,  
Commissioner-cum-Principal Secretary,  
Commercial Taxes Department.

\_\_\_\_\_  
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,  
बिहार गजट (असाधारण) 563+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>